त्रयोदश माला, खंड 3, अंक 17

मंगलवार, 21 दिसम्बर, 1999
30 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...60...
Date ...8/12/2K...

(खंड 3 में अंक 11 से 19 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1999/1921 (शक)]

अंक 17, मंगलवार, 21 दिसम्बर, 1999/30 अग्रहायण, 1921 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 321 और 322	13–20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 323 से 340	20–72
अतारांकित प्रश्न संख्या 3174 से 3403	72–455
सभा पटल पर रखे गए पत्र...	455–492
राज्य सभा से संदेश...	492, 583–585, 639–640
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
जूट उद्योग और एन.जे.एम.सी. में आए संकट से उत्पन्न स्थितिछ	513
श्री रूपचन्द पाल	514
श्री काशी राम राणा	514, 536
श्री बसुदेव आचार्य	522
श्री हन्नान मोल्लाह	526
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	528
श्री तरित वरण तोपदार	532
नियम 377 के अधीन मामले...	546–553
(एक) घाटकोपर, मुम्बई, महाराष्ट्र में रेल ऊपरिपुल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री किरीट सोमैया	546
(दो) फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री रामचन्द्र बैंदा	547
(तीन) जयपुर विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	547
(चार) उत्तर प्रदेश के गौंडा जिले में नवाबगंज में चीनी मिल को पुनरुज्जीवित किए जाने की आवश्यकता	
श्री बृज भूषण शरण सिंह	548

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय | कालम

(पांच) गुजरात में क्रिसमस पर्व को शांतिपूर्वक ढंग से मनाए जा सकने को सुनिश्चित करने के लिए राज्य में पर्याप्त अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल 548

(छह) चंडीगढ़ में भू-सम्पत्ति को लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड में बदले जाने के संबंध में सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटान किए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल 549

(सात) उत्तर प्रदेश विशेष रूप से फर्रूखाबाद जिले के आलू उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिए जाने को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र भूषण सिंह 549

(आठ) मुंगेर जिले में औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना संबंधी बिहार सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रह्मानंद मंडल 550

(नौ) पूना-अकोला-खंडवा मीटर रेल लाइन को शीघ्र बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली 550

(दस) उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में पेयजल की गंभीर समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन 551

(ग्यारह) तमिलनाडु में तिरूवनमलई जिले में मेल चेंगम गांव स्थित "सेन्ट्रल स्टेट सीड फार्म" को पुनरुज्जीवित करने हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 552

(बारह) 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों की जांच करने के लिए दूसरे आयोग का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री जोरा मान सिंह 552

(तेरह) तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति में सुधार किये जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री पी.एच. पांडियन 553

सीमा शुल्क की दर में वृद्धि करने के लिए अधिसूचना का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प 554-562

श्री यशवंत सिन्हा 554

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 554

श्री वरकला राधाकृष्णन 557

श्री शांता कुमार 558

रेल अभिसमय समिति के गठन के बारे में संकल्प... 562-563

विषय	कालम
रेल अभिसमय समिति में राज्य सभा को अपने सदस्य सम्बद्ध करने के लिए सहमति संबंधी सिफारिश के बारे में संकल्प...	563
पौध किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के बारे में प्रस्ताव...	563–566
केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के बारे में प्रस्ताव...	566–569
नियम 193 के अधीन चर्चा	
प्रसार भारती के कार्यकरण के बारे में	570–582, 585–638
श्री एस. जयपाल रेड्डी	570
डा. नीतिश सेनगुप्ता	576
श्री रूप चन्द पाल	585
श्री राजीव प्रतापं रूडी	592
डा. गिरिजा व्यास	601
डा. सुशील कुमार इन्दौरा	604
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	606
डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डीसूजा	610
श्री के.पी. सिंह देव	612
श्री राशिद अलवी	615
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन	617
श्री धर्म राज सिंह पटेल	617
श्री सुरेश कुरूप	619
श्री सुरेश रामराव जाधव	621
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	622
श्री त्रिलोचन कानूनगो	625
प्रो. रासासिंह रावत	626
श्री अरुण जेटली	627
कार्य मंत्रणा समिति	
चौथा प्रतिवेदन	638

लोक सभा

मंगलवार, 21 दिसम्बर, 1999/30 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* **हुए**]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 321—श्री अरुण कुमार।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री धर्मराज सिंह पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, पहले सदन में महिला आरक्षण बिल पर आम सहमति हो जाए, तब बात होगी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्वेश्चव आवर के बाद जीरो आवर में करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री धर्म राज सिंह पटेल: जब तक महिला आरक्षण बिल पर आम सहमति नहीं होगी, तब तक सदन नहीं चलेगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यह प्रश्न काल है। प्रश्न काल के पश्चात् शून्य काल होगा। आप उस समय इस पर विचार कर सकते हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठें।

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल : महिला आरक्षण बिल, देश का सवाल है, जनता का सवाल है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : महिला आरक्षण बिल जीरो आवर में टेकअप कर सकते हैं। अभी नहीं। क्वेश्चन आवर में नहीं कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप अपनी सीट पर बैठें। अब आप व्यवधान मत डालें।

[हिन्दी]

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल : बिना आम सहमति के नहीं, हिन्दुस्तान का लोकतंत्र और लोक सभा का स्वरूप ही बदल जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठें। मैं अपनी बात कह रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल : महोदय, इस मामले में नोटिस दे चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन आवर के बाद जीरो आवर में टेकअप कर सकते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न काल के पश्चात् इसे ले सकते हैं। इस तरह से व्यवधान मत डालें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन आवर शोर मचाने के लिए नहीं है, प्रश्न पूछने के लिए है। हजारों रुपए इस पर खर्च होते हैं। इसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

मैं इसे गंभीरता से ले रहा हूं। मैं आपको इस तरह नहीं करने दूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी जगह पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया, क्वैश्चन आवर में नहीं, इसको जीरो आवर में टेकअप कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न काल के बाद बोलें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। मैं अपनी बात कह रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप अपनी जगह पर नहीं जायेंगे तो मैं इस मामले को गम्भीरता से ले रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जिस तरह से आप प्रश्न काल में बाधा डाल रहे हैं उसको मैं गम्भीरतापूर्वक लेता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम नहीं चाहते कि सदन में किसी तरह की रुकावट या बाधा डाली जाए, लेकिन सवाल यह है कि संविधान संशोधन करने के लिए आज एक तरह की साजिश हो रही है, बहुमत या अल्पमत का सवाल नहीं है। अगर संविधान संशोधन होगा, उस दिन जैसे आदरणीय चन्द्रशेखर जी ने संकेत दिया था कि इसका परिणाम क्या होगा। यह संविधान संशोधन है, यह कोई छोटा-मोटा कानून बदलने का सवाल नहीं है। इस बिल का जिस तरह का प्रारूप है, अगर यह बिल पास होगा तो यह 100-200 साल तक समाज में रहेगा। इसलिए गंभीरता से विचार करने के लिए हमने कहा था कि महिला आरक्षण बिल आम सहमति के बाद ही सरकार पेश करे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वायदा भी किया था। इसके लिए हमने गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था तथा मजबूर होकर इलैक्शन कमीशन को भी लिख कर दिया कि आपकी भी भूमिका होनी चाहिए। उस तरफ जितने भी सदस्य बैठे हैं उनको मैं बता दूंगा कि यू.पी. में लोक सभा के कौन-कौन से क्षेत्र वर्णमाला के हिसाब से, रोटेशन के हिसाब से आरक्षित हो जाएंगे। मैं अनुशासन के नाते भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कह रहा हूं और अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि अगर नेताओं के अनुशासन के नाम पर आपने इसका विरोध नहीं किया, संशोधन नहीं आया, ...*(व्यवधान)* आपने जीवन में बहुत त्याग किया है, जेलें भी काटी हैं, पिटाई भी हुई है, क्या उस नेता को चाटेंगे या चूमेंगे, जब आपको लोक सभा में आने ही नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमने मामूली मांग की थी कि दस प्रतिशत आरक्षण कर दो। दुनिया में जहां से लोकतंत्र जिन देशों से आया है, चाहे अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, वहां अभी तक इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। अभी विश्व स्तर पर महिला सम्मेलन हुआ था, उसमें वहां की महिलाओं ने इन्कार कर दिया कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। फिर हमारे यहां कितनी गरीबी है, किसान की तथा और भी कई समस्याएं हैं उन समस्याओं पर कोई प्राथमिकता नहीं है। देश का ध्यान बंटाने के लिए रोजाना इस तरह के विवाद किए जा रहे हैं, विवादित कानून बनाने की साजिश हो रही है। हम अपने सभी माननीय सदस्यों से कहेंगे कि नेताओं के अंकुश से हट कर आप देश और समाज के हितों की खातिर एक होकर इस बारे में बात करें। जब तक इस बिल में संशोधन नहीं आएगा, चाहे मुसलमानों, पिछड़े वर्गों या किसी से भी संबंधित हो, तब तक इस पर कुछ नहीं होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह जी, क्या आज मुझे इस सभा में बोलने देंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे, लेकिन इस तरह से हमें मुट्ठीभर कहकर ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप अपने मैम्बरों को अपनी जगह पर जाने के लिए कहिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम माननीय सदस्यों से अपील करना चाहते हैं और फिर दोहराना चाहते हैं कि क्या आप अपने नेताओं को चाटेंगे जब वे लोक सभा के अंदर नहीं आ पायेंगे। इसलिए इस पर मिलकर आम सहमति जब तक नहीं होती, तब तक प्रधान मंत्री जी ने जो बयान दिया है कि इसी सत्र में इसे पेश करेंगे, वह अपना बयान वापस लें और संविधान में संशोधन करने के लिए आम सहमति बनाएं और फिर इसे पेश किया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह, मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हूं। कृपया अपने स्थान पर जाइए। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, कल हमने विधेयक को सभा में प्रस्तुत करने, विचार करने और उसे पारित करने के मामले पर विचार किया था। हम इस विधेयक में सम्मिलित किये जाने वाले किसी भी विचार का विरोध नहीं करते। परन्तु हम चाहते हैं कि विधेयक पर चर्चा हो। महिलाओं के अधिकारों में रुकावट करना हमेशा एक आक्रमण है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं आपको अपनी जगह पर जाने को कह रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर जाएं। मैं दल के नेताओं और मुख्य सचेतकों से आग्रह करता हूं कि वह अपने सदस्यों से कहें कि वे अपने स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो मामला उठाया गया है वह इस समय कार्य-सूची में शामिल नहीं है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो मामला अब सभा में इस समय रखा गया है वह आज की कार्य-सूची में भी सम्मिलित नहीं है। आप जानबूझकर सभा का समय नष्ट कर रहे हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आगे ऐसा न करें। भगवान के लिए अपनी जगह पर जायें, कृपया प्रश्न काल में बाधा न डालें। आप सभा का समय और हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। मैं श्री मुलायम सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने सदस्यों से कहें कि वह अपनी जगह पर जायें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपको बता सकता हूं कि जो मामला आपने उठाया है वह आज की कार्य-सूची में भी शामिल नहीं है। आप इस मामले को अभी क्यों उठा रहे हैं? यह मामला आज की कार्य-सूची में भी शामिल नहीं है। आप इसे शून्य काल में उठा सकते हैं। आप सभा का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने सदस्यों से कहें कि अपने स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाएं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मामूली सी बात है कि यह पहले हमें आश्वस्त करें कि जब तक आम सहमति नहीं होगी तब तक बिल पेश नहीं किया जाएगा। यह बात खड़े होकर कहें। हम उसे मान लेंगे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनको अपनी-अपनी जगह पर जाने को कहा हूं। श्री प्रियरंजन दासमुंशी और श्रीमती मारग्रेट आल्वा आप भी व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी-अपनी जगह पर क्यों नहीं जाते? मैंने आपसे कहा है कि आप अपने स्थान पर बैठें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मुलायम सिंह या.व, क्या आप अपने सदस्यों से कहेंगे कि वे अपने स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संसदीय कार्य मंत्री को रिप्लाई देने के लिए एलाऊ नहीं करूंगा।

[अनुवाद]

जब तक आप अपने स्थान पर नहीं जाते

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब कैमरे बन्द करें। कृपया कैमरे बन्द कर दें। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। कैमरा भी आफ है। जो बोलना चाहें बोलें।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात नहीं मान सकता।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : सर, *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मि. रूडी, रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है और कैमरा भी नहीं चल रहा है।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपको मालूम है कि एक सवाल पूछने के लिए कितना करोड़ रुपया खर्च होता है? आप हाऊस का समय बरबाद कर रहे हैं

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह जी, मैंने आपसे कहा है कि यह प्रश्न काल है, आप अपने मैम्बर्स को बोलिये कि इसे ज़ीरो ऑवर में उठायें, जीरो आवर में आपको चांस मिलेगा। आप क्वैश्चन आवर चलाने दीजिए। आप अपने मैम्बर्स को अपनी सीटों पर जाने के लिए बोलिये *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम आसन का पूरी तरह से आदर करते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मुलायम सिंह यादव को बोलने का मौका दिया है। कृपया व्यवधान मत डालिये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने का अवसर दिया है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप अपने मैम्बर्स को अपनी जगह पर जाने के लिए बोलिये आप इसे जीरो ऑवर में उठा सकते हैं। आप क्वैश्चन ऑवर को चलने दें।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आशा का हम आदर करते हैं, हम आपके निदेशों, आदेशों से पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन आज आपकी भी जिम्मेदारी है, आप हमें संरक्षण दीजिए। यहां संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं ...*(व्यवधान)* तब तक हम नहीं जायेंगे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसीलिए कहा, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने मैम्बर्स को अपनी जगह पर जाने के लिए बोलिये और इसे जीरो ऑवर में उठाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : जीरो ऑवर में क्या करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में आप शोर मत कीजिए, आप सीनियर मैम्बर हैं, आप लीडर हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप पार्टी के लीडर हैं, इतने सीनियर मैम्बर हैं। आपको कम से कम सोचना चाहिए कि यह प्रश्न काल है। आप प्रश्न काल को चलने दें और इसे जीरो ऑवर में उठायें।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप सरकार से कहिये कि यह आम सहमति के बाद पेश किया जाए। यही हम आपसे कहना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष जी, सरकार क्या कहना चाहती है, पहले हमें तो मालूम हो, उसके बाद हम इस मामले को जीरो आवर में उठाएंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, प्रश्न-काल चलाने के बाद आपको समय मिलेगा। आधा घंटा प्रश्न-काल का जाया हो चुका है। अब आधा घंटा बचा है। प्रश्न-काल को चलने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, पहले सरकार कुछ जवाब तो दे। आप कहिए उन्हें कुछ जवाब देने के लिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, यह सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपको मालूम है कि यह प्रश्न काल है जिसमें इस प्रकार से सवाल नहीं पूछे जा सकते। मैंने कल भी आपको अवसर दिया। मैं आज फिर इस मामले को उठाने के लिए शून्यकाल में अवसर दूंगा। यह सवालों का टाइम है इसको चलने दें। आपको मालूम है कि प्रश्नों की सूचनाएं एकत्रित करने पर करोड़ों रुपये व्यय होता है और आप प्रश्न काल को नहीं चलने देंगे, तो इससे देश को बहुत नुकसान होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने मैम्बर्स से कहें कि वह अपने स्थान पर जायें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, चाहे रुपए का सवाल हो चाहे कुछ भी हो, प्रश्न काल के चलने का कोई मतलब नहीं है। आज हमारे हकों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। इसलिए यह पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसका मतलब यह है कि आप जान बूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि हाउस न चल सके।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग महिला आरक्षण बिल को प्रस्तुत करने से रोकने के बहाने उत्तर प्रदेश में चुनावों के लिए जमीन तैयार करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुदीप बन्धोपाध्याय : महोदय, हम महिला आरक्षण बिल को प्रस्तुत करने के पक्ष में हैं। वे अपनी आपत्तियां शून्यकाल में उठा सकते हैं प्रश्न काल में नहीं। हम इसके पक्ष में हैं। यह कोई तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जब केन्द्र में श्री देवेगौड़ा और श्री गुजराल की सरकार थी, तब तो मुलायम सिंह जी महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए तैयार थे, लेकिन अब क्या हो गया। जो ये विरोध कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, बिजनैस एडवायजरी कमेटी की मीटिंग में यह मैटर आया था, इसको कमेटी ने स्वीकार नहीं किया और आपको यह भी मालूम है कि प्रश्न-काल चलने से यह मैटर शून्य-काल में भी उठा सकते हैं और मैं आपको शून्य-काल में बोलने के लिए समय भी दूंगा, लेकिन फिर भी आप इस प्रकार से अपनी पार्टी के मैम्सर्ब से यह मामला उठवा रहे हैं जिससे सदन की कार्यवाही ठीक प्रकार से नहीं चल पा रही है। यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपसे फिर अपील करता हूं कि आप अपने मैम्बर्स को शान्त रहने के लिए कहें।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : उपाध्यक्ष महोदय, गोल्डन जुबली वर्ष के अवसर पर हुई बहस में सदन की सभी पार्टियों ने यह बात मानी थी और इस बात पर हस्ताक्षर किए थे कि क्वश्चन-आवर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसमें मुलायम सिंह जी भी थे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला जिसके बारे में आप कह रहे हैं, सदन के सामने नहीं है। आन जानबूझकर हाउस का टाइम वेस्ट कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे फाइनली बोल रहा हूं कि यह मामला हाउस के सामने नहीं है। आप जान-बूझकर हाउस का टाइम वेस्ट कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला आज की लिस्ट में नहीं है। मैंने आपको कहा है कि मैं आपको जीरो ऑवर में बोलने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब करने का मतलब क्या है? आप इस हाउस का टाइम वेस्ट कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ ऐक्शन लेने से पहले इतनी तवज्जो करता हूं कि आप अपने मैम्बर्स को वापिस जाने के लिए कहिये।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप नाराज हो जायेंगे तो कैसे चलेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : नाराज होने की बात नहीं है। यह मामला लिस्ट में नहीं है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैंने आपको कहा है कि मैं आपको जीरो ऑवर में बोलने का मौका दूंगा, फिर भी आप सवाल उठा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप नाराज मत होइए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह नाराजगी की बात नहीं है, गुस्से की भी बात नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : मंत्री जी ने कहा है कि हम इसी सत्र में लाएंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सैशन खत्म होने में अभी और दिन हैं। यह आज की लिस्ट में नहीं है। यदि आज की लिस्ट में होता तो आप क्वश्चन आवर स्टॉप कर सकते थे।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप गुस्सा मत होइए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि जीरो आवर में मौका दे देंगे। लेकिन जीरो आवर से पहले मौका नहीं दूंगा। मैं आपके मैम्बर्स को अपनी जगह पर ले जाने के लिए चालीस मिनट से आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं। आपने बिल्कुल नहीं सुना। मैंने यह भी कहा कि आप मैटर उठाइए, जीरो ऑवर में आपको बोलने का चांस दूंगा। आपने यह भी नहीं सुना। यह आज की सूची में नहीं है, फिर भी इतना अर्जेंसी क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि आप हाउस नहीं चलाने देंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हम आपके निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हैं लेकिन प्रधानमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री घोषणा कर चुके हैं। ...*(व्यवधान)* आम सहमति बनाकर महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया जाएगा। इसलिए इसका पालन किया जाना चाहिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस विषय पर मुलायम सिंह जी बोल रहे हैं तो हमको भी बोलने का अवसर दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ रिकार्ड नहीं हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

विज्ञापनों का प्रसारण

*321. **श्री अरुण कुमार** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञापनों के प्रसारण का उद्देश्य मीडिया के माध्यम से विभिन्न उत्पादों की बिक्री बढ़ाना होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सार्वजनिक प्रचार माध्यम द्वारा विज्ञापित किए जाने के कारण उत्पाद की प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं होती है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) किसी भी उत्पाद के विज्ञापन का प्रसारण करने से पूर्व उत्पाद की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन उत्पादों के विज्ञापनों को उनके निर्माताओं से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के माध्यम मात्र हैं और इस प्रकार आकाशवाणी तथा दूरदर्शन विज्ञापनों में किए गए दावों की प्रामाणिकता के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं हैं। तथापि, आकाशवाणी और दूरदर्शन इस बात का ध्यान रखते हैं कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से भ्रामक या गलत दावे प्रस्तुत न किए जाएं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन की विज्ञापन संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुरक्षोपाय किए गए हैं:-

(1) किसी भी विज्ञापन में ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं होगा जिससे लोगों द्वारा अनुमान लगाए जाने की संभावना हो कि विज्ञापित किए गए उत्पाद या उनकी किसी भी वस्तु में कुछ विशेष या चमत्कारी या अधिस्वाभाविक गुण है जिन्हें सिद्ध करना कठिन है। जैसे गंजेपन का इलाज, त्वचा को गोरा करना आदि।

(2) किसी भी विज्ञापन में उस समय तक 'गारन्टी' या 'गारन्टीयुक्त' शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि महानिदेशक, आकाशवाणी द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए गारंटी की पूरी शर्तें, उपलब्ध न हों तथा विज्ञापन में स्पष्ट रूप से न बताई जाएं और क्रेता को बिक्री के समय अथवा सामान के साथ लिखित में उपलब्ध न कराई जाएं। सभी मामलों में क्रेता को उपलब्ध उपचारी कार्रवाई का ब्यौरा शर्तों में शामिल होना चाहिए। किसी भी विज्ञापन में सीधे या अंतर्निहित रूप से कोई ऐसी गारंटी शामिल नहीं होगी जिसके द्वारा क्रेता के विधिक अधिकारों का छीना जाना या कम किया जाना आशयित हो।

(3) विज्ञापनदाताओं या उनके एजेंटों को किन्हीं दावों या उसके बारे में कही गई बातों को प्रमाणित करने के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। महानिदेशक को ऐसे प्रमाणों के बारे में पूछने का तथा अपनी पूरी संतुष्टि के अनुसार उनकी जांच करने का अधिकार है। अनिवार्य गुणवता नियंत्रक आदेशों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के मामले में विज्ञापनदाता इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था का गुणता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विज्ञापित किए जा रहे उत्पादों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने की मुख्य जिम्मेवारी संबंधित विज्ञापक तथा विज्ञापन एजेंसी की है। इस संहिता के उल्लंघन के बारे में प्रसार भारती को प्राप्त किसी शिकायत या रिपोर्ट को उपयुक्त कार्रवाई हेतु सबसे पहले संबंधित विज्ञापक एसोसिएशन को भेजा जाएगा। किसी विज्ञापन एजेंसी के अनुमोदित विज्ञापन से हटकर विज्ञापन देने तथा भटकाव की जानकारी मिलने पर उक्त विज्ञापन को तुरन्त वापिस ले लिया जाएगा और एजेंसी को काली सूची में डाल दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों को चेतावनी देता हूं कि वे सभा में इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल न हों।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, जो कहा गया है, एडवर्टाईजर्स और एडवर्टाईजिंग एजेंसी को जिन्हें औथेन्टिसिटी करने का अधिकार है, हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे जिम्मेदार ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इन सभी सदस्यों के दुर्व्यवहार को गंभीरता से लेता हूं। मैं चाहता हूं कि इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार : मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस भौतिकवादी व्यवस्था में उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की सही क्वालिटी के लिए क्या आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना चाहते हैं?

श्री अरुण जेटली : जहां तक क्वालिटी का सवाल है, उसके सम्बन्ध में कई और कानून हैं, जो उसको डील करते हैं, जैसे कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट है, एम.आर.टी.पी.ए. है। अगर कहीं कोई खामी है तो इन कानूनों के तहत उपभोक्ता कार्रवाई करा सकते हैं।

श्री अरुण कुमार : यह तो आपके लिखित उत्तर में वर्णित है। लेकिन भौतिकवादी युग में उपभोक्ता इतना जागरूक नहीं है। उसके इंटरेस्ट को यदि उस पर ही छोड़ दिया जाए तो उसका प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए इस व्यवस्था पर मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर मीडिया को भी जागरूक करना चाहिए। जो विज्ञापन आते हैं, उससे हम महसूस करते हैं कि उपभोक्ताओं का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, इसलिए कि उपभोक्ताओं में जागरूकता नहीं है। मीडिया में विभिन्न तरीकों से हमारी संस्कृति का ख्याल नहीं किया जाता। एडवरटाइजिंग के जरिए इन चीजों को लेकर जो मौलिक तत्व हैं, उसके संरक्षण का ख्याल नहीं किया जाता है। इसलिए हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय विज्ञापन दिखाने से पहले उसकी ओथैंटीसिटी की जांच करेगा?

श्री अरुण जेटली : दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो ने विज्ञापनों के सम्बन्ध में अपना एडवरटाइजिंग कोड बनाया है। प्रत्येक विज्ञापन को दिखाने से पहले उसका प्रिव्यू किया जाता है और यह देखा जाता है कि वह उपभोक्ताओं के लायक है या नहीं।

श्री पी.एच. पाण्डियन : महोदय, मेरे प्रश्न का सम्बन्ध सन टी.वी. सहित बहुत सी गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा विज्ञापनों के प्रसारण से है। इन कम्पनियों ने जनता के साथ बहुत मीठे-मीठे वायदे किये कि वह 36 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देंगी और एक सोने का सिक्का भी देंगी। लोग इससे खुश हो गए और उन्होंने इसे सच समझा। अत: इस विश्वास के साथ कि यह विज्ञापन सच होंगे उन्होंने इसमें अपना सारा पैसा लगा दिया और अपना पैसा खो दिया।

टी.वी. में दिये जाने वाले इस तरह के प्रसारणों पर क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी? क्या सन टी.वी. के प्रबंध निदेशक को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया जायेगा? महोदय, तमिलनाडू में ऐसे तीन टी.वी. चैनल हैं जहां से ऐसे विज्ञापन प्रसारित होते हैं। इनमें एक है सन टी.वी. वे टी.वी. चैनल अत्यधिक विज्ञापन प्रभार ले रहे हैं और अनधिकृत रूप से धन अर्जित कर रहे हैं।

श्री अरुण जेटली : जहां तक आकाशवाणी का सम्बन्ध है, ऐसा कोई उदाहरण हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है जहां ऐसे विज्ञापन प्रसारित किए गए हों।

प्राइवेट चैनलों के सम्बन्ध में केबल नेटवर्क (नियमन) अधिनियम एक विज्ञापन कोड में सभी प्राइवेट चैनल विशेषकर गुहाना से आबद्ध हैं। तथापि माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं उस पर मुझे ध्यान देना चहिये। उस कानून में एक कमी रह गई है कि जो चैनल गुहाना अधीन नहीं हैं वे इस अधिनियम के अन्तर्गत उस कोड में नहीं आते।

पूर्वाह्न 11.48 बजे

इस समय श्री रवि प्रकाश वर्मा, श्रीमती कान्ति सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर बैठ गये

श्री सुदीप बन्द्योपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। वे प्रसारणों और विज्ञापनों की बात कर रहे हैं। परन्तु ये प्राइवेट टी.वी. चैनल विज्ञापन प्रक्रियाओं से लदे पड़े हैं और भारी मुनाफा कमा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दूरदर्शन के यह टी.वी. चैनल इस प्राइवेट/निजी चैनलों से मुकाबला करने की स्थिति में हैं और दूसरे

यह कि क्या उनमें अपने कोड को लागू करने की क्षमता है जो प्राइवेट चैनलों के साथ दूरदर्शन मामलों के साथ इन निजी चैनलों पर भी लागू किये जाते हैं।

श्री अरुण जेटली : दूरदर्शन और आकाशवाणी की भूमिका इन निजी चैनलों से थोड़ी भिन्न इसलिये है क्योंकि दूरदर्शन और आकाशवाणी पूर्णत: वाणिज्यिक संस्थान नहीं हैं। उनको विकसित होना है और वह जन सेवा प्रसारणकर्ताओं की भांति ही विकसित हो रहे हैं। परन्तु जब कभी कोड के सम्बन्ध में बात होती है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है दूरदर्शन और आकाशवाणी के अपने कार्यक्रम और प्रसारण कोड हैं जो सभी प्राइवेट चैनलों पर लागू होते हैं परन्तु अभी भी एक कमी है, जैसा कि मैंने कहा, उन चैनलों के बारे में फ्री टू एयर हैं, उन पर इस अधिनियम के अन्तर्गत यह कोड लागू ही नहीं होता।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर में कहा गया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इस बात का ध्यान रखते हैं कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से भ्रामक या गलत दावे न प्रस्तुत किए जायें। दूरदर्शन पर जो विज्ञापन आते हैं, उन पर भरोसा किया जाता है और आपने कहा है कि सरकार इस बात की चिन्ता करेगी। आपसे पहले वाले मंत्री महोदय ने भी कहा था कि मंत्रालय कोई रैग्यूलेटरी अथारिटी बनाने जा रहा है, लेकिन इसको भी एक साल हो गया है। आपने भी जयपुर में इस बारे में कहा है और हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्राइवेट चैनल इसमें रहें। मैं सरकार से जानना चाहता हूं सरकार इस बारे में चिन्ता कब तक करेगी और क्या प्रावधान करेगी। और गलत-भ्रामक विज्ञापनों पर ध्यान रखने का क्या सिस्टम है?

श्री अरुण जेटली : महोदय, मैंने पहले ही ऊपर में बताया है कि दूरदर्शन को इस प्रकार का विज्ञापन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। रेडियो के मामले में इस कोड को सख्ती से लागू किया जाता है। कानून में केवल कमजोरी यह है कि जो प्राइवेट चैनल हैं, फ्री टू एयर हैं, उनके ऊपर केबल नेटवर्क एक्ट एडवर्टाइजिंग कोड लागू नहीं होता है। हम लोग ब्राडकास्टिंग बिल तैयार कर रहे हैं और इसमें प्रयास होगा कि इस कानून के तहत इसको दूर किया जाए।

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार : यद्यपि दूरदर्शन द्वारा विज्ञापनों के प्रसारण हेतु कोड लागू किया गया है फिर भी सामान्यत: यह माना जाता है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन मुनाफा कमाने वाले विभाग हैं। वे उन विज्ञापनों के बारे में कोई संकोच नहीं बरतते जो स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हैं और जिनके परिणाम भारतीय लोगों को प्रभावित करते हैं। अत: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे ऐसा कोई कोड बना रहे हैं जिसके अन्तर्गत वो विज्ञापन प्रसारित नहीं किए जायेंगे जिनका स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव हो और क्या सरकार ने तम्बाकू उत्पादों के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये हैं? मुझे लगता है कि संबंध इन उत्पादों के विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है। शराब जैसे उत्पादों, जो जन सामान्य के लिए हानिकारक हैं, का अभी प्रसारण किया जाता है। यदि हां, तो सरकार ने ऐसे उत्पादों की पहचान की है जिनके विज्ञापन दिये गए हैं? सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है?

श्री अरुण जेटली : आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि दोनों कोड जो दूरदर्शन और आकाशवाणी पर लागू होते हैं और साथ ही प्राइवेट चैनलों पर लागू होते हैं उनमें कहा गया है कि सिगरेट तम्बाकू उत्पादों, शराब या अन्य नशीले पदार्थों को प्रोत्साहन देने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं है। अत: दूरदर्शन और आकाशवाणी पर इनका प्रसारण नहीं होता। जहां तक प्राइवेट चैनलों का सम्बन्ध है इस कोड के अन्तर्गत ऐसे विज्ञापनों की अनुमति नहीं है और इस कोड में केवल एक कमी है जैसाकि मैंने पहले भी कहा है, कि फ्री टू एअर चैनलों में इस कोड को लागू नहीं किया गया है और हम कानून की इस कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, प्राइवेट चैनलों के विज्ञापनों में खराब दृश्य दिखाये जाते हैं जो भारतीय सभ्यता के विरुद्ध हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन खराब दृश्यों के प्रसारण पर रोक लगाने का प्रस्ताव करती है?

श्री अरुण जेटली : जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, कोड के अन्तर्गत भारत के प्राइवेट चैनलों पर और दूरदर्शन पर ऐसे दृश्यों को प्रसारण की अनुमति नहीं जो शालीनता के विरुद्ध हों। चूंकि अधिनियम में कोई कमी छूट गई थी कि फ्री टू एअर चैनल विगत में इस कानून अधिनियम के अन्तर्गत नहीं रखे गए अत: हमने अपनी शक्तियों का उपोग करके केबल नेटवर्क अधिनियम में विशेषकर रूस से प्रसारित किये जाने वाले और पूरी तरह अश्लील चैनल पर रोक लगा दी।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो फ्री टू एअर चैनल है, उनका रिलीफ भी प्राइवेट आपरेटर के द्वारा ही होता है।

अगर सरकार केबल आपरेटर एक का बराबर उपयोग करेगी तो जो प्राइवेट चैनल हैं, उस पर भी यह अधिकार ला पाएगी। मंत्री जी, जो दूसरा प्राइवेट चैनल है, उनसे भी बात करके एनिशिएटिव लेकर, उसके बारे में कुछ क़ोड आफ कंडस्ट तैयार करके, फेक फोन वाली एडवरटाइजमेंट में क्या प्रतिबंध लगाएंगे?

श्री अरुण जेटली : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके लिए केबल एक्ट का सैक्शन पांच और छः, जो एक प्रोवाइजो होता है, जो ब्राडकास्टिंग कोड और एडवरटाइजिंग कोड है, वह फ्री टू एयर चैनल में लागू नहीं होगा। उस प्रोवाइजों को कानून में संशोधन करके हटाना पड़ेगा। सरकार का ध्यान उस दिशा में है। जो नया ब्राडकास्टिंग कानून बनेगा तो उसका हल ढूंढ़ने का भी हम प्रयास कर रहे हैं।

स्वास्थ्य देखभाल संबंधी राष्ट्रीय एजेंडा

***322. श्री सुनील खां** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 21वीं शताब्दी के लिए स्वास्थ्य देखभाल संबंधी राष्ट्रीय एजेंडा घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) 1983 में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार करने के बाद से देश में हुए महत्वपूर्ण जानपदिक रोग विज्ञानी और जनांकिकीय परिवर्तनों को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को संशोधित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां : महोदय, यह तो बहुत अस्पष्ट उत्तर है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां, आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

...*(व्यवधान)*

श्री सुनील खां : महोदय, स्वास्थ्य सर्वोत्तम है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार सदी को पुकार रही वर्ष 2000 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की समीक्षा हेतु क्या कार्यक्रम बना रही है?

मेरे प्रश्न का आगला भाग यह है। पन्द्रह बीमारियों जैसे केलिस मेलेरिया आदि राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की गई हैं। इन बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

सरकार ने प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्ध इत्यादि के बारे में क्या नीति तैयार की है?

सरकार की दवाओं संबंधी क्या नीति है? चाहे यह इस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र से बाहर है, फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं क्योंकि यदि आपको कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करना है तो उसे जोड़ा जाना होगा। आपने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं?

पश्चिम बंगाल की संखिया, जिओगैनिक, थैलेसेमिया आदि मुश्किल समस्याओं के निवारण हेतु क्या कदम उठाये हैं?

श्री एन.टी. षणमुगम: 'सबके लिए स्वास्थ्य' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य नेटवर्क व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत 1,36,818 उप केन्द्र होंगे, 22,991 मुख्य स्वास्थ्य केन्द्र और 2,712 स्वास्थ्य केन्द्र पूरे देश में बनाये गए हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निवारक प्रोत्साहक और रोगहर स्वास्थ्य प्रदान किया जा सके।

मध्याह्न 12.00 बजे

इसके अतिरिक्त मलेरिया, टी.बी., कोढ़, अंधापन, एड्स, कैंसर, आयोडीन की कमी, अन्य बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण कार्यक्रमों के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

उर्वरक परियोजनाएं

***323. श्री टी.एम. सेल्वागणपति** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने सरकार से चार बड़ी उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ग) दिनांक 10.4.99 तक सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों की निम्नलिखित चार उर्वरक परियोजनाओं को लोक निवेश बोर्ड द्वारा इन परियोजनाओं के निवेश मूल्यांकन की शर्त के अध्यधीन सिद्धांतत: मंजूरी दी थी:

(1) गुजरात में कृभको के हजीरा संयंत्र का विस्तार।

(2) उत्तर प्रदेश में एफ.सी.आई. के गोरखपुर संयंत्र के मौजूदा स्थल पर कृभको द्वारा स्थापित किया जाने वाला एक नया संयंत्र।

(3) महाराष्ट्र में आर.सी.एफ. के थाल संयंत्र का विस्तार।

(4) नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में इफको द्वारा स्थापित किया जाने वाला एक ग्रासरूट यूरिया संयंत्र।

लोक निवेश बोर्ड ने 9.7.99 को हुई अपनी बैठक में सबसिडी भार के साथ देश की खाद्य सुरक्षा के बड़े मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त परियोजनाओं पर विचार किया था और चरणबद्ध कार्यान्वयन के माध्यम से स्वदेशी क्षमता में सीमित वृद्धि की सिफारिश की थी। सरकार लोक निवेश बोर्ड की सिफारिशों की खाद्य सुरक्षा और सबसिडी व्यय को नियंत्रित करने की आवश्यकता से संबंधित सरकार की नीति के संदर्भ में जांच की जा रही है।

जन स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय

***324. श्री जी.एस. बसवराज :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष जन स्वास्थ्य पर 1996-97 के स्थिर मूल्यों की दृष्टि से राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रोगों की रोकथाम के लिए प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि व्यक्त की गई;

(ग) अन्य एशियाई देशों की तुलना में भारत में चिकित्सा सुविधाओं पर प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि व्यय की जाती है;

(घ) क्या उन देशों की तुलना में भारत में चिकित्सा सुविधाओं पर परिव्यय की जा रही धनराशि बहुत कम है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार और योजनावार कितनी धनराशि नियत की गई और क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं; और

(छ) सरकार द्वारा प्रमुख रोगों की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को और अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1994-95 से 1996-97 की अवधियों के लिए वर्तमान मूल्यों पर राज्यवार प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी सरकारी व्यय संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इस अवधि का वर्षवार प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी कुल व्यय विवरण-Iक में दिया गया है।

(ग) और (घ) विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, 1995 में प्रकाशित सूचना के अनुसार भारत और कुछ एशियन देशों में वर्ष 1990 का प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी व्यय संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) से (छ) संविधान के अधीन जन स्वास्थ्य राज्य की जिम्मेदारी है। भारत सरकार के लिए क्षेत्रवार (सेन्ट्रल) आबंटन कुल मिलाकर संसाधन संबंधी स्थिति और अन्य क्षेत्रों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग द्वारा किए जाते हैं। तथापि, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 30.6.98 की स्थिति के अनुसार बुनियादी न्यूनतम सेवा के अधीन 136818 उप केन्द्रों, 22991 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 2712 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों वाला ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उप-प्रभागीय और जिला अस्पतालों/तृतीयक स्तर के अस्पतालों और स्वैच्छिक तथा निजी संगठनों द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं के माध्यम से प्रदान की जाती है।

राज्य सरकारों को, प्रमुख रोगों को नियंत्रित करने हेतु और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता, एड्स और प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए बाह्य सहायता जुटाई गई

है। चुनिंदा राज्यों में विश्व बैंक सहायता से द्वितीयक स्वास्थ्य पद्धतियों का उन्नयन भी किया जा रहा है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1996-97 से 1998-99 के दौरान प्रमुख स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के संबंध में प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता क्रमशः संलग्न विवरण-III और IV में दी गई है।

विवरण-I

राज्यों द्वारा 1994-95 से 1996-97 के वर्षों में वर्तमान मूल्यों पर स्वास्थ्य पर किया गया प्रति-व्यक्ति सरकारी व्यय (वर्तमान और पूंजीगत)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल सरकारी व्यय : स्वास्थ्य (लाख रुपये)			पहली अक्तूबर को जनसंख्या लाखों में (रुपये)			प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय (स्वास्थ्य)		
		1994-95	1995-96	1996-97	1994	1995	1996	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	46580	51560	62437	705.08	716.67	726.24	66	72	86
2.	अरुणाचल प्रदेश	2691	3708	3405	9.83	10.19	10.57	274	364	322
3.	असम	13909	17642	19944	240.48	245.24	249.72	58	72	80
4.	बिहार	33729	36419	39141	911.11	924.79	939.93	37	39	42
5.	गोवा	3205	3762	4885	13.29	13.75	14.21	241	274	344
6.	गुजरात	31730	38536	44681	443.05	451.78	459.27	72	85	97
7.	हरियाणा	9932	11424	12739	179.36	183.7	187.61	55	62	68
8.	हिमाचल प्रदेश	10526	12645	14939	58.22	60.12	60.91	181	210	245
9.	जम्मू और कश्मीर	16699	16722	19418	86.8	89.59	90.58	192	187	214
10.	कर्नाटक	33467	37613	40961	480.66	489.65	497.61	70	77	82
11.	केरल	28734	34557	38189	304.24	308.04	311.85	94	112	122
12.	मध्य प्रदेश	38316	39789	55464	718.24	734.83	749.76	53	54	74
13.	महाराष्ट्र	63309	70505	91425	843.47	859.22	873.41	75	82	105
14.	मणिपुर	3224	3989	4447	20.88	21.62	22.38	154	185	199
15.	मेघालय	3334	4051	4562	20.17	20.89	21.63	165	194	211
16.	मिजोरम	2801	3205	4593	7.85	8.13	8.44	357	394	544
17.	नागालैंड	4110	5827	6020	13.78	14.28	14.88	298	408	405
18.	उड़ीसा	18335	19398	21142	336.28	341.99	346.64	55	57	61
19.	पंजाब	21468	24017	28698	217.55	221.84	225.63	99	108	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	राजस्थान	34055	40662	47797	480.33	492.21	503.04	71	83	95
21.	सिक्किम	2370	2543	2473	4.62	4.79	4.96	513	531	499
22.	तमिलनाडु	54604	68027	74513	584.11	591.44	598.26	93	115	125
23.	त्रिपुरा	3406	3885	4679	31.34	32.45	33.6	109	120	139
24.	उत्तर प्रदेश	69104	82271	90246	1514.96	1551.46	1583.89	46	53	57
25.	पश्चिम बंगाल	50152	54910	69982	726.92	740.34	752.79	69	74	93
26.	दिल्ली	15919	22481	23813	108.54	112.8	120.52	147	199	198
27.	पांडिचेरी	2859	3809	3491	9.19	9.51	9.86	311	401	354
28.	केन्द्र*	73732	73982	82900						
	कुल	692300	787939	916984	9084.21 $	9265.56 $	9433.21 $	76	85	97

स्रोत : 1. राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी

2. जनसंख्या महापंजीयक का कार्यालय

टिप्पण: स्वास्थ्य संबंधी व्यय में परिवार कल्याण संबंधी खर्च, रक्षा सेवाओं और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी व्यय शामिल नहीं हैं।

* बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

$ अखिल भारत

– ये अनुमान स्थिर मूल्यों पर तैयार नहीं किए गए हैं और इनमें रोगों के निवारण संबंधी खर्च शामिल हैं।

विवरण I क

वर्तमान बाजार मूल्यों पर स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय (वर्तमान और पूंजीगत) चिकित्सा परिचर्या और स्वास्थ्य सेवाओं पर निजी अंतिम उपभोग व्यय (पी.एफ.सी.ई.)

वर्ष	स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय (वर्तमान और पूंजीगत) (करोड़ रुपये)	चिकित्सा परिचर्या और स्वास्थ्य सेवाओं पर पी.एफ.सी.ई. (करोड़ रुपये)	कुल कालम (2+3)	पहली अक्तूबर को जनसंख्या (करोड़ में)	स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय (रुपये)	
					सरकारी (कालम 2/ कालम 5)	कुल (कालम 4/ कालम 5)
1	2	3	4	5	6	7
1994-95	6923	25497	32420	90.84	76	357
1995-96	7879	30207	38086	92.66	85	411
1996-97	9170	34618	43788	94.33	97	464

टिप्पण : स्वास्थ्य संबंधी सरकारी व्यय में परिवार कल्याण पर खर्च, स्वास्थ्य सेवाओं और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी व्यय शामिल नहीं हैं।

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

विवरण-II

चुनिंदा एशियन देशों में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी व्यय

क्रम संख्या	देश	अमेरिकी डालर में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी व्यय (1990)
1	2	3
1.	चीन	11
2.	जापान	1538
3.	मलेशिया	71
4.	फिलीपीन्स	15
5.	कोरिया गणवादी	365
6.	सिंगापुर	215
7.	वियतनाम	3
8.	पाकिस्तान	12
9.	बांग्लादेश	7
10.	भूटान	10
11.	नेपाल	7
12.	भारत	21
13.	इंडोनेशिया	12
14.	थाईलैंड	72
15.	श्री लंका	18

स्रोत : विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, 1995 - ब्रिजिंग द् गैप्स''

विवरण-III

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अधीन वर्ष (1996-97, 1997-98, 1998-99) के दौरान प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संवितरण को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	634.63	617	482.93
अरूणाचल प्रदेश	126.9	297.5	186.61
असम	1660.83	2618	2170.42
बिहार	206.76	348.98	403.05
गोवा	3.46	5.18	7.72
गुजरात	471.75	726.77	611.11
हरियाणा	327.77	291.08	260.39
हिमाचल प्रदेश	118.33	90.84	51.47
जम्मू व कश्मीर	120.62	78.62	72.57

1	2	3	4
कर्नाटक	853.62	568.62	264.47
केरल	53.65	63.6	102.73
मध्य प्रदेश	769.35	1072.77	454.49
महाराष्ट्र	2405.71	1028.44	260.26
मणिपुर	303.28	273.91	377.34
मेघालय	222.93	196.96	231.55
मिजोरम	106.07	132	172.53
नागालैंड	122.45	212.62	183.34
उड़ीसा	248.15	233.43	385.14
पंजाब	282.79	183.26	290.67
राजस्थान	2025.35	1799.74	1994.15
सिक्किम	39.34	1.77	8.47
तमिलनाडु	150.39	204.88	240.72
त्रिपुरा	300.67	414.05	356.97
उत्तर प्रदेश	941.71	505.73	1121.92
पश्चिम बंगाल	772.7	125.71	330.9
संघ राज्य क्षेत्र			
अंडमान व निकोबार	94.04	93.83	155.68
चंडीगढ़	46.33	48.53	44.3
दादरा व नगर हवेली	12.73	24.75	24.9
दमन व दीव	8.8	12.37	10.08
दिल्ली	117.88	66.04	37.21
लक्षद्वीप	2.1	3.48	5.24
पांडिचेरी	16.12	12.48	6.15
कुल	13567.21	12353.94	11305.5

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

व्यय (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	17.61	172.01	198.62
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.69	1.45	1.66
3.	असम	42.87	44.2	51.03
4.	बिहार	141.59	258.76	298.79
5.	गोवा	6.63	1.8	2.07
6.	गुजरात	11.74	86.23	99.58
7.	हरियाणा	0.12	44.86	51.8
8.	हिमाचल प्रदेश	5.11	7.84	9.06
9.	जम्मू और कश्मीर	0.19	21.15	24.42
10.	कर्नाटक	15.06	102.93	118.85
11.	केरल	118.02	38.48	44.43
12.	मध्य प्रदेश	152.17	174.33	201.3
13.	महाराष्ट्र	23.24	171.76	198.34
14.	मणिपुर	4.01	0.28	0.32
15.	मेघालय	10.64	4.88	5.63
16.	मिजोरम	6.16	1.97	2.28
17.	नागालैंड	3.21	1.57	1.81
18.	उड़ीसा	0.08	73.69	85.09
19.	पंजाब	18.78	54.41	62.83
20.	राजस्थान	13.03	107.62	124.27
21.	सिक्किम	2.85	1.08	1.24
22.	तमिलनाडु	13.61	138.22	159.61
23.	त्रिपुरा	3.01	7.57	8.75

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	59.48	349.35	403.39
25.	पश्चिम बंगाल	86.17	133.56	154.22
26.	दिल्ली	15.28	56.69	2.77
27.	पांडिचेरी	2.15	3.31	1.82
28.	अण्डमान व निकोबार	1.43	14.27	0.82
29.	चंडीगढ़	1.06	39.67	2.27
30.	दादरा व नगर हवेली		7.7	0.44
31.	दमन व दीव		5.51	0.32
32.	लक्षद्वीप		2.85	0.16
	एक्सरे रोल के लिए			82
	एचएचसीसी को भुगतान			35.55
	मुख्यालय में क्षयरोग कक्ष	47.66	47.5	118
	क्षय रोग सोसायटियों को सहायता अनुदान	539.82	1023.36	2602
	वस्तुगत अनुदान			2066
	कुल	1363.47	3200.86	7221.54

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला कुष्ठ सोसायटियों को दी गई नगद सहायता और किए गए भुगतानों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1996-97				1997-98				1998-99			
		नगद	वस्तुगत	जिला	कुल	नगद	वस्तुगत	जिला	कुल	नगद	वस्तुगत	जिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	200.00	236.29	129.94	566.23	207.83	101.00	331.24	640.07	189.10	48.50	102.00	339.60
2.	अरूणाचल प्रदेश	16.00	1.74	144.46	162.20	20.00	0.42	27.00	47.42	20.25	0.42	142.84	163.51
3.	असम	20.00	16.56	117.04	153.60	21.00	42.00	271.65	334.65	16.50	42.00	224.00	282.50
4.	बिहार	112.00	262.90	58.62	433.52	119.83	371.45	335.28	826.66	200.70	511.45	293.00	1005.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	गोवा	0.45	3.94		4.39	1.45	0.48	7.35	9.28	2.00	0.48	8.00	10.48
6.	गुजरात	16.00	45.11	19.24	80.35	19.00	242.16	177.27	438.43	19.15	127.16	101.00	247.31
7.	हरियाणा	6.80	1.85	14.56	23.21	8.00	0.80	14.37	23.37	5.00	0.08	15.00	20.08
8.	हिमाचल प्रदेश	6.80	—	33.49	40.29	8.00	6.76	10.00	24.76	10.50	6.76	91.27	108.53
9.	जम्मू और कश्मीर	4.45	2.21	10.50	17.16	84.83	12.89	5.00	102.72	46.00	12.89	95.00	153.89
10.	कर्नाटक	100.00	20.70	64.32	185.02	96.00	33.15	283.01	412.16	115.50	71.48	169,00	355.98
11.	केरल	76.00	35.55	96.20	207.75	77.50	10.00	121.74	209.24	94.40	10.00	137.00	241.40
12.	मध्य प्रदेश	135.00	157.54	233.94	526.48	138.00	318.33	511.77	968.10	138.30	150.00	458.83	747.13
13.	महाराष्ट्र	14.00	255.31	191.26	460.57	39.99	74.43	351.16	465.58	34.50	126.56	364.00	525.06
14.	मणिपुर	3.50	2.47	99.82	105.79	5.22	3.05	30.00	38.27	12.00	3.05	117.86	132.91
15.	मेघालय	8.00	2.65	17.50	28.15	9.00	2.59	10.00	21.59	3.50	2.59	66.22	72.31
16.	मिजोरम	16.00	0.24	30.62	46.86	19.00	0.34	42.00	61.34	30.00	0.34	45.43	75.77
17.	नागालैंड	7.00	3.49	39.24	49.73	8.00	1.20	120.49	129.69	7.50	1.20	14.00	49.70
18.	उड़ीसा	150.00	26.40	236.36	412.76	168.00	250.94	276.65	695.59	153.10	23.94	169.00	553.04
19.	पंजाब	21.00	3.49	17.68	42.17	30.00	3.96	7.00	40.96	30.00	3.96	101.00	134.96
20.	राजस्थान	29.00	50.98	35.00	114.98	30.00	22.00	5.00	57.00	60.00	22.00	425.51	507.51
21.	सिक्किम	20.00	0.24	14.00	34.24	21.00	1.00	27.40	49.40	22.00	1.00	42.00	65.00
22.	तमिलनाडु	114.00	404.98	130.74	649.72	117.00	136.56	0.00	253.56	125.00	64.43	160.00	349.43
23.	त्रिपुरा	19.00	3.99	13.62	36.61	20.00	1.50	—	21.50	24.00	1.50	50.35	75.85
24.	उत्तर प्रदेश	187.00	293.43	478.68	959.11	143.25	250.86	636.70	1030.81	182.00	303.36	426.00	911.36
25.	पश्चिम बंगाल	95.00	196.15	243.70	534.85	98.00	242.85	299.81	640.66	113.80	207.85	139.00	460.65
26.	अंडमान व निकोबार	6.50	0.33	10.00	16.83	6.50		0.00	6.50	6.50		—	6.50
27.	चंडीगढ़	0.50	0.63	—	1.13	0.50		—	0.50	1.00		5.00	6.00
28.	दादरा व नगर हवेली	0.50	0.96	—	1.46	0.50		5.96	6.46	1.00		—	1.00
29.	दमन व दीव	4.50	1.79	3.50	9.79	4.50		0.00	4.50	9.50		0.00	9.50
30.	दिल्ली	0.50	5.00	—	5.50	0.50		—	0.50	1.50		51.15	52.65
31.	लक्षद्वीप	2.00	0.14	—	2.14	2.00		—	2.00	2.00		9.53	11.53
32.	पांडिचेरी	2.50	1.00	16.16	19.66	3.50		12.95	16.45	1.85		0.00	1.85
	कुल	1394.00	2038.06	2500.19	5932.25	1526.00	2130.72	3921.00	7579.72	1678.15	1950.00	4049.99	7678.14

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन राज्यों को जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

राज्य	नकद अनुदान	डी.बी.बी.एस. को सहायता अनुदान 1996-97	कुल अनुदान	नकद अनुदान	डी.बी.बी.एस. को सहायता अनुदान 1997-98	कुल अनुवाद	नकद अनुदान	डी.बी.बी.एस. को सहायता अनुदान 1998-99	कुल अनुदान	कुल अनुवाद 1996-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विश्व बैंक परियोजना										
राज्य										
आंध्र प्रदेश	38.44	135.00	173.44	204.34	257.00	461.34	88.50	364.00	452.50	1,087.28
मध्य प्रदेश	405.07	301.00	706.07	138.40	455.00	593.40	568.67	408.00	976.67	2,276.14
महाराष्ट्र	117.80	123.00	240.80	99.27	313.00	412.27	87.00	362.00	449.00	1,102.07
उड़ीसा	67.18	111.00	178.18	312.20	204.00	516.20	331.08	220.00	551.08	1,245.46
राजस्थान	78.62	117.00	195.62	46.60	243.00	289.60	35.50	289.00	324.50	809.72
तमिलनाडु	106.54	108.00	214.54	444.47	219.00	663.47	551.00	316.00	867.00	1,745.01
उत्तर प्रदेश	725.97	285.00	1,010.97	138.28	564.00	702.28	207.25	599.50	806.75	2,520.00
उप योग	1,539.62	1,180.00	2,719.62	1,383.56	2,255.00	3,638.56	1,869.00	2,558.50	4,427.50	10,785.68
अन्य राज्य										
अरूणाचल प्रदेश	3.82	0.00	3.82	4.04	5.00	9.04	4.50	4.00	8.50	21.36
असम	1.82	6.00	7.82	4.54	85.00	90.04	49.65	57.50	107.15	205.01
बिहार	0.00	54.00	54.00	7.44	167.50	174.94	19.50	184.50	204.00	432.94
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	1.25	11.50	12.75	11.20	13.50	24.70	37.45
गोवा	7.24	0.00	7.24	5.25	3.50	8.75	63.00	0.15	63.15	79.14
गुजरात	0.00	27.00	27.00	4.01	125.50	129.51	39.99	114.15	154.14	310.65
हरियाणा	3.71	3.00	6.71	2.97	54.50	57.47	37.50	63.50	101.00	165.18
हिमाचल प्रदेश	0.00	6.00	6.00	2.97	29.50	32.47	34.03	49.50	83.53	122.00
जम्मू व कश्मीर	40.97	0.00	40.97	20.66	19.00	39.66	52.50	39.50	92.00	172.63
कर्नाटक	76.58	81.00	157.58	11.78	159.00	170.78	62.01	196.00	258.01	586.37
केरल	8.10	9.00	17.10	6.84	54.50	61.34	16.07	75.50	91.57	170.01
मणिपुर	0.00	6.00	6.00	1.77	8.50	10.27	16.76	9.15	25.91	42.18
मेघालय	5.27	3.00	8.27	4.56	17.50	22.06	11.60	15.15	26.75	57.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मिजोरम	11.30	9.00	20.30	1.54	5.00	6.54	16.60	9.15	25.75	52.59
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	3.85	2.50	6.35	56.95	7.15	64.10	70.45
पंजाब	3.83	18.00	21.83	4.15	52.50	56.65	5.10	51.50	56.60	135.08
सिक्किम	11.46	0.00	11.46	7.92	0.00	7.92	26.30	12.00	38.30	57.68
त्रिपुरा	9.71	6.00	15.71	7.77	12.50	20.27	37.74	13.15	50.89	86.87
पश्चिम बंगाल	0.00	12.00	12.00	3.25	54.00	57.25	6.20	135.50	141.70	210.95
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1.30	0.00	1.30	4.00	3.00	7.00	3.80	4.00	7.80	16.10
चंडीगढ़	5.74	3.00	8.74	4.00	3.00	7.00	3.60	7.00	10.60	26.34
दादरा व नगर हवेली	2.00	0.00	2.00	4.00	3.00	7.00	3.70	3.00	6.70	15.70
दमण व दीव	1.50	0.00	1.50	4.00	0.00	4.00	3.70	4.00	7.70	13.20
लक्षद्वीप	1.50	0.00	1.50	7.04	0.00	7.04	17.70	0.00	17.70	26.24
पांडिचेरी	1.50	0.00	1.50	4.00	0.00	4.00	2.30	3.00	5.30	10.80
उप योग	197.35	243.00	440.35	133.60	876.50	1,010.10	602.00	1,071.55	1,673.55	3,124.00
महा योग	1,736.97	1,423.00	3,159.97	1,517.16	3,131.50	4,648.66	2,471.00	3,630.05	6,101.05	13,909.68

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

निधियां जारी करना

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97 जारी किए गए अनुदान	1997-98 जारी किए गए अनुदान	1998-99 जारी किए गए अनुदान
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	425.00	425.00	650.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	80.00	25.00	30.00
3.	असम	100.00	100.00	100.00
4.	बिहार	25.00	50.00	110.00

1	2	3	4	5
5.	गोवा	25.00	50.00	35.00
6.	गुजरात	300.00	250.00	230.00
7.	हरियाणा	130.00	75.00	160.00
8.	हिमाचल प्रदेश	115.00	225.00	115.00
9.	जम्मू और कश्मीर	25.00	25.00	25.00
10.	कर्नाटक	350.00	175.00	335.00
11.	केरल	225.00	100.00	65.00
12.	मध्य प्रदेश	425.00	150.00	315.00
13.	महाराष्ट्र	900.00	950.00	800.00
14.	मणिपुर	200.00	150.00	245.00
15.	मेघालय	35.00	25.00	30.00
16.	मिजोरम	150.00	100.00	100.00
17.	नागालैंड	190.00	155.00	227.00
18.	उड़ीसा	50.00	75.00	100.00
19.	पंजाब	225.00	75.00	150.00
20.	राजस्थान	375.00	225.00	100.00
21.	सिक्किम	50.00	50.00	50.00
22.	तमिलनाडु	1700.00	2000.00	800.00
23.	त्रिपुरा	50.00	50.00	20.00
24.	उत्तर प्रदेश	450.00	495.00	200.00
25.	पश्चिम बंगाल	600.00	100.00	350.00
26.	पांडिचेरी	400.00	0.00	40.00
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	7.00	31.09	20.00
28.	चंडीगढ़	45.91	28.00	60.00
29.	दादरा व नगर हवेली	46.93	16.00	0.00
30.	दमन व दीव	17.00	24.22	15.00

1	2	3	4	5
31.	दिल्ली	19.00	25.00	110.00
32.	लक्षद्वीप	16.71	15.42	0.00
33.	मुम्बई नगर निगम			350.00
34.	अहमदाबाद नगर निगम			5.00
	कुल	7752.55	6239.73	5942.00

विवरण-IV

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन बकाया सहित सहायता अनुदान (नकद और वस्तुगत)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1996-97			1997-98			1998-99		
		नगद	वस्तुगत	कुल	नगद	वस्तुगत	कुल	नगद	वस्तुगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	14781.23	2398.43	17179.66	8838.71	2387.25	11225.96	11652.79	2994.01	14646.80
2.	अरूणाचल प्रदेश	146.82	33.86	180.88	147.73	89.65	237.38	144.06	76.21	220.27
3.	असम	2233.69	824.06	3057.75	3284.70	1165.61	4450.31	3260.45	1190.77	4451.22
4.	बिहार	5500.62	2851.93	8358.55	9894.51	2727.31	12621.82	8792.62	4093.61	12886.23
5.	गोवा	141.81	53.24	195.05	168.13	38.70	206.83	184.83	59.38	244.19
6.	गुजरात	3408.15	1957.01	5365.16	9446.00	1877.12	11323.12	10503.85	2132.19	12836.04
7.	हरियाणा	1439.48	850.88	2298.14	3521.84	722.46	4244.30	2746.01	918.55	3664.56
8.	हिमाचल प्रदेश	1613.92	294.83	1908.80	1123.72	307.30	1431.02	1973.97	402.01	2375.98
9.	जम्मू व कश्मीर	863.14	268.35	1131.49	1873.62	264.16	2137.78	1600.73	460.50	2061.23
10.	कर्नाटक	7590.98	1784.70	9384.68	5185.49	1275.84	6461.33	7651.02	2133.24	9814.26
11.	केरल	2456.74	735.58	3192.32	2981.46	973.70	3955.18	4190.43	1323.95	5514.38
12.	मध्य प्रदेश	5689.22	4006.87	9755.80	6765.52	3227.78	9993.30	8566.08	4636.08	13202.16
13.	महाराष्ट्र	8383.02	3351.69	11734.71	8289.64	2388.04	10677.68	11164.04	3922.03	15086.07
14.	मणिपुर	418.72	56.61	475.33	452.95	132.90	585.85	622.26	109.88	732.14
15.	मेघालय	300.07	87.40	387.47	300.91	96.13	397.04	328.75	142.00	470.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	मिजोरम	197.57	45.85	243.42	221.36	74.88	290.04	239.11	69.10	308.21
17.	नागालैंड	211.63	47.62	259.25	200.05	59.19	268.24	247.96	91.27	339.23
18.	उड़ीसा	2900.32	1149.21	4109.53	4821.63	1337.46	6159.09	4710.89	1794.84	8505.73
19.	पंजाब	1958.20	776.12	2734.32	2451.93	1117.79	3509.72	2558.65	1135.55	3094.20
20.	राजस्थान	7094.65	3084.52	10179.17	7299.73	2178.96	9476.69	8492.29	2725.34	11217.63
21.	सिक्किम	237.71	22.25	259.96	218.87	46.00	204.87	307.72	41.01	349.63
22.	तमिलनाडु	6636.80	2077.61	8714.41	10835.89	1924.08	12759.97	9197.30	2609.13	11806.43
23.	त्रिपुरा	998.50	100.96	1099.46	411.50	161.28	572.78	1781.61	195.18	1976.79
24.	उत्तर प्रदेश	11436.91	7721.73	19158.64	19276.48	5797.10	25073.58	42482.52	8901.54	51384.06
25.	पश्चिम बंगाल	7046.22	1909.68	8955.90	5201.99	2505.16	7707.15	11122.85	3206.74	14329.59
	कुल (राज्य)	93761.13	36559.62	130320.75	113223.36	32873.85	146097.01	154552.79	45364.99	198917.78
विधान मंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्र:										
1.	पांडिचेरी	93.61	33.68	127.27	138.53	35.49	174.02	137.85	54.55	192.40
2.	दिल्ली	1475.25	388.14	1863.39	719.82	435.59	1155.41	1012.59	473.35	1485.94
बिना विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए परिव्यय:										
1.	अण्डमान व निकोबार	90.20	16.12	106.32	100.34	22.06	122.40	104.60	19.00	123.60
2.	दादरा व नगर हवेली	29.47	6.02	35.49	34.41	5.55	39.96	59.31	9.98	69.29
3.	चंडीगढ़	83.50	26.12	119.52	96.25	17.08	113.33	131.33	57.72	189.05
4.	लक्षद्वीप	11.75	2.77	14.52	13.25	5.91	19.16	30.05	5.01	35.06
5.	दमण व दीव	32.55	6.25	38.50	32.25	12.15	44.40	43.50	8.55	52.05
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	1826.33	479.08	2305.41	1134.85	533.83	1668.68	1519.23	628.16	2147.39

विश्वविद्यालयवत माना जाना

***325. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक और अन्य राज्यों के उन कालेजों के नाम क्या हैं जिन्हें विश्वविद्यालयवत माने जाने की घोषणा की गई है;

(ख) कालेजों को विश्वविद्यालयवत माने जाने की घोषणा किए जाने के मानदण्ड क्या हैं;

(ग) सरकार के पास कालेजों को विश्वविद्यालयवत घोषित करने के लिए राज्यवार कितने प्रस्ताव अभी भी लंबित हैं; और

(घ) लंबित प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) कर्नाटक और अन्य राज्यों की ऐसी संस्थाओं की सूची जिन्हें सम-विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किसी संस्था को समविश्वविद्यालय घोषित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 में मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्य बातों के साथ-साथ यह शामिल है कि किसी विश्वविद्यालय को समविश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से उसमें सामान्यत: निम्नलिखित बातें निहित होनी चाहिए:-

(1) विशेषज्ञता के चुने हुए क्षेत्रों, जो अभिनव और निष्णात और/अथवा अनुसंधान स्तरों पर उच्च शैक्षिक मानकों वाले हैं, उनके शिक्षण कार्यक्रम और अनुसंधान में सक्रिय हों। वह बहुआयामी, विस्तारी और क्षेत्र कार्य संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के साथ व्यापक रूप से सहभागी हो।

(2) नवाचारी कार्यक्रमों के माध्यम से विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के उद्देश्यों के लिए अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में विशेष योगदान कर रहा हो और विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देने पर संस्था में विश्वविद्यालय पद्धति और शिक्षण और अनुसंधान तथा विशेषत: इसके विशेषज्ञता के क्षेत्र में, को पूर्णत: सुदृढ़ करने में सक्षम हो।

(3) उभरते क्षेत्रों जो विभिन्न विकास क्षेत्रों और आम जनता के लिए उपयुक्त और उपयोगी है में अनुप्रयोग प्रबोधन कार्यक्रमों को हाथ में लेने की क्षमता।

(4) संस्थाओं में अपेक्षित व्यवहार्यता तथा विश्वविद्यालय के आदर्शों तथा परम्पराओं में योगदान देने में सक्षम एक प्रबंधन होना चाहिए।

सामान्यत: विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध तथा बी.ए./बी.काम/बी.एस.सी. अथवा एम.ए./एम.काम./एम.एस.सी. के परम्परागत डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं पर समविश्वविद्यालय का स्तर प्रदान करने हेतु विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, वे संस्थाएं जो नवाचारी कार्यक्रम भी प्रदान कर रही हैं तथा जिनके पास पर्याप्त संसाधन हैं, विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए उन पर विचार किया जा सकता है।

पूर्णकालिक छात्रों को सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाली अथवा सेवारत कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं पर जब तक कि वे उच्च कोटि की नहीं हो, मान्यता प्रदान करने हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

चुनिन्दा मामलों में, सामाजिक विज्ञानों, विज्ञानों तथा प्रौद्योगिकी विषयों को विशिष्ट उत्कृष्ट शोध संस्थानों पर शोध डिग्रियों तथा स्नातकोत्तर स्तर पर अतिविशिष्ट कार्यक्रमों के लिए विचार किया जा सकता है।

यदि संस्थान व्यावसायिक विषय/विषयों में डिग्री/डिप्लोमा प्रदान कर रहा है तो उसके द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय स्तर के लिए आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक कार्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, एम.सी.आई., डी.सी.आई., सी.सी.एच., आई.एन.सी. आदि जैसे किसी सम्बद्ध सांविधिक निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तथापि, यह तथ्य उत्कृष्ट कार्यक्रम प्रदान करने वाला तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित दिशानिर्देशों को पूरा न करने वाली नई संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। उन संस्थाओं को समविश्वविद्यालय का अस्थायी स्तर प्रदान किया जाएगा।

(ग) सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के 39 (उनतालीस) प्रस्तावों जिसमें से एक मंत्रालय के पास और अन्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तथा राज्य सरकारों के पास है की विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही हैं। कुछ मामलों में संबंधित संस्थाओं को औपचारिकताएं पूरी करनी है। इन प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) संबंधित अभिकरणों, नामत: संस्था, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकारों इत्यादि को लम्बित प्रस्तावों के संबंध में अपेक्षित सूचना/टिप्पणियों/सिफारिशों को समय-समय पर शोध शीघ्र भेजने की सलाह दी जा रही है।

विवरण-I

संस्थाएं जिन्हें सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है

आंध्र प्रदेश

1. केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद

2. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति

3. श्री सत्य साई उच्च ज्ञान विद्या संस्थान, प्रासंथिनिलायन

बिहार

4. बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा

5. भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद

गुजरात

6. गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद

हरियाणा

7. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल

कर्नाटक

8. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

9. मनीपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मनीपाल

10. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरो साईंस, बंगलौर

मध्य प्रदेश

11. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

महाराष्ट्र

12. भारती विद्यापीठ, पुणे

13. केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुंबई

14. दक्कन स्नातकोत्तर कालेज एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे

15. गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे

16. इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुंबई

17. आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे

18. अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई

19. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई

20. तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे

पंजाब

21. थापर इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला

राजस्थान

22. वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली

23. बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी

24. राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर

25. जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू

तमिलनाडु

26. अविनाशलिंगम महिला गृह विज्ञान एवं उच्च शिक्षा संस्थान, कोयम्बटूर

27. चेन्नई चिकित्सा कालेज एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई

28. गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, ग्रांधीग्राम

29. श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम

30. श्री रामचन्द्र चिकित्सा कालेज एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई

उत्तर प्रदेश

31. केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ

32. दयालबाग शिक्षण संस्थान, दयालबाग, आगरा

33. वानिकी अनुसंधान संस्थान, देहरादून

34. गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

35. भारतीय पशुविज्ञान अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर

पश्चिम बंगाल

36. बंगाल इंजीनियरिंग कालेज, हावड़ा

नई दिल्ली

37. भारतीय कृषि विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

38. जामिया हमदर्द, नई दिल्ली

39. आयोजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली

40. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली

41. राष्ट्रीय संग्रहालय सोसायटी, कला इतिहास संस्थान, संरक्षण एवं संग्रहालय विद्या, नई दिल्ली

42. टेरी उच्च अध्ययन स्कूल, नई दिल्ली

विवरण-2

सम विश्वविद्यालय घोषित करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्थाओं की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	बिहार	1
3.	गुजरात	1
4.	हरियाणा	1
5.	कर्नाटक	4
6.	केरल	3
7.	मध्य प्रदेश	4
8.	महाराष्ट्र	2
9.	नई दिल्ली	5
10.	उड़ीसा	3
11.	तमिलनाडु	9
12.	उत्तर प्रदेश	4
	कुल	39

मस्तिष्क ज्वर

***326. श्री के. येरननायडू :**
डा. मन्दा जगन्नाथ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मैनिनजाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) के कारण कितनी मौतें हुईं;

(ख) क्या मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित मरीजों को समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश और बिहार में एक घातक मस्तिष्क ज्वर, जापानी एन्सेफलाइट्स फैल गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी बीमारियों से राज्यवार कितने लोगों को मौतें हुई हैं;

(च) क्या इस बीमारी पर नियंत्रण पाने हेतु केन्द्र सरकार से सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है;

(छ) यदि हां, तो क्या इस मामले पर सरकार को सलाह देने हेतु किसी केन्द्रीय दल ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया है; और

(ज) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) राज्य सरकारों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में मेनिंगोकोक्कल मेनिनजाइटिस के कारण हुई मौतों की संख्या इस प्रकार रही है:

वर्ष	मौतों की संख्या
1996	945
1997	.825
1998	439

(ख) और (ग) यह रोग कई जीवों के द्वारा होता है। उपचार की सुविधाएं अस्पतालों में उपलब्ध हैं। इस रोग के प्रकोपों की जांच और प्रयोगशालीय निदान के लिए तकनीकी सहयोग राज्य सरकारों के अनुरोध पर राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है।

(घ) और (ङ) 1999 के दौरान आंध्र प्रदेश सहित देश के कुछ भागों से जापानी एन्सेफलाइटिस के केन्द्रिक (फोकल) प्रकोप होने की सूचना मिली है। तथापि, बिहार से इस रोग का ऐसा कोई प्रकोप होने की सूचना नहीं मिली है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान (15.12.99 तक) जापानी एन्सेफलाइटिस के रोगियों और मौतों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है:–

राज्य का नाम	रोगी	मौतें
1	2	3
1. असम	11	2
2. आंध्र प्रदेश	965	200

1	2	3
3. गोवा	8	2
4. हरियाणा	105	34
5. कर्नाटक	428	58
6. मणिपुर	42	1
7. उत्तर प्रदेश	1296	258
8. प. बंगाल	11	4
9. तमिलनाडु	5	0
कुल	2871	559

(च) से (ज) केन्द्रीय सरकार राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करती आ रही है। केन्द्र द्वारा जापानी एन्सेफलाइटिस की रोकथाम के लिए अपेक्षित मात्रा में कीटनाशकों की आपूर्ति भी की जाती है।

आंध्र प्रदेश में जापानी एन्सेफलाइटिस के प्रकोप की रिपोर्टें मिलने पर राज्य में प्रकोप को नियंत्रित करने में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सहायता और मार्गदर्शन के लिए 17 से 20 नवम्बर, 1999 तक राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम निदेशालय से एक दल वहां भेजा गया था। राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम निदेशालय और राष्ट्रीय संचार रोग संस्थान के अधिकारियों के पद अन्य केन्द्रीय दल ने जापानी एन्सेफलाइटिस की स्थिति का जायजा लेने और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए 27 से 30 नवम्बर, 1999 तक राज्य का दौरा किया।

केन्द्रीय दलों के जरिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के अलावा, केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अधीन आंध्र प्रदेश को 5 मीट्रिक टन मलाथियन तकनीकी (प्रभावित क्षेत्रों में उष्मीय थर्मल फॉगिंग के लिए) और 200 मीट्रिक टन मलाथियन 25% डब्ल्यू.डी.पी. की आपूर्ति की गई है। जापानी एन्सेफलाइटिस के रोगवाहकों (वैक्टरों) के प्रभाव को रोकने के लार्वारोधी उपाय करने हेतु आंध्र प्रदेश को पहले ही अपेक्षित मात्रा में लार्वानाशकों को आपूर्ति की गई है।

दूरदर्शन धारावाहिक

*327. **श्री कृष्णमराजू :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय दूरदर्शन पर दिखाए जा रहे दो सौ कड़ियों वाले कितने दूरदर्शन धारावाहिक हैं;

(ख) बिना किसी सामाजिक प्रभाव वाले ऐसे दूरदर्शन धारावाहिकों को स्वीकृति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) सामाजिक और सांस्कृतिक सद्भाव तथा एकता वाले कितने टी.वी. धारावाहिक दूरदर्शन के विचाराधीन हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) वर्तमान में दूरदर्शन पर 200 अथवा उससे अधिक स्वीकृत प्रकरणों वाले निम्नलिखित 13 धारावाहिक/कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं:-

डी.डी.-1

1. ओम नवः शिवाय
2. दया सागर
3. सुरभि
4. अर्धांगिनी
5. इंतजार और सही
6. तुलसी
7. दीवार
8. सुबह-सवेरे

डी.डी.-2

9. टॉप जॉब
10. डेनिस दि मेनेस
11. न्याय
12. बन्धन
13. अदा

(ख) उपरोक्त (क) में उल्लिखित तेरह धारावाहिकों सहित सभी टी.वी. धारावाहिकों का कमोबेश सामाजिक प्रभाव है।

(ग) विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयों से संबंधित कुछ धारावाहिक/कार्यक्रम सुरभि, संस्कृतिनामा, किरण, अर्धांगिनी,

तुलसी, अपराजिता आदि पहले से ही प्रसारित किए जा रहे हैं। सरगम, योवर ऑनर, अग्नि आदि जैसे कुछ और कार्यक्रमों को भी मंजूरी दे दी गई है तथा इनको बारी आने पर प्रसारित किया जाएगा।

[हिन्दी]

गैर-मान्यता प्राप्त विदेशी मेडिकल कालेजों से मेडिकल डिग्री

***328. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी मेडिकल डिग्री प्राप्त भारतीय डाक्टरों को भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा ठेका आधार पर नियुक्त किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे डाक्टरों को ठेका आधार पर लेने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या सभी विदेशी मेडिकल कालेजों को भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे विदेशी मेडिकल कालेजों, जो भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं, के डिग्री धारक भारतीय चिकित्सकों द्वारा भारत में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए क्या नियम निर्धारित किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताओं को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की दूसरी अनुसूची और इस अधिनियम की तीसरी अनुसूची के भाग-2 में शामिल किया गया है।

(घ) वे भारतीय चिकित्सक, जो ऐसी विदेशी चिकित्सा अर्हता के धारक हैं जिन्हें भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है और जिनका भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूचियों में उल्लेख नहीं है, भारत में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद/राज्य चिकित्सा परिषद के अधीन पंजीकरण के पात्र नहीं हैं।

[अनुवाद]

गांव के लोगों का शहरों की ओर पलायन

***329. श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्रीमती कैलाशो देवी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़े पैमाने पर लोग गांवों से शहरी क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में विशेषकर बड़े शहरों में लोगों के आने से जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या शहरों में बुनियादी सुविधाओं की बिगड़ती स्थिति के कारण शहरों के मूल निवासी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा लोगों के पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों (विभिन्न स्कीमों के जरिए) छोटे तथा मझोले कस्बों और उप-नगरों (सेटेलाइट टाउन) के विकास के लिए कार्यनीति अपनाई है।

[हिन्दी]

पोलियो ड्राप्स

***330. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पोलियो के उन्मूलन के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन का वित्त पोषण करती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 नवम्बर, 1999 के "नवभारत टाइम्स" में पोलियो ड्राप्स दिए जाने के बावजूद कुछ बच्चों को पोलियो होने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ङ) पोलियो की दवा पीने के बाद भी बच्चों के पोलियो का शिकार होने के क्या कारण हैं; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन से उपाचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (च) वैक्सीन से रोके जा सकने वाले छह रोगों को नियंत्रित करने के लिए 1989-90 के दौरान देश में व्यापक रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। इन रोगों में पोलियो भी शामिल था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चे को 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह की आयु का हो जाने पर तीन बार ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। तथापि, प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक कवरेज सन्तोषजनक नहीं रही है। हाल के समय तक भी पोलियो रोगियों का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट निगरानी कार्यक्रम नहीं था। इसके परिणामस्वरूप पोलियो की वास्तविक घटनाएं अधिकांश राज्यों से सूचित घटनाओं से कहीं अधिक होती थीं।

सन् 2000 तक पोलियो उन्मूलन के विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1995 से सामान्य प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त वार्षिक पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया गया था। पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत पांच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को सर्दी के महीनों में दो बार पोलियो वैक्सीन दी जाती है। पल्स पोलियो कार्यक्रम की कवरेज बहुत अच्छी रही है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से देखी जा सकती है:-

(करोड़ में)

वर्ष	पहला दौर	दूसरा दौर	मूल्यांकन कवरेज (स्वतंत्र एजेंसी द्वारा)
1995-96	8.78	9.35	85.5 प्रतिशत
1996-97	11.98	12.74	93.3 प्रतिशत
1997-98	12.96	13.63	92.08 प्रतिशत
1998-99	13.59	13.84	96.1 प्रतिशत
1999-2000	14.14	14.22	-

अक्तूबर, 1997 में पोलियों के रोगियों का पता लगाने के लिए एक निगरानी प्रणाली स्थापित की गई थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को दो या तीन विशेष रूप से नियुक्त किए निगरानी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा कवर किया जाता है जिनकी ड्यूटी एक्यूट फ्लेसिड पैरालेसिस (ए.एफ.पी.) के सभी रोगियों का पता लगाना, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोलियो के सभी रोगियों की सूचना देना, प्रयोगशाला निदान के लिए मल नमूने लेना और 60 दिनों तक यह जांच करने के लिए अनुवर्ती देख-रेख करना कि क्या रोगी को पोलियो है या उसे गैरपोलियो लकवा है। देश में पोलियो के पता लगाने के काम के लिए नौ प्रयोगशालाओं को विशेष रूप से सुदृढ़ और सज्जित किया गया है। निगरानी प्रणाली के सफलतापूर्वक कार्य करने से रोगियों का पता लगाने के काम में काफी सुधार हुआ है। वर्ष 1996 में सूचित रोगियों की संख्या केवल 1005 थी जबकि 1997 में यह बढ़कर 2272 और 1998 में 4320 हो गई थी। 1999 में 4 दिसम्बर तक रोग की घटनाएं कम होकर 2017 हो गई हैं।

ओरल पोलियो वैक्सीन की क्षमता मुख्य रूप से कोल्ड चेन स्थिति पर निर्भर करती है जिसमें इसे परिरक्षित किया जाता है। चूंकि यह वैक्सीन गर्मी के प्रति अधिक संवेदनशील है, इसलिए इसके लम्बे समय तक परिरक्षण हेतु इसे आइस लाइंड रेफ्रीजरेटरों अथवा डीप फ्रीजरों में रखे जाने की आवश्यकता है। सरकार ने देश भर में कोल्ड चेन स्थिति में सुधार लाने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बहुत सी खराब पड़ी या अप्रयुक्त मशीनों की मरम्मत कर दी गई है और उन्हें बदल दिया गया है और अतिरिक्त सेट प्रदान किए गए हैं। वर्ष 1998-99 से सामान्य अथवा पल्स पोलियो कार्यक्रम में उपयोग की जा रही वैक्सीन में से प्रत्येक वायल पर एक वैक्सीन वायल मानीटर लगा होता है जिसके रंग बदलने पर उपयोग के समय वैक्सीन की क्षमता में हानि होने का पता चलता है।

बच्चों को यदि समय से सामान्य टीकाकरण और पल्स पोलियो प्रतिरक्षण की अपेक्षित संख्या में खुराकें मिल चुकी हों तो उन्हें साधारणतया पोलियो से होने वाले अंगघात से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। शिशु अवस्था अथवा बाल्यावस्था अंगघात के सभी रोगी पोलियो मूल के रोगी नहीं हो सकते हैं। इसलिए गैर-पोलियो एक्यूट फ्लेसिड पेरालेसिस का पता लगाने की दर पोलियो निगरानी कार्यक्रम की सफलता के लिए विश्वसनीय सूचक समझी जाती है। तथापि, बहुत ही कम मामलों में बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की पूरी खुराकें ले लेने के बाद भी पोलियो मूल का अंगघात हो सकता है।

भारत में उत्तर प्रदेश पोलियो विषाणु का पारम्परिक रूप से बड़ा भण्डार रहा है। 1999 में भी 4 दिसम्बर, 1999 तक पोलियो

पाए जाने वाले 2017 रोगियों में से 1057 रोगी अकेले उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश में सामान्य रोग प्रतिरक्षण भी बिल्कुल संतोषजनक नहीं रहा है और वहां पर सूचित और वास्तविक कवरेज में भारी अन्तर रहे हैं।

चालू वर्ष 1999-2000 के दौरान पोलियो उन्मूलन प्रयासों में तेजी लाने के लिए सरकार ने अतिरिक्त कदम उठाए हैं। सन् 2000-2001 की सदी के अंत तक पोलियो की घटनाएं शून्य पर लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सारे देश में अक्तूबर, 1999 से जनवरी, 2000 तक 4 राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण दिवस और आठ राज्यों (राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात) में जहां पर पोलियो विषाणु अभी भी सक्रिय हैं और अथवा जहां पर निगरानी प्रणाली अभी तक पूरी तरह से नहीं चली है, दो और उप राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आयोजित किए जाएं।

इसके अतिरिक्त केन्द्रों पर स्थिर रोगप्रतिरक्षण के अलावा इस वर्ष के कार्यक्रम में उन बच्चों जिनको टीका नहीं लगा हो, को राष्ट्रीय रोग-प्रतिरक्षण दिवसों के तत्काल पश्चात् गहन रूप से घर-घर जाकर देने के दो दिन शामिल हैं। 24 अक्तूबर, 21 नवम्बर और 19 दिसम्बर, 1999 को तीन राष्ट्रीय रोगप्रतिरक्षण दिवसों का पहले ही आयोजन किया जा चुका है। सूचित की गई बच्चों की कवरेज बहुत ही सन्तोषजनक है। घर-घर किए नए दौरों के बारे में राज्यों से मिली रिपोर्टों से प्रकट होता है कि प्रत्येक राज्य में छोटी प्रतिशतता में ही बच्चों को पहले कोई टीका नहीं लगा था ऐसे मामलों को अब घर-घर जाने वाले कार्यक्रम में कवर किया जा रहा है।

हर स्थान पर कोल्ड चेन के रख-रखाव, वैक्सीन क्षमता (पोटेंसी) और वैक्सीन वायल मानीटरों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। प्रत्येक ओ.पी.वी. वायल में अब एक वी.वी.एम. रहता है। कार्यकर्ताओं को आई.वी.वी.एम. के उपयोग और उपयुक्त रूप से टीका लगाने की तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है। भारत सरकार ने सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण के लिए और केन्द्र (बूथ) के स्तर पर लोगों को सामाजिक रूप से शामिल करने के लिए काफी धनराशि की मंजूरी दी है। जन प्रचार के साधनों के माध्यम से प्रचार के अतिरिक्त स्थानीय नेताओं, पंचायती राज संस्थाओं इत्यादि को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। पंच सम्मेलनों और केन्द्र के प्रासंगिक व्ययों तथा घर-घर जाने वाले दलों जिनमें न केवल स्वास्थ्य कर्मचारी बल्कि स्थानीय अध्यापक, आंगनवाडी कार्यकर्ता और स्वयं सेवक भी हैं, के लिए निधियां प्रदान की गई हैं।

कुल मिलाकर सरकार आश्वस्त है कि गहन प्रयास से देश में पोलियो उन्मूलन की बात एक वास्तविकता बन जायेगी।

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कुछ बच्चों को पोलियो की वैक्सीन देने के पश्चात् पोलियो होने के बारे में 25 नवम्बर के 'नवभारत टाइम्स' में छपी रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बरेली जिले के कठारा माजरे इस्लामनगर नामक गांव में संदिग्ध पोलियो के 4 रोगियों की पुष्टि की है। तीन मामलों कुमारी महजबीन सुपुत्री श्री मो. असलम, कुमारी निशा सुपुत्री श्री मलिक अहमद (न कि निसार अहमद) जैसा कि समाचार पत्र में सूचित किया गया है) और अर्शद सुपुत्र श्री अब्दुल खालिक के मामले, प्रत्येक मामले में पक्षाघात शुरू होने की तारीख से क्रमशः 3 और छह महीनों की समाप्ति के पश्चात्, जिला रोगप्रतिरक्षण अधिकारी की और मुख्य चिकित्साधिकारी की जानकारी में आए। राज्य सरकार द्वारा भेजा गया एक वरिष्ठ अधिकारी इस गांव में गया और इन मामलों में से प्रत्येक मामले की छानबीन की और गांव कठारा तथा आस-पास के क्षेत्रों में चलाए गए नेमी और पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण संबंधी कार्यकलापों की भी जांच की है।

उनकी रिपोर्ट के अनुसार कुमारी महजबीन के पहले मामले में इस बच्चे को लगभग 3 महीने पहले फ्लेस्सिड पैरालिसिस होने से पहले ओ.पी.वी. की कोई नेमी खुराक नहीं दी गई थी। तथापि, इस अधिकारी को बताया गया कि इस लड़की ने जनवरी-नवम्बर, 1999 में पल्स पोलियो रोगप्रतिरक्षण के दौरान पोलियो की दवा पी थी। सहायक नर्सधात्री और अभिभावकों के पास रोग प्रतिरक्षण का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार कुमारी निशा सुपुत्री श्री खलील अहमद के दूसरे मामले में, इस लड़की ने नेमी रूप से पोलियो की दवा नहीं पी थी लेकिन उसने पल्स पोलियो कार्यक्रम में पोलियो की दो खुराकें पी थीं। लड़की की मां ने सूचित किया कि उसकी लड़की को हाल ही की वर्षा ऋतु में लकवा हुआ था। अब, राज्य सरकार द्वारा भेजे गए अपर निदेशक की रिपोर्ट के अनुसार लड़की सामान्य ढंग से चल-फिर रही है और उसमें रेजिडुअल अंगघात का कोई लक्षण नहीं है।

तीसरा मामला अर्शद पुत्र श्री अब्दुल खालिक का है। बच्चे को रूटिन ओ.पी.वी. की एक खुराक दी गई और इस मामले में भी न तो मां द्वारा और न ही सहायक नर्स धात्री द्वारा कोई रिकार्ड रखा गया। मां के अनुसार अंगघात जनवरी, 1999 में हुआ। लकवे

से ग्रसित होने के बाद लड़की को पल्स पोलियो टीके की खुराक दी गई उसके पहले नहीं। इस समय वह अपने आप चल फिर रही है और बाईं टांग में बहुत ही कम रेजिडुअल अंगघात रह गया है।

चौथा मामला दो वर्षीय दानिश पुत्र श्री शफीक अशरद का है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अंगघात होने की तारीख 10.11.99 है और बच्चे की आयु 1 वर्ष और 9 महीने है। बच्चे को 3 रूटिन खुराक और पल्स पोलियो टीकाकरण की एक खुराक दी गई। इस मामले की अभी भी जांच-पड़ताल चल रही है। इस मामले में मल नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। पोलियो मूल के अंगघात होने की पुष्टि में लगभग 60 दिन लग जाते हैं।

राज्य सरकार की रिपोर्ट से पता चलता है कि 1. समुचित रूप से रूटिन टीकाकरण करने, 2. रूटिन टीकाकरण के रिकार्ड के रख-रखाव, 3. अंगघात होने के मामलों का पता लगाने और इसके बारे में रिपोर्ट करने, 4. समय पर मल नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजने, और 5. अक्यूट फ्लेस्सिड पेरालासिस के मामलों का पता चलने पर रोग के प्रकोप को रोकने के लिए टीकाकरण का काम शुरू करने में राज्य स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय कार्यकर्ताओं की चूक रही है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला टीकाकरण अधिकारी ने लगातार 3 दिन गांव का दौरा किया है और रोग के प्रकोप को रोकने के लिए दिनांक 10.11.99 को 4543 बच्चों को टीका दिया गया। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कोल्ड चेन उपस्कर ठीक ढंग से काम कर रहा था। जैसा कि रिपोर्ट मिली है। वैक्सीन वायल मानीटर्स प्रथम ग्रेड में अर्थात बहुत अच्छी स्थिति में हैं।

जाहिर है कि इन क्षेत्रों में रूटिन टीकाकरण और पल्स पोलियो टीकाकरण को तेज किया जाना है और इनकी बारीकी से मानीटरिंग की जानी है। दूसरे और तीसरे मामलों में रेजिडुअल अंगघात नहीं है और इसलिए इसके पोलियो मूल के होने की संभावना नहीं है। फिर भी पहले मामले में समय पर छान-बीन करने और रिपोर्ट करने की जरूरत थी जो किया नहीं गया। राज्य सरकार ने पहले ही संबंधित सहायक नर्स धात्री और महिला स्वास्थ्य परिवीक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की है। राज्य सरकार को सलाह दी जाएगी कि वे मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और जिला टीकाकरण अधिकारियों को भविष्य में बहुत ही सावधान रहने का अनुदेश दें।

शिक्षा नीति

***331. श्री राजो सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक नई शिक्षा नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.), 1986, जो शैक्षिक स्थिति की गहन समीक्षा तथा राष्ट्रीय मतैक्य पर आधारित है, संपूर्ण शिक्षा के विकास को दिशा प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करती है। यह ढांचा आज भी प्रासंगिक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके विभिन्न पैरामीटरों के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा और मूल्यांकन का प्रावधान है ताकि समय-समय पर उभरने वाली समस्याओं और प्रगति का पता लगाया जा सके। इस तरह की पिछली समीक्षा 1992 में की गई थी। नवीनतम समीक्षा की प्रारंभिक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

[अनुवाद]

जनजातीय अनुसंधान संस्थान

***332. श्री पी.सी. थामस : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक संस्थान को दिए जाने के लिए प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है और उनमें किए जा रहे अनुसंधान कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल के राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान ने केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो 1991-92 से देय सहायता राशि जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) "अनुसंधान और प्रशिक्षण" की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत जनजातीय अनुसंधान संस्थान के लिए संबंधित

राज्य सरकार को 50:50 के समान आधार पर राज्य और केन्द्र दोनों के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता पूर्ववर्ती अनुदान के बारे में उपयोग प्रमाणपत्र के साथ राज्यों के बजट में उनके समान हिस्से को रखते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद प्रदान की जाती है। ये संस्थान अनुसंधान, मूल्यांकन, कार्यक्रमों की मानीटरिंग तथा जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण प्रदान करने में भी लगे हुए हैं। ये संस्थान अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए राज्य सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। जनजातीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक संस्थान में जनजातीय संग्रहालय है जिसमें जनजातीय कलाकृतियों का संग्रहण है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्तमान वित्त वर्ष के लिए केरल राज्य सरकार के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान, केरल के लिए 1991-92 से आगे इस मंत्रालय की ओर से कोई केन्द्रीय सहायता देय नहीं है।

[हिन्दी]

सेटेलाइट टी.वी. का प्रवेश

***333. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री अजीत सिंह:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सेटेलाइट टी.वी. के प्रवेश को नियमित और अनुशासित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ एक स्वतंत्र प्रसारण प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ङ) अन्य बातों के साथ-साथ निजी उपग्रह चैनलों को विनियमित करने के उद्देश्य से सरकार का एक नया प्रसारण विधेयक तैयार कर यथाशीघ्र संसद में प्रस्तुत करने का विचार है जिसमें इस प्रयोजनार्थ एक स्वतंत्र प्रसारण प्राधिकरण के गठन की भी व्यवस्था की जाएगी।

[अनुवाद]

जाली प्रशिक्षण संस्थाएं

***334. श्री किशन सिंह सांगवान :**
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनेक जाली प्रशिक्षण सस्थाएं और शिक्षण दुकानें फलफूल रही हैं जो सभी तरह के पाठ्यक्रमों और डिग्रियों के संबंध में चिकनी-चिपुड़ी बातें कह कर छात्रों को लुभा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो राजधानी में ऐसी संस्थाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन संस्थाओं के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सरकार इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दे रही है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा गैर-कानूनी और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग में एक अनाचार निवारण कक्ष स्थापित किया है। राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, दूरस्थ शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा भी ऐसे कक्ष स्थापित किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी को शीर्ष राष्ट्रीय संस्थाओं में स्थापित ऐसे कक्षों के समेकन और अनुवीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

राष्ट्रीय लाइसेंस अभिकरणों को प्रेस विज्ञप्ति और विज्ञापनों के माध्यम से समय-समय पर जाली संस्थाओं की सूची जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय लाइसेंस अभिकरणों के वेबसाइट पर भी सूचना उपलब्ध कराई गई है। समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं के सम्पादकों से भी इस

अनुरोध के साथ सम्पर्क करने का निर्णय लिया गया है कि वे ऐसे गैर-कानूनी/भ्रामक विज्ञापनों को प्रकाशित न करें। अत्यधिक गम्भीर मामलों में दोषी शैक्षिक संस्थाओं के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

खजुराहो की विरासत

***335. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खजुराहो की विरासत के क्षेत्र के लिए विशेषज्ञों द्वारा दीर्घावधि संरक्षण और सतत् विकास नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास ने "खजुराहो विरासत क्षेत्र के लिए संरक्षण और सतत् विकास नीति" नामक रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को सौंप दी थी। रिपोर्ट में राज्य सरकार द्वारा समेकित समाज विकास, दाम व्यवस्था, सतत् पर्यटन विकास और व्यावसायिक रूप से प्रबंधित खजुराहो विरासत न्यास फंड की स्थापना करने की सिफारिश की गयी है। यह राज्य सरकार द्वारा अधिकृत रिपोर्ट है तथा सिफारिशों का कार्यान्वयन करना भी राज्य सरकार का दायित्व है।

बच्चों का यौन शोषण

***336. श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि प्रति वर्ष लगभग दो मिलियन बच्चों का विश्व भर में यौन शोषण किया जा रहा है और उनमें से सबसे अधिक संख्या में बच्चे दक्षिणी और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 और 1999 के दौरान भारत में कितने बच्चों का यौन शोषण किया गया; और

(ग) बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) दिनांक 13 दिसम्बर, 1999 को नई दिल्ली में यूनिसेफ द्वारा जारी "दि स्टेट ऑफ वर्ल्डस चिल्ड्रन 2000" शीर्षक से प्रकाशित अद्यतन रिपोर्ट में उल्लेख है कि ऐसे बच्चों की सही संख्या की गणना करने का कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा बच्चों की बिक्री तथा अवैध व्यापार ऋण दासता, कृषि दासता, बंधुआ अथवा जबरन या अनिवार्य श्रम, अथवा सशस्त्र संघर्ष वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति के चित्रण में जबरन अथवा अनिवार्य भर्ती, अथवा नशीले पदार्थों के उत्पादन और अवैध व्यापार के द्वारा उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। तथापि, यूनाइटिड नेशन्स चिल्ड्रन फंड द्वारा "द प्रोग्रेस आफ नेशन्स फार दि इयर, 1977" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि प्रत्येक वर्ष एक मिलियन से ज्यादा बच्चों को वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य किया जाता है, उनमें से अधिकांश एशिया के हैं।

(ख) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के रिकार्ड के अनुसार वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान भारत में बलात्कार तथा बिक्री (शिशुओं को) अनाश्रित रूप से छोड़ने तथा परित्याग जैसे अपराधों की संख्या (बाल बलात्कार को छोड़कर) 5980, 5788 और 1143 है।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकार ने बच्चों का यौन शोषण रोकने के लिए प्रशासनिक और कानूनी दोनों प्रकार के कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

1. कानूनी:

बच्चों को हिंसा तथा यौन शोषण के चंगुल से बचाने के लिए विशेष महत्वपूर्ण विधान निम्नलिखित हैं:

(1) किशोर न्याय अधिनियम, 1986

किशोर न्याय अधिनियम 1986 में उपेक्षित तथा यौन शोषण के शिकार बच्चों को क्रूरता से बचाने के लिए प्रावधान हैं और उनकी देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए विस्तृत प्रावधान हैं। इन अनैतिक निवारण अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित) में बाल-वेश्यावृत्ति सहित वेश्यावृत्ति के निवारक पहलुओं तथा दण्ड देने के बारे में कार्यवाही की जाती है।

(2) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958

(3) बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

(4) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1996, कारखाना अधिनियम (संशोधित) 1954

(5) बाल-विवाह अवरोध अधिनियम (संशोधित), 1979

(6) अनाथालय और अन्य पूर्व आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960

(7) हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956

(8) हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956

(9) कारखाना अधिनियम (संशोधित) 1954

(10) दि इंफैंट मिल्क सब्सीट्यूट फीडिंग बॉटल्स एण्ड इंफैंट फूडस (रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई एंड ऑफिर्डरस) एक्ट, 1992

(11) दी प्री-नेटल डाईगनोस्टिक तकनीक (रेगूलेशन, प्रिवेन्शन एंड मिसयूज) एक्ट 1994

2. भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित को गंभीर अपराध माना जाता है:-

(1) भिक्षावृत्ति के लिए बच्चों का अपहरण करना या अपंग करना (धारा 363-ए, आई.पी.सी.)

(2) वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ लड़कियों को बेचना या खरीदना (धारा 372 और धारा 373, आई.पी.सी.)

(3) माता-पिता या संरक्षकों द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनाश्रित रूप से छोड़ना और परित्याग करना (आई.पी.सी. की धारा 317)

(4) यौन उत्पीड़न (धारा 509) बाल वेश्यावृत्ति एवं बाल बलात्कार भी शामिल है।

2. नीतियां तथा प्रावधान

(1) बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति, 1974 में उल्लेख है कि बच्चों को उपेक्षा, क्रूरता तथा शोषण से बचाया जाएगा।

(2) बालिकाओं संबंधी राष्ट्रीय दशकीय कार्य योजना 1991-2000 में शोषण, प्रहार तथा शारीरिक दुरूपयोग से बचाने के लिए बालिकाओं के अधिकारों को मान्यता दी गई है।

(3) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड देने की प्रक्रिया को पूर्णत: समाप्त करने की सिफारिश की गई है।

3. प्रशासनिक उपाय

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बेसहारा बच्चों के कल्याण की एक योजना को भी कार्यान्वित कर रहा है जिसका पुनरीक्षण और संशोधन किया गया है और अब इसे बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बलात्कार तथा वेश्यावृत्ति आदि समेत सभी प्रकार के शोषण से बच्चों की सुरक्षा करनी है।

(2) संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक प्रयास अनेक नगरों में चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा की स्थापना करना था। चाइल्ड हेल्पलाइन 24 घंटे की नि:शुल्क फोन सेवा है जिसे दूरभाष पर 1098 डायल करके विपत्ति में फंसे बच्चों द्वारा सम्पर्क किया जा सकता है। ये यह सेवा इस समय मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर, बंगलौर तथा पटना में उपलब्ध है।

(3) भारत सरकार ने बालिका वेश्यावृत्ति के उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति गठित की है। इस समिति द्वारा तैयार की गई कार्यवाही योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा कार्यान्वयन तंत्र की स्थापना की जा रही है।

(4) नार्कोटिक नशीली दवाओं तथा साइकोट्रापिक पदार्थों के अवैध उपयोग करने से बच्चों को बचाने के लिए तथा ऐसे पदार्थों का अवैध उत्पादन तथा अवैध व्यापार में बच्चों का इस्तेमाल करने में रोक लगाने के लिए

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मद्य निषेध और नशीली दवा दुरुपयोग निवारण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की एक योजना को भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

जनसंख्या नियंत्रण

***337. श्री रमेश चेन्नित्तला :**
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए इस नीति को और अधिक आक्रामक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए अब तक अपनाई गई नीति विफल हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) अब तक कार्यान्वित किए गए राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय आधार पर 1951 में प्रति हजार जनसंख्या पर अशोधित जन्म दर को 40.8 से कम करके 1998 में 26.4 करने, 1951 में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.22 प्रतिशत से कम करके 1998 में 1.74 प्रतिशत करने और 1951 में कुल प्रजननता दर 6.0 से कम करके 1997 में 3.3 करने में योगदान दिया है। जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में पहला उद्देश्य बाल जीवन-रक्षा, मातृ परिचर्या और गर्भनिरोधन के मुद्दों को साथ-साथ हल करके राष्ट्रीय स्तर पर 2.1 की कुल प्रजननता दर, जिसे जनसंख्या का विस्थापन (रिपलेसमेंट) स्तर माना जाता है, प्राप्त करना है।

आधुनिक शिक्षा प्रणाली

***338. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आधुनिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में प्रख्यात शिक्षाविदों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त सुझावों और इन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आधुनिक शिक्षा प्रणाली के कारण बच्चों पर अत्याचार की घटनाएं सरकार के ध्यान में लाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) प्रचलित शिक्षा पद्धति में सुधारों के संबंध में समय-समय पर विभिन्न स्रोतों, जिनमें सुविख्यात शिक्षाविद भी सम्मिलित हैं, से सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। इन सुझावों पर विभिन्न स्तरों पर विचार कर अपेक्षित कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (ङ) हाल ही में सरकार का ध्यान शिक्षा पद्धति के कतिपय ऐसे पहलुओं की ओर दिलाया गया है जो बच्चों में तनाव बढ़ाते हैं। इनमें स्कूल पाठ्यचर्चा का भारी बोझ, परीक्षाओं में अपर्याप्त परिणाम का भय, शारीरिक दण्ड की छुटपुट घटनाएं और नैतिक शिक्षा पर अपेक्षाकृत अपर्याप्त बल सम्मिलित है। इस संबंध में समय-समय पर सुधारात्मक उपाय किए गए हैं जिनमें पाठ्यचर्या कार्य ढांचे का संशोधन, परीक्षा सुधार और मानव मूल्यों की शिक्षा पर अधिक बल देना शामिल है।

[हिन्दी]

यूरिया घोटाला

***339. श्री रतन लाल कटारिया :**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1995 के 133 करोड़ रुपए के यूरिया घोटाले की पूरी राशि वसूल कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पूरी राशि वसूलने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ग) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन.एफ.एल.) ने वर्ष 1995 में यूरिया की आपूर्ति के लिए कर्सन लि. अंकारा (टर्की) को 133 करोड़ रुपए (37.62 मिलियन अमरीकी डालर) का अग्रिम भुगतान किया था। यूरिया की आपूर्ति करने में कर्सन लि. के असफल रहने पर, एन.एफ.एल. ने आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए अनुबंध में समाविष्ट मध्यस्थता धारा के अनुसरण में इंटरनेशनल कोर्ट आफ आर्बिट्रेशन (आई.सी.ए.) में मामला दायर किया था। आई.सी.ए. ने कर्सन लि. से वसूली के लिए एन.एफ.एल. के पक्ष में लगभग 41 मिलियन अमरीकी डालर का अवार्ड दिया है। वसूली हेतु इस मध्यस्थता अवार्ड को अभी तक लागू नहीं किया गया है क्योंकि कर्सन लि. द्वारा इसे एम्स्टर्डम स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चुनौती दी गई है।

(घ) एन.एफ.एल. ने उन विभिन्न देशों में सालीसिटर फर्मों से परामर्श किया है जहां कर्सन लि. के व्यक्तिगत कार्यपालकों और अन्यों के नाम में सम्पत्तियों का पता लगाया गया है। एन.एफ.एल., पता लगाई गई संपत्तियों से धनराशि की वसूली करने हेतु ली गई कानूनी सलाह के आधार पर अगली कार्रवाई करेगा। तथापि, यह एम्स्टर्डम स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लम्बित मामले के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा। सरकार इन प्रयासों पर निगरानी रख रही है और जहां संभव है, सहायता प्रदान कर रही है।

मुसलमानों/ईसाइयों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

***340. योगी आदित्यनाथ:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ईसाई अथवा इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों को, जिन्होंने ईसाई या मुस्लिम धर्मों को अपनाया, अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने से संबंधित मामले की जांच की जा रही है।

अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को, जिन्होंने ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म को अपनाया, अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का मुद्दा सरकर के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

जलापूर्ति और जल-मल व्ययन परियोजनाएं

3174. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में जलापूर्ति और जल-मल व्ययन परियोजनाएं चरण-1 और 2 के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन योजनाओं से किन क्षेत्रों से लाभान्वित होने की संभावना है;

(घ) इन परियोजना प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (च) महाराष्ट्र सरकार ने थाणे, कल्याण, भिवांडी, डोम्बीवली, उल्हासनगर, अम्बरनाथ और आसपास के 104 गांवों में जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 48 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक सहायता से 86 करोड़ रुपये को अनुमानित लागत पर महाराष्ट्र जल आपूर्ति तथा सीवरेज परियोजना चरण-1, 1981 में शुरू की थी। स्कीम 1986-87 में चालू हो गई।

बाद में महाराष्ट्र सरकार ने विश्व बैंक सहायता के लिए महाराष्ट्र जल आपूर्ति तथा सीवरेज परियोजना चरण-2 का प्रस्ताव रखा। परियोजना के क्षेत्र, आकार और लागत में राज्य द्वारा समय-समय पर संशोधन किया गया। शहरी विकास मंत्रालय इससे सिद्धांततः सहमत हो गया था तथा 863 करोड़ रुपये लागत के परियोजना प्रस्ताव को विश्व बैंक सहायता के लिए 29.11.96 को आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया गया। आर्थिक कार्य विभाग ने भी

परियोजना प्रस्ताव को 14.1.97 को विश्व बैंक को भेज दिया। बाद में महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया कि विश्व बैंक की अपेक्षा के अनुसार 1997-98 की कीमतों के आधार पर 1389.59 करोड़ रुपये लागत की एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट 2.4.98 को विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई थी। प्रस्ताव से निम्नलिखित क्षेत्रों को लाभ होगा:

1. मीरा-भयाण्डर उप क्षेत्र
2. थाणे नगर निगम उप क्षेत्र
3. कल्याण नगर निगम उप क्षेत्र
4. उल्हासनगर उप क्षेत्र
5. अंबरनाथ उप क्षेत्र
6. बदलापुर उप क्षेत्र
7. भिवांडी उप क्षेत्र
8. भिवांडी ग्रामीण उप क्षेत्र
9. दक्षिण कल्याण-उल्हासनगर उप क्षेत्र
10. उत्तर कल्याण तहसील उप क्षेत्र
11. नवीं मुम्बई उप क्षेत्र
12. कल्याण के दक्षिण में पनवेल तहसील के गांव।

विश्व बैंक ने अपने ऋण कार्यक्रम में इस परियोजना को शामिल करने को अभी तक कोई वचनबद्धता नहीं दी है।

सिंथेटिक दूध की बिक्री

3175. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में सिंथेटिक दूध बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूध में मिलावट की जांच करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार केवल उत्तर प्रदेश में दूध के कुछ नमूनों में मिलावटी पदार्थ नामत: यूरिया, ग्लूकोज और कार्बोनेट पाए गए।

(ग) नियमावली में तथा वर्णित पदार्थों के अतिरिक्त दूध में न पाए जाने वाले पदार्थों वाले दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के तहत पहले ही निषिद्ध है। सभी राज्य सरकारों से इस समस्या पर नियंत्रण हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया था। भारत सरकार ने दुधारू पशुओं के दूध में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध घटकों की सीमा का अध्ययन करने के लिए कृषि मंत्रालय में एक बहु-विषयक समिति का गठन भी किया है।

कैजुअल्टी में जूनियर डॉक्टर

3176. श्री शीश राम सिंह रवि: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में घायल रोगियों की देखभाल जूनियर डाक्टर करते हैं और बाल रोगियों का उपयुक्त तरीके से उपचार नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी अस्पतालों में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आपाती सेवाएं चिकित्सा अधीक्षक के प्रशासकीय नियंत्रण में चौबीसों घंटे चल रही है। उनकी सहायता उसके लिए अस्पताल प्रशासन के विभाग के प्रभारी प्रोफेसर और एक संकाय सदस्य के रूप में एक वरिष्ठ प्रोफेसर द्वारा की जाती है। आपाती सेवाओं में चिकित्सीय शल्य चिकित्सीय, विकलांग विज्ञानों, बाल रोग चिकित्सीय रोगियों को सेवाएं प्रदान करने हेतु सुप्रशिक्षित डाक्टर (कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी और सहायक कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी) तैनात हैं। इसके अलावा सीनियर रेजिडेंट और बुलाने पर सभी विशिष्टताओं और अति-विशिष्टताओं के परामर्शदाता भी चौबीसों घंटे उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा, विशेष रूप से आपाती सेवा के लिए चौबीसों घंटे कैजुअल्टी में एक वरिष्ठ संकाय सदस्य तैनात रहता है जो परामर्श प्रदान करने और विभाग में नैदानिक सेवाओं के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए भी चौबीसों घंटे व्यक्तिगत रूप में उपलब्ध रहता है। सफदरजंग/डा. राम मनोहर लोहिया अस्पतालों में भी कैजुअल्टी में वरिष्ठ तथा जूनियर डाक्टर तैनात होते हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में पेय जल की आपूर्ति

3177. श्री लाल बिहारी तिवारी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में पेयजल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली में करीब 150 एम जी डी पानी की कमी है।

(ग) दिल्ली जल बोर्ड ने कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:

- नांगलोई में 40 एम जी डी जल शोधन संयंत्र, बवाना में 20 एम जी डी जल शोधन संयंत्र, सोनिया विहार में 140 एम जी डी जल शोधन संयंत्र, द्वारका में 60 एम जी डी जल शोधन संयंत्र तथा ओखला में 40 एम जी डी जल शोधन संयंत्र।

- गंदे जल को शोधित करके वजीराबाद, चंद्रावल, भागीरथी और हैदरपुर जल शोधन संयंत्रों की शोधन क्षमता को बढ़ाना।

- अतिरिक्त रैनी वैल तथा ट्यूबवैलों से आपूर्ति को बढ़ाना।

[अनुवाद]

कलकत्ता यूनानी मेडिकल कालेज को वित्तीय सहायता

3178. श्री भीम दाहाल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता को कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो कॉलेज को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान योजनावार दी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां। वर्ष 1995-96 के दौरान कलकत्ता यूनानी मेडिकल कालेज, कलकत्ता को "भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के मौजूदा स्नातक पूर्व कालेजों के सुधार और सुदृढ़ीकरण" की सहायता अनुदान योजना के अधीन उपकरणों की खरीद के लिए 10.00 लाख रुपए का सहायता अनुदान प्रदान किया गया था।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कालेज को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे

3179. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के भ्रष्टाचार रोधी खंड ने 1997 के दौरान दिल्ली में दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरजंग अस्पताल में छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हाँ। इन अस्पतालों से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने विभिन्न सर्जिकल ड्रेसिंग, यथा गाज क्लोथ और पट्टियों के नमूने जब्त किये क्योंकि वे प्रथम दृष्टया घटिया और निकृष्ट गुणवत्ता के पाये गये।

(ख) इस मामले में और आगे जांच करने के लिए दो मामले यथा दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में की गई आपूर्तियों के संबंध में आरसी 6(ए)/98 और सफदरजंग अस्पताल के संबंध में आरसी, 7(ए)/98-केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पंजीकृत किये गये।

(ग) और (घ) इन दो मामलों का केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है।

अनिवार्य शिक्षा

3180. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल अधिकारों की दसवीं वर्षगांठ के साथ ही हाल ही में राजधानी में एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्ज फण्ड (यूनिसेफ) ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों/सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) 20 नवम्बर, 1999 को बाल अधिकार कन्वेंशन की दसवीं वर्षगांठ के अवसर पर विचार-विमर्श करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसमें कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की गई।

[हिन्दी]

किशोर अपराधी सुधार गृह

3181. श्री रामानन्द सिंह: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किशोर गृहों और किशोरी देखभाल गृहों की स्थापना हेतु सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक मंजूर कर लिया जाएगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रस्ताव प्राप्त किए हैं।

नए गृहों का निर्माण :

1. सिओनी में विशेष गृह।

2. सिओनी में प्रेक्षण गृह।

3. 7 प्रेक्षण गृह [इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रायपुर तथा बिलासपुर में (लड़कियों के लिए)]

4. सागर और इंदौर में किशोर गृह।

वर्तमान गृहों का उन्नयन:

5. ग्वालियर, इंदौर तथा जबलपुर में।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार से मांगी गई अतिरिक्त सूचना/दस्तावेजों के प्राप्त होने पर इन प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया जाएगा, बशर्ते कि धनराशि की उपलब्धता हो।

साक्षरता परियोजनाओं के लिए धनराशि

3182. श्री सुरेश चन्देल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष एजेंसीवार, स्वयंसेवी एजेंसियों को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या इन एजेंसियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो निरक्षरता को दूर करने में इन एजेंसियों को कितनी सफलता मिली है;

(घ) क्या ये एजेंसियां निरक्षरता दूर करने के नाम पर धन ऐंठ रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो धनराशि के दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन स्वैच्छिक एजेंसियों को निधियां प्रदान की गई, उनकी सूची तुरन्त जानकारी के लिए विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) स्वैच्छिक एजेंसियों ने निरक्षरता उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किए हैं। कुछ मामलों को छोड़कर, उनकी मूल्यांकन रिपोर्टों से संतोषजनक परिणाम सामने आए हैं। जिन स्वैच्छिक एजेंसियों की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होती है, उन्हें आगे की निधियां नहीं दी जाती हैं।

(घ) और (ङ) ऐसे किसी मामले की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

वर्ष 1996-97 के व्यय

क्र.सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम व पता	जारी की गई राशि रुपयों में
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल	16,35,000
		73,300
		5,00,000
2.	राज्य संसाधन केन्द्र, हैदराबाद	13,82,909
		15,49,499
असम		
3.	राज्य अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी	6,99,727
	असम शिक्षा विज्ञान और कला सम्पद केन्द्र	12,49,000
बिहार		
4.	एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (ए.डी.आर.आई.)	3,75,000
		3,68,000
		1,10,724
		10,00,000
		4,00,000
		2,36,842
		3,00,000
		3,61,431
		8,00,000
		10,77,000
5.	जय प्रकाश सेवा सदन, पटना	56,200
6.	पुस्तकालय सेवा सदन	25,510
7.	वैशाली समाज कल्याण	49,140
		27,405
8.	बाल एवं महिला ग्रामीण विकास संस्थान	2,78,300

1	2	3
9.	शिल्प औद्योगिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान	54,000
10.	ग्राम स्वराज अभियान संस्थान	42,680
11.	राज्य संसाधन केन्द्र, दीपायतन	15,00,000
		12,54,157
12.	अल्पसंख्यक कल्याण संस्थान	25,251
13.	दरोगा प्रसाद राय महिला प्रशिक्षण औद्योगिक केन्द्र	1,20,120
14.	राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विद्यापीठ	66,000
15.	ईस्ट एण्ड वेस्ट एजुकेशन सोसायटी	1,00,000
16.	आर्य समाज बभनगामा	1,69,680
17.	वैशाली शांति समाज कल्याण संस्थान	13,306
18.	निर्माण भारती	46,776
19.	संजय प्रसाद सिंह ग्रामीण निगरानी समिति	25,800
20.	सेवाश्रम	94,900
21.	समता ग्राम सेवा संस्थान	1,44,000
पंजाब		
22.	क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़	5,00,000
		4,00,000
दिल्ली		
23.	राज्य संसाधन केन्द्र, जामिया मिलिया इस्लामिया	7,99,636
		64,079
		19,20,000
		5,00,000
24.	विजन इंडिया चेरिटेबल ट्रस्ट, अशोक रोड	24,98,400
25.	जागोरी, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-2	4,35,150
26.	सदभावना ट्रस्ट, बी-64, दूसरी मंजिल, सर्वोदय एंकलेव	13,04,050
27.	साउथ एशियन नेटवर्क फॉर आल्टरनेटिव मीडिया (एस.ए.एन.ए.एम.) मुनीरका ग्राम	21,45,420
28.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली	4,37,074

1	2	3
29.	ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप	4,80,000
30.	सेन्टर फॉर मीडिया स्टडीज	3,96,750
गुजरात		
31.	श्रीमती वालाजोशी एजूकेशन ट्रस्ट	1,30,000
32.	गुजरात स्टेट क्राइम प्रिवेंशन ट्रस्ट	2,77,677
		63,600
33.	गुजरात विद्यापीठ	7,31,987
हरियाणा		
34.	विज्ञान शिक्षा और कला संसाधन केन्द्र	2,00,000
		2,00,000
हिमाचल प्रदेश		
35.	राज्य संसाधन केन्द्र, शिमला	3,02,198
		3,00,000
जम्मू और कश्मीर		
36.	जम्मू और कश्मीर निराश्रय और विकलांग कल्याण परिषद	8,00,000
37.	राज्य संसाधन केन्द्र, कश्मीर विश्वविद्यालय	4,87,607
		90,660
कर्नाटक		
38.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र	2,88,095
		18,00,000
39.	भारत विकास सेवा (अंतर्राष्ट्रीय)	31,368
केरल		
40.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र—केरल	9,55,535
		15,00,000
		10,00,000
मध्य प्रदेश		
41.	अभिव्यक्ति जनशिक्षा एवं संस्कृति समिति	6,00,000
		11,40,000

1	2	3
42.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, इंदौर	17,63,668
	भारतीय ग्रामीण महिला संघ	5,00,000
43.	अक्षर यात्रा अभियान समिति, बिलासपुर	2,25,000
44.	मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल, समिति	5,00,000
महाराष्ट्र		
45.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुम्बाई	3,00,000
46.	राज्य संसाधन केन्द्र शिक्षा संस्थान, पुणे	14,50,000
		13,76,700
		4,39,705
		1,00,000
47.	साक्षरता हक समिति साहस, ग्रेटर मुम्बाई	2,39,400
48.	महाराष्ट्र राज्य प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	10,00,000
		17,71,988
मेघालय		
49.	राज्य संसाधन केन्द्र, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	5,85,000
		3,50,000
उड़ीसा		
50.	ग्राम मंगल पाठागार	1,70,722
51.	यूथ एसोसिएशन फॉर रूरल रिकन्स्ट्रक्शन (वाई.ए.आर.आर.)	5,08,918
52.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, उड़ीसा	11,18,164
		10,00,000
		3,38,343
		2,39,986
राजस्थान		
53.	राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा परिषद (राज्य संसाधन केन्द्र)	13,77,343
		5,00,000
		14,49,083

1	2	3
तमिलनाडु		
54.	सोसायटी फार एजूकेशन विलेज एक्शन एण्ड इम्प्रूवमेंट	1,49,549
55.	पंजाब एसोसिएशन	17,895
		17,651
56.	विमेन्स इंडिया एसोसिएशन	2,50,636
		1,99,097
57.	सतत् शिक्षा बोर्ड, तमिलाडु	2,13,806
		1,12,088
		8,98,853
		4,56,838
		18,00,000
58.	आनन्द वेलालर संगम	51,614
		66,259
59.	कांग्रेशन ऑफ दी सिस्टर्स ऑफ दी क्रास, चौनाद	28,333
		1,57,592
60.	यंग वीमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, चेन्नई	8,733
61.	तमिलनाडु साइंस फोरम, चेन्नई	1,32,050
त्रिपुरा		
62.	भारत ज्ञान विज्ञान समिति (राज्य संसाधन केन्द्र)	4,73,000
पश्चिम बंगाल		
63.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, कलकत्ता	18,00,000
		5,93,096
		1,26,283
		15,00,000
64.	भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता	4,38,750
उत्तर प्रदेश		
65.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति	2,33,690
		31,030

1	2	3
		1,21,500
		1,92,430
		82,480
		1,92,430
		97,200
66.	दारागंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान	1,86,200
		26,355
67.	सुमन तकनीकी संस्थान	8,712
		44,300
		37,000
		35,440
68.	आदर्श सेवा समिति	45,275
		29,671
		184,200
		1,47,400
69.	निशात शिक्षा समिति	27,955
		37,319
		74,600
		54,900
70.	ग्रामीण सेवा मण्डल	77,140
71.	आजाद सेवा समिति	1,30,585
		23,492
		97,500
		1,04,000
		24,395
		1,21,880
72.	विवेकानन्द संस्थान	23,583
		1,06,970

1	2	3
73.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र	1,25,925
74.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति	20,585
		64,750
		12,823
		68,500
75.	कानपुर ग्राम विकास सेवा संस्थान	3,76,000
76.	सृजन उत्तर प्रदेश	17,350
77.	श्री राम शरण स्मारक सेवा संस्थान	26,965
78.	खादी ग्रामोद्योग निकेतन	77,715
79.	सरदार पटेल लोक कल्याण समिति	1,13,300
		73,400
		90,600
80.	अशोक संस्थान	3,04,000
		1,76,300
81.	सघन क्षेत्र विकास समिति	9,641
82.	बनवासी सेवा आश्रम	1,73,125
83.	नव चेतना विकास समिति	28,875
84.	ग्रामीण समाज कल्याण संस्थान	35,406
85.	क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, इलाहाबाद	3,00,000
86.	राज्य संसाधन केन्द्र, साक्षरता भवन	17,41,152
87.	अभियान लोधू थोक अतर्रा, बांदा	52,200
88.	ग्रामीण विकास एवं शिक्षण संस्थान	1,00,000
89.	जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस	1,21,000
90.	सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण ग्रामीण विकास तथा शैक्षिक सोसाइटी संस्थान	28,745
91.	दलित मानव उत्थान संस्थान	58,263
92.	रूरल लिटीगेशन एंड एन्टाइटल्मेंट केन्द्र	2,45,000
		1,22,500
		1,22,500
		48,500

1997-98 के दौरान स्वैच्छिक एजेंसियों को जारी की गई निधियों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	जारी की गई राशि
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसायटी, हैदराबाद	5,00,000
2.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, साक्षरता भवन, हैदराबाद	35,01,185
असम		
3.	राज्य संसाधन केन्द्र, रा.सा.मि., असम, गुवाहाटी	19,12,000
4.	सदाऊ असम ग्राम्य पुथीभरल संस्था, असम	2,97,895
5.	अलकनन्दा मानव कल्याण संघ, असम	32,500
6.	बारखेतरी उन्नयन समिति, मुकालकुआ, असम	6,87,355
7.	राज्य संसाधन केन्द्र असम ज्ञान विज्ञान समिति, असम	2,00,000
8.	जालुगुटी अग्रगामी महिला समिति, मोरी गांव, असम	1.50,000
बिहार		
9.	विवेक विहार संस्थान, पटना, बिहार	86,500
10.	दीपायतन, बिहार राज्य संसाधन केन्द्र, पटना	32,95,376
11.	एशिगन डवलपमेंट रिसर्च संस्थान, वैशाली	61,60,990
12.	ग्राम स्वराज्य अभियान संस्थान, वैशाली	42,685
13.	बाल एवं महिला ग्रामीण विकास संस्थान, वैशाली	1,78,295
दिल्ली		
14.	राज्य संसाधन केन्द्र, दिल्ली	25,88,858
15.	साउथ एशियन नेटवर्क फार आल्टरनेटिव मीडिया (एस.ए.एन.ए.एम.) मुनीरका, नई दिल्ली	7,50,000
16.	राष्ट्रीय विज्ञान, तकनीकी एवं विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली	26,75,197
17.	डा. ए.वी. बालिका मेमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली	2,20,000
18.	सतत् प्रौढ़ शिक्षा एवं विस्तार यूनिट, सामाजिक विज्ञान स्कूल, जवाहर लाल विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	66,000

1	2	3
19.	विजन इंडिया चेरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली	20,00,000
20.	पटेल शिक्षा समिति, नई दिल्ली	76,000
21.	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली	8,48,029
22.	सद्भावना ट्रस्ट, दिल्ली	7,00,000
23.	जागोरी, साउथ एक्सटेंशन-2, नई दिल्ली	2,00,000
गुजरात		
24.	श्रीमती वी.के. बालजोशी एजूकेशन ट्रस्ट, मेहसाना	1,64,671
25.	गुजरात स्टेट क्राइम प्रिवेंशन ट्रस्ट	3,78,074
26.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	4,00,000
27.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	1,25,000
हरियाणा		
28.	राज्य संसाधन केन्द्र, रोहतक	9,00,000
हिमाचल प्रदेश		
29.	राज्य ज्ञान विज्ञान केन्द्र, राज्य संसाधन केन्द्र, शिमला	10,40,884
जम्मू और कश्मीर		
30.	जम्मू और कश्मीर राज्य संसाधन केन्द्र कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	12,90,660
कर्नाटक		
31.	राज्य संसाधन केन्द्र, मैसूर, कर्नाटक	35,55,834
केरल		
32.	राज्य संसाधन केन्द्र, केरल	4,00,000
मध्य-प्रदेश		
33.	राज्य संसाधन केन्द्र अभिव्यक्ति, भोपाल	21,85,000
34.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, इन्दौर	41,00,000
35.	मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल समिति, भोपाल	5,00,000
36.	इन्दौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, इन्दौर	39,625
37.	जिला साक्षरता समिति, बिलासपुर द्वारा संपूर्ण साक्षरता अभियान, साक्षरोत्तर अभियान और सतत् शिक्षा की नवाचारी समेकित परियोजना	2,25,000

1	2	3
महाराष्ट्र		
38.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुम्बई	20,000
39.	भारतीय शिक्षा संस्थान (राज्य संसाधन केन्द्र) पुणे	43,88,950
40.	क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	12,50,000
41.	टाटा प्रबंधन संस्थान, मुम्बई	82,500
42.	सा.ओ.आर.ओ. फॉर लिटरेसी, मुम्बई	2,12,000
43.	कार्यात्मक साक्षरता का समूह कार्यक्रम हेतु संसाधन संगठन समिति, मुंबई विश्वविद्यालय	1,04,153
44.	जिला संसाधन एकक, पुणे	2,32,000
45.	जिला संसाधन एकक, उत्तर मुम्बई	2,32,000
मणिपुर		
46.	दक्षिण पूर्व ग्रामीण विकास संगठन, मणिपुर	33,000
मेघालय		
47.	राज्य संसाधन केन्द्र, शिलांग, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	16,50,000
उड़ीसा		
48.	युवा एवं समाज विकास केन्द्र, भुवनेश्वर	31,170
49.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, उड़ीसा, भुवनेश्वर	26,10,618
50.	भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति, उड़ीसा, भुवनेश्वर	1,40,500
पंजाब		
51.	प्रौढ़ शिक्षा एवं सतत् शिक्षा हेतु क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	21,74,750
राजस्थान		
52.	राज्य संसाधन केन्द्र, जयपुर	25,00,000
तमिलनाडु		
53.	अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, मद्रास	22,19,947
54.	स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	60,000

1	2	3
उत्तर प्रदेश		
55.	ग्रामीण विकास समिति, इलाहाबाद	3,36,420
56.	गिरी विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ	1,52,430
57.	ग्रामीण समाज कल्याण संस्था, मुजफ्फरनगर	25,290
58.	नव चेतना विकास समिति, सीतापुर	2,11,750
59.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति, सहारनपुर	2,25,212
60.	खादी ग्रामोद्योग निकेतन, नैनीताल	78,995
61.	राज्य संसाधन केन्द्र, साक्षरता भवन, लखनऊ	36,85,868
62.	क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, लखनऊ	2,00,000
63.	श्री राम शरण स्मारक सेवा संस्थान, बदायूँ	1,67,156
64.	सुमन तकनीकी संस्थान, एटा जिला	18,206
65.	अशोक संस्थान, गाजीपुर जिला, उ.प्र.	5,77,977
66.	आजाद सेवा समिति, शामली, उ.प्र.	1,48,469
67.	आदर्श सेवा समिति, मुजफ्फरनगर, उ.प्र.	36,655
68.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	2,79,387
69.	ग्रामीण सेवा मण्डल, सराय मंसूर, इलाहाबाद	1,58,240
70.	देवी ग्रामोद्योग सेवी संस्थान, कहल कबीरा, जिला-नैनीताल, उ.प्र.	44,350
71.	रूरल लिटीगेशन एण्ड एन्टाइटलमेंट केन्द्र, देहरादून (उ.प्र.)	2,94,000
72.	समाज उत्थान एवं अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	3,14,982
73.	सृजन उत्तर प्रदेश नेकपुर सिविल लाइन, बदायूँ, उ.प्र.	41,029
74.	दलित मानव उत्थान संस्थान, इलाहाबाद, उ.प्र.	90,722
75.	रतन ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, बिकापुर, फैजाबाद	1,36,682
76.	कनकपुर ग्राम विकास सेवा संस्थान, इलाहाबाद	2,61,419
77.	निशात शिक्षा समिति, हल्द्वानी, नैनीताल	43,979
78.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ	24,300

1	2	3
79.	सरदार पटेल लोक कल्याण समिति, नादेहाडू	22,493
80.	डा. अम्बेडकर समाज सेवा मण्डल, ग्राम वेस्की, इलाहाबाद, उ.प्र.	2,59,614
81.	श्री महिला उद्योग समाज उत्थान समिति, वृंदावन जिला मथुरा, उ.प्र.	36,815
त्रिपुरा		
82.	राज्य संसाधन केन्द्र भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति, मेलारमठ, अगरतला, पश्चिमी त्रिपुरा	4,00,000
पश्चिम बंगाल		
83.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, बंगाल सोशल सर्विस लीग, कलकत्ता	34,50,000
84.	भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता	2,71,250

स्वैच्छिक एजेंसी प्रभाग

वर्ष 1998-99 के लिए व्यय विवरण

(राशि रु. में)

क्र.सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम और पता	जारी की गई राशि	जोड़
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	राज्य संसाधन केन्द्र-साक्षरता हाऊस, आंध्र महिला सभा, हैदराबाद	12,59,806	
2.	राज्य संसाधन केन्द्र, औरंगाबाद	12,00,000	
3.	राज्य संसाधन केन्द्र, आन्ध्र प्रदेश	16,60,000	
4.	क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, औरंगाबाद	8,00,000	
5.	राज्य संसाधन केन्द्र, हैदराबाद	5,00,000	55,59,806
असम			
6.	राज्य संसाधन केन्द्र, असम शिक्षा विज्ञान केन्द्र	5,00,000	

1	2	3	4
7.	राज्य संसाधन केन्द्र, असम	14,65,264	
8.	राज्य संसाधन केन्द्र, असम	4,00,000	23,65,264
बिहार			
9.	राज्य संसाधन केन्द्र, एशियन विकास अनुसंधान संस्थान	13,00,000	
10.	दिपायतन, बिहार	13,00,000	
11.	एशियन विकास अनुसंधान संस्थान, बिहार	2,23,801	
12.	राज्य संसाधन केन्द्र, दिपायतन, पटना	5,00,677	
13.	राज्य संसाधन केन्द्र, एशियन विकास अनुसंधान संस्थान	4,50,000	
14.	राज्य संसाधन केन्द्र, एशियन विकास अनुसंधान संस्थान	9,00,000	
15.	राज्य संसाधन केन्द्र, दिपायतन	16,60,000	
16.	राज्य संसाधन केन्द्र एशियन विकास अनुसंधान संस्थान	7,60,000	
17.	राज्य संसाधन केन्द्र, एशियन विकास अनुसंधान संस्थान	5,00,000	
18.	राज्य संसाधन केन्द्र, एशियन विकास अनुसंधान संस्थान	5,00,000	80,94,478
दिल्ली			
19.	जगोरी, सी-54, साउथ एक्सटेंशन-2	1,40,000	
20.	राज्य संसाधन केन्द्र, जा.नि.इ.	1,11,000	
21.	राज्य संसाधन केन्द्र, दिल्ली	7,66,529	
22.	पटेल एजूकेशनल सोसायटी, धौला कुआं	2,50,000	
23.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, 10बी, आई.पी. इस्टेट	22,450	
24.	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, 17-बी, इन्द्रप्रस्थ स्टेट	1,10,541	
25.	राज्य संसाधन केन्द्र, दिल्ली	10,40,990	
26.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	11,225	

1	2	3	4
27.	जागौरी, सी-54, साउथ एक्सटेंशन-2	67,955	
28.	राज्य संसाधन केन्द्र, दिल्ली	4,00,000	29,20,690
गुजरात			
29.	श्रीमती बालजोशी एजूकेशनल ट्रस्ट, गुजरात	88,700	
30.	राज्य संसाधन केन्द्र भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद	1,25,000	
31.	राज्य संसाधन केन्द्र, गुजरात	15,71,001	
32.	राज्य संसाधन केन्द्र, गुजरात	4,00,000	19,71,001
हरियाणा			
33.	राज्य संसाधन केन्द्र (अनुसंधान) 42/29, चाणक्यपुरी, रोहतक	5,00,000	
34.	राज्य संसाधन केन्द्र (अनुसंधान) 74/22, किशनपुरा, रोहतक	827	
35.	राज्य संसाधन केन्द्र (अनुसंधान) 42/21, चाणक्यपुरी, रोहतक	2,50,000	
36.	राज्य संसाधन केन्द्र, रोहतक	2,07,500	9,58,327
हिमाचल प्रदेश			
37.	राज्य संसाधन केन्द्र, राज्य ज्ञान विज्ञान केन्द्र, शिवालिक सदन, शिमला	5,00,000	
38.	राज्य संसाधन केन्द्र, राज्य ज्ञान विज्ञान केन्द्र	2,99,688	
39.	राज्य संसाधन केन्द्र, शिमला	1,57,500	9,57,188
जम्मू और कश्मीर			
40.	जम्मू और कश्मीर संसाधन केन्द्र कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	4,14,434	
41.	राज्य संसाधन केन्द्र, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	10,00,000	
42.	राज्य संसाधन केन्द्र, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर	4,00,000	18,14,434

1	2	3	4
कर्नाटक			
43.	98-2, कालगरी रोड धारवाड़-580008 कर्नाटक	31,368	
44.	राज्य संसाधन केन्द्र, मैसूर	13,00,000	
45.	राज्य संसाधन केन्द्र, मैसूर	7,00,000	
46.	राज्य संसाधन केन्द्र, मैसूर	4,00,000	24,31,368
केरल			
47.	राज्य संसाधन केन्द्र, टैगोर नगर, केरल	8,50,000	
48.	राज्य संसाधन केन्द्र, केरल	10,33,691	
49.	राज्य संसाधन केन्द्र, केरल	11,50,000	
50.	राज्य संसाधन केन्द्र, केरल	4,00,000	34,33,691
मध्य प्रदेश			
51.	राज्य संसाधन केन्द्र, ए.ई.एम.पी., भारतीय ग्रामीण महिला संघ	13,00,000	
52.	राज्य संसाधन केन्द्र, अभिव्यक्ति, मध्य प्रदेश, भोपाल	8,50,000	
53.	प्रौढ़ शिक्षा, राज्य संसाधन केन्द्र, भारतीय ग्रामीण महिला संघ	1,80,000	
54.	प्रौढ़ शिक्षा, राज्य संसाधन केन्द्र, भारतीय ग्रामीण महिला संघ	9,00,000	
55.	राज्य संसाधन केन्द्र, अभिव्यक्ति, भोपाल	10,81,077	
56.	राज्य संसाधन केन्द्र, इन्दौर	7,60,000	
57.	राज्य संसाधन केन्द्र, इन्दौर	5,00,000	
58.	राज्य संसाधन केन्द्र, इन्दौर	4,00,000	59,71,077
महाराष्ट्र			
59.	महाराष्ट्र प्रौढ़ शिक्षा राज्य संस्थान (आर.आर.सी.)	14,60,680	
60.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई	752	

1	2	3	4
61.	भारतीय शिक्षा संस्थान, राज्य संसाधन केन्द्र जी.पी. नायक पथ, कोटारुड, पुणे	1,63,750	
62.	भारतीय शिक्षा संस्थान, राज्य संसाधन केन्द्र जी.पी. नायक पथ कोटारुड, पुणे	20,00,000	
63.	प्रौढ़ शिक्षा महाराष्ट्र राज्य संस्थान प्रादेशिक संसाधन केन्द्र, औरंगाबाद	9,52,678	
64.	राज्य संसाधन केन्द्र, पुणे	9,60,000	
65.	राज्य संसाधन केन्द्र, पुणे	5,00,000	
66.	राज्य संसाधन केन्द्र, औरंगाबाद	4,00,000	64,37,860
मेघालय			
67.	एन.ई.एच.यू. राज्य संसाधन केन्द्र	12,00,000	
68.	राज्य संसाधन केन्द्र, एन.ई.एच.यू.	4,00,000	16,00,000
मणिपुर			
69.	ग्रामीण विकास संस्था, भवन वनगगीनंग बाजार, मणिपुर	2,12,900	
70.	वागजिंग महिला एवं बालिका संस्था	7,52,500	9,65,400
उड़ीसा			
71.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, उड़ीसा	11,00,000	
72.	राज्य संसाधन केन्द्र, उड़ीसा	9,00,000	
73.	राज्य संसाधन केन्द्र, भुवनेश्वर	4,00,000	24,00,000
पंजाब			
74.	पंजाब पिछड़ी जाति विकास बोर्ड, 1070-बी, चंडीगढ़	1,33,000	
75.	प्रादेशिक संसाधन केन्द्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	10,49,646	
76.	प्रादेशिक संसाधन केन्द्र, चंडीगढ़	5,25,000	
77.	प्रादेशिक संसाधन केन्द्र, चंडीगढ़	4,00,000	21,07,646

1	2	3	4
राजस्थान			
78.	राज्य संसाधन केन्द्र, राजस्थान	5,00,000	
79.	राज्य संसाधन केन्द्र, राजस्थान	10,08,872	
80.	राज्य संसाधन केन्द्र, जयपुर	16,60,000	31,68,872
तमिलनाडु			
81.	राज्य संसाधन केन्द्र, तमिलनाडु सतत् शिक्षा बोर्ड, अड्डयार, चेन्नई	13,00,000	
82.	राज्य संसाधन केन्द्र, चेन्नई	5,00,000	
83.	राज्य संसाधन केन्द्र, तमिलनाडु	4,03,397	
84.	अनौपचारिक शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र शिक्षा सं. 1 प्रथम गली, चेन्नई	9,00,000	
85.	राज्य संसाधन केन्द्र, तमिलनाडु	7,60,000	38,63,397
त्रिपुरा			
86.	राज्य संसाधन केन्द्र, त्रिपुरा	2,32,000	
87.	राज्य संसाधन केन्द्र, भारत ज्ञान विज्ञान समिति	2,00,000	
88.	राज्य संसाधन केन्द्र, त्रिपुरा	2,00,000	6,32,000
उत्तर प्रदेश			
89.	राज्य संसाधन केन्द्र, उ.प्र. साक्षरता हाउस	5,00,000	
90.	प्रादेशिक संसाधन केन्द्र, इलाहाबाद	2,00,000	
91.	ग्रामीण सेवा मंडल, इलाहाबाद	95,424	
92.	महिला विद्या प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	1,69,120	
93.	संजय अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	1,24,587	
94.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति, सहारनपुर	9,942	
95.	राज्य संसाधन केन्द्र, साक्षरता हाउस, लखनऊ	13,00,000	

1	2	3	4
96.	राज्य संसाधन केन्द्र, साक्षरता हाउस, लखनऊ	5,69,761	
97.	निशात शिक्षा समिति, नैनीताल	74,675	
98.	पी.एल.सी. निशात शिक्षा समिति	9,913	
99.	देवी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	32,007	
100.	देवी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	9,641	
101.	प्रादेशिक संसाधन केन्द्र, इलाहाबाद	1,82,500	
102.	राज्य संसाधन केन्द्र, लखनऊ	16,60,000	
103.	गंतव्य हिमाद्री ब्रिस्टन मिरर	1,47,200	
104.	अशोक संस्थान	44,175	
105.	आर.एल.ई.के., देहरादून	24,500	
106.	आर.एल.ई.के., देहरादून	49,000	
107.	गिरि देव अध्ययन संस्थान, लखनऊ	1,25,000	
108.	श्री राम शरण स्मारक सेवा संस्थान, बदायूं	29,725	
109.	भारतीय सेवा शिक्षा संस्थान, बड़ोत, इलाहाबाद	2,23,984	55,81,154
पश्चिम बंगाल			
110.	प्रौढ़ शिक्षा, राज्य संसाधन केन्द्र, पश्चिम बंगाल	5,00,000	
111.	प्रौढ़ शिक्षा, राज्य संसाधन केन्द्र, पश्चिम बंगाल	10,50,792	
112.	राज्य संसाधन केन्द्र, पश्चिम बंगाल	16,60,000	32,10,792
	कुल	6,65,18,147	

[अनुवाद]

पंजाबी समाचार बुलेटिन

3183. श्री सिमरनजीत सिंह मान: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन के चैनल डी.डी.-1/डी.डी.-2 पर पंजाबी समाचार बुलेटिन शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक शुरू किये जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) दूरदर्शन के कार्यक्रम संबंधी मामले प्रसार भारती के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। प्रसार भारती द्वारा सूचित किया गया है कि जन शक्ति, हार्डवेयर, प्रसारण समय और अन्य आधारभूत सुविधाओं की बाध्यताओं के कारण इस समय डी.डी.-1 अथवा डी.डी.-2 पर पंजाबी समाचार बुलेटिन शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका निकायों को सहायता

3184. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय महापौर परिषद ने नगरपालिका निकायों को सीधे केन्द्रीय सहायता आबंटित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) संविधान की राज्य अनुसूची की प्रविष्टि-5 के अनुसार नगरपालिका प्रशासन राज्य का विषय है। तथापि भारतीय महापौर परिषद की मांग पर सरकार अभी भी विचार कर रही है। इस बारे में निर्णय लिये जाने की निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल

3185. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुरानी योजनाएं जो अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर बोर्डिंग स्कूल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए थी, को सरकार द्वारा हाल ही में समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब बच्चों की सहायता हेतु कोई वैकल्पिक स्कूल शुरू किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कन्या होस्टल

3186. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नौकरी पेशा करने वाली महिलाओं के लिए होस्टलों और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सामाजिक कल्याण परिषद द्वारा नौकरीपेशा करने वाली महिलाओं के लिए होस्टलों हेतु और केन्द्र सरकार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए राज्यवार कितना अनुदान दिया गया;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से इन नौकरीपेशा करने वाली महिलाओं के लिए होस्टलों और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कितने नौकरीपेशा करने वाली महिलाओं के लिए होस्टल और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) देश में कामकाजी महिला होस्टलों तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाले विवरण क्रमशः विवरण-I और II पर संलग्न है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कामकाजी महिला होस्टलों के लिए तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए दिये गए राज्य-वार अनुदान के विवरण क्रमशः विवरण III तथा IV पर दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वित्तीय आबंटन तथा वर्तमान लागत मानदण्डों के अनुसार, औसतन 100-100 महिला संवासिनों की क्षमता वाले लगभग 90 नये कामकाजी महिला होस्टल संस्वीकृत किए जाने की संभावना है। 3.10 लाख अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने का लक्ष्य है।

विवरण-I

1972-73 में कामकाजी महिला होस्टल स्कीम की शुरूआत से स्वीकृत होस्टलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत होस्टलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	44
2.	अरूणाचल प्रदेश	9
3.	असम	11
4.	बिहार	8
5.	गोवा	2
6.	गुजरात	27
7.	हरियाणा	16
8.	हिमाचल प्रदेश	13
9.	जम्मू व कश्मीर	5
10.	कर्नाटक	79
11.	केरल	134
12.	मध्य प्रदेश	67
13.	महाराष्ट्र	118
14.	मणिपुर	11
15.	मेघालय	3
16.	मिजोरम	3
17.	नागालैण्ड	8
18.	उड़ीसा	28
19.	पंजाब	13
20.	राजस्थान	37
21.	सिक्किम	2
22.	तमिलनाडु	88
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	37
25.	पश्चिम बंगाल	37
	जोड़ (राज्य)	801
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1
27.	चण्डीगढ़	6
28.	दादरा व नगर हवेली	-
29.	दमन व दीव	-
30.	दिल्ली	18
31.	लक्षद्वीप	-
32.	पांडिचेरी	4
	जोड़	29
	कुल जोड़	830

विवरण-II

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्कीम की 1979-80 में शुरूआत से केन्द्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	43645
2.	अरूणाचल प्रदेश	100

1	2	3
3.	असम	12070
4.	बिहार	54705
5.	गुजरात	2055
6.	हरियाणा	915
7.	हिमाचल प्रदेश	350
8.	जम्मू व कश्मीर	2321
9.	कर्नाटक	1597
10.	मध्य प्रदेश	37340
11.	महाराष्ट्र	3136
12.	मणिपुर	4112
13.	मेघालय	500
14.	मिजोरम	260
15.	नागालैण्ड	200
16.	उड़ीसा	35609
17.	पंजाब	90
18.	राजस्थान	23836
19.	तमिलनाडु	4940
20.	त्रिपुरा	302
21.	उत्तर प्रदेश	67181
22.	पश्चिम बंगाल	1310
23.	चण्डीगढ़	120
24.	दादरा व नगर हवेली	100
25.	दिल्ली	250
	जोड़	297044

विवरण-III

गत तीन वर्षों (1996-97 से 1998-99) के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दिया गया अनुदान

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त अनुदान (रुपये)
1.	आन्ध्र प्रदेश	4,01,831
2.	अरूणाचल प्रदेश	46,000
3.	असम	1,55,732
4.	बिहार	8,000
5.	गुजरात	15,44,611
6.	हरियाणा	1,18,662
7.	हिमाचल प्रदेश	1,02,267
8.	कर्नाटक	7,86,950
9.	केरल	6,93,632
10.	मध्य प्रदेश	7,10,806
11.	महाराष्ट्र	13,99,879
12.	मणिपुर	1,97,313
13.	मिजोरम	1,80,000
14.	उड़ीसा	5,11,193
15.	पंजाब	3,23,302
16.	तमिलनाडु	18,34,969
17.	त्रिपुरा	92,674
18.	उत्तर प्रदेश	2,53,328
19.	पश्चिम बंगाल	2,68,573
20.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	43,400
21.	चण्डीगढ़	2,60,426
22.	पाण्डिचेरी	1,20,000
23.	दिल्ली	2,49,999
	जोड़	1,06,54,106

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों (1996-97 से 1998-99) में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्कीम के अन्तर्गत दी गई अनुदान राशि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त अनुदान (रुपये लाखों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	5280.17
2.	अरूणाचल प्रदेश	-
3.	असम	2365.27
4.	बिहार	8127.95
5.	गुजरात	281.36
6.	हरियाणा	189.74
7.	हिमाचल प्रदेश	51.26
8.	जम्मू व कश्मीर	262.38
9.	कर्नाटक	137.27
10.	केरल	3.28
11.	मध्य प्रदेश	8452.40
12.	महाराष्ट्र	477.82
13.	मणिपुर	801.90
14.	मेघालय	25.05
15.	मिजोरम	25.69
16.	नागालैण्ड	10.36
17.	उड़ीसा	4398.48
18.	पंजाब	-
19.	राजस्थान	5032.99
20.	तमिलनाडु	747.34
21.	त्रिपुरा	18.56
22.	उत्तर प्रदेश	12779.22
23.	पश्चिम बंगाल	382.26
24.	दादरा व नगर हवेली	14.92
25.	चण्डीगढ़	8.81
26.	दिल्ली	184.49
	जोड़	50058.97

नोएडा को गंगा के पानी की आपूर्ति

3187. श्री अशोक प्रधान : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक सरकार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में गंगा का पानी उपलब्ध कराने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) नोएडा/ग्रेटर नोएडा में पीने के लिए गंगा का पानी कब तक उपलब्ध कराया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश जल निगम को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लिए 85 क्यूसेक की जल आपूर्ति स्कीम तैयार करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस पर कोई अगली कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि प्राधिकरण ने स्कीम तैयार करने का शुल्क जमा नहीं किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा नोएडा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास बोर्ड हेतु ऊपरी गंगा नहर से 50 क्यूसेक पानी की एक संयुक्त जल आपूर्ति स्कीम तैयार की गई है। इसके लिए निविदा संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि नोएडा में गंगा का पानी सितंबर, 2002 तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

स्वास्थ्य परियोजनाएं

3188. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में विश्व बैंक की सहायता से अभी तक शुरू की गई स्वास्थ्य-परियोजनाओं का राज्यवार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर वास्तविक रूप से कितनी राशि व्यय हुई;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना कहां तक सफल रही है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार नौवीं योजनावधि के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र में विश्व बैंक की सहायता से कुछ और स्वास्थ्य परियोजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ङ) *राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना:*

विश्व बैंक की सहायता से राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना जिसका लक्ष्य द्वितीयक स्तरीय स्वास्थ्य पद्धति का संवर्धन और उन्नयन करना है, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुरूप निम्नलिखित राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है:-

राज्य का नाम	परियोजना की अवधि	परियोजना का परिव्यय (करोड़ रुपये में)
आंध्र प्रदेश	1.3.95 से $6^1/_2$ वर्ष तक के लिए	608.00
पश्चिम बंगाल	27.6.96 से $5^1/_2$ वर्ष तक के लिए	698.00
कर्नाटक	27.6.96 से $5^1/_2$ वर्ष के लिए	546.00
पंजाब	27.6.96 से $5^1/_2$ वर्ष के लिए	425.00
उड़ीसा	सितम्बर, 98 से 5 वर्ष के लिए	415.57
महाराष्ट्र	14.2.99 से $5^1/_2$ वर्ष के लिए	727.00

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई.पी.पी.-VIII परियोजना:

यह परियोजना बेंगलूर, कलकत्ता, दिल्ली और हैदराबाद चार महानगरों में कुल 223.37 करोड़ रुपए की लागत पर 6.8.93 से कार्यान्वित की जा रही है। 31.10.99 तक 128.93 करोड़ रुपए का परिव्यय हो चुका है। मंत्रिमण्डल ने 276.06 करोड़ रु. की संशोधित लागत से इस परियोजना को उक्त चार नगरों में 30.6.2001 तक बढ़ाने का अनुमोदन हाल ही में किया है।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई.पी.पी.-IX परियोजना:

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई.पी.पी.-IX परियोजना समस्त असम राज्य, राजस्थान के दस पिछड़े जिलों नामतः जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जालौर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, चुरू और जैसलमेर एवं कर्नाटक के तेरह पिछड़े जिलों नामतः बेल्लारी, चित्रदुर्ग, दक्षिण कन्नड़, हसन, कोडागु, माण्ड्या, शिमोगा, उत्तर कन्नड़, चिकमगलूर और बीजापुर में 16 जून, 1994 से सात वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना की लागत नीचे दिए अनुसार है:-

राज्य का नाम	परियोजना की लागत
असम	101.22 करोड़ रु.
राजस्थान	108.57 करोड़ रु.
कर्नाटक	114.57 करोड़ रु.

राज्य सरकारों ने जारी किए गए 187.35 करोड़ रुपयों के सहायता अनुदान में से 178.96 करोड़ रु. खर्च होने की सूचना दी है।

आर.सी.एच. उप-परियोजनाएं:

विश्व बैंक सहायता प्राप्त आर.सी.एच. कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र समेत 17 राज्यों में कुल 283.88 करोड़ रुपए की लागत से सितम्बर, 1997 से 24 जिले/नगर उप-परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन राज्यों ने जारी किए गए 56.76 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान में से 20.30 करोड़ रुपए खर्च होने की सूचना दी है।

शहरी आर.सी.एच. :

यह मंत्रालय यूरोपीय कमीशन और विश्व बैंक सहायता से नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में शहरी आर.सी.एच. परियोजना चलाने का विचार रखता है:-

आंध्र प्रदेश	—	विजयवाडा, विशाखापट्टम
बिहार	—	धनबाद, जमशेदपुर, पटना
गुजरात	—	अहमदाबाद, सूरत, बडोदरा
केरल	—	कोचीन, तिरुअनन्तपुरम
मध्य प्रदेश	—	भोपाल, इन्दौर, जबलपुर
पंजाब	—	लुधियाना
तमिलनाडु	—	चेन्नई, कोयमबटूर
उत्तर प्रदेश	—	आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर
महाराष्ट्र	—	नासिक*, औरंगाबाद, मुम्बई, पुणे और नागपुर
दिल्ली	—	दिल्ली*

*बाद में सम्मिलित किया।

विस्तारित मलेरिया नियंत्रण परियोजना:

विश्व बैंक की सहायता से विस्तारित मलेरिया नियंत्रण परियोजना के तहत महाराष्ट्र के 15 जिले एवं एक शहर मलेरिया नियंत्रण कार्यकलापों में तेजी लाने हेतु कवर हैं।

मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम :

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम को महाराष्ट्र समेत सात राज्यों में 1994-95 से चलाया जा रहा है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार को विश्व बैंक परियोजना के तहत पिछले 3 वर्षों में निर्गत निधि का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:-

वर्ष	विश्व बैंक परियोजना (लाख रु. में)
1996-97	61.83
1997-98	94.56
1998-99	68.25

मोतियाबिन्द के कुल 1151846 आपरेशन पिछले तीन वर्षों की अवधि में महाराष्ट्र में सम्पन्न किए गए।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम :

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, एड्स निवारण और नियंत्रण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। यह महाराष्ट्र समेत समस्त देश में चलायी जा रही है।

महाराष्ट्र द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम पर खर्च की गई धनराशि नीचे दिए अनुसार है:-

1996-97	—	682.36 लाख
1997-98	—	844.67 लाख
1998-99	—	439.15 लाख

यह परियोजना 71 रक्त बैंकों के आधुनिकीकरण, 38 यौन संचारित रोग चिकित्सालयों, 6 घटक पृथक्करण यूनिटों, 17 आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्रों, 19 रक्त परीक्षण केन्द्रों एवं संदर्भ प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण में कामयाब रही है।

इस परियोजना के तहत बहुप्रचार माध्यमों से चलाए गए सुसंगत मुहिमों के कारण देश में एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरूकता का स्तर शहरी क्षेत्रों में नगण्य स्तर से बढ़कर 68-94 प्रतिशत तक और ग्रामीण क्षेत्रों 9-35 प्रतिशत तक हो गया है।

महाराष्ट्र समेत समस्त देश में विश्व बैंक सहायता 9वीं योजनावधि में जारी रहेगी। इसके अलावा संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास राज्य परियोजना अभिकरण के साथ 166 करोड़ रुपए की एक नई परियोजना महाराष्ट्र राज्य में इस अवधि में चलाई जाएगी।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम:

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम महाराष्ट्र समेत समग्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चलाई जा रही है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों की अवधि में खर्च की गयी वास्तविक धनराशि नीचे दिए अनुसार है:-

1996-97	—	65.43 लाख
1997-98	—	78.28 लाख
1998-99	—	78.18 लाख

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम परियोजना, जो 6 वर्षों की अवधि हेतु 1993-94 में आरम्भ की गई थी, कामयाब रही है। इस परियोजनागत अवधि में बहु औषधीय चिकित्सा से लगभग 3 मिलियन व्यक्ति मार्च, 1999 में रोग मुक्त किए गए हैं। रोग की व्यापकता भी 1993 में प्रति दस हजार 13.8 व्यक्तियों से कम होकर मार्च 1999 तक प्रति दस हजार 5.19 व्यक्ति हो गयी है।

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम:

महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुछेक जिलों में 142.4 मिलियन अमरीकी डालर वाली विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना के तहत संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

3574.45 लाख रुपए की धनराशि इन राज्यों को आज तक विमुक्त की गई है।

लगभग 80 प्रतिशत ज्ञात रोगियों को रोगमुक्त करने में यह कार्यक्रम कामयाब रहा है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक की सहायता से खोले गए प्राथमिक विद्यालय

3189. श्री रामदास आठवले : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेष रूप से जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से राज्य-वार और स्थलवार कितने प्राथमिक विद्यालय खोले गए/खोलने का विचार है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यों को इस प्रयोजनार्थ मुहैया कराई गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) विश्व बैंक सहायता प्राप्त जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शामिल जिलों में विभिन्न राज्यों में खोले गए/खोले जाने के लिए प्रस्तावित प्राथमिक स्कूलों की संख्या तथा इस प्रयोजनार्थ 1997-98 से 1999-2000 के दौरान प्रदान की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। नए स्कूल खोलने के स्थान के बारे में निर्णय संबंधित राज्य सरकार अपने नीति और मानदंडों के अनुसार करती हैं। आदिवासी और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल खोलने को प्राथमिकता दी जाती है।

विवरण

(रु. लाख में)

ज़िले का नाम	खोले गए प्राथमिक स्कूलों की संख्या	खोलने के लिए प्रस्तावित प्राथमिक स्कूलों की संख्या	इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराई गई धनराशि		
			1997-98	1998-99	1999-20000
1	2	3	4	5	6
असम					
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य वर्ष 1998-99 से 1999-2000 के लिए धनराशि
आन्ध्र प्रदेश					
श्रीकाकुलम	300	—			523.50
विशाखापटनम	292	—			537.54

1	2	3	4	5	6
गुंटूर	187	2			441.18
प्रकाशम	313	—			162.06
चित्तूर	185	—			341.70
कुडप्पा	248	130			688.86
अनन्तपुर	320	8			649.86
महबूबनगर	313	—			577.56
रंगा रेड्डी	264	40			618.48
मेडक	243	13			530.97
निजामाबाद	290	—			520.80
आदिलाबाद	150	1			291.87
खम्माम	350	—			687.75
नलगौंडा	320	—			630.90
कुल	3775	194			7203.03
बिहार					
					वर्ष 1999-2000 के लिए राशि
मुजफ्फरपुर	—	85			104.65
पश्चिम चंपारन	—	175			150.75
रांची	150	150			85.50
चतरा	162	162			182.62
सीतामढ़ी	—	100			129.00
रोहतास	—	90			60.70
पूर्वी सिंहभूम	250	250			207.50
वैशाली	—	246			121.00
दरभंगा	—	175			152.75
गया	263	263			202.27
दुमका	—	225			172.75
गश्चिम सिंहभूम	—	100			111.00

1	2	3	4	5	6
पूर्णिया	—	149			124.27
भोजपुर	60	100			89.00
मुंगेर	130	200			58.00
भागलपुर	—	200			208.00
हजारीबाग	—	175			76.50
कुल	1015	2845			2236.26
गुजरात					
बानसकंठा	173	—	1.04	80.44	77.62
पंचमहल	200	—	2.29	94.89	55.48
दंग	10	—	0.06	8.86	6.05
कुल	383	—	3.39	184.19	139.15
हिमाचल प्रदेश					
चंबा	235	235	170.79	346.67	146.88
सिरमौर	300	300	224.60	374.93	156.79
कुल्लू	248	250	140.40	231.16	194.79
लाहौल स्पिती	23	23	9.76	38.58	26.29
कुल	806	808	545.55	991.34	524.75
हरियाणा					
					वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के लिए राशि
कैथल	37	—			238.00
जिंद	70	3			494.57
हिसार	1	—			5.84
सिरसा	12	1			130.00
भिवानी	—	12			33.00
महेन्द्र गढ़	—	15			41.25
गुडगांव	—	10			40.00
कुल	120	41			982.66

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक					
बेलगांव	185	—	153.36	231.56	183.16
कोलार	167	—	469.13	222.73	213.09
मंड्या	89	—	212.92	126.88	105.13
रायचूर	187	—	139.06	218.07	200.98
बंगलौर (आर.)	125	—	26.80	221.91	509.98
बेल्लारी	33	—	12.58	136.38	193.70
बीदर	59	—	10.46	77.03	258.58
बीजापुर	100	—	27.71	147.27	435.60
धारवाड़	100	—	45.45	118.05	418.33
गुलबर्गा	115	—	26.74	235.61	459.67
मैसूर	90	—	25.18	124.96	393.80
कुल	1250	—	1149.39	1860.45	3372.02
केरल					
कासरगोड	7	—	21.01	6.93	13.62
वायनाड	24	1	9.27	19.275	47.64
मल्लापुरम	5	—	53.64	2.333	12.3725
पलक्काड	—	8	60.00	0.55	8.888
इदुक्कि	—	15	30.00	87.85	12.85
कुल	36	24	173.92	116.938	95.3705
मध्य प्रदेश					
					वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के लिए राशि
बस्तर	1793	—			691.983
भिंड	413	—			319.962
देवास	357	—			297.043
दमोह	463	—			329.318

1	2	3	4	5	6
दतिया	224	—			200.217
झबुआ	1581	—			946.121
खंडवा	380	—			317.215
खरगौन	2058	—			845.316
मंडला	1196	—			774.379
मोरेना	830	—			638.499
रायपुर	774	—			552.434
सिवोनी	536	—			370.713
शाजापुर	258	—			156.172
शिवपुरी	771	—			133.070
विदिशा	477	—			607.430
कुल	12111	—			7179.872
महाराष्ट्र					
लातूर	225	—	85.62	43.17	45.74
उस्मानाबाद	153	—	88.34	14.44	29.68
औरंगाबाद	238	—	14.60	21.69	111.24
नांदेड	434	—	169.37	14.00	81.17
परभनी	408	—	162.15	3.04	72.11
जालना	320	—	—	73.20	535.00
बीड	284	—	—	73.06	556.24
धूले	213	—	—	89.30	313.27
गडचिरौली	93	—	—	56.06	213.63
कुल	2368	—	520.08	387.96	1958.08
उड़ीसा					
					वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के लिए राशि
बाढ़गढ़	—	99			66.832
बोलंगिर	48	51			27.000

1	2	3	4	5	6
धेनकनाल	98	98			192.120
गजपति	116	116			109.550
कालाहांडि	28	31			79.448
क्योंझार	40	166			177.940
रायगढ़	29	72			348.866
संबलपुर	101	101			88.280
कुल	460	734			1090.036
राजस्थान					
अलवर	—	103	—	—	—
भीलवाड़ा	—	108	—	—	—
झालावाड़	—	130	—	—	—
झुंझुनू	—	67	—	—	—
कोटा	—	101	—	—	—
नागौर	—	46	—	—	—
सीकर	—	126	—	—	—
सिरोही	—	64	—	—	—
श्री गंगानगर	—	120	—	—	—
टोंक	—	44	—	—	—
कुल	—	909		—	—
तमिलनाडु					
धरमपुरी	164	91		49.14	203.52
तिरूवन्नामलाई	40	20		13.26	51.60
कुड्डालोरी	20	9		7.80	27.60
विल्लुपुरम	35	10		6.24	36.90
पुडुकोट्टई	36	20		18.72	56.88

1	2	3	4	5	6
रामनाथपुरम	13	4		5.46	18.54
पेरंबलूर	12	7		8.58	22.56
कुल	320	161		109.20	417.60

उत्तर प्रदेश

					वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के लिए राशि
महाराजगंज	209	—			159.67
सिद्धार्थनगर	222	—			169.608
गोंडा	166	—			126.824
बदायूं	147	—			112.308
लखीमपुर	168	—			128.352
ललितपुर	108	—			82.572
पीलीभीत	167	—			127.588
बस्ती	150	232			114.600
मुरादाबाद	130	255			99.320
शाहजहांपुर	132	270			100.848
सोनभद्र	147	—			142.868
देवरिया	184	—			140.576
हरदोई	156	200			120.712
बरेली	120	—			91.680
फिरोजाबाद	136	—			103.904
रामपुर	—	10			7.640
बाराबंकी	—	20			15.280
बहराइच	—	12			9.168
श्रावस्ती	—	8			6.112
वाराणसी	312	254			238.46
चंदौली	22	—			20.02

1	2	3	4	5	6
संत रविदास नगर	161	69			77.54
गोरखपुर	642	216			375.04
इलाहाबाद	573	265			322.54
कौशांबी	113	—			47.32
बांदा	356	344			390.48
चित्रकूट	60	—			54.00
इटावा	441	262			265.36
औरैय्गा	—	—			—
सीतापुर	674	88			183.06
अलीगढ़	466	35			195.72
हाथरस	72	—			30.94
सहारनपुर	291	69			144.88
पौड़ी	190	248			273.78
नैनीताल	140	71			105.96
उधमसिंह नगर	118	35			75.60
कुल	6973	2963			4660.33

[अनुवाद]

देश में आवास समस्या

3190. श्री टी. गोविन्दन : क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आवास समस्या के समाधान हेतु केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में लागू की जा रही इस प्रकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए वर्षवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंढसा): (क) से (ग) आवास राज्य का विषय है। शहरी क्षेत्रों में आवास की व्यवस्था के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं नहीं हैं। राज्य सरकारें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, विभिन्न आवास योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। तथापि 2 मिलियन आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में 7 लाख अतिरिक्त मकानों का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना लागू है।

इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत की गई राशि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

इन्दिरा आवास योजना

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय नियतन 1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	8870.3	8970.34	8370.41
2.	अरूणाचल प्रदेश	79.71	80.71	184.03
3.	असम	2919.68	2952.83	4781.82
4.	बिहार	17398.92	17597.09	27420.52
5.	गोवा	86.12	87.63	19.20
6.	गुजरात	3255.70	3292.97	3150.78
7.	हरियाणा	782.14	790.96	1853.66
8.	हिमाचल प्रदेश	273.65	276.72	780.64
9.	जम्मू व कश्मीर	556.07	562.66	966.16
10.	कर्नाटक	5956.29	6024.43	6320.85
11.	केरल	2167.06	2191.85	2836.20
12.	मध्य प्रदेश	11240.56	11368.58	13898.74
13.	महाराष्ट्र	9669.47	9779.75	12494.77
14.	मणिपुर	102.16	103.77	320.57
15.	मेघालय	119.54	121.07	359.16
16.	मिजोरम	50.36	50.73	83.11
17.	नागालैण्ड	128.13	129.14	246.36
18.	उड़ीसा	7195.91	7277.74	9574.03
19.	पंजाब	556.24	562.65	900.86
20.	राजस्थान	4670.13	4723.84	4799.63
21.	सिक्किम	46.65	47.27	92.02
22.	तमिलनाडु	8018.92	8110.20	7401.30

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	132.82	134.90	578.80
24.	उत्तर प्रदेश	21616.11	21863.19	30176.52
25.	पश्चिम बंगाल	7949.67	8039.87	10639.62
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	47.17	47.27	44.40
27.	दादरा एवं नगर हवेली	25.61	25.37	43.80
28.	दमन और दीव	15.08	14.99	1.82
29.	लक्षद्वीप	23.65	24.21	3.65
30.	पांडिचेरी	46.18	47.27	56.57
	योग	114000.00	115300.00	148400.00

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

3191. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी

3192. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित ऐसी चालू योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिसमें गैर-सरकारी संगठन भागीदारी कर रहे हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितना आवंटन किया गया और वास्तविक रूप में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और प्राप्त हुआ;

(ग) क्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन/गहन अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या खामियां हैं?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) संस्कृति विभाग के पास केन्द्र द्वारा प्रायोजित ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें गैर-सरकारी संगठन की भागीदारी हो।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण

3193. श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई;

(ख) अधिग्रहीत भूमि को किस तरह उपयोग में लाए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त अधिग्रहण से कितने भू-स्वामी प्रभावित हुए हैं और उन्हें किस दर पर मुआवजे का भुगतान किया गया है?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन): (क) चंडीगढ़ प्रशासन ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों में वर्ष-वार अधिग्रहीत भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	अधिग्रहीत क्षेत्र
1997	38.777 एकड़
1998	88.45 एकड़
1999	312.99 एकड़

(ख) अधिग्रहीत भूमि को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए उपयोग करने की संभावना है:-

अवार्ड नं.	प्रयोजन
511	बी.बी.एम.बी. पावर लाइन
514	मेडिकल कालेज, सैक्टर 32, चंडीगढ़ के लिए रिहायशी मकान
515	220 के.वी. सब स्टेशन
516	चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, चंडीगढ़
520	रिहायशी परिसर, पोकेट 7, मनीमाजरा
521	सैक्टर-51 का विकास
523	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर
524	एस/डब्ल्यू ट्रीटमेंट प्लान
525	प्रमुख संस्थान
526	सैक्टर-56 का विकास
527	सैक्टर-52 का विकास
530	सैक्टर-48 व 49 का विकास

(ग) (1) प्रभावित भूस्वामी

(i)	1997	-	50
(ii)	1998	-	333
(iii)	1999	-	1468

(2) मुआवजा दर

अवार्ड नं.	मुआवजा (रुपए/एकड़)
511	3,00,000/-
514	4,50,000/-
515	5,50,000/-
516	4,54,000/-
520	3,50,000/-
521	10,86,510/-
523	4,41,696/-
524	9,33,920/-
525	4,53,899/-
526	9,60,000/-
527	10,86,500/-
530	4,70,000/-

[हिन्दी]

गुजरात से समाचार-पत्र शुरू करना

3194. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी 1997 से अक्तूबर 1999 के दौरान गुजरात के विभिन्न जिलों में आरम्भ किये गये दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक, मासिक और अन्य पत्रिकाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनमें से प्रत्येक को विज्ञापनों के लिए कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार को ये शिकायतें मिली हैं कि लघु और मझौले समाचार-पत्रों को कम मूल्य के और कम विज्ञापन दिये जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाई की है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) वर्ष 1997 और 1998 के दौरान भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के कार्यालय ने गुजरात राज्य से क्रमशः कुल 173 तथा 144 समाचार-पत्रों को पंजीकृत किया। वर्ष 1999 में 31.10.1999 तक 233 समाचार-पत्र पंजीकृत किए गए थे। उक्त प्रकाशनों के शहर/जिलों को दर्शाने वाला आवधिकता-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन केवल उन प्रकाशनों को दिए जाते हैं जो इस प्रयोजनार्थ इसके पास सूचीबद्ध हैं। गुजरात में जनवरी, 1997 से प्रकाशन प्रारम्भ करने वाले सूची-बद्ध समाचार-पत्रों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी विज्ञापनों के सम्बन्ध में दी गई राशियों का ब्यौरा निम्न अनुसार है:-

क्र.सं.	नाम	प्रकाशन की भाषा/ आवधिकता/स्थान	राशि (रुपयों में)		
			1997-98	1998-99	1999-2000
1.	सूर्यकाल	गुजराती/दैनिक/अहमदाबाद	-	10,660	9,081
2.	यंग लीडर	हिन्दी/दैनिक/सूरत	-	41,849	73,442
3.	लोक कलम	गुजराती/साप्ताहिक/अहमदाबाद	4,319	6,070	-

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

1.1.97 से 31.10.99 के दौरान गुजरात से पंजीकृत समाचार-पत्रों का जिला/शहर-वार ब्यौरा

स्थान	दैनिक	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
अहमदाबाद	10	61	26	38	15	150
अमरेली	2	8	0	2	0	12
आनन्द	1	6	0	2	1	10
बनासकंठा	0	21	2	1	0	24
बनतवा	0	1	0	0	0	1
बड़ूच	0	10	3	2	0	15
बहरामपुर	1	0	0	0	0	1
भावनगर	3	29	2	9	0	43
बोध	0	1	0	0	0	1
भुज कच्छ	0	5	1	6	0	12
चन्द्रूमाना	0	1	0	0	0	1
दाहोद	2	0	0	0	0	2

1	2	3	4	5	6	7
धारंगधरा	0	7	0	0	0	7
धारी	0	2	0	0	0	2
धोराजी	0	0	0	1	0	1
गांधी धाम	0	0	0	1	0	1
गांधीनगर	2	15	2	1	0	20
गोदरा	1	0	1	0	0	2
गोन्दल	0	1	0	1	0	1
हिम्मतनगर	0	1	0	1	0	2
जामनगर	0	3	0	2	0	5
जेतपुर	0	1	0	0	0	1
जोरावर्नार	0	1	0	0	0	1
जूनागढ़	1	49	1	0	1	52
कादी	0	1	0	0	0	1
कलोल	0	1	0	0	0	1
कालूपुर	0	1	0	0	0	1
केशोद	0	0	0	1	0	1
खेडा	1	3	2	1	0	7
मांडवी	0	0	0	1	0	1
मेहसाना	0	12	0	1	0	13
मोंगरी	0	0	0	1	0	1
मोरबी	0	4	2	0	0	6
नक्सारी	0	1	0	1	0	2
पालनपुर	0	12	0	0	0	12
पालिताना	0	4	0	0	0	4
पंचमहल	0	2	0	0	0	2
पाटन	1	7	0	1	0	9
पोरबन्दर	0	1	0	0	0	1

1	2	3	4	5	6	7
राजकोट	3	12	5	4	2	26
साबरकांठा	0	2	0	0	0	2
मावरकुंडला	0	1	0	0	0	1
सूरत	4	2	2	0	0	8
सुरेन्द्रनगर	1	50	1	0	4	56
थराड	0	3	0	0	0	3
वडोदरा	0	10	3	3	2	18
वल्साद	0	1	0	2	0	3
वाधवन सिटी	0	4	0	0	0	4
कुल	33	357	53	82	25	550

[अनुवाद]

पीलिया से हुई मौतें

3195. **श्री विजय गोयल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कितने लोगों की पीलिया के कारण मौत हुई;

(ख) क्या यह सत्य है कि पीलिया के शिकार बच्चों में से साधारणतया 20 प्रतिशत की मौत हो जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस बीमारी की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो से प्राप्त सूचनानुसार, पोलिया के रूप में विद्यमान विषाणुज हैपेटाइटिस 1995 और 1998 के बीच मरने वाले व्यक्तियों की संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) रोगियों और मरने वालों के आयु-समूहवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) पीलिया हैपेटाइटिस ए,बी.,सी,डी,ई और जी से उत्पन्न होता है। संदूषित जल, भोजन और अपर्याप्त वैयक्तिक स्वच्छता से विषाणुज हैपेटाइटिस ए और ई संचारित होता है। हैपेटाइटिस ए और ई के नियंत्रक उपायों का जोर निरापद जलापूर्ति की व्यवस्था करने, पर्यावरणिक सफाई, भोजन और वैयक्तिक स्वच्छता में सुधार करने पर है। दूसरे प्रकार के हैपेटाइटिस आन्त्रेतर, यौन मार्ग के जरिए और माता से बच्चों में संचारित हुआ करते हैं। रक्तजनित हैपेटाइटिस संक्रमण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय आरम्भ किए गए हैं:-

- रक्त बैंकों में रक्त की अनिवार्य रूप से जांच करना।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत निरापद यौन व्यवहार को बढ़ावा देने हेतु स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के कार्यकलाप।
- विसंक्रमित सिरिंज और सूई का प्रत्येक अन्तःक्षेप में प्रयोग करने हेतु स्वास्थ्य प्राधिकारियों को अनुदेश जारी करना।
- केंद्रीय सरकार के अस्पताल में अधिक जोखिम वाले कार्मिकों को प्रतिरक्षित करना। राज्य सरकारों को ऐसे ही कदम उठाने की सलाह दी गई है।

विवरण

1996-98 के दौरान विषाणुज हैपेटाइटस से हुई मौतें

क्र.सं.	राज्य का नाम	1996	1997	1998
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	96	93	101
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	—
3.	असम	असूचित	—	—
4.	बिहार	असूचित	—	—
5.	गोवा	0	0	1
6.	गुजरात	63	44	30
7.	हरियाणा	18	17	10
8.	हिमाचल प्रदेश	5	9	4
9.	जम्मू और कश्मीर	2	3	0
10.	कर्नाटक	38	61	72
11.	केरल	12	6	17
12.	मध्य प्रदेश	31	135	31
13.	महाराष्ट्र	198	515	419
14.	मणिपुर	1	0	0
15.	मेघालय	0	0	6
16.	मिजोरम	1	1	2
17.	नागालैंड	0	0	2
18.	उड़ीसा	172	125	125
19.	पंजाब	26	—	20
20.	राजस्थान	24	19	14
21.	सिक्किम	असूचित	—	—
22.	तमिलनाडु	1	3	—
23.	त्रिपुरा	2	3	0
24.	उत्तर प्रदेश	12	10	25

1	2	3	4	5
25.	पश्चिम बंगाल	असूचित	—	—
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	7	2
27.	चंडीगढ़	असूचित	1	—
28.	दादर और नगर हवेली	2	6	3
29.	दमण और दीव	0	0	0
30.	दिल्ली	93	38	—
31.	लक्षद्वीप	1	0	1
32.	पांडिचेरी	1	2	1
	कुल	801	1098	886

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों हेतु कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिए मानदण्डों की स्थापना हेतु अध्ययन

3196. डा. वी. सरोजा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1999 में वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण इकाई की वार्षिक अध्ययन कार्यक्रम में ऐलोपैथी चिकित्सा प्रणाली के केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के कर्मचारियों की नियुक्ति के मानदण्डों को स्थापित करने हेतु कोई अध्ययन शामिल किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम में दिल्ली तथा दिल्ली के बाहर केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना में भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्यौपैथी औषधालयों/इकाइयों को शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना इकाइयों के उन्नयन/विस्तार हेतु कोई नीति तैयार करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय की कर्मचारी निरीक्षण इकाई ने एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति करने हेतु मानदण्डों की स्थापना करने की दृष्टि से 1997-98 में अध्ययन कराया है और नवम्बर, 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसकी समीक्षा की जा रही है।

(ग) वित्त मंत्रालय की कर्मचारी निरीक्षण इकाई के वर्ष 1999-2000 के कार्यक्रम में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक/योग/यूनानी/सिद्ध यूनिटों एवं पोलिक्लिनिकों का अध्ययन कराना शामिल है।

(घ) और (ङ) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के संबंध में कर्मचारी निरीक्षण इकाई की रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने तक जैसा कि ऊपर (ग) में बताया गया है और वित्तीय कठिनाइयों के कारण किसी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यूनिट का दर्जा बढ़ाना/विस्तार करना इस समय सम्भव नहीं है।

पंजाब में स्वास्थ्य केन्द्रों/परिवार नियोजन केन्द्रों को धनराशि

3197. श्री आर.एल. भाटिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में पंजाब में स्वास्थ्य केन्द्रों और परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्यों को सहायता अनुदान संस्वीकृत आधारभूत ढांचे और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है। आडिट में स्वीकृत खर्च के आधार पर ये मामले अन्तिम रूप से निपटाए जाते हैं। साधारणतया राज्य महालेखाकार के कार्यालय द्वारा दो-तीन वर्षों के अन्तराल पर खर्चे के लेखापरीक्षित विवरणों को अग्रेषित किया जाता है। पंजाब के मामले में उपलब्ध नवीनतम विवरण वर्ष 1997-98 के लिए हैं जिसके अनुसार राज्य सरकार के पास कोई अधिशेष उपलब्ध नहीं है।

विवरण

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजाब राज्य सरकार को जारी निधियां (लाख रुपयों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (नवम्बर, 99 तक)
1.	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	380.00	475.00	626.00	622.50
2.	उप-केन्द्र	205.00	326.00	426.00	458.67
3.	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	53.27	40.00	66.68	45.00
4.	शहरी स्वास्थ्य चौकियां	151.00	235.00	245.90	168.75
5.	प्रसवोत्तर केन्द्र	163.00	232.00	347.22	311.25

शिक्षा की हालत

3198. श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया-प्रशान्त क्षेत्र में शिक्षा का प्रभाव, शैक्षणिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वालों को गंभीर चुनौती दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो चुनौती का सामना करने हेतु प्रस्तावित ठोस कदम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) दक्षिण एशिया पर हाल की मानव विकास रिपोर्ट में दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के विकास अंतरों की तुलना की गई है तथा उसमें इस बात का उल्लेख है कि पूर्वी एशियाई देशों के अपेक्षाकृत बेहतर विकास के कारणों में से एक है वहां प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाना। भारत में सरकार अपने हाल के प्रयासों में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल दे रही है। इस चुनौती का सामना करने के लिए 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने हेतु एक संविधान संशोधन विधेयक जुलाई, 1997 में राज्य सभा में पेश किया गया था। 1999-2000 के विभाग के योजनागत बजट का लगभग दो-तिहाई प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया गया है।

मेगा सिटी परियोजनाएं

3199. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मेगा सिटी परियोजना के अंतर्गत कलकत्ता को जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने परियोजना के अंतर्गत कार्य प्रगति की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने उक्त स्थान पर कार्य गति को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कलकत्ता को जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है:-

1996-97	-	13.58 करोड़ रुपए
1997-98	-	14.89 करोड़ रुपए
1998-99	-	16.23 करोड़ रुपए

(ख) से (घ) जी, हां। नोडल एजेंसी से आवधिक प्रगति रिपोर्टें ली जाती हैं। इसके अलावा, मंजूरीदाता-समिति की बैठकों, जिसमें केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि मौजूद होता है, में राज्य सरकार को सलाह दी जाती है कि चालू परियोजनाओं को तत्परता से पूरा करें।

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

3200. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के कार्य के विस्तार के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए एन.आई.एम.एच. द्वारा पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार 1999-2000 के दौरान एन.आई.एम.एच. के अध्ययन कार्य को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की स्थापना वर्ष 1984 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन मानसिक मंदता के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए की गई। संस्थान के महत्वपूर्ण कार्य-क्षेत्र हैं: मानव संसाधन विकास, देखभाल और पुनर्वास के माडल, अनुसंधान, प्रलेखन तथा मानसिक मंदता के क्षेत्र में सूचना तथा सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग से कार्यक्रमों का फैलाव तथा विस्तार।

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के शिक्षण कार्य सहित कार्य के विस्तार के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

यह संस्थान विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, मानसिक मंदता में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा तथा रोजगार में विभिन्न दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाता है। इसके अतिरिक्त, यह संस्थान व्यावसायिकों को मानसिक मंदता के क्षेत्र में नवीनत रुझानों तथा परिवर्तनों से स्वयं सुपरिचित होने के अवसर प्रदान करने के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कार्यशाला, सेमिनार तथा सम्मेलनों को भी आयोजित करता है। संस्थानों के वर्तमान कार्यकलापों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के कार्य का विस्तार करने के उपाय किए जा रहे हैं। ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(1) *राष्ट्रीय ग्रामीण पुनर्वास कार्यक्रम :* इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सहित प्रत्येक राष्ट्रीय संस्थान को, सात जिलों को प्रत्येक व्यापक पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए लेना होता है। कार्यक्रम को एक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा।

(2) 1-5 दिसम्बर, 1999 के दौरान मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संगीत और नृत्य समारोह का आयोजन किया गया। इस उत्सव के दौरान देश भर के बच्चों के द्वारा संगीत और नृत्य की 105 प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं।

(3) विशेष शिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले दो शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों को तकनीकी सहायता दी गई है।

(4) 1 से 10 मार्च, 2000 तक के दौरान विशेष ओलम्पिक में कोचों के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाना है।

(5) वर्ष के दौरान चार नए अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ किए गए:

1. व्यावसायिकयों के लिए एक माडल तथा मार्गदर्शक का स्कूल से रोजगार विकास तक विकलांग व्यक्तियों का परिवर्तन।

2. मानसिक विकलांग व्यक्तियों में संवाद कौशलों में प्रशिक्षण माता-पिता के लिए एक उपयोगिता निर्देशिका।

3. बाल्यकाल विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण पैकेजों को तैयार करना।

4. मानसिकमंदता वाले बच्चों के लिए कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के माध्यम से कार्यात्मक शिक्षा।

5. विशेष शिक्षा में बी.एड. कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। उस्मानिया विश्वविद्यालय से सम्बद्धता की प्रतीक्षा है।

सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के शिक्षण कार्य का विस्तार करने का भी प्रस्ताव किया है। वर्ष 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीक मानसिक विकलांग संस्थान के शिक्षण कार्य के विस्तार के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

1. *विकलांग बंधु प्रशिक्षण कार्यक्रम:* दो प्रशिक्षण कार्यक्रम, विजयनगरम तथा करनूल में प्रत्येक में एक-एक चल रहे हैं। प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि चार माह है।

2. 1 से 10 मार्च, 2000 के दौरान विशेष ओलंपिकों में कोचों के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाना है।

3. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में बी.एड./भारतीय पुनर्वास परिषद से अनुमोदन पहले ही प्राप्त हो गया है। उस्मानिया विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पर कार्रवाई की जा रही है।

4. पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालयों में पेंशन सुविधा

3201. श्री राधा मोहन सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवोदय विद्यालय समिति अपने कर्मचारियों को पेंशन सुविधा प्रदान नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) नवोदय विद्यालय समिति के अधिकांश कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हैं। इसलिए, यहाँ अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू की गई है। पेंशन योजना के बदले एल.आई.सी. के साथ एक उपयुक्त वार्षिता योजना तैयार करने की उन्हें सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

बंगलों में अतिरिक्त निर्माण

3202. श्री रामसागर रावत: क्या शहरी विकास मंत्री बंगलों में अतिरिक्त कमरे के बारे में 30.11.1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 300 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी खर्चे पर एल.टी.जेड. बंगलों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निर्धारित अवधि के भीतर इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए कोई नोटिस दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने, प्रधान मंत्री कार्यालय से अनुमोदित तथा इस मंत्रालय के दिनांक 12.4.96 के का.ज्ञा. सं. 11011/2/95-डब्ल्यू-1 के तहत परिचालित दिशानिर्देशों के अनुसार लुटियन बंगला जोन क्षेत्र में मंत्रियों/सांसदों/उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के जजों/सचिवों के बंगलों में निम्नलिखि अतिरिक्त अस्थायी/अर्ध स्थायी ढांचों का निर्माण किया है:

(1) संतरी पोस्ट/फ्रिस्किंग शैड

(2) गार्ड कक्ष

(3) कार्यालय कक्ष/रिहायशी कक्ष।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने कहा है कि लुटियन बंगला जोन क्षेत्र के बंगलों में किए गए अतिरिक्त निर्माण, उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। उन्होंने कोई अनधिकृत निर्माण नहीं किया है और इसीलिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए किसी निर्माण के लिए कोई नोटिस जारी करना अपेक्षित नहीं है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के निर्णयों का क्रियान्वयन

3203. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचति जनजाति आयोग के निष्कर्षों/निर्णयों को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आई.एफ.सी.आई.) द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आयोग के निष्कर्षों/निर्णयों का क्रियान्वयन आईएफसीआई और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों/बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने सितम्बर, 1998 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से संबंधित दो मामलों में निष्कर्ष जारी किए हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने कुछ अतिरिक्त सूचना भेजते हुए इन दो मामलों को आयोग को पुन: विचार करने के लिए भेज दिया है।

(ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के संबंध में आयोग को उपर्युक्त उल्लिखित दो मामलों के बारे में अंतिम दृष्टिकोण अभी लिया जाना है। इसके अतिरिक्त, 1996 से रिकार्ड से यह पता चलता है कि कोई ऐसे मामले की सूचना नहीं है जहां आयोग के निष्कर्षों/निर्णयों को नामंजूर किया गया हो। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने सार्वजनिक संस्थाओं के संबंध में 1996 से 30 मामलों में अपने निष्कर्ष/निर्णय सूचित किए थे। इन 30 मामलों में से 10 मामलों में निर्णयों को कार्यान्वित किया गया है, 3 निष्कर्षों का आंशिक रूप से अनुपालन किया गया है जबकि 17 निष्कर्षों के मामले में या तो संबंधित संस्थाओं ने न्यायालय में मामले दायर किए हैं या उन्हें आयोग को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है।

जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान केन्द्र का गठन

3204. श्री विष्णु पद राय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंडमान निकोबार में एक जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान केन्द्र का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास पोर्ट ब्लेयर से जी.बी. पंत अस्पताल में और रंगत मायाबंदर डिलीपुर, हटबे कैम्पबेल और अन्य द्वीप समूहों में बाह्य रोगियों को आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य द्वीप समूहों अर्थात् डिगलीपुर, रंगत मायाबंदर, हटबे और कैम्पबेल में बाह्य होमियोपैथिक उपचार केन्द्र का विस्तार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संगठन, केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद् के अंतर्गत कार-निकोबार द्वीप समूह स्थित एक आदिवासी स्वास्थ्य परिचर्या अनुसंधान परियोजना है।

यह यूनिट 1984 से कार-निकोबार में कार्यरत है। इसका उद्देश्य है—आदिवासी लोगों की जीवन स्थितियों उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली लोक औषधियों के क्षेत्र में औषधीय पादपों की मौजूदगी अध्ययन करना, मुखीय स्वच्छता के बारे में जानकारी का प्रचार-प्रसार करना, रोगों का निवारण, क्षेत्र के सामान्य औषधीय पादपों के इस्तेमाल और सर्वेक्षणों के दौरान लोगों को औषधीय सहायता देना है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की क्षीयमान आदिवासी जनसंख्या के स्वास्थ्य, रुग्णता, मृत्यु दर और प्रजननता को समझने संबंधी अनुसंधान अध्ययनों में संलग्न है।

(ग) से (च) सरकार को कभी तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल में कम शक्ति के ट्रांसमीटर चालू करना

3205. श्री कोडीकुन्नील सुरेश: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में कोट्टराक्कारा स्थित कम शक्ति का ट्रांसमीटर चालू होने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक शुरू होने की संभावना है;

(ग) इस कम शक्ति के ट्रांसमीटर की अनुमानित रेंज क्या है;

(घ) क्या कोट्टराक्कारा में कम शक्ति ट्रांसमीटर को चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में स्टाफ नियुक्त किया जाना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी, नहीं। कोट्टराकारा में संस्थापनाधीन अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के अगले वर्ष चालू करने के लिए तैयार हो जाने की संभावना है।

(ग) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कोट्टराक्कारा के चालू होने पर भू-भागीय अवस्थाओं के अधीन इससे लगभग 15 कि.मी. की प्राइमरी रेंज में कवरेज प्राप्त होने की संभावना है।

(घ) और (ङ) संस्थापन कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात् कोट्टराक्कारा में स्टाफ तैनात किया जाएगा और ट्रांसमीटर चालू करने के लिए तैयार है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य रक्षा केन्द्रों की स्थापना

3206. श्री अनन्त नायक: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य रक्षा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार उड़ीसा के चक्रवात/भीषण बाढ़ से प्रभावित जिलों में ऐसे केन्द्रों की और स्थापना प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उड़ीसा के क्योंझर और जाजपुर जिलों में इस समय कार्यरत सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य रक्षा केन्द्रों के नाम क्या हैं और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां निकट भविष्य में ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों जिनके माध्यम से देश की ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, की स्थापना के लिए मौजूदा राष्ट्रीय मानदण्ड (1991 की जनगणना के अनुसार) इस प्रकार हैं:

जनसंख्या के लिए राष्ट्रीय मानदण्ड

	सामान्य क्षेत्र	आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्र
उप-केन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30000	20000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	120000	80000

(ख) से (घ) आदिवासी जिलों के लिए लागू रियायती जनसंख्या मानदण्डों पर उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित जिलों में उप केन्द्रों की स्थापना के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है। क्योंझार और जाजपुर जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्योंझर जिला

1.	चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा. केन्द्र	पदमपुर, ग्राम/पो.ओ. पदमपुर
2.	-तदैव-	पटना, ग्राम/पो.ओ. पटना
3.	-तदैव-	घाटगांव, ग्राम/पो.ओ. घाटगांव
4.	-तदैव-	भागमुंडा, ग्राम/पो.ओ. भागमुंडा

5.	चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा. केन्द्र	तेलकोइ, ग्राम/पो.ओ. तेलकोइ
6.	–तदैव–	बंसपाल, ग्राम/पो.ओ. बंसपाल
7.	–तदैव–	झुमपुरा, ग्राम/पो.ओ. झुमपूरा
8.	–तदैव–	भंडा, ग्राम/पो.ओ. भंडा
9.	–तदैव–	बासुदेवपुर, ग्राम/पो.ओ. बासुदेवपुर
10.	–तदैव–	सैलानिया, ग्राम/पो.ओ. सैलानिया
11.	–तदैव–	फकीरपुर, ग्राम/पो.ओ. फकीरपुर
12.	–तदैव–	उदयपुर, ग्राम/पो.ओ. उदयपुर
13.	–तदैव–	केसुदुरापाल, ग्राम/पो.ओ. केसुदुरापाल
जाजपुर जिला		
1.	चिकित्सा अधिकारी प्रा.स्वा. केन्द्र	मकन्दपुर, ग्राम/पो.ओ. मकन्दपुर
2.	–तदैव–	धर्मशाला, ग्राम/पो.ओ. धर्मशाला
3.	–तदैव–	मधुबन, ग्राम/पो.ओ. मधुबन
4.	–तदैव–	दशरथपुर, ग्राम/पो.ओ. दशरथपुर
5.	–तदैव–	बराचना, ग्राम/पो.ओ. बराचना
6.	–तदैव–	मुकिंदा, ग्राम/पो.ओ. सुकिंदा
7.	–तदैव–	दंगाडी, ग्राम/पो.ओ. दंगाडी
8.	–तदैव–	कौरी, ग्राम/पो.ओ. कोरी
9.	–तदैव–	बारी, ग्राम/पो.ओ. बारी
10.	–तदैव–	बिनझारपुर, ग्राम/पो.ओ. बिनझारपुर

मवेशी परीक्षण

3207. श्री श्रीपाद येसो नाईक: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एनीमल टेस्टिंग कर्ब में हिट रिसर्च" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कानून में संशोधन करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) इलेक्ट्रानिक तथा प्रेस मीडिया के माध्यम से अनुसंधान को प्रभावित करने वाले पशुओं पर अनुसंधान और प्रयोगों को प्रतिबंधित करने वाले भारत सरकार के नियमों के संबंध में प्रश्नगत समाचारों सहित विभिन्न रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं। पशुओं के प्रयोजन संबंधी समिति ने इन रिपोर्टों और समाचारों पर पहले ही विचार कर लिया है तथा वर्तमान प्रजनन तथा पशुओं पर प्रयोग (नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण) नियम, 1998 को संशोधन करने के प्रश्न पर ख्याति प्राप्त अनुसंधान/प्रयोग करने वाली संस्थाओं के प्रमुखों तथा प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के साथ हुई बैठक में विचार किया गया है तथा संशोधन की प्रक्रिया चल रही है।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि

3208. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निधि द्वारा कब से परिचालन आरंभ किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस निधि का उपयोग करने में राज्य सरकारों की भूमिका का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (घ) राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एन.सी.एफ.) की स्थापना भारतीय कलाओं व संस्कृति के मौजूदा वित्तपोषण स्रोतों व प्रतिमानों से भिन्न वित्तपोषण तंत्र के रूप में नवंबर, 1996 में की गयी थी, ताकि संस्थाएं व व्यक्ति सरकार के सीधे हिस्सेदारों के रूप में देश की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत को परिरक्षित कर सकने में अपना सहयोग दे सकें। निधि में 19.50 करोड़ रुपये की संचित राशि रखी जानी थी। अब तक संचित राशि में 6.00 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये गये हैं। संचित राशि को अक्षुण्ण रखा जायेगा। संचित राशि से प्राप्त ब्याज और विभिन्न सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं के लिए उगाहे गये अंशदानों का प्रयोग निधि के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जायेगा। अंशदानों को आयकर अधिनियम की धारा 80जी(2) के अंतर्गत कर में छूट दी गयी है। राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि के माध्यम से अंशदानों की उगाही करने की सुविधा का लाभ उठायें।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजाति की अधिसूची से हटाए गए व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र जारी करना

3209. श्री बब्बन राजभर: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजभर जाति को वे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का है जो अन्य अनुसूचित जनजातियों को मिली हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) इस मामले की जांच सरकार द्वारा दिनांक 15.06.1999 को अनुमोदित प्रक्रियाओं के आलोक में संबंधित राज्य सरकार तथा भारत के महारजिस्ट्रार के साथ परामर्श करके की जा रही है। कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रस्ताव समय-समय पर प्राप्त होते हैं और उन पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

समाचार बुलेटिनों का प्रसारण नहीं किया जाना

3210. श्री अनंत गंगाराम गीते: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च-अप्रैल, 1999 में प्रसार भारती के इंजीनियरों एवं कार्यक्रमों से जुड़े कर्मचारियों के हड़ताल के कारण समाचारों एवं संगीत के कार्यक्रम प्रभावित हुए तथा इसके लिए किए गए बजटीय आबंटन का उपयोग नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो भाषा-वार बुलेटिन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न प्रसारण केन्द्रों में हड़ताल के कारण उपयोग न की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सभी दूरदर्शन केन्द्रों से सभी समाचार बुलेटिनों एवं संगीत कार्यक्रमों को समय-सारणी के अनुसार प्रसारित किया गया था और केन्द्रों द्वारा स्वीकृत बजट अनुदान का पूर्ण उपयोग भी किया गया था। जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, क्षेत्रीय समाचार एककों के बुलेटिनों के अलावा दिल्ली से प्रसारित राष्ट्रीय अंग्रेजी और हिन्दी समाचार बुलेटिन के प्रसारण में कोई व्यवधान नहीं आया था। आकाशवाणी केन्द्रों से भी संगीत कार्यक्रमों के प्रसारण में भी कोई व्यवधान नहीं हुआ था। सभी आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा स्वीकृत बजट अनुदान की पूरी राशि का उपयोग किया गया था।

आवासीय योजना

3211. डा. रमेश चंद तोमर: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 नवम्बर, 1999 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "गवर्नमेंट्स हाउसिंग प्लान इन डोलड्रम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित रिपोर्ट के तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में आवासीय समस्या के समाधान हेतु तैयार की गई ठोस योजना क्या है;

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) जी हाँ। समाचार पद "गवर्नमेन्टस हाउसिंग प्लान इन डोलड्रम्स" मुख्यत: दिल्ली में आवास निर्माण गतिविधि में निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित है। यह सही है कि भूमि जुटाव, विकास—दिल्ली में आवास गतिविधियों में निजी विकासकों की भागीदारी के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 19.6.1998 को दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों को जारी करते समय यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि इस स्कीम से दिल्ली के नियोजित विकास के लिए अपेक्षित आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करने का डी.डी.ए. का अधिकार यथावत बना रहेगा। निजीकरण नीति का उद्देश्य दिल्ली में व्यापक पैमाने पर आवास निर्माण को प्रोत्साहित करना है जिससे एक तरफ तो लगातार हो रही अनधिकृत कालोनियों तथा स्लमों की अतिशय वृद्धि को रोका जा सके और दूसरी तरफ डी.डी.ए. के लिए जरूरी समझी गई प्रतिस्पर्धा मिल सके।

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निजी विकासकों की भागीदारी के लिए दिनांक 5.3.99 को जारी तथा 22.7.99 को यथा संशोधित दिशानिर्देश अभी भी लागू हैं। निजी विकासकों द्वारा बिल्डिंग प्लान प्रस्तुत करने पर मामले में आगे की कार्रवाई स्थानीय निकायों/डी.डी.ए. द्वारा की जानी है।

(ग) आवास, विशेषकर गरीबों के लिए, मुहैया करने के लिए सरकार की मध्यस्थता मुख्यत: आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) के जरिए है। अतिरिक्त मकानों का निर्माण (13 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्रों में और 7 लाख मकान शहरी क्षेत्रों में) विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) और कम आय वर्ग (एल.आई.जी.) श्रेणियों के लिए सुनिश्चित करने हेतु 1998-99 में शुरू किया गया 20 लाख मकान कार्यक्रम एक पहल है जिससे आवास की कमी को पूरा किया जा सके। इस क्षेत्र में विभिन्न कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने भी निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

शहरी आवास

(1) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) तथा कम आय वर्ग (एल.आई.जी.) को आवास के लिए बाजार दर से कम ब्याज दर पर हडको के जरिए धन मुहैया कराती है।

(2) निर्मित केन्द्र की गतिविधि तथा भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद के जरिए लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करती है।

(3) कानूनी हस्तक्षेप और वित्तीय रियायत जिससे अन्तत: देश में आवास गतिविधि में गति आएगी।

इन उपायों से एक "सुविधाता" के रूप में सरकार की भूमिका पुष्ट होती है जैसी कि राष्ट्रीय पर्यावास तथा आवास नीति 1998 में परिकल्पना की गई है।

अध्यक्ष की नियुक्ति

3212. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इतिहास कांग्रेस के अध्यक्ष की नियुक्ति में कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विभिन्न शैक्षिक और वैज्ञानिक संस्थाओं में इस पद पर नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) से (ग) भारतीय इतिहास कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसी प्रकार से शामिल नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ द्वारा आन्दोलन

3213. श्रीमती गीता मुखर्जी:
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय शिक्षकों के राष्ट्रीय संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना/प्रदर्शन शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनकी मांगों को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ ने 30.11.99 को धरना दिया था और 30.11.99 के पत्र द्वारा सूचित किया कि संघ अनिश्चितकाल के लिए अपना धरना जारी रखेगा, परंतु उन्होंने 10.12.99 को अपना धरना समाप्त कर दिया।

(ख) उनकी मांगों में, अन्य बातों के साथ प्राइमरी शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन, संगीत शिक्षकों को टी.जी.टी. ग्रेड प्रदान करना, पदोन्नति स्वीकार न करने पर अवरोधन अवधि पांच वर्ष से घटाकर एक वर्ष करना, सी.पी.एफ. को जी.पी.एफ. में बदलना, प्राइमरी शिक्षकों, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों, स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए क्षेत्र के अन्त: विभागीय पदोन्नति, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेवा करने वाले कर्मचारियों को उनके आवासीय संबधी स्थिति का ध्यान किए बिना विशेष ड्यूटी भत्ते का भुगतान शामिल है।

(ग) से (ङ) जैसा कि संघ ने अपने पत्र दिनांक 22.11.99 द्वारा सूचित किया है उन्होंने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को आन्दोलन के संबंध में पहले से ही अवगत करा दिया। संघ की अधिकांश मांगों पर चर्चा 27.10.99 को आयोजित जे.सी.एम. की बैठक में की गई थी जिसमें संघ के महासचिव ने भी भाग लिया था। मांगों पर चर्चा प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है।

[हिन्दी]

दहेज से हुई मौतें

3214. डा. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दहेज के कारण राज्य-वार कितनी महिलाओं की हत्या की गयी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितने आरोपियों को सजा हुई; और

(ग) दहेज के कारण हो रही मौतों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) देश में वर्ष 1996 से 1998 तक की अवधि के दौरान दहेज मृत्यु के दर्ज मामलों तथा इसी अवधि के दौरान दहेज मृत्यु के अपराध में दोषी पाये गये व्यक्तियों की राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाले विवरण संलग्न है।

(ग) अपराधों, जिनमें दहेज से संबंधित अपराध भी शामिल हैं, का पंजीयन, जांच, पता लगाने तथा उनके निवारण का दायित्व मूल रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, भारत सरकार ने इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए अनेक उपाय किये हैं। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को 1984 तथा 1986 में संशोधित किया गया, ताकि अधिनियम को और अधिक कठोर बनाया जा सके। भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन किये गये, ताकि दहेज मृत्यु के मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाया जा सके। महिलाओं के साथ किये जाने वाले अपराधों से संबंधित कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

सरकार समर्थन सेवाओं से संबंधित कई कार्यक्रम चला रही है, जैसे कामकाजी महिला होस्टल, शिशुगृह, परिवार परामर्श केन्द्र, जागरूकता पैदा करना तथा जागृति विकास कार्यक्रम और महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षात्मक कार्य जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की जा रही है और इस बारे में सूचना का प्रसार किया जा रहा है। पत्र-पत्रिकाओं तथा इलैक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों द्वारा भी महिलाओं की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने के प्रयास किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित राष्ट्रीय महिला आयोग को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित विभिन्न कानूनों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखे। दहेज की कुप्रथा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आयोग ने 1998 में 'दहेज मुक्ति अभियान' नामक एक देशव्यापी अभियान चलाया।

विवरण

वर्ष 1996 से 1998 के दौरान देश में दर्ज दहेज मृत्यु के मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1996	1997	1998
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	411	520	500
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	28	22	32
4.	बिहार	478	761	1039
5.	गोवा	1	3	3
6.	गुजरात	105	87	90
7.	हरियाणा	223	267	309
8.	हिमाचल प्रदेश	6	12	7
9.	जम्मू व कश्मीर	0	12	9
10.	कर्नाटक	182	195	200
11.	केरल	25	25	21
12.	मध्य प्रदेश	577	550	598
13.	महाराष्ट्र	443	420	420
14.	मणिपुर	0	0	0
15.	मेघालय	1	0	1
16.	मिजोरम	0	0	0
17.	नागालैण्ड	0	0	0
18.	उड़ीसा	178	240	240
19..	पंजाब	180	185	219
20.	राजस्थान	349	356	433
21.	सिक्किम	0	0	0
22.	तमिलनाडु	112	153	176
23.	त्रिपुरा	19	9	10
24.	उत्तर प्रदेश	1983	1786	2229
25.	पश्चिम बंगाल	77	247	249
	जोड़ (राज्य)	5378	5850	6785

1	2	3	4	5
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	2	0
27.	चण्डीगढ़	2	4	5
28.	दादरा व नागर हवेली	0	0	0
29.	दमन व दीव	0	0	0
30.	दिल्ली	132	148	126
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पांडिचेरी	1	2	1
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	135	156	132
	जोड़ (समस्त भारत)	5513	6006	6917

नोट: 1. 1998 के आंकड़े अनंतिम हैं।

2. उड़ीसा के संबंध में 1998 के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण 1997 के आंकड़ों को दोहराया गया है।

वर्ष 1996 से 1998 के दौरान दहेज के कारण हुई मौतों के लिए दोषी सिद्ध हुए व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1996	1997	1998
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	107	127	121
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	2	3	0
4.	बिहार	46	222	316
5.	गोवा	0	0	0
6.	गुजरात	0	16	15
7.	हरियाणा	96	158	122
8.	हिमाचल प्रदेश	8	4	0
9.	जम्मू व कश्मीर	0	2	0
10.	कर्नाटक	8	5	9
11.	केरल	0	9	0
12.	मध्य प्रदेश	217	302	467

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	73	74	55
14.	मणिपुर	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	—
16.	मिजोरम	0	0	0
17.	नागालैण्ड	0	0	0
18.	उड़ीसा	41	30	30
19.	पंजाब	123	143	161
20.	राजस्थान	95	112	160
21.	सिक्किम	0	0	0
22.	तमिलनाडु	84	17	84
23.	त्रिपुरा	3	3	5
24.	उत्तर प्रदेश	1002	1490	1746
25.	पश्चिम बंगाल	12	22	53
	जोड़ (राज्य)	1917	2739	3344
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
27.	चण्डीगढ़	0	2	0
28.	दादरा व नागर हवेली	0	0	0
29.	दमन व दीव	उ.न.	उ.न.	उ.न.
30.	दिल्ली	214	44	54
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	1	9
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	214	47	63
	जोड़ (समस्त भारत)	2131	2786	3407

नोट: 1. 1998 के आंकड़े अनंतिम हैं।

2. उड़ीसा के संबंध में 1998 के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण 1997 के आंकड़ों को दोहराया गया है।

केन्द्रीय विद्यालयों का समय

3215. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपने कुछेक विद्यालयों के आने-जाने के समय में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली में स्थित

सभी केन्द्रीय विद्यालयों में आने-जाने के समय को एक समान रखने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विद्यालयों का समय उनकी कार्यकारी समितियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकार इस संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन की नीति को बदलना नहीं चाहती क्योंकि स्थानीय समुदाय की सुविधाओं और परिस्थितियों पर समय निर्भर करता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के अंतर्गत ऋणों की मंजूरी

3216. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार राज्यों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के अंतर्गत स्वीकृत किए गए और वितरित किए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या फरवरी, 1997 में स्थापित दूसरे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के फरवरी 2000 तक कार्य करने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतर्गत अगली योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए कोई नई योजनाएं तैयार की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम द्वारा राज्य माध्यम एजेंसी को 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान स्वीकृत तथा संवितरित ऋणों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन दिनांक 28.2.1997 को कर दिया है तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके द्वारा पद का कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नामांकित कर दिया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस आयोग ने जातियों/समुदायों/उप जातियों/पर्यायों के संबंध में केन्द्रीय सूची में शामिल करने/संशोधन करने के साथ-साथ नामंजूर करने के लिए सरकार को सलाहें दी हैं।

(घ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अनुसार यह आयोग नागरिकों के किसी वर्ग को पिछड़े वर्ग के रूप में शामिल करने के अनुरोधों की जांच करता है और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग में अधिक शामिल करने या कम शामिल करने की शिकायतों को सुनता है और केन्द्र सरकार को ऐसी सलाह देता है जो यह उचित समझे।

सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतर्गत कोई ऐसी योजनाएं कार्यान्वयन के लिए तैयार नहीं की गई हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

1996-97

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	एस सी ए का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश (बीसी)	41	4048.074	974.74
2.	आंध्र प्रदेश (जीपी)	14	246.545	—

1	2	3	4	5
3.	गोवा	—	—	3.57
4.	हरियाणा	32	375.316	327.97
5.	कर्नाटक	12	3462.564	1486.86
6.	केरल (बीसी)	11	1032.546	1032.55
7.	केरल (एफ)	03	108.590	34.68
8.	मध्य प्रदेश (बीसी)	15	1093.794	104.79
9.	महाराष्ट्र (वीजेएनटी)	15	838.899	148.32
10.	मणिपुर (टी)	16	111.858	6.50
11.	मणिपुर (डब्ल्यू)	04	75.671	75.67
12.	सिक्किम	10	67.751	24.56
13.	पंजाब	—	—	25.25
14.	तमिलनाडु	2	475.620	607.44
15.	उत्तर प्रदेश	35	72.334	48.45
16.	त्रिपुरा	—	—	40.33
17.	पश्चिम बंगाल	07	322.918	—
	कुल	217	12332.480	4941.68

एससीए के उपयोग में न लाई गई 2.17 लाख रुपए की राशि को लौटाने से पहले समाहित करना।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

1997-98

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	एससीए का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत	वितरित राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश (बीसी)	14	334.282	3186.57
2.	आंध्र प्रदेश (जीपी)	—	—	246.55
3.	बिहार	55	1366.336	286.36
4.	चंडीगढ़	6	77.275	—

1	2	3	4	5
5.	गोवा	3	15.47	5.79
6.	गुजरात	19	842.987	704.61
7.	हरियाणा	26	537.703	387.45
8.	हिमाचल प्रदेश	39	345.88	181.41
9.	जम्मू और कश्मीर	5	41.054	—
10.	कर्नाटक	19	1512.405	798.45
11.	केरल (बीसी)	11	784.63	—
12.	केरल (डब्ल्यू)	16	248.012	—
13.	केरल (एफ)	—	—	90.01
14.	मध्य प्रदेश (एफ)	13	1434.375	699.99
15.	महाराष्ट्र (वीजीएनटी)	18	1067.369	—
16.	मणिपुर (टी)	7	7.223	75.94
17.	पांडिचेरी	8	89.038	—
18.	पंजाब	3	426.60	32.64
19.	राजस्थान	5	267.75	—
20.	सिक्किम	3	48.068	87.56
21.	तमिलनाडु	7	691.90 (-85.00)	—
22.	त्रिपुरा	34	464.943	156.84
23.	उत्तर प्रदेश	115	1898.824	141.58
	कुल	426	12502.124	7081.75

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

1998-99

क्र.सं.	एससीए का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश (बीसी)	50	4371.636	1648.490
2.	असम	16	24.884	23.990
3.	बिहार	32	4107.723	990.170
4.	चंडीगढ़	3	72.163	5.000

1	2	3	4	5
5.	गोवा	9	27.514	13.160
6.	गुजरात	15	1518.962	959.220
7.	हरियाणा	17	484.395	62.050
8.	हिमाचल प्रदेश	8	131.709	201.660
9.	जम्मू कश्मीर	6	115.308	41.050
10.	कर्नाटक	2	133.875	875.340
11.	केरल (ए)	—	—	105.290
12.	केरल (बी)	7	483.545	680.280
13.	केरल (डब्ल्यू)	—	—	149.550
14.	मध्य प्रदेश (बीसी)	6	187.893	300.140
15.	मणिपुर (टी)	20	188.329	126.660
16.	पांडिचेरी	3	65.025	154.060
17.	पंजाब	6	203.150	—
18.	राजस्थान	1	74.800	200.230
19.	सिक्किम	12	161.097	161.100
20.	तमिलनाडु	1	276.250	641.540
21.	त्रिपुरा	3	101.950	364.260
22.	उत्तर प्रदेश	70	631.571	1360.380
23.	पश्चिम बंगाल (बीसी)	—	—	53.890
	कुल	287	13361.779	9117.510

धन जारी किया जाना

3217. **श्री एच.जी. रामुलु:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपकरणों की खरीद हेतु श्री जयदेव इंस्टीट्यूट आफ कारडियोलाजी, बंगलौर को धन जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) हृदयवाहिका नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन उपकरणों की खरीद हेतु निजी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

आई.वी. फ्लूड घोटाला

3218. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में कम से कम 16 रोगियों के गंभीर रूप से बीमार होने और एक के मरने की घटना की

जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति एन.डी. कोचर समिति ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके विशेष निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इन निष्कर्षों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) इस रिपोर्ट में किन-किन अधिकारियों पर आरोप लगाया है और उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों के उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) न्यायमूर्ति एन.डी. कोचर की अगुवाई वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पाया है कि मुख्य तौर पर तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, उस अस्पताल के तत्कालीन सहायक स्टोरकीपर तथा सुपर बाजार के कुछ पदधारियों की मिलीभगत से सरकारी विनिर्देशों का उल्लंघन करके अत्यधिक मूल्यों पर सुपर बाजार से आई वी फ्लूडों की खरीद के लिए जिम्मेदार थे। इसने तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने में विलम्ब किया जाना भी पाया है। इसने यह भी पाया कि प्रमाणित करने वाले विश्लेषक प्रयोगशाला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(ग) और (घ) डा. पी.सी. राय, तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, श्री रणधीर सिंह, तत्कालीन सहायक स्टोरकीपर, सफदरजंग अस्पताल और श्री के.जी. गुप्ता तथा श्री आर.के. यादव, सुपर बाजार के तत्कालीन अधिकारी आई वी फ्लुड की खरीद के लिए इस रिपोर्ट द्वारा अभ्यारोपित किए गए हैं। सरकार ने विलम्ब के मामले को भी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सुपुर्द कर दिया है। वर्तमान में इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई की जा रही है।

(ङ) कोचर समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों को दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

समुद्र तल सीमा

3219. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री मोहन रावले:

क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सदा के लिए अपनी समुद्र-तल सीमा स्थापित करने और अपने वर्तमान विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से बाहर कुछ अतिरिक्त समुद्र-तल क्षेत्रों पर दावा करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार ने, 1999-2000 से आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए 47.46 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 'महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमाओं का रेखांकन'' नाम की एक परियोजना को अनुमोदित किया है। इस परियोजना में, आसपास के समुद्र की तलछट मोटाई और महाद्वीपीय ढाल का आधार निर्धारित करने के लिए भूकंपीय व अनुगंभीर आंकड़ों की प्राप्ति हेतु जलवैज्ञानिक सर्वेक्षण शामिल हैं। भारत द्वारा 200 समुद्री मील के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे फैला लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र प्राप्त किए जाने की संभावना है। भारतीय महाद्वीपीय सीमा की तलछटीय चट्टानों की मोटाई पर आंकड़े एकत्र करने के बाद ही वास्तविक प्राप्ति की जानकारी होगी।

(ग) महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं पर दावे वर्ष 2001 के अन्त तक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का कार्यक्रम है।

दोषसिद्धि

3220. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पूरे देश में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, कीटनाशी अधिनियम और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम इत्यादि के अंतर्गत दोषसिद्धि के कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) देश में वर्तमान समय में कुल कितनी केन्द्रीय प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम

और औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत देशभर में दोषसिद्ध हुए व्यक्तियों के मामले में अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-I पर दी गई है। कीटनाशी अधिनियम से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण-II पर है।

(ख) देश में वर्तमान में कार्यरत केन्द्रीय प्रयोगशालाओं की कुल संख्या इस प्रकार है:-

1. केन्द्रीय औषध प्रयोगशालाएं — 5

2. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं — 4

3. केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला — 1

4. क्षेत्रीय नाशकजीवमार जांच प्रयोगशालाएं — 2

(ग) सरकार ने गुवाहाटी, हैदराबाद और चंडीगढ़ में तीन और क्षेत्रीय औषध जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। नयी केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत 1995-96; 1996-97; 1997-98 की अवधि के दौरान चलाए गए मुकदमों; निर्णीत मामलों, जुर्माना सहित अथवा बगैर जुर्माने के दोषसिद्ध, केवल जुर्माना किए गए और दोषमुक्त मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष 1995-96 की संख्या					वर्ष 1996-97 की संख्या					वर्ष 1997-98 की संख्या				
पी	सीडी	सी	एफ	ए	पी	सीडी	सी	एफ	ए	पी	सीडी	सी	एफ	ए
503	248	247	181	67	631	293	37	78	129	504	156	82	25	56

पी — चलाए गए मुकदमों के लिए है।
सी डी — पहचाने गए मामले
सी — जुर्माने सहित या बगैर जुर्माने के दोषसिद्ध
एफ — केवल जुर्माना किए गए
ए — दोषमुक्त

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत दोषसिद्ध मामलों की संख्या

वर्ष		मामलों की संख्या
1995	—	1726
1996	—	1576
1997	—	1564 (अनन्तिम)

विवरण-II

गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्थाएं

1997-2000 के दौरान राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की सांख्यिकी

क्र.सं.	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	16	50	1	1	248	182	26	32	44	31	20	14	39	41	12
2.	असम	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	गुजरात	1	26	1	—	4	1	28	132	3	15	31	11	21	22	2
4.	हरियाणा	—	2	1	—	—	—	—	185	41	—	—	—	—	6	—
5.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	7	7	—	—	—	—	—	—
6.	कर्नाटक	13	19	—	12	1	—	28	23	—	—	—	—	—	—	—
7.	केरल	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	मध्य प्रदेश	11	26	—	29	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
9.	महाराष्ट्र	9	—	3	341	44	—	8	16	—	1	—	—	—	—	—
10.	पंजाब	—	3	—	150	102	—	11	5	—	—	—	—	—	—	—
11.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	40	48	—	—	—	—	—	—	—
12.	तमिलनाडु	39	73	20	—	—	—	19	13	2	10	10	—	7	3	—
13.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	37	75	5	—	9	—	—	—	—
14.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
15.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29.	दमण और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. ये सूचनाएं राज्य की रिपोर्टों पर आधारित हैं।
2. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।
3. 7.12.99 तक।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु जारी अध्यादेश

3221. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु जारी अध्यादेशों के विरुद्ध कुछ सामाजिक संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) ऐसी कोई घटना इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तम्बाकू उत्पादों हेतु संहिता

3222. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :
श्रीमती कान्ति सिंह :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की तम्बाकू कंपनियां भारतीय तम्बाकू उत्पादों के चिन्हांकन हेतु निर्धारित स्वैच्छिक और स्व-नियामक संहिता का पालन नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में तम्बाकू कम्पनियां विदेशों में छपी रहने वाली चेतावनी "तम्बाकू उत्पाद अवयस्कों के लिए नहीं हैं" को संहिताबद्ध नहीं कराती हैं; और

(घ) यदि हां, तो सभी तम्बाकू विनिर्माता कंपनियों को ये निर्देश जारी करने के लिए सरकार क्या प्रयास करने वाली है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) सिगरेट (उत्पादन, आपूर्ति और संवितरण का विनियमन) अधिनियम, 1975 के अनुसार सिगरेट के विनिर्माताओं और सिगरेट के व्यापार में लगे व्यक्तियों को बिक्री हेतु रखे जाने वाले सिगरेट के सभी कार्टनों/पैकटों पर एक सांविधिक चेतावनी "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना जरूरी होता है। एक ऐसी ही चेतावनी सभी विज्ञापनों पर भी प्रदर्शित करनी अपेक्षित है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अधीन खाने के तम्बाकू के हर पैकट पर "तम्बाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" चेतावनी लिखना अनिवार्य कर दिया गया है।

[हिन्दी]

बिंदापुर में प्लाटों की नीलामी

3223. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बिंदापुर (द्वारका) में प्लाटों की नीलामी की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने प्लाटों की नीलामी की गई;

(ग) 31 अक्तूबर, 1999 की स्थिति के अनुसार कितने लोगों को कब्जा मिल गया है;

(घ) क्या बिंदापुर, द्वारका में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) वहां ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हां। नीलाम किए गए प्लाटों की संख्या निम्नलिखित अनुसार है:–

1996-97	–	28
1997-98	–	शून्य
1998-99	–	शून्य

(ग) 31.10.1999 तक 28 में से 14 व्यक्तियों ने प्लाटों का वास्तविक रूप से कब्जा ले लिया है।

(घ) और (ङ) उपलब्ध कराई गई सेवाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(1) *जल आपूर्ति* : दिल्ली जल बोर्ड से पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण नल-कूपों के जरिये जल आपूर्ति करने की अन्तरिम व्यवस्था की गई है।

(2) *सीवरेज* : दिल्ली जल बोर्ड से सीवेज निपटान की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण सीवेज निपटान हेतु आक्सीडेशन पाण्ड के रूप में अन्तरिम व्यवस्था की गई है।

(3) *सड़क और बिजली* : उपलब्ध।

(च) इसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती, चूंकि यह दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.) पर भी निर्भर करता है।

[अनुवाद]

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम

3224. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के सभी ब्लाकों में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रमों का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इनके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार विशेष अवधि के लिए चक्रवात से प्रभावित हुए बच्चों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं। तथापि, चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में हाल ही में दो परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आपदा प्रबंधन उपाय

3225. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी बड़ी आपदा आने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन उपायों और चिकित्सा सहायता आदि मुहैया कराने में कमी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन उपायों को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) कृषि मंत्रालय प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न होने वाली संकट पूर्ण स्थिति से निपटने के लिए नोडल मंत्रालय है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय संकट प्रबंधन समूह के सदस्यों में से एक सदस्य है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है और आपदा प्रबंधन राज्य प्राधिकारियों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आपदाओं के स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी प्रभावों से निपटने में राज्यों को तकनीकी सहायता और कार्मिक शक्ति मुहैया कराता है।

स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

(1) सूखे और बाढ़ से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने की दृष्टि से आकस्मिकता योजनाएं मानसून-पूर्व अवधि में सभी राज्यों को परिचालित कर दी जाती हैं ताकि वे उच्चतम स्तरीय तैयारी के लिए अपने को सज्जित कर सकें तथा अपनी उत्तरकारिता क्षमता में सुधार कर सकें।

(2) करनाल, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता और गुवाहाटी स्थित केंद्र सरकार के चिकित्सा सामग्री भंडारों की संभार तंत्रीय सहायता, अनिवार्य औषधियां तथा अन्य चिकित्सीय सप्लाइयां मुहैया कराने हेतु तैयार रखा जाता है।

(3) केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली की वैक्सीनों की सप्लाई करने के लिए चौकस रखा जाता है।

(4) आपदा प्रभावित राज्यों में राहत संबंधी प्रयत्नों का जायजा लेने एवं उपयुक्त उपायों की अनुशंसा करने के लिए संकटकालीन स्थितियों की अवधि में केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत संकट प्रबन्धन समूह की बैठक होती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने हेतु आपदा प्रबंधन योजना कायम है और जरूरत पड़ते ही उन्नत कर दी जाती है।

इण्डोर स्पोर्ट्स स्टेडियम

3226. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में हासन और होलनरसीपुर में इण्डोर स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव अनुमति के लिए लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमति मिल जाने की संभावना है?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (ग) चूंकि हासन में इण्डोर स्टेडियम से संबंधित प्रस्ताव में कमियां पाई गई थीं, इसलिए राज्य सरकार को, इन कमियों को दूर करने की सलाह दी गई थी। कर्नाटक सरकार से अभी तक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

2. होलनरसीपुर में तालुक-स्तरीय स्टेडियम के निर्माण से संबंधित परियोजना को (केन्द्रीय सहायता से) दिसम्बर, 1993 में अनुमोदित किया गया था।

आवासीय विद्यालय/शिक्षण संस्थाओं को सहायता

3227. श्री बी.बी.एन. रेड्डी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं के निर्माण हेतु सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की दर में वृद्धि तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु प्राथमिक शिक्षा पर 50 प्रतिशत व्यय हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना दिनांक 1.10.1995 से छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन किया गया। पहली कक्षा के लिए अत्यंत कम साक्षरता वाले स्तरों में अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम के लिए आवासीय स्कूलों को चलाने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत तथा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर की योजना के अंतर्गत सरकार 100% व्यय वहन करती है। कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आवासीय स्कूल चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को भी 90% सहायता अनुदान प्रदान किए जाते हैं। आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 50% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए होस्टलों के

निर्माण हेतु निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत 50% केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है:-

- अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टल।
- अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल।
- अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल।
- अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल।

असम में ऐतिहासिक स्थल

3228. श्रीमती रानी नरह : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम, अरूणाचल प्रदेश और मणिपुर में ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का विवरण क्या है जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान विविध प्रकार का उत्खनन कार्य किया गया है;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन स्थलों के संरक्षण के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के सत्रों में श्री श्री सूर्य पहार स्थल, जिला गोलपारा, असम (किसी समय श्री श्री सूर्जय पहार या सूर्य पहार के रूप में भी संदर्भित) में उत्खनन जारी रखा है। इस अवधि के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अरूणाचल प्रदेश और मेघालय में किसी उत्खनन का संचालन नहीं किया गया।

(ख) और (ग) जिला गोलपारा, असम में श्री श्री सूर्य पहार स्थल का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन का कार्यकरण

3229. श्री जे.एस. बराड़ :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 नवम्बर, 1999 को ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''डी.डी. शुड्न्ट बी मिसयूज्ड बाई गवर्नमेंट रिइटरेट्स जेटली'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में खामियों को दूर करने हेतु उपायों पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन उपायों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) 20 नवम्बर, 1999 को एफ.आई.सी.सी.आई. द्वारा आयोजित ''मीडिया एण्ड इट्स इम्पैक्ट ऑन डिफ्रेन्ट डायमेन्सन ऑफ लाइफ'' पर पैनल परिचर्चा के दौरान यह उल्लेख किया गया था कि मीडिया को पक्षपातपूर्ण नियंत्रण से मुक्त रखा जाना चाहिए।

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत गठित सांविधिक निगम, प्रसार भारती के अधीन कार्य करते हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि

2330. श्री अधीर चौधरी :
श्री जी. पुट्टा स्वामी गौड़ा :
श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री जी.एम. बनातवाला :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार मदरसों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी राशि जारी की गई;

(ग) धनराशि के उपयोग के लिए क्या निगरानी तंत्र की व्यवस्था की गयी है;

(घ) क्या राशि के दुरूपयोग संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना मंगाई जा रही है।

(ख) मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों को दर्शानेवाला वर्षवार और राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) निधियों के उपयोग के मानीटरन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अनुदान के विषय में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। पहले जारी किए गए अनुदानों के विषय में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाने के बाद ही आगामी वर्षों के लिए अनुदान जारी किए जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	1996-97 के दौरान जारी धनराशि	1997-98 के दौरान जारी धनराशि	1998-99 के दौरान जारी धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10.95	0.31	30.24
2.	असम	8.37	शून्य	156.24
3.	बिहार	44.38	12.67	शून्य
4.	चंडीगढ़	0.30	शून्य	शून्य
5.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	0.72
6.	गोवा	शून्य	शून्य	1.44
7.	हरियाणा	7.40	शून्य	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	0.61	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	38.88
10.	उड़ीसा	शून्य	1.83	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	शून्य	24.43	96.84
12.	महाराष्ट्र	1.82	1.59	2.16
13.	कर्नाटक	2.38	19.98	शून्य
14.	राजस्थान	11.26	13.71	17.84

1	2	3	4	5
15.	सिक्किम	0.26	0.26	0.72
16.	त्रिपुरा	37.65	शून्य	79.25
17.	उत्तर प्रदेश	91.61	78.84	249.52
18.	पश्चिम बंगाल	24.77	19.04	शून्य
	कुल	241.15	173.26	673.85

उड़ीसा में औषधीय गुणों वाले पादप

3231. श्री भर्तृहरि महताब : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में औषधीय गुणों वाले पादपों के संरक्षण और विकास हेतु किसी परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी; और

(घ) उक्त परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा"): (क) से (घ) उड़ीसा में औषधीय गुणों वाले पादपों के संरक्षण एवं विकास के लिए कोई विशेष परियोजना नहीं है। तथापि, कुछ केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग/संस्थान औषधीय गुणों वाले पादपों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहे हैं। इनमें संरक्षण, सूक्ष्मप्रवर्धन, कृषि-प्रौद्योगिकियों का विकास और साथ ही साथ चुनिन्दा औषधीय गुणों वाले पादपों का आनुवंशिक सुधार शामिल है। केन्द्रीय औषधीय एवं सुगन्धित पादप संस्थान (सी.आई.एम.ए.पी.), लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा स्थापित जीन बैंक उड़ीसा राज्य की, महत्वपूर्ण औषधीय गुणों वाले एवं सुगंधित पादपों के सर्वेक्षण, संग्रहण तथा संरक्षण से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर.आर.एल.), भुवनेश्वर में पामरोजा (सिम्बोपोगान मार्टिनाई) और लेमन ग्रास (सिम्बोपोगान फ्लेक्सुओसस) में लवण-सह्यता को इन-विट्रो उत्प्रेरण संबंधी एक परियोजना भी बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

जनजातियों को सहायता

3232. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों से सम्बद्ध आवासीय स्कूलों और शिक्षा संस्थानों को सहायता देने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को प्राथमिक शिक्षा देने और ऐसे स्कूलों का निर्माण और रखरखाव करने के लिए आने वाली लागत की 50% धनराशि देने का है; और

(ग) मैट्रिक के बाद दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दर को बढ़ाने और केन्द्र सरकार द्वारा व्यय का 50% वहन करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) पहली कक्षा के लिए अत्यंत कम साक्षरता वाले स्तरों में अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम के लिए आवासीय स्कूलों को चलाने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत तथा कक्षा 1 से 5 तक आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर की योजना के अंतर्गत सरकार 100% व्यय वहन करती है। कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आवासीय स्कूल चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को भी 90% सहायता अनुदान प्रदान किए जाते हैं। आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 50% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित

जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत 50% केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है:-

- अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टल।
- अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल।
- अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल।
- अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल।

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत दिनांक 1.10.1995 से छात्रवृत्ति की दरें संशोधित की गई। भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनकी वचनबद्ध देयता के अतिरिक्त 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में वचनबद्ध देयता को समाप्त कर दिया गया है।

बंगलों में परिवर्तन

3233. श्री रामसागर रावत : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 जुलाई, 1999 को "द इंडियन एक्सप्रेस" में "कांग्रेस, बीजेपी, थ्रो ल्यूटियन्स गाइडलाइन्स आऊट ऑफ विन्डों" शीर्षक से प्रकाशित खबर की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित खबर के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या वर्तमान भवन में परिवर्तन किया जाना अनुमति सम्मत है और इसलिए पहले से विद्यमान मूल भवन में कोई अतिरिक्त कमरा बनाये जाने की अनुमति नहीं होती है;

(घ) यदि हां, तो 24 अकबर रोड, 11-अशोक रोड और ल्यूटियन्स जोन के अन्य बंगलों में स्थित मूल भवनों में बंगलावार कितने वर्ग मीटर के भवनों के निर्माण किए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) समाचार मद में, परिसर सं. 11 अशोका रोड और 24, अकबर रोड, नई दिल्ली में अनधिकृत निर्माण के बारे में उल्लेख है। एन.डी.एम.सी. द्वारा इन परिसरों का सर्वेक्षण किया गया और इन दोनों बंगलों में अनधिकृत परिवर्द्धन पाया गया।

(ग) एल.बी.जेड. क्षेत्र (डी जोन) में मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन/परिवर्तन कुछ शर्तों के तहत अनुमत्य है।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा यथा सूचित ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III के अनुसार है।

(ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि आवंटियों द्वारा किए गए अनधिकृत परिवर्द्धन/परिवर्तन की सूचना लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय तथा संपदा निदेशालय को दे दी गई है।

विवरण-I

के.लो.नि.वि. द्वारा मंत्री बंगलों में दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए परिवर्द्धन

क्र.सं.	बंगला संख्या	विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1	2	3	4
1.	7. के.एम. मार्ग	कार्यालय वास	18 वर्ग मीटर
2.	10. के.एम. मार्ग	-वही-	18 वर्ग मीटर
3.	6 एम.एल.एन. प्लेस	-वही-	18 वर्ग मीटर
4.	37 ए.जेड. रोड	-वही-	40 वर्ग मीटर

1	2	3	4
5.	22 तुगलक क्रिसेंट	कार्यालय वास	40 वर्ग मीटर
6.	3 साउथ एवेन्यू लेन	अस्थायी ढांचा	293.12 वर्ग मीटर
7.	1 तीन मूर्ति मार्ग	-वही-	347.57 वर्ग मीटर
8.	1 तीन मूर्ति मार्ग	-वही-	139.30 वर्ग मीटर
9.	5-एस.जे. लेन	कार्यालय वास	257.09 वर्ग मीटर
10.	10 जनपथ	अस्थायी ढांचा	87.20 वर्ग मीटर
11.	35 लोधी एस्टेट	-वही-	49.08 वर्ग मीटर
12.	35 लोधी एस्टेट	कार शेड	140.56 वर्ग मीटर
13.	35 लोधी एस्टेट	-वही-	29.88 वर्ग मीटर
14.	44 लोधी एस्टेट	शौचालय	5.00 वर्ग मीटर
15.	4 लोधी एस्टेट	-वही-	5.00 वर्ग मीटर
16.	61 लोधी एस्टेट	-वही-	5.00 वर्ग मीटर
17.	61 लोधी एस्टेट	कार्यालय ब्लॉक	46.45 वर्ग मीटर
18.	61 लोधी एस्टेट	रिहायशी वास	21.00 वर्ग मीटर
19.	6 कुशक रोड	कार्यालय ब्लॉक	46.45 वर्ग मीटर
20.	जी.आर.जी. रोड	कार्यालय ब्लॉक	46.45 वर्ग मीटर
21.	सी-1/5 पंडारा पार्क	कार्यालय ब्लॉक	28.00 वर्ग मीटर
22.	5 बी.डी. मार्ग	गेस्ट रूम	22.00 वर्ग मीटर
23.	12 एस.जे. रोड	डाइनिंग का विस्तार	22.00 वर्ग मीटर
24.	5 जनपथ	एस.पी.जी. स्टाफ वाहनों के लिए कार शेड	135.04 वर्ग मीटर
25.	5 जनपथ	-वही-	125.00 वर्ग मीटर
26.	10 जनपथ	कार शेड	95.62 वर्ग मीटर
27.	9 एम.एल.एन. मार्ग	एस.पी.जी. के लिए कार शेड	165.83 वर्ग मीटर
28.	9 एम.एल.एन. मार्ग	कार शेड	140.56 वर्ग मीटर
29.	6 एम.एल.एन. मार्ग	डब्ल्यू.सी. बाथ	4.00 वर्ग मीटर
30.	4 एम.एल.एन. मार्ग	-वही-	4.00 वर्ग मीटर

1	2	3	4
31.	30 तुगलक क्रिसेंट	डब्ल्यू.सी. बाथ	4.00 वर्ग मीटर
32.	10 ए.बी. राजाजी मार्ग	-वही-	4.00 वर्ग मीटर
33.	9 जनपथ	-वही-	4.00 वर्ग मीटर
34.	5 टी.एम. मार्ग	-वही-	4.00 वर्ग मीटर
35.	1 त्याग राज रोड	शौचालय	5.00 वर्ग मीटर
36.	23 तुगलक रोड	शौचालय	5.00 वर्ग मीटर

विवरण-II

संसद सदस्यों के बंगलों में परिवर्द्धन

क्र.सं.	बंगला नं.	कार्य की प्रकृति
1	2	3
1.	7 पी.पी. मार्ग	संतरी पोस्ट
2.	6 एम.डी. रोड	गार्ड रूम, फ्रिस्किंग शेड, संतरी पोस्ट
3.	9 बी.डी. मार्ग	गार्ड रूम, फ्रिस्किंग शेड, संतरी पोस्ट
4.	3 एम.डी. रोड	गार्ड रूम, फ्रिस्किंग शेड, संतरी पोस्ट, विकेट गेट
5.	11 एम.डी. रोड	गार्ड रूम, फ्रिस्किंग शेड, संतरी पोस्ट, विकेट गेट
6.	6 जी.आर.जी. रोड	गार्ड रूम, फ्रिस्किंग शेड, संतरी पोस्ट, विकेट गेट
7.	7 डुप्लेक्स लेन	गार्ड रूम, फ्रिस्किंग शेड, संतरी पोस्ट, विकेट गेट
8.	4 एम.डी. रोड	गार्ड रूम, फ्रिस्किंग शेड, संतरी पोस्ट, विकेट गेट
9.	13 जी.आर.जी. रोड	गार्ड रूम, फ्रिस्किंग शेड, संतरी पोस्ट, विकेट गेट
10.	10 टी.के. रोड	गार्ड रूम, फ्रिस्किंग शेड, संतरी पोस्ट, विकेट गेट
11.	10 अकबर रोड	पी/एफ संतरी पोस्ट
12.	14 टी.वी. रोड	पी/एफ संतरी पोस्ट
13.	9 बी.डी. मार्ग	1. शिफ्टिंग आफ मेन
14.	10 अकबर रोड	1. फ्रिस्किंग शेड की मरम्मत
		2. संतरी बॉक्स मुहैया कराना
15.	8 टी.एम. लेन	पी/एफ बम्बू जाफरी

1	2	3
16.	20 अकबर रोड	पी/एफ फ्रिस्किंग शेड, संतरी पोस्ट और फ्रिस्किंग शेड के लिए प्लेटफार्म
17.	18 जी.आर.जी. रोड	पी/एफ गार्ड, फ्रिस्किंग शेड, संतरी पोस्ट और चारदीवारी उठाना
18.	13 टी.के. रोड	पी/एफ गार्ड
19.	19 टी.एम. लेन	गार्ड रूम मुहैया कराने और फिक्स करना
20.	14 सी.के. रोड	कार्यालय केबिन की मरम्मत
21.	4 जनपथ	गार्ड रूम, संतरी पोस्ट
22.	3 तुगलक लेन	गार्ड रूम-3, पी.एस.ओ. शेड, संतरी पोस्ट-2
23.	33 ए.जेड. रोड	गार्ड रूम, संतरी पोस्ट
24.	11 अशोका रोड	संतरी पोस्ट-3
25.	24 आर.पी. रोड	पी.एस.ओ. शेड
26.	21 जनपथ	पी.एस.ओ. शेड-1
27.	23 बी.आर.एम. लेन	संतरी पोस्ट-1
28.	ए.बी.-13, मथुरा रोड	संतरी पोस्ट-1, फ्रिस्किंग शेड-1
29.	2 जन्तर-मन्तर रोड	संतरी पोस्ट-1
30.	7 बी जनपथ	संतरी पोस्ट-1, फ्रिस्किंग शेड-1, गार्ड रूम-1
31.	34 औरंगजैब रोड	गार्ड रूम-1, संतरी पोस्ट-2, फ्रिस्किंग शेड-1
32.	42 अशोका रोड	गार्ड रूम-1, संतरी पोस्ट-1, फ्रिस्किंग शेड-1, कांटे के तार लगाना
33.	21 केनिंग लेन	गार्ड रूम-1, संतरी पोस्ट-1, फ्रिस्किंग शेड-1
34.	65 लोधी एस्टेट	गार्ड रूम-1
35.	76 लोधी एस्टेट	गार्ड रूम-1, संतरी पोस्ट-1, फ्रिस्किंग शेड-1

विवरण-III

मु.ई. (नई दिल्ली अंचल) 1 के तहत बंगलों में वासियों द्वारा किया गया अनधिकृत निर्माण

क्र.सं.	बंगला सं.	निर्माण स्वरूप	निर्माण क्षेत्रफल	संदर्भ, जिसके द्वारा संबंधित प्राधिकारी को सूचित किया
1	2	3	4	5
1.	एबी-16 मथुरा रोड	भूतल तथा पहले तल में कमरा	-	24/912/पीडब्ल्यूडी/1/डब्ल्यू1/243 दिनांक 15.1.97 तथा 24912/पीडब्ल्यूडी1/डब्लूआई/413 दिनांक 20.10.97

1	2	3	4	5
2.	सी-1/20, पंडारा पार्क	भूतल में कमरा तथा पहले तल में अतिरिक्त शौचालय	-	24/576/पीडब्लूडी 1/ डब्लूआई/977/4094 दिनांक 6.10.97
3.	20, केनिंग लेन	तीन कमरों और एक शेड का निर्माण	-	24/496/पीडब्लूडी 1/ डब्लूआई/2887 दिनांक 26.7.97 (हिन्दी)
4.	16 सी, एफ. शाह रोड	अस्थायी शेड का निर्माण	-	24/284/पीडब्लूडी1/डब्लूआई/ 180 दिनांक 9.6.98
5.	24-अकबर रोड	अतिरिक्त कार्यालय निर्माण और बंगले का विस्तार	1050 व.मी.	24/65/93-डीसीसी- 11/पीडब्लूडी1/2917 दिनांक 13.8.93
6.	26-अकबर रोड	अतिरिक्त कार्यालय निर्माण	-	24/1148/95/पीडब्लूडी1/ डब्लूआई/1301 दिनांक 1.5.95
7.	सी-1/19 हुमायूं रोड	रसोई के ऊपर अतिरिक्त निर्माण	-	24/869/96/पीडब्लू डी 1/डब्लू आई/4571 दिनांक 13.12.96
8.	सी-1/11 हुमायूं रोड	अतिरिक्त कमरा	-	24/1030/पीडब्लूडी 1/ डब्लूआई/2936 दिनांक 1.8.96
9.	11-जनपथ	दो अस्थायी शेड का निर्माण	-	24/524/पीडब्लूडी1/डब्लूआई/ 1513 दिनांक 14.5.96
10.	64-लोधी एस्टेट	शेड का निर्माण	-	24/369/96/पीडब्लूडी1/ डब्लूआई/4184 दिनांक 14.11.96
11.	5, तुगलक लेन	दो शेड और एक अस्थाई कार्यालय निर्माण	-	24/1246/96/पीडब्लूडी/ डब्लूआई/2759 दिनांक 19.7.96
12.	29, लोधी एस्टेट	बंगले से संबद्ध कमरे का निर्माण	-	24/1236/96-पीडब्लूडी/ डब्लूआई/4464 दिनांक 5.12.96
13.	28, अकबर रोड	एक गार्ड कक्ष और एक शौचालय	-	24/550/95/पीडब्लूडी 1/ डब्लूआई/588 दिनांक 23.5.95
14.	81, लोधी एस्टेट	-	-	-

1	2	3	4	5
15.	11, लोधी एस्टेट	दो शेड और दो अतिरिक्त शौचालय	–	24/542/पीडब्लूडी1/डब्लू आई/2104 दिनांक 24.8.98
16.	8, एम एल एन मार्ग	शेड निर्माण	–	24/542/पीडब्लूडी 1/डब्ल्यू 1/2103 दिनांक 24/6/98
17.	82, लोदी एस्टेट	दो कमरें और एक डायनिंग रूम का निर्माण	–	रिपोर्ट भेजी जा रही है।
18.	6 जी.आर.जी. रोड	एक कमरा	–	–
19.	7 जी.आर.जी. रोड	परिवर्तन	–	–
20.	20 एम.डी. रोड	एक कमरा		24(996) 20मी रोड/पीडब्लूडी-1 दिनांक 6.8.95
21.	14 टी.के. रोड	एक कमरा		
22.	4 एस.जे. लेन	टेम्प. आफिस रूम	–	23(36)ईई/पीडब्ल्यूडी-3/4 दिनांक 3.1.95
23.	2 डुपलेक्स लेन	आफिस ब्लाक, बेड रूम	–	सीई(एनडीजेड)1/लेटर नं. 1/87 डब्ल्यू आई(सी) दिनांक 4.1.87
24.	3 एम.एल.एन. मार्ग	शेड का निर्माण	45.52 वर्ग मीटर	–
25.	97 लोधी एस्टेट	अतिरिक्त स्थाई कमरा	–	–
26.	23 बी आर.एम. लेन	अस्थाई कार शेड	44.00 वर्ग मी.	–
27.	15 बी.आर.एम. लेन	अस्थाई कार्यालय ब्लाक	157.00 वर्ग मी.	–
28.	7 बी.आर.एम. लेन	अस्थाई शौचालय	45.00 वर्ग मी.	–
29.	18-एबी, मथुरा रोड	स्थाई ढांचा जैसे कार्यालय ब्लाक, अतिरिक्त कमरे, शौचालय	265.00 वर्ग मी	–
30.	2, जंतर मंतर रोड	अस्थाई कमरा और शौचालय	31.00 वर्ग मी.	–

1	2	3	4	5
31.	34, औरंगजेब रोड	स्थाई एक कमरा	33.00 वर्ग मीटर	-
32.	16, अशोक रोड	अतिक्रमण	30.00 वर्ग मीटर	-
33.	23, केनिंग लेन	बाथरूम	3×2.6 वर्ग मीटर	-
34.	14 डी, एफ. शाह रोड	टीन शेड और बरामदे में अतिक्रमण	60.00 वर्ग मीटर	-
35.	11, अशोक रोड	कार्यालय ब्लाक के लिए पार्टिशन	815.00 वर्ग मीटर	-
36.	एबी-87 शाहजहां रोड	अस्थाई रोड	28.00 वर्ग मीटर	-
37.	9, एच.सी.एम. लेन	बाथरूम	3.00 वर्ग मीटर	-
38.	26 जी.आर.जी. रोड	पोर्टेबल कार्यालय	22.00 वर्ग मीटर	-
39.	28, एम.डी. रोड	एक कमरा और शौचालय आगरा स्टोन छत सहित पक्की दीवार	18.00 वर्ग मीटर	-
40.	8, टी.के. रोड	पोर्टेबल कार्यालय ब्लाक	20.00 वर्ग मीटर	-
41.	2, बी.डी. रोड	कार्यालय ब्लाक आगरा स्टोन छत सहित पक्की दीवार	20.00 वर्ग मीटर	-
42.	11, ए.पी.पी. रोड	दो कमरे और शौचालय आगरा स्टोन छत सहित पक्की दीवार	22.00 वर्ग मीटर	-
43.	1, टी.एम. लेन	पीछे का बरामदा कवर करना	28.00 वर्ग मीटर	-
44.	2, के.आर. लेन	अस्थाई पॉर्च फ्रंट	8.00 वर्ग मीटर	-
45.	5, एस.ए. लेन	अस्थाई कार्यालय ब्लाक	20.00 वर्ग मीटर	-

[हिन्दी]

दिल्ली में सामुदायिक भवन

3234. डा. बलिराम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मौजूदा सामुदायिक भवनों/बारात घरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार राजधानी में विशेषकर गोल मार्किट और भारत नगर क्षेत्रों में चालू वर्ष के दौरान सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) इसे कब तक बनाए जाने की उम्मीद है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) राजधानी में विभिन्न प्राधिकरणों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मौजूदा कम्युनिटी हाल/बारात घरों की संख्या इस प्रकार है:-

(1) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	27
(2) दिल्ली नगर निगम	109
(3) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	24
(4) दिल्ली विकास प्राधिकरण	32
(5) दिल्ली छावनी बोर्ड	1

(ख) चालू वर्ष के दौरान गोल मार्किट और भारत नगर क्षेत्र में सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के आलोक में प्रश्न नहीं उठते।

विज्ञान शिक्षा के लिए सहायता

3235. चौधरी तेजवीर सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विज्ञान की शिक्षा और अनुसंधान कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि और सहायता उपलब्ध नहीं करा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आज तक उक्त गतिविधियों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) अभी तक इन पर वास्तव में कितना खर्च हुआ है;

(घ) क्या सरकार का उक्त गतिविधियों के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ङ) केन्द्रीय प्रायोजित योजना ''स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार'' के अंतर्गत देश में विज्ञान शिक्षा की प्रोन्नति के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और स्वैच्छिक संगठनों की अनुदान हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 240 करोड़ रु. का आवंटन उपलब्ध है।

निम्नलिखित सारणी में आज तक की स्थिति के अनुसार योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों और वास्तविक व्यय के संबंध में स्थिति दर्शाई गई है:-

(रु. लाखों में)

	1996-97	1997-98	1998-99
शिक्षा विभाग द्वारा आवंटित निधियां	1530.55	293.71	510.51
राज्यो/संघ शासित प्रदेशों/ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया गया वास्तविक व्यय	1278.77	281.46	224.52

मध्य प्रदेश में एल.पी.टी./एच.पी.टी.

3236. श्री कांतिलाल भूरिया :
श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग विशेषकर मध्य प्रदेश के झाबुआ और बिलासपुर जिलों में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के कारण डी.डी.-1 तथा डी.डी.-2 द्वारा प्रसारित कार्यक्रम नहीं देख पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में परिवर्तित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) झाबुआ और बिलासपुर जिलों में स्थित मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। इन अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश में गुना, शहडोल, अम्बिकापुर और भोपाल में एक-एक अर्थात् चार उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों को मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के स्थान पर स्थापित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निधियों का आवंटन

3237. **श्री अर्जुन सेठी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम के बारे में 15 दिसम्बर, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2551 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु राज्य वित्त एवं विकास निगम को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा के राज्य वित्त एवं विकास निगम द्वारा उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख उड़ीसा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त सहकारी निगम लिमिटेड को आबंटित राशि तथा इसके द्वारा उपयोग की गई धनराशि इस प्रकार है:-

(रुपए लाख में)

वर्ष	आवंटित राशि	उपयोग की गई राशि
1996-97	शून्य	शून्य
1997-98	441.44	279.51
1998-99	954.69	804.99
कुल	1396.13	1084.50

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को भूमि

3238. **श्री के. मुरलीधरन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूमिहीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को भूमि उपलब्ध कराने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को भूमि का वितरण तीन भिन्न योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है। इन योजनाओं के अंतर्गत उनके शुरू होने से मार्च, 1999 तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को वितरित की गई भूमि की सीमा नीचे दी गई है:-

(1) अधिकतम अतिरिक्त भूमि का वितरण

सम्पूर्ण भारत	24.44 लाख एकड़
केरल	30,836 एकड़

(2) भूदान भूमि

सम्पूर्ण भारत	21.75 लाख एकड़
केरल	2000 एकड़

(3) सरकारी परती भूमि

सम्पूर्ण भारत	147.44 लाख एकड़
केरल	4.57 लाख एकड़

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

असम चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन

3239. **श्री पवन सिंह घाटोवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार डिब्रूगढ़ स्थित चिकित्सा महाविद्यालय को स्नातकोत्तर चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में उन्नयन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण केन्द्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण योजना

3240. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कैंसर रोगियों के उपचार हेतु राज्य-वार कुल कितनी राशि व्यय की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हाँ।

(ख) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों और पंजीकृत सोसायटियों/पूर्व संस्थाओं को निधियां उपलब्ध रहने की स्थिति में राज्य सरकार की सिफारिशों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पांच योजनाएं इस प्रकार हैं:

(1) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों का विकास।

(2) चिकित्सा कॉलेजों में ऑन्कोलाजी स्कंध का विकास।

(3) कोवाल्ट थिरेपी यूनिट की संस्थापना।

(4) जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम।

(5) स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए योजनाएं-स्वास्थ्य शिक्षा और कैंसर के क्षेत्र में शीघ्र पहचान कार्यकलाप चलाने हेतु।

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की गई निधियों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	50.00	205.00	282.50
2.	असम	-	47.00	-
3.	बिहार	-	100.00	30.00
4.	गुजरात	90.00	175.00	78.30
5.	हरियाणा	-	105.00	-
6.	जम्मू और कश्मीर	-	-	150.00
7.	कर्नाटक	50.00	77.00	82.50
8.	केरल	50.00	225.00	252.65
9.	मध्य प्रदेश	95.00	77.00	67.50
10.	महाराष्ट्र	130.00	-	75.00
11.	उड़ीसा	80.00	272.50	82.50
12.	पंजाब	-	-	149.00
13.	राजस्थान	-	100.00	300.00
14.	तमिलनाडु	256.00	82.50	86.00
15.	उत्तर प्रदेश	140.00	50.00	82.50
16.	पश्चिम बंगाल	150.00	150.00	460.00
17.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली [आईआरसीएच (एम्स) सहित]	410.00	320.00	770.00

रैबिज के घटिया टीके

3241. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अप्रैल, 1999 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सब-स्टैन्डर्ड रेबीज वैक्सीन अफैक्ट्स गवर्नमेंट हॉस्पीटल पेशेन्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रेबीज रोधी वैक्सीन का प्रयोग राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा "मानक गुणवत्ता" वाली घोषित किए जाने के बाद रेबीज रोधी उपचार केन्द्रों द्वारा किया जाता है। मेष

मस्तिष्क रेबीज रोधी वैक्सीन का छठा अथवा सातवां इन्जेक्शन दिए जाने के बाद 1:10,000 मामलों में तंत्रिका घातज प्रति क्रियाएं जैसे गंभीर आनुषंगिक प्रभाव होने की जानकारी मिलती है।

[हिन्दी]

शिक्षा के अवसर

3242. डा. अशोक पटेल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस ने भारतीयों के लिए शिक्षा के अवसरों को आसानी से उपलब्ध कराने हेतु भारत में एजु-फ्रांस की पांच शाखाएं खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) भारत सरकार को भारत में फ्रांस द्वारा एजु-फ्रांस की पांच शाखाएं खोलने के किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

राजकीय पोलिटेक्निक

3243. श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में राज्य-वार कितने राजकीय पालिटेक्निकों का विश्व बैंक की सहायता से आधुनिकीकरण और उन्नयन किया गया है;

(ख) विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है और अब तक इस संबंध में राज्य-वार कितना व्यय किया गया है; और

(ग) विश्व बैंक की सहायता से प्रत्येक राज्य में कितने शिक्षण अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निकों में कुल 5378 प्रयोगशालाओं का विश्व बैंक सहायता प्राप्त तकनीशियन शिक्षा परियोजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण किया गया था। इसमें आंध्र प्रदेश में आधुनिकीकृत की गई 896 प्रयोगशालाएं शामिल हैं। राज्यवार आधुनिकीकृत की गई प्रयोगशालाओं की संख्या संलग्न विवरण I में दी गई हैं।

(ख) विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त कुल राशि का सभी परियोजना राज्यों द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया है। राज्यों द्वारा आबंटित व उपयोग की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) परियोजना के अंतर्गत कोई शिक्षण अनुसंधान केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं। परियोजना के अंतर्गत 21 शिक्षण संसाधन विकास केन्द्र और 502 शिक्षण संसाधन उपयोगिता केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

विवरण I

		आधुनिकीकरण की गयी प्रयोगशालाओं की संख्या
पहली परियोजना		
1.	बिहार	210
2.	गोवा	49
3.	गुजरात	210
4.	कर्नाटक	604
5.	केरल	414
6.	मध्य प्रदेश	480
7.	उड़ीसा	151
8.	राजस्थान	245
9.	उत्तर प्रदेश	450
दूसरी परियोजना		
1.	आंध्र प्रदेश	896
2.	असम	102
3.	हरियाणा	172
4.	हिमाचल प्रदेश	77
5.	महाराष्ट्र	442
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	238
7.	पांडिचेरी	36
8.	पंजाब	139
9.	तमिलनाडु	227
10.	पश्चिम बंगाल	236

विवरण II

राज्य	कुल आवंटन (रुपए करोड़ में)	उपयोग (% में)
पहली परियोजना		
बिहार	68.00	100%
गोआ	25.80	100%
गुजरात	103.20	100%
कर्नाटक	94.30	100%
केरल	57.70	100%
मध्य प्रदेश	164.30	100%
उड़ीसा	79.50	100%
राजस्थान	77.80	100%
उत्तर प्रदेश	256.00	100%
दूसरी परियोजना		
आंध्र प्रदेश	140.15	100%
असम	55.56	100%
हरियाणा	161.00	100%
हिमाचल प्रदेश	47.75	100%
महाराष्ट्र	267.70	100%
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	54.10	100%
पांडिचेरी	18.50	100%
पंजाब	112.25	100%
तमिलनाडु	99.91	100%
पश्चिम बंगाल	139.75	100%

प्रिंट मीडिया में विदेशी निवेश

3244. श्री रामशकल:
श्री आर.एल. भाटिया:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार फिल्म निर्माण और अन्य संबंधित क्रियाकलापों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) फिल्म उद्योग के आधुनिकीकरण और फिल्मों के निर्यात में इस निर्णय के कहां तक सहायक होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) फिल्म क्षेत्र में निर्माण, वितरण, बहुविध निर्माण आदि जैसे विभिन्न कार्य-कलापों के लिए विदेशी निवेश की मामले दर मामले के आधार पर पहले से ही अनुमति है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में अन्य जातियों को शामिल किया जाना

3245. श्री थावर चन्द गेहलोत:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में राज्य-वार कितनी जातियों को शामिल किया गया है;

(ख) उक्त सूची में शामिल किए जाने हेतु सरकार के पास किन-किन जातियों के अभ्यावेदन विचाराधीन हैं; और

(ग) इस सूची में अंतिम संशोधन किस तिथि को किया गया था?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) गत तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोई नई जाति शामिल नहीं की गई है। जातियों/समुदायों, उप-जातियों/पर्यायों की सूची, जिन्हें पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है। राजपत्रों में निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की गई है:

क्र.सं.	राजपत्र अधिसूचना सं.	दिनांक
1.	210	11.12.96
2.	129	08.07.97
3.	164	02.09.97
4.	239	17.12.97
5.	236	12.12.97
6.	166	04.08.98
7.	171	06.08.98
8.	270	06.12.99

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल करने के लिए लगभग 1300 प्रस्ताव विचाराधीन हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 में प्रावधान के अनुसार यह आयोग सूची में एक पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए अनुरोधों की जांच करता है तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान करता है।

(ग) अनुसूचित जातियों की सूची में पिछला संशोधन संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 दिनांक 4.06.1990 के तहत बौद्धों के संबंध में किया गया।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में पिछला संशोधन संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 के तहत दिनांक 20.08.1991 को किया गया।

अन्य पिछड़े वर्गों की सूची राजपत्र अधिसूचना सं. 270 दिनांक 6.12.1999 के तहत संशोधित की गई।

[अनुवाद]

नई पंजीकरण योजना, 1979

3246. डा. संजय पासवान: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) की नई पंजीकरण योजना के अंतर्गत अभी तक आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) शेष पंजीकृत व्यक्तियों को श्रेणीवार कब तक भवन आवंटित किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या विभिन्न श्रेणियों के भवनों की कीमत उक्त योजना के शुरू होने के समय सरकार द्वारा घोषित कीमत की तुलना में बढ़ा दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो पंजीकृत व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी डी ए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1979 के अंतर्गत फ्लैटों के आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे पंजीकृत लोगों की श्रेणीवार संख्या निम्नलिखित अनुसार है:

श्रेणी	आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे पंजीकृत लोग
एम आई जी	6951
एल आई जी	14820
जनता	शून्य

(ख) भूमि की उपलब्धता और अन्य एजेंसियों से पानी और बिजली जैसी अन्य नागरिक सुविधाओं संबंधी कठिनाइयों को देखते हुए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ग) विवरणिका में इंगित मूल्य केवल सूचना मात्र है और विक्रय मूल्य विभिन्न निवेशों जैसे निर्माण की वास्तविक लागत, आबंटन के समय भूमि मूल्य आदि पर निर्भर करता है। इस बात का भी उल्लेख विवरणिका में दिया गया है।

(घ) विभिन्न क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जोकि रिहायशी मकानों के निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक है।

संकेशा में उत्खनन

3247. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के संकेशा में वहां प्रचलित बौद्ध-संस्कृति की खोज करने के लिए कोई उत्खनन-कार्य किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान दो सत्रों में जिला फर्रुखाबाद के संकेशा में केन्द्रीय संरक्षित स्थल में उत्खनन का संचालन किया, जिसका उद्देश्य स्थल के सांस्कृतिक अनुक्रम, अवसंरचना, मठ-विषयक स्थापना तथा भवन योजनाओं को समझना था। उत्खनन से चार स्तरीय सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त हुए जैसे: अवधि-1 चित्रित धूसर मृत्पात्र संस्कृति (लगभग 9वीं शताब्दी ई.पू.) अवधि-2 उत्तरीय कृष्ण-मर्जित मृत्पात्र संस्कृति (लगभग छठी-तीसरी शताब्दी ई.पू.) अवधि-3 शुंग अवधि (लगभग-दूसरी-प्रथम शताब्दी ई.पू.) अवधि-4 कुशाल अवधि (लगभग प्रथम-तीसरी शताब्दी ई.) महत्वपूर्ण उपलब्धियों में अन्य वस्तुओं के साथ-साथ टेरीकोट की मानव तथा पशु की लघु आकृतियां, मनके,

लटकन, चूड़ियां, डिस्क तथा पहिए, कांच की चूड़ियां, पशु की हड्डी की वस्तुएं, पत्थर के मानवीय औजार तथा बर्तन शामिल हैं। उत्तरीय कृष्ण मार्जित मृत्पात्र अवधि की झोपड़ियों तथा बाद की अवधि की ईंट की दीवारों, कमरों आदि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वर्तमान संकेतों के अनुसार उत्खनित वस्तुएं, स्थल का बौद्ध कौल से तालमेल स्पष्ट नहीं करती हैं।

न्यायालय में डी.डी.ए. के विरुद्ध लंबित मामले

3248. श्रीमती कान्ति सिंह:
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध अनेक मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन मामलों को न्यायालय के बाहर या "लोक अदालत" में निपटाने हेतु क्या प्रयास किए गए;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण भी अनेक मामलों में न्यायालय में गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो विभिन्न न्यायालयों में इस तरह के लंबित मामलों का स्वरूप क्या है; और

(च) सरकार द्वारा अनावश्यक मुकदमेबाजी तथा जनता के पैसे की बरबादी से बचने हेतु इन मामलों को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है:

(1) उच्चतम न्यायालय	64*
(2) उच्च न्यायालय	4898*
(3) तीस हजारी न्यायालय	5378*
(4) न्यायाधिकरण	1073**

*जून, 1999 की स्थिति
**नवम्बर, 1998 की स्थिति

(ग) उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत डीडीए में लोक अदालत गठित की गई है जिसने जुलाई, 1999 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(घ) और (ङ) डी.डी.ए. दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 14/29 (2) के तहत दुरुपयोग के खिलाफ मुकदमा दायर करता है और जहाँ आवश्यक होता है वहाँ भूमि/आवास/इंजीनियरिंग मामलों आदि के संबंध में निर्णायक द्वारा दिए गए अधिनिर्णय (अवार्ड) और न्यायालयों/मंचों/आयोगों द्वारा दिए गए आदेशों की चुनौती भी देता है।

(च) प्रक्रियाओं को दुरुस्त करना, प्रभावी लोक शिकायत निवारण प्रणाली और डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों तथा मंत्री दोनों स्तर पर सार्वजनिक सुनवाई करने का आशय ही मुकदमेबाजी कम करना है।

[हिन्दी]

भारतीय संस्कृति

3249. श्री नवल किशोर राय:
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सिनेमा देश की संस्कृति का विकृत रूप प्रदर्शित करके देश के युवाओं में अनैतिकता के प्रसार को बढ़ावा दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं और इन्हें किस तरह से क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं.

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु फिल्मों को चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5ख (1) के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रमाणित करता है। फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करता है कि:

1. फिल्म का माध्यम समाज के मूल्यों एवं मानकों के प्रति जवाबदेह तथा संवेदनशील बना रहे;

2. कलात्मक अभिव्यक्ति तथा सृजनशील स्वतंत्रता का अनावश्यक हनन न हो;

3. प्रमाणन सामाजिक परिवर्तन के प्रति जवाबदेह रहे;

4. फिल्म का माध्यम स्वस्थ एवं सुरुचिपूर्ण मनोरंजन प्रदान करे; और

5. जहां तक संभव हो, फिल्म सौन्दर्यपरक तथा सिनेमा की दृष्टि से अच्छे स्तर की हो। फिल्मों के प्रमाणन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कार्यान्वयन में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के सख्ती से अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार है:

(1) प्रमाणन प्रक्रिया में और अधिक लैंगिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से जांच और पुनरीक्षा समिति के सदस्यों में से 50 प्रतिशत महिला सदस्यों को रखने का प्रावधान करना;

(2) बारंबार उल्लंघन किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अर्थ-निर्णय के बारे में बोर्ड द्वारा विशिष्ट स्पष्टीकरण जारी करना; और

(3) किसी फिल्म को प्रदान किए गए प्रमाण-पत्र में जांच समिति/पुनरीक्षा समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण के उन सदस्यों के नाम प्रदर्शित करना जिनकी सिफारिशों पर संबंधित फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु स्वीकृत किया जाना है ताकि इस विषय में और अधिक जिम्मेवारी सुनिश्चित की जा सके।

सांस्कृतिक विरासत

3250. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की सांस्कृतिक विरासत को विकसित करने और उसे आधुनिक सांस्कृतिक प्रदूषण से बचाने हेतु सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जुलाई, 1999 तक उक्त योजनाओं और कार्यक्रमों पर खर्च किए गए सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत कितना है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक टी.वी., सिनेमा और अश्लील सांस्कृतिक प्रदूषण में शामिल कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का विचार है?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (घ) मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय

3251. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य, विशेषरूप से महाराष्ट्र में कितने केन्द्रीय विद्यालय खोले गए, केन्द्रीय विद्यालय के नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए कितनी निधियां आवंटित की गई और उनमें से कितने का उपयोग किया गया; और

(ख) केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) आठवीं योजना के दौरान सिविल तथा रक्षा क्षेत्रों में कुल 82 केन्द्रीय विद्यालय खोले गए जिसका ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। चार केन्द्रीय विद्यालय महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए गए। आठवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान अर्थात् 1992-93 में कोई भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोला गया। सरकार ने इस उद्देश्य हेतु कुल 27.65 करोड़ रु. के संचयी अनुमानित व्यय का अनुमोदन किया था जिसे 1993-94 से 1997-98 तक की संपूर्ण पांच वर्षों की अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। वास्तविक व्यय से संबंधित आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) संगठन शैक्षणिक क्रियाकलापों का अनुवीक्षण कर रहा है जिनमें रिक्तियों को भरना, प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण को सुनियोजित ढंग से आयोजित करना और सह-पाठ्यचर्या आदि कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना शामिल है।

विवरण

आठवीं योजनावधि के दौरान केन्द्रीय विद्यालय की संख्या को दर्शानेवाला विवरण
(सिविल/रक्षा क्षेत्र)

क्रम सं.	राज्य का नाम	1992-1993	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997
1.	मध्य प्रदेश	-	7	4	4	-
2.	हरियाणा	-	1	1	2	-
3.	केरल	-	1	-	2	-
4.	उत्तर प्रदेश	-	2	2	1	2
5.	आंध्र प्रदेश	-	1	2	1	-
6.	अंडमान व निकोबार	-	-	-	1	-
7.	उड़ीसा	-	1	2	1	2
8.	बिहार	-	2	2	1	1
9.	राजस्थान	-	1	4	1	4
10.	कर्नाटक	-	2	-	1	-
11.	नागालैण्ड	-	-	-	1	-
12.	पश्चिम बंगाल	-	-	1	2	-
13.	असम	-	1	-	1	1
14.	तमिलनाडु	-	-	-	1	1
15.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	2
16.	महाराष्ट्र	-	1	-	-	3
17.	दिल्ली	-	-	1	-	2
18.	हिमाचल प्रदेश	-	1	1	-	1
19.	जम्मू व कश्मीर	-	-	-	-	1
20.	पंजाब	-	-	-	-	-
21.	त्रिपुरा	-	1	-	-	-
	कुल	शून्य	22	20	20	20

[हिन्दी]

महादेव मंदिर

3252. श्री महेश्वर सिंह: क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर में महादेव गांव में स्थित महादेव मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें किये गये विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) पुरातत्व विभाग के अंतर्गत इसे कब तक ले लिया जाएगा?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) जी, हां।

(ख) निरीक्षण करने पर यह पता चला कि मंदिर केन्द्रीय संरक्षण के लिए आवश्यक मानदण्डों को पूरा नहीं करता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नए देश भक्ति कार्यक्रम

3253. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल): क्या **संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अगले वर्ष से युवाओं के लिए भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाले नए देश भक्ति कार्यक्रम आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) विभिन्न युवा संगठनों/समूहों के परामर्श और सहयोग से दिसम्बर, 1999-जनवरी, 2000 तक, एक माह तक चलने वाले कार्यक्रम (वंदे मातरम) को आयोजित करने के लिए कदम उठाये गये हैं। इस कार्यक्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ, देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, नागरिकता की गुणवत्ता और समुदाय सेवा के विषयों पर प्रतियोगिताओं में तथा देश के विभिन्न भागों में जागरूकता अभियानों में युवाओं को संबद्ध करना एवं 31 दिसम्बर, 1999/1 जनवरी, 2000 को युवाओं को शपथ दिलाना शामिल है।

विद्युत बकाया

3254. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 नवम्बर, 1999 को "नवभारत टाइम्स" में सांसदों पर बकाया है सात करोड़ की बिजली बिलें" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, तथा जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या पूर्व सांसदों पर यह राशि वर्ष 1995 से बकाया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बकाया राशि की वसूली हेतु उठाए जा रहे/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि माननीय सांसदों से उनकी ओर बकाया राशि की अदायगी करने के लिए उनसे आग्रह करके उनसे बिजली और पानी की देय राशि वसूल करने के लिए सभी प्रयास किये जाते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका की तरफ से कोई भी कोताही से जनता द्वारा आलोचना की जा सकती है।

(ग) जी, हाँ। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि कुछ पूर्व सांसदों पर 1995 से धनराशि बकाया है।

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद सांसदों से निर्धारित तारीख तक बकाया धनराशि का भुगतान करने का अनुरोध करने के नियमित नोटिस जारी करती है। निर्धारित तारीख तक, बकाया धनराशि का भुगतान न करने पर आपूर्ति नियमानुसार चरणों में काट ली जाती है, जैसा कि अन्य उपभोक्ताओं के मामलों में किया जाता है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को छात्रवृत्ति

3255. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विभिन्न छात्रावासों में रहने वाले तथा छात्रावासों से बाहर रहने वाले छात्रों को गत तीन वर्षों के दौरान छात्रवृत्ति की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ख) क्या सभी राज्य सरकारें अपने-अपने कोषों से इस छात्रवृत्ति में योगदान करती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित

जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के भुगतान की दिवा छात्रों और होस्टल के छात्रों को गत तीन वर्षों के दौरान भुगतान गई छात्रवृत्ति की राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	छात्रवृत्ति पर व्यय
1996-97	303.54
1997-98	338.34
1998-99	416.61 (अनंतिम)

(ख) और (ग) इस योजना को कार्यान्वित करने वाली सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बजट से अपनी-अपनी वचनबद्ध देयता के स्तर तक व्यय के प्रति अंशदान करने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों से अपनी-अपनी वचनबद्ध देयता के अंशदान करने की अपेक्षा नहीं की जाती है क्योंकि वचनबद्ध देयता इन राज्यो के संबंध में समाप्त कर दी गई है।

तकनीकी शिक्षा का उन्नयन

3256. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:
श्री टी. गोविन्दन:
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड के कार्यकरण निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में तकनीकी संस्थान स्थापित करने के अनेक प्रस्ताव बिना किसी कार्रवाई के लम्बित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार और विशेषकर महाराष्ट्र में इनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने और अनुमोदन प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) केन्द्रीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है।

(ग) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जो एक सांविधिक निकाय है, की स्थापना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 1987 के अंतर्गत की गई थी ताकि देशभर में तकनीकी शिक्षा प्रणाली का सुनियोजित तथा समन्वित ढंग से विकास किया जा सके। देश में तकनीकी संस्थाओं की स्थापना को अनुमोदित करना एक सतत प्रक्रिया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऐसे प्रस्तावों पर विधिवत निर्धारित विनियमों के आधार पर और आवश्यक जनशक्ति, वित्तीय व्यवहार्यता तथा उन्मूलन अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विचार करता है। इन विनियमों में संबंधित कार्यवाहियों को पूरा करने हेतु नियत समय सीमा निहित है।

स्वयंसेवी संगठन

3257. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या की गई प्रगति के संबंध में ये संगठन सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र में अनुदान प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक संगठनों की संख्या निम्नलिखित है:

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत राशि गैर-सरकारी संगठनों की संख्या
1	2	3
1.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन	51
2.	सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता	13

1	2	3
3.	शराबखोरी तथा द्रव्य पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग	35
4.	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	13
5.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	14
6.	आर्थिक मानदण्डों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग	2
7.	वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम	9
8.	बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम	15
9.	पशुओं की देखभाल के लिए आश्रय गृह	01
10.	कष्ट में पड़े पशुओं के लिए अम्बुलेंस सेवाओं का प्रावधान	03
11.	आवारा कुत्तों के प्रतिरक्षण के लिए जन्म-नियंत्रण	04

(ख) से (घ) संगठन को वित्तीय वर्ष के लिए सहायता दो किश्तों में निर्मुक्त की जाती तथा दूसरी किस्त निरीक्षण रिपोर्ट तथा उचित अधिकारी की सिफारिश प्राप्त होने पर निर्मुक्त की जाती है। संगठन के कार्य का मूल्यांकन करते समय सिफारिश, निधियों के उपयोग और की गई प्रगति की सूचना भी देती है।

प्राचीन स्मारक और स्थान

3258. श्री राम टहल चौधरी: क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन प्राचीन स्मारकों और पूजा स्थलों का ब्यौरा क्या है; और वे कहां-कहां हैं;

(ख) क्या ऐसे स्थानों के आसपास की भूमि पर अनेक मामलों में इनके द्वारा कब्जा किए गए भूमि क्षेत्र को बढ़ाकर अतिक्रमण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे अतिक्रमणों से भूमि को खाली कराने तथा इसके दुरुपयोग को रोकने का है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसा निर्णय कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) जैसे ही निषिद्ध क्षेत्र में संरक्षित स्थल या उनके साथ में लगी हुई भूमि पर गैर-कानूनी कब्जों का पता चलता है, राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन की सहायता से अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की राज्य-वार सूची जिसमें पूजा के स्थल भी शामिल हैं

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या	सर्किल का नाम जिसके अंतर्गत राज्य आता है
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	134	हैदराबाद
2.	अरूणाचल प्रदेश	5	गुवाहाटी

1	2	3	4
3.	असम	49	गुवाहाटी
4.	बिहार	79	पटना
5.	दिल्ली	166	दिल्ली
6.	दमन एवं दीव	10	वडोदरा
7.	गोवा	25	औरंगाबाद
8.	गुजरात	200	वड़ोदरा
9.	हरियाणा	91	चंडीगढ़
10.	हिमाचल प्रदेश	37	चंडीगढ़
11.	जम्मू एवं कश्मीर	64	श्रीनगर
12.	कर्नाटक	504	बंगलौर एवं धारवाड़
13.	केरल	28	त्रिसूर
14.	मध्य प्रदेश	326	भोपाल
15.	महाराष्ट्र	288	औरंगाबाद
16.	मणिपुर	1	गुवाहाटी
17.	मेघालय	6	गुवाहाटी
18.	नागालैण्ड	4	गुवाहाटी
19.	उड़ीसा	72	भुवनेश्वर
20.	पांडिचेरी	8	चेन्नई
21.	पंजाब	25	चंडीगढ़
22.	राजस्थान	157	जयपुर
23.	सिक्किम	3	गुवाहाटी
24.	तमिलनाडु	410	चेन्नई
25.	त्रिपुरा	5	गुवाहाटी
26.	उत्तर प्रदेश	785	आगरा, पटना एवं लखनऊ
27.	पश्चिम बंगाल	117	कलकत्ता

[हिन्दी]

गुजरात के टी.वी. प्रसारण केन्द्रों के कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर

3259. श्री मानसिंह पटेल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के टी.वी. प्रसारण केन्द्रों के कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, हाँ।

(ख) सूरत और वड़ोदरा में ऐसी स्कीमें इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शैक्षिक संस्थाओं को धनराशि

3260. श्री साहिब सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्थाएं वित्तीय संकट के कगार पर हैं;

(ख) इन शैक्षिक संस्थाओं ने कितनी धनराशि की मांग की है; और

(ग) उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) कोई नहीं। केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पात्र संस्थाओं की सभी उपयुक्त निधियन अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारतीय भाषाओं में शोध प्रकाशन

3261. डा. चरणदास महंत: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न विभागों में किए गए शोध कार्य के निष्कर्षों को शोध पूरा हो जाने के पश्चात् भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने प्रकाशन हुए हैं और उनके मूल्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आवास का अलग पूल

3262. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूर से आने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को आवास आबंटन के लिए अलग पूल बनाने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) संपदा निदेशालय की व्यवस्था में सामान्य पूल में इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) सरकारी वास (दिल्ली में सामान्य पूल) आबंटन नियमावली, 1963, के मौजूदा प्रावधानों में, कर्मचारियों के दूरस्थ स्थानों से आने के आधार पर, दिल्ली में अलग पूल बनाने की व्यवस्था नहीं है। टाइप-IV श्रेणी तक के पास आबंटन के लिए प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठता सेवाकाल पर आधारित होती है। हॉस्टल, टाइप-IV विशेष और ऊपर की श्रेणी के वास आबंटन के लिए वरिष्ठता उस पूर्ववर्ती तारीख पर निर्भर होती है जिस तारीख से अधिकारी किसी विशिष्ट ''टाइप''-के लिए अपेक्षित निर्धारित परिलब्धियाँ नियमित रूप से ले रहा है। वास्तविक आबंटन प्रतीक्षा सूची में बारी आने पर किया जाता है।

फतेहपुर बेरी के लिए निर्माण योजना

3263. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा महरौली में फतेहपुर बेरी गाँव की निर्माण योजना को मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में अप्रैल, 1996 में जारी की गई अधिसूचना की जांच की है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि रिज/रीजनल पार्क के अधीन आने वाले क्षेत्र को छोड़कर, प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र में भवन-निर्माण योजनाएं, उसके द्वारा मास्टर प्लान और भवन-निर्माण उप नियमों के प्रावधानों के अनुसार मंजूर की गई है।

(ख) दिल्ली नगर निगम इस गांव में अप्रैल, 1996 से फार्म हाउसों के भवन निर्माण की 22 योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(ग) मास्टर प्लान के अधीन और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार रिज/रीजनल पार्क के अधीन आने वाले क्षेत्र में निर्माण की अनुमति नहीं है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि गांव फतेहपुर बेरी, महरौली डी डी ए के विकास क्षेत्र में नहीं आता है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

गंगा बैराज

3264. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानपुर में गंगा बैराज के निर्माण का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना को मंजूरी देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं। गंगा बैराज परियोजना मंजूरी हेतु भारत सरकार के पास लंबित नहीं है। यह 10 अप्रैल, 1999 को पहले ही मंजूर की जा चुकी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रसार भारती में पद

3265. श्री के.ए. सांगतम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती प्रसारण निगम द्वारा कोहिमा, नागालैंड में विभिन्न श्रेणी के कई पदों को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रसार भारती द्वारा रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन केन्द्र, कोहिमा में सात पद सृजित किए गए हैं और तीन पदों को समाप्त किया गया है। यह कार्यवाही संगठन की कार्यात्मक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।

[हिन्दी]

समेकित बाल विकास परियोजनाएं

3266. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां 'समेकित बाल विकास परियोजनाएं' चलायी जा रही हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के माध्यम से इच्छित परिणाम प्राप्त हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) अध्ययनों से पता चला है कि जिन क्षेत्रों में आई.सी.डी.एस. योजना चलाई जा रही है, उनमें गैर-आई.सी.डी.एस. क्षेत्रों की तुलना में पोषण और स्वास्थ्य तथा स्कूलों में नामांकन का स्तर जैसे सामाजिक सूचक बेहतर हैं।

विवरण

बिहार में संचालित समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं की सूची

जिला : औरंगाबाद		
1.	नवीनगर	1
2.	कुटुम्बा	1
3.	देव	1
4.	डॉंडनगर	1
5.	मदनपुर	1
6.	बरूण	1
7.	हँसपुरा	1
8.	ओवरा	1
9.	रफीगंज	1
10.	गौह	1
	कुल	10
जिला : बेगुसराय		
1.	बाखरी	1
2.	बछवाड़ा	1
3.	भगवानपुर	1
4.	चेरिया बरियरपुर	1
5.	सुदावंदपुर	1
	कुल	5
जिला : भागलपुर		
1.	कहलगांव	1
2.	भागलपुर सदर	1
3.	धुरैय्या	1
4.	बाँका	1
5.	राजौन	1
6.	सुल्तानगंज	1
7.	सोन हौला	1
	कुल	7

जिला : भोजपुर		
1.	चरपोखरी	1
2.	बिहिया	1
3.	बरहेडा	1
4.	तरारी	1
5.	उदवन्ती नगर	1
6.	राजपुर	1
7.	साहीर	1
8.	सन्देश	1
	कुल	8
जिला : पूर्व चम्पारन		
1.	तुरकीलिया	1
	कुल	1
जिला : पश्चिमी चम्पारन		
1.	गोनहा (सहिरारपुर)	1
2.	मझौलिया	1
3.	रामनगर	1
4.	बगाहा	1
5.	बेतिया	1
6.	नरकाटियागंज	1
7.	मैनातंड	1
	कुल	7
जिला : दरभंगा		
1.	मनिगाछी	1
2.	दरभंगा सदर	1
3.	कुशेश्वर स्थान	1
4.	हयाघाट	1
5.	दरभंगा	1
6.	बियारोल	1
7.	बहादुरपुर	1
8.	बहारी	1
9.	घनश्यामपुर	1
	कुल	9
*जिला : देवधर		
1.	पालाजोरी	1
2.	मोहनपुर	1
	कुल	2
जिला : धनबाद		
1.	चन्दन क्यारी	12
2.	तोपचनची	1
3.	झरिया सह-सिन्दरी	1
4.	धनबाद सिटि	1
5.	बोकारो स्टील सिटि	1
	कुल	5
जिला : दुमका		
1.	मसालिया	1
2.	कुन्दाहित	1
3.	गोपीकन्दर	1
4.	काठीकुंड	1
	कुल	4
जिला : गया		
1.	शेरघाटी	1
2.	इमामगंज	1
3.	बोध गया	1
4.	डुमरिया	1
5.	बाढ़ाचट्टी	1
6.	फतेहपुर	1
7.	अमास	1
8.	गया सिटि	1
9.	मानपुर	1
10.	गयाटाऊन	1
11.	मोहनपुर	1
12.	गरूआ	1
13.	अत्री	1

14.	पराइया	1
15.	वजीरगंज	1
16.	बेलागंज	1
17.	तिकरी	1
	कुल	17

जिला : गीरिडीह

1.	गीरिडीह	1
2.	जमुवा	1
3.	गनवा	1
4.	देवरी	1
	कुल	4

जिला : गोड्डा

1.	बोआरोजोर	1
2.	पोराइयाहाट	1
3.	सुन्दर पहाड़ी	1
4.	गोड्डा	1
	कुल	4

जिला : गुमला

1.	बसिया	1
2.	बिशनपुर	1
3.	भरनो	1
4.	बोलवा	1
5.	जलडेना	1
6.	चैनपुर	1
7.	डुमरी	1
8.	घाघरा	1
9.	कमदरा	1
10.	कुरडेग	1
11.	रायडीह	1
12.	थीथयीतंगर	1
13.	सीमडेगा	1
14.	सीसई	1
15.	कोलबीडा	1
	कुल	15

जिला : गोपालगंज

1.	उचाकागांव	1
2.	बड़ौली	1
3.	विजयनगर	1
4.	कटैया	1
	कुल	4

जिला : हजारीबाग

1.	सिमरिया	1
2.	हजारीबाग	1
3.	केरेदरी	1
4.	प्रतापपुर	1
5.	हंटरगंज	1
6.	हजारीबाग	1
7.	चतरा (आर)	1
8.	तन्दवा	1
9.	चम्पारन	1
10.	कतकमसन्दी	1
11.	इठखोडी	1
12.	सतगावन	1
	कुल	12

जिला : कटिहार

1.	प्रतापुपर	1
2.	बरसोई	1
3.	फाल्का	1
4.	कोडा	1
5.	कोरहा	1
	कुल	5

जिला : खगरिया

1.	अलाउली	1
2.	बलदीर	1
	कुल	2

जिला : लोहारडागा

1.	भण्डारा	1
2.	किसको	1
3.	कुरू	1
	कुल	3

जिला : माधेपुरा

1.	मुरलीगंज	1
	कुल	1

जिला : मधुबनी

1.	माधेपुर	1
2.	खाजौली	1
3.	मधुबनी	1
	कुल	3

जिला : मुंगेर

1.	तारापुर	1
2.	सिकन्दरा	1
3.	बारबिगा	1
4.	जामुली	1
5.	लखीमपुर	1
6.	खेरा (जलजोगा)	1
7.	अरेर	1
8.	हरसी	1
9.	संग्रामपुर	1
10.	शीलमपुर	1
11.	लखीसराय	1
	कुल	11

जिला : मुजफ्फरपुर

1.	मुशाहरी	1
2.	कुरहनी	1
3.	सकरा	1
4.	बुचाहा	1
5.	धोली (मोरल)	1
6.	कण्टी	1
7.	मीनापुर	1
8.	मुशेहरी	1
9.	सरैया	1
	कुल	9

जिला : नालन्दा

1.	राजगीर	1
2.	नूर-सारय	1
3.	बिहार-शरीफ	1
4.	सरमेर	1
5.	आस्थावान	1
6.	हरनौत	1
7.	इस्लामपुर	1
8.	रहुई	1
9.	गिरीक	1
	कुल	9

जिला : नवादा

1.	सिरदला	1
2.	नवादा	1
3.	अकबरपुर	1
4.	राजौली	1
5.	गोविन्दपुर	1
6.	हन्सुआ	1
7.	वारसलीगंज	1
8.	कावाकोले	1

9.	नरहार	1
10.	पाकरीबरवान	1
	कुल	10
जिला पलामू		
1.	गारू	1
2.	भण्डारिया	1
3.	बालूमठ	1
4.	पताह	1
5.	रनका	1
6.	छतरपुर	1
7.	धुरकी	1
8.	मानिका	1
9.	हरिहारगंज	1
10.	महुआदनर	1
11.	सिखलीगंज	1
12.	हुसैनाबाद	1
13.	चंदवा	1
14.	लाटेहर	1
15.	डेल्टागंज	1
16.	मनातु	1
17.	पंकी	1
18.	मझाईयां	1
19.	विश्रामपुर	1
20.	भावनाथपुर	1
21.	नगरून्तरी	1
22.	पीकाकला	1
23.	बारवाडीह	1
	कुल	23
जिला : पटना		
1.	फुतुह	1
2.	पटना सदर	1
3.	धनरूआ	1
4.	मासनराही	1
5.	पुनपून	1
6.	मानेर	1
7.	पटना सदर	1
8.	नौबतपुर	1
9.	फुलवाड़ी	1
10.	बढ	1
11.	बख्तियारपुर	1
12.	बिक्रम	1
13.	मोकामा	1
	कुल	13
जिला : पूर्णिया		
1.	बनमानखी (धारहरी)	1
2.	रानीगंज	1
3.	ठाकुरगंज	1
4.	बहादुरगंज	1
5.	जौकीहाट	1
6.	बडगाँव	1
7.	कृत्यानन्द नगर	1
8.	बरहरा कोटी	1
9.	सिकटी	1
10.	धमदाह	1
	कुल	10
जिला : रांची		
1.	खुंटी	1
2.	अरकी	1
3.	लापुंग	1
4.	मुरहु	1
5.	राँची	1
6.	अंगारा	1

7.	चान्हो	1
8.	मन्दर	1
9.	रानिया	1
10.	नामकुम	1
11.	तोरपा	1
12.	कारडा	1
13.	बीरो	1
14.	राटु	1
15.	सेन्हा	1
16.	बुढ़ूँ	1
17.	तामर	1
18.	ओरमाँझी	1
19.	बुरमो	1
20.	सोनाहातु	1
	कुल	20

जिला : रोहतास

1.	अधीरा	1
2.	भगवानपुर	1
3.	मोहनिया	1
4.	चनारी	1
5.	रामगढ़	1
6.	देवथ	1
7.	दुर्गावती	1
8.	कुदरा	1
9.	चाँद	1
10.	साराराम	1
11.	शिवसागर	1
	कुल	11

जिला : सहरसा

1.	माहीसी (दारहरा)	1
2.	त्रिवेणीगंज	1
3.	नोहट्टा	1
4.	सोनवर्षा	1
5.	सोलखुआ	1
6.	सिमरी बख्तियारपुर	1
	कुल	6

जिला : सोपोल

1.	त्रिवेणीगंज	1
2.	बसंतपुर	1
3.	राधोपुर	1
	कुल	3

जिला : साहिबगंज

1.	महेशपुर	1
2.	बोरियो	1
3.	लित्तिपाला	1
4.	आमपाड़ा	1
5.	पकुरिया	1
6.	पाथाना	1
7.	तलझड़ी	1
8.	बरहेट	1
9.	हिरनपुर	1
	कुल	9

जिला : समस्तीपुर

1.	बिभूतिपुर	1
2.	वारिस नगर	1
3.	कल्याणपुर	1
4.	समस्तीपुर	1
5.	रोसारा	1
6.	ताजपुर	1
7.	उजियारपुर	1
8.	सिलधिया	1
	कुल	8

जिला : सरग		
1.	मशराख	1
2.	छपरा	1
3.	गरखा	1
	कुल	3
जिला : सिंघभूम		
1.	बाराजाम्दा	1
2.	कुचाय	1
3.	बांदगांव	1
4.	गोअलकेड़ा	1
5.	टोंटो	1
6.	चांदिल	1
7.	डुमरिया	1
8.	इचागढ़	1
9.	मांझागांव	1
10.	निमडीह	1
11.	पतामाडा	1
12.	खूंट पानी	1
13.	मंझारी	1
14.	कुमारडूंगी	1
15.	मनोहरपुर	1
16.	सोनुआ	1
17.	तांतनगर	1
18.	मोलमुरी-सह-जगसाल	1
19.	झिंकपानी	1
20.	नौमुण्डी	1
21.	जगन्नाथपुर	1
22.	जमशेदपुर	1
23.	गोविन्दपुर (राजनगर)	1
24.	चक्रधरपुर	1
25.	खरस्वान	1
26.	आदित्यपुर	1
	कुल	26

जिला : सीतामढ़ी		
1.	बलसांद	1
2.	बथनाला	1
3.	मेजरगंज	1
4.	पिपराही	1
5.	शेओहार	1
	कुल	5
जिला : सीवान		
1.	बरबरिया	1
2.	माइरवा	1
3.	रघुनाथपुर	1
4.	गुथानी	1
5.	अंदार	1
	कुल	5
जिला : वैशाली		
1.	पतेपुर	1
2.	हाजीपुर	1
3.	महुआ	1
4.	लालगंज	1
5.	गोराऊल	1
6.	जांदाहा	1
7.	मनहार	1
8.	साहडीबुर्जुग (देसारी)	1
	कुल	8
जिला : संथाल-परगना		
1.	शिकारी पाड़ा	1
2.	जामा	1
3.	दलभूरागढ़	1
4.	रानीश्वर	1
5.	जमतारा	1
	कुल	5

जिला : जहानाबाद		
1.	जहानाबाद	1
	कुल	1
	कुल जोड़	323

प्राइमरी स्कूलों को मान्यता

3267. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में चल रहे निजी प्राइमरी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए क्या शर्तें और औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मान्यता प्रदान किये प्राइमरी स्कूलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मान्यता प्राप्त करने के लिए किये गए लम्बित आवेदनों का ब्यौरा क्या है तथा वे किस तिथि से लम्बित हैं;

(घ) क्या दिल्ली के त्रिनगर क्षेत्र में स्थित जैन माडल स्कूल को शीघ्र ही बिना मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किये ही मान्यता प्रदान की जाने वाली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार प्राइवेट प्राथमिक स्कूलों को दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम व नियमावली, 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार मान्यता हेतु निगम में आवेदन करने वाला स्कूल सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं तथा संबंधित क्षेत्र के सहायक निदेशक तथा शिक्षा समिति के एक सदस्य स्कूल का निरीक्षण करते हैं। अगर स्कूल मान्यता प्राप्त करने संबंधी सभी शर्तों को पूरा करता है, इस प्रस्ताव को शिक्षा समिति के माध्यम से निगम के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। निगम द्वारा इस प्रस्ताव को अनुमोदित करने तथा कर्मचारियों के तीन महीनों के वेतन के बराबर एफ.डी.आर. निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) तथा स्कूल के प्रबंधक के नाम संयुक्त रूप से जमा करने के पश्चात् स्कूल को मान्यता प्रदान की जाती है।

(ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) विवरण-II संलग्न है।

(घ) और (ङ) त्रिनगर, दिल्ली स्थित जैन मॉडल स्कूल को मान्यता प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव निगम को प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान मान्यता प्रदान किए गए स्कूलों के नाम

1997-98

1. बाल विकास विद्यालय, मस्जिद मोठ, दिल्ली
2. मेरी पब्लिक स्कूल, विकास पुरी, दिल्ली
3. आर्यवीर मॉडल स्कूल, बादली गांव
4. लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, स्वरूप नगर
5. एस.पी.एस., बामा मॉडल स्कूल, रानी बाग
6. राधा कृष्ण मॉडल स्कूल, उत्तम नगर
7. फारस कॉन्वेन्ट स्कूल, पूठ खुर्द
8. अल्पना पब्लिक स्कूल, मनडौली
9. आर्य पब्लिक स्कूल, करतारनगर
10. वालिया पब्लिक स्कूल, उस्मान पुर
11. आर.एस. पब्लिक स्कूल, घरोली
12. भगत विहार पब्लिक स्कूल, भगत विहार
13. वी.टी. पब्लिक स्कूल, कबीर नगर
14. ज्ञान वर्षा पब्लिक स्कूल, उत्तम नगर
15. समरविला पब्लिक स्कूल, बादली
16. वैष्णो बाल विद्यालय, सुभाष मोहल्ला
17. श्री सरस्वती विहार पब्लिक स्कूल, सबोली
18. चौधरी छोटू राम मेमोरियल स्कूल, भगत सिंह पार्क
19. आनन्द विद्या भारती स्कूल, संगम विहार
20. आर.के. मोडर्न पब्लिक स्कूल, मंडोली
21. विद्या कुंज पब्लिक स्कूल, अशोक नगर
22. नवोदय बाल विद्या मंदिर, सुधामा पुरी
23. दौलत राम पब्लिक स्कूल, सागर पुर
24. बी.आर. पब्लिक स्कूल, नांगलोई

25. रिंग मिड-वेज पब्लिक स्कूल, पालम
26. सरस्वती शिक्षा मंदिर, चन्दू पार्क
27. नव जय भारती पब्लिक स्कूल, पुल प्रहलाद पुर
28. नवीन पब्लिक स्कूल, साद नगर
29. सरस्वती मॉडल स्कूल, नांगलोई

1998-99

1. श्री जय भारती पब्लिक स्कूल, सुदामा पुरी
2. सेण्ट फ्रान्सिस जेवियर पब्लिक स्कूल, उत्तम नगर
3. सुलभ इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, महावीर इनक्लेव
4. विद्या ज्योति पब्लिक स्कूल, पालम कॉलोनी
5. नव निर्माण पब्लिक स्कूल, विलेज पपरावत
6. श्री राम प्राज्ञ स्कूल, शिवाजी पार्क
7. मॉडर्न पब्लिक स्कूल, बदरपुर
8. भास्कर मॉडल स्कूल, करावल नगर
9. विमल मॉडल स्कूल, अशोक नगर
10. अजीम मॉडल पब्लिक स्कूल, चंदू बाग
11. गांधी पब्लिक स्कूल, नाथू कॉलोनी
12. महर्षि रामानंद पब्लिक स्कूल, रोशन पुरा
13. नवोदित पब्लिक स्कूल, दल्लू पुरा
14. संत निरंकारी पब्लिक स्कूल, मालवीय नगर
15. जी.बी.एन. पब्लिक स्कूल, ब्रह्मपुरी
16. लॉर्ड चैतन्य पब्लिक स्कूल, रोहिणी
17. टाइनी टॉट पब्लिक स्कूल, पालन कॉलोनी
18. होली फिल्ड पब्लिक स्कूल, छावला
19. ईण्टिग्रल पब्लिक स्कूल, खेर
20. न्यू मदर लैण्ड पब्लिक स्कूल, पुल प्रहलाद पुर
21. ज्ञान ज्योति मॉडल स्कूल, उत्तम नगर

1999-2000

1. दौलत राम मेमोरियल पब्लिक स्कूल, मुण्डका
2. छोटू राम पब्लिक स्कूल, बक्तवार पुर
3. नियो एभरग्रीन पब्लिक स्कूल, दयाल पुर
4. सी.के. नाय्यर पब्लिक स्कूल, नरेला
5. धरमवीरा जूनियर दिल्ली स्कूल, मानसरोवर गार्डेन
6. मदर चाइल्ड पब्लिक स्कूल, दुर्गा पुरी
7. अहिंसा पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर
8. एस.एन. पब्लिक स्कूल, रवि नगर
9. अरोमा पब्लिक स्कूल, जोना पुर
10. शालिनी पब्लिक स्कूल, मीत नगर
11. ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल, हरि नगर
12. श्रीराम विद्या मंदिर, मण्डावली
13. एस.जे. मॉडल स्कूल, भजनपुरा
14. डिवाइन पब्लिक स्कूल, पालम
15. के.एस. पब्लिक स्कूल, हरि नगर
16. अर्पण पब्लिक स्कूल, जैतपुर
17. एस.जे.के. पब्लिक स्कूल, रघुबीर नगर
18. नेशनल मॉडल स्कूल, सादत पुर
19. सुगम पब्लिक स्कूल, मधु विहार

विवरण-II

मान्यता के लिए सक्षम प्राधिकारी के यहां लंबित आवेदन तथा उनके लंबित होने की तारीख

क्र.सं.	स्कूल का नाम व पता	लम्बित होने की तारीख
1	2	3
1.	फैवरिट पब्लिक स्कूल, विकासपुरी	27.4.92
2.	विकास पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा	15.3.93
3.	मदर केसरी पब्लिक स्कूल, कालकाजी	27.10.93
4.	कपिला पब्लिक स्कूल, रोहिणी	8.11.93

1	2	3
5.	माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, अशोक विहार	8.6.94
6.	न्यू अजीम पब्लिक स्कूल, जनकपुरी	14.6.94
7.	एम.के.डी. नेशनल पब्लिक स्कूल, कृष्ण पार्क	29.7.94
8.	ज्ञान मेमोरियल पब्लिक स्कूल, करावल नगर	10.4.96
9.	प्रताप राय कन्वेंट स्कूल, सिरसपुर	11.4.96
10.	डेफोडील पब्लिक स्कूल, विकासपुर	21.4.96
11.	एच.आर. पब्लिक स्कूल, कृष्णा विहार	27.4.96
12.	सलयाम जूनियर पब्लिक स्कूल, नरायणा विहार	28.4.96
13.	नव योग पब्लिक स्कूल, अशोक नगर	10.5.96
14.	मालवीय कन्वेंट स्कूल, विश्वास नगर	8.5.96
15.	ओरियंटल मॉडल स्कूल, घोंडा	30.9.96
16.	वन्दना मॉडल स्कूल, गौतमपुरी	30.6.96
17.	स्वीट पब्लिक स्कूल, छज्जूपुरा	2.7.96
18.	लक्ष्मी मॉडल स्कूल, तिलकनगर	2.7.96
19.	कावेरी पब्लिक स्कूल, नेहरू विहार	22.4.96
20.	सेंट सोलजर पब्लिक स्कूल, अशोक नगर	21.8.96
21.	आशादीप पब्लिक स्कूल, घोंडा	8.9.96
22.	एकता पब्लिक स्कूल, नेहरू विहार	8.9.96
23.	विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, प्रीत विहार	10.9.96
24.	गंगोत्री पब्लिक स्कूल, गौतम विहार	16.9.96
25.	विजय भारती पब्लिक स्कूल, संगर विहार	20.10.96
26.	जय पब्लिक स्कूल, महावीर विहार, पालम	18.2.97
27.	विद्यादीप पब्लिक स्कूल, भजनपुरा	18.2.97
28.	जैक एण्ड जील पब्लिक स्कूल, कान्तिनगर	4.3.97
29.	नव चेतना पब्लिक स्कूल, नजफगढ़	10.3.97
30.	वी.एम. आर्य पब्लिक स्कूल, बुद्ध विहार	19.3.97
31.	सेंट जोन्स पब्लिक स्कूल, मैदान गढ़ी	7.4.97

1	2	3
32.	तोमर कन्वेंट पब्लिक स्कूल, नरेला	21.4.97
33.	प्रिया आदर्श पब्लिक स्कूल, सामोली	22.4.97
34.	रोहिणी पब्लिक स्कूल, नांगलोई	22.4.97
35.	डी.सी. मॉडल स्कूल, महावीर नगर	22.4.97
36.	नव जागृति शिक्षा सदन, राजीव नगर	1.4.97
37.	रोज फील्ड पब्लिक स्कूल, नजफगढ	5.5.97
38.	आर्य वैदिक पब्लिक, आराम बाग रोड	27.6.97
39.	शिव शक्ति मॉडल स्कूल, रंगपुरी	14.7.97
40.	भारत मॉडल स्कूल, टूंडा नगर	6.8.97
41.	दीवान पब्लिक स्कूल, संगम विहार	11.8.97
42.	सन साईन पब्लिक स्कूल, प्रीतमपुरा	18.8.97
43.	समर हील पब्लिक स्कूल, नरेला	28.7.97
44.	शिवा मॉडल स्कूल, दरियापुर	29.8.97
45.	इंडियन कान्वेंट स्कूल, उत्तम नगर	1.9.97
46.	मणिक मॉडल स्कूल, शिव नगर	2.9.97
47.	दिल्ली इंग्लिश एकादमी, भरूवल	2.9.97
48.	अनुज मॉडल पब्लिक स्कूल, शालीमार पार्क	5.9.97
49.	नव आदर्श पब्लिक स्कूल, दयालपुर	9.9.97
50.	ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल, शिव नगर	10.9.97
51.	शोरान पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर	19.9.97
52.	व्यास पब्लिक स्कूल, बादली	9.10.97
53.	आनन्द मार्ग पब्लिक स्कूल, विष्णु गार्डन	20.10.97
54.	जे.एम. मॉडल स्कूल, भजनपुरा	13.11.97
55.	गलैक्सी पब्लिक स्कूल, मंडावली	18.11.97
56.	गीता नेशनल पब्लिक स्कूल, लक्ष्मीनगर	18.11.97
57.	बाल भारती जैन पब्लिक स्कूल, पंखा रोड	19.11.97
58.	होली ब्राइट पब्लिक स्कूल, मस्जिद मोठ	20.11.97

1	2	3
59.	स्वाती पब्लिक स्कूल, कोंडली	19.12.97
60.	सुथरे साह पब्लिक स्कूल, जमुना बाजार	22.12.97
61.	के.एस.के. एकादमी, संगम विहार	31.12.97
62.	नव नीतिन स्कूल, लिबासपुर	12.2.98
63.	बिक्रम पब्लिक स्कूल, नांगलोई	20.2.98
64.	अग्रवाल मॉडल स्कूल, त्रिनगर	20.2.98
65.	होली फादर मॉडल स्कूल, प्रताप विहार	23.2.98
66.	विद्या मन्दिर एयर फोर्स स्कूल, पालम	10.3.98
67.	माया गोयल विद्या निकेतन, संगम विहार	12.3.98
68.	मुनि माया राम जैन मॉडल स्कूल, त्रिनगर	24.3.98
69.	मलिक विद्या भवन, देवली	31.3.98
70.	गौतम मॉडल स्कूल, साद नगर	1.5.98
71.	एन.आर. जिन्दल पब्लिक स्कूल, उत्तम नगर	22.5.98
72.	न्यू भंडारी पब्लिक स्कूल, ब्रह्मपुरी	30.7.98
73.	पूर्णिमा पब्लिक स्कूल, साहिबाबाद मोहम्मद पुर	31.7.98
74.	जनता मॉडल पब्लिक स्कूल, शकूरपुर	26.8.98
75.	सन्त पब्लिक स्कूल, महावीर इन्क्लेव	26.8.98
76.	राम प्रियाशिशु शिक्षा निकेतन, न्यू सीलमपुर	2.9.98
77.	अरावली स्कूल, विलेज दशघरा	7.9.98
78.	न्यू ऐरा पब्लिक स्कूल, अशोक नगर	7.9.98
79.	सेंट रोज मेरी स्कूल, इन्द्रलोक	8.9.98
80.	प्रभु आत्म प्रकाश पब्लिक स्कूल, गोकलपुर	14.9.98
81.	न्यू डाइमंड पब्लिक स्कूल, उत्तम नगर	14.9.98
82.	ज्योति वीक्टर पब्लिक स्कूल, हरदेवपुरी	14.9.98
83.	ओमकारी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, दुर्गा पुरी	25.9.98
84.	श्याम पब्लिक स्कूल, चिराग दिल्ली	12.10.98
85.	ज्ञान ज्योति मोडल स्कूल, एम.डी.एस. नगर	14.10.98

1	2	3
86.	मदर शास्वती अकादमी, शांति नगर	14.10.98
87.	डाबर भारती पब्लिक स्कूल, समस्तपुर, खालसा	2.11.98
88.	इंडियन कॉन्वेंट पी./एस., हर्ष विहार	3.3.99
89.	सेंटजोंस स्कूल, मस्जिद मोठ	22.3.99
90.	दी न्यू विद्या विहार मॉडल स्कूल, नवीन शाहदरा	5.4.99
91.	साऊथ दिल्ली मॉडल स्कूल, संगम विहार	5.4.99
92.	ज्योति चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल, मौज पुर	9.4.99
93.	ओम पब्लिक स्कूल, रानी बाग	9.4.99
94.	शिवालिका पब्लिक स्कूल, यमुना विहार	28.4.99
95.	हिन्दू पब्लिक स्कूल, नरेला	3.5.99
96.	ज्ञान ज्योति विद्या निकेतन, अनुपम गार्डेन	6.5.99
97.	मंजू जैन मेमोरियल स्कूल, सोनीया विहार	11.5.99
98.	राजधानी पब्लिक स्कूल, घरोली	19.5.99
99.	लक्की पी.एस., हर्ष विहार	20.5.99
100.	न्यू रेडियेन्ट कॉममेंट स्कूल, उत्तम नगर	24.5.99
101.	शक्ति पी./एस., नांगलोई	25.5.99
102.	जे.एस.डी.पी./एस., पुष्प विहार	2.6.99
103.	राष्ट्रीय पी./एस., विनोद नगर	7.6.99
104.	दी श्री राम स्कूल, वसंत विहार	10.6.99
105.	बाल वैशाली मॉडल स्कूल, बदर पुर	21.6.99
106.	भारत पी./एस., जैतपुर	5.7.99
107.	राव कॉनवेंट स्कूल, नजफगढ़	19.7.99
108.	रजनी मेमोरियल पी./एस., सैनिक इनक्लेव	23.7.99
109.	आनंद सरस्वती पी./एस., मंगोलपुरी	23.7.99
110.	आर्य शिशु शाला, ग्रेटर कैलाश	23.7.99
111.	नव ज्योति प्राईमरी स्कूल, विजय घाट के नजदीक	27.7.99
112.	लरेसा पी./एस., मैहरोली	27.7.99

1	2	3
113.	विक्टोरिया पी./एस., बृज पुरी	28.7.99
114.	किंग क्राइस्ट पी./एस., हर्ष विहार	3.8.99
115.	के.एस. मेमोरियल पी./एस., भजनपुरा	5.8.99
116.	अनुराधा पी./एस., अशोक नगर	7.9.99
117.	सिरस पी./एस., गारौली	15.9.99
118.	ग्रेट अभिनव संत थॉमस पी./एस., मोलर बुंद	15.9.99
119.	नेहा पी./एस., संगम विहार	27.9.99
120.	क्रेससेंट मॉडल स्कूल, सीलमपुर	29.9.99
121.	शिवालिक विद्यालय, नेव सराय	30.9.99
122.	आर.सी. पी./एस., रोहिणी	30.9.99
123.	श्री राम मेमोरियल पी.एस., अशोक नगर	30.9.99
124.	राव बलराम पब्लिक स्कूल, नजफगढ़	4.10.99
125.	न्यूटन पी./एस., रिठाला	6.10.99
126.	दी ए.बी.सी. फाउंडेशन स्कूल, बक्तवारपुर	6.10.99
127.	मान सरोवर पी./एस., दौलतपुर	14.10.99
128.	न्यू संगम पी./एस., तुगलकाबाद	14.10.99
129.	जनता मॉडर्न पब्लिक स्कूल, विजय पार्क	28.10.99
130.	डी.पी.ए. पी./एस., नया अशोक नगर	29.10.99
131.	सीता राम पी./एस., मदन पुर खादार	29.10.99
132.	दिपांजली पी./एस., गांधी नगर	11.11.99
133.	टीनू मॉडर्न स्कूल, संगम विहार	15.11.99
134.	जय हनुमान शिक्षा सदन, बाकाली	16.11.99
135.	क्विन मैरीज़ स्कूल, तीस हजारी	14.11.99
136.	गगन पी./एस., मीठापुर	29.11.99
137.	रमन दीप विद्या भवन, भोला नाथ नगर	30.11.99
138.	असट्रॉल मैरी स्कूल, गोविन्दपुरी, कालकाजी	30.11.99

पुरातात्विक स्मारक

3268. श्री ए.के. मूर्ति: क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में दक्षिण भारतीय मंदिरों में की गई पुरातात्विक खुदाई के बारे में सामग्री प्रकाशित कराने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तमिलनाडु में और अधिक पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास इसके द्वारा किए गए उत्खननों की रिपोर्टों का प्रकाशन करने की एक निरन्तर योजना है। पिछले तीन वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तमिलनाडु की उत्खनन संबंधी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तमिलनाडु में अब तक 238 स्मारक तथा स्थल केन्द्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किए गए हैं। स्मारकों की केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के रूप में घोषणा करना एक सतत् प्रक्रिया है। विशिष्ट अथवा पुरातत्वीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है। तमिलनाडु में और स्मारकों का संरक्षण उनके इस मानदण्ड की पूर्ति पर निर्भर करेगा।

व्यावसायिक शिक्षा

3269. श्री सी.के. जाफर शरीफ: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 10+2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा देने की योजना ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (घ) शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना को सीमित सफलता हासिल हुई है। 1996 में आपरेशन अनुसंधान दल (ओ.आर.जी.) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकन 4.8 प्रतिशत था, 28 प्रतिशत उत्तीर्ण होने वाले छात्र नियोजित/स्वयं नियोजित थे तथा 38.3 प्रतिशत उत्तीर्ण हुए छात्र उच्च अध्ययन कर रहे थे। इस कार्यक्रम के वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

डी.डी.ए. के वाणिज्यिक काम्पलेक्स

3270. श्री रामचन्द्र बैंदा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी/बिक्री की गई/दुकानें खरीददार द्वारा आधी-आधी कर दी जाती है और दुकान का एक भाग बेच दिया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इसकी अनुमति दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है; और

(घ) उन आवंटियों के खिलाफ, जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) नीलामी की गई दुकानों को आधा-आधा करने की अनुमति नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की जानकारी में अभी तक ऐसा कोई विशेष मामला नहीं आया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

प्रिंट मीडिया पर विदेशी निवेश का असर

3271. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रिंट मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) इसका प्रिंट मीडिया पर क्या असर पड़ेगा;

(घ) क्या इस प्रस्ताव का फिल्म उद्योग द्वारा विरोध किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) इस बारे में सरकार 1955 के मंत्रिमण्डल के निर्णय में उल्लिखित मार्गनिर्देशों के अनुसार कार्य करती है जो मुख्य रूप से समाचार और समसामयिक घटनाओं को प्रकाशित करने वाले देश में विदेशी स्वामित्व वाले समाचारपत्र/पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा विदेशी समाचार पत्र/पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन करने पर रोक लगाता है।

(घ) से (च) उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आई.सी.एम.आर. कार्मिकों की स्थिति में सुधार

3272. श्री ब्रह्मानंद मंडल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान के तकनीकी और वैज्ञानिक कार्मिकों की स्थिति में सुधार के लिए कोई सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत लाभ की मांग करने वाले विभिन्न आई.सी.एम.आर. संस्थानों से कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितनों को यह लाभ दिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तकनीकी कर्मचारियों के लिए "एकीकृत भरती और मूल्यांकन योजना" शुरू करने की सिफारिश की गई थी। इस योजना की जांच की गई थी और 939 पदों की पहचान की गई थी जिनके लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के पैटर्न पर एक प्रोन्नति संबंधी योजना पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की गई थी। तकनीकी पदों की शेष श्रेणियों को या तो भारत सरकार की मौजूदा प्रोन्नति संबंधी योजनाओं द्वारा अथवा "एश्योर्ड कैरियर प्रोगेस्सन स्कीम" जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 9 अगस्त, 1999 को परिपत्रित की गई थी द्वारा कवर किया जाना था।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद संस्थानों/केन्द्रों के तकनीकी कर्मचारी संघ से समय-समय पर कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा सूचित किए गए 2700 वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों में से पंचवर्षीय मूल्यांकन योजना के अधीन 726 वैज्ञानिक संवर्ग अधिकारियों को लाभ पहुंचने का उल्लेख किया गया है।

[अनुवाद]

जालंधर में विज्ञान नगर

3273. श्री बलबीर सिंह:
श्री सिमरनजीत सिंह मान:

क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जालंधर में विज्ञान नगर के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस परियोजना के लिए अब तक आवंटित की गई/जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) परियोजना-स्थल पर एकजुट कार्रवाई करने के उद्देश्य से कपूरथला में एक शिविर-कार्यालय पहले ही स्थापित कर दिया गया है। परियोजना संबंधी वास्तुशिल्पीय ब्यौरे अभिकल्पित करने के लिए परामर्शदात्री एजेंसी नियुक्त करने की बाबत पहले ही कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। लार्ज फॉर्मेट फिल्म प्रोजेक्शन सिस्टम जैसे बड़े उपस्करों के लिए क्रय-आदेश दे दिए गए हैं और प्रत्ययपत्र जारी कर दिया गया है। इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कार्यकलापों के निष्पादन हेतु कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान 5.00 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी गयी थी। वर्तमान वर्ष के दौरान, इस परियोजना के लिए 10.00 करोड़ रु. का बजट प्रावधान है।

भेषज उद्योग में भारत का अंशदान

3274. श्री प्रकाश परांजपे: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू भेषज उद्योग का उत्पादन कुल विश्व बाजार के एक प्रतिशत से भी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय भेषज व्यवसाय में घरेलू शेयर बढ़ाने के लिए सरकार का क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) विश्वव्यापी फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन से संबंधित प्रामाणिक आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा के लाभभोगियों से अनुचित व्यवहार

3275. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राम कृष्ण पुरम के सैक्टर-5 स्थित केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय सहित अन्य औषधालयों में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि डाक्टर और अन्य कर्मचारी प्रात: 11 बजे से दोपहर रात के 10 बजे तक डिस्पेंसरियों से गायब रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप रोगी और वे लोग जिन्हें तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है की उपेक्षा हो जाती है;

(ग) यदि हां, तो डिस्पेंसरियों तथा औषधालयों में कार्यरत ऐसे असहयोगकारी डाक्टरों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) डाक्टरों और कर्मचारियों की हर दो-तीन वर्ष में बदलते रहने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) ऐसी कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) यह सही नहीं है। डॉक्टरों और स्टॉफ की समय पाबन्दी को सुनिश्चित करने के लिए, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाते हैं।

(ग) ऊपर (क) और (ख) पर बताई गई स्थितियों को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार की स्थानान्तरण नीति के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी और पराचिकित्सा स्टॉफ अपने निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लेने पर तात्कालिक प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार औषधालयों से स्थानान्तरित किये जाते हैं।

वैधानिक मूल्य नियंत्रण

3276. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरिया को वैधानिक मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(घ) किसानों को उचित मूल्य पर यूरिया उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) इस समय, यूरिया को वैधानिक मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

3277. श्री राजो सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा परिवार परामर्शी केन्द्र चलाए जा रहे हैं और उनका वित्त पोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो जिले-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों के मुख्य कार्य क्या हैं और इन केन्द्रों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं; और

(घ) ये केन्द्र कहां तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हाँ।

(ख) विगत तीन वर्षों में बिहार में परिवार परामर्श केन्द्रों की जिला-वार संख्या का विवरण संलग्न है।

(ग) ये परामर्श केन्द्र दहेज, भौतिक, पारिवारिक कलह और कुसमंजन के कारणों से पीड़ित महिलाओं को परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। विगत तीन वर्षों में बिहार में, इस स्कीम से 3526 महिलाओं ने लाभ उठाया।

(घ) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इन केन्द्रों का कामकाज सामान्यतः सन्तोषजनक है।

विवरण

बिहार में स्थित परिवार परामर्श केन्द्रों की जिला-वार संख्या

क्र.सं.	जिला	केन्द्रों की संख्या		
		1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	भागलपुर	1	1	1
2.	बक्सर	1	1	1
3.	देवगढ़	1	1	1
4.	दरभंगा	1	-	-
5.	गया	1	-	-
6.	नालन्दा	1	1	1
7.	पटना	3	-	-
8.	सिंघभूम	1	-	-
9.	मुंगेर	2	-	-
10.	छपरा सरन	1	1	1
11.	लोहार डांगा	1	-	-
12.	हजारी बाग	1	1	1
13.	पूर्णिया	1	-	-
14.	रांची	1	1	1
15.	जहानाबाद	1	1	-
16.	वैशाली	1	1	1
17.	खगरिया	1	-	-
18.	मुजफ्फरपुर	1	-	-
19.	कटिहार	1	-	-
20.	भखुवा	-	1	-
21.	भोजपुर	-	1	-

1	2	3	4	5
22.	जमशेदपुर	–	1	1
23.	जामुई	–	1	1
24.	नवादा	–	–	2
25.	धनबाद	1	1	–
26.	सुआपुअल	–	1	1
27.	भापुरा	–	–	1
28.	पूर्वी चम्पारन	–	–	1
		23	15	15

[अनुवाद]

एच.आई.वी. संक्रमण

3278. **श्री विलास मुत्तेमवार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में मां से बच्चे में एच.आई.वी. संक्रमण का मामला प्रकाश में आया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एच.आई.वी. संक्रमण के नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए/या उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) जी, हां। तथापि, इस संबंध में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार द्वारा अब तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) माता से बच्चे को होने वाले संक्रमण की रोकथाम करने हेतु निम्नलिखित राज्यों के 11 केन्द्रों में जिडुवुडाइन रोगनिरोध का प्रयोग करते हुए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है:-

(क) महाराष्ट्र

(ख) आंध्र प्रदेश

(ग) कर्नाटक

(घ) तमिलनाडु

(ङ) मणिपुर

परियोजना परिणामों के आधार पर इस कार्यक्रम का और आगे विस्तार करने पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

वन एवं पहाड़ी क्षेत्रों का सर्वेक्षण

3279. **श्री रामदास आठवले: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के पहाड़ी क्षेत्रों में जड़ी-बूटियों की उपलब्धता के संदर्भ में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार, विशेषकर महाराष्ट्र में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जड़ी-बूटियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु फारमास्यूटिकल एण्ड एरोमेटिक इंस्टीट्यूट ने प्रयास किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) से (ग) जी, हाँ। कुछ केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग/संस्थान (बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारतीय औषध प्रणाली और होम्योपैथी

विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और विश्वविद्यालय) देश में महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में जड़ी-बूटियों की उपलब्धता के संदर्भ में सर्वेक्षण पर कई अनुसंधान व विकास परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहे हैं।

भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र, पुणे ने क्षेत्र की पादप सम्पदा के लक्षण-वर्णन और प्रलेखन के लिए महाराष्ट्र राज्य की व्यापक रूप से गवेषणा की है। केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद (सी सी आर यू एम) और केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद (सी सी आर ए एस) भी पहाड़ी क्षेत्रों सहित समग्र महाराष्ट्र में औषधीय गुणों वाले पादपों का सर्वेक्षण करने में जुटे हैं। हमारी औषधीय गुणयुक्त और सुगन्धित जड़ी-बूटियों की अनमोल सम्पदा, जो दुर्लभ/संकटापन्न हैं या पारम्परिक प्रणालियों में जिनका प्रयोग किया जा रहा है, या जिनका भारी व्यापारिक उपयोग हो रहा है, के संग्रहण, संरक्षण और लक्षण-वर्णन के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने केन्द्रीय औषधीय और सुगंधित पादप संस्थान (सी आई एम ए पी) लखनऊ, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एन बी पी जी आर), नई दिल्ली और उष्णकटिबंधी वानस्पतिक उद्यान और अनुसंधान संस्थान (टी बी जी आर आई), तिरुवनंतपुरम में तीन राष्ट्रीय जीन बैंकों की स्थापना की है। उत्तर-पश्चिम हिमालयी क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर आर एल), जम्मू में एक चौथे जीन बैंक की अभी हाल ही में स्थापना की गई है। इन जीन बैंकों के फील्ड जीन बैंकों, बीज बैंकों, इन-विट्रो बैंकों, डी एन ए बैंक और क्रायोबैंक में महत्वपूर्ण औषधीय गुणयुक्त और सुगंधित पादप प्रजातियों की हजारों की संख्या में प्राप्तियों का रखरखाव किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जड़ी-बूटियों की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने और उनके जरिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय औषधीय और सुगंधित पादप संस्थान, लखनऊ जो सी एस आई आर की प्रयोगशाला का एक अंग है, अन्य संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ औषधीय गुणों वाले और सुगंधित जड़ी-बूटियों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान व विकास के गहन प्रयास कर रहा है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने राष्ट्रीय जैव विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत जड़ी-बूटियों से तैयार उत्पादों के विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकीय कार्य पद्धति के संबंध में एक परियोजना शुरू की है। परियोजना का उद्देश्य मलेरिया, आर्थराईटिस, हाइपरलिपीडेमिया और अन्य स्त्रीरोग संबंधी विकृतियों जैसे पुराने रोगों के नियंत्रण के लिए कुछ पादप आधारित चिकित्सा पद्धति का विकास करना है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य कल्याण योजना

3280. **श्री जी.एस. बसवराजः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्वास्थ्य कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसी योजनाओं पर कितनी राशि खर्च की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) विभिन्न केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए आवंटनों/प्रावधानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(लाख रुपयों में)

	योजना का नाम	वर्ष		
		1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1. ग्रामीण स्वास्थ्य				
(क)	सहायक नर्स धात्री/लेडी हैल्थ विजिटर का प्रशिक्षण	49.50	86.00	146.00
(ख)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	21.00	26.00	29.24

1	2	3	4	5
	(ग) उप केन्द्रों का रख-रखाव	664.00	1525.00	1996.00
	(घ) ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना	50.70	50.70	51.70
	(ङ) ग्रामीण परिवार कल्याण	1800.00	987.00	1300.00
2.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	49.97	20.55	52.50
3.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	185.00	412.16	355.98
4.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	350.00	175.00	335.00
5.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	15.06	102.93	118.85
6.	राष्ट्रीय मलेरिया रोधी नियंत्रण कार्यक्रम ग्रामीण	832.89	405.41	194.47
	शहरी	22.73	163.21	70.00

7. विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई पी पी—नौवीं परियोजना

इसे कुल 114.75 करोड़ रुपये की लागत पर 16 जून 1994 से सात वर्षों की अवधि के लिए कर्नाटक के 13 पिछड़े जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कर्नाटक राज्य सरकार ने अब तक रिलीज किए गए 57.31 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान के मुकाबले 55.53 करोड़ रुपये की व्यय सूचित किया है।

8. प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य उप-परियोजना

विश्व बैंक सहायता प्राप्त प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य उप परियोजना कुल 15.05 करोड़ रुपए की लागत से सितम्बर, 1997 से पांच वर्षों की अवधि के लिए कर्नाटक के बैल्लारी जिले में कार्यान्वित की जा रही है। राज्य सरकार ने 1997-98 के दौरान रिलीज किए गए 2.34 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान के मुकाबले 5.00 लाख रुपए का व्यय सूचित किया है।

[हिन्दी]

गुजरात में स्वास्थ्य देखभाल योजनाएं

3281. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने हाल ही में 200 करोड़ रुपये की आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है जिसमें गरीब और पिछड़े लोगों को उनके आवास पर ही स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना के लिए कोई सहायता दी है या देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या किसी विदेशी राष्ट्र ने इस योजना के लिए साठ करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या उक्त योजना को दूसरे राज्यों में भी कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ज) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का इन योजनाओं को पूरी सहायता और सहयोग देने का विचार है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को केन्द्र सरकार का किस तरह सहायता और सहयोग देने का विचार है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ञ) उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात राज्य में पहली अक्तूबर, 1997 से नीदरलैण्ड सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ''गुजरात ओ.आर.ई.टी. हैल्थ केयर प्रोजेक्ट'' नामक

एक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना को गुजरात सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और इसमें राज्य में मध्यम स्तर की चिकित्सा सेवाओं में सुधार लाने का प्रयास किया गया है।

यह परियोजना निम्नलिखित घटकों के लिए सहायता प्रदान करती है:

(1) मातृ एवं बाल स्वास्थ्य

(2) अभिघात विज्ञान

(3) नेफ्रोलाजी और बायरोलाजी

डच हैल्थ केयर कंसोरटियम फिलिप्स मेडिकल सिस्टम के पर्यवेक्षण के अधीन निम्नलिखित वित्तीय एजेंडा का प्रस्ताव किया है:

1. नीदरलैण्ड सरकार ने अधिक से अधिक लगभग 39,826,037 एन.एल.जी. का अनुदान।

2. लगभग 59,739,056 एन.एल. की रकम का एक वाणिज्यिक ऋण।

वाणिज्यिक ऋण के लिए पुनरादायगी की अवधि 10 वर्ष हैं।

इस योजना के अधीन डच सरकार ने परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया है जबकि शेष 60 प्रतिशत 6.9 प्रतिशत वार्षिक दर से एक वाणिज्यिक ऋण है। तथापि, इस संबंध में अपनाए जा रहे मानक मानदण्डों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा यह सहायता आगे राज्य सरकार को 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में दे दी जाती है।

देश में गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में कुछ केन्द्रीय प्रायोजित/सहायता प्राप्त योजनाएं नामतः राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम और प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

बन्द की गई उर्वरक इकाइयां

3282. श्री विजय गोयल: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बन्द की गई रसायन और उर्वरक इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उर्वरक के घरेलू उत्पादन, आयात और निर्यात का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) सार्वजनिक क्षेत्र में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी) के उत्पादन प्रचालनों को प्राइमरी टॉप रिफार्मर में आग लग जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने तथा प्रचालनों की उच्च लागत की वजह से जून, 1997 से निलंबित कर दिया गया है। एच एफ सी के बरौनी संयंत्र, फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ सी आई) के रामागुण्डम और तलचर एककों के प्रचालनों को अत्यधिक उच्च लागत के कारण क्रमशः जनवरी, 1999 तथा अप्रैल, 1999 से निलंबित कर दिया गया है। पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि. (पी पी सी एल) के अमझोर, देहरादून और सलादीपुरा एककों के उत्पादन की उच्च लागत के कारण अमितव्ययीय उत्पादन प्रक्रिया के फलस्वरूप वर्ष 1999-2000 के दौरान निलंबित करना पड़ा था। हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लि. (एच आई एल) के दिल्ली एकक के प्रचालनों को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के फलस्वरूप दिनांक 30.11.96 को बंद कर दिया गया था। एच आई एल ने इस एकक की पुनःस्थापना के लिए भटिंडा, पंजाब में एक स्थल का चयन किया है जहां उत्पादन कार्य प्रगति पर है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख उर्वरकों के घरेलू उत्पादन आयात और निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(मात्रा लाख मी. टन)

	1996-97	1997-98	1998-99
	1	2	3
उत्पादन			
यूरिया	156.20	185.95	192.91
डी ए पी	27.59	36.91	38.67
एस एस पी	30.80	31.39	34.06
कम्पलैक्स	35.86	35.18	37.74

	1	2	3
आयात			
यूरिया	23.28	23.89	5.56
डी ए पी	5.34	14.60	21.05
एम ओ पी	10.21	19.00	25.70
निर्यात			
यूरिया	0.10	0.20	0.40
एस एस पी	1.69	0.37	0.88
एन पी के	0.006	-	0.005

अस्पतालों में चिकित्सा कर्मी

3283. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अस्पतालों में 70 से 80 प्रतिशत से अधिक चिकित्सा कर्मियों को पूर्व आपातकाल (प्री-इमरजेंसी) और अस्पताल-पूर्व (प्री-हास्पीटल) देखरेख की जानकारी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विषय पर गहन अध्ययन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सिविल अस्पतालों में कुशल आपातकालीन उपचार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) केन्द्र सरकार के अस्पतालों में चिकित्सा कार्मिकों को पूर्व-आपाती और पूर्व-अस्पताली परिचर्या की जानकारी है और कुशल आपाती उपचार प्रदान किया जाता है। प्रजनक और बालस्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सीय और परा चिकित्सीय कार्मिकों को आपाती उपचार के लिए दक्षता पर आधारित प्रशिक्षण भी प्रदान की जाती है।

अपने-अपने सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सिविल अस्पतालों में कुशल आपाती उपचार प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित चिकित्सीय कार्मिकों का भर्ती करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

डब्ल्यू सी आर एफ और ए आई सी आर की रिपोर्ट

3284. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व कैंसर अनुसंधान कोष और अमरीकी कैंसर अनुसंधान संस्थान की संयुक्त रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) सरकार द्वारा बीमारियों से बचाव के लिए शाकाहारी भोजन (प्लांट फूड) को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का अस्पताल में रोगियों को स्वास्थ्यवर्धक शाकाहारी भोजन देने और भोजन से संबंधित जानकारी प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) "फूड न्यूट्रिशन एण्ड द प्रिवेन्शन आफ कैंसर—ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव" पर विश्व कैंसर अनुसंधान निधि और अमरीकी कैंसर अनुसंधान संस्थान की संयुक्त रिपोर्ट भारतीय न्यूट्रिशन फाउंडेशन द्वारा रिलीज की गई थी। इस

रिपोर्ट में खाद्य वस्तुओं अधिमान तथा फलों और सब्जियों से भरपूर शाकाहारी खाद्य पदार्थों जिनसे कैंसर का निवारण होने की आशा होती है, के उपभोग का उल्लेख है।

(ग) हमारे देश में मांसाहारी खाद्य पदार्थों का उपभोग कम हैं।

पौषणिक आहार और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना शिक्षा एवं संचार कार्यकलाप शुरू किये जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) अस्पताल के आहार आमतौर पर शाकाहारी होते हैं। अस्पताल योजना बनाते है और भरती किए गए भिन्न-भिन्न रोगों के रोगियों की अपेक्षताओं के अनुसार विशिष्ट आहार प्रदान करते हैं। बहिरंग रोगियों को भी आहार संबंधी सलाह दी जाती है और उनके रोग के उपचार के लिए यथापेक्षित पाबंदी लगाई जाती है।

व्यावसायिक कालेजों हेतु निर्धारित मानदण्ड

3285. श्री सुरेश चन्देल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय द्वारा 1993 में व्यावसायिक कालेजों में मेधावी छात्रों के प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा संबंधी मानदण्ड को दयानन्द चिकित्सा कालेज तथा चिकित्सालय, लुधियाना में पालन नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ख) इस तरह के मेडिकल छात्रों की वृत्तिका को कम करने तथा साथ ही शिक्षण शुल्क बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस तरह से कालेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में जिनमें छात्रों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है ऐसे कालेजों में प्रवेश, शिक्षण शुल्क, वृत्तिका और वेतन को नियमित करने हेतु कोई दिशा-निर्देश है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) सभी गैर सरकारी चिकित्सा कालेजों से स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम में दाखिला देने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों पर अमल करने की अपेक्षा की जाती है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार लुधियाना के दयानन्द चिकित्सा कालेज में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में पंजाब सरकार द्वारा आयोजित प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला दिया जा रहा है। इस कालेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद विनियमों के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय के जरिए दाखिला दिए जाने की सूचना है।

(ख) छात्रों के इन्टर्नशिप के दौरान स्नातकपूर्व स्तर पर उन्हें वजीफा दिया जाता है और राज्यों के संबंधित चिकित्सा कालेजों द्वारा स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर छात्रों को नियमावली के अनुसार वजीफा/पारिश्रमिक दिया जाता है। केन्द्र सरकार/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सरकारी/गैर सरकारी चिकित्सा कालेजों में स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों को इस प्रकार का वजीफा/पारिश्रमिक देना निश्चित नहीं किया है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (चिकित्सा कालेजों में शुल्क के मानदण्ड और दिशा-निर्देश) विनियम 1994 के खण्ड 8 (ख) के अंतर्गत जैसा अपेक्षित है, सरकार ने गैर सरकारी चिकित्सा कालेजों में अध्ययन करने वाले एम.बी.बी.एस. छात्रों के लिए शुल्क ढाँचे की निम्नलिखित उच्चतम सीमा निर्धारित की है:

(1) पेमेन्ट सीट प्रति छात्र प्रति वर्ष 1.10 लाख रुपए

(2) फ्री/मेरिट सीट प्रति वर्ष प्रति छात्र 13 हजार रुपए

उक्त सीमाओं के अंतर्गत लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा निश्चित किये जाते हैं।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अनुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में बिल्कुल मेरिट के आधार पर दाखिले दिये जाते हैं। स्नातक छात्रों को ट्यूशन शुल्क, वजीफा और वेतन के भुगतान करने संबंधी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने स्नातकोत्तर छात्रों के लिए निम्नलिखित शुल्क ढांचे की सिफारिश केन्द्र सरकार से की है और संबंधित प्राधिकारियों को सूचित करने के पहले उस पर उसकी सहमति मांगी है:

(1) फ्री सीटों के लिए शुल्क-5000 रु. प्रति वर्ष प्रति छात्र।

(2) भुगतान सीटों के लिए शुल्क 1.10 लाख रु. प्रति वर्ष प्रति छात्र।

[हिन्दी]

लोक जुम्बिश परियोजना

3286. श्री मोहन रावले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में स्वीडेन की एक अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से "लोक जुम्बिश" नामक एक नई परियोजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के अंतर्गत उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) क्या अन्य राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में ऐसी परियोजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथारिटी की सहायता से लोक जुम्बिश परियोजना वर्ष 1992 में राजस्थान में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य जन सहभागिता तथा उनकी भागीदारी के माध्यम से सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य हासिल करना है। इस परियोजना का पहला चरण 1 जून 1992 से 30 जून, 1994 तक कार्यान्वित किया गया तथा दूसरा चरण 1 जुलाई, 1994 से 31 दिसम्बर, 1999 तक कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) लोक जुम्बिश अभिनव प्रबंध संरचनाओं की स्थापना में विकेन्द्रीकरण तथा प्राधिकार प्रत्यायोजन के सिद्धांतों को शामिल करने में सक्षम रही है। लोक जुम्बिश स्थानीय समुदायों तथा स्वैच्छिक क्षेत्रक से कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ी है। इस परियोजना में 75 ब्लाक सम्मिलित किए गए हैं। इसने 8675 गाँवों में वातावरण निर्माण कार्यकलाप आरंभ किया है और 6954 गाँवों में स्कूल मानचित्रण कार्य पूरा किया है। 529 नए प्राथमिक स्कूल खोले गए हैं और 268 प्राथमिक स्कूल स्तरोन्नत किए गए हैं। अनौपचारिक शिक्षा का सहज शिक्षा कार्यक्रम नामक एक अनूठा तथा सफल कार्यक्रम है जिसके 5010 केन्द्र हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) लोक जुम्बिश एक राज्य विशिष्ट परियोजना है। चूंकि स्वीडिश इण्टरनेशनल डेवलपमेंट अथारिटी से लोक जुम्बिश को 31 दिसम्बर, 1999 तक ही सहायता प्राप्त थी, अत: सीडा (स्वीडिश इण्टरनेशनल डेवलपमेंट अथारिटी) की सहायता से महाराष्ट्र में इसी तरह की परियोजना आरंभ करने का प्रश्न नहीं उठता है। हालांकि विश्व बैंक से वित्तपोषित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम नामक विदेशी सहायता प्राप्त एक परियोजना पहले से ही महाराष्ट्र के 9 जिलों में चल रही है।

केन्द्रीय विद्यालयों में स्थानांतरण

3287. श्री राधामोहन सिंह: *क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने हाल ही में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के लिए किसी स्थान पर एक निर्धारित समयावधि तक कार्य करने के बाद, अनिवार्य स्थानांतरण का नियम बना दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनेक प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों को सहायता

3288. श्री आर.एल. भाटिया: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओटीज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और अनेक प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों को सहायता करने का प्रस्ताव किया है अथवा कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने लोक सभा में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए औटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता, बहु विकलांगता विधेयक, 1999 प्रस्तुत किया है जिसे दिनांक 15.12.1999 को उसके द्वारा पारित कर दिया गया है। उक्त न्यास प्रोत्साहनात्मक, सक्रियात्मक तथा संरक्षणात्मक स्वरूप का होगा। प्रारम्भिक तौर पर परिवारों के अधिकारों को बनाए रखना, विकास को प्रोत्साहन देना तथा हितों की सुरक्षा करना है। राष्ट्रीय न्यास उन कार्यक्रमों को भी समर्थन देगा जिसमें स्वतंत्रता को प्रोत्साहन, जहां आवश्यक हो अभिभावकत्व को सुसाध्य बनाना तथा उन विशेष व्यक्तियों की देखभाल करना है जिन्हें पारिवारिक सहारा नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में कम शक्ति ट्रांसमीटरों के लिए कर्मचारियों की कमी

3289. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में इस समय कम शक्ति के कितने ट्रांसमीटर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या ये सभी ट्रांसमीटर पूर्णकालिक रूप से काम कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केरल में इन कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) बाईस।

(ख) से (घ) स्टाफ की कमी के कारण छह अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों से अंशकालिक प्रसारण किया जा रहा है। स्टाफ को तैनात करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

क्षय रोगी

3290. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में चक्रवात के शिकार लोगों को बहु-औषध रोधी क्षय रोग से ग्रस्त होने का सबसे ज्यादा खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्षय के ऐसे मरीजों के उपचार के लिए कौन-कौन से एहतियाती कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा में लगभग तीन मिलियन लोग इस प्रकार के क्षय रोग के गंभीर शिकार हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस रोग के समाधान के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) जी नहीं। बहु औषध प्रतिरोधक क्षय रोग खराब कार्यक्रम प्रबंध के कारण होता है। उड़ीसा में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम और संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन सेवा प्रदानगी में सुधार करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं। 1998-99 के दौरान 12,49,445 राष्ट्रीय स्मियर पाजिटिव रोगियों का पता लगाने के मुकाबले उड़ीसा में 21,850 स्मियर पाजिटिव रोगियों का पता लगाया गया था।

(घ) उड़ीसा में कार्यान्वयन हेतु 31.95 करोड़ रुपये की डेनिडा सहायता से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है। इस समय संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन तीन जिले शामिल किये जा रहे हैं और सेवा प्रदानगी का चरणबद्ध ढंग से अन्य जिलों में विस्तार करने का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं

3291. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य देख:बाल सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई प्रयास किये गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो चालू योजनावधि के दौरान सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) सरकार बिहार के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की कतिपय कमियों को जानती है।

प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध राज्य क्षेत्र निधियों और राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र बजट से धन दिया जाता है। केन्द्र सरकार बुनियादी न्यूनतम कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए बुनियादी न्यूनतम सेवा निधियों और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का हिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के वित्त पोषण के लिए राज्य सरकारों के पास उपलब्ध रहता है।

30.6.98 की स्थिति के अनुसार बिहार में कार्यरत उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या क्रमशः 14, 799, 2209 और 148 है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए राज्य का लक्ष्य क्रमशः 1026, 428 और 511 उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का है।

अक्टूबर 1997 में चलाए गए राष्ट्रव्यापी प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था है।

परिवार कल्याण और सेवा प्रदानगी तंत्रों के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.पी.पी.-I/II परियोजना 58.38 करोड़ रुपये की लागत से 2.11.90 से 30.6.98 तक बिहार में कार्यान्वित की जा रही थी। यू.एन.एफ.पी.ए. (संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि) सहायता प्राप्त एक अन्य परियोजना 2.32 करोड़ रुपए की कुल लागत से बिहार के पटना जिले में चलाई जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य जिले में प्रजनक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

बंध-करार का उल्लंघन

3292. **श्री टी.एम. सेल्वागनपतिः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने निष्पादित किए गए बंध-करार का उल्लंघन करके अपने सफल बीएससी (आनर्स) नर्सिंग ग्रेजुएट्स को संस्थान में नियुक्त करने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बाहर से नर्सों की नियुक्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) संस्थान ने निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार सिस्टर ग्रेड-II के पदों पर नियमित नियुक्तियां की हैं।

आवारा बच्चे

3293. **श्री अशोक ना. मोहोलः**
श्रीमती रानी नरहः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान आवारा बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिवर्ष आवारा बच्चों के कल्याण हेतु योजनाएं आरम्भ की हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इन योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए गए सहायतानुदान से आवारा बच्चे लाभान्वित हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकलापों के क्षेत्र को दर्शाते हुए केन्द्र सरकार से ऐसे सहायतानुदान प्राप्त करने वाले असम के स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ इन संगठनों को कितनी धनराशि मिली है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा भारत में बच्चों की संख्या के बारे में कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, बेसहारा बच्चों को पुनर्वासित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित मंत्रालय की एक योजना है जिसे बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम के नाम से पुकारा जाता है।

(ग) बेसहारा बच्चों के कल्याण संबधी योजना के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	कार्यकलाप का क्षेत्र	वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्मुक्त अनुदान (रुपए लाख में)		
			1997-98	1998-99	1999-2000 अब तक
1.	भारतीय बाल कल्याण परिषद, राज्य शाखा, जी.एन. बारदोलोई रोड अम्बारी, गुवाहाटी, असम	गुवाहाटी	6.10	5.58	-

दूरदर्शन के लिए कार्यक्रमों का चयन

3294. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन कार्यक्रमों के चयन में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1998-99 और आज तक प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने गैर विभागीय एजेंसियों द्वारा उनकी जांच करवाई हैं;

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक शिकायत पर क्या निष्कर्ष निकला; और

(च) सरकार ने दूरदर्शन के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ङ) सरकार को 1998 एवं 1999 के दौरान दूरदर्शन कार्यक्रमों के चयन में अनियमितताओं के बारे में 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दो मामलों में प्रारम्भिक विभागीय जांच शुरू कर दी गयी है। तीसरा मामला जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास है। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन को चार शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं जिन पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की गई तथा ये तर्क-संगत नहीं पायी गई।

(च) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के भ्रष्टाचार की संभावना वाले कार्यकलापों के क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है और धारावाहिकों/कार्यक्रमों/आयोजनों आदि के बारे में कार्यवाही में शामिल प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। दूरदर्शन में तथाकथित भ्रष्टाचार संबंधी सभी शिकायतों की भी अच्छी तरह से जांच की जाती है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम

3295. श्री अशोक प्रधान: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक उत्तर प्रदेश स्थित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को राज्य बी सी एफ डी सी द्वारा धनराशि के कथित दुरुपयोग के बारे में जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कोई समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, पिछड़े वर्गों के पात्र सदस्यों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामांकित राज्य माध्यम एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लि. को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम से ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य माध्यम एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान राज्य माध्यम

एजेंसी की मांग पर स्वीकृत एवं संवितरित राशि निम्नलिखित है:

(रुपए लाख में)

वर्ष	स्वीकृत	संवितरित
1996-97	72.334	48.45
1997-98	1898.824	141.58
1998-99	631.571	1360.38
कुल	2602.729	1550.41
संचयी राशि (आरंभ से अब तक)	6026.58	2922.040

(ख) अब तक कोई उदाहरण ध्यान में नहीं आया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सिद्धा औषधि की जांच

3296. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई तम्बरम में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ थोरासीक मेडीसीन संस्थान के एच.आई.वी. संक्रमित रोगियों पर सिद्धा औषधि का परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उस औषधि का विनिर्माण व्यापक पैमाने पर करने के लिए आगे और परीक्षण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में आगे और शोध करने के लिए तमिलनाडु के सिद्धा संकाय को और धन प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) जी, हाँ। तम्बरम, चेन्नई स्थित इन्स्टीट्यूट आफ थोरासीक मेडीसीन, में कुछ रोगियों पर प्रारम्भिक अध्ययन किया गया है। ये औषधें रसगंधा, मेध्रुगु, अमुक्कारा, चूर्णम और नेल्लीवकई लेहियम हैं। इस अध्ययन से एच.आई.वी. रोगियों पर इन औषधों की प्रभावकारिता के बारे में निष्कर्ष नहीं निकला।

(ग) से (च) भारत सरकार ने उपर्युक्त संस्थान के अधीक्षक को यह सलाह दी है कि वह एच.आई.वी. रोगियों के इलाज में सिद्ध औषधों की प्रभावकारिता को समुचित रूप से विधिक मान्यता प्रदान करने के लिए डबल ब्लाइन्ड प्लेसबो कंट्रोल ट्रायल करने के लिए एक प्रोटोकाल प्रस्तुत करें।

कम्प्यूटर शिक्षा

3297. श्री अन्ना साहेब एम.के. पाटील: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कक्षा कम्प्यूटर शिक्षा परियोजना सेकेन्डरी स्कूल स्तर पर चल रही थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य-वार कितने स्कूलों को सम्मिलित किया गया है;

(ग) क्या इस योजना को बन्द कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त योजना को जारी रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ङ) "स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन" (क्लास) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता लागू करने के लिए तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर की खरीद के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता दी जाती थी। "क्लास योजना" के तहत शामिल स्कूलों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। शिक्षा विभाग "स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन" नामक तत्कालीन योजना की जगह एक नई योजना तैयार कर रहा है।

विवरण

स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन (क्लास) नामक योजना के तहत शामिल स्कूलों की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	"क्लास" योजना के तहत शामिल स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	172
2.	अरूणाचल प्रदेश	20
3.	असम	102
4.	बिहार	123

1	2	3
5.	गोवा	70
6.	गुजरात	171
7.	हरियाणा	127
8.	हिमाचल प्रदेश	214
9.	जम्मू और कश्मीर	53
10.	कर्नाटक	377
11.	केरल	177
12.	मध्य प्रदेश	422
13.	महाराष्ट्र	404
14.	मणिपुर	26
15.	मेघालय	42
16.	मिजोरम	17
17.	नागालैंड	17
18.	उड़ीसा	117
19.	पंजाब	137
20.	राजस्थान	239
21.	सिक्किम	22
22.	तमिलनाडु	195
23.	त्रिपुरा	46
24.	उत्तर प्रदेश	434
25.	पश्मि बंगाल	257
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22
27.	चंडीगढ़ प्रशासन	8
28.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली)	210
29.	दादरा एवं नगर हवेली	9
30.	दमन और दीव	4
31.	लक्षद्वीप	9
32.	पांडीचेरी	8

[हिन्दी]

दूरदर्शन का कार्य संचालन

3298. श्री अरुण कुमार :
श्री अजित सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन के कार्य संचालन के लिए कार्य कुशल/प्रशिक्षित व्यावसायिकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) यह महसूस किया जाता है कि प्रसार भारती में सेवाओं की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और व्यावसायिकता में सुधार लाने की आवश्यकता है और तदनुसार, प्रसार भारती के कार्यकरण का अध्ययन करने और इस बारे में समुचित सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित कर दी गयी है।

[अनुवाद]

समीकृत माल भाड़ा योजना

3299. श्री सुनील खां : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री सी.एच. हनुमंत राव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने राज्यों को उर्वरक वितरण से संबंधित आवश्यक वस्तु अधिनियम में नई समीकृत माल भाड़ा योजना को खत्म करने की अनुशंसा की है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने राज्य प्रभावित हुए हैं; और

(ग) इस मामले में प्रभावित राज्यों की सहायता हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) यूरिया की मौजूदा सब्सिडाइजेशन प्रणाली की समीक्षा करने और एक विस्तृत आधार वाली वैज्ञानिक तथा पारदर्शी वैकल्पिक पद्धति का सुझाव देने के लिए प्रो. सी.एच. हनुमंताराव की अध्यक्षता में गठित की गई उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षा समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ

आवश्यक वस्तु अधिनियम उर्वरकों के संचलन के आबंटनों को समाप्त करने और समीकृत भाड़ा योजना को वापस लेने की अनुशंसा की है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति की उपर्युक्त सिफारिश पर सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए प्रभावित राज्यों को यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावास

3300. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों हेतु बनाए गए छात्रावासों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में विशेषकर गुजरात में कितने विद्यार्थियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) कोई योजना नहीं है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अनन्य रूप से छात्रावासों को खोलने की व्यवस्था करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कन्नड़ चैनल

3301. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर चौबीस घंटे कन्नड़ क्षेत्रीय चैनल शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में निजी क्षेत्रीय चैनलों से प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन द्वारा अगले वर्ष के प्रारंभ में 24 घंटे की कर्नाटक क्षेत्रीय सेवा शुरू करने का एक प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कल्याण संबंधी योजनाएँ

3302. श्री के. येरननायडू : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही कल्याण संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार से कितने संगठनों ने अनुदान प्राप्त किया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) मंत्रालय की निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है:-

क्र.सं.	योजना का नाम
1	2
1.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन
2.	सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता
3.	शराबखोरी तथा द्रव्य पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण
4.	समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सहायता अनुदान
5.	वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम
6.	पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्वावलम्बी समूहों को वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृहों, बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए सहायता
7.	बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम
8.	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
9.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता
10.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग
11.	आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग
12.	पशुओं के लिए आश्रय गृह
13.	कष्ट में पड़े पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवाएं
14.	आवारा कुत्ते के प्रतिरक्षण के लिए जन्म नियंत्रण

(ख) यह सूचना मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है।

इंटरनेट सेवाओं पर रेडियो

3303. श्री कृष्णमराजू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी की श्रोता अनुसंधान एकक ने इंटरनेट सेवाओं पर रेडियो की व्यवहार्यता का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इंटरनेट पर आकाशवाणी का सीधा श्रवण प्रसारण का विस्तार रोकने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) आकाशवाणी के श्रोता अनुसंधान एकक (ए.आर.यू.) द्वारा 'इंटरनेट पर रेडियो' की व्यवहार्यता के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, इन्टरनेट के जरिए आकाशवाणी के कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण के बारे में श्रोताओं की जागरूकता तथा उनकी संख्या का मूल्यांकन करने के लिए इस एकक द्वारा केवल दिल्ली में "इंटरनेट पर आकाशवाणी की सीधी प्रसारण सेवा" का एक फीडबैक अध्ययन किया गया है। यह सेवा बहुत ही लोकप्रिय पायी गयी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश से समाचार पत्रों का प्रकाशन

3304. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में दैनिक समाचार-पत्र, साप्ताहिक, मासिक पत्रिकाएं आदि शुरू करने और प्रकाशित करने हेतु आवेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय को मध्य प्रदेश से समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं के शीर्षक सत्यापन के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) 1.1.1999 से 10.12.99 की अवधि के दौरान शीर्षक सत्यापन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या 1145 है। इनमें से 714 शीर्षकों को सत्यापित कर दिया गया था और 397 शीर्षकों को अस्वीकृत कर दिया गया था। शेष 34 शीर्षकों के लिए आवेदकों को पूरे कागजात प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

जड़ी-बूटी उद्योग

3305. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जड़ी-बूटी उद्योग को कुछ औषधियों को बचाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्णय की प्रतीक्षा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिमी देश, भारतीय जड़ी बूटियों पर गहन अनुसंधान कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार के पास कोई प्रमाणिक सूचना नहीं है। तथापि, भारतीय औषधीय पादपों पर अनुसंधान किए जाने के बारे में समाचार रिपोर्टें छपी हैं।

स्लिमिंग केन्द्र

3306. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 नवम्बर, 1999 के "नवभारत टाइम्स" में "बीमारी का शिकार बन रहें स्लिमिंग सेन्टर्स में जाने वाले" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) देश में इस समय ऐसे कितने केन्द्र हैं;

(घ) सरकार या स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे ऐसे केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे केन्द्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (च) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय देश में स्लिमिंग केन्द्रों के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखता है। केन्द्र सरकार के अस्पताल किसी ऐसे स्लिमिंग केन्द्र को नहीं चलाते हैं।

यह समाचार राजधानी में स्लिमिंग केन्द्रों का भी उल्लेख करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि इस समय कोई कानून नहीं है जिसके तहत स्लिमिंग क्लीनिकों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा के रूप में लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित हो।

[अनुवाद]

द्वारका उप-नगर में आवश्यक सुविधाएं

3307. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वारका, भिंहपुर, नई दिल्ली में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण बहुत सारे फ्लैट खाली पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो वहां आवश्यक सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी; और

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट आवंटन हेतु कब से खाली पड़े हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार द्वारका में कुछ सैक्टरों को छोड़कर जहां बिजली की अनुपलब्धता के कारण अनेक फ्लैट खाली हैं, अधिकतर सैक्टरों में बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली आदि उपलब्ध है। डी.डी.ए. ने बिजली की आवश्यकता से दिल्ली विद्युत बोर्ड (डी.वी.बी.) को अवगत करा दिया है जिसे नगर स्तरीय विकास पर बिजली मुहैया करानी है। इलेक्ट्रिक सेवाओं को लगाने के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए डी.डी.ए. मामले को गम्भीरता से डी.वी.बी. के समक्ष रख रहा है इसको देखते हुए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती।

(ङ) द्वारका में आबंटन के लिए डी.डी.ए. फ्लैट कब से खाली पड़े हैं उसे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	द्वारका में स्कीम का नाम	जब से खाली पड़े हैं
1995-96		
1.	सैक्टर-7 पाकेट-2 द्वारका फेज-I (68 जनता + 146 एल.आई.जी.)	3/95
2.	नसीरपुर पाकेट, 9 द्वारका (68 एल.आई.जी. + 174 जनता)	3/95
3.	सैक्टर-23 द्वारका (104 एम.आई.जी. + 147 एल.आई.जी.)	3/95
1996-97		
1.	सैक्टर-13 द्वारका (176 एस.एफ.एस. + 126 एम.आई.जी.) +224 एल.आई.जी. मकान)	3/97
1997-98		
1.	सैक्टर-14 पाकेट "बी" द्वारका (864 एल.आई.जी. मकान)	3/98
1998-99		
1.	सेक्टर-9 द्वारका (460 रिहायशी मकानों में से 160)	3/99
2.	सेक्टर-14 पाकेट "क" द्वारका (976 एल.आई.जी.)	3/99
3.	पाकेट-13 नसीरपुर द्वारका (808 एल.आई.जी. में से 496 एल.आई.जी.)	3/99
4.	पाकेट-6 नसीरपुर द्वारका (272 जनता मकान)	3/99

पंजाब में रसायन उद्योग

3308. श्री सिमरनजीत सिंह मान : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब के संगरूर जिले में स्थित रासायनिक उद्योगों ने अपशिष्ट और बहिस्राव उपचार संयंत्र लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अपशिष्ट पदार्थों और बहिस्राव का किस प्रकार निपटारा किया जाता है;

(घ) क्या ऐसा कोई उद्योग मानवीय निवास स्थलों के आस पास हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों के जहरीले अपशिष्ट पदार्थों और बहिस्राव से स्थानीय निवासियों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, संगरूर के रासायनिक उद्योगों ने उद्योगों के आवश्यकतानुसार सोलर इर्वेपोरेशन पोंड्स, इन्सीनरेटर तथा स्क्रूबर्स उपलब्ध कराए हैं।

(घ) और (ङ) एक यूनिट नामतः, मेसर्स नेशनल एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पटियाला रोड, संगरूर आबादी क्षेत्र के पास है। उस उद्योग द्वारा उत्पाद बहिस्राव के लिए सोलर इवैपोरेशन पोंड तथा गैसीय उत्सर्जन के लिए अलकली स्क्रूबर प्रदान किया गया है। इस उद्योग में एक इंसिनरेटर भी है।

उड़ीसा में एल.पी.टी.

3309. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1993 में उड़ीसा में पटनागढ़ में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर की स्थापना हेतु कुछ भूमि का अधिग्रहण किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे प्रभावित लोगों को उनकी भूमि के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) पटनागढ़ ट्रांसमीटर के लिए निकटवर्ती भूमि सहित भवन को किराये पर लिया गया था तथा जनवरी, 1994 से दूरदर्शन द्वारा मालिक को किराये का भुगतान किया जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

रस्सा कशी

3310. श्री पी.सी. थामस : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ राज्यों विशेषकर केरल में रस्सा कशी एक लोकप्रिय खेल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस खेल को मान्यता दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) जी, हां।

रस्सा कशी (टग ऑफ वार) परिसंघ मुख्यतः इसी खेल के संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। इस परिसंघ की 26 राज्यों में संबद्ध इकाईयां हैं और यह राष्ट्रीय चैम्पियनशिपें आयोजित कर रहा है।

केरल में एक राज्य स्तरीय रस्साकशी परिसंघ है जिसकी राज्य टीम ने राष्ट्रीय चैम्पियनशिपें में भाग लिया है।

(ग) और (घ) रस्साकशी परिसंघ को सरकार द्वारा जून, 1999 में मान्यता प्रदान की गई थी।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

डी.डी.ए. द्वारा अवैध निर्माण का गिराया जाना

3311. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनधिकृत ढांचों को गिराने की कार्यवाही शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष से आज की तारीख तक के दौरान नष्ट किए गए मकानों की स्थानवार संख्या और उनके स्वरूप क्या है;

(ग) गिराने के लिए इन मकानों का चयन किस आधार पर किया जाता है; और

(घ) इससे लोग किस सीमा तक प्रभावित होंगे?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने सूचित किया है कि अनधिकृत ढांचों को गिराना/हटाना एक सतत प्रक्रिया है जिसे नियमित आधार पर किया जाता है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अनधिकृत ढांचों को गिराने का कार्य प्राप्त शिकायतों और डी.डी.ए. के फील्ड कर्मचारियों द्वारा शिनाख्त अनधिकृत ढांचों के आधार पर किया जाता है। अनधिकृत ढांचों को गिराने का कार्यक्रम भूमि की आवश्यकता, न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेशों को खारिज करने, हो रहे अनधिकृत निर्माण, आदि के आधार पर तय किया जाता है।

(घ) अनधिकृत ढांचों का निर्माण करना या अनधिकृत परिवर्धन एक अवैध कार्य है जिसके लिए नियमों/विनियमों के अधीन कार्रवाई की जाती है।

विवरण

पिछले वर्ष के दौरान डी.डी.ए. द्वारा नवम्बर, 1999 तक गिराये गए अनधिकृत ढांचों का ब्यौरा

भाग – "क"

क्षेत्र	ढांचों की प्रकृति	1998-99	1999 (नवम्बर तक)
पूर्वी क्षेत्र	कच्चे, पक्के और अर्ध-पक्के ढांचे	583	769
पश्चिमी क्षेत्र	कच्चे, पक्के और अर्ध पक्के ढांचे	906	851
रोहिणी	कच्चे, पक्के और अर्ध-पक्के ढांचे	85	88
दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र	कच्चे, पक्के और अर्ध-पक्के ढांचे	662	763
दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र	कच्चे, पक्के और अर्ध-पक्के ढांचे	475	338
उत्तर क्षेत्र	कच्चे, पक्के और अर्ध-पक्के ढांचे	193	286
	योग	2904	3095

भाग – "ख"

उपर्युक्त के अलावा वर्ष 1998-99 में 77, डी.डी.ए. फ्लैटों और वर्ष 1999 में (नवम्बर तक) 24 डी.डी.ए. फ्लैटों से अनधिकृत ढांचे भी हटाए गए।

पुरावशेषों की चोरी

3312. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुरावशेषों की चोरी देश में चौकानेवाली दर से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पुरावशेषों की चोरी के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) पुनः प्राप्त किए गए पुरावशेषों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी चोरी को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) सरकार को पुरावशेषों की चोरी के कुछ मामलों की जानकारी है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 69 पुरावशेषों की चोरी के 17 मामले थे जिनकी सूचना सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई थी।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान 16 पुरावशेषों को बरामद किया गया है।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राजस्व आसूचना निदेशालय, सीमाशुल्क एवं राज्य सरकारों जैसी प्रवर्तित एजेन्सियों के साथ सम्पर्क करने सीमा शुल्क निकासी केन्द्रों पर गहन छानबीन कर पुरावशेषों की चोरी रोकने के साथ-साथ पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को सख्ती से लागू करने के उपाय किए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाले चुनिंदा केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों तथा संग्रहालयों में सशस्त्र गार्ड भी तैनात किए गए हैं।

हेपेटाइटिस बी

3313. श्री नरेश पुगलिया :
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री विजय गोयल :
श्री आर.एल. भाटिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हेपेटाइटिस बी एड्स से कहीं अधिक घातक है;

(ख) यदि हां, तो एड्स की तुलना में हेपेटाइटिस बी से प्रति वर्ष कितने लोग मरते हैं;

(ग) देश में हेपेटाइटिस बी के वाहकों की अनुमति संख्या क्या है;

(घ) ऐसे रोग के बढ़ने के क्या कारण हैं;

(ङ) हेपेटाइटिस बी और एड्स के नियंत्रण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अलग-अलग प्रति वर्ष राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(च) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1997 में पारित उस प्रस्ताव पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया था जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक देश हेपेटाइटिस बी को विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करें;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ज) हेपेटाइटिस बी को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) वायरल हेपेटाइटिस और एड्स के कारण हुई मौतों की उपलब्ध सूचना इस प्रकार है:-

वर्ष	वायरल हेपेटाइटिस मौतें	एड्स मौतें
1996	903	188
1997	1208	287

(ग) मुख्य रूप से संस्थागत आंकड़ों पर आधारित अध्ययनों से पता चलता है कि भारत के लगभग 3.5 प्रतिशत लोगों में हेपेटाइटिस-बी विषाणु वाहक हो सकते हैं।

(घ) हेपेटाइटिस-बी आंत्रेत्र, यौन मार्ग और माता से बच्चे मे फैलता है। यदि सावधानियां नहीं बरती गई तो इसकी घटनाओं में वृद्धि होगी।

(ङ) हेपेटाइटिस-बी नियंत्रण के लिए अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एड्स कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(च) जी, हां।

(छ) भारी वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए इस समय हेपेटाइटिस-बी को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ज) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए उपाय करना राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने इस रोग को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. रक्ताधान से पहले सभी रक्तदाताओं में हेपेटाइटिस-बी विषाणु की जांच को अनिवार्य बनाया गया है।

2. व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक टीकाकरण के लिए अलग सिरिंजों और सुइयों की व्यवस्था। प्रत्येक इंजेक्शन और आपूतिक शल्य कार्यों के लिए अलग से विसंक्रमित सिरिंजों और सुइयों के प्रयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

3. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सुरक्षित यौन आचरण को बढ़ावा देने, केवल विसंक्रमित सुइयों का प्रयोग करने, सुरक्षित रक्त आदि सुलभ कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को देखते हुए हेपेटाइटिस-बी का संचरण भी नियंत्रित होगा।

4. केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में जोखिम वाले सभी स्वास्थ्य कार्मिकों को हेपेटाइटिस-बी का टीका लगाया जा रहा है।

5. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की निम्नलिखित सलाह दी गई है:-

- अस्पताली कर्मचारियों का नि:शुल्क रोग-प्रतिरक्षण।

- रोग के निवारक पहलुओं पर स्वास्थ्य शिक्षा को सुदृढ़ करना।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान आवंटित राज्यवार अनुदान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97 के दौरान आबंटित अनुदान	1997-98 के दौरान आबंटित अनुदान	1998-99 के दौरान आबंटित अनुदान
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	425.00	425.00	650.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	80.00	25.00	30.00
3.	असम	100.00	100.00	100.00
4.	बिहार	25.00	50.00	110.00
5.	गोवा	25.00	50.00	35.00
6.	गुजरात	300.00	250.00	230.00
7.	हरियाणा	130.00	75.00	160.00
8.	हिमाचल प्रदेश	115.00	225.00	115.00
9.	जम्मू व कश्मीर	25.00	25.00	25.00
10.	कर्नाटक	350.00	175.00	335.00
11.	केरल	225.00	100.00	65.00
12.	मध्य प्रदेश	425.00	150.00	315.00
13.	महाराष्ट्र	900.00	950.00	800.00
14.	मणिपुर	200.00	150.00	245.00
15.	मेघालय	35.00	25.00	30.00
16.	मिजोरम	150.00	100.00	100.00
17.	नागालैंड	190.00	155.00	227.00
18.	उड़ीसा	50.00	75.00	100.00
19.	पंजाब	225.00	75.00	150.00

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	375.00	225.00	100.00
21.	सिक्किम	50.00	50.00	50.00
22.	तमिलनाडु	1700.00	2000.00	800.00
23.	त्रिपुरा	50.000	50.00	20.00
24.	उत्तर प्रदेश	450.00	495.00	200.00
25.	पश्चिम बंगाल	600.00	100.00	350.00
26.	पांडिचेरी	7.00	0.00	40.00
27.	अण्डमान व निकोबार	45.00	31.00	20.00
28.	चण्डीगढ़	46.99	28.00	60.00
29.	दादर और नगर हवेली	17.00	16.00	0.00
30.	दमन व द्वीव	19.00	24.22	15.00
31.	दिल्ली	400.00	25.00	110.00
32.	लक्षद्वीप	16.71	15.42	0.00
	योग	7752.55	6239.73	5587.00

"नो पास नो फेल" प्रणाली

3314. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नयी शताब्दी वर्ष के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए "नो पास नो फेल" प्रणाली शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) ने सिद्धांत रूप से ग्रेडिंग प्रणाली को लागू करने तथा ग्रेडों में सुधार की व्यवस्था करने का संकल्प किया है। पूरा ब्यौरा तैयार कर लेने के बाद इस निर्णय को लागू किया जाएगा।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की मांग

3315. श्रीमती कैलाशो देवी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उनसे सहबद्ध संस्थानों ने हाल में "उच्च शिक्षा बचाओ दिवस" मनाया था;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थानों की मांगें और शिकायतें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिनांक 23.11.1999 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचारों में अन्य के साथ-साथ वित्तीय संकट से सम्बद्ध मामले, उच्चतर शिक्षा के निजीकरण के परिणामस्वरूप संकट, गुणावगुण के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका, विदेशी विश्वविद्यालयों से खतरे, कुलपति तथा शिक्षकों की जिम्मेदारी आदि संबंधी मामले भी शामिल हैं। ये मामले काफी समय से चर्चा के विषय रहे हैं तथा उस दिन विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आयोजित सेमिनारों में उन पर चर्चा की गई थी। कार्यदल तथा विशेषज्ञ दल ने अन्यों के साथ-साथ उपर्युक्त विषयों पर अपनी सिफारिशें की है जिन्हें सरकार के विचारार्थ भेज दिया गया है।

जाली जाति प्रमाण पत्र

3316. श्री रतन लाल कटारिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शैक्षिक संस्थानों में जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नामांकन कराने से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जाली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शैक्षिक संस्थाओं में दाखिला के संबंध में सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आवास का अधिकार

3317. योगी आदित्यनाथ : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आवास के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शिक्षा प्रणाली

3318. श्रीमती रानी नरह:
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में ग्रामीण आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली के पुनरीक्षण की कोई योजना बनायी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर 44.69% तथा शहरी क्षेत्रों की साक्षरता दर 73.08% है।

(ख) और (ग) 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में दिए गए बल के अनुसरण में मुख्यतः ग्रामीण आबादी की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं में शामिल हैं-आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, मध्याह्न भोजन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, संपूर्ण साक्षरता अभियान और सामुदायिक पालिटेकनिक। नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में एक राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद की भी स्थापना की गई है।

महिलाओं के लिए स्वयंसेवी संगठन

3319. श्री भर्तृहरि महताब : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में महिला कल्याण में लगे उन स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) ऐसे संगठनों की लेखा परीक्षा करने वाली एजेन्सियों का ब्यौरा क्या हे;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान काली सूची में डाले गए संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महिला कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

गोल मार्किट के डी.आई.जेड. एरिया में झुग्गियों का निर्माण

3320. डा. बलिराम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली के गोल मार्किट क्षेत्र में जिन-जिन स्थानों पर झुग्गियों का निर्माण किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उन विभागों के नाम क्या हैं जिनकी जमीन पर इन झुग्गियों का निर्माण किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जे को रोकने के लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो इन झुग्गियों को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) इन झुग्गियों को कब तक हटा देने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार गोल मार्किट क्षेत्र में 7 झुग्गी समूह हैं:

(1) सैक्टर-IV राजा बाजार पोली क्लिनिक जैन मन्दिर के पीछे।

(2) सैक्टर-IV, राजा बाजार, एन.डी.एम.सी. इलेक्ट्रिसिटी सब-स्टेशन के सामने।

(3) ब्लाक 45-58, डी.आई.जैड. क्षेत्र।

(4) एडवर्ड स्क्वेयर, उड़यन मार्ग।

(5) कालीबाड़ी मार्ग, फिलिंग स्टेशन।

(6) मदर डेयरी ब्लाक 233, डी.आई.जेड. क्षेत्र।

(7) ई.एस.एस. सं. 4, भाई वीर सिंह मार्ग।

(ख) यह झुग्गी समूह भूमि एवं विकास कार्यालय की भूमि पर बने हैं।

(ग) से (ङ) सरकार समय-समय पर सभी भूमि की स्वामित्व एजेंसियों पर अतिक्रमण से अपनी भूमि को बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु जोर देती रही है। तथापि, पात्र झुग्गी निवासियों आदि के पुनर्स्थापन द्वारा सरकार की नीति के अनुसार झुग्गियों को हटाया जा सकता है। झुग्गियों को हटाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

एम.बी.बी.एस. छात्रों पर किया गया व्यय

3321. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सरकारी कालेजों में एम.बी.बी.एस. और एम.डी. में अध्ययन करने वाले एक छात्र पर कितना खर्च किया जा रहा है;

(ख) उक्त खर्च में से कितनी धनराशि छात्र से वसूली जाती है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से कितने डाक्टर विदेश चले गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी मेडिकल कालेजों से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले डाक्टरों को एक निश्चित अवधि के लिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में काम करना अनिवार्य बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर सरकार द्वारा प्रतिछात्र चिकित्सा शिक्षा में किये जाने वाले व्यय में कोई एकरूपता नहीं है क्योंकि यह आंकड़ा राज्य से राज्य में भिन्न-भिन्न है। 1998 में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के दौरान स्नातक स्तर पर किसी सरकारी चिकित्सा कालेज में प्रति छात्र पर चिकित्सा शिक्षा की औसत लागत लगभग 3.15 लाख प्रति वर्ष है। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की लागत पर कोई नया अध्ययन नहीं किया गया है। वैसे 1994 की पहले की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी चिकित्सा कालेजों में प्रति स्नातकोत्तर छात्र पर चिकित्सा शिक्षा की लागत 71,000/- रुपये से लेकर

1.46 लाख के बीच प्रति वर्ष है। इन पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से ली जा रही फीस बहुत ही नाम मात्र है।

(ग) 1997, 1998 और 1999 (आज तक) के दौरान उच्चतर अध्ययनों/रेजीडेन्सी/प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने के लिए जिन मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए उन डाक्टरों की संख्या क्रमश: 1583, 1688 और 1589 है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद ने अप्रैल 1999 में हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का संकल्प किया कि कम से कम 25 प्रतिशत स्नातकोत्तर सीटें उन सेवाकालिक चिकित्साधिकारियों के लिए आरक्षित की जाये जिन्होंने इस बांड के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्षों की सेवा की हो, कि वे सरकार की 5 वर्ष तक सेवा करेंगे। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के इस संकल्प को राज्य सरकारों को उनकी ओर से समुचित कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

मध्य प्रदेश की कल्याण संबंधी योजनाएं

3322. **श्री कांतिलाल भूरिया** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, विधवाओं, विकलांगों और अल्पसंख्यक समुदायों की कल्याण संबंधी योजनाओं पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य रक्षक योजना

3323. **श्री रामानंद सिंह:**
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "स्वास्थ्य रक्षक" योजनाएं देश में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु शुरू की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित मानदेय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को मानदेय की राशि में वृद्धि हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अब तक इस राशि को न बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) इसे कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है और तत्संबंधी पुनरीक्षित राशि क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी हां। लोगों को उनके घर के पास ही प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1977 में यह योजना शुरू की गई।

(ख) इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों को प्रति महीने 50/- रुपये मानदेय दिया जाना था।

(ग) और (घ) सरकार समय-समय पर ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त करती रही है। अभ्यावेदनों में प्रस्तुत की गई मुख्य मांगें मानदेय राशि को बढ़ाने ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों को पुन: दवाई किटें प्रदान करने और उनको सरकारी कर्मचारी के समान ही सभी सुविधाएं मुहैय्या कराने इत्यादि के बारे में है।

(ङ) और (च) एक विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में योजना के सभी पहलुओं की समीक्षा की और कतिपय संस्तुतियां की हैं। न्यायालय में लंबित कतिपय मामलों को निपटा लिए जाने के शीघ्र बाद अंतिम निर्णय लिए जाने की आशा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन

3324. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामदास आठवले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यवार कितने अस्पताल चल रहे हैं;

(ख) देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के ग्रामीण अस्पतालों के रूप में उन्नयन हेतु क्या मानदण्ड है;

(ग) क्या ये अस्पताल स्थानीय जनता की आवश्यकता हेतु पर्याप्त हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की संख्या बढ़ाने तथा और अधिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इन केन्द्रों की संख्या कब तक बढ़ा दी जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) 30.6.98 को देश में कार्य कर रहे उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 4-6 पलंगों वाला प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या एकक है जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए एक रेफरल एकक है। मौजूदा 25 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन करके 30 पलंगों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ग्रामीण अस्पताल में बदलने की एक योजना है। ऐसे उन्नयन के लिए किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चयन के लिए विचारणीय प्रमुख बातें इसकी सम्प्रेषण संबंधी सुविधाएं और अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिनके लिए यह एक रेफरल एकक के रूप में कार्य करता है, के क्षेत्रों से पहुंच है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 25 अन्य कर्मचारियों सहित 4 विशेषज्ञ डाक्टर होते हैं। यह एक आपरेशन थियेटर और आवश्यक औषधों से भी सज्जित होता है।

(ग) से (च) ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए जनांकिक मानदंडों के अनुसार 5000 की आबादी पर एक उपकेन्द्र, 30,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 1,20,000 की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए। आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए जनसंख्या संबंधी मानदंड क्रमशः 3000, 20,000 और 80,000 है।

इन जनांकिक मानदंडों के अनुसार 7683 उप-केन्द्रों, 1513 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 2899 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की देश व्यापी कमी है।

नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए नये उपकेन्द्र खोलने के लक्ष्य संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

30.6.1998 को कार्यरत उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपकेन्द्र	प्रा.स्वा.के.	सा.स्वा.के.	नवीनतम रिपोर्ट की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10568	1335	207	30.06.98
2.	अरूणाचल प्रदेश	245	47	9	30.06.98
3.	असम	5280	619	105	31.03.95
4.	बिहार	14799	2209	148	31.03.98
5.	गोवा	172	18	5	30.06.98
6.	गुजरात	7274	1960	188	30.06.98
7.	हरियाणा	2299	400	64	30.06.98
8.	हिमाचल प्रदेश	2093	322	55	30.06.98
9.	जम्मू व कश्मीर	1700	337	45	31.01.98

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	8143	1601	242	31.12.97
11.	केरल	5094	960	80	30.06.98
12.	मध्य प्रदेश	11938	1814	198	31.12.97
13.	महाराष्ट्र	9725	1699	306	30.06.98
14.	मणिपुर	420	69	16	30.06.98
15.	मेघालय	377	85	13	30.06.98
16.	मिजोरम	324	38	6	30.06.98
17.	नागालैंड	244	33	5	30.06.98
18.	उड़ीसा	5927	1352	157	30.06.98
19.	पंजाब	2852	484	105	31.03.98
20.	राजस्थान	9650	1646	261	30.06.98
21.	सिक्किम	147	24	2	30.06.98
22.	तमिलनाडु	8681	1436	72	31.03.98
23.	त्रिपुरा	537	58	11	30.06.98
24.	उत्तर प्रदेश	20153	3808	310	31.12.97
25.	पश्चिम बंगाल	7873	1556	89	31.03.95
26.	अण्डमान व निकोबार	97	17	4	31.03.98
27.	चण्डीगढ़	13	—	1	30.06.96
28.	दादरा व नगर हवेली	36	6	—	30.06.98
29.	दमन व द्वीव	21	3	1	30.06.98
30.	दिल्ली	42	8	—	30.06.96
31.	लक्षद्वीप	14	4	3	30.06.98
32.	पांडिचेरी	80	43	4	30.06.97
	अखिल भारत	136818	22991	2712	

आंकड़े अनन्तिम

– शून्य

विवरण-II

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रा.प.क. केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	420
2.	असम	146
3.	बिहार	587
4.	गुजरात	251
5.	हरियाणा	93
6.	हिमाचल प्रदेश	77
7.	जम्मू व कश्मीर	82
8.	कर्नाटक	269
9.	केरल	163
10.	मध्य प्रदेश	460
11.	महाराष्ट्र	428
12.	मणिपुर	31
13.	मेघालय	23
14.	नागालैंड	7
15.	उड़ीसा	314
16.	पंजाब	129
17.	राजस्थान	232
18.	सिक्किम	15
19.	तमिलनाडु	383
20.	त्रिपुरा	35
21.	उत्तर प्रदेश	907
22.	पश्चिम बंगाल	335
23.	चण्डीगढ़	1
24.	दिल्ली	8
25.	गोवा	13
26.	मिज़ोरम	14
27.	पाण्डिचेरी	12
28.	अरूणाचल प्रदेश	—
	योग	5435

विवरण-III

उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के बारे में नौवीं योजना (1997-2002) और 1999-2000 के वार्षिक लाक्ष्य

क्र.सं.	राज्य संघ/राज्य क्षेत्र	उप-केन्द्र		प्राथमिक स्वा.केन्द्र		सा.स्वा. केन्द्र	
		नौवीं योजना लक्ष्य	वार्षिक लक्ष्य (1999-00)	नौवीं योजना लक्ष्य	वार्षिक लक्ष्य (1999-00)	नौवीं योजना लक्ष्य	वार्षिक लक्ष्य (1999-00)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	372	93	220	55
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	107	27	76	19
4.	बिहार	1026	257	428	107	511	128

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	गोवा	0	0	5	1	1	0
6.	गुजरात	0	0	68	17	71	18
7.	हरियाणा	183	46	16	4	39	10
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	4	1
10.	कर्नाटक	0	0	0	0	26	7
11.	केरल	0	0	0	0	100	25
12.	मध्य प्रदेश	184	46	206	52	307	77
13.	महाराष्ट्र	808	202	61	15	135	34
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	87	22	0	0	6	2
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	81	20	21	5	9	2
18.	उड़ीसा	447	112	0	0	108	27
19.	पंजाब	6	1	0	0	14	4
20.	राजस्थान	0	0	0	0	51	13
21.	सिक्किम	0	0	0	0	2	1
22.	तमिलनाडु	0	0	0	0	237	59
23.	त्रिपुरा	42	11	40	10	13	3
24.	उत्तर प्रदेश	2184	546	0	0	621	155
25.	पश्चिम बंगाल	2483	621	170	43	342	86
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
27.	चण्डीगढ़	1	0	2	1	0	0
28.	दादरा व नगर हवेली	6	2	1	0	2	1
29.	दमन व द्वीव	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	148	37	24	6	8	2
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
	अखिल भारत	7686	1922	1521	380	2903	726

अहोम राजाओं के संस्मारक

3325. श्री पवन सिंह घाटोवार : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, असम के शिवसागर में "अहोम राजाओं" के प्राचीन एतिहासिक स्मारकों को घोषित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) अहोम राजाओं के शिवसागर स्थित चार स्मारक अर्थात् विष्णुदोल, शिवदोल, देवीदोल तथा स्थानीय ताल के किनारों पर विद्यमान आठ तोपों को पहले ही प्राचीन संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में घोषित कर दिया गया है। उन्हें दाय स्थल के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एड्स

3326. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में विदेशी पर्यटकों के आगमन के कारण एड्स का फैलाव हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बीमारी के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में तपेदिक के रोगी

3327. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग फुफुसीय तपेदिक से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और यह सर्वेक्षण किन-किन क्षेत्रों में कराया गया;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश में फुफ्फुसीय तपेदिक को रोकने हेतु कोई नई पहलें की जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद विशेषज्ञ समिति ने देश में बच्चों को बी.सी.जी. का टीका लगाते रहने की सिफारिश की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) वर्ष 1998-99 के दौरान देश में सूचित किए गए 12,49,445 क्षय रोगियों में से 78,467 रोगी आंध्र प्रदेश से हैं।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने फुफ्फुसीय क्षय रोग की व्याप्तता के बारे में आंध्र प्रदेश में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग से 109.93 करोड़ रुपए की सहायता से सम्पूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य को संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से कवर करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में केवल दो जिले नामतः मेडक और हैदराबाद संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए हैं।

(च) और (छ) जी, हां। विस्तारित रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में बीसीजी वैक्सीन के इस्तेमाल के मुद्दे पर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद द्वारा बुलाई गई एक विशेष दल की बैठक में विचार किया गया था। इस ग्रुप ने प्रकाशित साहित्य और टी.बी. मेनिन्जाइटिस पर बीसीजी की उत्पादक प्रभावकारिता पर भारत और विदेशों में किए गए परिणामों की समीक्षा करने पर इस ग्रुप ने नोट किया कि बीसीजी बच्चों में होने वाले क्षय रोग के गंभीर रूपों नामतः मेनिन्जाइटिस और मिलियरी क्षय रोग से 75 प्रतिशत से अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस दल ने अनुशंसा की कि बी सी जी टीका व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के एक अंग के रूप में शिशुओं को दिया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र में लंबित परियोजनाएं

3328. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :**
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र ने दूरदर्शन नेटवर्क और अन्य आधारभूत ढांचे के कार्यान्वयन और विकास के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) राज्य में परियोजना-वार अनुमानित लागत सहित नौवीं योजना के लिए प्रस्तावित/अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) महाराष्ट्र में इन परियोजनाओं के पूरा करने में विलंब के परियोजना-वार कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में तीन स्टूडियो और 42 ट्रांसमीटर परियोजनाएं आरंभ की गयी थीं। वई स्थित एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को छोड़कर इन सभी परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है और इन्हें चालू कर दिया गया है। वई स्थित अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है और इसे शीघ्र चालू कर दिया जाएगा।

(ग) वर्तमान में महाराष्ट्र में कार्यान्वयनाधीन 27 परियोजनाओं का ब्यौरा उनकी पूंजीगत लागत सहित संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त 27 परियोजनाओं में से 15 अ.श.ट्रां/अ.अ.श.ट्रां. परियोजनाओं की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है और इन्हें शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें नौवीं योजना के दौरान पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

महाराष्ट्र में कार्यान्वयनाधीन ट्रांसमीटर परियोजनाएं

	पूंजीगत लागत (लाख रु. में)
उ.श.ट्रां.	
1. चन्द्रपुर (1 कि.वा.)	443.70
2. जलगांव (10 कि.वा.)	917.80
3. रत्नागिरी (1 कि.वा.)	586.50
4. नागपुर डी.डी.-2 (10 कि.वा.)	511.00
अ.श.ट्रां.	
1. अकालकोट	76.00
2. भामरागढ़	76.00
3. दर्यापुर	76.00
4. धाडगांव	76.00
5. धर्माबाद	96.00
6. खानपुर	76.00
7. मंगल वेधा	76.00
8. पांडरकवडा	76.00
9. पाटन (सतारा)	76.00
10. फाल्टन	76.00
11. पुलगांव	96.00
12. रावेर	96.00
अ.अ.श.ट्रां.	
1. अम्बेट	77.65
2. अर्जुनी	59.20
3. आष्टी	59.20
4. चिमुर	59.20
5. कारांजा (वर्धा)	59.20
6. कुरखेडा	59.20
7. पिम्पलनेर साकरी	59.20
8. साकोली	59.20
9. सिन्देवाही	59.20
10. तिवसा	59.20
11. वई	66.00

शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक

3329. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में कमजोर वर्गों हेतु कोचिंग कक्षाएं चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य-वार और विशेषकर आंध्र प्रदेश में इन कक्षाओं का आयोजन करने में कितने विश्वविद्यालयों और कालेजों की सहायता कर रहा है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार इन केन्द्रों को कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की गई;

(ङ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस योजना का निरीक्षण करने और आवधिक रूप से उनके कार्यकरण की समीक्षा हेतु कोई समिति गठित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी हां।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्ग के लिए कोचिंग कक्षाओं की योजना के अन्तर्गत चुनिन्दा विश्वविद्यालयों/कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, छात्रों को अपनी पहली शैक्षिक तैयारी तथा सामाजिक वंचनों के अन्तर को पूरा करने योग्य बनाना है।

(ग) और (घ) अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग केन्द्रों की संख्या तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उन्हें प्रदत्त वित्तीय सहायता की राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) जी हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना की मानीटरिंग तथा इन केन्द्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक स्थायी समिति गठित की है। समिति ने 31 कोचिंग केन्द्रों की समीक्षा कर ली है।

विवरण

अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग केन्द्रों की संख्या तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उन्हें प्रदत्त वित्तीय सहायता की राशि

क्र.सं.	राज्य	अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग कक्षा केन्द्रों की संख्या (विश्वविद्यालय)	अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग कक्षा केन्द्रों की संख्या (कालिज)	पिछले तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों को प्रदत्त वित्तीय सहायता की राशि (रुपए लाख में)		
				1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	2	2.00	3.00	5.23
2.	असम	1	—	1.00	—	—
3.	बिहार	2	6	0.30	3.77	4.90
4.	दिल्ली	1	1	2.93	3.80	3.50
5.	गुजरात	1	—	—	2.25	—
6.	हरियाणा	1	—	—	—	—
7.	जम्मू व कश्मीर	2	—	2.28	2.37	1.50

1	2	3	4	5	6	7
8.	कर्नाटक	1	11	4.90	7.63	10.95
9.	केरल	1	11	5.04	10.42	8.06
10.	महाराष्ट्र	2	3	1.50	—	3.94
11.	मध्य प्रदेश	2	1	4.58	2.50	3.50
12.	मणिपुर	—	1	0.80	—	0.80
13.	पंजाब	—	2	—	0.80	1.30
14.	तमिलनाडु	—	4	0.80	—	1.60
15.	उत्तर प्रदेश	6	11	17.59	13.71	19.70
16.	पश्चिम बंगाल	—	2	1.80	1.30	1.30
	कुल	22	55			

केरल में केन्द्रीय विद्यालय

3330. **श्री टी. गोविन्दन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल में केन्द्रीय विद्यालय संख्या-1 को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विद्यालय को पुन: चालू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (घ) केरल में केन्द्रीय विद्यालय सं. 1 नामक कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। तथापि, एक केन्द्रीय विद्यालय कसारगोड में है जोकि एक प्रोजेक्ट स्कूल है और इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक संगठन सेन्ट्रल प्लान्टेशन क्रॉप्स रीसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इस संबंध में सभी पहलुओं तथा संदर्भों पर विचार करते हुए केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस स्कूल को प्रायोजक संगठन के निवेदन पर चरणबद्ध ढंग से बंद करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

औषध उद्योग में विनिवेश

3331. **श्री रामशकल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को औषध उद्योग में विनिवेश से संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक कितने प्रस्तावों को मंजूरी मिली है; और

(घ) सरकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा औषध उद्योग में विनिवेश से संबंधित क्या नीति है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) विदेशी सहयोग के लिए प्रस्तावों की प्राप्ति अग्रगमन प्रक्रिया है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से इन प्रस्तावों पर विचार करता है। अगस्त, 1991 से अगस्त, 1999 तक की अवधि में औषध तथा भेषज क्षेत्र में सरकार द्वारा 337 विदेशी सहयोग के प्रस्तावों (तकनीकी एवं वित्तीय) को मंजूरी दी गयी है, जिनमें 8580.88 मिलियन रुपये की विदेशी इक्विटी निहित है।

[अनुवाद]

कमजोर वर्गों का उत्थान

3332. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं योजना के दौरान सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए चलाई गई योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनसे राज्यवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों को योजना-वार कुल कितनी राशि आबंटित की गई;

(घ) क्या इन योजनाओं के नौवीं योजना अवधि के दौरान भी चालू रहने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो नौवीं योजना अवधि के दौरान इन योजनाओं हेतु कितनी राशि नियत की गई है और इन राज्यों को चालू वर्ष के लिए कितनी राशि जारी की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

हुडको ढांचागत परियोजना

3333. श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हुडको ने ढांचागत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से इसे वित्त पोषित करने हेतु एक समर्पित कोष परियोजना शुरूआती निधि आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजनार्थ कितनी धनराशि का सदुपयोग किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यह किस सीमा तक कम्पनियों के लिए मददगार होगी?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी हां।

(ख) हडको के पास परियोजना आरंभ करने संबंधी सुविधाओं (परियोजना निर्माण व परियोजना साध्यता/मसौदा परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयारी तथा संबद्ध कार्यकलाप) के वित्तपोषण का प्रावधान है। इन निधियों के लिए लागू ब्याज की दर टेलिस्कोपिक आधार पर 13-14% प्रतिवर्ष है। वित्त पोषण की सीमा, परियोजना रिपोर्ट तैयारी की लागत की 100% है जो प्रति परियोजना अधिकतम 5.00 करोड़ रु. है, साथ ही यह शर्त भी है कि शुरूआत में हडको का कुल वित्तपोषण एक वित्तीय वर्ष में 50.00 करोड़ रु. तक सीमित होगा। इस सुविधा का लाभ उठाने वाली पात्र स्कीमों में जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी आदि जैसी उपयोगी अवस्थापना स्कीमें, परिवहन, क्षेत्र विकास, ठोस कचरा निपटान तथा पारिस्थितिकीय अनुकूल अवस्थापना परियोजनाएं आती हैं।

(ग) हडको से मिली सूचना के अनुसार परियोजना साध्यता/डी.पी.आर. तैयारी की लागत, सामान्यतया परियोजना लागत की 2-3% है। इन निधियों के प्रावधान से एजेंसियां/कंपनियां, अपने धन का निवेश किए बिना परियोजना को तैयार कर सकेंगी। परियोजना के समुचित निर्माण से एजेंसियां, अपेक्षाकृत कम लागत और कम समय में परियोजना को कार्यान्वित कर सकेंगी।

[हिन्दी]

बिहार के केन्द्रीय विश्वविद्यालय

3334. डा. संजय पासवान : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्थानों में सर्वांगीन सुधार लाए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, यह कहा गया है कि मौजूदा संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण तथा उनमें सुविधाएं बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्ययोजना यह निर्देश भी दिया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से राज्य विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को योजनागत निधियां प्रदान करने में लगातार हो रही कमी, संसाधनों का अत्यन्त अभाव तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित किए गए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पर्याप्त मूलभूत आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में

रखकर, सरकार को और अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से बचना चाहिए। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर, केन्द्र सरकार देश में और अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना के पक्ष में नहीं है।

[अनुवाद]

एड्स/एच.आई.वी. मामलों में वृद्धि

3335. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :
श्रीमती कान्ति सिंह :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य सरकारों की मांग की तुलना में एड्स/एच.आई.वी. रोगियों के उपचार हेतु विभिन्न राज्यों को आपूर्ति की गई एड्स/एच.आई.वी. किट्स का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को एच.आई.वी. किटों के मासिक आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये आबंटन पूरी तरह से राज्य सरकारों की मांग पर आधारित हैं।

विवरण

मासिक एच.आई.वी. परीक्षण किटों का आवंटन 1997

क्र.सं.	राज्य का नाम	एच.आई.वी. टेस्ट किटों की संख्या (परीक्षणों की संख्या में)
1	2	3
1.	दिल्ली	29795
2.	पंजाब	5415
3.	हरियाणा	6260
4.	चंडीगढ़ राज्य संघ क्षेत्र	465
5.	राजस्थान	11180
6.	हिमाचल प्रदेश	797
7.	मध्य प्रदेश	13298
8.	उत्तर प्रदेश	11310
9.	जम्मू व कश्मीर	2125
10.	महाराष्ट्र	45781
11.	गोवा	1320
12.	दमन और दीव	25
13.	दादरा व नगर हवेली	10
14.	गुजरात	21055
15.	पांडिचेरी	755
16.	लक्षद्वीप	
17.	आंध्र प्रदेश	7765
18.	कर्नाटक	5475
19.	तमिलनाडु	5160
20.	केरल	6985
21.	बिहार	4400
22.	अण्डमान व निकोबार समूह	125
23.	उड़ीसा	6945
24.	पश्चिम बंगाल	22460
25.	असम	1025
26.	त्रिपुरा	610
27.	सिक्किम	80
28.	मणिपुर	800
29.	मेघालय	165
30.	मिजोरम	645
31.	नागालैंड	140
32.	अरूणाचल प्रदेश	55
	योग	212426

मासिक एच.आई.वी. परीक्षण किटों का आवंटन 1998

क्र.सं.	राज्य का नाम	एच.आई.वी. टेस्ट किटों की संख्या (परीक्षणों की संख्या में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9830
2.	अरूणाचल प्रदेश	105
3.	असम	2470

1	2	3
4.	अंडमान व निकोबार	350
5.	बिहार	4540
6.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	4145
7.	दादरा एवं नगर हवेली	10
8.	दमण व दीव	25
9.	दिल्ली	35100
10.	गोवा	2055
11.	गुजरात	26737
12.	हरियाणा	9260
13.	हिमाचल प्रदेश	917
14.	जम्मू व कश्मीर	2925
15.	कर्नाटक	8811
16.	केरल	8210
17.	लक्षद्वीप	36
18.	मध्य प्रदेश	10189
19.	महाराष्ट्र	62465
20.	मणिपुर	1245
21.	मेघालय	265
22.	मिजोरम	1670
23.	नागालैंड	380
24.	उड़ीसा	7305
25.	पांडिचेरी	1600
26.	पंजाब	5525
27.	राजस्थान	10330
28.	सिक्किम	135
29.	तमिलनाडु	11030
30.	त्रिपुरा	1079
31.	उत्तर प्रदेश	16340
32.	पश्चिम बंगाल	32090
	योग	277174

मासिक एच.आई.वी. परीक्षण किटों का आबंटन 1999

क्र.सं.	राज्य का नाम	एच.आई.वी. टेस्ट किटों की संख्या (परीक्षणों की संख्या में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	16870
2.	अरूणाचल प्रदेश	105
3.	असम	3700
4.	अंडमान व निकोबार	645
5.	बिहार	4500
6.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	4368
7.	दादरा एवं नगर हवेली	10
8.	दमण व दीव	25
9.	दिल्ली	45386
10.	गोवा	2055
11.	गुजरात	24791
12.	हरियाणा	10665
13.	हिमाचल प्रदेश	917
14.	जम्मू व कश्मीर	2925
15.	कर्नाटक	15212
16.	केरल	8210
17.	लक्षद्वीप	36
18.	मध्य प्रदेश	18049
19.	महाराष्ट्र	44600
20.	मणिपुर	1661
21.	मेघालय	265
22.	मिजोरम	930
23.	नागालैंड	380
24.	उड़ीसा	7290
25.	पांडिचेरी	1780
26.	पंजाब	5525
27.	राजस्थान	9539

1	2	3
28.	सिक्किम	135
29.	तमिलनाडु	19785
30.	त्रिपुरा	964
31.	उत्तर प्रदेश	10666
32.	पश्चिम बंगाल	51860
	योग	313849

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

3336. श्री नवल किशोर राय:
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सामाजिक कार्य में लगी गैर-सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थाओं को राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता का अलग लेखा होता है;

(घ) यदि हां तो प्रत्येक राज्य के लिए वर्षवार कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ङ) इस संबंध में धनराशि के समुचित उपयोग की निगरानी हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थाओं को राज्यवार उपलब्ध कराई गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रत्येक राज्य में गैर-सरकारी संगठनों को वर्षवार उपलब्ध कराई गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) वित्त वर्ष के लिए सहायता दो किस्तों में दी जाती है तथा दूसरी किस्त समुचित प्राधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट और सिफारिश के प्राप्त होने पर निर्मुक्त की जाती है। संगठन के कार्यकरण का मूल्यांकन करते समय, सिफारिश धनराशि के उपयोग और की गई प्रगति की सूचना भी देती है।

विवरण

उपलब्ध कराई गई राशि

(रु. लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1996-97	1997-98	1998-99	कुल
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	713.91	782.10	1211.98	2707.99
अरुणाचल प्रदेश	6.22	9.28	3.71	19.21
असम	26.68	18.66	110.62	155.96
बिहार	187.04	248.13	227.85	663.02
चंडीगढ़	9.40	8.94	33.20	51.54
दिल्ली	256.63	352.77	1220.07	1829.47
गोवा	21.91	16.87	18.00	56.78
गुजरात	106.57	138.10	220.69	465.36

1	2	3	4	5
हरियाणा	171.43	232.97	342.64	747.04
हिमाचल प्रदेश	15.23	12.25	49.20	76.68
जम्मू व कश्मीर	78.06	14.99	27.43	120.48
कर्नाटक	299.38	282.45	405.74	987.57
केरल	259.57	335.92	1042.72	1638.21
मध्य प्रदेश	85.61	88.46	245.47	419.54
महाराष्ट्र	298.84	148.71	497.70	945.25
मणिपुर	148.77	116.01	305.47	570.25
मेघालय	10.08	6.50	26.24	42.82
मिजोरम	32.82	43.74	56.27	132.83
उड़ीसा	134.61	207.21	620.42	962.24
पांडिचेरी	5.31	10.82	20.32	36.45
पंजाब	147.77	117.54	292.33	557.64
राजस्थान	145.26	240.25	450.26	835.77
तमिलनाडु	304.70	343.68	476.23	1124.61
त्रिपुरा	13.71	27.52	27.82	69.05
उत्तर प्रदेश	556.33	651.95	1352.01	2560.29
पं. बंगाल	502.43	502.53	713.69	1718.65
दादरा व नगर हवेली	0.00	3.21	0.00	3.21
सिक्किम	1.20	2.06	1.73	4.99
नागालैण्ड	3.41	18.84	32.05	54.30

मनोरोग संस्थानों का उन्नयन

3337. **श्री एच.जी. रामुलु:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने अपने मनोरोग संस्थानों के उन्नयन के लिए ''निम्हांस'' की मदद मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने मनोरोग संस्थानों का दर्जा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) जी हां। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, धारवाड़ की स्थिति में सुधार लाने और संस्थान के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान की मदद मांगी है। कर्नाटक सरकार ने धारवाड़ मानसिक अस्पताल में परिचर्या की समग्र स्थितियों/स्तर में सुधार लाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह एवं ठोस संस्तुतियों की मांग की है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान ने संकाय एवं अस्पताल के प्रशासनिक स्टाफ की एक विशेषज्ञ समिति गठित की है (जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान के निदेशक हैं) जो धारवाड़ मानसिक अस्पताल की मौजूदा स्थिति का अध्ययन करेगी और जनवरी 2000 तक कर्नाटक सरकार को ठोस संस्तुतियां करेगी।

[हिन्दी]

टी.वी. धारावाहिकों के लिए समय का आवंटन

3338. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान टी.वी. धारावाहिकों के लिए की गई समयावधि के आवंटन में अनियमितताओं के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) उनमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त थी तथा सरकार को उक्त अवधि के दौरान और 30 जुलाई, 1999 तक कितनी हानि उठानी पड़ी;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त अनियमितताओं में लिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान टी.वी. धारावाहिकों के समय स्लॉट के आबंटन में तथाकथित अनियमितता का एक मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है और इसकी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

3339. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न केन्द्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में मुख्य धारा के शैक्षिक पाठ्यक्रमों के साथ समेकित किये जा चुके व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उच्च प्रौद्योगिकी के और पाठ्यक्रम शुरू करने तथा ऐसे पाठ्यक्रम की शिक्षा देने वाले संस्थाओं की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन पाठ्यक्रमों के कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) निर्धारित मानकों के अनुसार, बी.ए., बी.एस.सी. और बी.काम के मौजूदा पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक विषयों को आरंभ करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पात्र विश्वविद्यालय तथा कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पूर्व स्नातक स्तर पर लागू करने के लिए अभिनिर्धारित किए गए व्यावसायिक विषयों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (ङ) संबंधित राज्य सरकारों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके स्वयं विश्वविद्यालयों द्वारा ही नए पाठ्यक्रमों को लागू किए जाने के बारे में उचित निर्णय लिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्ष 2000-2001 के दौरान निर्धारित किए गए विषयों में नए पाठ्यक्रमों को आरंभ करने का प्रस्ताव पहले ही आमंत्रित कर चुका है।

विवरण

प्रत्येक चार विषय क्षेत्रों के अंतर्गत प्रथम डिग्री स्तर में प्रारंभ किए जाने के लिए अभिनिर्धारित व्यावसायिक विषय इस प्रकार हैं:

	विषय क्षेत्र	विषय
	1	2
(1)	कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान	1. हिन्दी
		2. कार्यात्मक संस्कृत
		3. कार्यात्मक अंग्रेजी
		4. पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान
		5. विज्ञान एवं शिक्षण की कला
		6. प्रारम्भिक शिशु देखरेख एवं शिक्षा
(2)	वाणिज्य, अर्थशास्त्र एवं प्रबंध	7. बीमा के सिद्धांत एवं अभ्यास

1		2
		8. कार्यालय प्रबंध एवं सचिवालय अभ्यास
		9. कर प्रक्रियाएं एवं अभ्यास
		10. विदेश व्यापार अभ्यास एवं प्रक्रियाएं
		11. पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध
		12. विज्ञापन, बिक्री संवर्धन एवं बिक्री प्रबंध
		13. कम्प्यूटर अनुप्रयोग
(3)	विज्ञान	1. औद्योगिक रसायन (सात शाखाएँ)
		2. खाद्य विज्ञान एवं गुणवत्ता नियंत्रण
		3. नैदानिक पोषाहार एवं आहार विज्ञान
		4. औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान
		5. जीव-प्रौद्योगिकी
		6. जीव विज्ञान संबंधी तकनीक एवं निदर्श आयोजन
		7. बीज प्रौद्योगिकी
		8. रेशम उत्पादन
		9. औद्योगिक मत्स्य एवं मत्स्य उद्योग
		10. वाद्य संगीत-शास्त्र
		11. भू अनुसंधान एवं ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी
		12. जन संचार एवं वीडियो निर्माण
		13. अचल फोटोग्राफी एवं आडियो निर्माण
(4)	इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी	1. इलेक्ट्रोनिक रख रखाव
		2. कम्प्यूटर रख रखाव
		3. विद्युत उपस्कर रखरखाव
		4. पर्यावरण एवं जल प्रबंध
(5)	ग्रामीण पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित विषय	1. कृषि सेवा
		2. पालतू पशु फार्मिंग
		3. वनविद्या एवं वन्य जीवन प्रबंध
		4. भूमि संरक्षण एवं जल प्रबंध
		5. ग्रामीण हस्तशिल्प
		6. पर्वतीय कृषि
		7. गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत
		8. शुष्क भूमि कृषि
		9. बन चरागाह (सिल्वी पासचर)

विशेष संघटक योजना के तहत योजनाएं

3340. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जाति के जीवन एवं रहन-सहन में सुधार हेतु विशेष घटक योजना (एस.सी.पी.) के तहत नई योजनाएं आरंभ की हैं;

(ख) यदि हां, तो विद्यमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों की तुलना में 1999-2000 में वार्षिक योजना में (एल.सी.पी.) के तहत कितनी राशि राज्य-वार आबंटित की गई;

(घ) राज्य-वार कितनी राज्य स्तरीय और जिला ब्लॉक स्तरीय निगरानी समितियां गठित की गई;

(ङ) क्या सरकार को जिला/ब्लाक स्तर समितियों से मासिक प्रगति रिपोर्ट तथा राज्यवार निगरानी समितियों से तिमाही प्रगति समीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होती है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्र सरकार विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता संबंधी योजना कार्यान्वित कर रही है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पिछले पांच वर्ष की तुलना में आवंटित राज्यवार धनराशि का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(घ) यह सूचना मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(ङ) सरकार राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से विशेष संघटक योजना के संबंध में मासिक प्रगति रिपोर्ट तथा विशेष केन्द्रीय सहायता के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

वर्ष 1994-95 से 1999-2000 के दौरान विशेष संघटक योजना परिव्यय के ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	284.82	314.90	300.57	339.72	573.46	575.25
2.	असम	73.33	98.20	78.49	88.63	88.63	0.00
3.	बिहार	166.69	470.91	260.3	354.79	627.97	594.36
4.	गुजरात	78.87	97.16	101.42	171.52	199.55	260.82
5.	गोवा	4.25	2.86	3.24	2.19	1.84	2.65
6.	हरियाणा	142.56	186.37	177.21	202.65	355.37	407.47
7.	हिमाचल प्रदेश	77.86	90.25	109.29	121.11	172.81	190.09
8.	जे. एंड के.	54.83	95.99	74.74	155.40	103.00	12.97
9.	कर्नाटक	303.81	338.79	391.10	385.10	400.50	442.77
10.	केरल	126.62	142.00	209.65	310.23	304.01	301.46
11.	मध्य प्रदेश	310.78	283.16	339.38	307.30	315.79	390.23
12.	महाराष्ट्र	390.28	550.00	541.95	600.00	608.00	640.00
13.	मणिपुर	4.35	8.91	3.84	4.13	0.22	0.24
14.	उड़ीसा	148.00	178.57	244.01	282.04	322.15	347.78
15.	पंजाब	200.07	227.68	205.00	210.00	220.00	242.00
16.	राजस्थान	389.85	486.67	487.12	660.01	688.74	797.41
17.	सिक्किम	8.4	7.15	4.22	4.22	0.06	0.52
18.	तमिलनाडु	523.06	618.25	652.39	752.23	825.53	997.41

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	त्रिपुरा	25.99	37.12	32.53	40.58	40.88	49.48
20.	उत्तर प्रदेश	492.24	809.28	1420.00	1484.00	2159.81	2394.00
21.	पं. बंगाल	174.35	278.14	146.85	300.38	193.63	0.00
22.	चंडीगढ़	11.12	2.47	5.90	10.21	12.87	14.19
23.	दिल्ली	140.31	149.80	185.22	205.01	211.45	245.30
24.	पांडिचेरी	21.94	28.52	32.58	35.47	0.33	0.44

विवरण II

अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता संबंधी केन्द्रीय योजना मार्च, 1980 में शुरू की गई थी। यह भारत सरकार की अनुसूचित जातियों के विकास संबंधी कार्य नीति से संबंधित है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अनुसूचित जातियों के विकास संबंधी नई कार्य नीति के अंतर्गत उन अनुसूचित जातियों के तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया जो गरीबों में गरीब हं। यह कार्यनीति तीन तत्वों के मेल से तैयार की गई है जैसे (1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की विशेष संघटक योजनाएं (2) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विशेष संघटक योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता और (3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति विकास निगम तथा इन निगमों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शेयर पूंजी सहायता। विशेष संघटक योजना केन्द्रीय क्षेत्रों से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों की योजना में अनुसूचति जाति जनसंख्या के प्रति परिव्ययों तथा लाभों के प्रवाह को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार की जाती है जो वास्तविक और वित्तीय अर्थों में कम से कम उनकी जसंख्या के अनुपात में हो। विशेष केन्द्रीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विशेष संघटक योजनाओं की योगज है और इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति जनसंख्या के आर्थिक विकास के लिए राज्यों के सम्पूर्ण प्रयासों को गति प्रदान करना है।

मानदंड

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विशेष केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर निर्मुक्त की जाती है:

(क)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जाति जनसंख्या के आधार पर	40%
(ख)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सापेक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर (राज्य प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद के विपरीत)	10%
(ग)	योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक विकास कार्यक्रमों द्वारा गरीबी की रेखा पार करने के लिए शामिल किए गए अनुसूचित जाति परिवारों के प्रतिशत के आधार पर	25%
(घ)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनसंख्या की तुलना में वार्षिक योजना के प्रति विशेष संघटक योजना के आधार पर	25%

(2) इस योजना के लिए कुल बजट आवंटन का 2% अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना कार्यान्वित करने वाले पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए निर्धारित होगा।

(3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त कुल विशेष केन्द्रीय सहायता के मानदंडों के आधार पर 15% का राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उपयोग अनन्य

रूप से अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए उपयुक्त आय सृजक आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।

(4) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त कुल विशेष केन्द्रीय सहायता के 5% का उपयोग अनन्य रूप से अनुसूचित जाति विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक विकास के लिए किया जाएगा।

(5) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त कुल विशेष केन्द्रीय सहायता 3% का उपयोग उनके द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि की सहायता से कार्यान्वित आर्थिक विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण, मानीटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता की दूसरी किस्त पिछले वर्ष के संचयी अधिशेषों का व्यय तथा वर्तमान वर्ष के लिए प्रथम किस्त के 75% उपयोग को सुनिश्चित करने के बाद की जानी चाहिए।

विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग केवल आय सृजक योजनाओं पर ही किया जाए

विशेष केन्द्रीय सहायता राज्यों की विशेष संघटक योजनाओं की योगज होती है और इसे किसी कार्यक्रम अथवा योजना के साथ नहीं जोड़ा जाता। राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि का उपयोग केवल आय सृजक आर्थिक विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए किया जाना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति के परिवारों को राज्य योजना के विभिन्न क्षेत्रों से परिव्ययों एवं लाभों के प्रवाह (अन्य शब्दों में राज्य की विशेष संघटक योजना के संयोग से) तथा अन्य स्रोतों जैसे विभिन्न निगमों, सरकारी संस्थाओं, वाणिज्यिक वित्तीय संस्थाओं तथा ऐसी ही अन्य संस्थाओं के संसाधनों के संयोग से एक समेकित, अधिकतम और लागत प्रभावी तरीके से गरीबी की रेखा को पार करने में समर्थ बनाया जा सके।

अब विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग 50% अथवा अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले उन गांवों में आधारभूत विकास कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है जहां अनुसूचित जातियों के समग्र विकास के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव है। किसी वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई कुल विशेष केन्द्रीय सहायता के केवल 10% का उपयोग 50% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ग्रामों में अवसंरचनात्मक विकास के लिए किया जाना चाहिए। वर्ष 1999-2000 के लिए 437 करोड़ रुपये के बजट आवंटन में से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 292.10 करोड़ रुपये पहले ही निर्मुक्त किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय बाल आयोग

3341. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:
डा. वी. सरोजा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बाल आयोग के गठन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और आयोग के निदेश पद क्या हैं और इसके सदस्य कौन-कौन हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

उपग्रह का प्रक्षेपण

3342. डा. वी. सरोजा: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में प्रक्षेपित उपग्रहों ने महासागर में उपलब्ध सम्पदा और संसाधनों से संबंधित तस्वीरें भेजी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महासागरीय सम्पदा के दोहन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) मई, 99 में अन्तरिक्ष विभाग द्वारा छोड़ा गया आई.आर.एस.-पी4 उपग्रह, जिसे ओशनसेट-I भी कहा जाता है, पर समुद्र वर्ण मॉनिटर नामक आयभार लगा है, जिसके प्रतिबिम्ब समुद्र जल के रंग की सूचना प्राप्त करते हैं। इन प्रतिबिम्बों से क्लोरोफिल मात्रा, अकार्बनिक प्रलंबित तलछट तथा पीत पदार्थ (येलो सबस्टान्स) से संबंधित सूचना प्राप्त की जा सकती है। क्लोरोफिल आंकड़ों से पादपप्लवक का स्थानिक एवं कालिक विस्तार अनुमान तथा इससे समुद्र में प्राथमिक उत्पादकता का मूल्यांकन किया जा सकता है। तलछट आंकड़ा विश्लेषण से मुहानों एवं ज्वारीय उपखाड़ियों में

तलछट गतिकी से संबंधित अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में, अंतरिक्ष विभाग का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अनुप्रयोग हेतु समुद्र वर्ण आंकड़ों के वैधीकरण पर कार्य कर रहा है।

कुष्ठरोग का उन्मूलन

3343. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार द्वारा **देश में कुष्ठरोग के उन्मूलन के लिए** कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी **ब्यौरा क्या है;**

(ग) कुष्ठरोग के उन्मूलन के लिए **विश्व स्वास्थ्य संगठन या** कोई बाह्य एजेंसी से कितनी सहायता मिली है;

(घ) कुष्ठरोग के उन्मूलन तथा कुष्ठरोगियों के **पुनर्वास हेतु** किए गए प्रयासों में अब तक राज्यवार कितनी प्रगति दर्ज की गई; और

(ङ) देश में कुष्ठरोग के उन्मूलन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए वर्ष 2000 के अंत तक प्रति 10,000 की जनसंख्या पर इस रोग की व्याप्तता को 1 से कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य बाह्य एजेंसियों से प्राप्त की गई सहायता इस प्रकार है:

- विश्व बैंक: सभी जिलों में कुष्ठ रोग सेवाएं प्रदान करने और इस रोग की व्याप्तता को कम करने हेतु वर्ष 1993-94 से आगे के 6 वर्षों के लिए 302 करोड़ रु. की सहायता प्राप्त हुई।
- डानिडा: वर्ष 1998-99 से आगे की 5 वर्ष की अवधि के लिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों के लिए 43.89 करोड़ रु. की सहायता।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरे देश के लिए निःशुल्क कुष्ठ रोग-रोधी औषध और इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु समर्थन प्रदान कर रहा है।

(घ) कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में प्राप्त की गई राज्यवार प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 1981 में कुल नए रोगियों में से 20 प्रतिशत रोगियों में ग्रेड-II या इससे उपर की अपंगता थी। किए गए चिकित्सीय पुनर्वास के कारण मार्च, 1999 तक विकलांग रोगियों की प्रतिशतता घटकर 3.7 प्रतिशत हो गई है जिन्हें चिकित्सीय पुनर्वास प्रदान किया जा रहा है। चिकित्सीय पुनर्वास प्राप्त कर रहे ऐसे विकलांग व्यक्तियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। चिकित्सीय पुनर्वास के अतिरिक्त सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही ''उपचार किए गए कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना'' भी है जो अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण एवं शहरी मलिन क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कुष्ठ रोग के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करती है। गत तीन वर्षों के लिए किए गए बजट आबंटन और रिलीज की गई राशि तथा ऐसे गैर-सरकारी संगठनों की संख्या, जिन्हें औसत आधार पर सहायता प्रदान की गई है, नीचे दर्शायी गयी है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	आबंटन	जारी की गई राशि	उन गैर-सरकारी संगठनों की संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गई
1996-97	100.00	79.00	09
1997-98	100.00	92.00	18
1998-99	200.00	176.00	22

(ङ) कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित **हैं:**

- राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- देश के सभी जिलों में निःशुल्क बहु-औषध चिकित्सा (एमडीटी) सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- सभी राज्यों और जिलों को पर्याप्त निधियां प्रदान की जा रही हैं।
- बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है।
- संशोधित कुष्ठ रोग उन्मूलन अभियान (एम एल ई सी) के प्रथम चरण के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता पैदा करने और कुष्ठ रोगी

का शीघ्र पता लगाने के लिए गतिविधियां चलाई गई। सकारात्मक परिणाम के आधार पर वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्यों में संशोधित कुष्ठ रोग उन्मूलन अभियान का दूसरा चरण भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण I

व्याप्तता दर (10,000 की जनसंख्या पर) उन्मूलन कार्यक्रम की राज्य-वार प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1981	मार्च 1999
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	117.20	4.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.90	3.81
3.	असम	7.50	2.02
4.	बिहार	54.30	16.59
5.	गोवा	45.90	3.45
6.	गुजरात	29.30	1.57
7.	हरियाणा	0.70	0.52
8.	हिमाचल प्रदेश	16.40	0.95
9.	जम्मू व कश्मीर	8.30	1.32
10.	कर्नाटक	59.80	2.48
11.	केरल	29.50	1.32
12.	मध्य प्रदेश	23.00	4.39
13.	महाराष्ट्र	63.70	3.44
14.	मणिपुर	42.30	2.14
15.	मेघालय	45.50	2.09
16.	मिजोरम	20.40	1.15
17.	नागालैंड	64.90	0.37
18.	उड़ीसा	121.40	9.70
19.	पंजाब	11.90	0.75
20.	राजस्थान	2.90	1.87
21.	सिक्किम	50.00	2.03
22.	तमिलनाडु	151.40	5.34
23.	त्रिपुरा	48.80	1.58
24.	उत्तर प्रदेश	37.90	4.57
25.	पश्चिम बंगाल	78.80	6.67
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	52.60	2.38
27.	चंडीगढ़	45.40	6.77
28.	दादरा व नगर हवेली	20.20	14.02
29.	दमन व दीव	45.90	3.41
30.	दिल्ली	4.50	1.75
31.	लक्षद्वीप	250.00	1.74
32.	पांडिचेरी	125.00	2.64
	योग	57.60	5.19

विवरण II

चिकित्सीय पुनर्वास प्राप्त कर रहे नए रोगियों में से विकलांग व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या, मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नए रोगियों में ग्रेड की विकलांगता वाले रोगी	
		संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1097	1.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	28	8.46
3.	असम	866	12.86
4.	बिहार	12816	4.62
5.	गोवा	22	3.34
6.	गुजरात	387	3.01
7.	हरियाणा	50	6.08
8.	हिमाचल प्रदेश	23	6.20
9.	जम्मू प्रभाग	15	2.25
10.	कश्मीर प्रभाग	59	16.21

1	2	3	4
11.	कर्नाटक	230	0.87
12.	केरल	143	2.52
13.	मध्य प्रदेश	3126	5.55
14.	महाराष्ट्र	812	1.55
15.	मणिपुर	18	9.14
16.	मेघालय	14	5.09
17.	मिजोरम	0	0.00
18.	नागालैंड	4	5.63
19.	उड़ीसा	763	1.84
20.	पंजाब	158	7.71
21.	राजस्थान	158	5.65
22.	सिक्किम	3	3.53
23.	तमिलनाडु	920	1.98
24.	त्रिपुरा	31	6.33
25.	उत्तर प्रदेश	4604	4.28
26.	प. बंगाल	3008	4.19
27.	अ. एवं निकोबार द्वीपसमूह	2	3.70
28.	चंडीगढ़	30	9.04
29.	दादरा एवं नगर हवेली	20	6.10
30.	दमण एवं दीव	0	0.00
31.	दिल्ली	49	3.35
32.	लक्षद्वीप	सूचना प्राप्त नहीं	0.00
33.	पांडिचेरी	24	3.43
	योग	29480.00	3.76

प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

3344. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरक क्षेत्र द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कमी का सामना किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) विभिन्न क्षेत्रों में गैस की कुल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2001 के अंत तक उर्वरक क्षेत्र को आपूर्ति के स्तर की स्वत: वर्तमान स्तर पर रहने की संभावना है। तथापि, वास्तविक आपूर्तियां उस समय पर आरक्षित भण्डार पर निर्भर करती है।

(ख) और (ग) कोई प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दवाइयों का मूल्य

3345. श्री राम टहल चौधरी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ औषध निर्माता कंपनियों से सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों से ज्यादा मूल्य पर अपनी दवाइयां बेचकर ज्यादा वसूल किए गए अतिरिक्त धन को लौटा देने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अतिरिक्त धन लौटा दिया है; और

(घ) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक अतिरिक्त धन नहीं लौटाया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) जी, हाँ। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित तीन-सदस्यीय समिति, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979, के अंतर्गत औषध कम्पनियों द्वारा चार्ज की गई अधिक राशियों में से देयताओं का निर्धारण करती है।

[अनुवाद]

बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति

3346. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बच्चों के उपयुक्त मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा शिशु मृत्युदर, रुग्णता दर कुपोषण और पढ़ाई बीच में छोड़ने के मामलों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

उर्वरक कीटनाशक

3347. डा. चरणदास महंत: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत रसायनों, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों और मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम वाले ऐसे ही मदों की उत्पादन ईकाइयों की स्थानवार संख्या कितनी है;

(ख) घनी आबादी वाले इलाकों के पास ऐसी कितनी ईकाइयां स्थित हैं;

(ग) क्या इन ईकाइयों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी ईकाइयों का ब्यौरा क्या है जिनमें सुरक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ङ) देश भर में 269 जिलों में दुर्घटना-जोखिम वाली 1436 मुख्य इकाइयां हैं। इनमें से 1309 ने स्थल पर ही आपातकालीन योजनाएं तैयार की हैं। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने रसायनों के उचित रख-रखाव तथा रासायनिक दुर्घटनाओं के प्रबंध के लिए, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भण्डारण, आयात नियमावली, 1989 (1994 में संशोधित) तथा रासायनिक दुर्घटना (आपातकालीन योजना, तत्परता और अनुक्रिया) नियमावली, 1996 अधिसूचित की हैं। इन नियमावलियों के तहत विभिन्न विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों को अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

[अनुवाद]

टेक्नोलॉजी पार्क

3348. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में ऐसा टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका लिंक अप बेस बंगलौर में होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में टी.वी. टावर

3349. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में गुरेला स्थित टी.वी. टावर से कार्यक्रम प्रसारण का काम शुरू हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रसारण के लिए सभी सुविधायें कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) गुरेला में अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर के लिए प्रचालन स्टाफ की तैनाती की प्रक्रिया चल रही है। अपेक्षित स्टाफ के तैनात होते ही उक्त ट्रांसमीटर को चालू कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा

3350. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पेयजल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कोई केन्द्रीकृत योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई सहायता मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) ग्रामीण जलापूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं कार्यान्वित करती हैं। केन्द्रीय सरकार त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू. एस. पी.) के अंतर्गत निधियां प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को सम्पूरित करती है। तथापि, ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं, जिसमें गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से निपटने संबंधी योजनाएं शामिल हैं, की योजना बनाने, उसको मंजूरी प्रदान करने और कार्यान्वित करने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दिया गया है। वर्ष 1991-93 के दौरान किए गए और वर्ष 1994 में पुन: वैधीकृत 1 प्रतिशत यादृच्छित नमूना सर्वेक्षण के अनुमानों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार देश में फ्लोराइड से प्रभावित 30845 ग्रामीण क्षेत्र हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1998-99 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की द्विवार्षिक बैठक के दौरान फ्लूराइड तत्व की उपस्थिति का पता लगाने के लिए 14 जल गुणवत्ता परीक्षण उपस्कर (आयनमीटर) जिनकी कीमत 50,477 अमेरिकी डालर है, के प्रापण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता मांगी गई है।

वित्तीय शक्तियां

3351. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मंत्रालयों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों को चिकित्सा व्यय संबंधी समस्त वित्तीय शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, तथापि, 2 लाख रुपए तक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करने की वित्तीय शक्तियां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के पैंशन-भोगी लाभार्थियों के मामले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत संबंधित शहर के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन के प्रमुख को तथा सेवारत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के मामले में मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के प्रमुख को दी गई है।

2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के चिकित्सा दावों का निपटान निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा तथा 5 लाख रुपए से अधिक के दावों का निपटान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम

3352. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम में संशोधन कर इसे उक्त अधिनियम के अंतर्गत संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध की संज्ञा देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधान मंडल में खाद्य अपमिश्रण निवारण (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 1999 लाने के लिए भारत सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था। प्रस्तावित राज्य विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के सभी दण्डनीय अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाने की व्यवस्था है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के इस निर्णय की सूचना दे दी गई है कि इस मंत्रालय में विभिन्न समितियों और संगठनों की इस विषय पर प्राप्त रिपोर्टों/सिफारिशों पर विचार करके दण्ड की व्यवस्थाओं सहित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के विभिन्न उपबंधों की पूर्णतया समीक्षा की जाएगी।

[हिन्दी]

नेहरू युवा केन्द्र

3353. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री राजो सिंह:

क्या **संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार इस समय कितने नेहरू युवा केन्द्र हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या निकट भविष्य में नए नेहरू युवा केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई/इन पर खर्च की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार उनकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन केन्द्रों के लिए आबंटन बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) देश में इस समय, कार्यरत नेहरू युवा केन्द्रों की राज्य-वार संख्या एवं स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रों को स्वीकृत/जारी की गई धनराशि जिसमें वेतन, स्थापना एवं कार्यक्रम संबंधी धनराशि सम्मिलित हैं, निम्नानुसार हैं:

वर्ष	रकम रुपयो में
1996-97	14,54,41,605
1997-98	15,58,07,100
1998-99	25,34,92,539

(ङ) इस समय कोई विचार नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रों की संख्या	केन्द्र का नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	23	अनंतपुर, विजयवाड़ा (कृष्णा), चितुर, कुडप्पा, गुंटूर, काकिनाड़ा (पूर्वी गोदावरी), करीम नगर, खम्माम, कुर्नूल, महबूब नगर, निजामाबाद, मेड़क (सीडीपेड) श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम, अदीलाबाद, विजियानगरम, नेल्लौर, वारंगल, हैदराबाद, नालगोंडा, पूर्वी गोदावरी (इलूरू), प्रकाशम (ओंगोल) हैदराबाद (आर.आर.)
2.	असम	23	डिब्रूगढ़, दिफू (कर्बी अंगलौंग), धुब्री, कामरूप (मालेगांव), उत्तरी लखीमपुर, नौगांव, कछार (सिलचर) तेजपुर (सोनीतपुर), हॉफलॉंग (एन.सी. हिल्स) करीमगंज, बारपेटा, कोकराझार, जोरहाट, शिवसागर, नालबारी, गोलपाड़ा, धमेगी, दारंग (मंगलदोई), हैलनकंडी, गोलाघाट, मोरीगांव, बोंगाईगांव, तिनसुकिया
3.	बिहार	50	पश्चिमी चंपारण (बेतिया), भागलपुर, भोजपुर (आरा), सारन (छपरा), दरभंगा, धनबाद, कटिहार, रांची, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण), नालंदा, डालटेनगंज (पलामू) गया, पटना, पूर्णिया, रोहतास (सासाराम) सहरसा, समस्तीपुर, गिरिडीह, गोपालगंज, बेगूसराय, वैशाली (हाजीपुर), साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, माधेपुरा, मधुबनी, दुमका (संथाल परगना), सिंहभूम-पं. (चाईबासा), सिवान, सीतामढ़ी, हजारीबाग, औरंगाबाद, गुमला, नवादा, लोहरदग्गा, खगड़िया, (हाजीपुर उत्तरी), जहानाबाद, किशनगंज, अररिया, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), बंका, बक्सर, भभुआ (कैमूर), सापौल, बोकारो, चलरा, गर्वा, जमूही।
4.	गुजरात	19	भड़ौच, नाडियाड (खेड़ा), कच्छ (भुज), गोधरा, साबरकंठ (हिम्मतनगर), जूनागढ़, मेहसाना, सुरेन्द्रनगर, जामनगर, भावनगर, बलसाड़, सूरत, गाँधीनगर, अहमदाबाद, बड़ौदा (छोटा उदयपुर), डंग्स, अमरेली, पालनपुर, राजकोट

1	2	3	4
5.	हरियाणा	16	अम्बाला, भिवानी, गुड़गाँव, करनाल, सिरसा, कुरुक्षेत्र, रोहतक, फरीदाबाद, सोनीपत, जींद, हिसार, महेन्द्रगढ़ (नारनौल), रेवाड़ी, यमुनानगर, कैथल, पानीपत।
6.	हिमाचल प्रदेश	12	बिलासपुर, चंबा, धर्मशाला (कांगड़ा), हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लु, केयौंग (लाहौल स्पीती), मंडी, नाहन (सिरमौर), सोलन, शिमला, ऊना।
7.	जम्मू व कश्मीर	14	कठुआ, अनंतनाग, बिडगाम, बारामूला, डोडा, जम्मू, कुपवाड़ा, कारगिल, लेह (लद्दाख), पुलवामा, पुँछ, राजौरी, श्रीनगर, उधमपुर।
8.	कर्नाटक	20	बीजापुर, बेलगाम, बीदर, चिकमंगलूर, गुलबर्ग, हासन, उत्तर कन्नड़ (कारवार), कोडागू (मेदिकेरी), कोलार, मंगलौर, मांड्या, मैसूर, रायचूर, तुमकूर, धारवाड़, चित्रदुर्ग (देवनगिरी), बेल्लारी, शिमोगा, बंगलौर (ग्रामीण), बंगलौर (शहरी)।
9.	केरल	14	एल्लेपी, कन्नूर, थोडुपुझा (इडुकी), कोझीकोड़, मालाप्पुरम, पालघाट, पट्टनमथीटा, त्रिवेन्द्रम, त्रिचूर, एर्नाकुलम, कोट्टायम, कासरगौड, वायनाड, क्यूलोन।
10.	मध्य प्रदेश	48	बेतूल, छतरपुर, दतिया, देवास, धार, दुर्ग, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, रायगढ़ (जशपुर नगर), झाबुआ, बस्तर (कांकर), रतलाम, सिहोर, शाजापुर, शिवपुरी, गुना, छिन्दवाड़ा, दमोह, खण्डवा, बिलासपुर, भिण्ड, राजगढ़ (बायोरा), रीवा, शहडोल, रायपुर, रायसेन, मण्डला, उज्जैन, मुरैना, नरसिंहपुर, खरगौन (वेस्ट निमार), बालाघाट, भोपाल, सागर, विदिशा, सीधी, टीकमगढ़, पन्ना, मन्दसौर, सतना, सरगुजा, राजनन्दगाँव, सिवनी, मऊ (इन्दौर-2), कटनी, चम्पा।
11.	महाराष्ट्र	30	औरंगाबाद, अलीबाग (रायगढ़), भण्डारा, कोल्हापुर, शोलापुर, थाणे, जलगाँव, नान्देड़, यावतमाल, अमरावती, गढ़चिरोली, जालना, बुलढाना, नागपुर, कल्याण (पश्चिम), सतारा, अहमदनगर, नासिक, परभनी, उस्मानाबाद, धुले, रत्नागिरि, लातूर, पुणे, सिन्धुदुर्ग, अकोला, चन्द्रपुर, वर्धा, बीड, सांगली।
12.	मणिपुर	09	चूराचाँदपुर, इम्फाल, सेनापति, (कांगपोक्पी), तमेंगलोंग, अखरूल, थौबाल, चाण्डेल, बिशनपुर, सेनापति-II
13.	मेघालय	05	जयन्तिया हिल्स (जोवाई), वेस्ट गारो हिल्स (तुरा), ईस्ट खासी हिल्स (शिलाँग), ईस्ट गारो हिल्स (विलिम नगर), वेस्ट खासी हिल्स (नांगस्टन)।
14.	नागालैण्ड	07	कोहिमा, मोकोक्चुंग, जुहबोटो, त्येनसांग, मोन, वोखा, फेख।
15.	उड़ीसा	16	बालासोर, बोलनगीर, मयूरभंज (बारीपाड़ा), गंजम (बरहामपुर) कालाहाण्डी (भवानी पटना), धेनकनाल, क्योंझर, कोरापुट, फुलबनी, पुरी, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़, कटक, नौपाडस खुर्दा (भुवनेश्वर), केन्द्रपाड़ा।
16.	पंजाब	14	अमृतसर, भटिण्डा, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, रोपड़, संगरूर, मानसा, फतेहगढ़ साहिब।
17.	राजस्थान	30	अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चुरु, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, सवाई माधोपुर, सिरोही, टौंक, उदयपुर, अलवर, कोटा, पाली, धौलपुर, नागौर, सीकर, झुन्झुनू, झालवाड़, श्रीगंगानगर, राजसमंद, बारान, दौसा।

1	2	3	4
18.	सिक्किम	04	ईस्ट सिक्किम (गंगटोक), नार्थ सिक्किम (मोनगान), वेस्ट सिक्किम (गेजिंग), साउथ सिक्किम (नामची)।
19.	तमिलनाडु	29	कोयम्बटूर, कुड्डालूर (साउथ आर्कोट), धरमपुरी, मदुरै, पुदुकोट्टाई, सालेम, सिवगंगा, तिरुचिरापल्ली, थन्जावूर, तिरुनेलवेली, नीलगिरि (उदगमण्डलम), वेल्लोर, कामराजार (विरुदनगर), कन्याकुमारी (नागरकोइल), चेन्गलपेट (एम.जी.आर.), इरोड (पेरियार), डिण्डीगुल (अन्ना), रामनाथपुरम, चिदम्बरनार (तूतीकोरिन मद्रास) (रूरल), नागपट्टनम, तिरुनान्नामाली, विलूपुरम, तिरुनावल्लूर, थेनी, तिरुवारूर, नामक्कल, करूर, पेरम्बदूर।
20.	त्रिपुरा	03	वेस्ट त्रिपुरा (अगरतला), नार्थ त्रिपुरा (धरम नगर), साउथ त्रिपुरा (उदयपुर)
21.	उत्तर प्रदेश	63	अल्मोड़ा, इलाहाबाद, अलीगढ़, प्रतापगढ़ (अवध), आजमगढ़, बदायूँ, बांदा, बिजनौर, चमोली, देहरादून, देवरिया, फरुखाबाद (फतेहगढ़), फतेहपुर, फैजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फर नगर, मुरादाबाद, नैनीताल, मिर्जापुर, पौढ़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, राय बरेली, रामपुर, सीतापुर, सहारनपुर, उन्नाव, उत्तरकाशी, वाराणसी, सुल्तानपुर, ललितपुर, एटा, आगरा, टिहरी गढ़वाल, बुलन्दशहर, शाहजहांपुर, बहराइच, जौनपुर, बरेली, पीलीभीत, मैनपुरी, लखनऊ, गोण्डा, बाराबंकी, बलिया, कानपुर, इटावा, जालौन (उरई), गाजियाबाद, हरदोई, बस्ती, हरिद्वार, सिद्धार्थ नगर (नौगढ़), अमेठी, महाराजगंज, मऊ, फिरोजाबाद, सोनभद्र।
22.	पश्चिम बंगाल	22	बरसात (24 परगना नार्थ), बर्दवान, मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग, बरुईपुर (24 परगना साउथ), जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, पुरूलिया, कलकत्ता, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, बांकुरा, बीरभूम, हुगली, नदिया, हावड़ा, मालदा, दुर्गापुर (बर्दवान-2), डायमण्ड हार्बर (24 एस. परगना), तामलुक (मिदनापुर-2), कलकत्ता (साउथ), रघुनाथपुर (पुरूलिया)
23.	अरुणाचल प्रदेश	05	सियांग (लओन्ग), लोवर सुबानसीरी (जिरो), अपर सुबानसीरी (दापोरिजो), लोहित (तेजू), दिबांग वैली।
24.	अंडमान निको. द्वीप समूह	06	निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, कमोन्ना, कैंपबॉल बे, मायाबन्दर (रंगत), दिगलीपुर।
25.	चंडीगढ़	01	चण्डीगढ़।
26.	नई दिल्ली	03	अलीपुर, (नई दिल्ली), महरौली (नई दिल्ली), नांगलोई (नई दिल्ली)।
27.	गोवा दमन व दीव	05	दमन, पणजी, दीव, साउथ गोवा, नार्थ गोवा।
28.	लक्षद्वीप	01	कावारत्ती।
29.	पाण्डिचेरी	04	कराईकल, पाण्डिचेरी, माहे, यानाम।
30.	मिजोरम	03	ऐजवाल, लुंगेली, धिमतुईपुरी (सैहा)।
31.	दादरा व नगर हवेली	01	सिलवासा

[अनुवाद]

अशक्त व्यक्तियों हेतु मकानों का निर्माण

3354. श्री सी.के. जाफर शरीफः क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अशक्त व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता अधिनियम, 1955 के अधीन आसक्त व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में गैर सरकारी संगठनों को राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नकली दवाइयों की बिक्री

3355. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः
श्री रामसागर रावतः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार में बेची गई दवाइयों में से 20%-30% दवाइयां नकली होने की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कितने दवाई विनिर्माता पंजीकृत हैं और उनमें से कितने विश्व मानक के अनुरूप कार्य कर रहे हैं;

(घ) "फेडरल ड्रग्स अथारिटी" से मान्यता प्राप्त कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(छ) पिछले तीन वर्ष के दौरान नकली दवाइयों का विनिर्माण और विपणन करने के अपराध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए और उनके विरुद्ध कंपनीवार क्या कार्यवाही की गई; और

(ज) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1984-1998 में परीक्षित नमूनों की संख्या, घटिया/नकली पास गए नमूनों की संख्या और परीक्षित कुल नमूनों से उनकी प्रतिशता को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1998 को औषध नियंत्रण संगठनों द्वारा औषधों और प्रसाधन सामग्री के निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त कम्पनियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। विश्व मानक को अनुरक्षित करने वाले पंजीकृत निर्माताओं की संख्या के संबंध में सूचना राज्य लाइसेंस प्राधिकारियों से प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) से (च) राज्य लाइसेंस प्राधिकारियों से उपलब्ध कराई गई सूचना (फीडबैंक) के अनुसार औषधों और फार्मास्यूटीकलों के निर्यात के लिए 231 निर्माताओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन-जी.एम.पी. (वि.स्वा. संगठन-अच्छी निर्माण पद्धतियां) प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

(छ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान जिन मामलों में मुकदमा चलाया गया, उनमें से निर्णीत मामलों, दोषी पाए गए मामलों जिनमें जुर्माना किया गया या जिनमें जुर्माना नहीं किया गया, उन मामलों जिनमें केवल जुर्माना किया गया और ऐसे मामलों जिनमें दोषमुक्ति हुई, की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में उपलब्ध है।

(ज) अच्छी गुणवत्ता की औषधों/दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के औषध नियंत्रण अधिकारी और केन्द्रीय सरकार के अधिकारी निर्माताओं, व्यापारियों इत्यादि से औषधों के नमूने लेते हैं और सरकारी प्रयोगशालाओं के माध्यम से उनकी गुणवत्ता की अभिपुष्टि करते हैं। यदि कोई औषध मानक गुणवत्ता की नहीं पाई जाती है तो औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के संगत उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाती है। सरकार ने औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत अच्छी निर्माण पद्धतियों को एक सांविधिक अपेक्षा के रूप में भी निर्धारित किया है। भेषज संहिता संबंधी मानकों को और सख्त बनाने, राज्य औषध परामर्शी समितियों को गठित करने/पुनः सक्रिय बनाने के लिए राज्यों को सलाह देने, सन्देहास्पद गुणवत्ता वाली औषधें बेचने वाले संदिग्ध व्यापारियों पर नजर रखने और राज्यों में प्रवर्तन कर्मचारियों और औषध परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कार्रवाई भी शुरू की जा रही है।

विवरण I

वर्ष 1984-96 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र, औषध नियंत्रण संगठन द्वारा जांच किए गए नमूनों और पाए गए अप्रमाणिक नमूनों को दर्शानेवाला विवरण

वर्ष	जांच किए गए नमूनों की संख्या	अप्रमाणित पाए गए नमूनों की सं.	कुल की प्रतिशतता
1984-85	18504	48	0.259
1985-86	19035	72	0.168
1986-87	26387	72	0.272
1987-88	20545	31	0.116
1988-89	27696	56	0.202
1989-90	26787	35	0.130
1990-91	31474	125	0.397
1991-92	34337	96	0.279
1992-93	22236	30	0.14
1993-94	31924	82	0.260
1994-95	29769	81	0.270
1995-96	30981	72	0.280
1996-97	28887	109	0.37
1997-98	35547	132	0.51

विवरण II

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दिनांक 31.3.98 की स्थिति के अनुसार निर्माता फर्मों और बिक्री केन्द्रों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्माता फर्मों की संख्या		
		अपने**	ऋण पर	सौंदर्य प्रसाधन सामग्री***
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1767	665	181
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	शून्य	शून्य
3.	असम	55	शून्य	शून्य
4.	बिहार*	477	10	22
5.	गोवा	96	89	16
6.	गुजरात	1634	751	615

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	383	28	29
8.	हिमाचल प्रदेश	48	21	3
9.	जम्मू व कश्मीर	38	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	250	238	65
11.	केरल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
12.	मध्य प्रदेश	393	28	52
13.	महाराष्ट्र	746	774	493
14.	मणिपुर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
15.	मेघालय*	6	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	1	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा*	179	3	148
19.	पंजाब*	37	शून्य	शून्य
20.	राजस्थान	209	50	11
21.	सिक्किम*	1	शून्य	1
22.	तमिलनाडु	596	455	653
23.	त्रिपुरा	8	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	1017	12	37
25.	पश्चिम बंगाल*	961 (ऋण सहित)	-	481
26.	पांडिचेरी	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	103	2	2
29.	दिल्ली	230	132	498
30.	दादरा व नगर हवेली	19	14	23
	योग	9257	3272	3330

*1.4.96 की स्थिति के अनुसार

**आंकड़ों में रक्त बैंक, भारतीय चिकित्सा पद्धति इत्यादि शामिल नहीं हैं।

***आंकड़ों में कर्ज लाइसेंस भी शामिल हैं।

विवरण III

वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान की गई कानूनी कार्रवाईयों, निर्णित मामलों, जुर्माना सहित या बिना जुर्माना के ठहराए गए दोषियों, सिर्फ जुर्माना लेकर दोष मुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	कानूनी कार्यवाही की गई	निर्णित मामले	जुर्माना सहित या बिना जुर्माना के दोषी ठहराए गए	सिर्फ जुर्माना	दोषमुक्त किए गए
1995-96	683	248	247	181	67
1996-97	631	293	37	78	129
1997-98	504	156	82	25	56

पश्चिम बंगाल में दूरदर्शन प्रसारण का ठीक से दिखाई न देना

3356. श्री अकबर अली खांदोकर: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के दूर-दराज के क्षेत्रों में दूरदर्शन प्रसारण ठीक से दिखाई नहीं देने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को दूरदर्शन प्रसारण को ठीक से दिखा पाने की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) पश्चिम बंगाल में दूरवर्ती क्षेत्रों सहित कुछ क्षेत्र हैं जिनको इस समय दूरदर्शन की स्थलीय टी.वी. सेवा द्वारा कवर नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल में टी.वी. सेवा का विस्तार/सुधार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर आवेदन प्राप्त होते रहते हैं। टी.वी. विस्तार की योजनाएं बनाते समय तकनीकी/वित्तीय बाध्यताओं के अधीन ऐसे अनुरोधों को ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान में, पश्चिम बंगाल में डी.डी.-1 का विस्तार करने के लिए 4 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर और 4 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा डी.डी.-2 का विस्तार करने के लिए 2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की "एमनेस्टी स्कीम 1998"

3357. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने "एमनेस्टी स्कीम, 1998" आरंभ की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किश्तों पर फ्लैट लेने वाले कितने आवंटियों ने योजना की अंतिम तारीख तक अपनी किश्तें जमा करा दी थीं;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा सभी जमाकर्ताओं को रसीदें जारी कर दी गई हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हाँ।

(ख) इस स्कीम के अनुसार निम्नलिखित स्कीमों के तहत डी.डी.ए. फ्लैटों के किराया-खरीद आबंटियों को जुर्माने में 75% तक राहत दी गई थी-

(1) जनरल हाउसिंग स्कीम्स

(2) न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1979

(3) रिटाइरिंग पर्सनल स्कीम

(4) अम्बेडकर आवास योजना

(5) जनता 1996 स्कीम

(ग) डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि करीब 19328 किराया-खरीद आबंटियों से इस स्कीम के अधीन लाभ उठाने के लिए आवेदन किया था।

(घ) से (च) जी, हाँ। इस स्कीम के अधीन प्राप्त कुल 19,328 आवेदनों में से अब तक 12,625 आवेदन निपटा दिए गए हैं। डी.डी.ए. द्वारा शेष मामलों को 31.1.2000 तक निपटाने के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

खेलों का विकास

3358. श्री राजो सिंह: क्या **संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में खेलों के विकास के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार खेलों से संबंधित बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने हेतु योजनाओं में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) खेलों के विकास के लिए सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित/संशोधित योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) खेल संबंधी अवस्थापना के विकास हेतु योजना हाल ही में सितम्बर, 1998 में संशोधित की गई थी।

विवरण

खेलों के विकास के लिए सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित/संशोधित योजनाओं का ब्यौरा

1. खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान

यह योजना, सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र दोनों में, वास्तविक अवस्थापना के सृजन पर बल देती है। योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार (सरकारों), संघ शासित क्षेत्रों तथा स्वैच्छिक संगठनों के निकायों को जो खेल मैदानों, इंडोर/आउटडोर स्टेडियमों, तरणताल, साइकिल वैलोड्रम, खेल छात्रावास आदि जैसी खेल अवस्थापना के सृजन हेतु खेल के क्षेत्र में सक्रिय हैं, 50 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण परिसरों तथा जिला स्तरीय खेल परिसर की स्थापना के लिए राज्य सरकार की भी सहायता की जाती है तथा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण परिसरों के लिए 4.00 करोड़ रुपए तक का अधिकतम अनुदान स्वीकार्य है। पहाड़ी/जनजातीय, विशेष श्रेणी वाले राज्यों में चलाई जा रही परियोजनाओं के मामले में अनुमानित व्यय की 75 प्रतिशत तक की धनराशि सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। यह योजना सितंबर, 1998 में संशोधित की गई थी।

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में खेल मैदानों के विकास के लिए खेल अवस्थापना के सृजन हेतु सहायता भी प्रदान करती है। जिन स्कूलों में अपेक्षित आकार का खेल मैदान, नियमित शारीरिक शिक्षा अध्यापक आदि हैं, उनको खेल मैदान के विकास तथा गैर-उपभोज्य एवं उपभोज्य खेल उपस्करों की खरीद के लिए अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक अनुदान 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है। सहायता प्रति वर्ष प्रति ब्लॉक एक स्कूल तक सीमित है तथा पंचवर्षीय योजना के लिए प्रति ब्लॉक दो स्कूलों से ज्यादा के लिए नहीं होगी। यह योजना अप्रैल, 1998 में संशोधित की गई थी।

2. राष्ट्रीय खेल परिसंघ

इस योजना के अंतर्गत, खेल विधाएं तीन श्रेणियों में श्रेणीबद्ध की गई हैं, जो हमारे देश में खेल के स्तरों की तुलना में उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक स्तरों पर आधारित हैं। "प्राथमिकता" प्राप्त श्रेणी में वे खेल शामिल हैं जिनमें हमारा स्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक स्तर के समान अथवा समीप है तथा जिनमें टीमों और व्यक्तिगत खिलाड़ियों के पदक जीतने की संभावनाएं हैं। "सामान्य" श्रेणी में वे खेल शामिल हैं जिनमें प्रमाणित अभिरुचि है परंतु वे अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक स्तर के समीप नहीं हैं। "अन्य" श्रेणी में वे सभी अन्य खेल शामिल हैं जो उपरोक्त दो श्रेणियों में शामिल नहीं हैं। 21.4.99 को किए गए नवीनतम श्रेणीकरण के अनुसार, प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी में 14 विधाएं, सामान्य श्रेणी में 15 विधाएं तथा अन्य श्रेणी में शेष विधाएं हैं। उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए, तीन श्रेणियों में सम्मिलित खेलों के लिए क्रमिक सहायता स्तर प्रदान की जा रही है। यह योजना जुलाई, 1997 में संशोधित की गई थी।

वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता प्रदान की जा रही है:

(1) सीनियरों, जूनियरों तथा सब-जूनियरों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना जिनके लिए यात्रा,

भोजन एवं आवास, प्रशिक्षण किट, चिकित्सा कवरेज तथा बीमा के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

(2) उपस्कर खरीद हेतु सहायता।

(3) सीनियर, जूनियर तथा सब-जूनियर टीमों/खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तथा विदेशों में प्रशिक्षण में भाग लेना।

(4) विदेशी प्रशिक्षकों तथा राष्ट्रीय प्रशिक्षक की नियुक्ति हेतु सहायता।

(5) सीनियरों, जूनियरों तथा सब-जूनियरों के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिपों का आयोजन।

(6) भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन।

(7) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।

(8) परिसंघों के संयुक्त सचिवों तथा सहायक सचिवों के वेतन तथा भत्तों के लिए वित्तीय सहायता।

3. सिंथेटिक ट्रैक/कृत्रिम हाकी तथा अन्य परतें बिछाना

प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं सिंथेटिक परतों पर आयोजित की जाती हैं। नवीं योजना अवधि के दौरान, हमारे खिलाड़ियों को ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के योग्य बनाने के लिए, भारत सरकार ने केवल हाकी टर्फों तथा एथलेटिक ट्रैक्टों पर ध्यान देने का निर्णय लिया है क्योंकि इन मामलों में निवेश बहुत ज्यादा है। राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों, राज्य खेल संघ, राष्ट्रीय खेल परिसंघों, भारतीय खेल प्राधिकरण, आर.एस.सी.बी., स्थानीय निकायों आदि को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जिसकी अधिकतम उच्चतम सीमा एक करोड़ रुपये है। यह योजना सितंबर, 1998 में संशोधित की गई थी।

4. विश्वविद्यालयों/कालेजों में खेलों के संवर्धन हेतु अनुदान

इस योजना के अंतर्गत, कालेजों एवं विश्वविद्यालयों को खेल अवस्थापना के सृजन तथा टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। खेल अवस्थापना के सृजन हेतु कतिपय अधिकतम सीमा के अधीन, विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों, पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों के मामलों में 75 : 25 तथा अन्य राज्यों के मामले में 50 : 50 के अनुपात में भारत सरकार तथा विश्वविद्यालयों/कालेजों के बीच लागत वहन की जाती है। खेल अवस्थापना के सृजन के लिए तकनीकी/चिकित्सा/कृषि कालेजों/विश्वविद्यालयों को विभाग द्वारा सीधे ही अनुदान प्रदान किया जाता है। विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के लिए, उनके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पहले, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों तथा कोचिंग/प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) को सहायता प्रदान की जाती है। ए.आई.यू. द्वारा संचालित अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों के समग्र विजेता सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालय को सचल आधार पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी (माका) प्रदान की जाती है। खेल उपस्करों की खरीद के लिए प्रथम तीन स्थान जीतने वाले विश्वविद्यालयों को 1,00,000/-रुपये, 50,000/- रुपये तथा 25,000/- रुपये के नकद पुरस्कार भी प्रदान किये जाते हैं। यह योजना जून, 1998 में संशोधित की गई थी।

5. स्कूलों में खेलकूद का संवर्धन (पुरस्कार राशि)

यह योजना, स्कूलों बच्चों को खेल संबंधी कार्यकलापों में अधिक रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करने पर लक्षित है। इसे और सरल बनाने के उद्देश्य से योजना हाल ही में संशोधित की गई है तथा यह योजना भारतीय स्कूल खेल परिसंघ (एस.जी.एफ.आई.) के माध्यम से जिले से राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर-स्कूल टूर्नामेंटों के आयोजन पर अधिक बल देती है। संशोधित योजना के अंतर्गत, स्कूलों में खेलकूद के संवर्धन के लिए 50,000 रुपये की दर से प्रति जिला, 2.00 लाख रुपये की दर से प्रति राज्य तथा एक लाख रुपये की दर से सर्वोत्कृष्ट राज्य को सहायता दी जाती है। यह योजना अप्रैल, 1998 में संशोधित की गई थी।

6. ग्रामीण खेल कार्यक्रम

ग्रामीण खेल कार्यक्रम 1970-71 में शुरू किया गया था ताकि खेलकूद को विस्तृत आधार प्रदान किया जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई प्रतिभाओं का पता लगाया जा सके। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेल जागृति की भावना उत्पन्न करना तथा सामूहिक भागीदारी को सुनिश्चित करना है। योजना देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने, ध्यान में आई ग्रामीण खेल प्रतिभा का पता लगाने एवं पोषण के लिए अवसर उपलब्ध कराने तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने पर बल देती है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य, सभी ब्लाकों, जिलों तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र की राजधानियों में खेल टूर्नामेंटों का आयोजन करना है। टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को प्रति खेल विधा क्रमशः 30,000 रुपये एवं 15,000 रुपये की दर से तथा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों के लिए प्रति खेल विधा 2.00 लाख रुपये की दर से सहायता प्रदान करने के लिए योजना के संशोधन हेतु एक प्रस्ताव विचाराधीन है। उपभोज्य तथा गैर-उपभोज्य खेल उपस्करों की खरीद के लिए ग्रामीण/

जनजातीय क्षेत्रों में स्थित खेल क्लबों/केन्द्रों को अनुदान प्रदान किया जाता है। इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस घटक को युवा क्लबों को दी जाने वाली सहायता के साथ मिलाने का प्रस्ताव है। देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में महसूस की जाने वाली विशेष प्राकृतिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, इस योजना के अंतर्गत विशेष उत्तर-पूर्वी खेल महोत्सव के आयोजन हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

7. खेल छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अंतर्गत खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लड़कों और लड़कियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर की तीन प्रकार की छात्रवृत्तियाँ हैं। राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में विजेताओं के प्रतिमाह 600 रुपये की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है इस छात्रवृत्ति की संख्या की कोई सीमा नहीं है। राज्य स्तर के टूर्नामेंट के विजेताओं को 450 रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 100 छात्रवृत्ति प्रति राज्य और 40 छात्रवृत्ति प्रति संघ शासित क्षेत्र को प्रदान की जाती है। यह योजना, एन.एस.एन.आई.एस., पटियाला द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 750 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी ज़ाती है। छात्रवृत्तियों की अधिकतम संख्या पर कोई रोक नहीं है। वर्ष 1982-83 में महिलाओं में खेल और शारीरिक शिक्षा के संवर्धन की एक योजना अलग से आरंभ की गई थी। योजना का उद्देश्य महिलाओं में खेलों का संवर्धन है। योजना के अंतर्गत खेलों में राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप सीनियर के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से, शारीरिक शिक्षा में एम.फिल./पी.एच.डी. करने वाली महिलाओं को 6000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से तथा डिप्लोमा करने वाली महिलाओं के लिए 6000 रुपये प्रत्येक पाठ्यक्रम की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

8. उदीयमान खिलाड़ियों तथा सहायक कार्मिकों को सहायता

यह योजना 1990-91 में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य हमारे प्रतिभावान उत्कृष्ट खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, शारीरिक अनुकूलता विशेषज्ञों, खेल वैज्ञानिकों और अनुसंधान विशेषज्ञों को नवीनतम तकनीक, प्रशिक्षण, कोचिंग तथा अनुसंधान संबंधी सुविधाओं को प्रदान करना है ताकि देश में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और कोचिंग प्रदान करने के लिए देश में ही विशेषज्ञों का एक पूल बनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, खेलों तथा शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को संवर्धित और प्रोत्साहित करने के लिए खेल विशेषज्ञों को यात्रा अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, यह विभाग महत्वपूर्ण शैक्षणिक सम्मेलनों, आदि में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर होने वाला व्यय भी प्रदान करता है। इस योजना का क्षेत्र प्रशिक्षकों सहित अन्य खेल विशेषज्ञों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, खिलाड़ियों की बढ़ती हुई तथा बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों योजनाओं की समीक्षा की गई और उपर्युक्त नई योजना तैयार की गई है। इस योजना में उदीयमान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और विदेशों में प्रतियोगिताओं में भाग लेने, उपस्कर, वैज्ञानिक सहायता और प्रशिक्षण तथा देश में टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए 5.00 लाख रुपये तक की सहायता की व्यवस्था है। इसमें कोचों तथा अन्य खेल विशेषज्ञों के विदेशों में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है।

9. खेल पुरस्कार

अर्जुन पुरस्कार

1961 में स्थापित अर्जुन पुरस्कार विशिष्ट खिलाड़ियों को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान के रूप में प्रति वर्ष दिया जाता है। यह उनके पिछले वर्ष के उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा पिछले तीन वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। जिन खिलाड़ियों ने खेलों में जीवन-पर्यन्त योगदान दिया है, उन्हें शामिल करने के लिए इस पुरस्कार के क्षेत्र का विस्तार किया गया है। पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, एक सम्मान स्क्रोल तथा 1,50,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

द्रोणाचार्य पुरस्कार

यह पुरस्कार उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है जिनके खिलाड़ियों अथवा टीमों ने वर्ष के दौरान उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए हों। इस पुरस्कार में नकद पुरस्कार, एक प्रतिमा, एक स्क्रोल, एक ब्लेजर और एक टाई/स्कार्फ शामिल है। नकद पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी गई है।

राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार

यह योजना 1991-92 में, वर्ष के दौरान उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के लिए शुरू की गई थी। इस पुरस्कार में एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक सम्मान स्क्रोल तथा एक प्लाक दी जाती है। नकद पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं तथा उनके प्रशिक्षकों के लिए विशेष पुरस्कार

"अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं तथा उनके प्रशिक्षकों के लिए पुरस्कार" की योजना वर्ष 1986 में उत्कृष्ट

खिलाड़ियों को और अधिक उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित तथा प्रेरित करने एवं युवा पीढ़ी को खेलों को जीविका के रूप में अपनाने के लिए आकर्षित करने हेतु शुरू की गई थी। इसका एक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के भोजन, प्रशिक्षण, तैयारी के साथ ही खेल के प्रति उनके समर्पण के साथ और सेवा के कारण उन्हें जिन चीजों से वंचित रहना पड़ा, उसकी पूर्ति करना भी है। पुरस्कारों की राशि सीनियर के लिए 75,000 रुपये से 15.00 लाख रुपये तक तथा जूनियर के लिए 5,000 रुपये से 15,000 रुपये तक है। नकद पुरस्कारों की राशि वर्ष 1999-2000 के दौरान बढ़ा दी गई थी।

10. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पेंशन

''उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पेंशन'' की योजना वर्ष 1994 में शुरु की गई थी। योजना के अंतर्गत, उन पदक विजेताओं को पेंशन दी जाती है जिन्होंने ओलंपिक, विश्वकप/विश्व चैंपियनशिपों तथा एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं और विश्व कप/विश्व चैंपियनशिपों के स्वर्ण पदक विजेताओं को 2500 रुपये प्रतिमास की दर से पेंशन दी जाती है और एशियाई खेलों के सभी स्वर्ण पदक विजेताओं को 2000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है। पेंशन के हकदार खिलाड़ियों को 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात उनके शेष जीवन के लिए पेंशन दी जाती है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से चलाई जा रही है।

11. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष

''खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष'' की स्थापना मार्च, 1982 में उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता करने की दृष्टि से की गई थी जिन्होंने पिछले वर्षों में देश को खेलों के क्षेत्र में गौरव दिलाया है तथा जो दरिद्र अवस्था में रह रहे हैं। योजना के अंतर्गत, खिलाड़ियों तथा साथ ही साथ उनके परिवारों को पेंशन तथा एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जिनकी आय 3,000 रुपये प्रतिमास से कम है, 2500 रुपये प्रतिमास की पेंशन दी जाती है।

12. राष्ट्रीय खेल विकास निधि

खेलों के संवर्धन के लिए संसाधनों की समस्या से उबरने की दृष्टि से, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एन.एस.डी.एफ.) को 1998-99 के दौरान स्थापित किया गया है ताकि राज्य सरकारों, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उपक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अलग-अलग व्यक्तियों आदि विभिन्न स्रोतों से योगदान प्राप्त किया जा सके। इस निधि में किये जाने वाले अंशदान में आयकर में 100 प्रतिशत छूट दी जाती है। इसे शुरू करने के लिए सरकार ने 2.00 करोड़ रुपये का आरंभिक अंशदान दिया है। इसके अलावा, ग्रामीण विद्युतीकरण पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स प्रत्येक से 5.00 लाख रुपये तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से 10,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। औद्योगिक घरानों, निगमित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस निधि में उदारतापूर्वक योगदान देने के लिए आग्रह किया जा रहा है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता

3359. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को ''एकाधिकार खरीद योजना'' को क्रियान्वित करने के लिए अपने शेयर को जारी करने हेतु महाराष्ट्र से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए महाराष्ट्र को केन्द्र सरकार का शेयर जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान विभिन्न केन्द्र/केन्द्रीय योजना के अंतर्गत इस मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य सरकारों को निम्नलिखित धनराशि निर्मुक्त की गई:

(रुपये लाख में)

1.	आदिवासी उपयोजन ाको विशेष केन्द्रीय सहायता	3532.21
2.	अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	534.50
3.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल	33.07 (2 होस्टल) (165 सीटें)
4.	अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल	66.24 (10 होस्टल) (775 सीटें)

5.	आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	157.38 (56 स्कूल)
6.	स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान	54.43
7.	टी.आर.आई. फेलोशिप	29.13 1.05
8.	राज्य टी.डी.सी.सी. को सहायता अनुदान	100
9.	निम्न साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर	9.91 (5 संगठन)
10.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	28.4 (5 केन्द्र)

वर्ष 1999-2000 के लिए पिछले वर्षों में निर्मुक्त अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ राज्य सरकार से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का पहले ही अनुरोध किया गया है।

खेल-कूद संस्थान

3360. श्री विजय गोयल: क्या **संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के किसी अन्य हिस्से में पटियाला स्थित खेल-कूद संस्थान की तरह कोई संस्थान स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (ग) वित्तीय संस्थानों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, इस समय, देश के अन्य भागों में ऐसा खेलकूद संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जेंटामाइसिन का उपयोग

3361. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 मार्च 1999 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "एंटीबायोटिक बींग यूज्ड फॉर अडल्ट्रेटिंग मिल्क" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दूध में जेंटामाइसिन की इस प्रकार की मिलावट को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद द्वारा हैदराबाद शहर में किए गए अध्ययन से पता चला कि एक खास ब्रांड वाले दुग्ध में जेंटामाइसिन पाया गया जो एक एंटीबायोटिक है और इसकी सीमा 40-80 एमजी/एमएल के बीच थी। ऐसा सन्देह है कि जेंटामाइसिन दूध को परिरक्षित रखने के लिए मिलाया गया।

(ग) नियमों में की गई व्यवस्था को छोड़कर, दूध में नहीं पाए जाने वाले पदार्थों वाले दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत पहले ही निषिद्ध है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को निगरानी उपाय तेज करने और अपराधियों के विरुद्ध समुचित कानूनी कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ने भी दुधारू पशुओं में दूध के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले घटकों की सीमा (रेंज) का अध्ययन करने के लिए एक बहु-विषयक समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए शिक्षा

3362. श्री मोहन रावले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1974 में विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार उन विद्यालयों की संख्या कितनी है जहां उक्त योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ग) उक्त योजना से लाभान्वित होने वाले विकलांग बच्चों की संख्या कितनी है; और

(घ) इसके कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए सरकार द्वारा कौन से महत्वपूर्ण उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) तत्कालीन कल्याण मंत्रालय द्वारा विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की योजना को 1974 में शुरू किया गया। इस योजना को 1982 में शिक्षा विभाग को अंतरित किया गया।

उन स्कूलों की संख्या (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार) संलग्न विवरण में देखी जा सकती है जहां यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 65,000 से अधिक विकलांग बच्चे शामिल किए गए हैं। सरकार इस योजना के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए उपाय कर रही है, में उपाय मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं:

(क) विकलांग छात्रों को सामान्य स्कूलों में दाखिला देने की अनुमति देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह देना।

(ख) अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण का कार्य आरंभ करना।

(ग) इस कार्यक्रम और डी.पी.ई.पी. जैसे अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत विकलांगता वाले बच्चों को स्कूल भेजने की आवश्यकता के लिए सामुदायिक तथा पैतृक जागरूकता का सृजन करना।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	केरल	6748
2.	मध्य प्रदेश	2075
3.	कर्नाटक	1782
4.	गुजरात	1330
5.	हिमाचल प्रदेश	1800
6.	हरियाणा	748
7.	असम	578
8.	उड़ीसा	139
9.	मणिपुर	269
10.	तमिलनाडु	63
11.	राजस्थान	55
12.	आंध्र प्रदेश	45
13.	महाराष्ट्र	39
14.	त्रिपुरा	35
15.	उत्तर प्रदेश	32
16.	नागालैंड	316
17.	पंजाब	24
18.	मिजोरम	417
19.	पश्चिम बंगाल	73
20.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	120
21.	दिल्ली	171
22.	दमन और द्वीव	78
23.	दादरा और नगर हवेली	2
24.	अरुणाचल प्रदेश	4
25.	बिहार	97
26.	जम्मू और कश्मीर	**
27.	चंडीगढ़	**
	कुल	17040

**सूचना उपलब्ध नहीं।

[अनुवाद]

स्कूल आधारित मूल्यांकन प्रणाली

3363. श्री आर.एल. भाटिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नई सहस्राब्दि में माध्यमिक स्तर पर स्कूल शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन करने का वायदा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली ने सभी सम्बद्ध संस्थानों को स्कूल आधारित निरंतर और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को लागू करने का निर्देश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रणाली को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (घ) स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से प्राप्त सूचना के अनुसार बोर्ड ने इसमें सम्मिलित स्कूलों को इस आशय के अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि वे वर्ष 2000 से ऐसे सभी नियमित छात्रों को स्कूल आधारित मूल्यांकन प्रमाण-पत्र जारी करें जिन्होंने कक्षा X का पाठ्यक्रम पूरा किया हो। प्रमाण-पत्र के आरूप में छात्र और विद्यालय का नाम, स्वास्थ्य स्थिति, छात्रों का शैक्षिक निष्पादन, व्यक्तिगत और सामाजिक गुण, मनोवृत्ति और मूल्य, सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप, सांस्कृतिक गतिविधि, बाह्य कार्यकलाप और स्कूल में हाजिरी आदि का ब्यौरा दिया जाएगा।

अट्टप्पाडी जनजातीय परियोजना

3364. श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री एन.एन. कृष्णदास :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल की अट्टप्पाडी जनजाति विकास परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के दुरूपयोग के संबंध में कोई शिकायतें मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने धनराशि के दुरूपयोग की कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजना हेतु कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है और इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई परियोजना को वित्त पोषित नहीं किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

तकनीकी संस्थान

3365. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के जाम नगर और अन्य जिलों में प्रति वर्ष सरकार ने कितने तकनीकी संस्थानों की स्थापना की;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक पर वर्ष-वार कितना व्यय हुआ; और

(ग) कितने नए संस्थान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और ये कब तक स्थापित कर दिये जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा गुजरात में कोई भी तकनीकी संस्थान स्थापित नहीं किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद जिला स्तर पर तकनीकी संस्थानों का स्थापित किया जाना संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

[अनुवाद]

स्वप्रेरित चिकित्सक

3366. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 नवम्बर 1999 को द हिन्दुस्तान टाइम्स में "द ओथ ऑफ हिप्पोक्रिसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) इस समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ डा. अग्रवाल की स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के रूप में पदोन्नति, अमान्यता प्राप्त

चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के आयोजन करने, सफदरजंग अस्पताल के अस्थिरोग विज्ञान विभाग में अधिक वार्षिक मृत्यु दर, विश्व बैंक की सहायता के बावजूद एड्स के नियंत्रण करने में असमर्थता, चक्रवात प्रभावित उड़ीसा के प्रति उदासीनता, एक केन्द्रीकृत संस्थान के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों को लाकर अस्पतालों के कार्यकरण में सुधार करने का उल्लेख है।

(ग) डा. एस.पी. अग्रवाल की स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के रूप में नियुक्ति से संबंधित मामला न्यायाधीन है।

प्रयोगशाला/आपरेशन थियेटर/पुनर्वास/रिकार्ड में एक वर्ष के सेवाकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तथापि, एक तकनीकी निकाय द्वारा इन पाठ्यक्रमों की मान्यता से संबंधित मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

केन्द्रीय विकलांग संस्थान के कार्यकरण के बारे में आरोपों की जांच-पड़ताल करने के लिए डा. दवे, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अधीन एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय औषधों ब्लीचिंग पाउडर, हेलोजन गोलियों की आपूर्ति तत्काल भेज सका है और उड़ीसा के चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों को 21 डाक्टरों का एक दल भेजा था। राहत कार्य में समन्वय स्थापित करने में सहायता प्रदान करने और उड़ीसा सरकार को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान से मलेरिया क्षयरोग के वरिष्ठ विशेषज्ञ और वैज्ञानिक भी भेजे गए।

वर्तमान में दिल्ली में तीन केन्द्रीय सरकारी अस्पताल नामत: सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन हैं और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्वायत्त संस्था है। ये अस्पताल रोगियों की जरूरतों को पूरा करते हैं। फिलहाल, दिल्ली में सभी सरकारी अस्पतालों, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान शामिल है, को एक केन्द्रीकृत संस्थान के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पिछड़े राज्यों से पलायन

3367. श्री रामदास आठवले : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्ष के दौरान औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों से पलायन कर रहे लोगों की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों से ऐसे पलायन को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) इस मंत्रालय ने औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों से लोगों के प्रवसन के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों (विभिन्न स्कीमों के जरिए) छोटे तथा मझोले कस्बों तथा उप-नगरों (सैटेलाइट टाउन) के विकास के लिए कार्यनीति अपनाई है।

स्वर्ण जयंती मनाया जाना

3368. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपने गणतंत्र की स्वर्ण जयंती मनाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) जी, हां। हमारे गणराज्य की स्वर्ण जयंती उपयुक्त तरीके से मनायी जायेगी। ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में रिक्त पद

3369. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यपालक और अधिशासी अभियंताओं के स्वीकृत पदों, प्रतिनियुक्ति आधारित पदों और परियोजना पदों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में फिलहाल कार्यरत नियमित और तदर्थ अभियंताओं की संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त सभी रिक्त पदों को कब तक भर लिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सिविल विंग में 428 और इलेक्ट्रिकल विंग में 149 कार्यपालक इंजीनियर नियमित आधार पर कार्य कर रहे हैं। दोनों विंग में तदर्थ कार्यपालक इंजीनियरों की संख्या क्रमशः 155 और 22 है।

(घ) किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता चूंकि इन मुद्दों पर अनेक मामले उच्च न्यायालय और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों में लम्बित हैं।

विवरण

सूचना निम्नलिखित अनुसार है

	स्वीकृत सं.	परियोजनाओं के लिए स्वीकृत पद	प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों की संख्या	रिक्त
कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	494	97	21	4
कार्यपालक इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)	156	17	1	3
अधीक्षण इंजीनियर (सिविल)	130	30	19	8
अधीक्षण इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)	36	6	2	2

वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं

3370. श्री जी.एस. बसवराज : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित वृद्धों का वर्ष मनाने के लिए विश्व व्यापी समारोहों के अंग के रूप में किसी अधिवेशन का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो वरिष्ठ नागरिकों हेतु घोषित सुविधाओं/विशेष रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ये सुविधाएं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को देने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, 1999 को विश्व वृद्धजन वर्ष के रूप में मनाने के लिए सरकार ने जनवरी, 1999 में वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की जिसमें वृद्ध व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, जीवन की सुरक्षा तथा बचाव, आश्रय, कल्याण और अन्य जरूरतों के लिए प्रावधान है। राष्ट्रीय नीति को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। स्वैच्छिक संगठनों को भी कार्यान्वयन में शामिल किया जाएगा।

वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित राष्ट्रीय नीति के आलोक में वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए अपनी दो सतत् योजनाओं की समीक्षा की है और संशोधित किया है और इन दो योजनाओं को अब इस नाम से पुकारा जाता है (1) वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम तथा (2) पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्वालम्बी समूहों को वृद्धाश्रम/वृद्ध व्यक्तियों के लिए बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए सहायता की योजना। "वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम की योजना" के अंतर्गत वृद्धावस्था गृहों, दिवा देखभाल केन्द्रों तथा सचल चिकित्सा देखभाल यूनिटों आदि की स्थापना और अनुरक्षण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उपर्युक्त उल्लिखित अन्य योजना का उद्देश्य वृद्धाश्रमों (वृद्धावस्था गृहों) या बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए एकमुश्त अनुदान मुहैया करना है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल पर तथा उसके वित्तीय अनुदान से एजवैल फाउन्डेशन, नई दिल्ली नामक एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा वृद्ध व्यक्तियों की शिकायतें प्राप्त करने तथा अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक टेलीफोन हॉट लाइन तथा एक सचिवालय भी स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुरोध पर भारत के

मुख्य न्यायाधीश ने देश के सभी उच्च न्यायालयों के उच्च न्यायाधीशों को वृद्ध व्यक्तियों के मामलों का तेजी मं निपटान करने को सुनिश्चित करने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने वृद्ध व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन देने की घोषणा की है। इस मंत्रालय के अनुरोध पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रत्येक अवस्था में अस्पतालों में वृद्ध व्यक्तियों के लिए अलग लाइन लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं।

(ग) वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों को वृद्ध व्यक्तियों के रूप में मान्यता दी गई है। चूंकि सरकारी कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, इसलिए सेवानिवृत्त सभी सरकारी कर्मचारी वृद्ध व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं तथा वे राष्ट्रीय नीति मे यथा परिकल्पित सुविधाएं/रियायतें प्राप्त करेंगे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक खुराक

3371. श्री कृष्णमराजू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों के इलाज के लिए दुर्लभ बूटियों से आयुर्वेदिक खुराक तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस खुराक का परीक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों के इलाज के लिए दुर्लभ जड़ी-बूटियों के अर्थ से कोई आयुर्वेदिक खुराक तैयार की गई है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने श्वसनिका दमा, जो प्रदूषण के दुष्प्रभावों से हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, के इलाज में ''शिरीशा'' पादप से बनाए गए औषध (प्रीपरेशन) के संबंध में नैदानिक अध्ययन किया है।

[हिन्दी]

रोगियों को आर्थिक अनुदान

3372. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या स्वासथ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके विवेकाधीन धनराशि से रोगियों को आर्थिक अनुदान प्रदान करने के संबंध में वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष 1999 में उनके विवेकाधीन धनराशि से राज्य-वार कितने आर्थिक अनुदानों को स्वीकृति/अस्वीकृति प्रदान की गई;

(ग) उक्त धनराशि से रोगियों को स्वीकृत किये गये अनुदानों को अस्वीकृत किए जाने के क्या कारण है तथा ऐसे रोगियों की संख्या कितनी है जिनका स्वीकृत अनुदान की राशि का संबंधित चिकित्सालयों को भुगतान नहीं किया गया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उनके विवेकाधीन धनराशि से स्वीकृत राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) मौजूदा नियमों के अनुसार प्रत्येक मामले में 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता निर्धन और जरूरतमंद रोगियों को आपरेशन या विशेषज्ञ उपचार पर चिकित्सीय व्यय को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए प्रदान की जाती है। सभी अनुदान स्वास्थ्य मंत्री के विवेक पर तथा उनके लिखित आदेश (व्यक्तिगत रूप से) पर प्रदान किए जाएंगे। सभी अनुदान अनावर्ती स्वरूप के होंगे और कोई आवर्ती देयता नहीं होगी। सरकारी कर्मचारी (केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारी) स्वास्थ्य मंत्री के विवेकानुदान से आर्थिक सहायता पाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रचलित व्यवस्था के अनुसार पहले से खर्च की जा चुकी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। सामान्यतया अनुदान की स्वीकृत राशि उस अस्पताल/संस्थान को रिलीज की जाती है जहां रोगी इलाज करा रहा है अथवा जहां उसका आपरेशन किया जाना है। रोगी/अस्पताल द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक समुपयोजन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होता है।

(ख) स्वास्थ्य मंत्री के विवेकानुदान निधि से पिछले तीन वर्षों में और इस वर्ष के दौरान प्रदान किए गए अनुदान के मामलों की राज्यवार संस्था का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुदान के अस्वीकृत किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ग) ऐसे 42 मामलों में स्वीकृत अनुदान रिलीज नहीं किया जा सकता क्योंकि अस्पताल ने प्रमाणित कर दिया था कि रोगी द्वारा किसी बकाया राशि का भुगतान नहीं होना था। एक मामले में रोगी ने मुफ्त उपचार प्राप्त किया और एक ममला प्रतिपूर्ति से संबंधित था।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में स्वास्थ्य मंत्री के विवेकानुदान निधि से वितरित अनुदान के मामलों की संख्या

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	1	—	11	1
असम	3	3	2	1
बिहार	102	62	64	48
चंडीगढ़	—	—	—	—
दिल्ली	32	37	23	22
गुजरात	—	—	—	—
हरियाणा	19	15	21	10
हिमाचल प्रदेश	—	1	—	1
जम्मू एवं कश्मीर	4	2	3	1
कर्नाटक	5	1	—	6
केरल	3	1	4	7
मध्य प्रदेश	5	13	7	4
महाराष्ट्र	16	—	8	3
मणिपुर	3	—	1	1
उड़ीसा	12	5	4	3
पंजाब	10	7	1	—
राजस्थान	4	5	—	—
तमिलनाडु	4	2	9	18
त्रिपुरा	1	—	—	—
उत्तर प्रदेश	71	86	50	42
पश्चिम बंगाल	71	60	25	27
योग	366	300	265	221

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में स्वास्थ्य मंत्री के विवेकानुदान निधि से अस्वीकृत किए गए अनुदान मामलों की संख्या का राज्य-वार विवरण

राज्य	1996	1997	1998	1999
आंध्र प्रदेश	2	7	10	—
अरूणाचल प्रदेश	—	1	—	—
असम	2	7	5	6
बिहार	25	25	35	8
चण्डीगढ़	—	—	—	1
दिल्ली	3	17	29	7
गुजरात	1	1	1	18
हरियाणा	—	10	22	6
हिमाचल प्रदेश	—	5	—	—
जम्मू व कश्मीर	2	2	1	3
कर्नाटक	4	5	4	7
केरल	11	6	17	20
मध्य प्रदेश	4	8	5	8
महाराष्ट्र	8	19	12	6
मणिपुर	—	1	—	—
मेघालय	1	—	—	—
उड़ीसा	4	2	9	4
पंजाब	1	1	2	2
राजस्थान	3	17	12	4
तमिलनाडु	2	10	92	531
त्रिपुरा	2	2	—	—
उत्तर प्रदेश	31	55	48	46
पश्चिम बंगाल	42	45	66	31
योग	148	246	370	708

विवरण-III

स्वास्थ्य मंत्री के विवेकानुदान निधि से पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में स्वीकृत की गई राशि का विवरण

वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रुपए)
1996-97	44.06
1997-98	47.00
1998-99	42.83
1999-2000 (नवम्बर, 1999 तक)	37.07

राजधानी में मलिन बस्तियों का तेजी से बढ़ना

3373. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े शहरों विशेषकर न.दि.न.प. क्षेत्र में गंदी बस्तियों में तीव्र वृद्धि ने राजधानी में आने वाले विदेशी पर्यटकों तथा उच्च पदाधिकारियों पर विपरीत प्रभाव डाला है;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ सरकार तथा स्थानीय निकाय ऐसी गंदी बस्तियों की तीव्र वृद्धि को रोक पाने में विफल हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो बड़े शहरों की सुंदरता बनाए रखने हेतु सरकार ने क्या ठोस योजना बनाई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) स्लम अनेक कारणों से पनपते हैं, जैसे लाभप्रद रोजगार आदि की खोज में बड़ी मात्रा में लोगों का आ बसना। शहरी क्षेत्रों में तेजी से स्लमों के पनपने को पूरी तरह से रोक पाना कठिन है।

(ग) केंद्रीय सरकार ने स्लम वासियों के रहन-सहन के वातावरण को सुधारने के लिए निम्नलिखित स्कीमें शुरू की है:-

(1) शहरी स्लमों का पर्यावरणीय सुधार (ई.आई.यू.एस.)

(2) राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.)

(3) मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केंद्र प्रवर्तित स्कीम के अंतर्गत स्लम विकास और पुनर्वास परियोजनाएं भी शुरू की जा सकती है, जो मुंबई कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद और बंगलौर में कार्यान्वित की जा रही है।

जहां तक दिल्ली का संबंध है, दिल्ली सरकार ने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वासी समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित त्रिआयामी नीति अपनाई है:-

(1) जिस भूमि पर झुग्गी-झौंपड़ी निवासी 31.1.1990 से पहले से रह रहे हैं और भू-स्वामी एजेंसी को उस भूमि की किसी सार्वजनिक प्रयोजन की परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तत्काल जरूरत हो, तो ऐसे झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को अन्यत्र बसा दिया जाता है।

(2) जहां भू-स्वामी एजेंसी को भूमि की निकट भविष्य में जरूरत नहीं होती तथा वह इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देते हैं कि ऐसे झुग्गी समूहों का सुधार किया जा सकता है, तो ऐसे झुग्गी झौंपड़ी कालोनी/समूह के उसी स्थान सुधार के उपाय किये जाते हैं।

(3) जो झुग्गी-झौंपड़ी समूह उपर्युक्त (1) और (2) श्रेणी में नहीं आते, उनमें जल आपूर्ति, पथ प्रकाश, सड़क, बरसाती नाले आदि नागरिक सुविधाएं मुहैया कराई जाती है।

वक्फ बोर्ड

3374. श्री सिमरनजीत सिंह मान : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पंजाब और हरियाणा के संयुक्त वक्फ बोर्ड को अलग-अलग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य स्तर के अस्पतालों में सुधार

3375. श्री पी.सी. थामस :
श्री एस. अजय कुमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से राज्य में मध्यम स्तर के अस्पतालों के सुधार हेतु **विश्व बैंक** सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस हेतु विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने कुल 423.65 करोड़ रुपए की लागत की एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। लोगों के स्वास्थ्य और राज्य की अर्थ-व्यवस्था को सुढ़ करने हेतु, व्यक्ति की भुगतान क्षमता पर विचार किए बिना, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से सभी को प्रभावी प्रथम रेफरल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रस्तावित परियोजना का सामान्य उद्देश्य है।

तकनीकी विशेषज्ञों ने केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन कर लिया है और परियोजना रिपोर्ट पर टिप्पणियों के मद्देनजर पुनर्विचार करने हेतु अपनी टिप्पणियां केरल सरकार को अग्रेषित कर दी हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट

3376. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री जे.एस. बराड़ :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली **विश्वविद्यालय की श्रम शक्ति प्रबंधन केन्द्र** द्वारा तैयार की जा रही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी कोई अध्ययन रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट पर आधारित कोई संदर्शी योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) जी, हां। जन शक्ति प्रबंधन केन्द्र, नई दिल्ली ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों के "कैरियर प्राफाइल" संबंधी एक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

1. छात्र अपने अध्ययन के दौरान निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करते हैं:

   क. पुस्तकालय में उचित पुस्तकें विशेष तौर पर हिन्दी भाषा में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं।

   ख. सरकारी स्कूलों में हिन्दी माध्यम से 10+2 स्तर पर पढ़ाई करके अंग्रेजी में व्याख्यानों को समझना कठिन है।

2. रोजगारी/बेरोजगारी के दौरान सामना की जाने वाली कठिनाइयां इस प्रकार हैं:-

   क. अधिकांश छात्रों ने यह बताया है कि वे वित्तीय रूप से कमजोर हैं।

   ख. माता-पिता के पूर्णतः अशिक्षित या इतने सुशिक्षित नहीं होने के कारण उनसे मार्गदर्शन की कमी होती है।

   ग. पब्लिक स्कूल की पृष्ठभूमि में आने वाले छात्रों के साथ शिक्षा और रोजगार से बराबरी करना कठिन होता है।

   घ. कक्षा विषयों, अंकों की कम प्रतिशतता अंग्रेजी वार्तालाप में कमजोरी तथा नौकरियों के लिए स्पर्धा उन्हें बेरोजगार वंचित बनाता है।

   ङ यहां तक कि यदि वे अपने स्वयं के लिए छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते भी हैं तो उन्हें ऋणदाता एजेंसियों से बैंक तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होती है।

च. शिक्षा बाजार में उपलब्ध नौकरियों से सम्बद्ध नहीं है। अपर्याप्त मार्गदर्शन तथा नौकरियों और/या स्वरोजगार के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण उनकी कठिनाइयों को और बढ़ाती हैं।

छ. विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की योजना का प्रचार किया जाना चाहिए।

ज. कालेजों में छात्रों को हिन्दी माध्यम की पुस्तकें उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(ग) और (घ) रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

मानसिक स्वास्थ्य और वृद्धावस्था सम्बन्धी अध्ययन

3377. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री के सीनियर लेक्चरर्स ने भारत में मानसिक स्वास्थ्य तथा वृद्धावस्था के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने वृद्ध और अनाथ लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई व्यापक कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं के अन्तर्गत कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) जी, हां। इस अध्ययन में गोवा में वृद्धों और पागलपन से पीड़ित व्यक्तियों की आवश्यकताओं की जांच-पड़ताल की गई। इस अध्ययन से यह बात पाई गई थी कि गोवा में अधिकतर परिवारों में कई परिचर्या प्रदायक हैं और वृद्धों के लिए समग्र परिचर्या प्रदान करने वाला पैटर्न बदल रहा है।

(ग) से (ङ) सरकार ने जनवरी, 1999 में वृद्धों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है। इस नीति में सरकार के भीतर और सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों दोनों के बीच अन्तर क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचे की व्यवस्था है। विशेषत: इस नीति ने देश में वृद्धों के कल्याण के लिए कार्यकलाप के कई क्षेत्रों वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या और पोषण, आश्रम-स्थल, शिक्षा, कल्याण, जीवन और सम्पत्ति इत्यादि की सुरक्षा का पता लगाया है। इस नीति पर अमल करने के लिए सरकार ने मई, 1999 में वृद्धों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। वृद्ध आयु और आय सुरक्षा (ओसिस) पर एक परियोजना भी शुरू की गई है। इस नीति में वृद्धों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य परिचर्या और पोषण के बारे में एक विशिष्ट खंड है। 1991 की जनगणना के अनुसार जम्मू व कश्मीर को छोड़कर भारत में वरिष्ठ नागरिकों की कुल आबादी 56,681,640 थी जिनके इस नीति से लाभान्वित होने की आशा है।

विश्व बैंक से ऋण

3378. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**
चौधरी तेजवीर सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विदेशों/विश्व बैंक द्वारा कोई ऋण स्वीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में निर्धारित की गई शर्तें क्या हैं; और

(घ) अब तक वास्तव में उपयोग की गई ऋण राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए आई.डी.ए. से 800.7 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 3000 करोड़ रु.) की उधार धनराशि प्राप्त करने के लिए भारत सरकार तथा विश्व बैंक के बीच करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य सेक्टर की उत्तर

प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना-II के लिए 59.4 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 220 करोड़ रु.) की धनराशि का पूरक वित्तपोषण की उधार राशि प्राप्त करने के लिए आई.डी.ए. के एक करार पर भी हस्ताक्षर किया गया था। इन परियोजनाओं की समयावधि 5-7 वर्ष की है। उपर्युक्त ऋण आई.डी.ए. क्रेडिट के विश्व बैंक के मानक निबंधन तथा शर्तों पर आधारित है जिनमें 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष प्रतिबद्धता शुल्क, 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष सेवा शुल्क और 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 35 वर्ष की अदायगी अवधि भी शामिल है। विवरण-I संलग्न है।

(घ) उपर्युक्त परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि में विश्व बैंक द्वारा संवितरित की गई धनराशि की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक से स्वीकृत किए गए ऋण

क्र.सं.	आई.डी.ए. से उधार की राशि	विश्व बैंक से करार करने की तारीख	परियोजना का नाम
1.	425.2 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 1480 करोड़ रु.)	15.7.1996	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) चरण-II
2.	152.4 मिलियन अमेरिकी डालर (530 करोड़ रु.)	23.2.1998	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डी.पी.ई.पी. (चरण-3) (बिहार)
3.	59.4 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 220 करोड़ रु.)	3.3.1998	उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना-II
4.	137.4 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 570 करोड़ रु.)	4.2.1999	आन्ध्र प्रदेश शिक्षा पुनर्गठन परियोजना के अन्तर्गत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
5.	85.7 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 360 करोड़ रु.)	6.7.1999	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) चरण-IV (राजस्थान)

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना-II के लिए प्रतिबंधित उधार राशि में उपयोग की गई राशि

(धनराशि करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	30.10.1999 तक उपयोग की गई राशि
1	2	3
I.	डी.पी.ई.पी.-I	
	1. असम	24.39
	2. हरियाणा	12.17
	3. कर्नाटक	85.66
	4. केरल	29.60
	5. महाराष्ट्र	24.30
	6. तमिलनाडु	19.24
	7. हिमाचल प्रदेश	37.12
	8. उड़ीसा	35.19
	9. उत्तर प्रदेश	134.91
	10. मध्य प्रदेश	121.03
कुल		536.61

1	2	3
II.	डी.पी.ई.पी.-III	
	11. बिहार	58.66
III.	ए.ई.पी.आर. का डी.पी.ई.पी. घटक	
	12. आन्ध्र प्रदेश	179.64
IV.	उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना-II	
	13. उत्तर प्रदेश	175.10
V.	डी.पी.ई.पी.	
	14. राजस्थान	राज्य द्वारा अभी तक प्रतिपूर्ति के दावे फाइलबद्ध नहीं किए गए हैं।
	कुल योग	950.01

मोटापा घटाने के क्लीनिक और व्यायामशालाएं

3379. श्री नरेश पुगलिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में मोटापा घटाने के क्लीनिकों और व्यायामशालाओं की तेजी से बढ़ती संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मोटापा घटाने के इन क्लीनिकों द्वारा किन्हीं मापदण्डों का पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मोटापा घटाने के क्लीनिक और व्यायामशालाएं चलाने, पंजीकृत करने और इसके लिए लाइसेंस संबंधी कोई विनियम बनाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखता है।

(ख) से (ङ) मोटापा घटाने वाले क्लीनिकों और व्यायामशालाओं को विनियमित करने के लिए इस समय कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दसवीं और बारहवीं कक्षा हेतु प्रश्न पत्र

3380. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उत्तर पत्रों के मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठा बनाए रखने के लिए नई सहस्राब्दि में उनके द्वारा कराई जा रही दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं हेतु प्रश्न पत्रों का एक ही सैट देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) कक्षा दसवीं और बारहवीं के लिए प्रश्नपत्रों के अनेक सैट उपलब्ध कराने की प्रथा को जारी रखेगा।

प्रश्न पत्रों के अनेक सैटों के प्रयोग से परीक्षा में सामूहिक नकल और अनुचित साधनों के उपयोग की समस्या घटी है।

जनजातीय वन भूमि

3381. श्री रतन लाल कटारिया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय क्षेत्रों में वन्य भूमि का सफाया करने के कारण बेरोजगारी गरीबी और भुखमरी पैदा हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जनजातीय वन भूमि के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

क्षय रोग स्वास्थ्य "विजिटर" के लिए सीटें

3382. श्री अशोक प्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू शैक्षिक सत्र के दौरान क्षय केन्द्रों में क्षय स्वास्थ्य "विजिटर" हेतु कुल कितनी सीटें उपलब्ध कराई गईं;

(ख) क्या सरकार का सीटें बढ़ाने का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान कुल कितने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए कोई सीटें निर्धारित हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू शैक्षिक वर्ष के दौरान नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र में क्षयरोग स्वास्थ्य विजिटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए सीटों की कुल संख्या 20 है।

(ख) उक्त पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 1996-97 में एक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को इस पाठ्यक्रम में दाखिल किया गया। चालू वर्ष के दौरान ऐसे चार अभ्यर्थी हैं।

(ङ) उत्तर प्रदेश से चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए सीटों की कोई नियत संख्या नहीं है।

(च) भारत क्षयरोग संघ यह पाठ्यक्रम नई दिल्ली क्षयरोग केन्द्र में आयोजित करता है जो सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक गैर-सरकारी संगठन है। देश-भर से अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है और राज्यों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक प्रणाली का विकास

3383. योगी आदित्यनाथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के संवर्द्धन और विकास हेतु सरकार के विचाराधीन कोई नया विशेष प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में नए आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, जिनमें आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होमियोपैथी शामिल हैं, के संवर्द्धन और प्रसार के लिए सरकार ने पहले ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत मार्च, 1995 में एक स्वतंत्र भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी (आई.एस.एम. एंड एच.) विभाग की स्थापना कर दी है। इस विभाग ने आयुर्वेद सहित इन पद्धतियों के विकास एवं संवर्द्धन के लिए जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों (थ्रस्ट एरिया) की पहचान कर ली है। ये क्षेत्र हैं:- शिक्षा, औषधों का मानकीकरण, कच्ची सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना, अनुसंधान एवं विकास, सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के व्यावसायियों को भागीदार बनाना। जोर देने वाले इन्हीं क्षेत्रों (थ्रस्ट एरिया) के इर्द-गिर्द योजनाएं शुरू की गई हैं।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान 28 जिलों में 50 आयुर्वेद अस्पताल खोलने के लिए दिनांक 27.10.99 को आदेश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

उर्वरकों की कमी

3384. श्रीमती रानी नरह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उर्वरकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान असम राज्य को कुल कितनी मात्रा में यूरिया की आपूर्ति किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार से यूरिया के अतिरिक्त कोटे का अनुरोध किया है; और

(ङ) विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) यूरिया ही एकमात्र उर्वरक है जो भारत सरकार के सांविधिक मूल्य, संचलन और वितरण नियंत्रण के अंतर्गत आता है। देश में यूरिया और अन्य प्रमुख उर्वरकों अर्थात् डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी) म्यूरीयेट आफ पोटाश (एमओपी) उपलब्धता संतोषजनक रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1998-99 के दौरान असम राज्य के लिए मौसम-वार निर्धारित आवश्यकता और आपूर्ति किये गये यूरिया की मात्रा निम्न प्रकार थी:-

('000 टन)

1998-99	निर्धारित आवश्यकता	आपूर्ति की गयी मात्रा
खरीफ	50.00	61.85
रबी	50.00	69.54

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि भूमि का दुरुपयोग

3385. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान "द टाइम्स आफ इंडिया" में दिनांक 18 नवम्बर 1999 को "द कनॉट गार्डन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली में विशेषत: गांव सतबाड़ी में कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) कृषि भूमि के दुरुपयोग संबंधी दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के तहत क्या कार्यवाही की गई/प्रस्तावित है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1999 की खसरा गिरदावरियों के अनुसार इस भूमि में पेड़ों, लॉनों, पार्कों, बगीचों, ट्यूबवैलों और कोठियों का उल्लेख है।

(ग) गांव सतबाड़ी सहित गांवों में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल होने की सूचना मिली है।

(घ) और (ङ) खसरा गिरदावरियां करके साल में दो बार नियमित रूप से फील्ड सर्वेक्षण किया जाता है।

(च) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 81 के तहत, कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन के लिए इस्तेमाल के बारे में राजस्व सहायक के न्यायालय में रिपोर्ट की जाती है, जो उस भूमि को गांव सभा में दे सकता है।

एन.पी.के. की आपूर्ति

3386. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अगली रवि फसल की खेती के लिए इफको (आई.एल.एफ.सी.ओ.) से पश्चिम बंगाल सहकारी विपणन फैडरेशन लि. (बी.ई.एन.एफ.ई.डी.) द्वारा एनपीके उर्वरक की पर्याप्त आपूर्ति हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उर्वरक की समस्त मात्रा का कब तक आपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु अनुदान

3387. डा. एस. जगतरक्षकन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ स्वयंसेवी संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्ष के दौरान कितने संगठनों को अनुदान दिया गया और प्रत्येक योजना के लिए राज्यवार कितनी राशि जारी की गई है;

(ग) क्या अतिरिक्त निधियां जारी करने से पहले सरकार ने पूर्णता प्रमाणपत्रों की पुष्टि कर ली है; और

(घ) सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी हां। मंत्रालय की विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत तथा सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या तथा निर्मुक्त की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत् प्रमाणित पूर्ववर्ती वर्षों में प्राप्त अनुदानों का उपयोग प्रमाणपत्र, लेखा-परीक्षित लेखे, निरीक्षण रिपोर्ट तथा संगठन के सन्तोषप्रद कार्यकरण के बारे में राज्य सरकार की सिफारिशें समेत योजना के अंतर्गत यथा अपेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति सुनिश्चित कर लेने के बाद गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों की संख्या तथा स्वैच्छिक संगठनों को निर्मुक्त सहायता-अनुदान की राशि

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	गैर-सरकारी संगठनों का नाम	वर्षों के दौरान निर्मुक्त अनुदान की राशि		
		1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	74	432.00	492.54	663.31
अरूणाचल प्रदेश	2	5.72	3.78	3.71
असम	5	4.87	3.54	15.37
बिहार	15	84.33	83.73	65.81
चंडीगढ़	2	1.22	1.01	1.03
दिल्ली	27	139.76	147.06	588.39
गोवा	1	5.25	6.96	9.47
गुजरात	14	23.89	30.71	36.89
हरियाणा	12	21.74	23.62	36.67
हिमाचल प्रदेश	1	0.00	2.98	37.46
जम्मू और कश्मीर	2	2.71	3.06	1.78
कर्नाटक	57	236.92	206.41	261.93

1	2	3	4	5
केरल	56	141.43	158.94	833.44
मध्य प्रदेश	6	0.76	6.52	10.52
महाराष्ट्र	51	58.51	53.37	192.20
मणिपुर	6	10.61	15.21	29.54
मेघालय	3	5.36	4.32	14.62
मिजोरम	1	4.14	1.10	6.57
उड़ीसा	14	15.90	61.35	93.73
पांडिचेरी	1	0.00	2.60	0.64
पंजाब	9	17.15	22.59	46.17
राजस्थान	6	33.56	29.30	55.49
तमिलनाडु	63	102.39	112.40	153.66
त्रिपुरा	3	1.93	2.67	1.83
उत्तर प्रदेश	70	139.89	186.06	501.87
पश्चिम बंगाल	41	185.90	161.14	233.86

सहायक उपकरण/यंत्रों की खरीद/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कार्यान्वयन एजेंसियों की संख्या तथा इन एजेंसियों को निर्मुक्त सहायता अनुदान की राशि

(रुपए लाख में)

राज्य का नाम	गैर-सरकारी संगठन	वर्षों के दौरान निर्मुक्त अनुदान की राशि		
		1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	13	39.61	40.38	201.83
अरूणाचल प्रदेश		0.5	5.5	
असम	1			1.32
बिहार	8	24.61	43.29	58.22
चंडीगढ़	1	0.04		22.19
दिल्ली	8	23.66	51.97	377.51

1	2	3	4	5
गोवा	1	0.17	0.69	0.35
गुजरात	5	15.46	27	76.59
हरियाणा	13	85.3	122.56	138.52
हिमाचल प्रदेश	1	12	6	10
जम्मू और कश्मीर	1	72		12
कर्नाटक	3	1.74	15	34.33
केरल	6	12.5	39.25	65.44
मध्य प्रदेश	12	44.12	54.8	142.15
महाराष्ट्र	11	15.36	18.79	56.26
मणिपुर	5	3		34.28
मेघालय				
मिजोरम			9.47	
उड़ीसा	11	6	10	272.05
पांडिचेरी				
पंजाब	12	91	29.53	146.69
राजस्थान	3	57.75	140	286.27
तमिलनाडु	8	15.25	34.21	46.52
त्रिपुरा	1	6	8.91	2.9
उत्तर प्रदेश	19	121.81	170.74	353.45
पश्चिम बंगाल	9	43.8	62.55	79.75
दादरा और नगर हवेली			3.21	

राष्ट्रीय सामाजिक स्वयंसेवी

3388. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेहरू युवक संगठन के तहत कितने राष्ट्रीय सामाजिक स्वयंसेवी हैं और इन्हें प्रतिमाह कितनी वृत्तिका दी जाती है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय सामाजिक स्वयंसेवियों को पिछले दस महीने से मासिक वृत्तिका नहीं मिली है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान, नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा 5000 राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक स्वयंसेवक को प्रतिमाह 500/- रु. की छात्रवृत्ति और 200/- रु. का यात्रा भत्ता मंजूर किया जाता है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों (नेहरू युवा केन्द्रों में नियुक्त) को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का भुगतान नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा किया जाता है। वर्ष 1999-2000 के लिए धनराशि संगठन को, स्वयंसेवकों के बीच संवितरित करने के लिए जारी कर दी गई है।

केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले

3389. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों की विद्यालय प्रबंध समितियों की कार्यपालक समिति के अध्यक्ष को हाल ही में अपने-अपने विद्यालयों में दाखिलें के दिशानिदेशों में छूट देकर प्रत्येक सत्र में विभिन्न कक्षाओं में दाखिले की शक्तियां प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन आयुक्त की मौजूदा शक्तियां क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष के विवेक पर दसवीं और बारहवीं कक्षाओं को छोड़कर बच्चों की कुल प्रवेश क्षमता में किसी भी कक्षा में प्रतिवर्ष दो बच्चों को प्रवेश दिया जा सकता है।

(ग) आयुक्त को 31 अगस्त के बाद भी अर्धवार्षिक परीक्षा तक प्रवेश की तारीख बढ़ाने का अधिकार है।

अनधिकृत निर्माण

3390. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पाटील : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लक्ष्मीवाई नगर के टाइप-III और टाइप-IV क्वार्टरों के आवंटियों को अतिरिक्त कमरा बनाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन आबंटियों के विरुद्ध इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) टाइप डी क्वार्टरों के 11 आवंटियों ने अनधिकृत निर्माण किया था। उन सभी आवंटियों को निर्माण हटाने के नोटिस जारी कर दिए गये हैं।

मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का स्वागत

3391. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुनर्वास परिषद ने सरकार से मानसिक रूप से विकलांग लोगों के कल्याण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए काम करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं। तथापि, भारतीय पुनर्वास परिषद, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है, की मानसिक मंदता सहित विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के साथ निकट की भागीदारी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। गैर सरकारी संगठनों को अनुमोदित योजनाओं और मानदंडों के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन करना पड़ता है और मामले के गुण के आधार पर उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

आदिवासियों के पुनर्वास संबंधी उपाय

3392. श्री अनन्त नायक : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में चक्रवात तथा अत्यधिक बाढ़ों से प्रभावित आदिवासी लोगों के पुनर्वास हेतु कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य के आदिवासियों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय

3393. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **जनजातीय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे आदिवासी गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है जहां कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है;

(ख) आदिवासी क्षेत्रों के ऐसे प्राथमिक विद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है जहां पक्के भवन नहीं है; और

(ग) नौवीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खोलने तथा आदिवासी गांव में प्रत्येक आदिवासी गांवों में प्राथमिक विद्यालय हेतु पक्के भवन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसके प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जाएगी।

नकली उर्वरक

3394. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में नकली उर्वरक बनाने के कितने मामलों का राज्यवार पता लगाया गया; और

(ख) सरकार द्वारा देश में नकली उर्वरक बनाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) गुणवत्ता की जांच करना एक सतत् प्रक्रिया है। देश में उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए 64 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं और इनमें भारत सरकार की चार प्रयोगशालाएं नामत: सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट, फरीदाबाद और मुंबई कल्याणी व चैन्नई स्थित तीन क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं शामिल हैं। गुणवत्ता के संबंध में राज्य सरकार प्रवर्तन एजेंसियां हैं। गत तीन वर्षों के दौरान विश्लेषित नमूनों, मानक के अनुरूप न पाये गए नमूनों की राज्यवार संख्या और मानक के अनुरूप न पाये गये नमूनों का प्रतिशत संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है।

उर्वरकों की बिक्री तथा निर्माण आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक आदेश उर्वरक (नियंत्रण) आदेश (एफ.सी.ओ.), 1985 के तहत विनियंत्रित किया जाता है। विभिन्न उर्वरकों के विनिर्देशनों को एफ.सी.ओ., 1985 की अनुसूची-I में निर्धारित किया गया है। यह आदेश ऐसे उर्वरकों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाता है जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। गत तीन वर्षों के दौरान फरीदाबाद स्थित सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट तथा इसकी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा विश्लेषित नमूनों के ब्यौरों के अनुसार नकली उर्वरक नमूनों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
1.	मध्य प्रदेश	6	4	4
2.	हरियाणा	3	-	5
3.	उत्तर प्रदेश	1	7	7
4.	दिल्ली	-	1	-
5.	बिहार	12	9	3
6.	पश्चिम बंगाल	-	2	-
	योग	22	23	19

विवरण-I

वर्ष 1996-97 के दौरान विश्लेषण किए गए और मानक के अनुरूप न पाए गए नमूनों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	विश्लेषित किए गए नमूनों की संख्या	गैर-मानक नमूनों की संख्या	गैर मानक नमूनों का प्रतिशत
1.	आन्ध्र प्रदेश	14062	170	1.2
2.	कर्नाटक	5132	351	6.8
3.	केरल	3314	36	1.1
4.	तमिलनाडु	16649	683	4.1
5.	पाण्डिचेरी	630	3	0.5
6.	गुजरात	7922	104	1.3
7.	मध्य प्रदेश	5072	662	13.1
8.	महाराष्ट्र	7910	765	9.7
9.	राजस्थान	4369	120	2.7
10.	हरियाणा	3902	234	6
11.	हिमाचल प्रदेश	581	5	0.9
12.	जम्मू और कश्मीर	1227	8	0.7
13.	पंजाब	3371	89	2.6
14.	उत्तर प्रदेश	9919	1069	10.8
15.	उड़ीसा	3240	260	8
16.	पश्चिम बंगाल	1521	149	9.8
17.	असम	102	0	0
18.	बिहार	1623	50	3.1
19.	भारत सरकार की प्रयोगशालाएं	5904	546	9.2
	योग	96450	5304	5.5

विवरण-II

वर्ष 1997-98 के दौरान विश्लेषित किए गए और मानक के अनुरूप न पाए गए नमूनों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	विश्लेषित किए गए नमूनों की संख्या	गैर-मानक नमूनों की संख्या	गैर मानक नमूनों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	13484	133	1
2.	कर्नाटक	4827	280	5.8

1	2	3	4	5
3.	केरल	3675	57	1.6
4.	तमिलनाडु	16878	906	5.4
5.	पाण्डिचेरी	661	10	1.5
6.	गुजरात	7647	132	1.7
7.	मध्य प्रदेश	4625	443	9.6
8.	महाराष्ट्र	7837	478	6.1
9.	राजस्थान	3952	84	2.1
10.	हरियाणा	2980	180	6
11.	हिमाचल प्रदेश	776	8	1
12.	जम्मू और कश्मीर	1202	17	1.4
13.	पंजाब	3398	111	3.3
14.	उत्तर प्रदेश	12419	1766	14.2
15.	उड़ीसा	3066	166	5.4
16.	पश्चिम बंगाल	1450	123	8.5
17.	असम	132	0	0
18.	बिहार	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0
19.	भारत सरकार की प्रयोगशालाएं	7841	789	10.1
	योग	96850	5683	5.9

विवरण-III

वर्ष 1998-99 के दौरान विश्लेषण किए गए और मानक के अनुरूप न पाए गए नमूनों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	विश्लेषित किए गए नमूनों की संख्या	गैर-मानक नमूनों की संख्या	गैर मानक नमूनों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	13695	215	1.6
2.	कर्नाटक	5992	274	4.6
3.	केरल	3294	147	4.5
4.	तमिलनाडु	17376	1032	5.9

1	2	3	4	5
5.	पाण्डिचेरी	700	0	0
6.	गुजरात	7241	142	2
7.	मध्य प्रदेश	5936	745	12.6
8.	महाराष्ट्र	5976	517	8.7
9.	राजस्थान	3516	107	3
10.	हरियाणा	2513	262	10.4
11.	हिमाचल प्रदेश	781	10	1.3
12.	जम्मू और कश्मीर	1427	7	0.5
13.	पंजाब	3210	44	1.4
14.	उत्तर प्रदेश	10200	1481	14.5
15.	उड़ीसा	3081	181	5.9
16.	पश्चिम बंगाल	1834	145	7.9
17.	असम	149	2	1.3
18.	बिहार	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0
19.	भारत सरकार की प्रयोगशालाएं	5545	735	13.3
	योग	92466	6046	6.5

*अनंतिम

उर्वरक परियोजना

3395. डा. रमेश चंद तोमर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में निजी/सरकारी क्षेत्र में स्थापित की गई उर्वरक परियोजना का अलग-अलग ब्यौरा क्या है और उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) आगामी कुछ वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाने वाली निजी/सरकारी क्षेत्र की उर्वरक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे एककों का ब्यौरा क्या है जिनमें विदेशी पूंजी निवेश किया गया है और यह निवेश कितना किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) उत्तर प्रदेश में निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के अलग-अलग स्थापित प्रमुख उर्वरक परियोजनाएं तथा उनकी वार्षिक क्षमता के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-

क्र.सं.	एकक का नाम	उत्पाद	वार्षिक उत्पादन क्षमता (000 मी. टन)
I. सार्वजनिक क्षेत्र			
1.	फर्टिलाइजर कार्पोरशन आफ इंडिया लि. गोरखपुर	यूरिया	285.00
II. सहकारी क्षेत्र			
2.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. फूलपुर	यूरिया	495.00
3.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि., फूलपुर-विस्तार	यूरिया	726.00
4.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि., आंवला	यूरिया	726.00
5.	इंडिनय फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि., आंवला-विस्तार	यूरिया	726.00
III. निजी क्षेत्र			
6.	इण्डो-गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कोमिकल्स कार्पोरेशन, जगदीशपुर	यूरिया	726.00
7.	डंकन्स इण्डस्ट्रीज लि., कानपुर	यूरिया	675.00
8.	टाटा केमिकल्स लि., बबराला	यूरिया	742.00
9.	आस्वाल केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि., शाहजहांपुर	यूरिया	726.00

(ख) और (ग) दिनांक 24 जुलाई, 1991 की औद्योगिक नीति विषयक संकल्प के अनुसार उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/विस्तार करने के लिए सामान्यत: किसी लाइसेंस की मंजूरी की शर्त के अध्यधीन देश में कहीं भी उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों को प्रदत्त शक्तियों से आगे ऐसा पूंजी व्यय करने के लिए सरकार का अनुमोदन लेना होता है। इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एकक सहकारी समिति कृभको ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश में फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. के बंद एकक के मौजूदा स्थल पर नया अमोनिया-यूरिया संयंत्र लगाने हेतु एक प्रस्ताव निर्धारित प्रक्रिया के तहत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव को लोक निवेश बोर्ड द्वारा निवेश मूल्यांकन की शर्त के अधीन सरकार द्वारा "सिद्धान्तत:" मंजूरी दे दी गई है। लोक निवेश बोर्ड द्वारा 9.7.1999 को हुई उसकी बैठक में परियोजना का निवेश मूल्यांकन किया गया है। इस प्रस्ताव में कोई विदेशी पूंजी निवेश परिकल्पित नहीं है।

औषध रोधी क्षयरोग का प्रभाव

3396. श्री बसुदेव आचार्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान न्यूयार्क में "द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ ड्रग रेसीस्टेंट्स टी.बी." शीर्षक से जारी की गई रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में क्षयरोग (टी.बी.) का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) औषध प्रतिरोधी क्षय रोग के विश्वव्यापी प्रभाव पर विश्व भर में चिन्ता है। औषध प्रतिरोधी क्षय रोग इस रोग के अनुपयुक्त उपचार या अनियमित/अपर्याप्त उपचार के कारण पैदा होता है। क्षय रोग नियंत्रण में सुधार लाने के लिए यह सुनिश्चित करके की रोगी यथानिर्धारित औषध विधान के पूर्ण कोर्स को पूरा करें, रोगियों के उपचार में सुधार करना आवश्यक है ताकि औषध-प्रतिरोधक क्षय रोग पैदा न हो।

इसलिए संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपचार की प्रत्यक्ष देख-रेख कार्यनीति (डॉट्स) कार्यान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत रोगी को पर्यवेक्षण एवं प्रत्यक्ष निगरानी में

उपचार प्रदान किया जाता है और रोगियों की तब तक मॉनीटरिंग की जाती है जब तक कि विश्वसनीय रूप से रोगमुक्त न हो जाएं।

संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का चरणवार ढंग से विस्तार किया जा रहा है। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की प्रायोगिक परियोजनाओं के परिणाम उत्तम रहे हैं। इलाज किए गए 10 रोगियों में से 8 से अधिक रोगमुक्त हो गए हैं। वर्ष 1998 के आखिर में शुरू करके संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का तेजी से विस्तार किया गया है। दिसम्बर 1999 तक 130 मिलियन से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है और हर माह लगभग 13,000 रोगियों का इलाज शुरू किया जाता है। वर्ष 1993 से 2,00,000 से अधिक रोगियों ने संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपचार आरम्भ किया है। इससे 35,000 से अधिक मौतें रोकी जा सकी हैं और 4 लाख से अधिक लोगों की क्षय रोग के जीवाणुओं से संक्रमित होने से रोकथाम हुई है। प्रति माह होने वाली रोगियों के उपचार से 200 से अधिक जीवनों को बचाया जाता है और 25,000 से अधिक क्षय रोग संक्रमणों की रोकथाम होती है। कुछ रोगी जो रोग मुक्त नहीं होते हैं, उनमें इसका प्रमुख कारण औषधों का उन पर प्रभावी न होने की अपेक्षा उनके द्वारा निर्धारित रूप से औषध लेने में चूक का होना है।

संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का 1999-2000 में और लगभग 196 मिलियन लोगों तक विस्तार किया जा रहा है। साथ ही संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्यवन की तैयारी के रूप में बेहतर निदान व्यवस्था, मानकीकृत उपचार, नियमित औषध आपूर्ति और बेहतर रिकार्डिंग और रिपोर्टिंग प्रपत्रों के द्वारा पिछले कार्यक्रमों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

मध्याह्न भोजन

3397. **श्री रामसागर रावत** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अप्रैल, 1999 के दैनिक जागरण में 'मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत करोड़ों रुपये की अनियमितता हुई' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में मध्याह्न भोजन योजना में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र में प्रकाशित उक्त समाचार में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत फ्रूटी ब्रेड की सप्लाई के लिए मेसर्स माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को निःशुल्क गेहूं की आपूर्ति अधिक किए जाने से दिल्ली नगर निगम को 7.59 करोड़ रु. की हानि हुई।

(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उपर्युक्त आडिट पैरा संबंधी नोट पर की गई कार्रवाई की दिल्ली विधान सभा की लोक लेखा समिति द्वारा अभी जांच की कार्रवाई चल रही है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि मेसर्स माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड से फ्रूटी ब्रेड की आपूर्ति बन्द कर दी गई है।

(घ) मध्याह्न भोजन योजना स्थानीय निकायों अर्थात पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं द्वारा कार्यान्वित की जाती है जो इस योजना की व्यवस्था एवं इसके अन्तर्गत प्रदान किए जाने वाले भोजन (खाद्य) की किस्म का निर्णय लेने में लचीलापन बरतते हैं। इस योजना में की गई पूर्व परिकल्पना के अनुसार, इस योजना का मानीटरन अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि क्या यह कार्यक्रम अपने लक्ष्यों को पूरा कर रहा है।

बांकुरा में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

3398. **श्री सुनील खां** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, बांकुरा को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ख) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की धनराशि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लगाने की शक्ति प्राप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान घटगोरिया आवासीय परियोजना हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) इस अवधि के दौरान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), बांकुरा परियोजना को आवंटित धनराशि निम्नवत् है:

(राशि रुपये में)

	1996-97	1997-98	1998-99
प्रायोजित परियोजनाओं में से	1,75,000	7,45,000	1,00,000
सीएसआईआर की धनराशि में से	5,80,000	9,10,000	7,50,000
योग	7,55,000	16,55,000	8,50,000

(ख) और (ग) सीएसआईआर को सहायता अनुदान 8 शीर्षों में उपलब्ध कराया जाता है न कि क्षेत्रवार। इन शीर्षों के अंतर्गत सीएसआईआर इन धनराशियों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में पुनर्विनियोजित कर सकता है।

(घ) सीएसआईआर ने इस परियोजना के लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं द्वारा दुर्व्यवहार

3399. श्री सुरेश चन्देल : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान दिल्ली के विशेषकर देवनगर, करोलबाग के सरकारी आवास के आवंटियों से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के दुर्व्यवहार के बारे में मिली शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) के.लो.नि.वि. ने सूचित किया है कि चालू वर्ष के दौरान के.लो.नि.वि. के कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की निम्नलिखित तीन शिकायतें मिली हैं।

(1) श्री जोयन्ता राय, संसद सदस्य (राज्य सभा) द्वारा कनिष्ठ इंजीनियर (सि) नार्थ एवेन्यू के खिलाफ शिकायत।

(2) सनातन धर्म समिति द्वारा अधीक्षण इंजी. दि.के. परिमंडल IX के खिलाफ शिकायत।

(3) देवनगर में क्वार्टर सं. 39, के आबंटी, श्री एन.के. रस्तोगी द्वारा श्री एस.के. बाली, कनिष्ठ इंजी. के खिलाफ शिकायत।

(ख) के.लो.नि.वि. ने सूचित किया है कि उपर्युक्त तीन मामलों में उनके द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

(1) माननीय संसद सदस्य द्वारा की गई शिकायत की जांच की गई और यह पाया गया कि उनके द्वारा उल्लिखित घटना सही नहीं है। कार्यपालक इंजीनियर ने माननीय संसद सदस्य से संपर्क किया था और उन्हें तथ्यों से अवगत कराया। माननीय संसद सदस्य मामला समाप्त करने के लिए सहमत हो गए थे।

(2) सनातन धर्म समिति द्वारा की गई शिकायत की जांच की गई। यह पाया गया कि समिति ही के.लो.नि.वि. द्वारा किये जा रहे बाउंड्री दीवार के निर्माण में बाधा पहुंचा रही थी और इसलिए संबंधित अधीक्षण इंजीनियर को समिति के सचिव को सूचित करना पड़ा कि उन्हें पुलिस की सहायता लेनी पड़ सकती है। खेद है कि समिति ने इसे धमकी के रूप में लिया। बाद में उन्होंने मुद्दे को समझा और अब दीवार का निर्माण कर दिया गया है।

(3) श्री एस.के. बाली, कनिष्ठ इंजीनियर, देवनगर ने आबंटी द्वारा अपेक्षित कार्य को निष्पादित करते समय आबंटी से दुर्व्यहार के लिए क्षमा मांगी है। कार्य पूरा कर दिया गया है। कनिष्ठ इंजीनियर को चेतावनी दी गई है और 30.11.99 से इस खण्ड से उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

बच्चों से संबंधित योजना

3400. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत बच्चों से संबंधित उन योजनाओं की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है जिनके कोई अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में बच्चों के रहन-सहन के स्तर का मूल्यांकन करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन बच्चों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, हां। जहां तक आई.सी.डी.एस. स्कीम का सम्बन्ध है, अनुवीक्षण और मूल्यांकन की एक अन्तर्निहित प्रणाली विद्यमान है। प्रमुख संस्थाओं द्वारा किये गए अध्ययनों से पता चला है कि जिन क्षेत्रों में आई.सी.डी.एस. योजना चलाई जा रही है, उनमें गैर-आई.सी.डी.एस. क्षेत्रों की तुलना में पोषण और स्वास्थ्य तथा स्कूलों में नामांकन का स्तर जैसे सामाजिक सूचक बेहतर हैं।

[हिन्दी]

बिहार में पहाड़िया जनजाति

3401. श्री ब्रजमोहन राम :
श्री रामदास आठवले :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर बिहार में अनुसूचित जनजाति की कुछ जातियों के विनाश का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन से सामाजिक और आर्थिक कारण उत्तरदायी है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी जातियों के उत्थान के लिए क्या कदम उठाए गए है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण और विकास के लिए जनजातीय उप योजना कार्य नीति के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम आरंभ किए जाते हैं। भारत सरकार आदिम जनजातीय समूहों के लिए विशेष आबंटन करती है और यहां तक कि अनुपूरण के सिद्धान्त पर भी जोर नहीं डालती है। आदिम जनजातीय समूहों को सामाजिक-आर्थिक दशा में सुधार लाने में मदद करने के लिए वर्ष 1998-99 से आदिम जनजातीय समूहों के विकास की एक नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना आरंभ कर दी गई है।

[अनुवाद]

शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार योजना

3402. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी स्नातकों/स्नातकोत्तर व्यवसायियों को स्वतंत्र व्यावसायिक इकाईयों की स्थापना के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गयी और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) इस मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है। उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विभाग ने सूचित किया है कि वे भी ऐसी किसी योजना का कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं जो केवल शहरी स्नातकों/स्नातकोत्तरों व्यवसायियों के लिए हो। तथापि, उनके द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही प्रधानमंत्री रोजगार योजना उन शहरी तथा ग्रामीण बेरोजगार युवकों के लिए देश में उद्योग सेवा तथा व्यापार सेक्टर में लघु स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने में सहयोग करती है, जो आठवीं या उससे अधिक स्तर की शिक्षा प्राप्त हैं तथा जो 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की शाखा स्थापित करना

3403. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का विचार देश के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इन शाखाओं में उपलब्ध कराई जाने वाली संभावित सुविधाएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, संस्थान ने हाल ही में एक पंजीकृत सोसाइटी, मिड-टाउन रोटरी ट्रस्ट के त्रिलोकपुरी/कल्याणपुरी स्थित मिड-टाउन रोटरी आई/डेंटल क्लिनिक-सह-होस्पीटल अपने अधिकार में ले लिया है। संस्थान ने प्रत्येक एकान्तर दिवसों को दंत एवं नेत्र क्लिनिक चलाने शुरू कर दिये हैं। संस्थान की आने वाले समय में कैंसर का पता लगाने संबंधी कार्यक्रम के लिए सामुदायिक आयुर्विज्ञान विभाग और इन्स्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल के माध्यम से पहुंच-बाह्य सेवाएं प्रदान करने की योजना है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालग में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 974/99]

(2) (एक) नेशनल कोपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कोपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 975/99]

(3) (एक) बिल्डिंग मेटीरियल्स एण्ड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिल्डिंग मेटीरियल्स एण्ड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 976/99]

(4) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड और शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 977/99]

(5) (एक) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 978/99]

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ कल्याण निरीक्षक, वरिष्ट समन्वयकर्ता, वरिष्ठ सूचना अधिकारी, कल्याण/वैयक्तिक निरीक्षक, निदेशक (पीआर), उप-निदेशक (प्रचार), सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) और अधीक्षक के पद के लिए भर्ती विनियम जो 6 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 579(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, आचरण, अनुशासनिक और अपील विनियम, 1999 जो 8 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 624(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 979/99]

(2) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 662(अ) जिसमें 6 अगस्त, 1999 की अधिसूचना संख्या एफ. 7(18)/99-पीबी-1 का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 980/99]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 981/99]

(4) दिल्ली नागरिक कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अंतर्गत दिल्ली नागरिक कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) दिल्ली नागरिक कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत दिल्ली नागरिक कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 982/99]

(6) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 983/99]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): उपाध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 984/99]

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): मैं श्रीमती मेनका गांधी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 985/99]

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ रैहैबिलीटेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ रिहैबिलीटेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 986/99]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 987/99]

(ख) (एक) ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड, नौएडा के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड, नौएडा का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 988/99]

(3) (एक) सत्यजीत राय फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत राय फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 989/99]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 990/99]

(2) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, वड़ोदरा के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, वड़ोदरा के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 991/99]

(3) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, चण्डीगढ़ के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, चण्डीगढ़ के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 992/99]

(4) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, सेन्टर फार रिसर्च इन रूरल एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चण्डीगढ़ के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, सेन्टर फार रिसर्च इन रूरल एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चंडीगढ़ के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 993/99]

(5) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, धारवाड़ के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, धारवाड़ के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 994/99]

(6) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 995/99]

(7) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, गुवाहाटी के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, गुवाहाटी के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 996/99]

(8) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, गुवाहाटी के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, गुवाहाटी के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 997/99]

(9) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, लखनऊ के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, लखनऊ के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 998/99]

(10) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, पटना के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, पटना के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 999/99]

(11) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, गोखले इंस्टीट्यूट आफ पालिटीक्स एंड इक्नोमिक्स, पुणे के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेंटर, गोखले इंस्टीट्यूट आफ पॉलिटीक्स एंड इकोनामिक्स, पुणे के वर्ष 1998-99

के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1000/99]

(12) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, श्रीनगर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, श्रीनगर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1001/99]

(13) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, तिरुअनन्तपुरम के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, तिरुअनन्तपुरम के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1002/99]

(14) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, उदयपुर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, उदयपुर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1003/99]

(15) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, विशाखापटनम के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, विशाखापटनम के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1004/99]

(16) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, शिमला के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, शिमला के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1005/99]

(17) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन आयुर्वेदा एण्ड सिद्धा, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन आयुर्वेदा एण्ड सिद्धा, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन आयुर्वेदा एण्ड सिद्धा, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1006/99]

(19) (एक) इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1007/99]

(21) (एक) आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1008/99]

(23) (एक) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1009/99]

(25) (एक) कैंसर इन्स्टीट्यूट, मद्रास के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर इन्स्टीट्यूट, मद्रास के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1010/99]

(27) (एक) रीजनल कैंसर सेन्टर, तिरुअनन्तपुरम के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल कैंसर सेन्टर, तिरुअनन्तपुरम के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्यक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1011/99]

(29) (एक) कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1012/99]

(31) (एक) किदवाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ ओंकोलॉजी, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) किदवाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ ओंकोलाजी, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) किदवाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ओंकोलॉजी, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1013/99]

(33) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1014/99]

(35) (एक) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पापुलेशन साईन्स, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पापुलेशन साईन्स, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1015/99]

(36) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ नैचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1016/99]

(37) (एक) गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1017/99]

(38) (एक) कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1018/99]

(39) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारत के राजपत्र में दिनांक 5 अप्रैल, 1999 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 240(अ) में प्रकाशित खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम, 1999 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनका शुद्धिपत्र जो अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 532(अ) और सा.का.नि. 630(अ) में क्रमशः दिनांक 19 जुलाई, 1999 और 10 सितम्बर, 1999 को प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1019/99]

(40) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में दिनांक 19 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 215(अ) में प्रकाशित औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 1999 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1020/99]

(41) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ (संशोधन) विनियम, 1998 भारत के राजपत्र में दिनांक 2 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 715(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ (संशोधन) विनियम, 1999 भारत के राजपत्र में दिनांक 26 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 152(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1021/99]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लिमिटेड, पुणे का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1022/99]

(ख) (एक) फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोची के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोची का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (क) में उल्लिखित पत्रों की सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1023/99]

(3) (एक) इन्स्टीट्यूट आफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्स्टीट्यूट आफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1024/99]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1025/99]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): उपाध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी आफ केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ केरल, त्रिवेन्द्रम, के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1026/99]

(3) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनीवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1027/99]

(5) (एक) डा. बी.आर. अम्बेडकर रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जालन्धर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डा. बी.आर. अम्बेडकर रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जालन्धर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1028/99]

(7) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, हजरतबल श्रीनगर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, हजरतबल श्रीनगर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1029/99]

(9) (एक) कालीकट क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कालीकट क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1030/99]

(10) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, राऊरकेला के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, राऊरकेला के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1031/99]

(12) (एक) नार्थ ईस्टर्न रीजनल इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ ईस्टर्न रीजनल इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1032/99]

(14) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1033/99]

(16) (एक) कर्नाटक महिला सामाख्या सोसाइटी, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे.

(दो) कर्नाटक महिला सामख्या सोसाइटी, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1034/99]

(17) (एक) केरल महिला सामाख्या सोसाइटी, तिरुअनन्तपुरम के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लखे।

(दो) केरल महिला सामाख्या सोसाइटी, तिरुअनन्तपुरम के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1035/99]

(18) (एक) कर्नाटक राज्य प्राथमिक शिसना विकास योजना समिति, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक राज्य प्राथमिक शिसना विकास योजना समिति, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1036/99]

(20) (एक) गुजरात महिला सामख्या सोसाइटी, अहमदाबाद के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात महिला सामख्या सोसाइटी, अहमदाबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1037/99]

(21) (एक) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1038/99]

(22) (एक) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनीवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनीवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1039/99]

(24) (एक) असम यूनीवर्सिटी, सिल्चर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम यूनीवर्सिटी, सिल्चर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1040/99]

(26) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई, के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1041/99]

(28) (एक) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1042/99]

(30) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1043/99]

(32) (एक) नेशनल ओपन स्कूल, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल ओपन स्कूल, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1044/99]

34. (एक) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1045/99]

(36) (एक) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, शिमला के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, शिमला के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1046/99]

(38) (एक) आंध्र प्रदेश महिला समाथा सोसाइटी, हैदराबाद के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आंध्र प्रदेश महिला समाथा सोसाइटी, हैदराबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1047/99]

(39) (एक) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसाइटी, लखनऊ के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसाइटी, लखनऊ के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1048/99]

(40) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1049/99]

(42) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, (खण्ड 1 तथा 2) के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1050/99]

(44) (एक) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1051/99]

(46) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1052/99]

(48) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1053/99]

(50) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1054/99]

(52) नेशनल ओपन स्कूल, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1055/99]

(54) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1056/99]

(56) जामिया मिल्लिया इस्लामियां, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1057/99]

(58) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1058/99]

(60) राष्ट्रीय शिक्षण शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत नेशनल काउंसिल आफ टीचर एजुकेशन (नार्म्स एण्ड कंडीशंस फार द रिकॉगनीशन आफ एम.एड. फेस टू फेस एण्ड एम. थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन) विनियम, 1998 जो 13 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 28-2/98-99/एन.सी.टी.ई. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1059/98]

(61) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1060/99]

(63) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1061/99]

(65) (एक) सेंट्रल तिबेतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल तिबेतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल तिबेतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1062/99]

(67) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1063/99]

(69) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1064/99]

(71) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1065/99]

(73) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1066/99]

(74) (एक) सेन्ट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1067/99]

(75) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1068/99]

(77) (एक) इंडियन काउंसिल आफ सोशल साइन्स रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ सोशल साइन्स रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1069/99]

(79) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1070/99]

(81) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(82) उपर्युक्त (81) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1071/99]

(83) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(84) उपर्युक्त (83) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1072/99]

(85) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(86) उपर्युक्त (85) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1073/99]

(87) श्री बाजू बन रियान, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1405 के संबंध में 7 दिसम्बर, 1999 को दिए गए उत्तर में संशोधन करने में हुए विलंब के कारण सहित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1074/99]

(88) श्रीमती गीता मुखर्जी, संसद सदस्य द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन और शासक मंडल के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2259 के संबंध में 14 दिसम्बर, 1999 को दिए गए उत्तर में संशोधन करने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1075/99]

(89) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1076/99]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): उपाध्यक्षजी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इन्टरनेशनल एडवान्सड रिसर्च सेन्टर फार पाउडर मेटालर्जी एण्ड न्यू मेटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्टरनेशनल एडवान्सड रिसर्च सेन्टर फार पाउडर मेटालर्जी एण्ड न्यू मेटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकारों द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1077/99]

(2) (एक) बोस इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1078/99]

(3) (एक) जवाहरलाल नेहरू सेन्टर फार एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू सेन्टर फार एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1079/98]

(4) (एक) टेक्नोलॉजी इम्फोरमेशन फोरकास्टिंग एण्ड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इन्फोरमेशन, फोरकास्टिंग एण्ड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1080/99]

(5) (एक) बीरबल साहनी इन्स्टीट्यूट आफ पेलेओबोटनी, लखनऊ के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इन्स्टीट्यूट आफ पेलेओबोटनी के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1081/99]

(6) (एक) इंडियन नेशनल साइन्स अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइन्स अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1082/99]

(7) (एक) इंडियन अकादमी आफ साइंसिज, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन अकादमी आफ साइन्सिज, बंगलौर, के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1083/99]

(8) (एक) वाडिया इन्स्टीट्यूट आफ हिमालयन जीलॉजी, देहरादून के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इन्स्टीट्यूट आफ हिमालयन जीलॉजी, देहरादून के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1084/99]

(9) (एक) रमण रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बंगलौर, के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमण रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1085/99]

(10) (एक) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1086/99]

(11) (एक) अगरकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुणे के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अगरकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुणे के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1087/99]

(12) (एक) इंडियन एसोशियेशन फार दी कल्टीवेशन आफ साइन्स, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोशियेसन फार दी कल्टीवेशन आफ साइन्स, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1088/99]

(13) (एक) इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ ट्रोपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ ट्रोपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1089/99]

(14) (एक) इंडियन साईन्स कांग्रेस एसोसियेशन, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइन्स कांग्रेस एसोसियेशन, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1090/99]

(15) (एक) नेशनल अकादमी आफ साइन्सिज इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल अकादमी आफ साइन्सिज इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1091/99]

(16) (एक) इंडियन नेशनल अकादमी आफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल अकादमी आफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1092/99]

(17) (एक) नेशनल एक्रेजीटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लैबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एक्रेडीटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लैबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1093/99]

(18) (एक) इन्डिन इन्स्टीट्यूट ऑफ जीओ मेग्नेटिज्म, मुम्बई, के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्डिन इन्सटीट्यूट आफ जीओ मेग्रेटिज्म, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1094/99]

(19) (एक) भारत इम्युनॉलाजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलन्दशहर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत इम्युनालॉकिल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलन्दशहर का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1095/99]

[अनुवाद]

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1096/99]

(3) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1097/99]

(5) (एक) सेंट्रर फार कल्चरल रिसोर्स एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रर फार कल्चरल रिसोर्स एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1098/99]

(6क)(एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिबेतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिबेतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिबेतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1099/99]

(8) (एक) नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1100/99]

(10) (एक) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1101/99]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: मुझे, राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 20 दिसम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में पारित डिजायन विधेयक, 1999 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 20 दिसम्बर, 1999 को यथापारित डिजाइन विधेयक, 1999 को सभा पटल पर रखता हूँ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम "शून्य काल' शुरू कर सकते हैं। श्री के.के. कलिअप्पन बोलें।

***श्री के.के. कलिअप्पन** (गोबिचेट्टिपालयम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सभा को यह बताना चाहता हूँ कि हमारी नेता, तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्य मंत्री और हमारी पार्टी की महासचिव डा. पुरात्ची थालेवी जयललिता ने वर्ष 1998 में तत्कालीन सरकार से यह आग्रह किया था कि तमिल को देश की राजभाषा बनाया जाए और इसे शासन के लिए निर्धारित राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल किया जाए। उन्होंने वर्ष 1998 की स्थिति को यथावत बनाये रखने की मांग की है।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उनका अनुसरण करते हुए मैं सरकार और विशेषकर नागर विमानन मंत्रालय से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि विमानपत्तनों पर तमिल में घोषणा करने की व्यवस्था की जाये। सभी उड़ानों, जो तलिनाडु जाती हैं, के अन्दर तमिल में घोषणा की जानी चाहिए और जिन विमानपत्तनों से उड़ानें शुरू होती हैं वहाँ पर अन्य घोषणाएँ तमिल में भी की जानी चाहिए। यह तमिल को एक राजभाषा बनाने की दिशा में पहला कदम होगा। इससे क्षेत्र के लोगों को अत्यधिक लाभ होगा और विभिन्न राज्यों में संबंधित क्षेत्रीय भाषा में घोषणा करने के भी प्रयास किये जाने चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली में जब कोई विशेष गाड़ी किसी विशेष राज्य के लिए जाती है तो रेलवे स्टेशनों पर क्षेत्रीय भाषा में घोषणा की जानी चाहिए।

हमारे महान नेता अन्ना और पुरात्ची थालेवर की तरह डा. पुरात्ची थालेवी ने भी तंजावूर में अन्तर्राष्ट्रीय तमिल सम्मेलन का आयोजन किया था। हमारे महान कवि भारतीदशन ने कहा है:

> "यदि हम मर भी जायें तो भी तमिल के प्रति हमारा स्नेह बना रहेगा और हमारे शरीर की जली हुई राख से भी तमिल की ही खुशबू आयेगी।"

हमारी ऐसी भावनाएं हैं और मैं चाहता हूँ कि केन्द्र हमारी भावनाओं का सम्मान करे।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सभा की जानकारी में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह मुद्दा ला सकूं। रविवार के 'स्टेट्समैन' में कहा गया है कि तन्जौर डेल्टा में महिलाओं का एक पेरियार मेनियम्मा प्रौद्योगिकी कालेज है जो एक स्थानीय न्यास द्वारा चलाया जाता है जिसे एल.टी.टी.ई. का नजदीकी जाना जाता है, इसे भारत सरकार के रक्षा विभाग से अविच्छिन्न उदारता प्राप्त है। यह न्यास टी.टी.ई. का कटु समर्थक माना जाता है। सितम्बर 1998 में श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक माडल हाऊस के लिये एक आधारशिला रखी जिसे इस कालेज के बी. आर्क के विद्यार्थियों ने डिजाइन किया था ...*(व्यवधान)* परन्तु जो कुछ आगे हुआ उसे देखते हुए यह महत्वपूर्ण नहीं है।

महोदय, भारत सरकार के डी.आर.डी.ओ. संगठन ने इस महाविद्यालय की बारह परियोजनाओं हेतु सौ करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। नवम्बर 1998 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसकी सबसे महत्वपूर्ण एवं रोचक बात यह है कि अत्यधिक संवेदनशील और सामरिक अनुसंधान परियोजनाएं इस अस्तित्वहीन संस्था को दी गई हैं जिसका अन्यथा कोई नाम ही नहीं है और जो कावेरी के डेल्टा में स्थित है। इनमें से एक परियोजना का संबंध सियाचीन ग्लेशियर में भयंकर सर्दी और बर्फ के जमाव की स्थिति को हल करने से है। यह रक्षा विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस मामले का विवरण दे। सरकार को चाहिए कि वह एल.टी.टी.ई. समर्थक इस अस्तित्वहीन संस्था और डी.आर.डी.ओ. के बीच हस्ताक्षरित इस गुप्त संविदा का ब्यौरा दे। ...*(व्यवधान)* इस सरकार के हाथों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बन गई है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब, प्रो. एस.पी. बघेल अपनी बात कहें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप प्रो. एस.पी. सिंह बघेल नहीं हैं। मैं आपका नाम बुलाऊंगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले नोटिस दिया है। क्या मैं नहीं बोल सकता?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको बुलाऊंगा। मैंने प्रो. एस.पी. सिंह बघेल का नाम बुलाया है। क्या आपको प्रायरिटी दी जाए?

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैंने पहले नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसे पहले प्रायरिटी नहीं दी जाती।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, मैं आपको प्राथमिकता नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन का सम्मान करता हूं, लेकिन आप डांट नहीं सकते हैं। मैं जनता दल (यूनाइटिड) का डिप्टी लीडर हूं। मैं बहुत सालों से इस सदन में हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप डिप्टी लीडर होंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हम इस सदन का पूरा सम्मान और इज्जत करते हैं। हम मर्यादा का पालन करते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप हमें समय नहीं देंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने कहा कि आपका नाम है। जब आपकी बारी आएगी तो आपको बोलने का समय मिलेगा। आपकी पहले कैसे बारी आएगी?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपका जब नम्बर आएगा तो आपको बोलने के लिए बुलाया जाएगा। आप क्यों ऐसे परेशान हो रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, मैं जनता दल (यूनाइटेड) का उपनेता हूँ। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप सीनियर मैम्बर हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने जीरो आवर को रैगुलेट किया है। आपने कल भी इसी तरह किया। जब आपका नाम आएगा, मैं आपको बुलाऊंगा। आपका नाम पहले कैसे बुलाया जा सकता है? यह एक नीति है।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (जलेसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान महिला आरक्षण बिल की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह पेश होने जा रहा है।

महोदय, आपका संसदीय इतिहास बहुत लम्बा रहा है और आप इस बात के खुद ज्ञाता हैं कि जब भी इस देश में संविधान संशोधन हुआ है, वह आम सहमति के आधार पर हुआ है। बिना आम सहमति बनाये ऐसा पहली बार हो रहा है और तानाशाही के बल पर यह विधेयक लाया जा रहा है। मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि जब तक इस बिल में दलित, पिछड़ी महिलाओं के बारे में और अल्पसंख्यक महिलाओं के हितों की रक्षा नहीं की जायेगी या उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जायेगा, तब तक इस बिल को यहां लाना और इसको पारित कराना राष्ट्र हित में नहीं है। यह बिल इस देश में रहने वाले 85 प्रतिशत लोगों के खिलाफ, देश के सर्वहारा वर्ग के खिलाफ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस सदन को अवगत करायें कि पहले आम सहमति बनायेंगे और जब आम सहमति बन जायेगी, उसके बाद ही यह बिल इस सदन के पटल पर रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इतिहास की ओर खींचना चाहता हूं। जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई और इब्राहिम लोधी को बाबर ने पराजित कर दिया, उसके बाद देश को इतने गंभीर परिणाम नहीं भुगतने पड़े, पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद भी देश को गंभीर परिणाम नहीं भुगतने पड़े और प्लासी के युद्ध के बाद भी देश को गंभीर परिणाम नहीं भुगतने पड़े लेकिन अगर यह बिल पास हो जायेगा तो समझ लीजिए कि देश में फिर से देसी ईस्ट इंडिया कम्पनी आ जायेगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने विषय तक सीमित रहें।

[हिन्दी]

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल: उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हिन्दुस्तान के 85 प्रतिशत दलित, अल्पसंख्यक लोगों की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति का सवाल है। हिन्दुस्तान के 85 प्रतिशत लोग हम पर निगाह रखे हुये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री हरपाल सिंह साथी।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल: मेरा निवेदन है कि यह बिल इस सदन में पेश न किया जाये। मेरी समाजवादी पार्टी की इस मामले पर गंभीर आपत्ति है, साथ ही आर.जे.डी. भी इसके खिलाफ है। जब तक 85 प्रतिशत के लिए नहीं करेंगे, मुट्ठीभर लोगों को कैसे रोकेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय: मि. बघेल, आप सरकार से क्या चाहते हैं, वह पूछिए।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल: अध्यक्ष महोदय, जब भी इतिहास बदला है, इस देश में मुट्ठीभर लोगों ने लड़ाई की थी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मि. बघेल, आप पूछना क्या चाहते हैं, आप भारत सरकार से क्या चाहते हैं? श्री बघेल का अब कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जाएगा। श्री बंसल जी की बात रिकार्ड पर जाएगी।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): यह तो बहुत दु:ख और खेद की बात है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बंसल जो कुछ कह रहे हैं उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्री बंसल को बोलने का अवसर दिया है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यह बहुत दुख और खेद की बात है....*(व्यवधान)* महोदय, जब उनकी पार्टी के एक सदस्य बोले, हम चुप रहे *...(व्यवधान)* आप गैर-सरकारी सदस्य के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर): जब उनकी पार्टी के एक सदस्य बोले, वे चुप रहे। अब जब की बंसल बोल रहे हैं, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने इसको गंभीरता से नोट किया है। मैंने उन्हें चेतावनी भी दी है। यदि श्री मुलायम सिंह चाहते हैं कि मैं उनके नाम लूँ, तो मैं ऐसा करने में संकोच नहीं करूंगा। मैं उन्हें डांटूंगा मगर अभी नहीं।

मैं उन्हें आखिरी अवसर दे चुका हूँ।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मुझे इस बात का बहुत खेद है कि मुझे यह उल्लेख *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब मैंने आपकी पार्टी के सदस्य को बोलने की अनुमति दी तो वे सब खामोश रहे। जब अन्य पार्टियों के सदस्य बोल रहे हैं तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया है। आप इस देश की एक प्रमुख पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने सदस्यों से कहें कि वे व्यवधान न डालें। आप प्रश्न काल रुकवाने में आंशिक रूप से सफल हुए हो। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यह सरकारी कार्य नहीं है जिसमें वे व्यवधान डाल रहे हैं। वे गैर-सरकारी सदस्यों के अधिकार में व्यवधान डाल रहे हैं *...(व्यवधान)* वे क्या कर रहे हैं? सभा के समक्ष क्या मुद्दा है? *...(व्यवधान)*

महोदय, मैं दुख के साथ एक ऐसे मामले का उल्लेख करना चाहता हूँ जिससे अन्तत: एक अन्य घोटाले का पता लग सकता है। यह घोटाला का ही रूप हो सकता है।

पिछले वर्ष 77,000 से भी अधिक हज तीर्थयात्रियों ने तीर्थयात्रा की थी। जैसा कि उन्हें बाद में पता चला कि ये विमान 25 वर्षों से भी अधिक पुराने थे, यात्रियों की सुरक्षा तथा कम किराया करने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्री ने यह निदेश दिया कि इसके लिए नई निविदाएं आमंत्रित की जायें *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: ऐसा किया गया लेकिन इस मामले में आवश्यक पारदर्शिता का अभाव रहा और हमें पुन: यह पता चला है कि उन्हीं आपरेटरों को निविदा दी जा रही है जबकि अन्य आपरेटरों ने तुलनात्मक रूप से नये विमानों का प्रस्ताव किया था *...(व्यवधान)* यह मेरी ही चिन्ता नहीं है कि आपरेटर कौन है बल्कि निश्चित रूप से यह इस सभा के लिए चिन्ता का विषय है और प्रत्येक व्यक्ति इस बात से चिंतित है कि हज यात्रियों की सुरक्षा की जानी चाहिए और सरकार को इस संबंध में स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि इस प्रयोजनार्थ सुरक्षित विमानों का प्रयोग किया जायेगा। किसी भी आपरेटर को संविदा देने में पूरी पारदर्शिता बनाए रखी जानी चाहिए। यह भी अनिवार्य है कि गरीब लोगों, जो हज तीर्थयात्रा करते हैं, से यथा संभव कम से कम किराया वसूल किया जाये। जब वे भारी राशि का भुगतान करते हैं और यह सरकार भी राजसहायता उपलब्ध कराती है। तो इस सभा को सरकार से यह जानने का अधिकार है कि इस माले में क्या किया जा रहा है।

महोदय, इस क्षण मैं किसी पर भी दोष नहीं लगाना चाहता लेकिन जो कुछ अखबारों में प्रकाशित हुआ है और हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम हुआ है उससे हम यह महसूस करते हैं कि काफी कुछ किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि पारदर्शिता के सिद्धांत की उपेक्षा की गई है। महोदय, आपके माध्यम से सभा से मेरा भी निवेदन है। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण तात्कालिक विषय पर मैंने सूचना दी थी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस देश में हमारे समाज की संरचना सीढ़ीनुमा है। हजारों वर्षों से यह सीढ़ीनुमा संरचना बनी हुई है, समाज में ऊपर और नीचे की खाई बनी हुई है। हमारे संविधान निर्माताओं को इसका पूरा ज्ञान था। इसीलिए संविधान के आर्टीकल 14, 15(4) और 16(2) में यह प्रावधान किया गया है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े लोग हैं, उन्हें एक अवसर के सिद्धांत के तहत बराबरी का हक दिलाया जाए। इसी के तहत आरक्षण की पालिसी आती है। मैं इसीलिए इस सवाल को छेड़ना चाहता हूं और साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान निर्माताओं की नीयत ठीक थी। लेकिन आज इस आरक्षण का कहीं राजनीतिकरण न कर दिया जाए। क्योंकि इसमें हजारों वर्षों से जो दबे-कुचले समाज के लोग हैं वे 52 फीसदी लोग हैं। उनके हक का सवाल है, कहीं इसको पोलिटीसाइज न कर दें, मुझे यह शंका लगती है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, इसके संदर्भ में पूरा सदन सहमत है। सदन में किसी पक्ष का विरोध नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण न दिया जाए। महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। मैं इस आरक्षण का बिल्कुल पक्षधर हूं। लेकिन इसी के साथ-साथ सम्पूर्ण विपक्ष, सम्पूर्ण पोलिटीकल पार्टीज और सम्पूर्ण सदन को विश्वास में लेकर ही महिला आरक्षण बिल के प्रेजेन्ट फोर्म में तरमीम करके, उसमें बदलाव करके सदन में पेश करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल को यहां इसलिए रखना चाहता हूं, यह ठीक है कि हमारा एन.डी.ए. मोर्चा है, हम एन.डी.ए. सरकार के साथ हैं। लेकिन हम यह दुख के साथ कहना चाहते हैं कि देश की ज्वलंत समस्याओं का समाधान करने में यह सर्वोच्च सदन, लोक सभा सक्षम है, यह सदन सर्वशक्तिमान है। लेकिन सर्वशक्तिमान और सक्षम होने के बावजूद भी यह न्यायपालिका का सहारा लेती रही है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे राम मन्दि का मामला हो, चाहे अन्य पिछड़े वर्गों का मामला हो, ये मामले न्यायपालिका में चले गये हैं। यह एक खतरे की बात है। मैं उस खतरे की ओर संकेत करना चाहता हूं। करोड़ों लोगों का यह सदन है और मैं इस बात के लिए आगाह कर देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि पूरे सदन को विश्वास में नहीं लिया गया, तो ठीक नहीं रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद का सवाल हो, राम मंदिर निर्माण का सवाल हो, अन्य पिछड़े वर्गों का सवाल हो, पूर्णतः नाकामयाब और विफल रहा है यह सर्वशक्तिमान सदन है क्योंकि मामले उच्चतम न्यायालय में चले गए। मैं इस मामले में भी अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि महिला आरक्षण के मामले का कहीं वही हश्र न हो जाए कि यह भी न्यायपालिका की दहलीज पर दस्तक दे। इसलिए इन सभी बिन्दुओं पर एक समीक्षात्मक और आम सहमति बनाकर पूरे सदन को विश्वास में लेकर सभी पालिटिकल पार्टियों को बैठाकर विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी बी.ए.सी. में भी बोली थी। मैं उनकी बहुत कद्र करता हूं, लेकिन मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को सदन में लाने और पारित करने पर जोर न दें। इसकी पूरी समीक्षा करके सदन में लाया जाए। बिना पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किए बिना, यदि इसको लाया गया, तो यह ठीक नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि 1990 में नौवीं लोक सभा में इसी सदन का मैं सदस्य था और 7 अगस्त, 1990 को यहां नेशनल फ्रंट की सरकार थी उसके प्रधान मंत्री मान्यवर वी.पी. सिंह जी द्वारा मंडल कमीशन हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था। उससे पूरे देश में बावेला मच गया था। पूरे देश में आत्महत्या और आत्मदाह का सिलसिला शुरू हुआ। मुझे आशंका है यदि इस विधेयक को भी वर्तमान स्वरूप में पास कर दिया गया, जो इस विधेयक को भी कहीं उसी प्रकार का खामियाजा न भुगतना पड़े। इस बात से सारा सदन वाकिफ है और सभी लोग इस बात से भी वाकिफ हैं कि उस समय सदन और देश में क्या हुआ। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः कहना चाहता हूं कि सभी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और काम्प्रीहैंसिव बिल सदन में लाया जाए, यही मेरा निवेदन है।

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी दल की तरफ से माननीय सदस्य बोल रहे हैं। अब तो आपको इतनी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। अब तो आप संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दें कि वे खड़े हो कर यह कहें कि आम सहमति के बिना बिल नहीं लाया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, मैं आपको भी इस सिलसिले में बोलने के लिए मौका दूंगा। आप फिर बीच में उठकर बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, रमजान का महीना चल रहा है, हम आपको नाराज नहीं करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने मुझे नाराज कर दिया।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय, मैंने भी इसी विषय पर सूचना दी है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई बिल राज्य सभा में पास नहीं हो सकता, लेकिन राज्य सभा में बिल पास हो रहे हैं। इसका साफ मतलब यह है कि कांग्रेस का समर्थन भा.ज.पा. को मिल रहा है और बी.जे.पी. तथा कांग्रेस दोनों अंदरूनी तौर पर एक हो गए हैं। यह अपील देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने भी की है। वे तो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं। अब यह गंभीर मामला बन गया है। इसलिए आप अपनी तरफ से सरकार को निर्देश दें कि आम सहमति के बिना बिल न लाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो हमारे संरक्षक हैं। हम चाहते हैं कि सदन शांति पूर्वक चले। यदि आप हमें संरक्षण नहीं देंगे, तो हम कहां जाएं। यदि आप हमें सजा भी देंगे, तो हम सजा भी भुगत लेंगे। बी.जे.पी. तो कांग्रेस से मिल गई है। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): उपाध्यक्ष महोदय, ये अपने को समाजवादी और लोहियावादी कहते हैं, लेकिन इन्होंने लोहिया के सिद्धान्तों को भुला दिया है। ये लोहिया जी के सिद्धांतों से अलग हो गए हैं। ...*(व्यवधान)*

आप यह बताइये कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कि महिलाएं पिछड़ी हैं ...*(व्यवधान)* ये और पिछड़ा होने की बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने महिलाओं में सम्पूर्ण महिलाओं की बात की थी। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे: इन्होंने लोहिया के सिद्धांतों की तिलांजलि देकर महिलाओं को पिछड़ों का दर्जा दिया है। ...*(व्यवधान)* पिछड़ों में पिछड़ा हुआ बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)* लोहिया का मतलब नहीं रह गया है। ...*(व्यवधान)* लोहिया ने कब कहा था कि जो पिछड़ा है ...*(व्यवधान)* उसके पिछड़े में भी पिछड़ा हो और इसको बांटेंगे ...*(व्यवधान)* लोहिया जी चले गये। ...*(व्यवधान)* आप घोषणा कीजिए। ...*(व्यवधान)* लोहिया जी ने सदन में कहा था कि गांव की महिलायें विधवा हो जाती हैं ...*(व्यवधान)* उनको खाने-पीने का कुछ इंतजाम नहीं होता। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री लाल मुनी चौबे, एक सीमा होती है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, चौबे जी ने मेरा नाम लिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे: उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने की छूट दी है। ...*(व्यवधान)* उसी के तहत मुलायम सिंह जी ने आपकी बात नहीं मानी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: उठाया गया मामला आज की कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया है। मामला उठाने वाले सदस्य जानबूझ कर सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। सदस्यों द्वारा इस सभा का समय बर्बाद किया जाना अच्छी बात नहीं है। मैं उनके व्यवहार को बहुत गम्भीरता से लेता हूं और उन्हें चेतावनी देता हूं कि वे समुचित व्यवहार करें।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): आपके द्वारा मुझे भी बोलने का अवसर मिला। ...*(व्यवधान)* आपने मेरा नाम लिया। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मेरा नाम लिया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, चौबे जी ने चूंकि मेरा नाम लिया है ...*(व्यवधान)* इसलिए मैं सदन में इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* लोहिया जी ने क्रीमी लेयर महिलाओं को ऊपर उठाने की बात नहीं की थी। ...*(व्यवधान)* श्री लोहिया जी ने समपूर्ण महिलाओं को ऊपर उठाने की बात की थी। ...*(व्यवधान)* जितनी भी महिलायें हैं, उन सबको ऊपर उठाने की बात की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि 'संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावें सौ में साठ।' ...*(व्यवधान)* लाल मुनि चौबे जी को लोहिया जी के स्कूल की ट्रेनिंग नहीं है। ...*(व्यवधान)* इसलिए वे लोहिया जी को मिस इंटरपरेट कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): उपाध्यक्ष महोदय, 1 जनवरी, 2000 से ...*(व्यवधान)*

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): उपाध्यक्ष महोदय, लाल मुनि चौबे ने जो कहा है ...*(व्यवधान)* महिलाओं के अंदर पिछड़ा वर्ग चलाना उचित नहीं है ...*(व्यवधान)* इसके लिए उन्होंने लोहिया जी का उद्धरण दिया है। ...*(व्यवधान)* उन्होंने सम्पूर्ण महिलाओं को पिछड़ा कहा था ...*(व्यवधान)* आरक्षण में यह विषय नहीं उठाना चाहिए था। ...*(व्यवधान)* लोहिया जी ने यह भी कहा था, उसे हम स्मरण दिलाना चाहते हैं:

'संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे सौ में साठ।'

श्री मदन लाल खुराना: उपाध्यक्ष जी, 1 जनवरी, 2000 से देश भर में एक समान सेल्स टैक्स लागू होने से दिल्ली का व्यापार चौपट होने के बारे में मैंने सूचना दी है। राज्य सरकारें दिनांक 1 जनवरी, 2000 से बिक्री कर की एक समान बुनियादी दरों को लागू करने के लिए सहमत हो गई हैं?

इस संबंध में बिक्री कर अध्यादेश फिर से लागू करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* दिल्ली की यह विशेषता रही है कि यहां वितरण केन्द्र रहा है। अनेक वस्तुएं दिल्ली में तमाम राज्यों से आती हैं और 75 फीसदी चीजें अन्य राज्यों में चली जाती हैं। ...*(व्यवधान)* यदि एक समान बिक्री कर लागू किया गया तो दिल्ली का व्यापार बिल्कुल चौपट हो जाएगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे ...*(व्यवधान)* हमको 70 से 80 प्रतिशत आय सेल्स टैक्स से होती है। ...*(व्यवधान)* यदि एक समान बिक्री कर हो गया तो आमदनी काफी कम हो जाएगी। इसलिए मेरा कहना है कि इस बारे में पुन: विचार किया जाए और एक समान सेल्स टैक्स न लागू किया जाए। दिल्ली को बचाया जाए। यह ऐंटी दिल्ली होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही नम्रता के साथ सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि अपनी स्वेच्छा से, अपनी कटिबद्धता से राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी ने भी अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए अपने ही संगठन में व्यवस्था की है तो वह कांग्रेस पार्टी है। इससे हमारी कटिबद्धता कमजोर वर्गों के प्रति, महिलाओं के प्रति जाहिर होती है। ...*(व्यवधान)* मैं बहुत नम्रता के साथ याद दिलाना चाहूंगा कि अगर इस देश में पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था की गई तो वह कांग्रेस पार्टी ने की थी। दूसरे लोग देश में विस्फोटक स्थिति पैदा करते रहे हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण की व्यवस्था इस राष्ट्र में शांतिपूर्वक ढंग से कांग्रेस ने की। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य महिलाओं को, कमजोर वर्ग के लोगों को सत्ता में भागीदारी देना है। महिलाओं को सत्ता में पूरी तरह से भागीदारी नहीं दी गई है। ...*(व्यवधान)* सत्ता में भागीदारी देने के लिए हम महिलाओं को ऐम्पावर करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* जो आम सहमति इस सदन में बनेगी, उस आम सहमति के साथ हम पूरी तरह समर्थन करने के लिए तैयार हैं। महिला विधेयक को टाला नहीं जा सकता है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि महिला बिल को जल्दी से जल्दी लाया जाए और इस पर चर्चा हो। जब आम सहमति होगी तो उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी करेगी। महिलाओं को जल्दी से जल्दी सत्ता में भागीदारी दी जाए, यह हमारी सरकार से मांग है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन महिला आरक्षण विधेयक पेश करने के लिए वचनबद्ध है। श्री प्रमोद महाजन ने पहले ही सभा में स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दी है कि इसी चालू सत्र में ही यह विधेयक पेश किया जायेगा।

हमने, तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 38 प्रतिशत आरक्षण देने की वचनबद्धता दर्शाई है।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि सी.टी.बी.टी. के संबंध में सभी पार्टियों से बातचीत करना शुरू कर दिया है। जहाँ तक महिला आरक्षण विधेयक का संबंध है, हम प्रधानमंत्री से यह आग्रह करते हैं कि वे अन्य सभी राजनैतिक पार्टियों से परामर्श करने के लिए पहल करें। यह सत्र तीन दिन के अन्दर समाप्त हो जायेगा। हम सरकार से नम्रतापूर्वक यह निवेदन करते हैं कि हमारे चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना आवश्यक है और तृणमूल कांग्रेस इस घोषणा का समर्थन करती है। हम इस विधेयक के संबंध में अपना विश्वास दोहराना चाहते हैं और अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, हमने इस सभा में बार-बार यह बताया है कि यदि हमारे समाज का कोई ऐसा वर्ग है जिसे आरक्षण की अत्यधिक जरूरत है तो वह है मुसलमान, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग। मुसलमानों, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए कदम उठाये जाने की नितांत आवश्यकता है। इसलिए, मैं यह बात पुन: दोहराना चाहता हूँ कि हमारे समाज में मुसलमान, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

महोदय, मैं इस सभा को यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि जब हमारा प्रारूप संविधान तैयार किया जा रहा था तो उसमें मुसलमानों के लिए आरक्षण का एक खण्ड था। बाद में उस खण्ड को हटा दिया गया था। लेकिन जब इस खण्ड को हटाया जा रहा

था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्री पटाभि सीता रमैय्या ने संविधान सभा में इसी विशेष सभा में कहा था कि ''हमने अब अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को उचित आरक्षण देने का वायदा किया है यद्यपि इसके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, फिर भी आरक्षण को जारी रखा जाना चाहिए।

इसलिए, मैं यह कहना कहता हूँ कि इस विशेष विधेयक को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाये ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: उपाध्यक्ष जी, 1 जनवरी, 2000 से पूरे देश में समान बिक्री कर की योजना लागू हो जायेगी, इससे दिल्ली की आमदनी आधी रह जायेगी ...*(व्यवधान)* इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए हमें मौका नहीं दिया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने श्री माधवराव सिंधिया को भी बोलने की अनुमति नहीं दी है। यह निन्दनीय है।

...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक, जिसे सरकार पेश करना चाहती है, को छोड़ दिया जाये। मैं सरकार से यह अपील करता हूँ कि वह ऐसा विधेयक लाये जो सभा में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में व्याप्त स्थिति के अनुकूल हो। मैं सरकार से यह अपील करता हूँ कि वह मुसलमानों, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए एक विधेयक लाये। यह समय की मांग है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, महिला आरक्षण विधेयक के बारे में मेरी सूचना इतनी है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या है?

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उनको आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी ने जो मांग की है कि महिला आरक्षण विधेयक जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना चाहिए।

प्रमोद महाजन जी ने दो दिन पहले ही सदन में आश्वासन दिया है कि वे जल्दी से जल्दी इस बिल को लाने वाले हैं। दो दिन बाद इस सदन की कार्यवाही समाप्त होने वाली है, लेकिन आप इस बिल को कब लाने वाले हैं। इस बिल के बारे में भारतीय जनता पार्टी के मन में आम-सहमति कराने की इच्छा है या नहीं, लेकिन हमारे मन में शंका है। मुलायम सिंह जी ने अपनी बात कही है और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 33 परसेंट रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके लिए हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन 33 परसेंट रिजर्वेशन में अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. ...*(व्यवधान)* खुराना जी, आप हमारी बात सुनिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: यह ठीक नहीं है। यह नहीं होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उनके कार्य की निन्दा की है। आप इनकी भी सुनिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) सुन तो रहे हैं, लेकिन हमारी भी तो सुनिए। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: मदन लाल खुराना जी, हमने आपको सुना है, आप हमारी सुनिए। आपकी सरकार है, इसलिए आपको सुनना पड़ता है, लेकिन आपको भी हमारी बात सुननी पड़ेगी। क्योंकि आपकी सरकार जाने के बाद हमारी सरकार आने वाली है। आप ऐसा मत समझिए कि आपकी सरकार आई है, तो 10-20 साल राज करेंगे। ऐसा आपके मन में विचार है, तो हम उस विचार को चलने नहीं देने वाले हैं।

मुलायम सिंह जी ने महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही है। जो महिलाओं के लिए आरक्षण का विधेयक आ रहा है, उस ड्राफ्ट में अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और माइनोरिटीज के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इस बारे में कांग्रेस पार्टी ने दलितों और आदिवासियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इस विधेयक में भी कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट के बिना दो-तिहाई मैजोरिटी होने वाली नहीं है। इसलिए इस विधेयक को पास करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के हाथ में जरूर है, क्योंकि वह विपक्ष में है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से निवेदन करना चाहता हूं कि अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और माइनोरिटीज को रिजर्वेशन देने की जो बात है, वह ड्राफ्ट में आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि एक बार इसको आने दीजिए, लेकिन एक बार आ गया, तो हमको जाना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि...*(व्यवधान)* पहले महिलाओं के

[श्री रामदास आठवले]

लिए आरक्षण की बात हो जो, तो बाद में बोडोलैंड की बात कर लेना। मैं बताना चाहता हूं कि ड्राफ्ट के आने से पहले गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप अगले सैशन में ला सकते हैं। इस बिल पर चर्चा को टालते हुए, मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह आइटम आज के लिस्ट में भी नहीं है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह बताइए।

श्री रामदास आठवले: इसके बारे में हमारा इतना ही कहना है कि इस ड्राफ्ट में आम-सहमति की बात है, तो आम-सहमति हो सकती है। इस बिल में महिलाओं को रिजर्वेशन देने के बारे में रिवोल्युशनरी डिसीजन है। दुनिया में भारत देश सबसे आगे है। महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात बाबासाहेब अम्बेडकर ने कही थी, लेकिन बाबासाहेब अम्बेडकर जी को महिलाओं को रिजर्वेशन देने का मौका नहीं मिला। आज बाबासाहेब अम्बेडकर और लोहिया जी के सपने को पूरा करने का मौका हमारे सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में है कि यह बिल जल्दी नहीं आना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे किस-किस के विरोध में है? ...*(व्यवधान)* मेरा निवेदन इतना ही है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप जल्दी पूरा कीजिए।

श्री रामदास आठवले: अभी मेरा पूरा नहीं हुआ। यह काम जल्दी होने वाला नहीं है। जो काम जल्दी होने वाला होता है, वहां मैं अपना भाषण जल्दी करता हूँ, लेकिन जहां नहीं होता है, वहां जल्दी कहने से क्या फायदा है। इसलिए कांग्रेस वालों से मेरा निवेदन है कि राजीव गाँधी जी ने 33 परसेंट रिजर्वेशन की बात कही थी, उनके सपने को पूरा करने के लिए आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस वाले बीजेपी से मिले हैं, ऐसा हम नहीं मानते हैं। कांग्रेस वालों ने जो-जो पालिसी बनाई थी, उन पालिसीज को ये लोग अपना रहे हैं।

इसलिए आपको सपोर्ट करना ही पड़ता है। अगर कोई भी पार्टी सरकार में आती है तो उसे इस पालिसी को अपनाना ही पड़ता है ...*(व्यवधान)* लेकिन अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं।

आखिर में मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि इस बिल को जल्दी से जल्दी लाना चाहिए, मगर अगले सत्र में इस बिल को लाना चाहिए। एससी, एसटी और माइनोरिटीज का जो प्रावधान है, उसे स्वीकारने के बाद ही आपको इस बिल को लाना चाहिए, यह हमारी मांग है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: डा. वी. सरोजा, हमें एक महिला की भी बात सुननी चाहिए ...*(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा: माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान तमिलनाडु-श्रीलंका तट पर नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में अत्यधिक वृद्धि की ओर दिलाना चाहता हूं।

पिछले एक वर्ष में तमिलनाडु तट से श्रीलंका में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में 50 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। ...*(व्यवधान)* स्वापक औषधि नियंत्रण ब्यूरो और भारतीय औषध प्रवर्तन प्राधिकरण ने लिब्रेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम (लिट्टे) को इस अवैध व्यापार में अत्यधिक वृद्धि का कारण बताया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने डा. सरोजा को बोलने का अवसर दिया है। डा. सरोजा के अलावा जो कुछ भी कहा जाएगा उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

डा. वी. सरोजा: प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय खुफिया एजेंसियों का यह सुझाव है कि नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में वृद्धि, लिट्टे द्वारा हथियार खरीदे जाने का प्रत्यक्ष परिणाम है ...*(व्यवधान)* भारतीय औषध प्रवर्तन प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अपने अंतिम गन्तव्य स्थान अर्थात यूरोप और अमेरिका के लिए निषिद्ध पदार्थों का व्यापार विशाल समुद्र से किया जाता है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने एक महिला को फ्लोर दिया, आप उन्हें भी इंटरप्ट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा: मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। यदि इसे जारी रखा गया तो इसका पूरे हिन्द महासागर पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा ...*(व्यवधान)*

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह इस पर निरन्तर निगरानी रखे और सम्पूर्ण हिन्द महासागर विशेषकर तमिलनाडु में अधिक जनशक्ति और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये। धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से यह बात कही है कि हमारे उपनेता श्री माधवराव जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस ने हमेशा से ओबीसी, माइनोरिटीज और एससी, एसटी के लिए आरक्षण की सुविधा का समर्थन किया है और आज भी कांग्रेस को कोई गुरेज नहीं है। अगर महिला आरक्षण बिल में माइनोरिटीज, ओबीसी और एस सी, एस टी को आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस सर्वसम्मति से इन सभी वर्गों के आरक्षण के लिए तैयार है, परन्तु इस बिल को अविलम्ब लोक सभा में पेश किया जाए और पेश करने के बाद सर्वानुमति बनाने और सभी वर्गों को आरक्षण देने में कांग्रेस इस सदन को सहयोग करेगी।

श्री जोरा सिंह मान (फिरोजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी ने दूसरे सदन में यह घोषणा की थी कि सरकार सभी राजनैतिक दलों की सहमति से 1984 के दंगों के लिए एक और कमीशन गठित करने को तैयार है। इसमें आम सहमति की बात इसलिए कही गई क्योंकि सरकार यह नहीं चाहती कि उस पर अपने राजनैतिक विरोधियों को परेशान करने का आरोप लगे। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की हमेशा से यह विचारधारा रही है कि इन दंगों के कत्लेआम में शामिल दोषियों को सजा मिले। आज इन कत्लेआमों के 15 वर्ष बाद एक और कमीशन बैठाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है;

[हिन्दी]

क्योंकि दंगों में शामिल हजारों लोग जो दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, आजाद घूम रहे हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेसी सदस्य बराड़ साहब ने भी इस कमीशन की मांग की थी। मैं भी इसका समर्थन करता हूं। मैं नहीं समझता कि इसके बाद कोई भी राजनैतिक पार्टी इसका विरोधी करेगी। इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, उस कत्लेआम को 15 साल हो चुके हैं और इन 15 सालों में 12 साल केन्द्र में कांग्रेस की सरकार रही थी। इन दंगों में शामिल लोग सरकार में मंत्री भी रहे और राजनैतिक पार्टी के ओहदों पर भी रहे। इसलिए दोषियों को सजा नहीं मिल पाई। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस कमीशन का शीघ्र गठन किया जाए और इसको एक निश्चित समय में रिपोर्ट देने के लिए कहा जाए ताकि दोषियों को कानून के हिसाब से सजा मिल सके और सिखों को न्याय मिल सके।

[अनुवाद]

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार (मैसूर): महोदय, मैं सामान्यतः देश में और विशेषरूप से कर्नाटक में तम्बाकू खरीदारों और तम्बाकू बोर्ड के तदर्थवाद और कड़े रुख के कारण तम्बाकू उत्पादकों की कठिनाइयों के बारे में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि सर्वोत्तम ग्रेड की 1 कि.ग्रा. तम्बाकू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 28 रुपये है जबकि उसकी उत्पादन लागत 45 रुपये प्रति कि.ग्रा. से अधिक है। दूसरी बात यह है कि पिछले वर्ष से तम्बाकू बोर्ड ने 5 रुपये का जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है और अनधिकृत तम्बाकू उत्पादकों से दो प्रतिशत कमीशन ले रहा है जबकि प्राधिकृत क्रेता बोर्ड को एक प्रतिशत कमीशन देते हैं। तीसरे, तम्बाकू बोर्ड ने प्रति एकड़ तम्बाकू उत्पादन की अधिकतम सीमा प्रति खलिहान 1400 कि.ग्रा. और प्रति एकड़ 400 कि.ग्रा. निर्धारित कर दी है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रति वर्ष तम्बाकू उत्पादन 400 कि.ग्रा. और 600 कि.ग्रा. प्रति एकड़ के बीच होता है और खलिहान 1400 कि.ग्रा. से 2000 कि.ग्रा. प्रति खलिहान के बीच तम्बाकू तैयार किया जाता है।

महोदय, मैं किसी भी ग्रेड की तम्बाकू का न्यूनतम समर्थन मूल्य आनुपातिक आधार पर 45 रुपये से अधिक करने की मांग करता हूं और यह भी मांग करता हूं कि पांच रुपये के जुर्माने को कम करके 1 रुपया प्रति कि.ग्रा. किया जाए और कमीशन को 2 प्रतिशत से कम करके 1 प्रतिशत किया जाए। इसके अतिरिक्त मैं यह भी मांग करता हूं कि तम्बाकू उत्पादकों को तत्काल पहचान-पत्र वितरित किए जाएं और उत्पादन की अधिकतम सीमा हटाई जाए।

मैं यह भी मांग करता हूं कि तम्बाकू बोर्ड रैथ भवन को पर्याप्त प्रसाधन, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं और सभी तम्बाकू नीलामी प्लेटफार्मों में मवेशियों और पशुधन के लिए पर्याप्त पेयजल सुविधाएं हों।

मैं सुझाव देता हूं कि बोर्ड के कार्यकरण की पुनरीक्षा तथा सभी ग्रेड की तम्बाकू के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की पुनरीक्षा हेतु विशेष समिति नियुक्त की जाए।

अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): महोदय, मैं इस सम्भावित सभा में परभनी, महाराष्ट्र के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। परभनी, महाराष्ट्र राज्य का सबसे अधिक पिछड़ा जिला है। इस क्षेत्र में सबसे बढ़िया किस्म के कपास का उत्पादन होता है और

[श्री सुरेश रामराम जाधव]

दुग्ध उत्पादन भी अधिक होता है। लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने और इस जिले का तीव्र विकास करने के उद्देश्य से मैं इस सभा के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि परभनी जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित करे और इस जिले के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अल्वी (अमरोहा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार और ऐवान का एक बहुत अहम मसले पर तवज्जह दिलाना चाहता हूं। आज दिल्ली के सारे वकील चाहे वे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, स्ट्राइक पर हैं, चूंकि सरकार एडवोकेट एक्ट के अन्दर अमैंडमेंट लाना चाहती है। इसके अन्तर्गत विदेशी वकीलों को इस बात की इजाजत होगी कि वे हिन्दुस्तान में वकालत कर सकें। हिन्दुस्तान के वकीलों के लिए प्रपोज किया गया है कि पांच साल के बाद हर वकील को एक इम्तहान क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद तय किया जाएगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अल्वी : उनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू किया जाएगा या नहीं? मेरी दृष्टि में अगर यह अमैंडमेंट हुआ तो बहुत बड़ा मजाक होगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री राशिद अल्वी : मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हाई कोर्ट के बहुत सारे रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। यह बात कितनी मुअजका खेज होगी कि उन्हें इम्तहान में बैठाया जाए। मेरा सरकार से मुतालबा है कि पांच साल के बाद रिन्यूवल हो सकता है लेकिन फॉरेन नेशनल एडवोकेट्स को हिन्दुस्तान में प्रैक्टिस की इजाजत नहीं होनी चाहिए चूंकि हिन्दुस्तान के वकीलों को कहीं भी वकालत करने की इजाजत नहीं है। इस तरीके का कोई भी इम्तहान अगर सरकार चाहेगी तो उसकी हिन्दुस्तान में भारी मुखालफत होगी।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिण पूर्वी रेलवे के सम्बलपुर मंडल ने घोर अन्याय किया है। वर्ष 1989 में दक्षिण पूर्वी रेलवे, रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय ने यह कहते हुए आदेश पारित किए थे कि उन सभी लोगों को समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों में भर्ती के लिए विचार किया जाएगा जिनका रेल लाइन के गुजरने से नुकसान हो रहा है। राजगढ़ और कोरापुट के संबंध में उन परिवारों के सदस्यों को रेलवे में समूह 'ग' और समूह 'घ' में नियुक्त करने के लिए 10.11.1989 को विशेष आदेश पारित किया जिनके परिवार परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए थे। वर्ष 1992 में यह परियोजना तालचेर और सम्बलपुर रेल सम्पर्कों तक बढ़ाई गई थी। वर्ष 1995 में श्री जाफर शरीफ, तत्कालीन रेल मंत्री ने यह कहते हुए मुझे लिखा कि, "आपको यह जानकर खुशी होगी कि दक्षिण पूर्वी रेल प्राधिकारियों को अनुदेश दिए गए हैं कि इस सीमा तक अनुदेश के रूप में जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई है उनको रोजगार की सुविधाएं तालचेर-सम्बलपुर परियोजना तक बढ़ाई जाए। अंगुल जिला सम्बलपुर मंडल के अंतर्गत आता है। सम्बलपुर मंडल अँगुल जिले से किसी को भी रोजगार के लिए न बुलाकर उनके साथ धोखा कर रहा है, वे अंगुल जिले के लोगों को भर्ती की सुविधा नहीं दे रहे हैं।

मेरी मांग है कि विगत की तरह रेलवे खुली भर्ती में विस्थापितों का प्रतिशत निर्धारित करे। केवल उनकी मौखिक परीक्षा ली जाती है। मैं रेलवे से कह रहा हूं कि रेल खुली भर्ती में से इनके लिए प्रतिशत रखे ताकि विस्थापितों के बारे में विचार किया जा सके। अन्यथा यह संसद और सरकार के साथ धोखा होगा क्योंकि मंत्री महोदय पहले ही इसके लिए आश्वस्त कर चुके हैं।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश में पॉम ऑयल उत्पादकों से संबंधित अति महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के किसानों को अपनी भूमि पर पॉम ऑयल के वृक्षारोपण के लिए राजसहायता दी। अब उत्पादको की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि पॉम ऑयल का मूल्य, जो पिछले वर्ष लगभग 3000 रुपये प्रति टन था, कम होकर 2,300 रुपये प्रति टन हो गया है।

महोदय, जिन किसानों ने 28,000 हेक्टेयर भूमि में पॉम ऑयल के वृक्ष लगाए हैं, उन्होंने अपनी परेशानियों के विरुद्ध 27 दिसम्बर, 1999 से धरने पर बैठने की धमकी दी है। पिछले वर्ष किसानों को लगभग 3000 रुपये प्रति टन दिए गए थे लेकिन अब उन्हें 2,300 रुपये प्रति टन दिए जा रहे हैं। यह स्थिति आयात रियायत के कारण पैदा हुई है जो पॉम ऑयल आयात हेतु दी गई है। पॉम ऑयल आयात पर शुल्क 65 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके कारण आयातित तेल और राज्यों में पैदा किए गए तेल के बीच सरकार ने कड़ा प्रतिस्पर्धी बाजार बना दिया है।

महोदय, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह किसानों को 3000 रुपये प्रति टन के हिसाब दे जिसके लिए वे मांग कर रहे

हैं। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार बाजार हस्तक्षेप योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार की सहायता से 3000 रुपये और 2300 रुपये के बीच के अंतर को पाट सकती है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह आशा के अनुकूल साबित हो और यह सुनिश्चित करे कि आंध्र प्रदेश में पॉम ऑयल उत्पादकों को 3000 रुपये प्रति टन के हिसाब से दिए जाएं और 27 दिसम्बर, 1999 के प्रस्तावित धरने को टाला जाए। अन्यथा, किसानों ने यहां तक धमकी दी है कि वे 28,000 हेक्टेयर पर लगे पॉम ऑयल के वृक्षों को उखाड़ देंगे क्योंकि यह उनके लिए लाभप्रद और सहायक नहीं है।

सरकार को भविष्य में पूरी तरह पॉम ऑयल के आयात पर निर्भर रहने की बजाय देश में ही पॉम ऑयल उत्पादन में सहायता करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2 बजे म.प. पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.05 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

अपराह्न 2.05 बजे

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जूट उद्योग और एन.जे.एम.सी. में आए संकट से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा कार्यसूची की मद संख्या 14 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेगी।

श्री रूपचंद पाल।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति महोदय, आम सहमति हुए बिना महिला आरक्षण विधेयक नहीं लाया जाएगा, जब तक ऐसा आश्वासन सदन को मंत्री महोदय द्वारा नहीं दिया जाता है तब तक सदन को नहीं चलने दिया जाएगा। *...(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा): सभापति महोदय, अगर बुवाई नहीं हुई, तो गेहूं नहीं होगा और फिर आपको बाहर से आयात करना पड़ेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है गेहूं की बुवाई नहीं हुई है। मैं इस मामले को उठाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इससे पहले कालिंग अटैंशन भी है। पहले उसे होने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, मैं वस्त्र मंत्री महोदय का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले पर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस पर अपना वक्तव्य दें:

> "जूट उद्योग और एन.जे.एम.सी. में आए संकट से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

अपराह्न 2.07 बजे

(इस समय श्री अखिलेश कुमार सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): माननीय सभापति महोदय, जबकि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जूट का उत्पादन निम्नतर है, गत वर्ष के बचे हुए पर्याप्त भंडार के कारण बाजार में कच्चे जूट की कोई कमी नहीं हुई है। किसान इस वर्ष के अधिकांश समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त कर रहे हैं जबकि गत वर्ष की तुलना में जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रु. प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया था तथा वर्ष 1999-2000 के लिए टी.डी.-5 के अन्तर्गत जूट का मूल्य 750 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह बहुत महत्वपूर्ण कालिंग अटेंशन है। पहले इसे समाप्त होने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा : महोदय, जे.सी.आई. ने मूल्य समर्थन कार्य चालू वर्ष के दौरान काफी थोड़ी अवधि के लिए कुछ क्षेत्रों में किया चूंकि कच्चे जूट का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगातार अधिक था।

देश में जूट मिलों को खाद्यान्नों तथा चीनी क्षेत्र की पैकेजिंग आवश्यकता तथा खाद क्षेत्र में आवश्यक स्तर तक जरूरत को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप लोग अपनी सीटों पर जाइए। यह कालिंग अटेंशन एडमिट है। इसके समाप्त होने के बाद आपको सुना जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप लोग अपनी सीटों पर जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): आप नेताओं के चक्कर में हैं। *...(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : गेहूं की बुवाई नहीं हुई है। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप यहां साफ-सुथरे बैठे हैं। आप तो गांव जाते ही नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा : महोदय, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिष्ठापित क्षमता तथा उत्पादन सामर्थ्य है।

मिल क्षेत्र में देश में 73 जूट मिलों में से दो जूट मिल 12 वर्ष से अधिक समय से बन्द पड़ी हैं। बाकी बचे हुए में से 34 मिल रुग्ण हैं तथा औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपी गई हैं तथा चार मिलों को इस देश के बाहर निगमित किया गया है। बन्द पड़े मिलों के अलावा अन्य मिल कार्यरत हैं तथा चालू वर्ष के दौरान उन्होंने जूट सामग्रियों का उत्पादन किया है।

राष्ट्रीय जूट निर्माता निगम लि. के अन्तर्गत छः जूट मिलें हैं जिनके नाम हैं (एक) नेशनल, (दो) अलेक्जेन्ड्रा, (तीन) खारदाह, (चार) किन्नीसन, (पांच) आर.बी.एच.एम., तथा (छ) यूनियन।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, अभी कॉलिंग अटैन्शन हो रहा है। उसे खत्म होने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : गेहूं बोया ही नहीं तो उसकी बात क्यों करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : गेहूं बुवाकर आए हैं। *...(व्यवधान)* आपने तो कब से गांव छोड़ दिया है। क्या आप गांव जाते हैं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर कॉलिंग अटैन्शन हो रहा है।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, मुझे केवल तीस सैकिंड दे दीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में और सदन के बाहर कहा कि जब तक आम सहमति नहीं हो जाएगी तब तक बिल पेश नहीं करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री को इसे स्पष्ट कर देना चाहिए था। इतनी सी बात है। हम चेयर की निन्दा नहीं करते। हिन्दुस्तान की लोक सभा में इस तरह से कभी नहीं हुआ। *...(व्यवधान)* आपको सब नेताओं को बुला लेना चाहिए था। यह क्या है कि आप सदन को बहुमत के बल पर जबरदस्ती चलाएंगे। यह बहुमत का सवाल नहीं है, संविधान संशोधन का सवाल है। यह सौ दो सौ साल के लिए संशोधन हो रहा है। जब संविधान संशोधन होता है तो सभी दलों को विश्वास में लेकर होता है। आपका बहुमत हो सकता है लेकिन देश में आम जनता का बहुमत है। इसलिए मैं चाहता हूं, आप आश्वासन दें कि आपकी क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री जी अपने वायदे से हट गए हैं तो बता दीजिए।

सभापति महोदय : आपके तीस सैकिंड हो गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): मुलायम सिंह जी ने जो मुद्दे उपस्थिति किए हैं, भोजनावकाश में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बात की चर्चा की है। यह सच है कि महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम इसी संसद सत्र में उस बिल को लाना चाहते

हैं। लेकिन उसके साथ-साथ इस पर जितनी ज्यादा से ज्यादा आम सहमति बने, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, उतना ही अच्छा है। आम सहमति सर्वमत तो नहीं हो सकती, कन्सैन्सस और यूनैनीमिटी में थोड़ा अंतर होता है। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि इसे सदन का पूरा समर्थन मिले, सभी वर्गों का समर्थन मिले। विपक्ष के कुछ नेताओं को इसके बारे में कुछ कहना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय किया है कि वे कल प्रातः काल विपक्ष के नेताओं की एक बैठक बुलाएंगे जिसमें इस बिल के संबंध में आम सहमति निर्माण हो। इसलिए वे फिर से एक नई कोशिश कल सुबह करने का प्रयास करेंगे जिसमें लोक सभा के सभी विपक्ष के नेताओं और छोटे ग्रुप्स के नेताओं को भी बुलाया जाएगा और बिल लाने से पहले एक बार फिर आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूं कि इसके साथ मुलायम सिंह जी सदन के काम में सहयोग देंगे।

सभापति महोदय : आप यह खत्म हो जाने के बाद बाद बोलिए। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.13 बजे

(इस समय श्री अखिलेश कुमार सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप कालिंग अटैंशन का नोटिस दे दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : यह काफी गंभीर मामला है। मैं कृषि मंत्री के ध्यान में इसे लाऊंगा।

श्री काशीराम राणा : ये मिलें मुख्यत: रुग्ण मिलें थीं जिन्हें उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्दर अधिगृहीत किया गया था तथा बाद में राष्ट्रीयकृत किया गया। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 के अंतर्गत एन.जे.एम.सी. को रुग्ण घोषित किया गया है। बी.आई.एफ.आर. ने संशोधित परिवर्तित योजना तैयार करने के लिए माननीय औद्योगिक निवेश बैंक के रूप में एक परिचालन एजेन्सी की नियुक्ति की है। सरकार अधिग्रहण करने के समय से एन.जे.एम.सी. को वेतन/मजदूरी में कमी को पूरा करने के लिए वित्तीय समर्थन दे रही है। इसके अतिरिक्त, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत धनराशि भी प्रदान की गई है। वर्ष 1999-2000 के दौरान 50 करोड़ रु. की राशि भी जारी की गई है। एन.जे.एम.सी. औसतन प्रत्येक वर्ष 80,000 टन जूट की वस्तुएं निर्मित करता है जो देश में निर्मित जूट वस्तुओं का लगभग पांच से छह प्रतिशत है। यह सच है कि एन.जे.एम.सी. मिलों को उत्पादन गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा क्योंकि कार्य पूंजी तथा अंतर में कच्चे जूट की कमी थी। इन मिलों में उत्पादन पुन: शुरू करने के लिए आवश्यक पूंजी मिलाकर/ 'बाय बैक' व्यवस्था करके राज्य व्यापार निगम जैसे संगठनों के साथ मिलकर प्रयास किए जा रहे हैं।

अपराह्न 2.16 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

सरकार कच्चे जूट की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, जूट मिलों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देकर, तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में नए तथा विविध उपयोग सहित मूल्य संवर्धित विविध जूट उत्पाद के विकास के संबंध में उपाय कर रही है।

श्री रूपचंद पाल : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य के अंत में परंपरागत उद्योग के पुनरुद्धार के संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम के संबंध में कुछ बड़े वायदे किए हैं।

यद्यपि यह भारत के पूर्वी भाग में ही केन्द्रित है विशेषरूप से पश्चिम बंगाल में, वर्तमान में यह समस्या कच्चे जूट के उत्पादन करने वाले विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अनुभव की जा रही है। समस्या उन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन देने की है जो मुख्यत: छोटे तथा सीमांत किसान हैं।

बी.आई.एफ.आर. को काफी ज्यादा संख्या में जूट मिल पहले ही सौंपे जा चुके हैं। उनमें से एक एन.जे.एम.सी. समूह है जिसकी 6 मिल बी.आई.एफ.आर. को सौंपी गई हैं। इसकी घरेलू आवश्यकता को पूरा करने की ही क्षमता नहीं है वस्त्र निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने की भी सामर्थ्य है। यह बी.आई.एफ.आर. के पास विचाराधीन है। काफी बड़ी संख्या में 'बदली' मजदूर जो वहां सात वर्षों से काम कर रहे हैं उन्हें अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ा है। यह भी कहा जाता है कि सरकार जूट मिलों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे रही है। मैं वक्तव्य के विभिन्न भागों की ओर बाद में आऊंगा। मेरे सहयोगी भी कई प्रश्न पूछेंगे।

भारतीय जूट निगम की क्या भूमिका है जिसका काम किसानों के हितों की रक्षा करना है? क्या इसके पास न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न केन्द्रों से जूट की खरीद के लिए

[श्री रूपचन्द पाल]

पर्याप्त धनराशि थी? नहीं। सरकार का जे.वी.आई. को ओर 30 मार्च, 1998 को 70 करोड़ रु. से अधिक बकाया था। जे.सी.एम.सी. का फाइबर मूल्य तथा इस पर ब्याज के बाद, सरकार का 222 करोड़ रु. बकाया था। एन.जे.एम.सी. के पास सरकार का चालू बकाया लगभग 60.50 करोड़ रु. कच्चे जूट की आपूर्ति का है। सरकार का ऐसी बकाया होने से सरकार ने जो ऐसे निकाय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए स्थापित किए हैं, कैसे चल सकते हैं?

वहां कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है। भारतीय जूट निगम का निम्न पूंजी आधार केवल 5 करोड़ रु. था। टी.डी. 5 आधार जो उस समय 182.50 प्रति क्विंटल था अब 750 प्रति क्विंटल है। पूंजी आधार में वृद्धि की जानी चाहिए। भारतीय जूट निगम के पूंजी आधार में वृद्धि के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। मंत्री के वक्तव्य में यह कहा गया है कि:

> "भारतीय जूट निगम ने मूल्य समर्थन कार्य कुछ क्षेत्रों में तथा काफी कम समय के लिए नियम"

मैं मंत्री महोदय से सभा को यह बताने के लिए कहूंगा कि कितने क्षेत्रों में तथा कितनी अवधि से भारतीय जूट निगम कार्य कर रहा था। क्या यह सच नहीं है कि वे निजी आपरेटरों द्वारा कच्चे जूट किसानों से खरीदवा रहे थे तथा आए हुए किसान अफरातफरी में बिक्री कर रहे थे? उन्हें भारतीय जूट निगम से कभी संरक्षण नहीं मिला यद्यपि भा.जू.नि. की ऐसी मंशा नहीं थी। लेकिन धन की कमी थी तथा आधारभूत ढांचा था, कई वर्षों में कई केन्द्र भी बन्द कर दिए गए थे। निजी ऑपरेटरों को कार्य करने का प्रोत्साहन दिया गया जो किसानों के हितों को संरक्षण प्रदान करने की बजाय उन्हें लूट रहे थे। यह वक्तव्य में शामिल नहीं है। मंत्री को इस सभा में यह स्पष्टीकरण देना है। यह प्रथम है।

द्वितीयत: अनिवार्य पैकेजिंग प्रावधान को लें जो 1987 के अधिनियम में शामिल है। इन वर्षों में लगता है कि यह धोखाधड़ी हो गयी है। इसका पालन से ज्यादा उल्लंघन होता है। पहले उन्होंने सीमेंट के संबंध में ऐसा किया था। उसके बाद, उर्वरक के संबंध में ऐसा हुआ। यह कहा जा रहा है कि वे अब इसे उर्वरक क्षेत्र में आवश्यक स्तर तक करना चाहते हैं। आवश्यक स्तर क्या है? अनिवार्य जूट पैकेजिंग प्रावधान का कभी पालन नहीं होता है। वे अधिक मामलों में वे आदेश का पालन करने की बजाय उसका उल्लंघन कर रहे हैं।

तीसरे हम चीनी के मामले को लेते हैं। शक्तिशाली चीनी लॉबी दबाव डाल रही है तथा वे कह रहे हैं कि अनिवार्य प्रावधान से 20 प्रतिशत को रियायत दी जाये। इस बीच कुछ अफसरशाह जिनकी उनके साथ सांठ-गांठ है, वे अनिवार्य पैकेजिंग प्रावधान से चीनी बाहर निकाल रहे हैं।

आजकल पूरे विश्व में पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग सामग्री ग्रहण करने की नई अवधारणा है। इस पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग की उत्तम सामग्रियों में से एक पटसन रेशा है। अनेक वर्षों से विदेश में हमारा अच्छा बाजार था और साथ ही एक घरेलू बाजार भी अच्छा था। अब हम पाते हैं कि बंगलादेश मूल्य और विभिन्न विविधीकृत उत्पादों के मामले में हमें पीछे छोड़ रहा है, विश्वव्यापी बाजार में भारतीय जूट उत्पाद कम हो रहे हैं जबकि दूसरी ओर वर्षों से सरकार द्वारा आवश्यक जूट पैकेजिंग प्रावधानों को कम किया जा रहा है और वे इस लॉबी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। शक्तिशाली सिंथैटिक लॉबियां और अन्य इस उद्योग को खत्म करना चाहते हैं। यह डूबता हुआ उद्योग नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में प्रचलित हो रही पर्यावरणीय धारणा के इस नए युग में इसे एक उभरता हुआ उद्योग कह सकते हैं।

इसमें महान क्षमता है लेकिन सारी क्षमता को कुछ मुट्ठी भर लोगों द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से बाधित और नष्ट किया जा रहा है और यह सरकार इस उद्योग का समर्थन करने की बजाए उनका समर्थन कर रही है।

यहां आई.जी.आई.आर.ए. नामक एक बहुत अच्छा संगठन है। वे अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं। पहला, उनके अनुसंधानों के परिणाम उन लोगों को उपलब्ध नहीं कराए जाते जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। दूसरे, उच्च स्तर पर नौकरशाह इन संपूर्ण चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं, वे इस संपूर्ण योजना में शामिल लोगों का सम्मान करने की बजाए वे उनको अपमामित करते हैं। उन्हें नौकरियों से निकाला जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। वहां एक निरंकुश प्रबंधन है।

अब ऐसा लगता है कि वे इस संगठन का निजीकरण करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे संकेत मिले हैं कि वहां कुछ लोग हैं जो इसका निजीकरण करना चाहते हैं। पहले जब यह सी.एस.आई.आर. का हिस्सा था तब वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे थे अतंत: जब उसे सी.एस.आई.आर. से अलग किया गया कांग्रेस शासनकाल के साथ-साथ इस सरकार के शासनकाल के दौरान इस उत्कृष्ट संगठन की अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों में धीरे-धीरे गिरावट आई है। वक्तव्य के अंतिम पैरा में एक आश्वासन दिया गया है कि सरकार इस उद्योग को पुनरुज्जीवित करने में लगी है। ऐसा नहीं है। माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण दें कि वे आई.जे.आई.आर.ए.

नामक संगठन को पुनरुज्जीवित करने के लिए अनुसंधान और विकास इकाई में सुधार के लिए समुचित कदम क्यों नहीं उठा रहे। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक ज्ञापन दिया था। आज एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल माननीय मंत्री जी से मिलने आया है। मेरे विचार में माननीय मंत्री जी उस प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे। उस प्रतिनिधिमंडल को पांच बातें कहनी हैं। पहला मुद्दा जे.सी.आई. को धनराशि उपलब्ध कराने से संबंधित है। उनका कहना है कि सरकार को जे.सी.आई. को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना सुनिश्चित कर सकें। दूसरा मुद्दा कार्यचालन पूंजी से संबंधित है। उनका सुझाव है कि इसे 100 करोड़ रु. तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरा मुद्दा जे.सी.आई. की देय भुगतान से संबंधित है। संघ सरकार को जे.सी.आई. की पूरी बकाया राशि तत्काल वापस कर देनी चाहिए। जे.सी.आई. को एन.जे.एम.सी. और अन्य उद्योगों का कच्चे जूट की संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति का कार्य सौंपा जाना चाहिए। निजी आपरेटर लगाकर जे.सी.आई. के क्रय केन्द्रों के निजीकरण को तत्काल रोका जाना चाहिए।

मैं इस मुद्दे के संबंध में अपने कई अन्य साथियों के साथ प्रधानमंत्री से कई बार मिला। सिंथैटिक फाइबर लॉबी के परोक्ष दबाव के कारण, इस उद्योग जिसमें विकास की असीम क्षमता है को विकसित और पनपने नहीं दिया जा रहा। इसके बदले इसे सीमित किया जा रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए नकारात्मक कदमों के कारण हर राज्य में इस उद्योग में गिरावट आ रही है। वर्षों से जूट की खेती में गिरावट क्यों आ रही है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह लाभप्रद नहीं है। लोग जानते हैं कि यदि वे इस नकदी फसल की खेती में शामिल होंगे तो उन्हें धन की हानि होगी। अत: वे अन्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

अत: मेरा सरकार से यह निवेदन है और माननीय मंत्री से अनुरोध है कि उन्हें एक व्यापक कार्य योजना बनानी चाहिए। मैं समझता हूं कि कुछ व्यवसायी निकायों ने कुछ कार्य योजना बनाई हैं जिसमें इस उद्योग की क्षमता का उल्लेख किया गया है। उन्होंने अपना ध्यान उन क्षेत्रों की ओर आकर्षित किया है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे विपणन और विविधीकरण। अनेक सुझाव आए हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को वर्ष 2000 तक अन्तरराष्ट्रीय जूट निकायों को विनियमित करना होगा। हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी ताकि हम अलग-थलग न हों। क्योंकि अनेक प्रतियोगी आ रहे हैं। थाईलैंड, वियतनाम और चीन सशक्त रूप से उभर रहे हैं। हममें से बहुतों ने देखा है कि बंगलादेश में यह उद्योग किस तरह फलफूल रहा है। निसंदेह हमारे लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। परंतु हम विविधीकरण के लिए इसका उचित उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं।

मैं एक या दो और मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा। एक लगान जूट मशीनरी के बारे में है।

उनका न केवल हमारे देश में बल्कि विदेश में भी अच्छा बाजार है। मेरे विचार में डा. सेनगुप्ता इसे अच्छी तरह जानते हैं। यह एक अच्छा बाजार है लेकिन उचित समन्वय, सहयोग और केन्द्र सरकार द्वारा सहायता के अभाव के कारण वे आगे नहीं बढ़ सकते और न ही कार्य कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में उन्हें गंभीर असुविधा में डाला जा रहा है। मेरा अनुरोध यह है कि आई.जे.आई.आर.ए. नामक अनुसंधान संगठन को उचित संरक्षण दिया जाए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वैज्ञानिक अपमानित महसूस न करें। जो निरंकुश कदम उठाए गए हैं उन्हें वापिस लिया जाए। उन्होंने कई बार माननीय मंत्री से मिलने का प्रयत्न किया। मैं उनमें से कुछ को माननीय मंत्री से मिलाने के लिए ले जा सकता हूं ताकि मंत्री जी उनकी बात सुन सकें। सरकार सदन को जे.सी.आई. और एन.जे.एम.सी. के बारे में आश्वस्त करे। सरकार सभा को न केवल वेतन से वंचित श्रमिकों के बारे में बल्कि पैकेजिंग के बारे में भी आश्वस्त करे। वे चीनी पर 20 प्रतिशत छूट की मांग कर रहे हैं। कुछ ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ हम पहले ही प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं। अंत में, महान क्षमता वाले उद्योग के इस क्षेत्र में समग्र विकास के लिए सरकार को व्यापक नीति बनानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सभापति जी, पटसन उद्योग में संकट आज से नहीं है। यह संकट कई वर्षों से चल रहा है। जब देश आजाद हुआ और बंटवारा हुआ तथा खास तौर पर जब बंगाल का बंटवारा हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान बना। जहां पटसन का उत्पादन होता था वह बंगलादेश में चला गया। पश्चिम बंगाल के पास केवल पटसन उद्योग ही रह गए। उस समय देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पश्चिम बंगाल के 80-90 परसैंट किसान जो पटसन का उत्पादन करते थे, उनको आश्वासन दिया था कि अगर वे पटसन का उत्पादन करेंगे, तो उन्हें उसके भाव मिलेंगे। उस समय किसानों ने उसका उत्पादन शुरू किया और हम इस मामले में आत्मनिर्भर हो गए। उस समय जो वायदा किया गया, वह पूरा नहीं किया। यह संकट कई सालों से चल रहा है। इसका मूल कारण भारत सरकार की नीति है। मैंडेटरी जूट पैकेजिंग का एक कानून बना। सबने इसका समर्थन किया लेकिन इस कानून का उल्लंघन हो रहा है।

अधिनियम का पालन करने की बजाए इसका उल्लंघन अधिक हो रहा है।

[श्री बसुदेव आचार्य]

इसका उल्लंघन हो रहा है। एक के बाद एक जूट पैकेज व्यवहार नहीं कर रहे हैं। चीनी भी नहीं कर रही है, उर्वरक भी नहीं कर रहे हैं, तो मार्केट कहां होगा। हमारा डोमैस्टिक मार्केट धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और बंगलादेश का पटसन प्रोडक्ट्स हमारे देश में आ रहा है। इसका मूल कारण यह है कि बंगलादेश का जो जूट प्रोडक्ट्स है, वह हमारे देश से सस्ता हो गया है। क्यों सस्ता हुआ? चूंकि हमारे पटसन उद्योग के लिए कोई सब्सिडी नहीं है और बजटरी सपोर्ट भी धीरे-धीरे घटती जा रही है। जबकि बंगलादेश सब्सिडी दे रहा है और उसके कारण उनका उत्पादन खर्च उससे भी कम भाव में हमारे देश में भेजा जा रहा है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारे देश के जूट के कारखाने एक के बाद बंद हो रहे हैं। किसान जो आज पटसन का उत्पादन करता था, वह धीरे-धीरे घट रहा है। जहां 1995-96 में 1430.4 टन उत्पादन था ...*(व्यवधान)* वह घटकर 1219.2 टन रह गया है। 1990-91 में 1387.5 टन था वह भी घट गया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल, जिसे अभी हम लोगों ने नया नाम 'बंग' दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अभी हुआ नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : हो जायेगा। लेकिन हम लोग बोलने का अभ्यास कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : बहस चल रही है।

श्री बसुदेव आचार्य : हां, बहस चल रही है। लेकिन इसका आपने भी समर्थन किया है। आप भी चाहते हैं कि नाम परिवर्तन हो। हम लोग सबसे पीछे हैं, हम आगे उठना चाहते हैं। बंग का किसान पटसन का जो उत्पादन करता था, वह आजकल धीरे-धीरे घट रहा है, क्योंकि उसे भाव नहीं मिल रहा है। मंत्री जी ने जो बताया कि भारतीय पटसन निगम ने चालू वर्ष के दौरान बहुत कम अवधि के लिए कुछ क्षेत्रों में कीमत समर्थन अभियान चलाया, क्योंकि कच्चे पटसन की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकांश ऊपर चल रही हैं तो क्यों आज पटसन के उत्पादन में धीरे-धीरे कमी हो रही है। एक तरफ हमारा पटसन उद्योग बंद हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं है और दूसरी तरफ जो किसान पटसन का उत्पादन करते थे, उसके लिए बाजार नहीं है, बिक्री नहीं हो रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं मिल रही है और उत्पादन धीरे-धीरे कम हो रहा है। अगर ऐसा ही चलेगा तो जो संकट शुरू हुआ है, यह बहुत बड़ा संकट हो जायेगा। इसीलिए सरकार को इस बारे में कदम उठाना चाहिए। हाउस में इस पर एक बार नहीं अनेकों बार चर्चा हुई, चर्चा हो रही है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हाउस में आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आश्वासन के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है।

सभापति महोदय, आज जिस कारण से यह संकट पैदा हो रहा है, खास कर के हमारे पश्चिम बंगाल का जो यह एक महत्वपूर्ण पटसन उद्योग है जिसमें 70 प्रतिशत मजदूर सभापति जी आपके प्रान्त बिहार से हैं। इसलिए आपको भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): आपने बिहार के पूर्णिया और कटिहार का नाम तो लिया ही नहीं। वहां भी तो पटसन पैदा होता है और उद्योग है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : राजो सिंह जी, हम वहां गए थे। हमने उसको विजिट किया है। जब हम कोपू के चेयरमैन थे तब हमने एन.जे.एम.सी. की जो यूनिट हैं, उसके लिए रिक्मेंडेशन भी की थी, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। आप अपनी बात पर आइए।

श्री बसुदेव आचार्य : अन्त में सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बयान में जो कहा है:-

> "सरकार उत्पादकता और अपरिष्कृत पटसन की गुणवत्ता में सुधार, पटसन मिलों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने तथा फाइबर के नए एवं विविधीकृत प्रयोगों के संवर्द्धन हेतु विकेन्द्रीकृत क्षेत्र सहित मूल्यवर्द्धित पटसन उत्पादों के विकास के उद्देश्य से भी उपाय कर रही है।"

मंत्री जी इस हाउस को बताएं कि सरकार क्या उपाय कर रही है? एक जनरल टर्म में बोल दिया कि हम उपाय कर रहे हैं। क्या उपाय कर रहे हैं, यह नहीं बताया। माडर्नाइजेशन के लिए कितने पैसे दे रहे हैं, कितना फंड एवेलेबल है? जितनी पुरानी जूट इंडस्ट्रीज हैं, खास कर के एन.जे.एम.सी. के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि पुरानी बारन जूट मिल हैं जिसको हमने 1995-96 में अलग किया, वह बन्द थी, उसको चालू किया। उसमें अच्छा प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसके लिए जो मशीन लाई गई है वह अभी तक चालू नहीं हुई है। इस बारे में हम लोगों ने बार-बार सरकार से बोला, मंत्री जी से भेंट की, लेकिन वह मशीन चालू नहीं हुई है। जब तक आधुनिकीकरण नहीं होगा तब तक उद्योग नहीं चल पाएगा और आधुनिकीकरण के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा है बल्कि धीरे-धीरे बजटरी सपोर्ट कम होता जा रहा है। पहले जो बजटरी सपोर्ट 32 फीसदी था वह घटते-घटते 13 फीसदी पर आ गया है। सरकार कह रही है कि जूट उद्योग के विकास के लिए वह उपाय कर रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उपाय कर रही है? उपाय ढूंढेंगे, पैसा देंगे तभी तो यह उद्योग बचेगा। माडर्नाइजेशन और डाइवर्सीफिकेशन के लिए

फंड उपलब्ध कराएंगे, तभी तो ये मिलें चलेंगी। एन.जे.एम.सी. की 6 मिले हैं। उनके बारे में जब जालप्पा जी कपड़ा मंत्री थे, तब 1994 में एग्रीमेंट हुआ, फिर 1996 में एग्रीमेंट हुआ। बैठकर बात हुई। एक रिवाइवल पैकेज दिया और सब यूनियनों ने उससे एग्री भी किया। जो मजदूर काम कर रहे हैं उनमें रिडक्शन होगा और तमाम मिलों की गुणवत्ता और उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए उनका मार्डनाइजेशन करने के लिए जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको हटाकर नई मशीनरी लाएंगे, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। हमारा प्रश्न है कि आप क्या ठोस उपाय ढूंढ़ रहे हैं और कब से ढूंढ़ रहे हैं तथा कब आप उनका माडर्नाईजेशन करना चाहते हैं?

आप एन.जे.एम.सी. को रिवाइव करने के लिए क्या करना चाहते हैं? एन.जे.एम.सी. सहित तमाम जो जूट इंडस्ट्री है, जो कि बंगाल की महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, उसको बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? जे.सी.आई., एन.जे.एम.सी. को रॉ जूट और पटसन देती है। उसका भी पैसा एन.जे.एम.सी. को मिलेगा। जे.सी.आई. का भी बहुत सारा पैसा बाकी है। मैं कहना चाहता हूं कि जे.सी.आई. को स्ट्रेन्दन बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और हमारे किसान को उसका उचित मूल्य मिले, इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है? हमारी इंडस्ट्री एन.जे.एम.सी. को रिवाइव करने के लिए जो प्रोपजल 1996-97 में था, उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अगर नया पैकेज बना रहे हैं तो ठीक है। इसके ऊपर कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे चलने वाला नहीं हैं। ऐसे चलने से एक समय उसकी नेचुरल डेथ हो जायेगी। अगर सरकार मार्डनाइजेशन के लिए खर्चा न करे और इस मिल को चलाने के लिए कोई ठोस उपाय न करे, तो एक दिन ऐसा आयेगा जब इसकी स्वाभाविक मृत्यु हो जायेगी। क्या सरकार चाहती है कि इस मिल की नेचुरल डेथ हो जाये, बंद हो जाये? जैसे दूसरे पब्लिक सैक्टर को आप बेच रहे हैं, नहीं तो बंद कर रहे हैं, उसी तरह इसके बारे में आपकी क्या राय है इसको रिवाइव करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, क्या ठोस कदम उठाना चाहते हैं, ये सब बातें आज इस हाउस में बतायें। खाली चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। इसके साथ मैनडेटरी जूट पैकेजिंग के कानून का जो उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इसको भी बतायें।

सभापति महोदय : आपके बहुत सारे सवाल हो गये हैं इसलिए अब आप समाप्त करिये।

श्री बसुदेव आचार्य : अभी एक-दो सवाल और हैं। बिहार की भी जूट इंडस्ट्री है। अभी राजो सिंह जी बोल रहे थे कि हम बिहार की बात ही नहीं बोल रहे हैं। हम तो बिहार के बगल में हैं। हम तो एक समय बिहार में ही थे। पुरुलिया जिला ...*(व्यवधान)* मानमू जिला बिहार का ही तो अंश था। उसे काटकर हम बंगाल में गये। क्या हम बिहार को भूल जायेंगे? रोज तो बिहार आना-जाना होता है। ...*(व्यवधान)* पुरुलिया बिहार में नहीं जायेगा, बंगाल में ही रहेगा। हम कटिहार खुद गये थे। कोपू के चेयरमैन ने हमें बोला कि वहां हमने कभी विजिट नहीं किया। हम खुद कटिहार देखकर आये हैं और कुछ सुझाव भी रखे हैं। उस समय हमने स्टडी भी की थी। कोपू की एक रिपोर्ट इसको रिवाइव करने के संबंध में भी है।

सभापति महोदय : आपने प्रश्न पूछ लिया इसलिए अब आप समाप्त करिये।

श्री बसुदेव आचार्य : उड़ीसा में भी जूट इंडस्ट्री है लेकिन वह कम है, 80 फीसदी बंगाल में है। इसलिए हम बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं। कभी-कभी बिहार का भी हम जिक्र करते हैं। ...*(व्यवधान)* जूट ग्रोवर्स को अच्छा प्राइस मिले, उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? आपका जो जे.सी.आई. है, उसको स्ट्रेन्दन करने के लिए भी आप क्या करने जा रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि जूट की पूरी खरीददारी के लिए जे.सी.आई. माध्यम हो। जैसे कॉटन कार्पोरेशन हो, उसी मुताबिक जूट कार्पोरेशन को, जे.सी.आई. को मजबूत करना चाहिए, इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है? हमारी जो मांग है कि एन.जे.एम.सी. सहित पश्चिम बंगाल में तमाम जो जूट इंडस्ट्रीज हैं, उनको सरवाइव और रिवाइव करने के बारे में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, इस बारे में भी बतायें।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान देश के सबसे पुराने उद्योग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पटसन उद्योग इस देश में सभी उद्योगों की जननी है। इस उद्योग से धनराशि प्राप्त करने के पश्चात् अपराधी पटसन मिल मालिकों ने पूर्वी क्षेत्र से धनराशि को अवैध रूप से देश के अन्य भागों में अंतरित कर दिया है।

वर्ष 1947 में हमारे यहां पटसन की 103 मिले थीं। अब मंत्री जी कहते हैं कि केवल 73 मिलें हैं और उनमें से 34 मिलें बन्द हैं, केवल 34 मिलें कार्यरत हैं। यह सरकार की विश्वसनीयता है, चाहे सदस्य पक्ष में अथवा विपक्ष में बैठे हैं। 3,50,000 श्रमिक थे। अब केवल 1,50,000 श्रमिक हैं। यह स्थिति है। इससे उन लोगों, जो दिल्ली में शासन कर रहे हैं, द्वारा पूर्वी क्षेत्र की घोर उपेक्षा किये जाने का पता चलता है। उनका दृष्टिकोण देश के पूर्वी भाग के कृषकों और पटसन मिल श्रमिकों के साथ भेदभाव करना और उन्हें नष्ट करना है। धीरे-धीरे योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने पूर्वी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बरबाद कर दिया है और पटसन

[श्री हन्नान मोल्लाह]

उद्योग पिछले 50 वर्षों से षड्यंत्र का एक शिकार रहा है और अभी भी यही स्थिति बनी हुई है। यह मेरा पहला आरोप है।

दूसरे, मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है। इसमें कुछ रियायतों के अलावा कुछ नहीं कहा गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह एक बहुत पुराना और बड़ा उद्योग है जिस पर लाखों लोग निर्भर हैं और सरकार का यह दृष्टिकोण है। पिछले 100 वर्षों से यह उद्योग विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है और उस धनराशि का उपयोग इस देश के विकास के लिए किया गया है। लेकिन इस उद्योग का कभी भी आधुनिकीकरण नहीं किया गया। स्वर्गीय राजीव गांधी की सरकार के दौरान योजना बनाई गई थी कि पटसन विकास कोष बनाया जायेगा लेकिन उस धनराशि का भी उपयोग नहीं किया गया और उसे अवैध रूप से अन्यत्र अंतरित कर दिया गया। हम गोलमोल बात करना नहीं चाहते, हम ठोस योजना चाहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि वे पटसन उत्पादकों से क्या कराना चाहते हैं, जे.सी.आई., पटसन उद्योग, निजी पटसन उद्योग, विविधीकरण और एन.जे.एम.सी. मिलों के लिए उनकी क्या ठोस योजना है। हम इन सभी बातों के बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पांच पटसन मिले हैं और उनमें से दो मिलें बन्द हैं। ये सभी पटसन मिलें संकट में हैं, कनोरिया पटसन मिल नामक एक मिल बन्द है और यह मिल बी.आई.एम.आर. के पास हैं। वे इस पर खेद प्रकट कर रहे हैं। बी.आई.एफ.आर. उद्योग को बरबाद करने का तंत्र है, यह उद्योग की सहायता करने के लिए नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय हमें स्पष्ट रूप से यह बतायें कि सरकार मौजूदा निजी पटसन मिलों, जिन्हें कच्चे माल, मशीनरी और अन्य चीजों की कमी के कारण परेशानी हो रही है, की सहायता और विकास कैसे करेगी।

मंत्री महोदय हमें यह भी स्पष्ट रूप से बतायें कि वे एन.जे.एम.सी. मिलों को आधुनिकीकरण की योजना और स्कीमों के क्रियान्वयन में विलंब को कब दूर करेंगे, कि वे एन.जे.एम.सी. मिलों में गैर-किफायती उत्पादन मिश्रण को कब समाप्त करेंगे, और वे एन.जे.एम.सी. मिलों को कार्यशील पूंजी कैसे उपलब्ध करायेंगे। कच्चे पटसन की आपूर्ति न करना, एन.जे.एम.सी. मिलों को बरबाद करने का दूसरा षड्यंत्र है। जे.सी.आई. का चेयरमैन और एन.जे.एम.सी. का चेयरमैन एक ही व्यक्ति है। जे.सी.आई. का कार्य पटसन की खरीद करने और इसे मिलों को सप्लाई करना है। यद्यपि वे पटसन खरीद रहे हैं लेकिन वे इसकी आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। इस तरह, एक सुनियोजित तरीके से वे इस उद्योग को बरबाद कर रहे हैं। उनकी सिंथेटिक उद्योग से सांठ-गांठ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें यह बतायें कि वे अनिवार्य पटसन पैकेजिंग अधिनियम (कम्पलसरी जूट पैकेजिंग एक्ट) को कड़ाई से कब लागू करेंगे और क्या चीनी, यूरिया और उर्वरकों के लिए पर्यावरणीय अनुकूल पटसन थैलों का उपयोग किया जायेगा। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इसके लिए कोई ठोस योजना है।

जहां तक जे.सी.आई. का संबंध है, वे जे.सी.आई. दुकानों को बन्द कर रहे हैं। मेरे जिले में भी कुछ जे.सी.आई. क्रय केन्द्र हैं लेकिन वे उन्हें बन्द कर रहे हैं।

जे.सी.आई. के चेयरमैन ने एक टिप्पण में यह कहा है कि जे.सी.आई. को गोदाम किराये पर लेने के भार से मुक्त किया जायेगा, जे.सी.आई. थोड़े से लोगों से ही लाभकारी ढंग से कार्य संचालन कर सकता है और अत्यधिक कारोबार कर सकता है; कम्प्यूटरीकरण से परियोजना को और अधिक सहायता मिल सकती है; जे.सी.आई. की अधिक जनशक्ति को अन्य क्रियाकलाप करने के लिए समुचित रूप से उपयोग किया जा सकता है तथा जे.सी.आई. समुचित समय पर कार्यबल को युक्तियुक्त बना सकता है।

महोदय, वे जे.सी.आई. केन्द्रों को बन्द कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जे.सी.आई. को बन्द न किया जाये, इसे पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाये और इसे मजबूत बनाया जाये।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं पिछले एक माह से संघर्ष कर रहा हूं कि सभा में इस मामले पर चर्चा की जाये। मुझे खुशी है कि अब यह मामला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में उठाया गया है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री के समक्ष कुछ मामले प्रस्तुत करना चाहता हूं। सिंथेटिक लॉबी ने सम्पूर्ण देश में सम्पूर्ण पटसन और पटसन से सम्बद्ध उद्योग को नष्ट करने के लिए जानबूझकर प्रयास किया है और षड्यंत्र रचा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के निर्धनतम लोग हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के समय से ही बंगाल की पटसन अर्थव्यवस्था पर जीवन बिता रहे हैं। जब मैं हावड़ा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था तो मैंने एक सर्वेक्षण किया और मैंने यह देखा कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग तथा निर्धनतम मुसलमान ही हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के समय से पटसन उद्योग में लगे हैं। ग्रामीण मनीआर्डर आने की प्रतीक्षा करते हैं और फिर बच्चों को रोटी प्राप्त होती है। हमारे राष्ट्रीय संघर्ष

के समय से यह बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच लिंकेज है। ...(व्यवधान) मुझे खेद है कि मैं उड़ीसा के बारे में भूल गया।

मैं इस मामले को यहां उठाना चाहता हूं। पूरे देश में उत्तम गुणवत्ता के पटसन का उत्पादन उत्तरी बंगाल में किया जाता है। वर्गीकृत पटसन—रायगंज बॉटम मेरे निर्वाचन क्षेत्र से आता है। टीडी-5 गुणवत्ता वाला उत्तरी दीनाजपुर से आता है।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में इसके बारे में उल्लेख किया है। मुझे यह पढ़कर आश्चर्य हुआ है। मैंने भी काफी लम्बे समय तक उस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। आपको यह जानकारी कौन दे रहा है? क्या वे खेत में जाते हैं। उन्होंने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ऑपरेशन के अन्तर्गत प्रति क्विंटल 100 रु. की वृद्धि के बावजूद टीडी-5 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 750 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मुझे इस वक्तव्य से वास्तव में विस्मय हुआ है। पिछले सप्ताह ही मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया था। लोगों के लिए 700 रु. प्रति क्विंटल प्राप्त करना भी मुश्किल है। मेरी मांग है कि आप उन अधिकारियों, जिन्होंने आपको यह जानकारी दी है, के खिलाफ कार्यवाही करें। आप अपने दल को समसी, तुलसीहाता, दुर्गापुर, ढनकोल, कूचबिहार, माइनागुडी, औरंगाबाद, पूर्णिया, किशनगंज तथा शान्तिपुर का निरीक्षण करने भेजे। इन सभी केन्द्रों पर, जहां से जूट उत्पादक आते हैं, ग्रामीण लोग 700 रु. प्रति क्विंटल प्राप्त करने के लिए चिल्ला रहे हैं। आप दूसरी राशि को भूल जायें।

मुझे याद है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के दिनों में 1,400 रु. प्रति क्विंटल अधिकतम मूल्य दिया गया था।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। कॉटन का मसला हो, ठीक है हम किसी अंचल को, प्रांत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते।

[अनुवाद]

मैं महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूं। इन राज्यों को अपने किसानों के लिए अच्छे से अच्छा मूल्य प्राप्त करने का अधिकार है। जब देश के पूर्व भाग की बात होती है तो यह भारत सरकार द्वारा जान बूझकर की गई उपेक्षा है ऐसा क्यों है? उड़ीसा, बिहार तथा बंगाल के लोग ऐसा क्यों भुगतें? जूट वहां की प्रमुख फसल है। यदि जूट देश से हटा लिया जाये, मैं कहता हूं कि देश चरमरा उठेगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपको निर्देश दिया कि खाद्य वस्तुएं सिंथेटिक बैग में पैक नहीं की जानी चाहिए। अत: जूट की मांग होनी चाहिए। लेकिन हम सिंथेटिक लाबी के साथ षड्यंत्र के हिस्सेदार हैं।

अतएव, मैं माननीय मंत्री जी से यह देखने के लिए कहूंगा। मैं उनकी एन.जे.एम.सी. के प्रति चिंता के लिए धन्यवाद अर्पित करता हूं। मजदूरों ने हावड़ा से आज सुबह मुझे टेलीफोन किया है। उन्होंने बताया कि आपकी पांच करोड़ रु. की राशि इस समय उनकी मजदूरी के लिए है।

● मैं श्री रूपचंद पाल तथा श्री बसुदेव आचार्य द्वारा कही गई बात का पूरे तौर पर समर्थन करता हूं। हम मानवाधिकार की बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

बिहार, यू.पी. के गांवों में ऐसे आदमी हैं, जिनकी उम्र 60 बरस हो गई है, 70 बरस तक के हो गए हैं, बचपन से लेकर आज भी वे बदली में काम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से उनको नियमित करने की, उनकी देखभाल करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

अपराह्न 3.00 बजे

[अनुवाद]

यह काफी गंभीर मामला है और मैं मंत्री जी से सहयोग करना चाहता हूं क्योंकि नौकरशाही सही तस्वीर पेश नहीं करके मंत्री को गलत ठहरा रहे हैं। जैसा कि हाल ही में सर्वदलीय शिष्टमंडल द्वारा कहा गया, क्या मंत्री भारतीय जूट निगम की कार्यपूंजी बढ़ाकर 100 करोड़ रु. करेंगे, तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय जूट निगम प्रत्येक गुंज तथा हाट में जायेगी, अपनी समर्थन योजना पर कार्य करेगी जैसा कि मैंने उल्लेख किया है किसानों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कच्चा जूट खरीदेगी तथा एन.जे.एम.सी. को आपूर्ति करेगी? मेरा माननीय मंत्री से दूसरा प्रश्न है कि यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा न सही परन्तु क्या सरकार एन.जे.एम.सी. के सभी अधिकारियों के खिलाफ जो विगत दिनों कार्यालय में रहे हैं एक उच्चस्तरीय जांच समिति स्थापित करने के लिए तैयार है जो यह पता लगा सके कि बाजार के निजी ऑपरेटरों के साथ मिलकर उन्होंने कैसे लूट की है? एन.जे.एम.सी. के सभी भूतपूर्व अधिकारियों के पास घर तथा सम्पत्ति है। उन्होंने इस सरकारी निगम को लूटा है तथा कुछ मामलों में श्रमिकों को उनकी भविष्य निधि से वंचित किया है। अन्य लोगों के साथ मिलकर वे इसे और रुग्ण करना चाहते हैं ताकि निजी भवन निर्माताओं को भूमि

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

तथा अन्य सम्पत्ति बेची जा सके। एन.जे.एम.सी. में यही काम कुछ दिनों से चल रहा है।

कौन कहता है कि एन.जे.एम.सी. रुग्ण है? भारत में जहां भी जरूरत हो एन.जे.एम.सी. जूट की आपूर्ति करके अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकती है। आपने पहले ही कारपेट-बैग इकाई को छोड़ दिया है तथा अब केवल रुग्ण इकाई ही चल रही है। मैं नहीं जानता कि क्या मंत्री बी-टिव्ल बैग के बारे में परिचित हैं या नहीं। जब मैं मंत्रालय में था, तब मैंने अतिरिक्त मूल्य देकर बी-टिव्ल इकाई को संरक्षण प्रदान किया। मुझे याद नहीं है, परन्तु मेरे विचार से, हमने 50 या 100 करोड़ रु. खर्च किए थे तथा समूचे बंगाल का जूट उद्योग इससे लाभान्वित हुआ था। अब जैसा कि मुझे बताया गया, उस नीति में परिवर्तिन किया जा रहा है।

क्या मंत्री महोदय विशेषज्ञों, कृषि मूल्य आयोग के सदस्यों तथा संबद्ध संसद सदस्यों की तुरंत बैठक बुलाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पादकों को कितना वास्तविक समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। अब दिया जा रहा समर्थन मूल्य काफी कम है। जब इन्दिरा जी के समय के दौरान यह 1400 रु. था तथा राजीव जी के समय में 1200 रु. थी, जूट का मूल्य क्यों नीचे जा रहा है, वह भी तब जबकि अन्य वस्तुओं के मूल्य ऊपर चले गए हैं? इसके क्या कारण हैं? जूट के किसानों को संरक्षण प्रदान करने के लिए तुरंत जांच की जानी चाहिए। अंत में क्या आप सभा पटल पर आज आश्वासन देंगे कि कोई भी एन.जे.एम.सी. इकाई कठिनाई में नहीं पड़ेगी। मैं बी.आई.एफ.आर. पर कोई टिप्पणी नहीं कहना चाहता हूं। यह अच्छा होगा यदि सरकार इसे बन्द कर दें। वे बैंच पर अर्द्ध-न्यायिक निकाय की तरह बैठते हैं तथा नापाक इरादों से यह देखते हैं कि कौन मिल खरीदेगा। बी.आई.एफ.आर. को रुग्ण घोषित कर देना चाहिए तथा इसे बन्द कर दिया जाना चाहिए। एन.जे.एम.सी. के संबंध में मैं जानता हूं कि दो पैकेज प्रस्तावित थे, लेकिन आपने उसका समर्थन नहीं किया जिसके कारण ये मिलें रुग्ण हो गईं।

अपराह्न 3.04 बजे

[**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** *पीठासीन हुईं।*]

अंत में, मैं माननीय मंत्री से केवल एक बात कहूंगा कि वे पश्चिम बंगाल सरकार तथा सभी मजदूर यूनियनों को विश्वास में ले तथा जूट के रेशे के संबंध में, जिसे हम सुनहरा रेशा कहा करते थे आश्वासन दें कि सरकार असम, उड़ीसा, बंगाल तथा बिहार के भाग सहित पूर्व भारत की जूट अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक नई नीति लायेगी। सरकार को यह भी पता लगाने के लिए जांच करवानी चाहिए कि एन.जे.एम.सी. को किस प्रकार लूटा गया। कई लेखा परीक्षा रिपोर्ट ने इसका उल्लेख किया है, लेकिन आपने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री बसुदेव आचार्य : एक संसदीय समिति स्थापित की जानी चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह भी एक अच्छी चीज है तथा मैं श्री बसुदेव आचार्य का समर्थन करूंगा यदि वे इससे सहमत हों। अब समय आ गया है कि आप जूट उत्पादकों को यह संदेश दें।

क्या आप एक चीज जानते हैं? मेरे क्षेत्र के जूट उत्पादकों ने मुझे कहा, ''राष्ट्रीय संभाग के दिनों में राष्ट्रीय नेताओं के कहने पर, उत्पादकों ने धान के खेत में नील की खेती बन्द करने के लिए अपनी अंगुलियां तक काट डाली थी। यदि हमारा कष्ट कम न हुआ, तो हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई परिवहन गतिविधि नहीं चलने देंगे, हम रेलगाड़ियां नहीं चलने देंगे क्योकि हम अचानक धान की खेती से किसी अन्य फसल की खेती परिवर्तित नहीं कर सकते हैं।''

अतएव सरकार को जूट उत्पादकों को जूट श्रमिकों तथा जूट उद्योग को मिलाकर संरक्षण प्रदान करने के लिए नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मेरा यह दृढ़ विचार है कि सरकार को उन्हें हर्गिज नहीं सुनना चाहिए जो सिंथेटिक धागों की लॉबी कर रहे हैं। वे कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। मैं उसके बारे में नहीं सोचता। लेकिन यदि आप जूट मिलों के मूल्य पर सिंथेटिक लॉबी को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब जूट उत्पादक सब कुछ जला डालेंगे तथा यह स्थिति, विशेष रूप से पूर्व भारत में अनियंत्रण योग्य हो जायेगी।

महोदय, इन कुछ शब्दों के साथ मैं सरकार से एन.जे.एम.सी. को संरक्षण प्रदान करने, भारतीय जूट निगम को पुनर्जीवित करने, जूट उत्पादकों को और ज्यादा समर्थन मूल्य देने और नए केन्द्र खोलने, एन.जे.एम.सी. में कुप्रबंध के संबंध में जांच करवाने का आग्रह करूंगा।

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): मैडम, मैं चटकल में मजदूरों के साथ और इस इंडस्ट्री के साथ 36 साल से जुड़े हुए अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं। मैंने 36 साल इन मजदूरों के साथ बिताए। मेरा तजुर्बा थोड़ा दूसरे किस्म का है। यहां माडर्नाइजेशन, डायवर्सीफिकेशन वगैरह-वगैरह सारी बातें कही जा

रही हैं। वह लाँग-टर्म प्रोग्राम है। वह कम इकोनोमि के लिए वायबल होगा, कब क्या होगा और कौन कब उसे इस्तेमाल कर सकेगा - यह दूर की बात है। मोटे तौर पर जो बोरे से लेकर हैंड बैग तक का पैकेजिंग मेटिरियल है, उसमें 90 प्रतिशत का जूट इस्तेमाल होता है और आगे भी होगा। आज दुनिया में पैकेजिंग मेटिरियल में सिंथेटिक का बैनिंग आर्डर आ रहा है, पैकेजिंग मेटीरियल में सिंथेटिक का इस्तेमाल बैन होना चाहिए, यह दुनिया की पुकार है। तजुर्बे की बात है कि हमारे देश में हमारी सरकार ने मेंडेटरी जूट पैकेजिंग आर्डर, जो एक बहुत सीमित आर्डर है, को जानबूझ कर डायल्यूट किया। हम लोगों ने बहुत डेपुटेशन दिया, बातचीत की, हाउस में भी इसे उठाया, इस पर बहुत हल्ला हुआ, सैक्रेट्री से तथा दूसरों से भी बात की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। जिन लोगों ने यह काम किया, ये लोग पर्यावरण का कोई समारोह होगा तो वहां जाकर लम्बा-चौड़ा भाषण देंगे। अगर सिंथेटिक वाले लोग पर्यावरण के बारे में भाषण देते हैं तो लगता है कि हमारे देश में सब लोगों को ये बुद्दू समझते हैं।

आज मेरा सवाल यह है कि क्या आप विचार कर रहे हैं कि हमारे देश में भी पैकेजिंग मेटिरियल में फोरेन सिंथटिक के बैन को लागू करने की कोई चर्चा या किसी सवाल का सरकार में विचार कर रहे हैं, यह मेरा सवाल कपड़ा मंत्री जी से है। मैं पर्यावरण मंत्री और प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहता हूं।

कुछ भी हो लेकिन पर्यावरण के बारे में सब बात करते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सवाल पूछिए।

श्री तरित बरण तोपदार : मैंने एक बुनियादी सवाल कर दिया। क्या आपके चिंतन में यह बात है—

[अनुवाद]

मैं इस उद्योग के लिए भीख नहीं मांग रहा हूं। इस उत्पाद को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। इसको किसी न किसी प्रकार से प्रोत्साहन मिल जायेगा लेकिन कोई इस उत्पाद को नष्ट नहीं कर सकता है। यह बड़े पैमाने पर उभरकर सामने आयेगा। लेकिन उद्योग का यह संगठित तथा अन्य चीजों में गिरावट आएगी तथा कुछ समय के लिए सिंथेटिक लाबी समूचे बाजार पर कब्जा कर लेगी तथा बाजार से आश्चर्यजनक ढंग से धन एकत्रित कर लेगी। इससे पीछे यही षड्यंत्र है।

[हिन्दी]

मैं पूछना चाहता हूं कि मैंडेटरी जूट पैकेजिंग ऑर्डर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, उसे यहां क्यों डायल्यूट किया गया? क्या आप आज या आने वाले समय में इसके ऊपर विचार करने वाले हैं? एन.जे.एम.सी. को 1992 में त्रिपक्षीय कमेटी बनी थी। मैं उसका सदस्य था। सारे मामले की छानबीन हुई और विचार हुआ। उसमें एक हजार या 1200 करोड़ रुपए की बात हुई थी। वह पैसा अभी तक नहीं दिया गया। अगर चलाने का तरीका ठीक होता तो इतने करोड़ रुपए की जरूरत नहीं पड़ती।

[अनुवाद]

आप उत्पादन करते रहें और उसके बाद आपको भुगतान किया जाएगा। लेकिन उत्पादन जारी रखने के लिए आपको कार्यपूंजी की जरूरत पड़ेगी। कार्यपूंजी की आपूर्ति नहीं हो रही है।

[हिन्दी]

कहा जाता है कि वर्कर्स ज्यादा हैं।

[अनुवाद]

मैंने यह सिद्ध कर दिया है कि मजदूर अतिरिक्त नहीं हैं। सच्चाई यह है कि करघे पुराने हो गए हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप सवाल पूछिए। यह कॉलिंग अटैंशन है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार : क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं और शायद उन्हें अब तक मालूम भी नहीं होगा कि केवल एन.जे.एम.सी. में कितनी कताई मिलें बन्द हो गई हैं। इस प्रकार मजदूरी तो अतिरिक्त होंगे ही। जब मशीनें बन्द कर दी जाएंगी तो श्रमिक अतिरिक्त हो ही जायेंगे।

[हिन्दी]

रिवाइवल की बात होती है तो वी.आर.एस. की सबसे ज्यादा बात होती है। कितने वर्कर्स को वी.आर.एस. मिलेगी? वर्कर्स को वी.आर.एस. की जरूरत नहीं है। आप लूम्स शुरू कीजिए।

श्रमिकों की कमी पड़ेगी। आपको बाहर से श्रमिक लेने पड़ेंगे।

[श्री तरित बरण तोपदार]

[हिन्दी]

वर्किंग कैपिटल के बारे में कहा गया है कि इस बारे में सोचा जा रहा है। आप मशीन चालू करने के बारे में क्या सोच रहे हैं? वर्कर्स को वी.आर.एस. की जरूरत नहीं है? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि थ्री टायर मैनेजमैंट की क्या जरूरत है? कमेटी में इस पर चर्चा हुई थी। सिद्धांत तय हुए थे। मेरा कहना है कि सिंगल टायर सिस्टम होना चाहिए। यह तो त्रिस्तरीय प्रबंध है। एन.जे.एम.सी. के टैक्निकल डायरेक्टर का क्या कार्य है? इसका क्या तर्क है? इसमें टैक्निकल डायरेक्टर की क्या जरूरत है?

इसमें क्या टैक्नीक है - कुछ नहीं है। मिस्त्री लोग भी चला लेते हैं। इसके लिए टैक्नीकल डायरेक्टर की क्या जरूरत है। क्या आप इसकी छानबीन करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि पटसन उद्योग जो आज दुनिया में सनराइज इंडस्ट्रीज हो रही हैं क्या आप इसे अभी भी सनसैट इंडस्ट्रीज समझते हैं?

सभापति महोदय : तोपदार जी, अब आप खत्म कीजिए। कॉलिंग अटेंशन में कितने सवाल हो गये हैं।

श्री तरित बरण तोपदार : सनराइज इंडस्ट्रीज को आप अभी भी सनसैट इंडस्ट्रीज समझते हैं। मैं अंत में पूछना चाहूंगा कि हमारे देश में और इंटरनेशनल मार्केट में एन्ट्री लेने के लिए निकम्मे, नालायक उद्योगपति जिनके हाथ में चटकल उद्योग चल रहे हैं, ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो देश और विदेश के बाजार में पैकेजिंग मैटीरियल को लेकर एक रिवोल्यूशनरी राइट देने की जो स्थिति आज आई है, क्या इसमें गवर्नमैंट ऑफ इंडिया पार्टीसिपेट करेगी?

इस पहलू के संबंध में उन्हें उद्योग तथा उद्यमियों को निर्देश देना चाहिए। मैंने इसके बारे में पहले भी सुझाव दिया था।

आप तमाम पटसन उद्योग को टेक-ओवर कर लीजिए, नेशनलाइज मत कीजिए और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कंडीशंस फुलफिल करते हैं, उनके हाथ में चटकल को दे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री नीतीश सेनगुप्ता (कोंटाई): आप इसे मजदूरों की सहकारी संस्था को क्यों नहीं दे देते?

श्री तरित बरण तोपदार : मजदूरों की सहकारी संस्था इसमें सफल नहीं होगी।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार : जी हां, मैडम, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अंत में, क्या वे जूट उद्योग को अधिगृहीत करके कुछ योग्य उद्यमियों को सौंपने का सुझाव मानेंगे ताकि वे देश की प्रतिबद्धता तथा आकांक्षा को पूरा कर सकें तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति का मुकाबला कर सकें?

श्री अनिल बसु (आरामबाग): मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : उत्तर देने दीजिए। यदि आप उनके उत्तर से संतुष्ट हैं, तो शायद आपको स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, अन्यथा, अंत में आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : मैडम, पटसन उद्योग के बारे में मैंने पहले निवेदन किया था। इसके बाद भी कई महत्वपूर्ण सवाल यहां उठाये गये हैं। माननीय सांसद श्री रूपचंद पाल जी ने एक सवाल उठाया "जे.सी.आई. की क्या भूमिका है?" इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि जो हमारे जूट ग्रोअर्स हैं चाहे वे वैस्ट बंगाल के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे उड़ीसा के हों और चाहे किसी भी राज्य के हों जूट उत्पादकों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के मामले में हमारी सरकार गंभीर है।

श्री अनिल बसु : मेरे क्षेत्र में दो परचेजिंग सैंटर्स बंद किये गये हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप यह भी नहीं चाहते कि वह उत्तर दें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उन्हें उत्तर देने से नहीं रोक सकते हैं। कृपया उनकी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : बहुत से सवाल उठाये गये हैं, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। इनके बाद आप पूछिये।

श्री काशीराम राणा : मैं परचेजिंग सैंटर वाले प्वाइंट पर भी आऊंगा। पहले आप सुनिये।

सभापति महोदय : पहले आप उत्तर सुनिये।

श्री काशीराम राणा : जो जूट ग्रोअर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जे.सी.आई. बनाई गई है और मैं कहूंगा कि भारत सरकार इसीलिए मिनीमम सपोर्ट प्राइस तय करती है, जिससे उनके साथ जस्टिस किया जा. सके।

सभापति महोदय, वैसे पिछले साल जैसा बताया गया, हमारे सांसदों को भी मालूम है कि इसकी कीमत में 100 रुपए की बढ़ोत्तरी की और एन.जे.एम.सी. ने बढ़ाकर रु. 750 दिया और जब-जब जूट के प्राइस मार्केट में एम.एस.पी. से कम होते हैं तब-तब जितने भी परचेजिंग सेंटर हैं या कोई और भी नया परचेजिंग सेंटर खोलने की जरूरत होती है, तो वह भी खोलकर जितनी भी क्वांटिटी में पटसन आता है, जे.सी.आई. उसको खरीदती है।

श्री अनिल बसु : सभापति महोदया, परचेजिंग सेंटर बन्द हो रहे हैं और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि परचेजिंग सेंटर जहां और खोलने की जरूरत होती है वहां और खोलकर जूट की खरीद कर रहे हैं। यह सत्य नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार : सभापति महोदया, मंत्री जी को अफसरों ने जो जानकारी दे दी, उसे वे यहां पढ़कर बता रहे हैं। यह जानकारी सत्य से बिल्कुल परे है। ...*(व्यवधान)*

श्री काशी राम राणा : सभापति महोदया, यह अफसरों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर नहीं बल्कि मैं अपनी स्वयं की जानकारी के आधार पर बता रहा हूं। एम.एस.पी. 750 रुपए है और जितनी भी मात्रा में जूट सेंटरों पर आएगा, उसे खरीदने में जे.सी.आई. हिचकिचाएगी नहीं। हम जितने भी धन की व्यवस्था होगी, वह करेंगे और मार्केट से जूट खरीदेंगे।

सभापति महोदय : मंत्री जी, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि कितने परचेजिंग सेंटर हैं?

श्री काशी राम राणा : सभापति महोदया, वह भी मैं बताऊंगा। महोदया, माननीय सांसद श्री प्रिय रंजन दासमुंशी ने सवाल उठाया कि जूट वहां 700 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रही है। मैं इस बात की शीघ्र इन्क्वायरी करूंगा और कहीं भी एम.एस.पी. से जूट कम बिकेगा, तो हम जे.सी.आई. की ओर से परचेजिंग सेंटर खोलकर उसकी खरीद करेंगे। परचेजिंग सेंटर 171 हैं। देश में 171 क्रय केन्द्र हैं जिनमें से 100 केन्द्र पश्चिम बंगाल में हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): पहले 219 थे। आप कह रहे हैं कि हम परचेजिंग सेंटर्स और खोल रहे हैं। आपके मुताबिक पहले से कम होते जा रहा है।

श्री काशी राम राणा : पहले 208 थे, अब 171 हैं। बाकी इसलिए बन्द हो गए क्योंकि वहां पटसन की एराइवल कम थी।

श्री अनिल बसु : सभापति महोदया, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जे.सी.आई. के पास जूट खरीदने के लिए फंड ही नहीं था। उसके पास फंड का अभाव है और मंत्री जी कह रहे हैं कि एराइवल कम थी इसलिए परचेजिंग सेंटर बन्द कर दिए गए। जबकि वास्तविकता यह है कि जे.सी.आई. के पास फंड ही नहीं थे।

श्री काशी राम राणा : सभापति महोदया, जे.सी.आई. ने कभी भी फंड के अभाव में परचेजिंग सेंटर बन्द नहीं किए।

श्री तरित बरण तोपदार : मैडम, मंत्री महोदय हाउस को गुमराह कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : सभापति महोदया, हर साल हम जे.सी.आई. को कम फंड दिए जाने के मामले को सदन में उठाते रहे हैं। मंत्री जी ठीक प्रकार से जवाब नहीं दे रहे हैं। ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप यह नहीं चाहते कि वे उत्तर दें तो वे बैठ जाएंगे। मंत्री महोदय के लिए उत्तर देना संभव नहीं होगा। कृपया मंत्री महोदय को उत्तर देने दें। कृपया उनकी बात सुनें। उनके उत्तर के पश्चात्, यदि आप उससे सन्तुष्ट न हों तो आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें नहीं बोलने देंगे, तो वे किस प्रकार बोलेंगे? आप कम से कम अन्य माननीय सदस्यों को तो सुनने दें।

[हिन्दी]

श्री काशी राम राणा : सभापति महोदया, जैसा मैंने बताया, एराइवल कम होने से हम परचेजिंग सेंटर्स बन्द कर देते हैं और जब एराइवल बढ़ जाती है, तो परचेजिंग सेंटर्स खोल देते हैं।

महोदया, मैंडिटरी पैकेज के बारे में भी माननीय सदस्य प्रिय रंजन दासमुंशी, श्री बसुदेव आचार्य, श्री तरित बरण तोपदार एवं श्री हन्नान मोल्लाह ने बताया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ग्रेन और शुगर में 100 प्रतिशत है और जैसा कहा गया है सिंथेटिक लॉबी के प्रैशर में हमने यह डायल्यूशन किया है, यह ठीक नहीं है। जितना भी जूट मिल मटीरियल एवेलेबल होगा, उसका पूरा उपयोग हो सके, इसके लिए भारत सरकार हमेशा ध्यान रखती है।

आज कहा गया कि शुगर लॉबी भी प्रैशर डाल रही है लेकिन हम शुगर लॉबी के प्रैशर में नहीं आये हैं। आपको भी जानकारी होगी कि जो संशोधन यानी ग्रेन और शुगर में 100 परसेंट करके यूरिया का 20 परसेंट हुई है और सही प्रकार से किया है, माना कि आप मानते हो लेकिन लाबी के दबाव में सरकार कभी भी नहीं आई। वैसे का वैसे स्टैंड सरकार का अभी भी चालू है। एन.जे.एम.सी. के बारे में कहा गया है कि ये मिले क्यों बंद होती जा रही हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि एन.जे.एम.सी. की जो छह मिलें हैं, उनके लिए जो बजटरी सपोर्ट है, हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम जूट ग्रोवर्स को प्रोटेक्ट करें, उसी प्रकार ऐसे वर्कर्स जिन्होंने कई सालों से एन.जे.एम.सी. की मिलों में काम किया है, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाये। हमने एन.जे.एम.सी. के कर्मचारियों को नवम्बर की सेलरी दे दी है। इतना ही नहीं, जो बजटरी सपोर्ट है, मैं इसके संबंध में फिगर बताना चाहता हूं कि सरकार एन.जे.एम.सी. का कितना ख्याल करती है। 1993-94 से फिर देना चाहूंगा लेकिन उसमें समय बहुत लगेगा इसलिए 1996-97 में 80 करोड़ बजटरी सपोर्ट था। उसी समय सरकार बदली और सरकार ने आते ही 1998-99 में 104.11 करोड़ बजटरी सपोर्ट किया। अभी 1999-2000 में 50 करोड़ दे दिया है और 50 करोड़ एडीशनल मिलना है यानी 100 करोड़ बजट एन.जे.एम.सी. मिलों के लिए प्रस्तावित है।

मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो मीनिमम वेजेज है, हम तो चाहते हैं कि राज्य सरकार पटसन उद्योग के डेवलपमेंट में हमें मदद करे। क्योंकि जिस प्रकार से जूट पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसे भारत सरकार ने हटा दी है। हम चाहते हैं कि इसी तरह हमें स्टेट गवर्नमैंट भी मदद करे। वहां सेल्स टैक्स 2 परसेंट है परचेज टैक्स चार परसेंट है। एग्रीकल्चर मार्केट सेस वन परसेंट है। सेल्स टैक्स जो पहले चार था लेकिन बाद में जब हमने वैस्ट बंगाल से टेकअप किया तो उसे दो परसेंट किया। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी हटा दी है, तो पटसन उद्योग को और डेवलप्ड करने के लिए ऐसे अलग-अलग टैक्स या सेस जो वहां लगाये गये हैं, उनको भी खत्म किया जाये।

मैं कहना चाहता हूं कि मीनिमम वेजेज के आधार पर हम जो सेलरी देते हैं चाहे इसकी प्रोडक्टिविटी कम है, इसके बारे में आप जानते होंगे कि हाफ प्रोडेक्टिविटी होते हुए भी हम पूरी सेलरी देते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए मीनिमम वेज 1,752 रुपया है, जो जूट इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए मीनिमम वेज 3,583 रुपये है। हाफ प्रोडक्टिविटी होते हुए भी हम एन.जे.एम.सी. के वर्कर्स को प्लास्टिक वर्कर्स से डबल सेलरी देते हैं। हम कभी भी यह नहीं चाहते कि हमारी एन.जे.एम.सी. मिल के कामदारों को सेलरी कम मिले या न मिले।

श्री तरित बरण तोपदार : आपने इनकी तुलना प्लास्टिक वर्कर्स से की है, इसका पहलू क्या है, बेसिस क्या है?

श्री काशी राम राणा : इसका बेसिस यह है कि हमें एन.जे.एम.सी. मिल चलानी है। जैसे आपने कहा कि क्यों चलायेंगे? इसलिए मैंने कहा कि जिस प्रकार से भारत सरकार स्टेप उठा रही है, उसी प्रकार स्टेट गवर्नमैंट भी उसमें सहयोग करे। एन.जे.एम.सी. के वर्कर्स के लिए हमारे सांसदों ने दो-तीन प्वाइंट रखे है। मैं कहना चाहूंगा कि एन.जे.एम.सी. मिल के जो हमारे कामदार हैं, जो मिलें अभी बंद हुई हैं, उन्हें हम फिर से चलाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

मुझे लगता है कि हमारी कोशिश अवश्य सफल होगी। स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन से भी बात चल रही है। थोड़े दिनों में उसका भी कोई पौजीटिव डिसीजन होगा। हम चाहते हैं कि एन.जे.एम.सी. मिल फिर से शुरू हो।

यहां एक सवाल और भी उठाया गया है। ...*(व्यवधान)* पटसन उद्योग के डैवलपमैंट के लिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : वे कार्यपूंजी के आधार के विस्तार के बारे में क्या कर रहे हैं?

श्री काशीराम राणा : हम इसका विस्तार करने जा रहे हैं?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप उधर से एक-एक सवाल मत लीजिए, अपना उत्तर दीजिए।

श्री अनिल बसु : यह तो बुनियादी सवाल है। जे.सी.आई. का वर्किंग कैपिटल इन्क्रीज करना बहुत जरूरी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे क्षमा करें। कृपया मेरी बात सुनिए। जिन माननीय सदस्यों ने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाया है उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं और वे उनका उत्तर दे रहे हैं। पहले उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर देने दीजिए। आप मिनट-मिनट में नए सवाल उठाएंगे तो कैसे होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : ठीक है, हम उसके बाद स्पष्टीकरण मांगेंगे।

सभापति महोदय : जी हां।

[हिन्दी]

श्री काशी राम राणा : एन.जे.एम.सी. के रिवाइवल के लिए सरकार ने एक टर्न एराउंड प्लान बनाया है। 2000 करोड़ रुपये का जो टर्न एराउंड प्लान है, उसके बारे में फाइनल डिसीजन होने वाला है। इसी प्रकार जूट ग्रोअर्स के एनकरेजमैंट के लिए सरकार जूट टैक्नोलौजी मिशन भी बनाने जा रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या 2000 करोड़ रुपये के टर्न एराउंड प्लान को कैबिनेट में लाकर तुरंत फैसला करेंगे?

श्री काशी राम राणा : कैबिनेट में तो जाएगा ही। कैबिनेट की सहमति या अनुमति के बिना हम इसे किस प्रकार क्रियान्वित कर सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हर समय कहा जाता है कि प्लान बन रहा है।

[अनुवाद]

श्री काशी राम राणा : जहां तक संभव होगा, हम निश्चित रूप से अपना प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखेंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वित्त मंत्री इस पर अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं। वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जल्दी से लेंगे।

[हिन्दी]

श्री काशी राम राणा : जैसा आपने कहा, कॉटन ग्रोअर्स और सी.सी.आई. के तहत जो स्टैप ले रहे हैं, जिस प्रकार कॉटन टैक्नोलौजी मिशन के बारे में डिसीजन ले रही है, उसी प्रकार जूट की ज्यादा पैदाइश हो, जूट ग्रोअर्स को अच्छे दाम मिल सकें, उनकी मार्किटिंग अच्छी हो सके, इसलिए हम जूट टैक्नोलोजी मिशन की भी सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि एन.जे.एम.सी. या जे.सी.आई. के बारे में जो सवाल खड़े हुए हैं, हम उन्हें सौल्व करने में अवश्य कामयाब होंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदया, मैं मंत्री महोदय से इस प्रश्न का उत्तर पूछना चाहता हूं कि क्या वे संबद्ध राज्यों तथा कृषि मूल्य आयोग के साथ बैठक करने की स्थिति में हैं यह निर्णय करने के लिए कि वे जूट उत्पादकों को किस प्रकार अधिक समर्थन मूल्य दे सकते हैं, क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि सरकार पिछले प्रबंध द्वारा एन.जे.एम.सी. की धनराशि की की गई लूट के संबंध में पता लगाने के लिए कोई जांच समिति गठित करेगी? उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा : जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, सरकार निश्चित रूप से इस मामले की जांच करेगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अभी हो गया।

श्री बसुदेव आचार्य : कैसे हुआ। बहुत सारे सवाल हैं।

सभापति महोदय : जो सवाल उठाए गए हैं, उनका जवाब तो दे दिया है।

श्री अनिल बसु : जे.सी.आई. के वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ नहीं हुआ।

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार : मंत्री महोदय द्वारा दी गई जानकारी दुबारा अधिकारियों ने भी दी, गलत है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय संबद्ध संसद सदस्यों के साथ बैठक क्यों नहीं करते हैं?

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जूट के बारे में हमारी कोई लड़ाई नहीं है। त्रणमूल कांग्रेस, सी.पी.एम. सब एक हैं। जूट को बचाइए, मिल को बचाइए। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जूट में गलत नहीं चलेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : एन.जे.एम.सी. को रिवाइव करने के लिए मंत्री जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। 2000 करोड़ रुपये के पैकेज के बारे में कहा। यह पैकेज कब बना था और यह कैबिनेट में कब जाएगा? बगल में वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे सवाल पूछ रहे हैं, आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार: इसके पास केवल 60 करोड़ रु. की कार्य पूंजी है। वे इसे किस प्रकार पुनर्जीवित करेंगे। वे 1200 करोड़ रु. या 2000 करोड़ रु. के पैकेज की बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय: श्री बसुदेव आचार्य तथा श्री तरित बरण तोपदार। कृपया आप तय कीजिए कि आपमें से कौन पूछेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हम दोनों प्रश्न पूछेंगे ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप दोनों एक साथ नहीं बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: जे सी आई का पूंजी आधार मजबूत करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसका पहले ही जवाब दिया जा चुका है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं मंत्री महोदय यह सुझाव देना चाहता हूँ कि वह पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों के माननीय सदस्यों के साथ बैठक करें।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। एन जे एम सी को पुनर्जीवित करने के संबंध में सरकार की क्या कार्ययोजना है? उन्होंने केवल इतना ही बताया है कि 2000 करोड़ रु. का एक पैकेज तैयार किया गया है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इसे अंतिम रूप दे दिया गया है तथा कैबिनेट को भेजा दिया गया है। यदि इसे कैबिनेट को नहीं भेजा गया है तो कैबिनेट की अनुमति हेतु इसे कब भेजा जायेगा? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री महोदय ने पहले ही बता दिया है कि वे इसे कैबिनेट की अनुमति हेतु प्रस्तुत करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: एन जे एम सी के पुनरुद्धार के संबंध में सरकार क्या ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री सुदीप बन्दोपाध्याय। आपका नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नाम नहीं है। आप इसे आम चर्चा नहीं बना सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार: महोदया, हम 2000 करोड़ रु. का ब्यौरा जानना चाहेंगे। हम उसका अध्ययन करें।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: पूरे बंगाल की पार्टियों ने मिलकर कहा है कि जे सी आई को शुरू किया जावे। अगर जे सी आई नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे?

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा: महोदया, मैंने पहले ही सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि एन जे एम सी के पुनरुद्धार हेतु सरकार की क्या ठोस योजना है। एन जे एम सी को मजबूत करने के लिए तथा जे सी आई के पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्होंने पूरी जानकारी दे दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदया, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार एन जे एम सी का पूर्णकालिक चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करेगी? जे सी आई अब एन जे एम सी की देखभाल कर रहा है। सरकार ने पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की है। इस प्रकार, यह एक खामी है।

मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या एस टी सी के सहयोग से एन जे एम सी को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में, हर कोई खड़ा होकर प्रश्न नहीं पूछ सकता है।

...(व्यवधान)

श्री काशीराम राणा: मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूँ कि थोड़े समय के अन्दर जितनी जल्दी संभव होगा। पूर्णकालिक चेयरमैन नियुक्त कर दिया जायेगा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वे एक व्यावसायिक व्यक्ति चाहते हैं न कि पुनर्वासित व्यक्ति।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, उन्होंने जे सी आई तथा एन जे एम सी के संबंध में मेरे दो प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। ये तीन लाख श्रमिकों को प्रभावित करने वाले पश्चिम बंगाल राज्य से संबद्ध दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार: पर्यावरण को देखते हुए जूट पैकेजिंग आर्डर को डाइल्यूट किया, उसको बढ़ाया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री महोदय ने आपके सुझावों को नोट कर लिया है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: उन्होंने जे सी आई तथा एन जे एम सी के संबंध में कुछ भी नहीं बताया है।

अपराह्न 3.40 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

मंत्री हमारे प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहे हैं। मैंने दो प्रश्न पूछे थे जो अनुत्तरित रहे। मंत्री ने टालने वाला उत्तर दिया है। यह पश्चिम बंगाल राज्य में काफी महत्वपूर्ण उद्योग हैं तथा मंत्री ने सभा पटल पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। सरकार पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग को बर्बाद करने जा रही है। हम विरोध में बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 3.41 बजे

(इस समय, श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सरकार जूट ग्रोअर्स की समस्याओं को हल करने में विफल रही है। सरकार की नीतियों और व्यवहार से असंतुष्ट होकर हम सदन से वाक-आउट करते हैं।

अपराह्न 3.41 बजे

(तत्पश्चात् डा. रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से सभा इस पर सहमत है कि नियम 377 के अधीन सभी नोटिस जो आज के लिए सूचीबद्ध थे, सभापटल पर रखे गए माने जायेंगे।

अपराह्न 3.41 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) घाटकोपर, मुम्बई, महाराष्ट्र में रेल ऊपरिपुल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): महोदय, घाटकोपर में रेल ऊपरिपुल का निर्माण और इसे चौड़ा करने में दो वर्ष का

*सभा पटल पर रखे माने गये।

[श्री किरीट सोमैया]

विलंब हो चुका है। इस रेल उपरिपुल का निर्माण दिसंबर, 1999 में पूरा किया जाना था। इसके निर्माण में विलंब से यातायात की समस्या आ रही है। इसे समय पर पूरा करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। विक्रोली में रेल उपरिपुल के निर्माण में भी देरी हो रही है। इन सभी रेल उपरिपुल का निर्माण सेन्ट्रल रेलवे के मुम्बई डिवीजन द्वारा किया जा रहा है। सरकार को मुम्बई उपनगरीय डिवीजन से इन रेल उपरिपुलों का जल्द से जल्द निर्माण करने के लिए कहना चाहिए।

(दो) फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामचन्द्र बैंदा (फरीदाबाद): महोदय, फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन लाखों की संख्या में रेल यात्री सफर करते हैं, परन्तु स्टेशन के रखरखाव और सफाई की स्थिति ठीक नहीं है। वहां पर रात्रि के समय प्रकाश, पीने का पानी, सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी न के बराबर हैं। वहां के एन.आई.टी. स्टेशन की हालत तो बहुत ही खराब है।

प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं है। रेलवे स्टेशन के पश्चिम की ओर आरक्षण कक्ष में भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। वहां भी हर समय यात्रियों की भीड़ लगी रहती है।

पुराने फरीदाबाद रेलवे क्रासिंग पर फ्लाईओवर या अंडरब्रिज बनाने की मांग बहुत समय से चली आ रही है। मैंने इसे कुछ वर्ष पूर्व उठाया था, परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करायेगी।

(तीन) जयपुर विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, जयपुर शहर में हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। हवाई अड्डे का काफी विस्तार हो गया है और रनवे भी बना दिया गया है। प्रत्येक नागर विमानन मंत्री ने अपने भाषण में यह घोषणा की थी कि जयपुर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया जाएगा क्योंकि दिल्ली में सर्दी के मौसम में घना कोहरा होने के कारण वायुयान को उतरने में कठिनाई आती है और राजस्थान में आने वाले पर्यटकों को भी असुविधा होती है। इसलिए आवश्यक है कि जयपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाए।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जयपुर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाए।

(चार) उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नवाबगंज में चीनी मिल को पुनरुजीवित किए जाने की आवश्यकता

श्री बृज भूषण शरण सिंह (गोण्डा): महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोंडा के अंतर्गत नवाबगंज चीनी मिल विगत कई वर्षों से बंद पड़ी हैं। उसे चालू कराने या बेचने का निर्णय करने हेतु बी.आई.एफ.आर. के अधीन मामला है। गन्ना किसानों की स्थिति उक्त मिल बंद होने से दयनीय हो गई है क्योंकि वहां के सभी किसान गन्ने की खेती पर निर्भर हैं। वह उसे बेच कर अपनी दैनिक दिनचर्या का सामान खरीदते हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि नवाबगंज चीनी मिल को निजी कम्पनियों के हाथों बेचने हेतु जनहित में बी.आई.एफ.आर. से शीघ्र निर्णय कराएं और चालू कराने की दिशा में विशेष व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।

[अनुवाद]

(पांच) गुजरात में क्रिसमस पर्व को शांतिपूर्वक ढंग से मनाए जा सकने को सुनिश्चित करने के लिए राज्य में पर्याप्त अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किये जाने की आवश्यकता

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): महोदय, गुजरात राज्य वर्ष में साम्प्रदायिक दंगों के कारण सबसे अधिक प्रभावित राज्य रहा था। लेकिन साम्प्रदायिक दंगे प्रमुख शहरों जैसे अहमदाबाद तथा बड़ौदा में ही हुए गुजरात का जनजातीय हिस्सा सदा की भांति शांतिपूर्ण रहा। जहाँ तक साम्प्रदायिक घटनाओं का संबंध है गुजरात के इतिहास में दक्षिणी गुजरात का आदिवासी बेल्ट हमेशा शांतिपूर्ण रहा है। हाल के वर्षों में, कुछ संगठनों ने अपनी साम्प्रदायिक गतिविधियों के लिए गुजरात के आदिवासी बेल्ट को चुना है तथा इसके परिणामस्वरूप इस विशेष क्षेत्र के अन्य समुदायों के बीच तनाव व्याप्त है।

इस वर्ष, क्रिसमस के अवसर पर गुजरात सरकार ने ठीक ही एक अधिसूचना जारी की कि किसी विशेष समुदाय के धार्मिक उत्सवों के दौरान अन्य समुदाय रैली या अन्य समारोह आयोजित न करें जो कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करे। कुछ

संगठनों ने यह घोषणा की कि दांग जिले में राम मंदिर का शिलान्यास 25 दिसंबर को होगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 25 दिसंबर को संकट चौथ के दिन हिन्दुओं का एक सम्मेलन होगा।

अतएव मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूँगा कि वह हस्तक्षेप करे तथा वरिष्ठ अफसर तथा पर्याप्त बल की तैनाती करके यह देखे कि क्रिसमस का पर्व शांति और भाईचारे के माहौल में मनाया जा सके।

(छह) चंडीगढ़ में भू-सम्पत्ति को लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड में बदले जाने के संबंध में सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटान किए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): चंडीगढ़ में आवासीय समाप्ति को लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में बदलने की योजना तीन वर्ष से अधिक समय पूर्व से लागू की गई थी परन्तु बेतुकी व्याख्या के कारण जो स्पष्ट प्रावधान के बिल्कुल विपरीत हैं, काफी कम लोग उक्त अवधि में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सके। इस योजना में भूखंड के संबंध में पावर ऑफ अटार्नी के घाटकों को परिवर्तन के लिए एक तिहाई अतिरिक्त अदा करने की व्यवस्था है तथा काश्त को फ्रीहोल्ड में बाद के रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य के लिए 'बिना अर्जित किए गए लाभ' को बिना अदा किए हुए परिवर्तित करने का प्रावधान है। प्रशासन द्वारा इन प्रावधानों को नकार देने तथा चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित फ्लैटों के अंतर्गत भूमि-अधिकारों के हस्तांतरण में विफलता के कारण योजना शुरू नहीं हो पाई। मैं सरकार से तुरंत उपचारात्मक कार्यवाही करने तथा परिवर्तन के सभी मामलों को निबटाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को निदेश देने का आग्रह करता हूँ।

(सात) उत्तर प्रदेश विशेष रूप से फर्रूखाबाद जिले के आलू उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिए जाने को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फर्रुखाबाद): महोदय, उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाली आलू की कुल उपज का 1/3 हिस्सा अकेले जनपद फरुखाबाद पैदा करता है तथा कुल उपज का 35 प्रतिशत. ही कोल्ड स्टोरेज में रखने की जगह है। लगातार खाद, बिजली, पानी आदि महंगा होता जा रहा है लेकिन तीन वर्षों में उसके द्वारा लगाई हुई लागत का आधा पैसा भी नहीं मिल पाता। विगत 1997-98 में मौजूदा सरकार ने नेपाल तथा पूर्वी पाकिस्तान जाने वाले आलू पर रोक लगा दी थी। विदेशों में आलू न जाने के कारण इस वर्ष भी आलू का वाजिब दाम नहीं मिल पाया। फर्रुखाबाद में छोटी और बड़ी लाइनों के स्टेशन होने के बाद भी मालगाड़ी के डिब्बे उपलब्ध नहीं होते। इस कारण जनपद का आलू बाहर जाने में असुविधा होती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि आने वाली आलू की फसल बहुत अच्छी है, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिले, उसके लिए अभी से विदेश भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं तथा जनपद फर्रुखाबाद के लिए अलग से रेल वैगनों की व्यवस्था कराएं। वहां नये कोल्ड स्टोरेज बनाये जा सकें, उसके लिए मिलने वाली छूट एन.ए.बी.ए.आर.डी. की जगह प्रांतीय स्तर पर वह छूट मिल जाए तो अधिक कोल्ड स्टोरेज बनाए जा सकेंगे।

(आठ) मुंगेर जिले में औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना संबंधी बिहार सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर): बिहार राज्य के मुंगेर जिला मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर पड़ता है। मुंगेर जिला में औद्योगिक विकास केन्द्र की स्वीकृति के लिए बिहार सरकार ने 1992-93 में एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के उद्योग विभाग को भेजा था लेकिन इसके बाद से लगातार 6 वर्षों के गुजर जाने के बाद भी अभी तक केन्द्रीय सरकार ने उसकी स्वीकृति नहीं दी है।

मुंगेर प्राचीनतम नगरों में से एक है। आजादी के बाद मुंगेर दिन प्रतिदिन औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ता चला गया है। हालत यह है कि सारे कुटीर उद्योग बर्बाद हो गये हैं। कुशल कारीगरों और उद्योग के लिए साधन उपलब्ध रहने के बावजूद उद्योग जर्जर स्थिति में है। यदि भारत सरकार औद्योगिक विकास केन्द्र की स्वीकृति दे देगी तो वहां के बेरोजगार युवक प्रशिक्षण ले सकेंगे और कुटीर उद्योगों का विकास किया जा सकेगा।

अत: मैं उद्योग मंत्री से मांग करता हूं कि बिहार के मुंगेर जिला में औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करें जिससे जिले के विकास की गति तेज हो।

(नौ) पूर्णा-अकोला-खंडवा मीटर रेल लाइन को शीघ्र बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली (वाशिम): महोदय, आपसे प्रार्थना है कि हमारे महाराष्ट्र में पुर्णा-अकोला-खण्डवा मीटर गेज रेल लाइन है उसको बॉडगेज में परिवर्तित करने का भूमि पूजन समारोह भूतपूर्व रेल राज्य मंत्री के कर-कमलों द्वारा 1994 में सम्पन्न हुआ था। उस शुभ अवसर पर माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि यह रेल लाइन को गेज परिवर्तन के

[कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली]

बारे में सर्वे पूरा हो चुका है। जल्दी ही इस मीटर गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जायेगा। पांच साल पुरे हो चुके है लेकिन अभी तक गेज परिवर्तन का कोई कार्य (प्रक्रिया) शुरू ही नहीं हुई। जनहित को ध्यान में रखते हुए यह ब्रॉडगेज होना जरूरी है। क्योंकि यही रेल रोड (लाइन) पर मेरा निर्वाचन क्षेत्र वाशिम है जो कि अभी-अभी 1998 में नया जिला बना है। इस गेज परिवर्तन के होते ही यह नवनिर्माण जिले में कृषि और उद्योग का विकास होगा। यहां नये नये उद्योग आयेंगे। उद्योग में बढ़ोत्तरी होगी और इस माध्यम से कृषि का भी विकास होगा। परिणामस्वरूप यहां के युवकों को रोजगार मिलेगा एवं स्वयं रोजगार में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए इस सरकार से अनुरोध है कि देश के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए पुर्णा-अकोला-खाण्डवा मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज में शीघ्र परिवर्तित किया जाये।

(दस) उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में पेयजल की गंभीर समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा): महोदय, उत्तर प्रदेश के बांदा व चित्रकूट जिले बुंदेलखंड के अन्तर्गत आते हैं। बुंदेलखंड के इन दोनों जिलों में पेयजल का भीषण अभाव पैदा हो गया है। यह क्षेत्र ऊंचा-नीचा, कंकरीला-पथरीला है तथा पहाड़ों से घिरा है। मजबूत पथरीली चट्टानों की वजह से पेयजल हेतु कुआं खोदना एक अत्यन्त कठिन और दुस्कर कार्य है। कुआं खोदने की लागत भी बहुत अधिक होती है। इसलिए इंडिया मार्क-2 हैंड पम्प के द्वारा ही मुख्य रूप से पेयजल की समस्या का निदान संभव हो पाता है। बरसाती नदी-नाले व तालाब पोखरे सूख गए हैं, क्योंकि उनके पानी से किसानों ने अपने खेतों की सिंचाई कर ली है। उस क्षेत्र में अधिक पानी देने वाले नलकूप सफल नहीं है। इसलिए नलकूपों द्वारा भी पेयजल की आपूर्ति संभव नहीं है।

जनता पेयजल की आपूर्ति हेतु हैंडपम्प और ग्राम समूह पेयजल योजना की मांग करती है। किन्तु धन के अभाव में हैंड पम्प लगाने और ग्राम समूह पेयजल योजनाओं का कार्य ठप्प है। गर्मी की ऋतु आने पर यह समस्या विकराल रूप धारण करेगी। इसलिए केन्द्र सरकार पेयजल आपूर्ति हेतु उक्त जिलों के लिए सीधे धन की व्यवस्था तत्काल करे अथवा राज्य सरकार को इसके लिए धन उपलब्ध कराए ताकि समस्या का निदान हो सके।

[अनुवाद]

(ग्यारह) तमिलनाडु में तिरुवनमलाई जिले में मेल चेंगम गांव स्थित "सेन्ट्रल स्टेट सीड फार्म" को पुनरुजीवित करने हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरुपत्तूर): मैं केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से अपने निर्वाचन क्षेत्र के तिरुवन्नामलाई जिले के चेंगम ताल्लुक के मेल चेंगम गाँव में केन्द्र राज्य बीज फार्म को पुनर्जीवित करने के संबंध में राज्य सरकार से मिलकर मामले को उठाने का आग्रह करता हूँ। वह बीज फार्म पिछले 30 वर्ष से वहाँ दस हजार एकड़ में फैला है तथा हजारों परिवारों को लाभ पहुँचा रहा है।

अधिकांश मजदूर अब 40 वर्ष से ऊपर के हैं तथा यदि वह फार्म बन्द कर दिया जाता है तो वे अपने लिए खाना तलाशने में कठिनाई अनुभव करेंगे। हमारी कृषि अर्थव्यवस्था में बीज एक महत्वपूर्ण इनपुट है। अतएव सामाजिक आर्थिक मजबूरियों को देखते हुए सरकार को इस फार्म को बिना हानि के चलाने के लिए सहायता देनी चाहिए।

अब बाधा अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं की है। पहले ही कप्पनतम बाँध का निर्माण करने की योजना है। मैं कृषि तथा जल संसाधन दोनों मंत्रालयों से राज्य प्रशासन से मिलकर उन्हें सहायता देने तथा यदि आवश्यकता हो तो इस बीज फार्म को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह करता हूँ। यह सरकारी फार्म जो हजारों परिवारों के जीवन यापन का सहारा है पिछड़े क्षेत्र में 1971 से कार्य कर रहा है तथा नई सहस्राब्दी में नए जोश के साथ प्रवेश करना चाहिए।

(बारह) 1984 से हुए सिख विरोधी दंगों की जांच करने के लिए दूसरे आयोग का गठन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जोरा सिंह मान (फिरोजपुर): गृह मंत्री साहब ने दूसरे सदन में यह घोषणा की थी कि सरकार सभी राजनैतिक दलों की सहमति से 1984 के सिख विरोधी कत्लेआम की जांच के लिए एक और कमीशन गठित करने को तैयार है। इसमें आम सहमति की बात इसलिए कही गई क्योंकि शायद सरकार यह नहीं चाहती कि उस पर अपने राजनैतिक विरोधियों को परेशान करने का आरोप लगे। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की हमेशा से यह विचारधारा रही है कि इन कत्लेआम में शामिल दोषियों को सजा मिल सके। आज इन कत्लेआम के 15 वर्ष बाद

एक और कमीशन बैठाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इन कत्लेआम में शामिल लोग जोकि हजारों बेगुनाहों के लिए दोषी हैं, आजाद घूम रहे हैं।

मेरी केन्द्र सरकार से गुजारिश है कि इस उद्योग का शीघ्र गठन हो और उसे एक निश्चित समय में रिपोर्ट देने को कहा जाए ताकि दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिल सके।

[अनुवाद]

(तेरह) तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): मैं भारत सरकार का ध्यान तमिलनाडु राज्य की वित्तीय स्थिति की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं।

(एक) तमिलनाडु में 12000 पंचायतों में से 80 प्रतिशत से भी ज्यादा दुर्बल या शक्तिहीन हो गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बिना स्ट्रीट-लाइट, पेयजल तथा अन्य ऐसी मूलभूत सुविधाओं के हैं तथा अंधेरे में अपने दिन गुजारने पर विवश हैं;

(दो) तमिलनाडु में टी डब्ल्यू ए डी बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाएं केवल आधी-अधूरी हैं क्योंकि लगभग 100 करोड़ रु. जो ठेकेदारों की अधिशेष राशि है, गत कई माह से अदा नहीं की गई है। ठेकेदारों ने आगे का सभी कार्य बन्द कर दिया है;

(तीन) रजिस्ट्रेशन के लिए राजसहायता राशि जो सरकार द्वारा पंचायतों को दी जाती है तो छोड़कर दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राजसहायता के रूप में बारह प्रतिशत वित्तपोषण किया जाता है;

(चार) ऐसा समझा जाता है कि रजिस्ट्रेशन राजसहायता तथा 12 प्रतिशत राजसहायता जैसा कि दसवें वित्त आयोग की सिफारिश थी, पंचायतों को नहीं दी गई है। कई पंचायत नेता बताते हैं कि हाउस टैक्स कलेक्शन के लिए राजसहायता के रूप में 'तदनुरूप अनुदान' पंचायतों को नहीं दिया गया है। अतएव, मैं केन्द्र सरकार से तमिलनाडु सरकार की वित्तीय स्थिति का जायजा लेने तथा संविधान के अंतर्गत उपचारात्मक उपाय करने का आग्रह करता हूँ।

अपराह्न 3.43 बजे

सीमा शुल्क की दर में वृद्धि करने के लिए अधिसूचना का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क की उपधारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अनुसरण में यह सभा दिनांक 1.12.1999 की अधिसूचना संख्या 127/99-सी.शु. दिनांक 1.12.1999 का सा.का.नि. 793 (अ) का अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन करना है ताकि उक्त अनुसूची के उपशीर्ष संख्या 1001.10 और 1001.20 के अंतर्गत जाने वाले माल पर लागू सीमा शुल्क की दर को 'मुक्त' से 50% बढ़ाना है।"

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क की उपधारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अनुसरण में यह सभा दिनांक 1.12.1999 की अधिसूचना संख्या 127/99-सी.शु. दिनांक 1.12.1999 का सा.का.नि. 793 (अ) का अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन करना है ताकि उक्त अनुसूची के उपशीर्ष संख्या 1001.10 और 1001.20 के अंतर्गत जाने वाले माल पर लागू सीमा शुल्क की दर को 'मुक्त' से 50% बढ़ाना है।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

कि संकल्प की शुरुआत में, निम्नलिखित जोड़ा जाये, यथा,

"खुले सामान्य लाइसेंसिंग पर गेहूँ के आयात पर शून्य शुल्क के कारण किसानों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करते हुए जिसके परिणामस्वरूप कृषक समुदाय में अनिश्चितता का वातावरण बना था तथा" (1)

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

समूचा देश इस बात को जानता है कि यह मामला स्पष्ट रूप से देश में बड़े पैमाने पर गेहूँ के आयात से संबंधित है। ऐसे समय में जबकि किसान अपने मूल्य पाने के लिए चिल्ला रहे हैं, अपने विचार सरकार के समक्ष स्पष्ट कर रहे हैं, रौलिंग मिल तथा कुछ व्यापारी समुदायों की मांग पर बड़े पैमाने पर गेहूँ आयात किया गया था। मैं आयात निर्यात नीति के अंतर्गत लगाई गई शर्तों से पूरी तरह वाकिफ हूँ। मैं मंत्रालय में था। मैं जानता हूँ कि आयात निर्यात नीति किस प्रकार चलती है। मैं यह भी जानता हूँ कि इसकी विश्व व्यापार संगठन के प्रति क्या बाध्यताएँ हैं।

यह सच है कि एक बार जब हमने विश्व व्यापार संगठन के समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो कुछ वस्तुओं के चरणबद्ध रूप से प्रतिबंधित सूची से खुली सामान्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत लाना पड़ेगा। कुछ चीजों को पहले ही खुली सामान्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत लाया जा चुका है। गेहूं एक ऐसी चीज है जो खुली सामान्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत थी तथा अभी भी उसी में है। विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार, यह प्रतिबंधित सूची में वापस नहीं लाया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक छोटी सी बात नहीं है। अब यह वस्तु खुली सामान्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत है तथा सरकार के पास इस पर नियंत्रण रखने तथा किसानों को संरक्षण प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

मुझे नहीं मालूम कि वह प्रथा अभी चल रही है अथवा नहीं परन्तु पहले प्रथा ऐसी थी कि जब भी किसी वस्तु, विशेषरूप से कृषि जन्य वस्तु की आयात की आवश्यकता अनुभव की जाती, दो चीजें होती थीं। एक, शीर्ष मंत्रालय से कैबिनेट मूल्यांकन टिप्पण आएगी। दूसरी, कैबिनेट में मूल्यांकन टिप्पण पर चर्चा होती है तथा सरकार कार्यवाही पर निर्णय लेती हैं, या तो माल को देश में आने दिया जायें या इसके आयात को प्रोत्साहन न दिया जाय। जैसा कि मैं समझता हूँ कृषि जन्य वस्तुओं के मामलों में, कृषि मंत्रालय प्रत्येक तिमाही में सूखा, तेज मानसून, सामान्य मानसून इत्यादि की जलवायु स्थितियों को देखते हुए फसल के आसार के संबंध में सरकार को जानकारी देती थी।

दूसरी, शीर्ष एजेन्सी इस मामले में खाद्य मंत्रालय फसल उपलब्ध होने के पूर्व बफर स्टाक की स्थिति का मूल्यांकन करती है, फसल होने के पश्चात् बफर स्टाक की भावी स्थिति का मूल्यांकन करती है और तब वे आगे व्यवस्था करने की आवश्यकता के संबंध में सरकार को सिफारिश करते हैं या जानकारी देते हैं या सावधान करते हैं या खतरे की घंटी बजाते हैं। आजकल मुद्रास्फीति को रोकने के लिए तथा देश में गेहूं उपलब्ध कराने के लिए तथा मूल्य स्तर पर नियंत्रण रखने के लिए कभी-कभी सरकार किसी प्रणाली का सहारा लेती है।

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, कृपया संक्षेप में कहें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह केवल एक संशोधन नहीं है। यह देश के लिए चिंता का विषय है। यही कारण है कि मैंने उसे उठाया। उस दिन जब वित्त मंत्री महोदय ने यह घोषणा की तब उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इसे उठाया जायेगा तथा इस पर चर्चा की जाएगी और प्रमोद महाजन ने भी सभा में आश्वासन दिया था कि इस पर चर्चा की जाएगी। इसलिए मैंने यह संशोधन उठाया और मेरा संशोधन बुरा नहीं है।

महोदय, सरकार ने इस स्तर पर 50% आयात शुल्क लगाने का निर्णय क्यों लिया? मेरे पास इसकी पक्की सूचना है कि वाणिज्य मंत्रालय को इससे कुछ लेना देना नहीं है सिवाय आयात निर्यात नीति की सूची को अपनाने के। वे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रमुख निगरानी एजेन्सी जो इस मामले में खाद्य मंत्रालय है, वह वित्त मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय से विचार विमर्श करके सरकार को यह सूचना देती है कि क्या खुली सामान्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत शून्य शुल्क पर गेहूं का आयात जारी रखा गया तो किसानों के लिए प्रतिकूल परिस्थिति पैदा होगी। लेकिन गेहूं का आयात 12वीं लोक सभा के विघटन के दिन से तथा चुनाव अभियान की अवधि के दौरान भी जारी रहा। मैं चुनाव की अवधि नहीं कह रहा हूँ लेकिन चुनाव प्रक्रिया पहले शुरू हो गई थी तथा कृषक समुदाय तथा अन्य द्वारा कई शिकायतें मीडिया में आई कि सरकार इसे बढ़ावा न दे। मैं यह नहीं कह रहा कि सरकार इसे रोक सकती थी। वह ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि यह खुली सामान्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत था, लेकिन सरकार यह कर सकती थी कि प्रतिबंध लगाकर, समय पर आयात शुल्क लगा सकती थी।

प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है-सरकार ने इन दिनों में गेहूँ के आयात के लिए अनुमति क्यों दी? अंतिम समय में सरकार यह वक्तव्य लेकर आई कि बफर स्टॉक की स्थिति ऐसी है कि यह परिस्थिति का मुकाबला नहीं कर सकती है। इसने यह भी बयान दिया था कि इसके पास गेहूँ रखने की जगह नहीं है तथा चुनाव अभियान के दौरान यह भी बताया था कि देश में कृषि का भविष्य काफी अच्छा है।

[हिन्दी]

इतनी पैदाइश हुई, देश में कभी इतना अनाज पैदा नहीं हुआ। वोट के लिए ठीक है, लेकिन इतनी पैदाइश होने के बावजूद भी इतना इम्पोर्ट हुआ। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी कृपया अपनी बात समाप्त करें। हमने ऐसे संकल्प पहले भी सभा में बिना किसी चर्चा के पारित किये हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, संशोधन इस मामले से काफी जुड़ा हुआ है। मैं इस मामले में आपका संरक्षण चाहता हूँ। मामला केवल सभा में ही नहीं वरन् सभा के बाहर भी उठा था तथा इस संशोधन पर मेरे और श्री वरकला राधाकृष्णन सहित केवल दो वक्ता हैं।

महोदय, यह संशोधन किसलिए लाया गया था? मुझे अपने संशोधन प्रस्तुत करने का औचित्य सिद्ध करना है। सरकार को पूरे देश को उत्तर देना है कि सरकार ने केवल अब ही आयात शुल्क क्यों लगाया है। सरकार ने बताया था कि उन्होंने यह कदम खुली सामान्य लाइसेसिंग के अंतर्गत शून्य शुल्क पर गेहूं के आयात का किसानों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करते हुए उठाया था जिसने कृषक समुदाय में अनिश्चितता पैदा कर दी थी। अतएव, मेरा संशोधन स्वीकार करने में बुराई क्या है? क्या सरकार इससे सहमत नहीं है कि इसने हमारे देश के किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है? क्या सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि किसानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। बफर स्टॉक अच्छा था। अतएव, या तो सरकार ने मंत्रिमंडल में कृषि मंत्रालय के मूल्यांकन को नजर अंदाज किया या सरकार को खाद्य मंत्रालय की आवश्यकता के संबंध में अंधेरे में रखा गया था। खाद्य मंत्रालय के मूल्यांकन के बारे में अंधेरे में रखा गया या अथवा यह जानने के बावजूद कि देश में पर्याप्त गेहूँ मौजूद है सरकार समय पर आयात शुल्क लगाने की बजाय चुपचाप बैठी रही, अतएव यदि मंत्री महोदय मेरा संशोधन स्वीकार करें तथा इसे पूरा शामिल कर लें, तो मेरे विचार से, किसान खुश होंगे कि सरकार ने आखिरकार उनकी चिंता को स्वीकार किया। यह सरकार की आलोचना करने वाला संशोधन नहीं है, यह किसानों की चिंता में सरकार को शामिल करने वाला संशोधन है। मेरे विचार में मंत्री महोदय मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि संकल्प में,–

''50%'' के स्थान पर

''100%'' प्रतिस्थापित किया जाये

भारत सरकार द्वारा अपनाई गई आयात नीति किसानों के हितों के लिए काफी घातक है। इसका उदाहरण केरल के नारियल उत्पादकों की तकलीफ को देखकर होता है जो अत्यधिक आयात नीति के कारण हुआ है। कोपरा तथा नारियल तेल बिना कसी प्रतिबंध के आयात किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा मेरे राज्य केरल में नारियल उत्पादक भुखमरी से पीड़ित हैं।

केरल रबड़ का भी प्रमुख उत्पादक है। आयात नीति ने रबड़ के आयात पर भी प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाला है। बाइस लाख नारियल उत्पादक तथा रबड़ उत्पादक केन्द्र सरकार की गलत आयात नीति के कारण भूखमरी के शिकार हैं। यह काफी आश्चर्यजनक है। मैं इसके पीछे का तर्क नहीं समझ सका। चूँकि केप्रोलेक्टम पर आयात शुल्क में कमी की गई है, केरल में उर्वरक और रसायन उद्योग बंद होने के कगार पर हैं। एफ.ए.सी.टी. में उत्पादित खाद नहीं बेची जा रही है, वह वहाँ पर बिना बिके पड़ी है क्योंकि आपने अनावश्यक रूप से केप्रोलेक्टम पर आयात शुल्क घटा दिया। एफ ए सी टी के उत्पाद बाजार में नहीं बेचे जा सके। एक औद्योगिक इकाई जो काफी पहले शुरू की गई थी। ब्रिटिश काल के दौरान तथा जिसके पीछे इतना लंबा इतिहास है वह आपकी गलत आयात नीति के कारण बंद होने के कगार पर है।

अब, आपने यह अनुभव किया है कि आपने गेहूं के खुले आयात की अनुमति दी है जिसके कारण पूरे देश में किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा अब आप गेहूं के आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने को बाध्य हैं। मेरे अनुसार इसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर देना चाहिए क्योंकि मैं उन सभी प्रकार के आयात का विरोधी हूं जो घरेलू उत्पादों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। अतएव, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि मेरा संशोधन स्वीकार करें तथा इसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत करें। आपकी आयात नीति जो जनसामान्य के हितों तथा किसानों के हितों के लिए घातक है, एक न एक दिन आपके खिलाफ जायेगा तथा आपको परेशानी में डाल देगा।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से मेरा संशोधन स्वीकार करने के लिए अपील करता हूँ।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शान्ता कुमार): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई, उसके संबंध में मुख्य रूप से एक ही बात कही गई कि देर से क्यों लगाई और इस बीच इम्पोर्ट क्यों होता रहा? मैं पिछले तीन–चार महीनों की फीगर्स देना चाहता हूं। मई 1999 में केवल 53 हजार टन, जून 1999 से 89 हजार टन, जुलाई में 1.62, अगस्त में 3.03, सितम्बर में 3.64 और अक्तूबर में 4.07 इम्पोर्ट हुआ। इस देश में व्हीट का उत्पादन 720 लाख टन होता है और

[श्री शान्ता कुमार]

हम 126 लाख टन प्रक्योर करते हैं। इतनी मात्रा के अनुपात में तीन या चार लाख टन इम्पोर्ट करना बहुत कम है। इसके बावजूद ज्यों ही अगस्त-सितम्बर में लगा कि इम्पोर्ट तीन लाख से साढ़े तीन लाख और साढ़े तीन लाख से चार लाख टन हो गया तभी इसे एकदम देखकर इम्पोर्ट को डिस्क्रेज करने की बात की गई। यह कहना कि इसमें विलम्ब हुआ, बिल्कुल गलत है। इसमें बिल्कुल भी विलम्ब नहीं हुआ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): आपने अभी कहा कि अगस्त में अनुभव हुआ।

[अनुवाद]

आपने इसे अगस्त में क्यों नहीं किया? महोदय, वे स्वीकार कर रहे हैं कि अगस्त के दौरान वे असफल रहे और यह गलत था। उन्होंने उस समय शुल्क क्यों नहीं लगाया? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार: अध्यक्ष जी, अगस्त में जो तीन लाख टन इम्पोर्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट अगस्त के अंत में सरकार के पास पहुंची। सितम्बर में जो हुआ, उसकी रिपोर्ट भी सितम्बर के अंत में पहुंची। आप इस बात का अंदाजा लगाइये, आज हम कह रहे हैं कि अगस्त में इतना इम्पोर्ट हुआ, लेकिन उस इम्पोर्ट की रिपोर्ट सरकार के पास एक महीने के बाद पहुंचती है और उसके तुरंत बाद यह कार्यक्रम बनाया गया *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मंत्री इस तरह गुमराह नहीं कर सकते हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि वे अगस्त और सितम्बर में असफल रहे। उन्होंने उस समय शुल्क क्यों नहीं लगाया?

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, कृपया मंत्री जी को पहले अपनी बात समाप्त करने दें।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार: अध्यक्ष महोदय, जिस देश का उत्पादन 20 लाख टन है और यह इम्पोर्ट अब नहीं हो रहा है। यह पुराने समय से हो रहा है। यह अभी शुरु नहीं हुआ है, आपके समय से इम्पोर्ट हो रहा है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि आप इस पर पूरी डिबेट करेंगे तो हम भी बता सकते हैं कि कैसे इम्पोर्ट होता था।

श्री शांता कुमार: हमने उस इम्पोर्ट के कारण जो देश का नुकसान होने वाला था, उसे भांपकर यह निर्णय लिया। मैं एक तथ्य सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे पास 80 लाख टन अतिरिक्त एक अक्टूबर को था और एक अप्रैल को यह स्थिति आने वाली थी कि हमारे पास 106 लाख टन बफर स्टेट के अलावा अधिक होता। जो बफर स्टेट का नार्म है, एक अप्रैल को वह 40 लाख टन है। लेकिन इस हिसाब से अगर इस गेहूं को निकालने की हम कोशिश नहीं करते तो एक अप्रैल, 2000 को हमारे पास 106 लाख टन गेहूं होता। जिसके दो विकल्प होते-एक यह होता कि हम प्रोक्योरमैंट नहीं करते, क्योंकि हमारे भंडार भरे होते। इसमें हमारा सात हजार करोड़ रुपया लगा हुआ था। यदि हम इम्पोर्ट नहीं करते तो किसानों की कमर टूटती, यदि इम्पोर्ट करते तो हमारी कमर टूटती। इसलिए इससे बढ़िया निर्णय और कोई नहीं हो सकता है। जो निर्णय सरकार ने किया है, वह ठीक समय पर ठीक निर्णय किया है। इसके द्वारा इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने के कारण इम्पोर्ट डिसकरेज हुआ है, इम्पोर्ट बंद हुआ है, इसके कारण हमारा फारेन एक्सचेंज बचा। हमारे भंडार खाली होंगे। एक अप्रैल को, जो प्रोक्योरमैंट होनी है, उसकी हमारी तैयारी हो जायेगी। अध्यक्ष जी, इस अतिरिक्त गेहूं को रखने का प्रतिदिन हमारा खर्चा चार करोड़ रुपये हैं। जिस दिन हमने यह फैसला किया तो मुझे लगा कि विपक्ष की ओर से हमें बधाई दी जायेगी, विपक्ष हमारा धन्यवाद करेगा। इससे बढ़िया निर्णय आज की स्थिति में और कोई नहीं हो सकता था। लेकिन हर बात के लिए, विरोध के लिए विरोध करना विपक्ष की आदत हो गई है। इसलिए आप हमारा विरोध कर रहे हैं। इससे बढ़िया निर्णय और कोई नहीं हो सकता। इससे किसान का हित हुआ है, इससे फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया का हित हुआ है, इससे हमारे देश का हित हुआ है, कंजूमर का हित हुआ है। व्हीट के बारे में इससे बढ़िया निर्णय और कोई नहीं हो सकता था, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अगर आपको किसानों का इतना ही ध्यान है, तो इस अमेंडमेंट से आपको कोई इनकार नहीं होगा, क्योंकि खुद आपने किसानों के हित को देखते हुए यह किया है और हमने भी इसलिए ही किया है, किसानों के हित को देखकर ही हम यह कर रहे हैं। आप इसे मान लीजिए, आपको इसे मानने में क्या दिक्कत है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जी नहीं, महोदय, मैं अपना संशोधन वापस नहीं ले रहा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संकल्प के आरम्भ में निम्नलिखित जोड़ा जाए:-

खुले सामान्य लाइसेंस पर गेहूं के आयात पर शून्य शुल्क के कारण किसानों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करते हुए, जिसके परिणामस्वरूप कृषक समुदाय में अनिश्चितता का वातावरण बना है और' " (1)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वित्त मंत्री जी ने आइज बोला है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): नहीं, महोदय, मैं अपना संशोधन वापस नहीं ले रहा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संकल्प में

'50%' के स्थान पर

'100%' प्रतिस्थापित किया जाए।" (2)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क की उपधारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अनुसरण में यह सभा दिनांक 1.12.1999 की अधिसूचना संख्या 127/99-सी.शु. (दिनांक 1.12.1999 का सा.का.नि. 793 (अ) का अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन करना है ताकि उक्त अनुसूची के उपशीर्ष संख्या 1001.10 और 1001.20 के अंतर्गत जाने वाले माल पर लागू सीमा शुल्क की दर को 'मुक्त' से बढ़ाकर 50% करना है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, चूंकि सरकार ने बहुत स्पष्टतापूर्ण ढंग से किसानों के हितों के साथ विश्वासघात किया है और चूंकि उन्होंने समय से कार्यवाही नहीं की, हम इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 3.59 बजे

(इस समय, श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हम भी इसके विरोध में वाक-आउट कर रहे हैं।

अपराह्न 3.59 बजे

(तत्पश्चात् श्री रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

अपराह्न 4.00 बजे

रेल अभिसमय समिति के गठन के बारे में संकल्प

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): महोदय, मैं कुमारी ममता बनर्जी की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा संकल्प करती है कि वर्तमान में भारतीय रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त से संबंधित अनुषंगी मामलों की समीक्षा करने तथा उन पर अपनी सिफारिश करने हेतु एक संसदीय समिति नियुक्त करे जिसमें इस सभा के बारह सदस्य नामनिर्दिष्ट होंगे।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा संकल्प करती है कि वर्तमान में भारतीय रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त से संबंधित अनुषंगी मामलों की समीक्षा करने तथा उन पर अपनी सिफारिश करने हेतु एक संसदीय समिति नियुक्त करे जिसमें इस सभा के बारह सदस्य नामनिर्दिष्ट होंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.01 बजे

रेल अभिसमय समिति में राज्य सभा को अपने सदस्य सम्बद्ध करने के लिए सहमति संबंधी सिफारिश के बारे में संकल्प

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): कुमारी ममता बनर्जी की ओर से मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वर्तमान में भारतीय रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त से संबंधित अनुषंगी मामलों की समीक्षा करने तथा उन पर अपनी सिफारिश करने तथा इस सभा के लिए इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नामों की सूचना देने हेतु संसदीय समिति के साथ अपने में से छह सदस्यों को सम्बद्ध करने के लिए सहमत हो।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वर्तमान में भारतीय रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त से संबंधित अनुषंगी मामलों की समीक्षा करने तथा उन पर अपनी सिफारिश करने तथा इस सभा के लिए इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नामों की सूचना देने हेतु संसदीय समिति के साथ अपने में से छह सदस्यों को सम्बद्ध करने के लिए सहमत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.02 बजे

[अनुवाद]

पौध किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के बारे में प्रस्ताव

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि पौधा संवर्धकों और कृषकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली देने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर करार के भाग 2 के अनुच्छेद 27 के पैरा 3 के उपपैरा (ख) को प्रभावी करने का उपबंध करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 30 सदस्य हों, इस सभा से 20 अर्थात्:-

1. डा. बलिराम
2. श्री अजय चक्रवर्ती
3. श्रीमती कैलाशो देवी
4. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा
5. श्री सुरेश रामराव जाधव
6. श्री रघुवीर सिंह कौशल
7. डा. रामकृष्ण कुसमरिया
8. श्री जगन्नाथ मलिक
9. श्री कमलनाथ
10. डा. रंजीत कुमार पांजा
11. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील
12. श्री शरद पवार
13. श्री नवल किशोर राय
14. श्री चन्द्र भूषण सिंह
15. श्री राम प्रसाद सिंह
16. श्री शंकर सिंह वाघेला
17. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु
18. श्री साहिब सिंह वर्मा

19. श्री महबूब जहेदी

20. श्री नीतीश कुमार

और राज्य सभा से 10;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि यह समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

''कि पौधा संवर्धकों और कृषकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली देने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर करार के भाग 2 के अनुच्छेद 27 के पैरा 3 के उपपैरा (ख) को प्रभावी करने का उपबंध करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 30 सदस्य हों, इस सभा से 20 अर्थात्:-

1. डा. बलिराम

2. श्री अजय चक्रवर्ती

3. श्रीमती कैलाशो देवी

4. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा

5. श्री सुरेश रामराव जाधव

6. श्री रघुवीर सिंह कौशल

7. डा. रामकृष्ण कुसमरिया

8. श्री जगन्नाथ मलिक

9. श्री कमलनाथ

10. डा. रंजीत कुमार पांजा

11. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील

12. श्री शरद पवार

13. श्री नवल किशोर राय

14. श्री चन्द्र भूषण सिंह

15. श्री राम प्रसाद सिंह

16. श्री शंकर सिंह वाघेला

17. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु

18. श्री साहिब सिंह वर्मा

19. श्री महबूब जहेदी

20. श्री नीतीश कुमार

और राज्य सभा से 10;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि यह समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.05 बजे

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): मैं प्रस्ताव करती हूं:-

"कि केन्द्रीय सरकार के किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के कतिपय प्रवर्ग के लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से कारित अपराधों की जांच करने या जांच कराने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये। जिसमें 30 सदस्य हों, इस सभा से 20 अर्थात्:-

1. श्री राशिद अलवी
2. श्री पवन कुमार बंसल
3. श्री आर.एल. भाटिया
4. श्री समर चौधरी
5. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया
6. श्री प्रियरंजन दासमुंशी
7. श्री अनंत गुढे
8. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी
9. श्री सी. कुप्पुसामी
10. श्री भर्तृहरि महताब
11. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति
12. श्री पी.एच. पांडियन
13. श्री शरद पवार
14. श्री अनादि साहू
15. डा. नीतीश सेनगुप्ता
16. श्री महेश्वर सिंह
17. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह
18. श्री बलराम सिंह यादव
19. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
20. श्रीमती वसुंधरा राजे

और राज्य सभा से 10

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त पद संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है यह कि:-

"कि केन्द्रीय सरकार के किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के कतिपय प्रवर्ग के लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से कारित अपराधों की जांच करने या जांच कराने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये। जिसमें 30 सदस्य हों, इस सभा से 20 अर्थात्:-

1. श्री राशिद अलवी
2. श्री पवन कुमार बंसल
3. श्री आर.एल. भाटिया
4. श्री समर चौधरी

5. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया

6. श्री प्रियरंजन दासमुंशी

7. श्री अनंत गुढे

8. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी

9. श्री सी. कुप्पुसामी

10. श्री भर्तृहरि महताब

11. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति

12. श्री पी.एच. पांडियन

13. श्री शरद पवार

14. श्री अनादि साहू

15. डा. नीतीश सेनगुप्ता

16. श्री महेश्वर सिंह

17. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह

18. श्री बलराम सिंह यादव

19. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

20. श्रीमती वसुंधरा राजे

और राज्य सभा से 10;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त पद संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.05 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

प्रसार भारती के कार्यकरण के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करेंगे। मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि हमें यह चर्चा आज ही समाप्त करनी है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): आज एक बार फिर मैं क्रोध की बजाय अधिक दुःख के साथ प्रसार भारती के बारे में बोलना चाहता हूं जो अपने कार्यकरण में गतिहीन हो गई है क्योंकि प्रसार भारती के कार्यकरण को जानबूझकर, बदनाम करने तथा बिना विरोध के समाप्त कर दिया गया है। भा.ज.पा. नेतृत्व वाली सरकार ने दो वर्षों से कम समय में तीन सूचना और प्रसारण मंत्री दिए और तीनों ने ही अलग-अलग बातें कहीं। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि प्रसार भारती के संबंध में उन सभी की कार्यवाही का द्वेषदर्शी समान पद्धति थी।

जब मेरे मित्र प्रमोद महाजन सूचना मंत्री थे तो मैं उनकी अहानिकारक राजनैतिक स्पष्टता के कारण उनके साथ काफी निश्चिन्त था। उन्होंने सोचा कि सरकार के अपने चैनल होने चाहिए क्योंकि अब तक निजी चैनल है। मैं श्री जेटली के साथ उतना सुखी नहीं हूं क्योंकि वे बहुत प्यार से उदारवाद के बारे में बात करते है और मुझे डर है कि वे विश्वसनीय नहीं है।

इससे पहले कि मैं विभिन्न प्रहारों से निपटूं जिनसे भाजपा नेतृत्व वाली सरकार प्रसार भारती के साथ क्रूरतापूर्वक निपटी थी, मैं इस बोर्ड के इतिहास में जाना चाहता हूं। क्या मैं लोकतंत्र के पहले सिद्धांतों पर विचार कर सकता हूं? चन्दा के निगम का घोषणापत्र लोकप्रिय शब्दों से शुरू होता है, "हवा हम सब की है।" वर्ष 1948 में संविधान सभा में बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इच्छा व्यक्त की थी कि ऑल इंडिया रेडियो को यथासमय बी.बी.सी. के सदृश होना चाहिए। उस समय दूरदर्शन नहीं था।

वर्ष 1960 में चन्दा की अध्यक्षता में समिति गठित हुई जिसने आकाशवाणी के लिए स्वायत्त निगम की सिफारिश की। वर्ष 1977 के पश्चात् वर्गिज समिति की रिपोर्ट आयी जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के लिए स्वायत्त निगम की सिफारिश की गई। वर्ष 1980 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो कांग्रेस सरकार ने दो समितियां भी गठित की। एक जोशी समिति थी और दूसरी पार्थासार्थी समिति। इन सब में एक बात यह समान थी कि सबने स्वायत्त

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

निगम के गठन की सिफारिश की। ऐसा अनेक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टों के माध्यम से वर्षों और दशकों में बनी सर्वसम्मति से हुआ कि भारत की संसद दोनों सभाओं में वर्तमान अधिनियम, प्रसार भारती अधिनियम, 1990 को सर्वसम्मति से पारित कर पाई।

महोदय, माननीय मंत्री जो प्रसिद्ध वकील हैं, उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा 1995 में दिए गए ऐतिहासिक फैसले की जानकारी है। उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा:

> ''विचारों की अनेकता सुनिश्चित करने के हित में प्रसारण मीडिया को किसी एकाधिकार-चाहे वह सरकार का एकाधिकार हो अथवा व्यक्तिगत निकाय अथवा संगठन का-के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। वस्तुत: सरकारी नियंत्रण विवादी दृष्टिकोण की मुक्त अभिव्यक्ति में सहायक नहीं है।''

उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद, मैं नहीं समझता कि किसी के पास आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों को अधिकतम सांविधिक स्वायत्ता देने के अलावा कोई विकल्प बचता हो।

महोदय, मैं मंत्री हुआ करता था। मैं वहां केवल कुछ माह रहा। जब मैं मंत्री बना मैंने पहला वक्तव्य दिया था कि मेरा काम स्वयं को बेरोजगार करना होगा। मैं नहीं समझता कि हमारा लोकतंत्र इतना पिछड़ा हुआ है कि उसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय की आवश्यकता पड़े। वस्तुत: विश्व के किसी भी विकसित देश में सूचना और प्रसारण नामक कोई मंत्रालय नहीं है। मुझे वास्तव में प्रसन्नता है कि मेरे मित्र श्री अरूण जेटली को एक अन्य मंत्रिपद अर्थात् विनिवेश दिया गया है। यदि वे बेरोजगार होते तो वे आकाशवाणी और दूरदर्शन में हस्तक्षेप करते रहते। मुझे आशा है कि अतिरिक्त मंत्री पद होने के कारण वे ऐसा नहीं करेंगे। माननीय, अध्यक्ष महोदय, आशावादी होने के कारण मुझे व्यर्थ की आशा करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

महोदय, मेरे विरुद्ध एक यह आरोप लगाया गया है मैंने मंत्री के रूप में मेरे कार्यकाल के अंत में प्रसार भारती का गठन करवाया। मैं सारी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने बार-बार यह बात दोहरायी लेकिन कुछ लोग समझने के इच्छुक नहीं हैं, अत: मैं बात को दोहराने के लिए बाध्य है।

महोदय, मैं 1 मई को मंत्री बना और मैंने ये सभी वक्तव्य दिए। मैंने 22 जुलाई, 1997 को 1990 का अधिनियम अधिसूचित किया और कहा कि प्रसार भारती अधिनियम 15 सितम्बर, 1997 से लागू हो जाएगा। अत:, यह कदम रातोंरात नहीं वरन् एक विधिवत् प्रक्रिया के बाद उठाया गया था। तत्पश्चात् 30 अक्टूबर, 1997 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया। उस समय, विश्व में कम से कम किसी को पता नहीं था कि जैन आयोग की रिपोर्ट लीक हो जाएगी और हमारी सरकार संदेह के घेरे में आ जाएगी। 30 अक्तूबर, 1997 को अध्यादेश प्रख्यापित हुआ था। सरकार ने प्रवर समिति के सभापति अर्थात् उप राष्ट्रपति को लोगों के चयन कार्य में लगे रहने के बारे में लिखा। माननीय मंत्री पूर्णत: यह जानते हैं कि प्रवर समिति द्वारा किये गए चयन अंतिम है और सरकार के लिए बाध्य है। सरकार को मामले में कोई भी भूमिका अदा नहीं करनी होती है।

महोदय क्या ऐसा हो सकता है। इसके बाद भा.ज.पा. नेतृत्व वाली सरकार केन्द्र में सत्ता में आई। इसने क्या किया? वह श्री गिल से छुटकारा चाहते थे। मैं श्री गिल से न तो जुड़ा हुआ हूं और न ही मैं यह कहता हूं कि वे ही सक्षम व्यक्ति है। उनके जैसे सक्षम व्यक्ति हो सकते हैं।

जिस तरह से श्री गिल को हटाया गया, मैं उसके बारे में उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता। संसद के स्थगित होने से पूर्व स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार राज्य सभा के 124 सदस्यों ने भारत के राष्ट्रपति को एक प्रति भेजने सहित प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा कि वे इस संशोधन का विरोध करेंगे। विधेयक को जानबूझकर राज्य सभा में नहीं ले जाया गया। संसद के स्थगित होने के पश्चात् उन्होंने अध्यादेश प्रख्यापित किया।

मैंने जो अध्यादेश प्रख्यापित किया था, उसके साथ इस अध्यादेश की बराबरी करने की प्रवृत्ति है। जब मैंने अध्यादेश प्रख्यापित किया था तब कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए समर्थन के कारण हमें दोनों सदनों में समर्थन प्राप्त था। मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता से परामर्श किया। दूसरे, अध्यादेश प्रख्यापित करने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन उन्होंने इसे सभा में प्रस्तुत नहीं किया। वे परिवर्तन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। क्या आपने प्रस्तुत किया था? मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं संसद के समक्ष अध्यादेश प्रस्तुत करने हेतु वहां नहीं था। लेकिन वे वहां थे। उन्होंने अध्यादेश प्रख्यापित किया और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को हटा दिया लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्री अध्यादेश के साथ संसद में कभी नहीं आए। जिस तरह से राज्य सभा की जानबूझकर उपेक्षा की गई उस संबंध में यह संविधान के साथ सबसे बड़ा धोखा किया गया है।

ठीक है, श्री गिल का रहना अनिवार्य नहीं है लेकिन किसी और को नियुक्त किया जा सकता था। किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है। दो वर्ष पूरे हो चुके हैं। बोर्ड के दो सदस्यों ने सेवानिवृत्त होना है। 1 अप्रैल, 1999 को मुझे यह बताया गया था, मेरे लिए यह जानना आवश्यक नहीं है कि उनके मंत्रालय में क्या चल रहा है और मंत्री ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस संबंध एक अधिसूचना थी कि प्रसार भारती बोर्ड के छह में से

दो सदस्य को अनेक लोगों को निकालने की निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से सेवानिवृत्त किया जाएगा। वास्तव में एक को राज्यपाल बना दिया गया। मैं नहीं जानता इस अधिसूचना का क्या हुआ। एक सुबह, दो लोगों को चुना गया – प्रो. रोमिला थाप्पर और श्री राजेन्द्र यादव।

प्रो. रोमिला थाप्पर वामपंथी हैं जो बौद्धिक हिंसा, विश्लेषणात्मक अशिष्टता और शैक्षिक अश्लीलता में संलिप्त है। यह विडम्बना है कि प्रो. रोमिला थाप्पर को हटाए जाने से दस दिन पहले ब्रिटिश रॉयल अकादमी की फैलोशिप से सम्मानित किया गया था जोकि एक सर्वोच्च सम्मान है जिसे ग्रेट ब्रिटेन सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में दे सकती है। प्रो. राधाकृष्णनन् पहले भारतीय थे जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अन्य भारतीय जिन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया उनमें एम.एन. श्रीनिवास, भारतीय समाज विज्ञान के निर्माता जिनका हाल में देहांत हो गया है और के.एन. राज, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रवर सदस्य जैसे लोग शामिल हैं। प्रो. रोमिला थाप्पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात ऐतिहासकार हैं। वे लोग इस तरह की महान हस्ती को अपमानित करते हैं। ये हरेक में कमियां ढूंढ़ते हैं।

वे मैककारथिज्म का मार्ग अपना रहे हैं। श्री राजेन्द्र यादव उनके लिए बस एक वामपंथी से बढ़कर कुछ नहीं हैं। ठीक है, वे अज्ञानी वाममार्गी हैं जिन्हें इतिहास के कूड़ेदान तक सीमित रखा जाना चाहिए। क्योंकि अब तो भा.ज.पा. सत्ता में है। इसके अतिरिक्त और किया भी क्या जा सकता है?

इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? परन्तु उन्होंने अन्य लोगों के साथ क्या किया है? प्रो. यू.आर. राव को केवल चार वर्ष की अवधि के लिए योग्य पाया गया है। क्या हमारे पास अन्य कोई ऐसा विलक्षण अंतरिक्ष वैज्ञानिक है जिसे संचार सम्बन्धी इतना अधिक अनुभव प्राप्त हो? प्रो. यू.आर. राव के अतिरिक्त कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसे इनसैट के बारे में अधिक ज्ञान था? क्या मैं माननीय मंत्री महोदय को इस जानकारी से अवगत कराऊं कि प्रो. यू.आर. राव को अपने महाकार्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विमान विज्ञान परिषद् ने प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया? उन्होंने अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी की उपयोज्यता युक्ति के बारे में लिखा। उन्हें मात्र चार वर्ष का कार्यकाल दिया गया।

श्री आबिद हुसैन ने एक नौकरशाही के रूप में और एक कूटनीतिज्ञ के रूप में स्वयं को उजागर किया और वे अब संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के रिपोर्टर नियुक्त किये गए है परन्तु केवल चार वर्ष की अवधि के लिए। क्या इस प्रकार की विलक्षण प्रतिभा वाले लोगों के साथ सरकार ऐसा सलूक करेगी? श्री वर्गीज के साथ उन्होंने कुछ दयापूर्ण रूख तो बरता। उन्होंने उन्हें छः वर्ष का कार्यकाल दिया परन्तु साथ ही उन्होंने छः वर्ष के कार्यकाल वाली एक रिक्ति खाली भी रखी। महोदय, वह किसके लिए?

अब, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक प्रसार भारती बोर्ड है। कितना भ्रमपूर्ण बोर्ड है हमारे यहां। हमारे यहां कार्यकारी महानिदेशक, दूरदर्शन विद्यमान हैं, एक कार्यकारी महानिदेशक आकाशवाणी मौजूद हैं और एक मुख्य अधिशासी अधिकारी। इनमें से कुछ भी वर्तमान मुख्य अधिशासी अधिकारी के विरूद्ध नहीं है। वे एक श्रेष्ठ अधिकारी हैं। परन्तु वे भारत सरकार के लिए एक अपर सचिव हैं। यह मेरी शिकायत है कोई चेयरमैन/सभापति नहीं है। श्री निखिल चक्रवर्ती की भी एक वामपंथी के रूप में भर्त्सना की जाती थी। चाहे वे भारतीय पत्रकारिता के वरिष्ठ सदस्य रहे। महोदय उन्होंने रिक्ति को भरना उचित नहीं समझा। उन्होंने अभी तक प्रसार भारती अधिनियम के अन्तर्गत कोई नियम नहीं बनाये हैं, यह जानबूझकर छोड़ा गया कार्य है। उन्होंने जल्दी कार्यवाही न करने की भूल की है।

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार न केवल घाव करने की अपितु मारने तक का कार्य करने की इच्छुक है। परन्तु वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि राज्य सभा में उनका बहुमत नहीं है। यदि ऐसा हो पाता, तो प्रसार भारती विधेयक बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा दिया गया होता। इसके बजाय वे क्या हैं? यह तो बहुत दम घोटने वाला है। संस्था का दम घोटा जा रहा है यदि आरम्भ काल में इस तरह से दम घोटा जाएगा इस संस्था की प्रगति अवरूद्ध हो जाएगी।

अतः, मैं अध्यक्ष महोदय बड़े दुःख के साथ बात कर रहा हूं क्योंकि उन लोगों पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है जिनसे संवेदनशीलता से नहीं निपटा जा सकता। अब हमारे मंत्री महोदय ने एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है "ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, जो केवल संचार-माध्यमों से लिये गए हो।" अतीत में यह कहा जाता था "युद्ध इतना महत्वपूर्ण है कि इसे जनरलों के ऊपर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। प्रसार भारती इतना महत्वपूर्ण है कि इसे समाचार माध्यम विशेषज्ञों के ऊपर ही छोड़ दिया जाना चाहिए।" भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ लिये जाने चाहिए, जिससे कि मेरे मतानुसार विचारों का आदान-प्रदान हो सके। भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग होंगे। कभी भी बहुत देर नहीं होती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं अपना सांस क्यों फुला रहा हूं क्योंकि किसी निकाय को पुनर्जीवित करने में कभी कोई देरी नहीं होती। अब बजा-बजा कर यह प्रचार किया जा रहा है कि प्रसार भारती बोर्ड असफल हो गया है।

आपने कभी भी इसे कार्यकरण की अनुमति नहीं दी। यह कभी भी पूर्णरूप से गठित नहीं हुआ। आप शुरू से ही इसे बन्द करने का प्रयास करते रहे हैं।

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

श्री अरूण जेटली, एक व्यावसायिक वकील होने के नाते, व्यावसायिकता पसन्द करते है। परन्तु वह किस स्तर पर? यह चाहे कार्यकरण के स्तर पर ही हो, पर हो तो प्रसार भारती बोर्ड के सदस्यों के स्तर पर। मुझे खुशी है कि श्री नीतिश सेनगुप्त यहां हैं जो एक समिति में कार्यरत रहे हैं। वह समिति के प्रमुख भी रहे हैं। यदि मैं बिलकुल ठीक और सही कहूं तो यह कि उन्होंने बहुत उपयोगी सिफारिशें की। मैं इनमें से कुछ सिफारिशें उद्धृत करता हूं। मैं उन बातों का उल्लेख करूंगा जब मैंने एक अध्यादेश पुर:स्थापित किया। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि मेरे डर झूठे निकलेंगे। व्यावसायिकता के नाम पर वे केसरियाकरण को शामिल कर सकते है। मुझे यही सबसे बड़ा डर लग रहा है। मैं अपने गैर भाजपाई सहयोगियों से पूछना चाहूंगा कि उनमें से किसी को भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय या प्रसारण मंत्रालय क्यों नहीं दिया गया।

प्रिय मित्र जागें और इस बात को महसूस करें कि आप में से किसी को भी इन मंत्रालयों हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया आप कार्यसूची को आगे बढ़ाने में विश्वास योग्य नहीं हैं।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): क्या आप यह चाहते हैं कि हम भी आपके समान अपना दल बदल कर कांग्रेस में चले जाएं? क्या आप सभी को उसी दल में जाने के लिए कह रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम भी वैसा ही करें जैसा आपने किया है?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : कुछ हस्तक्षेपों को बहुत उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे माननीय मंत्री जी बेशक यह कहें कि प्रसार भारती का परीक्षण हो रहा है। आपके माध्यम से मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि प्रसार भारती का परीक्षण नहीं हो रहा यह तो माननीय मंत्री जी का परीक्षण हो रहा है। अब आप कटघरे में हैं। मुझे आशा है कि कम से कम अब तो आप देश के समग्र आह्वान से जागृत होंगे और इलैक्ट्रानिक माध्यमों को सरकार के दबाव से मुक्त करायेंगे।

मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं जब सरकार ने हस्तक्षेप किया, उनके मंत्री काल में नहीं अपितु उनके पूर्ववर्ती काल में। परन्तु मैं सभा का समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। मैं सिद्धांतों की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी वक्त की आवाज़ सुने और देखें कि इस बालक को उसके प्राकृतिक गति से बढ़ने का अवसर मिले। हमारे माननीय मंत्री जी को यह भी महसूस करना चाहिए कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यदि सरकार यह सोचती है कि उसका अपना एक चैनल होना चाहिए तो ठसका अपना एक समाचारपत्र होना आवश्यक है। आप अपना अखबार निकाल सकते हैं परन्तु आपको इसके पाठक नहीं मिलेंगे। अत: अपने पुराने अतीत से बाहर आइए क्योंकि आप अभी भी ईसा पूर्व शती में रह रहे हैं जबकि हम तीसरे मिलेनियम की ओर अग्रसर हैं। मुझे आशा है कि इन्टरनेट के माध्यम से, आप हम सबके साथ तीसरे मिलेनियम की ओर गमन की यात्रा करने में सक्षम होंगे।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): सभापति महोदय, आपने मुझे यह अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

चूंकि श्री एस. जयपाल रेड्डी ने प्रसार भारती से सम्बन्धित जिस समिति का उल्लेख किया है, उसका अध्यक्ष मैं था और वह समिति इस विषय से सम्बन्धित अनेक समितियों में से अन्तिम रही थी, अत: मैं इसकी संक्षिप्त पृष्ठभूमि देना चाहता हूं। यह समिति तब गठित हुई जब श्री पी.ए. संगमा सूचना और प्रसारण मंत्री थे। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब उन्होंने मुझे समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए बुलाया। मैंने कहा मैं समाचार-माध्यमों से सम्बन्धित नहीं हूं, आप मुझे क्यों यह काम दे रहे हैं? जिसके उत्तर में उन्होंने कहा "नहीं मैं आपके जैसा कोई व्यक्ति चाहता हूं जो प्रबन्धन में विशेषज्ञ हो, जो प्रशासन में विशेषज्ञ हो, जो हमें यह बताये कि अधिनियम में क्या गलती है?"

वर्ष 1990 की पृष्ठभूमि देखते है, जब दूरदर्शन का आधिपत्य था। यही कारण था कि स्वायत्तता का प्रश्न भयंकर रूप से महत्वपूर्ण बन गया। वर्गीज समिति तथा सभी अन्य समितियों ने यह महसूस किया कि चूंकि समाचारों और नये-नये मामलों के ऊपर सरकार को असीमित शक्तियां हासिल थे, अत: सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर पूरा आधिपत्य रखने का अनुचित लाभ उठा सकता था। अत: स्वायत्तता वांछित थी। परन्तु इतिहास में एक विरोधाभास के द्वारा दूरदर्शन ने अपना सम्पूर्ण आधिपत्य खो दिया जब प्रसार भारती अधिनियम के विषय में चर्चा बन्द हुई।

आपको याद होगा कि सी.एन.एन. ने क्या भूमिका अदा की जब कुवैत-ईराक में युद्ध भड़का। उपग्रह संचार और डिश एनटीना से पैदा हुई समस्त शक्ति पहली बार अन्वेषित हुई। इसके बाद शेष सभी चैनलों, भारतीय और विदेशी का आगमन हुआ।

अपराह्न 4.31 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*)

सभापति महोदय, अब भारतीय दर्शक मात्र दूरदर्शन के आधिपत्य से ही आबद्ध नहीं हैं। उसके पास बहुत कुछ चुनने को है-बी.बी.सी., सी.एन.एन. और कई अन्य भारतीय चैनल। वास्तव में उस समिति को दी गई बहुत सी सिफारिशों में से एक यह थी कि इस मुद्दे

से जुड़े रहना बेकार है कि हम अन्य उपग्रह चैनलों से जोड़ने की आज्ञा नहीं देंगे।

वह एक अल्पकालिक समिति थी और सरकार को इतनी कम लागत में किसी समिति ने ऐसी रिपोर्ट नहीं दी थी। न ही सभापति जी ने और न ही किसी सदस्य ने कोई मानदेय या और कुछ लिया। उन्होंने केवल यात्रा खर्च लिया।

श्री पी.ए. संगमा के बाद श्रीमती सुषमा स्वराज आईं। उन्होंने मुझे समिति को फिर से प्रेरित करने और शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। मैं पहले अंतरिम रिपोर्ट और उसके बाद अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहा था। मुझे शीघ्र अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। बाद में श्री सी.एम. इब्राहिम मंत्री बने। उनके उपग्रह चैनलों पर काफी कड़े विचार थे। उन्होंने कहा "भारत सरकार केवल मेरी लाश पर ही विदेशी चैनलों को अपलिंकिंग सुविधा की अनुमति देगी।" मैंने कहा "आपका यह दृष्टिकोण हो सकता है पर क्या आप इंटरनेट को आगे से रोक सकते हैं? उपग्रह चैनलों जैसी संप्रभुता एजेंसियों को बिना किसी नियंत्रण के कार्य करने की अनुमति देने में क्या मुद्दा शामिल है? इससे अच्छा यह है कि उन्हें लाइसेंस दे दिया जाए जिससे सरकार को न केवल लाइसेंस और अनुमोदन की शर्तें रखने की शक्ति मिलेगी बल्कि भारत सरकार के खजाने में बहुत सी विदेशी मुद्रा आएगी। यह किया गया था परंतु किन्हीं कारणों से आज यह स्वायत्तता समाप्त हो गई है। आज भारतीय दर्शक दूरदर्शन के एकाधिकार से बंधा नहीं रह गया है। अत: स्वायत्तता के प्रश्न का बहुत कम महत्व रह गया है। वह यह आधार है जिसे मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य महत्व दे।

बी.बी.सी. के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। बी.बी.सी. में सबसे पहला चैनल सरकार के लिए था जो सरकार के विचारों के प्रचार के लिए था। बी.बी.सी. के लिए सरकार द्वारा निदेश दिए जाने हेतु बी.बी.सी. में भी एक प्रावधान है हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस शक्ति का केवल एक बार प्रयोग किया गया है। फॉकलैंड द्वीप विवाद के दौरान, जब बी.बी.सी. ब्रिटिश पनडुब्बी द्वारा अर्जेन्टाइना के एक क्रुजर को डुबाने का काफी प्रचार कर रही थी, उसमें काफी मानवीय दृष्टिकोण था और उसमें दिखाया गया कि ब्रिटिश पनडुब्बियां समुद्र के अंदर जाने वाले अर्जेन्टाइना के लोगों के प्रति कितनी निष्ठुर थीं उस समय, एक निदेश जो सरकार द्वारा बी.बी.सी. को अर्द्ध शताब्दी में जारी किया गया है वह निम्नलिखित था "कृपया इसे अधिक न दिखाएं।" परंतु ऐसा नहीं किया गया।

इतना ही काफी नहीं है कि इसके लिए कानून है परंतु काफी कुछ उन परम्पराओं पर निर्भर करता है जो हम बनाते हैं। विभिन्न प्रक्रियाएं और स्वस्थ परम्पराएं जो हम धीरे-धीरे बनाते हैं वही वास्तव में हमारे ऊपर शासन करने जा रहे हैं। खाड़ी देशों में उस विवाद के बाद, काफी राजनैतिक परिवर्तन आए। शायद सरकार की वास्तविकता को समझने में कुछ समय लगे। मेरे विचार में बृहत परिवर्तनों और शीघ्र बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वे प्रसार भारती अधिनियम को नया रूप देंगे।

मैंने परिवर्तन की दो प्रक्रियाओं की बात की थी। जब मेरी समिति विचार कर रही थी तक डी.टी.एच. नामक कुछ नहीं था परंतु मूलत: यह केवल डिश एनटीना आदि के बारे में था। परंतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कुछ समय बाद, डी.टी.एच. सामने आया और मामले को फिर उलझा दिया।

अब भी सरकार यह निर्णय नहीं ले पा रही है कि सामने आने वाली इन प्रौद्योगिकीय कठिनाईयों से कैसे निपटा जाए।

सभापति महोदय, मेरे अच्छे मित्र श्री जयपाल रेड्डी ने उनके ऊपर अभियोग लगाना और मनमानेपन आदि का उल्लेख किया है। क्या यह पूर्णत: सत्य है? क्या यह सत्य है कि जब उन्होंने यह घोषित किया था कि प्रसार भारती अधिनियम को लागू किया जाएगा तो उन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। परंतु अगर मैं गलत नहीं हूं तो 17 अथवा 18 नवम्बर, 1997 को कांग्रेस ने समर्थन वापस लेने की घोषणा की 19 तारीख को चयन समिति की बैठक हुई। यह पहले भी हो सकती थी। 19 तारीख को चयन समिति की बैठक हुई और 20 तारीख को मध्य रात्रि में जब कांग्रेस ने समर्थन वापिस लिया तो नई समिति की घोषणा कर दी गई।

संवैधानिक औचित्य की मांग यही है कि इतना प्रमुख निर्णय अनुवर्ती मंत्री अथवा अनुवर्ती सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यदि निर्णय लिया भी जा चुका था तो यह कहा जाना चाहिए था कि चूंकि वे बहुमत खो चुके है, चूंकि यह सरकार जा रही है इसलिए यह मामला अनुवर्ती सरकार के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। अत: मेरा विचार है कि सरकार को इस परिवंचना का दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है। मैं कड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। वे मेरे अच्छे मित्र हैं। शायद उस समय यह अनुचित था कि इस अधिसूचना को जारी करने में जल्दी की गई।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : चूंकि आपने मेरा जिक्र किया है इसलिए यदि आप चुप हो जायें तो मैं स्पष्टीकरण दूं?

डा. नीतिश सेनगुप्ता : जी हां, बिल्कुल।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : सर्वप्रथम यह कहना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने 17 नवम्बर को अपना समर्थन वापस ले लिया था। 17 नवम्बर को कांग्रेस पार्टी ने

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

कहा था कि यदि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के मंत्री नहीं हटाए जाते हैं तो समर्थन वापस लेना मजबूरी होगी। श्री सेनगुप्त एक अनुभवी नौकरशाह हैं लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में वह अभी बच्चे हैं। अतः उन्हें इस अजनबी राह पर चलने का प्रयास करना चाहिए।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : अन्य मुद्दे सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने में जल्दबाजी करने से संबंधित हैं। 20 तारीख तक यह बिल्कुल स्पष्ट था कि कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले रही है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : जी नहीं, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं था। महोदय, इस बात को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि श्री नीतिश सेनगुप्ता जैसी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति ने यह मामला उठाया है क्योंकि इससे मुझे अपने स्पष्टीकरण सहित रिकार्ड अध्ययन करने की अनुमति मिली है। किसी भी तिथि का जिक्र कीजिए। मैंने कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति से 30 अक्तूबर को चयन करने का अनुरोध किया गया था। इसके पश्चात् सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। दूसरे, 23 नवम्बर को एक अधिसूचना द्वारा बोर्ड का गठन किया गया तब तक सरकार औपचारिक रूप से नहीं गिरी थी। कांग्रेस ने भारत के राष्ट्रपति को लिखा ही नहीं था। मैं इस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता हूं।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : प्रश्न यह है कि क्या अधिसूचना जारी करना सही था क्योंकि अधिसूचना जारी करने की शक्ति सरकार के पास निहित होती है। उस समय सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए थी कि यह महत्वपूर्ण निर्णय है। ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): विगत छः महीनों के दौरान, चुनावों से पूर्व सरकार द्वारा कितने निर्णय लिए गए थे? अब आप उस समय लिए गए एक निर्णय का जिक्र कर रहे हैं।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : हम अपनी चर्चा को इसी विषय तक सीमित रखें।

हटाए जाने के मामले में एक प्रश्न उठाया गया था – मुझे नहीं पता कि क्या हम इसे हटाया जाना कहेंगे अथवा कानून के अन्तर्गत यह पद रिक्त करना है। मैंने बताया है कि सम्पूर्ण अधिनियम में बहुत सी त्रुटियां थी। जिसके कारण इसके प्रमुख रचियता श्री उपेन्द्र को प्रेस में एक वक्तव्य जारी करते हुए यह कहना पड़ा था कि यह अधिनियम व्यवहारिक दृष्टि से अव्यवहार्य बन गया है। इसी कारण वर्ष 1990 से 1997 तक इस अधिनियम के कार्यान्वयन में काफी विलम्ब हुआ। एक के बाद एक सरकारें आई परन्तु किसी ने इस अधिनियम के बारे में कोई चिंता नहीं की, यद्यपि यह सर्वसम्मति से पारित हुआ है।

ठीक है, निश्चय ही पहली बार श्री एस. जयपाल रेड्डी को इस अधिनियम के कार्याम्वयन का श्रेय जाता हैं। जब मीडिया के लोगों ने श्री नीतिश सेनगुप्ता समिति की सिफारिश के बारे में पूछा, जिनमें से कुछ सिफारिशें बहुत ही उचित हैं तो उन्होंने यह घोषणा की कि वह उन्हें बाद में विधि द्वारा लागू करेंगे परन्तु उसके बाद वे इस विधान को पुरःस्थापित करने की जल्दी की क्योंकि आठ वर्षों तक उन्होंने इस पर कार्यवाही नहीं की थी। इस अधिनियम को पारित होने तथा इसके कार्यान्वयन के बीच आठ साल का अंतराल आया। ये आठ साल बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आज प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के क्षेत्रों में काफी बदलाव आ गया है। अब वे बातें नहीं रही जो सत्तर तथा अस्सी के दशक में थी। यह बात अधिनियम में ही उल्लिखित है कि सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा तथा उनमें से एक-तिहाई लोग प्रत्येक दो वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होंगे। उनमें से प्रत्येक दो को सरकार प्रत्येक दो वर्ष के बाद सेवा-निवृत्त करेगी। सरकार के पास यह अधिकार है तथा सरकार ने इसका उपयोग भी किया। मैंने भी कुछ भी थोड़े तथ्य इकट्ठे किए है उसके अनुसार वास्तव में सरकार ने उन्हीं लोगों पर ध्यान केन्द्रित किया जो मीडिया में थे तथा जिनका मीडिया के क्षेत्र में सीधा व्यावसायिक संबंध था तथा सरकार ने उन्हें बनाए रखने का फैसला किया। सरकार ने उन्हीं लोगों को सेवा-निवृत्त करने का फैसला लिया जिनके पास इस प्रकार का व्यावसायिक अनुभव अथवा मीडिया क्षेत्र से कोई सीधा लगाव नहीं था। एक महिला तथा एक सज्जन व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने का कारण यही था। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएं कि भाजपा समर्थक एक भी व्यक्ति को नहीं चुना गया तथा उनके बदले में उन्हें नहीं रखा गया। मैं इस बात को समझ सकता था यदि सरकार ने सारे चीजों को भगवा रंग में रखने का मन बना लिया होता तथा सभी वामपंथियों को हटाने की बात की होती। लेकिन तथ्यों से यह बात जाहिर नहीं होती क्योंकि एक भी भाजपा समर्थक को उनके जगह पर नियुक्त नहीं किया गया। वे पद आज भी रिक्त पड़े है और मुझे देखना है कि सरकार क्या करने जा रही है। मैं समझता हूं कि खासकर वामपंथी अथवा वामपंथ के विरोध के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया रखकर इस स्तर पर सरकार को दोष देना उचित नहीं है। सरकार ने अंतरिक्ष वैज्ञानिक श्री यू.आर. राव तथा श्री आबिद हुसैन जैसे प्रमुख लोगों को बनाए रखने का निर्णय लिया है। श्री निखिल चक्रवर्ती जो कि मेरे सलाहकार थे अब नहीं रहे। अतः अब जो है नहीं उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं। अतः मैं समझता हूं कि मंत्री या सरकार पर इस बात के लिए दोष लगाना कि उन्होंने दो सदस्यों को हटाया तथा अन्य को रखा उचित नहीं है। यह न तो लाल है न भगवा है।

सरकार के पास उनमें से दो सदस्यों को हटाने का अधिकार था और उसने केवल कानून के प्रावधानों का पालन किया था। इन दो सदस्यों में एक तो उच्च न्यायालय में भी गया था और मैं समझता हूं कि उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। अत: उच्च न्यायालय ने कानून को पढ़ा है तथा कानून में जो कुछ भी है उसके आधार पर ही उन्होंने निर्णय लिया है। यह कहा गया है कि भाजपा के तीन मंत्रियों ने तीन तरह की बातें कहीं हैं। इससे केवल यही परिलक्षित होता है कि भाजपा के अंदर भी लोकतंत्र है। इससे सिर्फ यही साबित होता है कि उन पर संघ परिवार अथवा किसी अन्य संगठन का नियंत्रण नहीं था। श्रीमती सुषमा स्वराज ने प्रसार भारती में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखायी थी। उन्होंने उनमें से कुछ सिफारिशों को लागू करना चाहा था जिनका मेरी समिति ने अनुमोदन किया था। तब श्री प्रमोद महाजन ने एक बयान दिया था कि स्वायत्तता प्रदान करने के पीछे क्या लक्ष्य है जिसके चलते सरकार इससे इतनी दिलचस्पी ले रही है तथा इतना पैसा खर्च कर रही है। मैंने अभी-अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अनेक क्षेत्रों में आए बदलाव के कारण स्वायत्तता का सारा मामला अब अप्रासंगिक हो गया है।

मैं समझता हूं कि राजनैतिक, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में आए बदलाव को देखते हुए सरकार को अब एक नया प्रसार भारती अधिनियम लाना चाहिए जिससे कोई कानूनी कठिनाई न पैदा हो। अत: मैं आशा करता हूं कि 1990 के बाद आए परिवर्तनों का ख्याल रखा जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश श्री जीवन रेड्डी ने कहा है कि हमारे चारों तरफ जो कुछ घट रहा है उसको नियंत्रित करने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन तब दूरदर्शन सरकारी मीडिया का एक अंग होगा।

अत: उस समिति जिसका उल्लेख किया गया था तथा जिसका मैं अध्यक्ष था, ने यह सिफारिश की थी कि बी.बी.सी. की तरह चैनल-I को केवल सरकारी दृष्टिकोण, समाचार अथवा समसामयिक संदर्भ के मामलों का प्रसारण करना चाहिए तथा चैनल I, II, और III को कृषि, स्वास्थ्य, तथा जनसंख्या जैसे विषयों तक सीमित होना चाहिए। वस्तुत: विज्ञापनों के जरिए अपने संसाधन के हिस्से को भी बढ़ाने की अनुमति होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय मूल बात यह है कि आज की तारीख में आप दूरदर्शन को अनेक निजी चैनलों के प्रतिस्पर्धा में कैसे टिका पाते हैं। दूरदर्शन राष्ट्रीय सम्पत्ति है लेकिन इसे प्रतिस्पर्धात्मक बनना पड़ेगा। व्यावसायीकरण अथवा व्यवसायवाद के दृष्टिकोण से यह सही है।

दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के संबंध में मेरी अन्य सिफारिश यह थी। पूर्व में दूरदर्शन आकाशवाणी प्रणाली का एक भाग था लेकिन इसका कोई कारण नहीं दिखता कि वे एक साथ बने रहे। उन्हें अलग-अलग होना चाहिए क्योंकि उनकी प्रौद्योगिकी, उनकी शैली तथा यहां तक कि उनके कार्यक्रम भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते जा रहे हैं। अगर आप दूरदर्शन पर कोई वार्ता या कुछ देख रहे हों तो आपको लगेगा कि यह सब कुछ आकाशवाणी की तर्ज पर बनाया गया है। लेकिन यदि आप कहीं और दूरदर्शन का कार्यक्रम देख रहे हों तो आप बिल्कुल भिन्न प्रौद्योगिकी पायेंगे। मुझे खेद है कि मैंने इन बातों की विस्तृत चर्चा की।

दूसरा प्रश्न दूरदर्शन तथा आकाशवाणी को एक साथ रखने का है। दूरदर्शन काफी आकर्षक है। आकाशवाणी का हर आदमी दूरदर्शन में जाना चाहता है। मैं कहता हूं कि जो दूरदर्शन में हैं वे दूरदर्शन में ही बने रहे। सिर्फ पदोन्नति के लिए वे आकाशवाणी में जाते है, पुन: दूरदर्शन में लौट आते है तथा फिर जितना ही जल्द हो सके दूरदर्शन में लौट आते हैं। अध्यक्ष महोदय, यही वर्तमान स्थिति है।

जैसा कि मैंने सिफारिश की है सांविधिक निगम के बजाए दूरदर्शन तथा आकाशवाणी को दो अलग-अलग संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी होना चाहिए। श्री जयपाल रेड्डी से मेरी विस्तृत चर्चा हुई थी और उन्होंने पूछा था कि मैंने 50,000 करोड़ रुपये का अनुमान कैसे लगाया जिसे ऐसा माना जा रहा है कि सरकार उसे सम्पत्ति का मूल्य दे रही है।

मैंने उन्हें बताया कि यह सब कुछ उन आंकड़ों पर आधारित है जो विभाग द्वारा मुझे दिए गए थे। मैंने कहा था कि शेयरों को सरकार अथवा अन्य लोगों को भी जारी किया जाना चाहिए तथा उन्हें संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी तथा अलग कम्पनी के रूप में बदल दिया जाना चाहिए। कौन कहता है कि रेडियो अब अप्रचलित हो गया है। आज पश्चिमी देशों में कई आश्चर्यों में से रेडियो का पुन: प्रचलन में आना भी एक है। यह टी.वी. के साथ उसी प्रकार प्रतिस्पर्धा में है जैसे भू-स्टेशन उपग्रहों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

मैंने काफी समय ले लिया है। मुझे इसके लिए खेद है। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि सरकार ने कोई धोखा-धड़ी की है अथवा जानबूझकर इसका उपयोग किया है अथवा कानून में हेराफेरी की है। बल्कि उन्होंने कानून के दायरे में काम किया है जो उस अधिनियम में लिखित है जो 1990 में सर्वसहमति से पारित किया गया था।

अपराह्न 4.46 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

"(एक) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरूवार, 9 दिसम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:

'कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लोक सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु अपने सात सदस्यों के नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और उक्त समिति में कार्य करने हेतु सभा के सदस्यों में से सात सदस्यों को सभापति द्वारा बताए तरीके के अनुसार निर्वाचित करें।'

2. मुझे इसके आगे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुपालन में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए निर्वाचित किया गया है:-

1. श्री वायालार रवि
2. श्री के. रहमान खान
3. श्री के.आर. मलकानी
4. श्री सतीश प्रधान
5. श्री मोहम्मद सलीम
6. श्री जे. चितरंजन
7. श्री जयन्त कुमार मल्होत्रा

(दो) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरूवार, 9 दिसम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किए है:

'कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु अपने सात सदस्यों के नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और उक्त समिति में कार्य करने हेतु सभा के सदस्यों में से सात सदस्यों को सभापति द्वारा बताए तरीके के अनुसार निर्वाचित करे।'

2. मुझे इसके आगे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपयुक्त प्रस्ताव के अनुपालन में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए निर्वाचित किया गया है:-

1. श्री एच. हनुमनतप्पा
2. श्री सुरेश कलमाड़ी
3. डा. गोपालराव विट्ठलराव पाटील
4. श्री गोपाल सिंहजी सोलंकी
5. श्री जीवन राय
6. श्री रंजन प्रसाद यादव
7. श्री के. कलावेंकट राव

(तीन) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरुवार, 9 दिसम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है:-

'कि यह सभा संकल्प करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2000 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी दोनों सभाओं की समिति में अवश्य सम्मिलित सहयोजित हो और उक्त समिति में कार्य करने हेतु सभा के सदस्यों में से दस सदस्यों को एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार मतदान द्वारा निर्वाचित करे।'

2. मुझे इसके आगे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुपालन में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए निर्वाचित किया गया है:-

1. श्री राजूभाई ए. परमार
2. श्री झुमक लाल भेंडिया
3. श्रीमती जयप्रदा नाहटा
4. श्री सी.पी. तिरूनावुक्कारासु

5. श्री सुखदेव सिंह लिब्रा

6. श्री गांधी आजाद

7. श्री सनातन बिसि

8. श्री मोहम्मद आजम खान

9. श्री रामनाथ कोविन्द

10. श्री गोविन्दराम मिरी''

अपराह्न 4.48 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

प्रसार भारती के कार्यकरण के बारे में – *जारी*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, सत्ता में भा.ज.पा. और सत्ता से बाहर भा.ज.पा. दो अलग-अलग चेहरे हैं। मैं यह तब कह रहा हूं जब मैं स्वायत्तता के विषय में बल्कि स्वायत्तता की अनिच्छा के विषय में, विशेषकर दो इलैक्ट्रानिक माध्यमों दूरदर्शन और आकाशवाणी के संबंध में श्री प्रमोद महाजन द्वारा पहले कही गई और श्री अरूण जेटली द्वारा आज कही गई बात की तुलना करता हूं। यदि हम, सरकार जो आज कहती है उसकी तुलना पहले कहे गए कथन से करते हैं तो मेरे इस कथन कि सत्ता में और सत्ता से बाहर भाजपा के दो चेहरे की पुष्टि हो जाएगी। मैं केसरिया शिविर के एक बड़े व्यक्तित्व का उल्लेख कर रहा हूं। उनका नाम श्री लाल कृष्ण आडवाणी है। श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आने के तुरंत बाद जनता सरकार में श्री आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री थे। आप यह देख सकते हैं कि उन्होंने उस समय क्या कहा था। निसन्देह मंत्री जी अब कह सकते हैं कि दो दशक बीत गए और बहुत से परिवर्तन हो गए हैं। मंत्री जी तकनीकी परिवर्तनों के प्रति ज्यादा सचेत प्रतीत होते हैं।

वह जवाबदेही पर जोर देने का प्रयास कर रहे हैं। वे दूरदर्शन और आकाशवाणी के विश्वसनीयता के पहलू पर ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु स्वायत्तता की संकल्पना के विषय में चीजों में बहुत परिवर्तन नहीं आया है। जैसा कि हमारे सम्मानित साथी श्री एस. जयपाल रेड्डी ने सही ध्यान दिलाया है कि 1960 से कई समितियों, कई व्यक्तियों, विशेषज्ञों, सांसदों और मंत्रियों द्वारा स्वायत्तता के एकमात्र विकल्प पर बल दिया जा रहा है। स्वायत्तता कई प्रकार की हो सकती है। वहां लोक स्वायत्तता होनी चाहिए ताकि लोगों की सूचना तक पहुंच हो सके। लोगों को अपनी भावना, सन्देश आदि के लिए सूचना का अधिकार है और उस तक पहुंचने का भी।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1995 के ऐतिहासिक निर्णय में ठीक कहा था कि एयरवेज एक सार्वजनिक सम्पत्ति है। उस पर न कोई सरकारी नियंत्रण हो सकता है अथवा उस मामले में न ही कोई निजी नियंत्रण हो सकता है। यह ऑक्सीजन अथवा नदी के जल की भांति हैं। एयरवेज एक सार्वजनिक सम्पत्ति है।

मैं भाजपा के दो चेहरों का उल्लेख कर रहा था। अब मैं उनके दो विचारों का उल्लेख करूंगा। वह दूसरी पीढ़ी के सुधारों की बात कर रहे हैं। हालांकि वह यह भी नहीं जानते कि पहली पीढ़ी के सुधारों का क्या हुआ। अपने घोषणापत्र में उन्होंने लिखा है कि सन् 1991 से छः वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने सुधार प्रक्रिया को व्यर्थ कर दिया है और उन्होंने देश को दुख और विपत्ति की स्थिति में पहुंचा दिया है। सुधार प्रक्रिया के आठ वर्षों में छः वर्षों का उल्लेख वे इस प्रकार करते हैं। अंत के दो तीन वर्षों में वे दूसरी पीढ़ी के सुधारों के लिए अचानक उठ खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वे यह बेच रहे है या वह बेच रहे हैं, वे इसे प्लैटर पर खोल रहे हैं, वे नवरत्नों का प्रस्तुतीकरण कर रहे हैं, वे बाजार अर्थव्यवस्था और विनियंत्रण के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। जिस गति से वे आगे बढ़ रहे हैं उसे देखकर विश्व बैंक भी पूछ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं

[हिन्दी]

पागल है। यह क्या डायरैक्शन होगा, क्या तरीका होगा।

[अनुवाद]

श्री पॉल करूगमन और सुधारों के कई अन्य महान अधिवक्ता इसकी आलोचना कर रहे हैं और वे स्वयं ही अपनी नीति के विपरीत जा रहे है। अब वे सुधारों के बारे में बोल रहे हैं। वह एक अलग कहानी है। परंतु यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वे मीडिया पर फिर से अपना नियंत्रण करना चाहते हैं।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : किस नियम के अंतर्गत?

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय, नियम 376 के अंतर्गत। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब माननीय महोदय विनिवेश और अन्य सभी का उल्लेख कर रहे थे तो उन्होंने 'पागल' शब्द का प्रयोग किया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चूंकि यह शब्द असंसदीय है कृपया इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, आप ऐसा कर सकते हैं। 'पागल' शब्द असंसदीय है या नहीं इसकी जांच की जा सकती है और अध्यक्षपीठ द्वारा निदेश दिया जा सकता हैं। महोदय, अध्यक्षपीठ द्वारा इसकी जांच की जा सकती हैं।

सभापति महोदय : ठीक है। कृपया जारी रखें।

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय यह एक गंभीर मामला है।

सभापति महोदय : यह असंसदीय नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): शायद आपने शून्यकाल का दृश्य नहीं देखा। इसीलिए आप यह प्रश्न कर रहे हैं। उस समय के दौरान हम में से बहुत से उसी वर्ग में आ जाते हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मुझे उनका अवश्य धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने अब इसे प्रसारित करवा दिया है।

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द पाल : जो चल रहा है, वह भाषा में भी हो और दृष्टि में भी हो।

[अनुवाद]

मैं जो बता रहा हूं वो यह है कि वह दो आवाजों में बोल रहे हैं।

अब मैं भाजपा के दो भिन्न मतों की बात नहीं कर रहा अपितु माननीय मंत्री जी का व्यक्तिगत मत की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं - एक विख्यात वकील - श्री अरूण जेतली। उन्होंने कहा जब उनकी पार्टी पहले सत्ता में आई स्वायत्ता की आवश्यकता थी क्योंकि सरकारी समाचार माध्यमों का पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा दुरूपयोग किया जा चुका है। अब वे इसका दुरूपयोग कर रहे हैं।

मैं विख्यात हिन्दी साहित्यकार द्वारा कही गई बातों का एक हिस्सा पढ़ रहा हूं ऐसे साहित्यकार जिसे प्रसार भारती बोर्ड से तिरस्कारपूर्ण ढंग से हटा दिया गया। उन्हें निकाले जाने के विरुद्ध एक जनहित याचिका भी दायिर की गई जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया।

एक माननीय सदस्य : परन्तु वह मुकदमा हार गए हैं।

श्री रूपचन्द पाल : यह ठीक है कि वह मुकदमा हार गए हैं। परन्तु नैतिक रूप से यह तिरस्कारपूर्ण है। नैतिक रूप से किसी सभ्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया अपनी गति से जारी था अतः उन्होंने प्रसार भारती बोर्ड की ओर से इलैक्ट्रानिक माध्यमों में दी जाने वाली राजनीतिक प्रचार की गुणवत्ता के संबंध में होने वाली जन-शिकायतों की निगरानी हेतु प्राधिकार हासिल कर लिए थे। इस हैसियत में उन्हें दर्शकों से दूरदर्शन द्वारा भाजपा के प्रति पक्षपातपूर्ण मत की लगभग 1500 शिकायतें प्राप्त हुईं। वह कहते हैं:-

> "प्रत्येक लिखने वाले व्यक्ति के लिए लगभग वैसा मत रखने वाले एक हजार लोग होने चाहिए।"

महोदय, वे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसका दुरूपयोग कर रही थी और इसीलिए उस समय उन्होंने स्वायत्तता की मांग की। परन्तु अब प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य स्वयं सार्वजनिक रूप से यह कह रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान उन्होंने भाजपा द्वारा इसके दुरूपयोग के विरुद्ध हस्तक्षेप किया था। फिर चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग ने भी हस्तक्षेप किया था। वे 24 घंटे चलने वाला समाचार चैनल शुरू करना चाहते थे ताकि वे अपने नेता की छवि उजागर कर सकें और इस तरह चुनाव में आगे बढ़ सकें। परन्तु चुनाव आयोग ने इस मामले में हस्तक्षेप किया वे उन लोगों को नहीं भुला सके और न माफ कर सके जिन्होंने स्वायत्तता की अवधारणा को बनाया और संस्था की स्वायत्तता की रक्षा की।

महोदय, सरकार ने अनादरपूर्वक ढंग से प्रसार भारती बोर्ड के सदस्यों को हटा दिया। क्या उन्हें हटाने का यही एक ढंग है कि लोग यह जाने कि उन्हें समाचार-पत्रों के माध्यम से निकाला गया? इसके क्या प्रदर्शित होता है? इससे यह पता चलता है कि भाजपा सत्ता में आ गई है और वह हर किसी को हटा देंगे चाहे उनकी विश्व भर में कुछ भी स्थिति हो कुछ भी हो, कुछ भी ख्याति हो और कुछ भी मान्यता हो चाहे वह भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् में हो या एन.सी.ई.आर.टी. आदि में हो। क्या वह टेलीफोन द्वारा रोमिला थापर और राजेन्द्र यादव जैसे व्यक्तियों को सूचित नहीं कर सकते कि उन्हें हटा दिया गया है? क्या यह एक सभ्य सरकार है? वह इन लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से जिन लोगों का सम्मान किया गया और जिन्होंने सदस्यों के रूप में प्रसार भारती बोर्ड में अपना योगदान दिया, ऐसे लोगों को भी एक टेलीफोन करने की सौजन्यता नहीं निभा सके। क्या वे इसे न्यायोचित ठहरा सकते हैं? अतः उन्हें चुप रहना होगा। किसी सभ्य देश में ऐसा कभी नहीं होता।

अब हटा दिये गए, प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य कहते हैं:-

"माध्यम की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना ही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है।"

"सिर्फ इसीलिए स्वायत्तता की सिफारिश की गई।"

महोदय, दूरदर्शन को एक समय 'इन्दिरा दर्शन' कहा जाता था और उस पक्ष के सर्वाधिक विख्यात वक्ता श्री एल.के. आडवाणी और हमारे माननीय प्रधान मंत्री सहित ऐसे लोग थे जो उस समय विपक्ष में थे। परन्तु अब वे अपने बीच भी अलग मत व्यक्त कर रहे हैं। श्री अरूण जेटली अब उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं। वे उस स्वायत्तता की भी बात कर रहे हैं जिसकी इन दिनों आवश्यकता है क्योंकि वह कहते है कि इसका उनके द्वारा दुरूपयोग हुआ था। वे विश्वसनीयता के बारे में भी बोल रहे हैं। परन्तु मैं श्री प्रमोद महाजन को पूरा आदर देता हूं। वे छुपे हुए एजेंडा के बारे में चिन्ता नहीं करते। उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है:

"प्रसार भारती की सारी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। प्रसार भारती का गठन ही गलत था।"

महोदय, 1990 में हममें से बहुत सारे लोग यहीं थे और श्री पी. उपेन्द्र ने कई घण्टों तक इस पर हमसे विचार-विमर्श किया। मैं 1980 से लगातार कई वर्षों तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति से जुड़ा रहा।

अपराह्न 5.00 बजे

हममें से कुछ के साथ कई स्तरों पर विचार-विमर्श किया गया और अन्त में सर्वसम्मति पर पहुंचा गया। भाजपा इसकी एक पार्टी थी। उनके नेता एक पार्टी थे।

उनका कहना क्या है? वे कहते हैं, "सरकार को स्वायत्तता सुनिश्चित करना, सरकारी चैनल को स्वायत्तता सुनिश्चित करना एक निरर्थक प्रक्रिया है। हम एक हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। हम इस निकाय को यह अनुमति कैसे दे सकते हैं कि वह सरकारी नियंत्रण के बिना कार्य करे?" यही श्री प्रमोद महाजन का कहना है। वे आगे कहते हैं "कोई सरकार नहीं चाहेगी कि वह एक हजार करोड़ रुपये खर्च करे दूरदर्शन और आकाशवाणी पर, और विशेषकर प्रसार भारती के कार्यकरण पर दूरदर्शन और आकाशवाणी की दैनिक गतिविधियों पर उसका कोई नियंत्रण न हो।"

मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि एक बार हमारे माननीय श्री पी.ए. संगमा जब सूचना और प्रसारण मंत्री थे, जब वे उत्तर-पूर्व में कहीं गए तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि प्रसार भारती सरकार का एक विस्तृत एकांश है और वह केवल सरकारी मत के प्रसार के लिए ही है। यह श्री पी.ए. संगमा ने कहा था। वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री बहुत कम कालावधि के लिए बने। उस समय भाजपा के नेताओं सहित सम्पूर्ण विपक्ष ने विरोध प्रकट किया और कहा कि जब प्रसार भारती सार्वजनिक स्वायत्त संगठन के रूप में गठित हो चुकी है, मंत्रियों को उसके कार्यकरण में दखल नहीं देना चाहिए। श्री संगमा ने अपने वक्तव्य से हाथ खींच लिये। इन्कार कर दिया और सार्वजनिक रूप से जो बात रखी उससे पीछे हट गए।

सभापति महोदय, मेरे दल की ओर से एक अन्य सदस्य बोलेंगे अतः मैं संक्षेप में अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा हूं।

महोदय, उन्होंने व्यावसायिकता की बात की है। व्यावसायीकरण क्या है? चलो, इसको परिभाषित करें। हां, यह श्री सौनू सेन, ज्ञानमूर्ति तथा अन्यों जैसे लोगों को हटाना है। ठीक है, वह व्यावसायिक है। परन्तु उनके प्रपंचवाद प्रस्तुत करने के बारे में क्या जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय है?

कोई छः महीने पश्चात् माइक्रोसाफ्ट और अन्य वस्तुएं इन्टरनेट पर आयेगी। इन दिनों एक चर्चा शुरू हो चुकी है कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में, जहां डिजिटल क्रान्ति के युग में कैसे अधिक से अधिक लोग विश्वस्तरीय जानकारी, दृश्यों के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आप इनके ऊपर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि यह संसदीय तारतम्य के अन्दर सन्निहित है अथवा नहीं। वे झूठ में विश्वास कर रहे है। इतिहास आपको दण्डित करेगा, प्रौद्योगिकी आपको सजा देगी और अगली बार जब आप चुनाव लड़ेंगे आपको दण्डित होना पड़ेगा।

अन्तोतगत्वा उन्होंने एक बात कही, व्यावसायीकरण की। फिर शीघ्र ही जैसे ही उन्होंने देखा कि वह आलोचना की परीक्षा पर खरी नहीं उतरेगी उन्होंने अपना मंतव्य बदला और कानूनी पक्ष ले लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें हटाया क्योंकि उनके पास इसकी शक्ति और अधिकार था और यह भी कहा कि वे न्यायालय में जा सकते है। यह प्रसार भारती क्यों बनाया गया? आपने इस पर सहमति क्यों व्यक्त की? आप अभी भी स्वायत्तता के बारे में क्यों बोल रहे हैं? आप अभी तक भी स्पष्टता, उत्तरदायित्व की चर्चा क्यों करते हैं?

[श्री रूपचन्द पाल]

संचार, प्रसार और दूरसंचार का मतलब कवर करने से है। हमारे यहां सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। कल मैं माननीय संचार मंत्री से एक प्रश्न पूछ रहा था। संसद के एक अधिनियम द्वारा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण गठित किया गया। वे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की उपेक्षा कर रहे है जब नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने टैरिफ संरचना के निर्धारण के आधार के बारे में पूछा, जो दूरसंचार विभाग और सरकारी कम्पनियों के विरोध में जाता है। उनको यह जानकारी देने के बजाय वे अदालत में जा रहे है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं और सरकारी धन खर्च कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि वह स्वायत्त हैं। 'स्वायत्तता' और 'आत्मनिर्भरता' जैसे शब्द वे दूसरों को भ्रम में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि नियामक भी किसी के प्रति उत्तरदायी है और प्रसार-भारती भी उत्तरदायी है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह प्रत्येक वैयक्तिक मंत्री के प्रति उत्तरदायी है। दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली हो रही थी। स्वयं मंत्री जी ने सभा में यह कहा कि जब यह समाचार प्रसारण के लिए गया तो कुछ अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और कहा कि ऐसा समाचार प्रसारित नहीं होना चाहिए क्योंकि यह तीसरे पक्ष की पार्टियों की दिल्ली में हो रही रैली है। मैंने सभा में कहा था और किसी में इतना साहस नहीं है कि वह उस दिन उस बहस का उत्तर दे। वे इस तरह से व्यवहार कर रहे है कि एक दिन अपनी ही कब्रें खोदेंगे। ये लोग इस तरह बरताव कर रहे हैं कि वे अपनी विश्वसनीयता खो देंगे। और यदि वह इलेक्ट्रानिक माध्यमों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो जायेगी। हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी दूरदर्शन और आकाशवाणी की संरचना में सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक लोग हैं। हमारे लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। मैं अनेक ऐसे मामलों के उदाहरण दे सकता हूं। हमारे अपने सचिव को स्टार टी.वी. ने बुला लिया। दूरदर्शन के अनेक लोगों को जीटीवी और अन्यों द्वारा ले लिया गया। वे अपने चैनल हमारे प्रशिक्षित लोगों द्वारा चला रहे हैं फिर भी वे कहते है कि हमारे यहां व्यावसायिक लोगों की कमी है और व्यावसायिकता लाने के लिए दो प्रसिद्ध हस्तियों को हटा दिया गया। कोई भी इस बारे में उनके मत से सहमत नहीं होगा। कोई भी उनके तर्क को नहीं सुनेगा।

वह प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत असंगत और अर्थहीन चर्चा कर रहे हैं। मैं श्री शरद पवार की अध्यक्षता में प्रवर समिति के साथ जुड़ा रहा हूं। मुझे बहुत से दृष्टिकोण सुनने का अवसर मिला। मैं श्री राम विलास पासवान के नेतृत्व में राष्ट्रीय मीडिया नीति ग्रुप के साथ भी जुड़ा रहा हूं। जब श्री के.पी. सिंह देव मंत्री थे तब उन्होंने इस निकाय का गठन किया था और मुझे इस निकाय के साथ जुड़े रहने का सुअवसर मिला। मुझे अनेक तथ्य सुनने का मौका मिला। कांग्रेसियों की अपनी अलग पसंद अपनी अलग वरीयता, कार्यकरण का अपना अलग सत्तावादी तरीका था और भाजपा यह दावा कर रही थी कि वह अलग है और लोकतांत्रिक है। परन्तु अब हम देखते है कि इलेक्ट्रानिक माध्यमों के दुरूपयोग के संदर्भ में उनमें कोई भिन्नता नहीं है और साथ ही सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में भी असन्तुलित हैं। अब वह कहते हैं कि 26 जनवरी से हम एक शिक्षा चैनल शुरू करेंगे। हम यह करेंगे हम वह करेंगे परन्तु उनकी वरीयता तो व्यावसायीकरण है, व्यापार और लाभ है, सेवा नहीं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब सर्वप्रथम, स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में दूरदर्शन शुरू किया गया था तो यह कहा गया कि सामाजिक परिवर्तन का अत्यधिक अर्थपूर्ण माध्यम होगा जिसमें शिक्षा, सूचना और स्वस्थ मनोरंजन पर विशेष बल होगा। वे स्वयं ही इसे नष्ट कर रहे हैं और मैं सोचता हूं कि इन संस्थाओं को जिन्हें इस देश के लोगों ने बनाया है, नष्ट करके वे स्वयं को नष्ट करेंगे।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : सभापति महोदय, आज प्रसार भारती पर यह चर्चा सदन में आई है। जयपाल रेड्डी साहब ने विशेष रूप से अपनी खूबसूरत अंग्रेजी में तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया। आज मीडिया और प्रसार भारती का उल्लेख इसलिए सदन में हुआ है कि उसके दो सदस्यों को हटाया गया। विश्व के किसी कोने में टेलीविजन को छोड़ा नहीं जा सकता। जिस तरह टैक्नोलोजी बढ़ रही है, जिस तरह पूरे विश्व में लोगों का आकर्षण मीडिया के प्रति बढ़ता जा रहा है, जिस तरह पूरे विश्व में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से विश्व के कौने-कौने के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। भारत के परिवेश में जब हम दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की बात करते हैं तो आजादी के बाद हमें यह महसूस होता रहा कि आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर सरकारी नियंत्रण अधिक है। अतः इसे स्वायत्ता देनी चाहिए। यह चर्चा का विषय शुरू से रहा। सरकार ने भी इस दिशा में प्रयास किया और इसकी अहमियत महसूस की।

1990 में दोनों सदनों ने प्रसार भारती विधेयक को बहुमत से पारित किया। उन 6 वर्षों के बीच कई सरकारें आई लेकिन किसी ने उसे नोटिफाई करने का प्रयास नहीं किया। 1996 में जयपाल जी जब सूचना प्रसारण मंत्री बने तो उन्होंने प्रसार भारती को नोटिफाई किया। इसकी शुरूआत विवादों से हुई। मैं रेड्डी जी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने अपनी शैली में सब बातों को रखा लेकिन उन्होंने एक जगह कुछ बातों को छुपाने का प्रयास किया। यह महत्वपूर्ण विषय है। जब माननीय सदस्यों ने इस विषय को उठाया तो उन्होंने उठ कर उनका जवाब देने का प्रयास किया।

1997 में एक अध्यादेश आया जबकि संसद सत्र बुलाने का सम्मन निकल चुका था। यहां जयपाल जी बैठे हैं। जब यह विपक्ष में थे तो इस बात का विरोध करते थे। लगता है एक छिपा हुआ एजेंडा इनके पास भी था। वह उसे लागू करने के लिए फटाफट अध्यादेश लाए।

प्रसार भारती बिल के 6 महत्वपूर्ण बिन्दु थे। उसमें यह प्रावधान था कि लोक सभा और राज्य सभा के माननीय सदस्यों की प्रसार भारती में भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात को विलोपित कर दिया। उस समय सी.ई.ओ. की ऐज के बारे में कहा गया था कि अधिकतम ऐज 62 वर्ष होनी चाहिए। उन्होंने इसे भी विलोपित कर दिया। उन्होंने आयु सीमा समाप्त कर दी। इनकी परिभाषा में चाहे वह 70 का हो, 80 का हो, 90 वर्ष का हो या 100 वर्ष का हो। इस क्षेत्र में 55 हजार करोड़ रुपए का पूंजी निवेश है। इसमें फुल टाइम डायरैक्टर व्हिप का प्रावधान था। इन्होंने इस पद को भी विलोपित किया। जब 55 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रसार भारती में की गई तो उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि उस सदस्य को वहां मनोनीत किया जाना है, जहां 46 हजार कर्मचारी थे। प्रसार भारती में उनका स्थानांतरण होना था। उनके अधीनस्थ इनको आना था। इन्होंने कार्मिक के निदेशक का पद भी गायब कर दिया। संयुक्त मोर्चा की सरकार के समय गुजराल साहब प्रधान मंत्री थे और जयपाल जी सूचना और प्रसारण मंत्री थे। डी.एम.के. के सवाल पर यह घोषणा हो चुकी थी कि समर्थन वापस लिया जाएगा। यह इस समय असहमति जता रहे हैं जबकि इस बात की पूरी दुनिया को जानकारी थी। इन्हें उसी मीडिया के माध्यम से भी जानकारी थी जिस विभाग के वह मंत्री थे। इनको कहीं पता नहीं था कि वह सरकार जाने वाली है। 29 अक्तूबर को यह सदन में अध्यादेश लेकर आए। अगली 17 तारीख को सीताराम केसरी जी का अल्टीमेटम आ गया कि डी.एम.के. सरकार को बाहर कीजिए, नहीं तो हम समर्थन वापस लेंगे। अगले दिन 18.11.1997 को सरकार के पास नोट पुट अप हुआ कि कॉंस्टीट्यूट दी प्रसार भारती।

सभापति महोदय, इसकी अगली हरकत सुनिये। 19.11.97 को एक दिन के भीतर, जिस बोर्ड का गठन सरकार जाने की अवस्था में तब तक नहीं हुआ था, उप-राष्ट्रपति उसके सदस्य, चेयरमैन, प्रैस काउंसिल उसके सदस्य, राष्ट्रपति ज़ी द्वारा मनोनीत किये जाने वाले सदस्य उसके सदस्य बन गए और सिलेक्ट कमेटी 19 तारीख को गठित हुई। 55 हजार करोड़ रुपये का जहां पूजी निवेश हो, जहां इतना बड़ा निर्णय लिया जाना था, एक शाम को छः सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया पूरी हुई। सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। आसमान से सातों नाम उसमें टपक गये।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: क्या आप दो मिनट के लिए रुकेंगे?

श्री राजीव प्रताप रूडी: अब मैं नहीं मानूंगा। मैं अपना भाषण पूरा करूंगा फिर रूकुंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, एक शाम में छः नाम तय कर दिये गये। 19 तारीख को सिलेक्ट कमेटी की बैठक हो गई, उसमें से नाम प्रस्तावित होकर चला गया। 20.11.97 को माननीय सीताराम केसरी द्वारा अंतिम रूप से कहा गया कि अंतिम समय है, डी.एम.के. को ड्रॉप करो, नहीं तो कांग्रेस पार्टी समर्थन वापिस ले लेगी। हम संसद सदस्य यहां बैठे हैं, पदाधिकारी भी दूर सुन रहे होंगे और लोग भी सुन रहे होंगे, भारत सरकार ने विश्व के पैमाने पर इस देश में पहली बार इतनी एफीशिएन्सी के साथ किया होगा। 20 तारीख उसे बहाल करने के लिए नोट मूव होता है और इनका एक वरीय पदाधिकारी जो ज्वाइंट सैक्रेटरी लैवल का है, वह कहता है कि जिस चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम इसमे प्रस्तावित है। उन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामजद नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें दूरदर्शन और आकाशवाणी रेडियो में रुचि है। क्योंकि गिल साब और उनकी पत्नी उस समय सीरियल बनाते थे और उनमें काम करते थे। रात में ठीक 11 बजे यह संचिका चलती है और सचिव उस संचिका में रात के 11 बजे का समय देते हैं। एडीशनल सैक्रेटरी रात के 11.30 बजे उसमें लिखते हैं कि यह असंभव है, इसका गठन नहीं किया जा सकता है, यह नियमों के खिलाफ है। रातों-रात एफीडेविट लिया जाता है, जिस सी.ई.ओ. की इनके द्वारा नियुक्ति की जानी थी, उससे एफीडेविट लिया जाता है कि हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है और एफीडेविट लेकर उसके नाम को पार करने की कोशिश की जाती है। बात वही खत्म नहीं हुई, 20 तारीख से 21 तारीख तक प्रसार भारती के सी.ई.ओ. का गठन और उसके सदस्यों का गठन भारत सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक रात में 24 जगह संचिका जाती है, 24 स्थानों पर लोग जाते हैं, सैक्शन ऑफिसर से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सैक्रेटरी तक संचिका जाती है और 24 घंटे के बाद संचिका श्री जयपाल रेड्डी साहब के पास जाती है। वह उसमें अपना अंतिम निर्णय देते हुए सी.ई.ओ. की वहां नियुक्ति करते हैं। यहां भारत सरकार में एक साधारण सा नियम 377 का मामला जाता है तो नौ महीने तक घूमता रहता है और इतनी बड़ी ईकाई के गठन में मात्र 48 घंटे लगते हैं, दिन-रात संचिका चलती है। मैं श्री जयपाल रेड्डी को दाद देता हूं कि वह दिन में ही काम नहीं करते थे, बल्कि रात-रात भर जागकर

[श्री राजीव प्रताप रूडी]

काम करते थे और पूरे विभाग को रात भर जगाकर रखते थे। इन्होंने जिन्हें वहां प्रतिनियुक्ति पर बैठाया और आज यह जिस जगह पर बैठे हैं, इन्हें एक बड़ा खतरा होने वाला है। गिल साहब बड़े अच्छे लिटरेचरिस्ट थे, नॉवल लिखते थे, किताबें लिखते थे। उन्होंने एक किताब 'दि डाइनेस्टी' लिखी, जिसमें उन्होंने नेहरू परिवार के बारे में वर्णन किया है और जिस तरह का वर्णन उन्होंने उसमें किया है, मैं उसका उल्लेख यहां नहीं कर सकता। खासकर श्री राजीव गांधी जैसा व्यक्ति जो अब दिवंगत आत्मा है, उनका भी वर्णन किया गया है। उन्होंने उस किताब में जो वर्णन किया है, उससे मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। माननीय जयपाल रेड्डी आज जिस जगह बैठे हुए हैं, लेकिन इन सब बातों से मेरा कोई विशेष मकसद नहीं है, मैं सिर्फ यह दर्शाना चाहता हूं कि राजनीति में कितना बड़ा अपवाद है। मुझे दुख होता है जब मैं सदन में इस बात को उठाता हूं। लेकिन हर बार हर समस्या के समय हर नेता को अपनी-अपनी झोली में झांककर देखना होगा कि किस परिस्थिति में इतना बड़ा निर्णय लिया गया और आज प्रसार भारती पर चर्चा उठाई जा रही है और जो व्यवस्था उसकी भीतर की गई है, उसके बारे में चर्चा करने पर लोगों को कष्ट होता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वह नहीं बैठ रहे, अतः आपके बाद मैं उन्हें अनुमति दूँगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मुझे हक है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: मुझे अपना भाषण जारी रखने का हक है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अधिकार है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: मुझे पता है कि यह जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इनसे आपको दुःख पहुंच रहा है। परन्तु, फिर इस देश के हित में मैं यह सब कहने को मजबूर हूँ।

सभापति महोदय: श्री रेड्डी वे नहीं मान रहे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: जब वे अपनी बात पूरी कर लेंगे तब आप बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का पूरा हक है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय कोई सदस्य यहां बैठा है और उसका नाम लिया जाए और उस पर यदि कोई आरोप लगाया जाए, तो वह अपना क्लैरीफिकेशन देगा या नहीं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, उन्हें स्पष्टीकरण देने का पूरा हक है *...(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं केवल अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरग दूँगा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: परन्तु वह नहीं मान रहे। आप तक बोल सकते हैं जब वह अपनी बात पूरी कह लें

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, यह कोई प्रश्न नहीं है कि *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: फिर मैं आपको इसका मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप किस नियम के अंतर्गत यह हस्तक्षेप करना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, हम यहाँ बैठे हैं और अगर कोई माननीय सदस्य हमारे ऊपर कोई आरोप लगाए, हमारा नाम ले, तो क्या हम बैठे रहेंगे? नियमों की किताब देख लीजिए, उसमें लिखा है कि सदस्य पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे सकेगा।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, आप प्रत्येक सदस्य से विचार विमर्श कर सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अहस्तांतरणीय अधिकार है *...(व्यवधान)* मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अधिकार है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है। आपको अपनी बात स्पष्ट करने का अधिकार है। परन्तु इनकी बात समाप्त होने के बाद मैं आपको मौका दूँगा।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय समस्या केवल इतनी है कि वह पहले और फिर बाद में कुछ मुद्दे उठा रहे हैं *...(व्यवधान)* यदि मैं उन्हें स्पष्ट कर दूँ *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: सभापति महोदय, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जो सत्य है वह बता रहा हूँ। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जब वह अपनी बात पूरी कर लें तब आप बोलें।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, तब तक तो मेरा स्पष्टीकरण कुछ असंगत हो जायेगा। अत: मुझे अभी स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि माननीय सदस्य को भी इससे अवगत कराया जा सके *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जब वह अपनी बात पूरी कर लें तब आप बोलें।

श्री रूडी, आप अपनी बात जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: सभापति महोदय, पूरे सदन को बड़ा कष्ट हो रहा है क्योंकि इस विषय को मैं कुछ सदस्यों के बीच उठा रहा हूं। यह विषय इसलिए आया है कि श्रीमती रोमिला थापर और श्री राजेन्द्र यादव को हटा दिया गया है। इसलिए इन्हें बड़ा कष्ट हो रहा है। हमारे लैफ्ट के साथी भी यह समझना चाह रहे हैं कि बड़ा गड़बड़ काम हुआ है।

सभापति महोदय, प्रसार भारती के गठन के बाद से प्रति वर्ष 1400 से 1500 करोड़ रुपए का खर्च सरकार को वहन करना पड़ रहा है और उससे केवल 550 करोड़ रुपए की आय हो रही है। मैं सरकार का ध्यान भी इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि 1996 से लेकर 1999 तक पूरे देश में एडवर्टाइजमेंट के सैक्टर में 76 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है और उस अवधि में दूरदर्शन में प्रसार भारती के होते हुए भी सात प्रतिशत की गिरावट आई है। अगर इतने ही सक्षम हमारे पदाधिकारी होते और पैनल में उनका नाम होता, तो जिस औटोनौमी की बात हम कर रहे थे, जिस मैरिट की बात हम कर रहे थे, जो लक्ष्य हम प्रसार भारती के माध्यम से आज चार साल से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वह क्यों प्राप्त नहीं कर सके। मैं मानता हूं कि प्रसार भारती की गुणवत्ता में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसमें जिन व्यक्तियों का चयन किया है, जिन को कुर्सी पर बैठाया गया है, उनमें से कुछ लोग जो उसके लिए जिम्मेदार होने चाहिए थे, वे जिम्मेदार नहीं बनाए गए। वैसे लोगों को जिनकी भूमिका सक्षम नहीं थी, जो लायक नहीं थे, उस योग्यता को दर्शाने की स्थिति में नहीं थे, उनको वर्तमान सरकार ने बड़े ढंग से निकालने का, बाहर करने का एक प्रयास किया है क्योंकि उन लोगों को उस संविधान के तहत, उस नियम के तहत बाहर करना था, लेकिन वे नहीं गए। इस हिसाब से इसकी जो मनोभावना है वह ठीक है। जैसा यहां कहा गया है और बार-बार बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा है, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है राष्ट्रहित। उसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं है।

[अनुवाद]

महोदय, श्री जयपाल रेड्डी ने कहा है कि आल इंडिया रेडियो सब के लिए होता है। उन्होंने पंडित नेहरू को उद्धृत किया परन्तु यह भूल गए कि श्री गिल ने अपनी पुस्तक 'दी डाइनेस्टी' में क्या लिखा है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उद्धृत किया है परन्तु यह भूल गए कि उस समय उनके मंत्रालय में उनकी उपस्थिति में क्या-क्या गतिविधियाँ होती रही। उन्होंने कहा था कि एक मंत्री होने के नाते उनका कर्त्तव्य यही था कि वह प्रसार-भारती को मजबूत करने के लिए खाली रहें। सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि उन्होंने उस समय कैसे कार्य किया था।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, बाकी सदस्यों में से किस की कितनी-कितनी अवधि रहेगी, जहां तक इसका सवाल है, श्री विजय वर्गीय साहब मीडिया के व्यक्ति है, पूरा विश्व उनके बारे में जानता है। आबिद हुसैन साहब डिप्लोमैट हैं और राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े रहे हैं। अगर सरकार की वैसी कोई मंशा होती, तो वे वहां नहीं होते। यू.आर. राव साहब स्पेस टैक्नोलोजी के विशेषज्ञ है, लेकिन आज प्रधान मंत्री जी ने तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। उसमें कोई दूसरी नीयत नहीं है। उसमें जिन व्यक्तियों को रखा गया है वे उसके मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है। जिन नामों को उसमें शामिल किया गया है उसमें रखा गया है-नारायण मूर्ति को जिनको पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व जानता

[श्री राजीव प्रताप रूडी]

है, वे इन्फर्मेशन टैक्नोलोजी के विजार्ड है। सुल्लू सेन, जो देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मार्केट कंसल्टैंसी के लिए जाने जाते हैं।

किरण कारनिक, जो भी आदमी टी.वी. खोलता है, वह डिस्कवरी चैनल देखे बगैर नहीं रह सकता। ऐसे लोगों की समिति बनाई गई है ताकि प्रसार भारती की गतिविधियों पर एक बार फिर निरीक्षण करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाये। आज प्रसार भारती में लोगों को हटाये जाने की बात को लेकर सदन में इस प्रकार की चर्चा करना ठीक नहीं है। मैं तो इस सदन के सामने यहीं कहना चाहूंगा कि जिस परिस्थिति में प्रसार भारती के बोर्ड का गठन पहले हुआ और हमारी सरकार की जो मंशा है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय मैं भाजपा की ओर से दूसरा बक्ता था। किसी तरह मेरा नाम सूची में बहुत नीचे चला गया है जैसा कि प्रसार भारती के साथ हुआ है।

सभापति महोदय: आप पहले ही पच्चीस मिनट तक बोल चुके हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: परन्तु महोदय अभी मैंने बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने हैं। मैं अपनी बात जल्दी पूरी करने का प्रयास करूंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। प्रसार भारती के गठन इत्यादि बहुत सारे मुद्दों पर मैंने चर्चा की है। हमारी सरकार की नीयत साफ है और हमारी सरकार इस बात को मानकर चलती है कि आज जिस तरह से प्रतिस्पर्धा मीडिया के क्षेत्र में, टेलीविजन के क्षेत्र में और घर के भीतर आने वाले तमाम-

हमारे घरों के भीतर टीवी चैनलों की भरमार रहे।

जिस प्रकार से यह सब हो रहा है, उसमें प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है। आज जरूरत है कि दूरदर्शन को भी ऐसी स्वायत्ता दी जाये। आने वाले दिनों में पूरे विश्व के पैमाने पर जिस तरह से हम बी.बी.सी. देखते हैं, जिस तरह से बाकी चैनल्स देखते हैं, उसी तरह से इसकी गुणवत्ता ऐसी हो। पूरे विश्व में जो संस्कारों की गिरावट है, पूरे विश्व के स्तर पर लोगों के बीच में सोच है कि वे भारत के पौराणिक अवस्था में पहुंचे। लोगों में सोच है कि हमारे दूरदर्शन के चैनल्स भी विश्व में देखे जायें और इससे भारत का सम्मान बढ़े। जो स्वायत्ता की बात कर रहे हैं, अपने पांव पर खड़े होने की बात कर रहे हैं, जिस आटोनामी की बात कर रहे हैं, पूरे सदन के लोग सहमत होंगे कि आने वाले दिनों में जिस सबल नेतृत्व के साथ, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सबल नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में चल रही है। हमारे तेज तर्रार इन्फोर्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर जिन्होंने निर्णय लेने का प्रयास किया है, हमारी सरकार एकदम तय करेगी, एकदम कटिबद्ध है कि आने वाले दिनों में प्रसार भारती के पूरे नियमों को लागू करते हुए, उसको स्वायत्ता देते हुए उस कार्यवाही को पूरा करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: सभापति महोदय, श्री रूडी ने मेरे द्वारा उठाए गए कुछ कदमों का विशिष्ट उल्लेख किया है। अत: मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

भाजपा, संभवत: नाजियों की तरह, एक बड़े झूठ को दस बार कहने में विश्वास रखती है ताकि वह सच प्रतीत हो सके। मैंने वक्तव्य के दौरान कहा कि मैंने इस अधिनियम को काफी जल्दी 22 जुलाई 1997 तक अधिसूचित कर दिया था। यह अधिनियम 15 सितम्बर से अहस्तांतरणीय रूप से लागू हो गया। मैंने 30 अक्तूबर को भारत के उप-राष्ट्रपति को लिखा। इसे 17 नवम्बर के साथ भ्रमात्मक रूप से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

उप राष्ट्रपति के सभापतित्व में चुनने की प्रक्रिया तीस अक्तूबर को शुरू की गई। यह उन्नीस नवम्बर को सरकार को उपलब्ध कराई गई। सरकार को इसमें कोई भूमिका अदा नहीं करनी थी। मंत्री स्वयं विख्यात वकील हैं। अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 4 के अनुसार चुनाव समिति द्वारा किया गया चुनाव अंतिम और बंधनकारी है। अत: श्री रूडी केवल इस झूठ को फैलाने की प्रक्रिया का एक अंग है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

सभापति महोदय: बार-बार स्पष्टीकरण और प्रति स्पष्टीकरणों की अनुमति नहीं है। श्री रूडी, कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, यह मामला अब सभा का अपना मामला है। ये तथ्य है। मैंने जो कुछ कहा है उसके समर्थन में दस्तावेज विद्यमान है। इसके बावजूद यदि सभा में ऐसे वक्तव्य दिये जाते हैं उन्हें वापिस ले लिया जाना चाहिए।

महोदय उन्होंने कहा है कि मैं एक और बड़े खेल का खिलाड़ी बनने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए।

हां, यह एक स्वीकृत सच्चाई है कि हम सत्तारूढ़ पार्टी में हैं। हम उनके द्वारा की गई गल्तियों की प्रशंसा करते हैं और उनकी अनदेखी की जा सकती है। हम उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे।

परन्तु, फिर, उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया अब आप अपनी सीट पर बैठ जाए।

[हिन्दी]

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर): सभापति महोदय, आज जब प्रसार भारती पर चर्चा हो रही है तो वर्षों पहले की वे घटनाएं हम लोगों के दिमाग में घूम रही होगी जिन्होंने आई एंड बी मिनिस्ट्री को देखा है। हमें याद है जब कांग्रेस सत्ता में थी तब आज उस तरफ बैठे हुए लोग, जो प्रसार भारती पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं, प्रसार भारती की वकालत करते हुए नहीं थकते थे और बार-बार तत्कालीन सरकार पर आरोप लगाते थे कि हमने स्वायत्तता नहीं दी, हम लोग इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं और स्वायत्तता जो आज की आवश्यकता है, कांग्रेस उससे दूर जा रही है। आज उस तरफ के लोगों से स्वायत्तता की एक अलग परिभाषा सुनकर कुछ अजीब जरूर लग रहा है और कुछ आश्चर्य भी हो रहा है। लेकिन आज भी एक व्यक्ति ऐसे हैं जो तब भी स्वायत्तता की बात करते थे और आज भी स्वायत्तता की बात करते हैं और आज उन्होंने मौजूद विषय पर यह डिबेट रखकर सबको आत्मदर्शन का मौका दिया है। मेरा इशारा डा. रैडी की तरफ है। लेकिन मैं उस वक्त का थोड़ा जिक्र करूं कि जब 1990-91 में स्वायत्तता की बात पर विपक्ष का निशाना हमारे ऊपर होता था और हम तीन या चार बातें कहा करते थे, जो सच भी थी। टैक्नोलौजी के हिसाब से बहुत सारी कम्पनियां भारत में आने वाली थी और उस वक्त सबसे बड़ा यह खतरा था कि आज यदि प्रसार भारती का यही स्वरूप रहा तो आने वालों के साथ हमारा क्या सलूक होगा, उनका यहां किस प्रकार दिग्दर्शन होगा और उसके साथ हमारा टेलीविजन किस सीमा तक और कहां तक टिक पाएगा।

दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ऐकाउंटेबिलिटी की थी जिसके संबंध में हमारे तत्कालीन मंत्री जी ने अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं ऑटोनोमी का पक्षधर हूं लेकिन ऑटोनोमी कहीं न कहीं ऐकाउंटेबल हो, इस बात को देखना चाहता हूं। कांग्रेस ने भी उस वक्त यही कहा कि ऐकाउंटेबिलिटी कहां होगी और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि बिल का आना जरूरी है और बिल तब तक पूरी तरह से नहीं बन सकता जब तक सभी तबकों से, सभी पोलीटिकल पार्टीज से और सभी मीडिया से जुड़े हुए लोगों से बात नहीं हो जाती।

तीसरी बात कर्मचारियों की थी कि उनका समायोजन कैसे होगा, कहां होगा और बात वहां पर आकर रुक गई कि जब तक हम इन तबको से बात नहीं कर सके, हम ऑटोनोमी के पक्षधर होकर भी इस बिल और कानून को आधा-अधूरा नहीं लाने देना चाहते। लेकिन मैंने कहा कि यह बिल और इसकी स्वायत्तता रैडी साहब का बेबी है। इसलिए जब वे मंत्री बने तो उनकी पहली प्राथमिकता प्रसार भारती बिल लाने की थी। उस समय, मुझे याद है, आपने कहा था कि व्यावसायिकता के साथ-साथ प्रतिबद्धता जरूरी है। आपने यह भी कहा था कि स्वायत्तता के साथ-साथ ऐकाउंटेबिलिटी जरूरी है। आपने कहा था, सरकार गिर गई, हमें मालूम नहीं कि आप कितने दिन में करते, लेकिन आपने कहा कि ऐकाउंटेबिलटी तय करने के लिए पार्लियामेंट के लोगों का जो समायोजन हो, वह बिल लाना जरूरी है। आज सरकार के पक्षधर, जैसे कहा कि तीन मंत्री उस बार भारतीय जनता पार्टी के भी बने और तीनों के अलग-अलग मत हैं। वैसे आई. एंड बी. मिनिस्ट्री में अलग-अलग मत और मतान्तर का होना कोई नई बात नहीं है। मैं इसे सैल्फ सर्विस कैफेटेरिया कहा करती थी कि रोज जहां टैक्नोलोजी बदलती हो, रोज जहां कन्सैप्ट बदलते हों, वहां पर हम एक बात पर मौन नहीं रह सकते और हमें भी उसके साथ-साथ चलना पड़ता है।

आज अधिक बात न करते हुए मैं कुछ प्रश्न सरकार से करना चाहती हूं। उसके पहले यह निश्चित कर दूं कि कांग्रेस कभी भी इसके विरुद्ध नहीं थी कि ऑटोनोमी नहीं होनी चाहिए और कांग्रेस ने कभी भी इसका मिसयूज नहीं किया, इतिहास इस बात का गवाह है। लेकिन चूंकि उस वक्त लगातार कांग्रेस का शासन था, इसलिए कांग्रेस पर आक्षेप लगना जरूरी था कि कांग्रेस न्यूज में, करेंट अफेयर्स में और दूसरे मैटर्स में दखलअंदाजी कर रही है।

सबसे पहले मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूं कि आज न्यूज का क्या स्वरूप है? क्या 10-12 साल में उसमें कोई तब्दीली हुई है या नहीं और सरकार उसमें कुछ करना चाहती है या नहीं? करंट अफेयर्स का क्या रूप है? जहां तक आटोनोमी का प्रश्न है, वहां पर वर्तमान सरकार ने यह निश्चित रूप से सत्य है कि उसे केसरिया बाना पहनाने की कोशिश की है। अब 24 घंटे समाचारों के द्वारा अपने नेता को प्रोजेक्ट करने की कोशिश, दूसरी बात उन्हें लगता है कि क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्र जहां हैं, वहां अपनी-अपनी तत्कालीन सरकारों द्वारा केसरिया बाना पहुंच सके इसलिए प्रसार

[डा. गिरिजा व्यास]

भारती से काले आदेश के जरिए सांस्कृतिक गरिमा पर कुठारघात करने की कोशिश की जा रही है। वह चाहे बिहार या राजस्थान की बात हो। रीजनल केन्द्र, जिन्हें हमने आशान्वित होकर अपने कार्यकाल में समय दिया था कि वे अपने संस्कृति से जुड़े रहें, आज पता नहीं प्रसार भारती क्यों उन बातों को उलझाकर उनके समय में कमी करना चाहती है।

गांधी जी ने 1922 में हरिजन में एक बात कही थी कि आने वाला समय एक खुले वातावरण का समय होगा और उस समय हम किसी पर भी कंट्रोल नहीं रख सकते। आप लोगों ने बात तो कर ली कि प्रिंट मीडिया में फारेन इक्विटी नहीं होगी या होगी तो कितनी होगी, यह मुझे मालूम नहीं। लेकिन प्राइवेट चैनल्स को जब तक आप बिल लेकर नहीं आएंगे, मैं पूछना चाहती हूं कि इस संबंध के कब बिल ला रहे हैं ताकि स्वायत्ता, कमिटमेंट और एकाउंटीबिलिटी बनी रहे? सरकार निश्चित करे कि वह बिल लेकर कब आ रही है? क्या उस बिल में केवल दूरदर्शन की बात होगी? हम लोगों ने इसीलिए देरी की थी कि हम केवल अपने दूरदर्शन और अपने रेडियो तक सीमित नहीं रहना चाहते, क्योंकि बाहर के चैनल्स भी आ रहे हैं। जो प्राइवेट चैनल्स पर आज आप घटिया विज्ञापन अलाऊ कर रहे हैं, उनके संबंध में सरकार की क्या मंशा होगी? सरकार इन एक्ट के तहत प्रसार भारती की पार्लियामेंट पर किस प्रकार की एकाउंटेबिलटी बनेगी, अभी इसका खुलासा सरकार को करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कोशिश हो रही है कि दूरदर्शन को समाप्त कर दिया जाए। उसके लिए आपने प्राइवेट लोगों के घटिया कार्यक्रम और उसीके साथ-साथ रीजनल कार्यक्रमों में कमी तथा कमीशंड कार्यक्रमों में घपलेबाजी आई है और गिरावट भी आई है। हमारे साथी ठीक कह रहे थे कि प्रसार भारती बनने के बाद भी वह जारी रहता है तो प्रश्न चिह्न लगता है। सरकार यदि यह बिल शीघ्रता से लाना चाहती है तो क्या फिर से सभी राजनीतिक दलों से बात करेगी, सभी मीडिया के लोगों से बात करेगी, जैसे की उस वक्त तत्कालीन मंत्री जी ने बिल लाने पर की थी?

एक बात का जिक्र मैं और करना चाहूंगी। बहुत बार मीडिया के नामी-गिरामी लोगों को लेकर इसके सदस्य और अध्यक्ष बना दिये जाते हैं तो डा. रेड्डी हमारी पार्टी में है, लेकिन गिल साहब को हटाये जाने का जो अफसोस है, लेकिन जब मैं मंत्री थी तब तक वे दूरदर्शन पर फिल्में बनाया करते थे। इसलिए उनको अध्यक्ष बनाया गया, उस वक्त भी वे फिल्म बनाते थे या नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन सरकार इसका ध्यान रखे कि जो लोग इस प्रकार उसमें जुड़े हों, उनको इसमें न लिया जाए। अब भी हम आशान्वित हैं कि एकाउंटेबिलिटी हो, आटोनॉमी हो। आज भी हम आशान्वित हैं कि संसद और प्रसार भारती के बीच तारतम्य हो कि 21वीं सदी के भारत का दिग्दर्शन हो सके। हम शिक्षा, सूचना और मनोरंजन, जो प्रारम्भ से हमारे इलेक्ट्रानिक और मीडिया की मुख्य धारा रहे हैं, उससे दूर नहीं जा सकते। इस आशा और विश्वास के साथ जिस सपने को डा. रेड्डी ने प्रस्तुत किया, उसको ब्रश अप करने की जरूरत तो जरूरी है, लेकिन उसे समाप्त नहीं किया जाए, यह हम सरकार से अपेक्षा करते हैं।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): सभापति महोदय, प्रसार भारती के कार्यकरण के संबंध में हो रही चर्चा में आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आजादी के बाद इस सदन में प्रसार भारती एक्ट बनाने की बात आई, लेकिन 10-15 साल पहले महसूस किया कि एक ऐसा एक्ट बनाया जाए, जिसमें दूरदर्शन और रेडियो को आजादी दी जाए, स्वायत्तता दी जाए। आजादी के बाद उसका उद्देश्य यही रहा कि प्रचार के माध्यम से, चाहे वह माध्यम रेडियो हो या आकाशवाणी, देश के लोगों तक, आम गांव के लोगों तक देश की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक विषयों पर जो सरकार काम कर रही है, उसको सच्चाई के साथ जनता तक पहंचाया जाए। यह महसूस किया गया कि सरकार कुछ तथ्यों को छिपा लेती है या देश के जो सही हालात है या जो सही हकीकत है, उसको जनता तक नहीं पहुंचा रही है। उस वक्त यह महसूस किया गया कि एक एक्ट बनाया जाए, जिसको आजादी दी जाए, स्वायत्तता दी जाए और जिसके माध्यम से जनता का जो अधिकार है, वह अधिकार लोगों तक पहुंचे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, 1990 में प्रसार भारती एक्ट बनाया गया और इस दिशा में प्रसार भारती को जो-जो जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाने के लिए वह कटिबद्ध है।

महोदय, मैं सदन के सामने आज की परिस्थिति में आकाशवाणी और रेडियो की जो महत्ता है, वह मैं बताना चाहता हूं। आज आप छोटे-से-छोटे से गांव में चले जाइए, हर गांव में टीवी है। इस वजह से रेडियो की महत्ता खत्म हुई है और आज टीवी का प्रचलन काफी बढ़ गया है। आज गरीब से गरीब आदमी के पास टीवी है और वह हर कार्यक्रम देखता है। देश में तकरीबन 40 चैनल्स काम कर रहे हैं। इन सारे चैनल्स को देखने का वह प्रयास करता है कि उसे कहीं से राजनीतिक सच्चाई पता चले कि देश की अर्थ व्यवस्था कहां है। साथ ही सामाजिक एकता कहां है, वह यह भी देखना चाहता है। देश का नागरिक यह भी देखना चाहता है कि वह कैसी अपने आप में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना पैदा करे तथा सीखना चाहता है। जब मैं बहुत छोटा था, तो मुझे याद है, गांव के लोग रेडियो अपने बगल में दबा कर, खेतों में काम किया करते थे और हर कार्यक्रम सुनते थे। जब चुनाव हुआ करते थे, तो पांच मिनट में बार-बार समाचार सुनते थे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इसमें गिरावट आई है। आज टीवी

के माध्यम से उसको तो सुन लेते हैं, लेकिन समाचार सुनने की इच्छा नहीं रखते हैं। इसी प्रकार दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भी गिरावट आई है। हमने ग्लैमर का नाम दिया और ग्लैमर के नाम से कार्यक्रम पेश किए।

जिन प्रोग्रामों को सपरिवार नहीं देख सकते हैं तथा बाहर के चैनल भी आये हैं जिन पर हम कोई लगाम नहीं लगा सके।

माननीय सभापति महोदय, आज आकाशवाणी और दूरदर्शन की गुणवत्ता बढ़ाने की बहुत जरूरत है क्योंकि आज प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम आकाशवाणी और दूरदर्शन ही है। आज हाल यह है कि प्रिंट-मीडिया पर भी उतना भरोसा नहीं किया जा सकता जितना कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किया जा सकता है। मुझे याद है कि गांव में अगर किसी समाचार की सच्चाई लोग जानना चाहते थे तो सबसे पहले बीबीसी लगाते थे और लोगों का विश्वास था कि बीबीसी की खबर सच्ची खबर होती है। लोगों को उस पर विश्वास था, उसकी सच्चाई पर विश्वास था। सरकार का प्रसार भारती एक्ट एक साहसिक कदम है जिसके द्वारा मीडिया को स्वायत्ता दी जा रही है। लेकिन इसके साथ-साथ हमें इसके आर्थिक पहलू और गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार इस पर 16 सौ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च करती है जबकि रेवेन्यू के तौर पर इसकी रिक्वरी 395 करोड़ रुपया है। इससे पता चलता है कि प्रतिवर्ष कितना बड़ी हानि होती है। जनता का जो पैसा टैक्स के रूप में आता है वह इस तरह से बर्बाद कर दिया जाये, यह कोई अच्छी बात नहीं है, इसका समुचित उपयोग होना चाहिए।

अपराह्न 5.47 बजे

(**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए)

मैं तो यही कहूंगा कि यह एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसके साथ मेरे कुछ सुझाव भी है, जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज इन दोनों माध्यमों में गुणवत्ता की कमी है और राष्ट्र के लोगों की भावना को हम जनता तक ठीक ढंग से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसकी जो क्रैडिबिलटी जनता में होनी चाहिए वह नहीं है। इसकी महत्ता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार को एक ब्रॉडकास्टिंग रैगूलेटरी अथारिटी भी बनानी चाहिए जो इसको कंट्रोल कर सके। सरकार अपना भी नियंत्रण रखे ताकि इसमें स्वछंदता न आने पाये, सामाजिक सरोकार भी इसका रहे। ब्रॉडकास्टिंग अथारिटी के रूप में वह काम करे। कभी हम लड़ पड़ते हैं कि उम्र बढ़ाई जाये या जैसे पीछे कोई समय-समय नहीं रखी गयी है या जैसे कहा गया है कि इसमें जरूरत नहीं है कि कोई आदमी बाहर से आये। इसलिए इसमें एक रैगूलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। अब अगर हम साइंस और टैक्नोलॉजी की जानकारी लेना चाहे तो हमारे को दूरदर्शन से नहीं मिलती है तो लोग बाहर के चैनल खोलकर देखते हैं। इसलिए इस तरह के प्रोग्राम भी आने चाहिए, ज्यौग्राफिकल प्रोग्राम आने चाहिए। कम्युनिटी रिलेशन के प्रोग्राम जो बेशर्मी से ग्लैमर के नाम पर दिखाये जा रहे हैं उनमें सुधार होना चाहिए ताकि आम जनता तक एक मैसेज जाये और वह अपने इलैक्ट्रोनिक मीडिया पर विश्वास कर सके। उससे हम सच्चाई जान सकते हैं, सीख ले सकते हैं और देश की एकता और अखंडता के बारे में अपने लोगों को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए अपनी बात बता सकते हैं। इसलिए इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, हाल ही में आउट स्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन एवार्ड जयपाल रेड्डी जी को मिला। उन्हीं के द्वारा इस बहस की शुरुआत हुई। लोकतंत्र में चौथा खम्भा पत्रकारिता और मीडिया को माना गया है। यह जब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रहेगा तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। सारे काम इसी से चलते हैं। इसलिए महसूस किया गया कि सरकार के अधीन रेडियो और टेलिविजन को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया जाए। गांवों में भी यह धारणा है कि यहां के रेडियो और टेलिविजन सही खबर नहीं देते जबकि बी.बी.सी. सही खबर देता है। हमें आपातकाल का समय याद है। उस समय रेडियो में असली बात नहीं आती थी। गांव के लोग कहते थे कि बी.बी.सी. लगा कर खबर सुनी जाए। उस पर लोगों को विश्वास था। उसी से सोच चली और प्रसार भारती विधेयक लाया गया।

रेड्डी साहब ने शुरू से लेकर अब तक की बात बताई। कहा जाता था कि गिल साहब सख्त आदमी थे, किसी की पैरवी नहीं करते थे और किसी की बात नहीं मानते थे। उन्हें हटाने के लिए कानून बदल दिया। ऐसी चर्चा यहां भी हुई।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): पहले उन्हें लाने के लिए कानून बदला गया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: वह आपको सूट नहीं कर रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। इस सरकार के चलते इस विभाग में अरुण जेटली जी तीसरे मंत्री है। पहले सुषमा जी गड़बड़ करने के कारण गई। फिर प्रमोद महाजन जी का विभाग बदला गया। अब आप भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। रोज टेलिविजन में दिखाई देते हैं। जब प्रधान मंत्री विपक्ष में थे तो कहते थे कि इंदिरा जी को रोज टेलिविजन में दिखाया जाता है और देवी दर्शन कराए जाते हैं। शायद आपको यह बात याद नहीं है। ...*(व्यवधान)* आप ब्राह्मण बुद्धि का अभ्यास करिए। आप उसे भूल गए हैं। ...*(व्यवधान)* वैशाली जनतंत्र का जन्मदाता है। जब दुनिया में

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

कहीं लोकतंत्र नहीं था, उस समय वहां लोकतंत्र था। तीन हजार वर्ष पहले वहां लिच्छवी गणतत्र था। हमें इसका गौरव प्राप्त है। हमने इब्राहिम लिंकन से लोकतंत्र नहीं सीखा। 1898 में केरल में दो सदनीय व्यवस्था हुई। जब बिहार और उड़ीसा एक थे, उस समय बिहार में 1912 में काउंसिल का गठन हुआ था।

इनको गलत सिखाकर उधर से खड़ा कर दिया। तीन आदमियों ने अंटशंट लिखा दिया। जब श्री जयपाल जी ने कहा कि गोइबल का कहना था कि यदि कहीं कोई बात दस बार असत्य कही जाये तो वह सच हो जाती है। अब गोइबल और मैकावली को हम लोग असत्य कहने वाले बोलते हैं। ये लोग भी फासिस्ट हैं और इन लोगों को सच्चाई पर कोई विश्वास नहीं है।

सभापति महोदय, गिल को हटाने के लिए कानून बनाया गया। गिल को हटा दिया गया लेकिन उसकी जगह कोई अच्छा आदमी बहाल नहीं किया गया, अभी तक क्यों नहीं किया गया, आपके पास कोई जवाब हो तो दीजिए। श्री महाजन ने पिछली लोक सभा में जवाब दिया था और उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं करते। हम लोगों को यह जानकारी है कि कोई मि. तिवारी या मि. त्रिवेणी, जो भी ह., वे जाकर बैठते थे और न्यूज निकालते थे जिसे वे पढ़ लेते और तब कहते थे कि ठीक है। उसके बाद ही न्यूज प्रसारित होता था। हमारे बिहार में भिखारी ठाकुर हुये हैं। उनकी एक कविता थी:

हुकूमत के हाथी के दांत है दो,
खाने के दो असर, दिखाये दो असर॥

जैसा श्री रूपचंद पाल ने कहा कि यह प्रसार भारती भी डबल फेस का है। कहने को तो आटोनमी दे दिया लेकिन ये लोग अपने मन मुताबिक न्यूज प्रसारण का काम कराते हैं। हमारा इन पर यह आरोप है कि इनका दोहरा मापदंड है क्योंकि कहने को कुछ है और कहने को कुछ है। कहने को तो आटोनमी है जिसका मतलब है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे लेकिन पार्लियामेंट में कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें मंत्री का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ही इनका काम सीरियल्स में रहता है। इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। जो मंजूर होने का नहीं, वे मंजूर कर लिये गये और जो मंजूर होने को थे, उनको रिजैक्ट कर दिया गया। अगर इस सब की जांच हो जाये तो सब के सब धरे रह जायेंगे और कोई बचेगा नहीं। इसलिए प्रसार भारती को आटोनमी देने के नाम पर एक से एक जवाब देंगे। फिर क्यों एक एडीशनल सैक्रेट्री वहां रखे हुये हैं, फिर आटोनमी कहां रहेगी? इसीलिए प्रसार भारती की विश्वसनीयता खतरे में है। लोगों को भी इसमें संदेह है। जब प्रसार भारती बना था तो उस समय बी.बी.सी. की तरह रिप्यूटेड स्वतंत्र और निष्पक्ष रखे जाने की बात की गई थी कि इससे लोगों को सच्चाई की जानकारी मिलेगी लेकिन आज के समय में इस पर कोई भरोसा नहीं है। हम यह देख रहे हैं कि बदलीकरण हो रहा है लेकिन हेरा-फेरी हो रही है। इसलिए जब हम लोगों का राज बना था, उस समय यह सपना था कि प्रसार भारती का उद्देश्य आटोनमी होना था जिसकी विश्वसनीयता रहेगी, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा लेकिन आज सरकार उसमें हस्तक्षेप कर रही है।

सभापति महोदय, यदि आज दूरदर्शन और रेडियो दोनों पर न्यूज देखा या सुना जाये तो मालूम होगा कि सरकार के मंत्री लोग अपना प्रचार कराते हैं। यह ठीक बात है लेकिन प्रधानमंत्री की मर्यादा के बाद ये मंत्री अपना नम्बर लगाते है। वोटों के समय तो टी.वी. और रेडियो ने भाट की तरह काम किया है। हमारे बिहार में भाट उन लोगों को रखा जाता था जो राजा की जय जय करते थे। उसी तरह से इन लोगों ने एकतरफा प्रचार अपनी पार्टी के लिये किया। भाजपा की सरकार ने षड्यंत्र किया और इसीलिए हम लोगों का विश्वास इन पर से उठ गया है। जनता का विश्वास भी उठ गया है। जब लोगों का मीडिया पर विश्वास उठ जायेगा और सरकार जब कहेगी कि स्टार टी.वी. देखिये और कभी कहेगी कि जी न्यूज देखिये क्योंकि इन लोगों का उनसे लाकबाजी है। वे लोग बहुत ठीक नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी तो वाजिब दिखायी दे जाते हैं। लेकिन यह बहुत खतरनाक बात है। इस कारण से हम लोग कहते हैं कि सदन का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहे, सरकार का भी नहीं। यदि सरकार अपनी तरफ से करेगी तो हम लोगों में बड़ा भारी असंतोष रहेगा, आम लोगों को असंतोष होगा। इसलिए चाहेंगे कि जिस तरह से बी.बी.सी. का रेपुटेशन है, वैसा प्रसार भारती का हो जाये लेकिन हमें इन पर भरोसा नहीं है। इन से हम लोग अपेक्षा भी नहीं करते हैं।

सायं 6.00 बजे

कैसे करेंगे। कानून बदलकर इन्होंने अभी तक नहीं किया। यह जवाब दे दें, दो वर्ष बीत गये हैं, मंत्री बदल रहे हैं, अफसर लोगों का उसमें कारोबार थम रहा है। इसलिए हम इतना कहेंगे कि श्री जयपाल रेड्डी साहब ने जो सवाल उठाये हैं, यह उसका जवाब दें। होशियार मंत्री हैं, वकील हैं, उल्टा-सीधा करने में माहिर होंगे, वैसा ही करेंगे। लेकिन आम लोगों में यह धारणा है, इसलिए हम चाहेंगे कि आम लोगों की जो धारणा है कि इसकी सफाई हो, मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे। जब लोकतंत्र का चौथा खम्भा मजबूत रहेगा तो लोकतंत्र भी मजबूत रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: अगले वक्ता डा. बिएट्रिक्स डी सूजा हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, बैठक की अवधि बढ़ाई जानी है।

सभापति महोदय: इस चर्चा के लिए आबंटित समय दो घंटा था। यह पहले ही पूरी हो चुकी है। सभा की अनुमति से हम समय बढ़ाते हैं। इस चर्चा को पूरा करने के लिए कितने समय की आवश्यकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि आज ही हमें इसे समाप्त करना है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय, इसे कल के लिए जारी रखिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय अध्यक्ष ने कहा है कि आज ही हमें इस विषय पर चर्चा पूरी कर लेनी चाहिए। इस पर सहमति भी हो गई थी कि यह चर्चा आज ही पूरी की जायेगी। यह सभा को निर्णय लेना है कि कितने समय की इसे आवश्यकता है। मेरे विचार में एक घंटा पर्याप्त है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): सभापति महोदय, आज हाउस एडजर्न कर दीजिए और इसे कल जारी कर दीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: आज साढ़े छ: बजे सिंचाई विभाग की महत्वपूर्ण मीटिंग है, इसे कल के लिए कांटीन्यू कर दीजिए। हम लोगों को मीटिंग में जाना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: क्या मंत्री महोदय 6.30 बजे तक अपना उत्तर पूरा कर पाएंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): यदि मुझे पन्द्रह से बीस मिनट का समय मिले, तो मैं अपना उत्तर पूरा कर लूँगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब केवल दो और वक्ता है। यह माननीय अध्यक्ष द्वारा दिए गए नाम है। यदि नए नाम शामिल करने हों, तो यह काफी कठिन हो जायेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर): कौन दो वक्ता हैं? हमारी तरफ से, श्री के.पी. सिंहदेव को बोलना पड़ेगा।

सभापति महोदय: श्री राशिद अल्वी तथा श्री के पी सिंहदेव को बोलना है। लेकिन यह चर्चा आज ही पूरी की जानी है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह निर्णय लिया गया था कि यह चर्चा आज ही समाप्त की जाएगी क्योंकि कल हमें तीन चार विधेयक पारित करने हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: जब बिहार, बंगाल, और उत्तर प्रदेश के लोग चले जायेंगे तो हाउस किस पर चलाएंगे। हम सभी लोगों को मीटिंग में जाना है। आज साढ़े छ: बजे मीटिंग रखी गई है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: क्या हम इसे सायं 6.30 बजे तक पूरा कर लेंगे? मैंने डा. बीएट्रिक्स डीसूजा को बोलने के लिए बुलाया है। वह अपनी बात कहने के लिए खड़ी हैं। प्रत्येक दल से कम से कम एक व्यक्ति ने बोला है, ऐसा मेरा मानना है।

श्री रूपचंद पाल: यहाँ तक कि मैंने अपने भाषण में भी यह उल्लेख किया है कि हमारी पार्टी से दूसरे वक्ता हैं, इसलिए मैं कम समय ले रहा हूँ।

एक अन्य वक्ता श्री सुरेश कुरुप हैं। वे हमारी ओर से बोलने वाले हैं। आप इस अवसर से हमें वंचित नहीं कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने पहले ही बहुत समय ले लिया है। मेरे विचार में समय हस्तांतरित की जाने वाली वस्तु नहीं है।

...*(व्यवधान)*

डा. (श्रीमती) बिएट्रिक्स डीसूजा (नामनिर्दिष्ट): महोदय, आपने मेरा नाम बुलाया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मेरे विचार में इस बात पर सहमति है कि हम सायं 6.30 बजे तक समय बढ़ा दें।

अब डा. (श्रीमती) बीएट्रिक्स डीसूजा को बोलना है।

डा. (श्रीमती) बिएट्रिक्स डीसूजा: माननीय सभापति महोदय, प्रारम्भ में मैं यह कहना चाहूँगी कि श्री जयपाल रेड्डी ने स्वायत्तता के लिए जोरदार वकालत की है। मेरा मानना है कि स्वायत्तता वांछनीय है जब किसी सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की संभावना हो। लेकिन मैं एक बात काफी स्पष्ट करना चाहूँगी। सरकार ने आपातकाल के दौरान मीडिया का मुंह बंद नहीं किया। तथा यह भी कि स्वायत्ता विश्वसनीयता लाती है।

[डा. (श्रीमती) बिएट्रिक्स डिसूजा]

मैं श्री जयपाल रेड्डी से भी सहमत हूँ जब वे कहते हैं कि विशेषज्ञ समिति में विभिन्न क्षेत्रों से प्रसिद्धि लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए तथा न कि मीडिया से जुड़े व्यक्तियों को क्योंकि हमें व्यावसायिकता चाहिए। हमें तकनीकी विशेषज्ञों की ही आवश्यकता है। मीडिया से जुड़े लोगों की अपनी राजनीतिक निष्ठाएँ हैं। लेकिन मैं इस विषय पर नहीं बोलने जा रही हूँ।

दूरदर्शन तथा आकशवाणी की सामाजिक परिवर्तन में अपार संभावनाओं का पर्याप्त रूप से दोहन नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)* लगभग प्रत्येक घर में एक टेलीविजन है। ट्रांजिस्टर काफी सस्ते हैं। लेकिन मैं विशेषरूप से महिलाओं की बात कर रही हूं। महिलाओं का मनोरंजन किया गया है। लेकिन उन्हें उन चीजों के संबंध में सूचना नहीं दी गई है जो उनके लिए व्यक्तिगत रूप से लाभकारी है। यहाँ तक कि शिक्षित महिलाएं भी अपने कानूनी अधिकार से पूरी तरह अनजान है। मेरा विश्वास है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन महिलाओं में कानूनी साक्षरता के प्रसार में एक चैनल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, महिलाएं यह नहीं जानती कि उन्हें सायं 6 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, कि वह पुलिस स्टेशन में उस समय के बाद नहीं रूक सकती हैं। महिलाएं यह नहीं जानती कि बलात्कार का रिपोर्ट कहाँ दिया जाय तथा यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट के लिए कहाँ जाया जाये। वे यह भी नहीं जानती कि कहां जाकर तलाक से संबंधित उत्पीड़न की रिपोर्ट की जाय; उपभोक्ता संरक्षण कैसे प्राप्त किया जाय तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रदान की गई हाट-लाइन सेवा का किस प्रकार उपयोग किया जाय। इन्हें भी प्रसारित किया जाना चाहिए।

मैं पिछले माल विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति में थी। मिलावटी सरसों तेल के हंगामे में, हमें काफी सरल प्रक्रिया द्वारा यह दिखाया गया कि सरसों तेल की शुद्धता की जांच किस प्रकार की जा सकती है। लेकिन, दुर्भाग्यवश, जनसामान्य को इस आसान तरीके के बारे में ज्ञान नहीं था और सरसों के तेल की बिक्री नहीं की गई। मेरा मंत्री महोदय को सुझाव है कि एक लाइन का फ्लैश समाचार दिया जाय ताकि लोग विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित बातों को समझ सकें। उदाहरण के तौर पर, पेंशनभोगी को यह जानने की आवश्यकता है कि पेंशन कब संशोधित हो रहा है। लोगों को यह जानने की आवश्यकता है कि कब राशन कार्ड चाहिए तथा कब टीके लगाने हैं। शायद, मंत्री महोदय फिल्म स्टारों तथा क्रिकेटरों की सेवाएं लें। मेरे विचार में वह स्वयं एक क्रिकेट फैन है।

आजकल दूरदर्शन पर, वाशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर की बिक्री को बढ़ावा दिया जाता है। वाशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर बेचने के बाद, उन्हें हमें सामाजिक महत्व के मुद्दों पर भी कुछ कहना चाहिए। वास्तव में, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूँगी कि दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर स्वीकार किए जाने वाले सभी विज्ञापनों में हमें सूचना देने वाली एक लाइन होनी चाहिए। आखिरकार उपभोक्ता विज्ञापन महिला उपभोक्ता को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। हम खर्च करने के बाद कुछ ऐसा प्राप्त करें जो सामाजिक संदर्भ में महत्वपूर्ण हो। बच्चों के लिए कार्यक्रम की भी आवश्यकता है। ब्रिटेन में, ''सीसेम स्ट्रीट'' नामक काफी शिक्षाप्रद कार्यक्रम है जिसमें बच्चों का मनोरंजन करते हुए उन्हें शिक्षा दी जाती है।

हमें इन दिशाओं में कुछ घरेलू कार्यक्रम होने चाहिए ताकि दूरदर्शन क्लास रूम में खासकर के ग्रामीण क्लासरूम में प्रवेश कर सके। फिर हमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कार्यक्रम की आवश्यकता है। हमें वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए सूचित करने हेतु कार्यक्रम चाहिए तथा उनके लिए कार्यक्रम चाहिए जो घर पर रहते हैं।

महोदय, चुनाव के दौरान माननीय मंत्री टी.वी. पर्सनालिटी बने तथा मुझे विश्वास है कि वे दृश्य मीडिया की शक्ति को जानते हैं। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि वे मेरे सारे सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री के.पी. सिंहदेव (ढेकानाल): सभापति महोदय, मैं मंत्री जी की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे मंत्रालय की अध्यक्षता की, जिसका तीन दशक के मेरे संसदीय अनुभव में मैं प्रमुख रहा था और जो सर्वोत्तम मंत्रालयों में से एक है-अर्थात सूचना और प्रसारण मंत्रालय। दूरदर्शन, आकाशवाणी, क्षेत्रीय प्रचार इकाईयों गाना और नाटक विभाग, भारतीय जनसंचार संस्थान, फिल्म प्रभाग और फोटो विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी कई क्षेत्रों में अग्रणी रहे हैं जहाँ अमेरिका और जापान जैसे उन्नत देश भी उनके समक्ष कुछ भी नहीं हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी की नई कुशलताओं का पता इस तथ्य से चल सकता है कि ऐसे अनेक लोग जिन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में मूल सिद्धांतों की पूर्ण शिक्षा ली है आज दूरदर्शन के प्रतिस्पर्धियों अर्थात स्टार टी.वी., जी.टी.वी. तथा कई अन्य उपग्रह टी वी चैनलों में उच्च पदों पर आसीन हैं।

महोदय, मैं श्री एस. जयपाल रेड्डी की प्रशंसा करता हूँ क्योंकि उनमें दोष सिद्ध करने का पूर्ण साहस है और वह लगातार अपने सिद्धान्तों पर दृढ़ रहे हैं, चाहे सभा में किसी भी पक्ष में हो और उन्होंने सर विंसटन चर्चिल के शब्दों को झूठा सिद्ध कर दिया है, जिन्होंने कहा था:

> ''राजनीति में अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहना एक मूर्ख का गुण है।''

परन्तु इसके बावजूद उनमें दोष सिद्ध करने का साहस है और कांग्रेस पार्टी ने 1991 के अपने चुनाव घोषणापत्र में दूरदर्शन और आकाशवाणी को अन्य व्यावसायिक चैनलों से प्रतिस्पर्धा में अपने कार्यकरण में स्वायत्तता देने की वचनबद्धता दी थी।

महोदय, विश्व में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुँच अतुलनीय है और यह सब इस तथ्य के कारण है कि सारे कर्मचारी, अभियन्ता और इन दोनों संस्थाओं में कार्यरत लोगों ने इसे इस स्तर तक पहुँचाया है। आज दूरदर्शन देश में 90% लोगों तक और आकाशवाणी देश की 98 प्रतिशत लोगों तक अपने प्रसारण पहुँचाते हैं। आज आकाशवाणी स्काई रेडियो, उपग्रह रेडियो आदि के बारे में सोच रहा है और वे आज भी कई क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं। आज दूरदर्शन अमेरिका से भी पहले डिजिटल कम्प्रेशन वीडियो तकनीक में विशेषज्ञ है और 17 चैनल है और उनकी क्षमता 85 चैनलों की है। एक समय एक प्रयोग के तौर पर हम जम्मू और कश्मीर और पंजाब में पांच भिन्न चैनल दे रहे थे जब उग्रवाद अपनी चर्म सीमा पर था। यह केवल तभी सम्भव हुआ क्योंकि तकनीकी कर्मचारियों में पर्याप्त स्वायत्तता थी। वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते थे और आवश्यक निधियां भी जुटा सकते थे। परन्तु यदि संसद के हम 750 सदस्य यह महसूस करें कि हम बुद्धिमत्ता के स्तम्भ हैं और यह कि हम भी प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकीय नवीनताओं के प्रमुख बन सकते हैं, तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।

महोदय, जब श्री जयपाल रेड्डी राज्य सभा में थे, वे काफी सक्रिय रहते थे और मेरे कुछ सहयोगी, जो अब दूसरी तरफ बैठे हैं जैसे श्री प्रमोद महाजन और श्रीमती सुषमा स्वराज, वे स्वायत्तता का प्रश्न उठाया करते थे। तब डा. नजमा हेपतुल्ला की तरफ से एक आदेश, एक निदेश था कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखना चाहिए क्योंकि प्रौद्योगिकी ने किसी भी कानून, नियंत्रण अथवा नियमन को असंगत कर दिया है।

वर्ष 1990 में संसद की दोनों सभाओं की यह संयुक्त बुद्धिमत्ता थी। उस समय यह निर्णय लिया गया था कि एक प्रसार भारती बोर्ड होना चाहिए जो सरकार और नौकरशाही नियंत्रण से मुक्त हो। परन्तु इसे कार्यकारी स्वायत्तता की भी आवश्यकता है। उन लोगों के द्वारा जो इसे चला रहे हैं।

आज भारत में 136 उपग्रह चैनल चल रहे हैं। यदि दूरदर्शन, आकाशवाणी और प्रसार भारती को भारतीय परिस्थितियों में संगत रहना है और उदारीकरण के फलस्वरूप पैदा होने वाली स्पर्धा का मुकाबला करना है तो उन्हें व्यवसायी बनना होगा। स्वायत्तता और व्यावसायिकता के अलावा, इसमें उत्तरदायित्व और संसद के प्रति जिम्मेदारी की आवश्यकता है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है।

मुझे याद है कि डा. मनमोहन सिंह ने, वित्त मंत्री के रूप में यह धमकी दी थी कि वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक पैसा भी नहीं देंगे और यह कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को अपना राजस्व स्वयं पैदा करना चाहिए। अतः दूरदर्शन और आकाशवाणी नवीनता वादी बने और उन्होंने 1000 करोड़ रुपये जुटाये। उस समय उनके प्रचालन खर्चे 624 करोड़ रुपये थे। मैं पांच साल पहले की बात कर रहा हूं। उस समय उनकी आय पाँच सौ करोड़ थी। परन्तु जब यह कदम उठाया गया और आज जबकि अब वे आत्मनिर्भर होने वाले हैं तो प्रसार भारती के उतार-चढ़ाव सरकार के साथ शुरु हो गए और कई अन्य बातें भी हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि वे खुले विभाग के हैं। प्रसार भारती बोर्ड को सबल बनाया जाना चाहिए न कि कमजोर इसे व्यावसायिक लोगों द्वारा मजबूत किया जाना चाहिए। वास्तव में, हम यह पद्धति अपना रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वास्थ्य का विशेषज्ञ है, स्वास्थ्य मंत्री नहीं बन जाता, रक्षा में विशेषज्ञ रक्षा मंत्री नहीं हो जाता अतः इससे वस्तुनिष्ठता आती है व्यक्तिपरकता नहीं। वास्तव में हमारे पास अभियन्ताओं में से श्रेष्ठ अभियन्ता आए जो अपने विभाग के मंत्री बन गए परन्तु दुर्भाग्यवश मंत्रालय का कार्यकरण इतना अच्छा नहीं चला क्योंकि व्यक्तिपरकता चली आई और वस्तुपरकता को उसके बदले न्यौछावर कर दिया गया। अतः चूंकि हमारा लोकतन्त्र संसदीय लोकतंत्र है अतः व्यावसायिकता और स्वायतता के साथ उत्तरदायित्व और संसद के प्रति जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है।

महोदय, उत्तरदायित्व के बिना हमें आलोचना का सामना करना पड़ेगा। जब लोग विपक्ष में बैठते हैं उनके दृष्टिकोण अलग होते हैं। जब वे पक्ष में बैठते हैं उनका देखने का नजरिया भिन्न होता है। हम हमेशा इस ओर बैठते हैं तो कुछ और सुनते हैं। और हम दूसरी ओर आते हैं, तो हम इसकी ओर से अलग बात सुनते हैं। अतः बीबीसी की तुलना में आकाशवाणी और दूरदर्शन की हमेशा आलोचना होगी। वास्तव में, अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा दिए गए अनेक प्रमाणपत्र के बारे में हैं, जहां उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन की बहुत अच्छे शब्दों में प्रशंसा की है फिर चाहे वह खेल हो, चाहे चरारे-शरीफ का जलाये जाने का मुद्दा हो, चाहे एशियन खेल हों या किसी अन्य घटना का सीधा प्रसारण है। अतः ऐसी बढ़िया संस्था को संसद के समर्थन की आवश्यकता है। केवल तभी यह आज के प्रौद्योगिकीय क्रान्ति वाले युग में कार्य कर सकती है।

हमने औद्योगिक क्रान्ति छोड़ दी। आईये हम सूचना प्रौद्योगिकी को नहीं छोड़ें। इसके लिए हमें उन्हे पूरी स्वायत्तता देनी होगी, संसद के नियंत्रण से मुक्त रखना होगा, सरकार और अफसरशाही से स्वतंत्र रखना होगा परन्तु उन्हें जवाबदेह बनाना होगा। आखिरकार, हमारा लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र हैं। हम सब लोगों के प्रति

[श्री के.पी. सिंहदेव]

जवाबदेह है। अतः, इस संस्था को जिसमें विगत पचास वर्षों के दौरान 60,000 करोड़ रुपये लगाए गए हैं, संसद के प्रति अवश्य ही जवाबदेह होना होगा? परन्तु उन्हें कार्यकरण में पूर्ण स्वायत्तता हो। उसे किसी राजनीतिज्ञ अथवा किसी नौकरशाह से किसी प्रकार की कोई रुकावट, कोई हस्तक्षेप न हो क्योंकि हम विशेषज्ञ नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे प्रसार भारती के फंक्शन पर बोलने का मौका मुहैया किया। दुनिया की तारीख गवाह है। दुनिया में जितने डिक्टेटर हुए, उन्होंने सबसे पहले यह कोशिश की कि उनके हाथों में मीडिया रहना चाहिए, उनके हाथों में रेडियो और टेलीविजन रहना चाहिए। आज भी दुनिया के अंदर बहुत सी जगहों पर किसी न किसी सूरत में डिक्टेटरशिप मौजूद है। जिन देशों में इस तरह का सिस्टम है, वहां पर भी चाहे वह टेलीविजन हो या रेडियो हो, वह सरकार के अधीन है, डिक्टेटर के अधीन है। जो वे चाहते हैं वही टेलीविजन और रेडियो में आता है।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस देश के अंदर जो भी पार्टी इधर बैठती (विपक्ष में) है तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की ऑटोनॉमी की बात करती है, जब वह पार्टी उधर (सरकार में) चली जाती है तो उसे यह महसूस होता है कि अगर दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो स्वतंत्र कर दिए तो हमारे लिए दुश्वारियां खड़ी हो जाएंगी। यह कोई नई बात नहीं है। इस देश के अंदर एक ही परिवार 38-40 साल तक लगातार राज में रहा। वह इसलिए रहा कि वे लोग अच्छी तरह से जानते थे कि मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, रेडियो और टी.वी. को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बड़ी सच्चाई कोई और नहीं हो सकती।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): यह गलत बात है।

श्री राशिद अलवी: आप मना कर दीजिए कि 38 साल तक एक परिवार का राज नहीं रहा।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: लेकिन उनकी वजह से ऐसा होता रहा, यह आरोप नहीं लगाना चाहिए।

श्री राशिद अलवी: चूंकि समय कम है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके समय में ऐसा हुआ है कि दूरदर्शन और रेडियो इस देश का नहीं लगता था, इस परिवार का लगता था। इस देश के प्रधान मंत्री नरसिंह राव जी थे। उस समय जो सरकार की तरफ से विज्ञापन आते थे, वे भी ऐसे होते थे जैसे कांग्रेस के विज्ञापन हों। इस देश के अंदर ऐसा लगता था, जब उनकी सरकार थी, कि हमें सांस लेने का अख्तियार भी प्रधान मंत्री जी ने दे रखा है। मैं यह बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन आप खड़े होकर वकालत कर रहे थे इसलिए कह रहा हूं। मेरा तजुर्बा है कि जो भी पार्टी विरोध में रहती है, वह चाहती है कि टी.वी. और रेडियो स्वतंत्र होना चाहिए। जब वह सरकार में चली जाती है तो कहती है कि इसको आटोनॉमी मिलनी चाहिए।

यह जनाबे शेख का फलसफा है अजीब सारे जहां से
जो यहां पीऊं तो हराम है, जो वहां पीऊं तो हलाल है।

यहां पर दूसरा अंदाजे फिक्र है, वहां पर दूसरा अंदाजे फिक्र है। मैं चाहूंगा कि जो आज का प्रसार भारती है, अरुण जेटली जी हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने मेरे से कुछ साल पहले वकालत शुरु की थी, क्योंकि जब मैंने जवाइन किया तो वे वकालत कर रहे थे, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आज दूरदर्शन के अंदर आम जनता का वह विश्वास नहीं है, जो होना चाहिए। यह बात कही जा रही है कि बी.बी.सी. के साथ कम्पेयर नहीं करना चाहिए। अभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय प्रमाण पत्र दूरदर्शन को मिले हैं, मुमकिन है कि मिले होंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आम जनता दूरदर्शन के बारे में क्या सोचती है, बी.बी.सी. के बारे में क्या सोचती है, यह ध्यान देने की बात है। आज आम आदमी बी.बी.सी. पर ज्यादा भरोसा करता है, दूरदर्शन पर कम करता है। मुझे माफ करेंगे, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से वहीं सब कुछ अनाउंस होता है जो आज की सरकार चाहती है। मैंने कभी खबरों में यह नहीं सुना और दूरदर्शन पर यह नहीं देखा या सुना कि बाबरी मस्जिद गिर गई, हमेशा यही सुना है कि वहां पर एक ढांचा था, जिसको खत्म कर दिया गया। यह एक सोची-समझी साजिश है। उसीके तहत दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो आज काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में एक काम्प्रहेंसिव बिल आना चाहिए। उसमें न सिर्फ यहां की प्रसार भारती स्वतंत्रता से काम करे, बल्कि यह भी बहुत जरूरी है कि इस देश की जो तहजीब और तुमुद्दुन है, उसको इनटैक रखे। आज इस देश के अंदर जो मुकातलिफ चैनल्स काम कर रहे हैं, उनमें जिस तरीके के प्रोग्राम दिये जा रहे हैं। इस मुल्क की तहजीब और तमदुद के खिलाफ है। मैं समझने में कासीर हूं कि हिन्दी मूवीज दिखाई जायेंगी, तो उनका कोई दूसरा मापदंड होगा और जब अंग्रेजी मूवीज दिखायी जायेंगी, तो दूसरा मापदंड होगा। देखने वाले वहीं लोग हिन्दुस्तानी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक काम्प्रहेंसिव बिल आना चाहिए, जिसके अन्दर हमारी तहजीब और तमदुद इन्टैक्ट होना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपको तीन मिनट का समय दिया गया था। मैंने आपको पाँच मिनट का समय दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री राशीद अल्वी: मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, एक बात और कहना चाहता हूं। मैं जितने भी ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर्स हुए हैं, उनके द्वारा दिए गए कन्ट्राडिक्ट्री स्टेंटमेंट्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने गीता के अन्दर कहा है-राजनीति दो तरीके की होती है, एक राजा के लिए और दूसरी देश के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा था, जब राजनीति राजा के लिए की जाती है, तो निष्ठा अपना अर्थ खो देती है। जब निष्ठा अपना अर्थ खो देती है, तो सच्चाई अपना मतलब खो देती है और जब सच्चाई अपना मतलब खो देती है, तो सिर्फ झुठ का राज होता है और उसके अलावा किसी और का राज नहीं होता है। इसलिए मैं जेटली जी से कहना चाहता हूं कि राजनीति देश के लिए करें, राजा के लिए नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक काम्प्रहैंसिव बिल लाना चाहिए, ताकि प्रसार भारती न सिर्फ इन्डपेंडिटली काम करे, बल्कि देश को नजर आए कि वह इंडिपेंडिटली काम कर रही है तथा उसके अन्दर तमाम तहजीब और तमदुद कवर करने चाहिए।

[अनुवाद]

श्री टी.टी.वी. दिनाकरन (पेरियाकुलम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

विज्ञापन वो मुख्य स्रोत है जिन पर टेलीविजन चैनल टिके रहते हैं। परन्तु कई टेलीविजन चैनलों ने वर्षों तक लगातार विज्ञापनों पर अपना आधिपत्य जमाये रखा है जिससे अन्य चैनलों को नुकसान पहुंचा है। अतः, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे देश के टेलीविजन उद्योग में स्वस्थ्य प्रवृत्ति हेतु एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 जैसा कानून लाने हेतु आवश्यक कदम उठाएं।

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): सभापति महोदय, मैं लोक सभा में पहली बार चुनकर आया हूं और मैं प्रसार भारती के कार्यकरण के विषय में अपनी धारणा सदन के सामने रखना चाहता हूं।

महोदय, आपातकाल के समय में संसद में जो भी राय होती रही या अखबारों के माध्यम से हम सुनते रहे कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कांग्रेस का नियंत्रण है। इसी तरह से संयुक्त मोर्चे की सरकार में भारतीय जनता पार्टी और सारे दलों ने लड़ाई लड़ी थी दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वतंत्र किया जाएगा। किसी तरह से आपातकाल खत्म हुआ, कांग्रेस का राज खत्म हुआ और संयुक्त मोर्चे की सरकार आई, तो निश्चित रूप से दूरदर्शन ने स्वतंत्र रूप से काम किया और जनता को उस पर विश्वास हुआ। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, तो दो साल से हम लगातार देख रहे हैं कि टी.वी. और रेडियो पर जो भी विश्लेषक आते हैं और विभिन्न विषयों पर विश्लेषण करते हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते हैं। उन्हीं समर्थकों को बुलाकर डिस्कशन कराया जाता है। टी.वी. और रेडियो पर हम सुनते हैं, उन्हीं वैज्ञानिकों को बुलाया जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों या कांग्रेस के समर्थक हों, लेकिन कभी भी तीसरी फोर्स या उसके समर्थकों को नहीं बुलाया जाता है। इसीलिए यह धारणा बनती है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत भी खराब है। इसका प्रमाण चुनाव के दौरान दिखाई पड़ा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। रेडियो और टेलीविजन से बराबर यह प्रचार किया जाता रहा कि समाजवादी पार्टी इस देश में समाप्त हो गयी है और एक-दो सीटों से ज्यादा जीत नहीं पायेगी। देश का मुसलमान समाजवादी पार्टी छोड़कर चला गया है। प्रसार भारती के संबंध में मैंने अरूण शौरी जी का भी इंटरव्यू पढ़ा है। मैं समझता हूं कि इनके मंत्री रहते हुए दूरदर्शन और आकाशवाणी निष्पक्ष काम कर पायेंगे, इसमें मुझे संदेह है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी फोर्स को समाप्त करने के लिए पूरी कोशिश करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो इसको लाने की कोशिश की जा रही है और माननीय जयपाल रेड्डी जी ने विचार के लिए इसको रखा है, उसको स्वीकार किया जाये और आगे एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाये जिसमें सारी पार्टियों के लोग हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री सुरेश कुरूप बोलें। श्री कुरूप, आपके दल को सात मिनट का समय दिया गया था। श्री रूपचन्द पाल ने अधिक समय लिया है। आपको बोलने हेतु बोनस का एक मिनट अधिक दिया गया है।

सायं 6.32 बजे

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम्): यह सभापति महोदय का विवेकाधिकार है।

माननीय सभापति महोदय, यह इस देश में सही सोच विचार करने वाले लोगों के लिए एक लम्बा और दर्दनाक प्रयास है कि हम दूरदर्शन और आकाशवाणी को लोकतांत्रिक ढांचे में स्थिरता लाने हेतु तथा करोड़ों गरीब अनपढ़ लोगों का भविष्य संवारने के लिए उपयोग करें। हम नए मिलेनियम के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं और विश्व पहले ही छोटे से गांव के समान सिकुड़-गया है। हमारे इलैक्ट्रानिक माध्यम सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। हमारी ऊंचाईयों की सीमाएं पहले ही खुली हैं और अनेक टी.वी. चैनल एक दूसरे की प्रतिद्वन्द्वता कर रहे हैं।

अब यहां खेल के नियम क्या हैं? विश्वसनीय और भरोसेमंद जानकारी तथा मनोरंजन के विविध प्रकार नए प्रसारण तंत्र के नये नियम हैं। लोगों के दिलो-दिमाग को प्रभावित करने हेतु, इस क्षेत्र में लाभ कमाने और कार्य-निष्पादन उन्मुख कम्पनियां एक दूसरे से प्रतिद्वन्द्वता कर रही हैं।

ऐसे वातावरण में हमारे इलैक्ट्रानिक माध्यमों को मनोरंजन के क्षेत्र में, जहां अन्य टी.वी. चैनलों के साथ प्रतिद्वन्द्वता तो करनी ही पड़ेगी, और क्या भूमिका होनी चाहिए? उनके कन्धों पर महान जिम्मेदारी है। केवल यही एक माध्यम है जो करोड़ों अनपढ़ गरीब लोगों तक पहुंच सकता है क्योंकि निरक्षरता टी.वी. देखने सुनने में बाधक नहीं है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन का कार्य सूचना देना, शिक्षा प्रदान करना और मनोरंजन करना है। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि अन्य टी.वी. चैनलों के साथ स्पर्धा लोक सेवा प्रसारण के मूल्य पर नहीं होनी चाहिए। पहले ही जन प्रसारण हेतु समय कम कर दिया गया है। भारत जैसे देश में लोक सेवा प्रसारण लाभोन्मुख प्रसारण के मूल्य पर नहीं त्यागी जानी चाहिए। लोक सेवा प्रसारण बाजार से संबंधित नहीं हो सकता क्योंकि जैसा कि मैंने पहले संकेत किया है हमारी आधी से अधिक जनसंख्या बाजार से बाहर है।

अत: जो कुछ भी, गरीब किसानों के जीवन-यापन में सुधार करने की दृष्टि से आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं वह सब लोक सेवा प्रसारण के माध्यम से ही सम्भव है। दूरदर्शन तथा अन्य मुख्य टी.वी. चैनलों में यही मुख्य अंतर है। इसे देश के प्रत्येक नागरिक तक सम्प्रेषण करना चाहिए। इसे दृष्टिगत रखते हुए दूरदर्शन और आकाशवाणी को अपने कार्यकरण कैसे चलाना चाहिए। यह पहले ही इंगित किया जा चुका है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह सपना था कि आकाशवाणी को बी.बी.सी. की तरह बनाया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत सरकारी नियंत्रण केवल व्यापक अर्थ में हो और स्वायत्तता अधिक हो। इन सब वर्षों के दौरान हमने इस विचार की नकारात्मकता को ही देखा है। आपातकालीन दौर में हमने इस देश में आकाशवाणी और दूरदर्शन की आत्म-निर्भरता पर निर्मम प्रहार देखा। अत: इस आपातकालीन दौर के पश्चात् नई शासन व्यवस्था आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान करने संबंधी लोगों को दी गई वचनबद्धता से पीछे नहीं हट सके। इसी वातावरण में बी.जी. वर्गीज़ समिति का गठन हुआ और समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् बीस वर्ष बीत चुके हैं और सबको विदित है कि इस समिति की किसी भी सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए यह एक कठिन रास्ता था कि वह स्वायत्तता के दरवाजे पर पहुंचने का प्रयास करते।

आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान करने का यह सच्चा प्रयास था कि वर्ष 1990 में प्रसार भारती अधिनियम पारित किया गया। परन्तु फिर देश को एक गैर-कांग्रेस सरकार की इन्तजार करनी पड़ी जो इलैक्ट्रानिक संचार माध्यमों को स्वायत्तता प्रदान करती। यह श्रेय मेरे माननीय सहयोगी मित्र श्री जयपाल रेड्डी को जाता है ...*(व्यवधान)*

श्री के.पी. सिंह देव : फिर वह तो भूतपूर्व कांग्रेसी थे और अब वे कांग्रेसी हैं।

श्री सुरेश कुरूप : अपने दिलोदिमाग से वह हमेशा एक कांग्रेसी हैं। वे इस देश के एकमात्र ऐसे प्रसारण मंत्री थे जिन्होंने प्रसार भारती बोर्ड से परामर्श करके आकाशवाणी और दूरदर्शन को वास्तविक स्वायत्तता प्रदान करने की राजनीतिक इच्छा प्रकट की। किसी भी स्थिति में यह खुशी की बात है और पुण्य अभिव्यक्ति है कि उन्हें नमस्कार किया जाये।

जैसा कि सबको पता है, श्री जयपाल रेड्डी ने संस्था में जो नये प्राण फूंके, वह अधिक देर नहीं टिके फिर से यह एक सामान्य सरकारी विभाग बन गई है। इस सरकार की इस संस्था के प्रति नीति और आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रति रवैया अपनाया जाना है, स्पष्ट हो गया जब सरकार ने रोमिला थापर और राजेन्द्र यादव को सेवा निवृत्त कर दिया। प्रत्येक वक्ता ने इसका जिक्र किया है। परन्तु इस सेवा-निवृत्ति के लिए क्या मापदण्ड प्रयुक्त किया गया? केवल मात्र एक यही मापदण्ड था कि ये आवाजें विरोधपूर्ण रहती थी जहां तक सरकार का सम्बन्ध था। सरकार नहीं चाहती कि कोई स्वतंत्र दिमाग वाले बुद्धिजीवी इस बोर्ड में हों। वे चाहते है कि इसमें केवल वफादार केसरधारी रहें। यदि सरकार के रवैये को वर्तमान के स्थिति में परखें तो इस गतिविधि के अनुसार प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् दो सदस्यों को सेवा-निवृत्ति होना होगा, तो भी एक पद अभी खाली हुआ था। यह रिक्ति इसलिए बनी क्योंकि श्री ए. पद्मनाभय्या राज्यपाल बन गए। यदि इसकी कोई आवश्यकता थी, कोई आवश्यकता उत्पन्न हुई तो एक व्यक्ति को सेवानिवृत्त होना था। इससे यही पता चलता

है कि सरकार का तर्क भ्रामक है। यह भाजपा द्वारा देश के प्रमुख क्षेत्रों में वफादार लोगों को लगाने की सोची समझी संगठित योजना है। पहले ही पाठ्य पुस्तकें पुनः लिखी जा रही है, इतिहास की पुस्तकें बदल दी गई है और ऐसे ही प्रसार भारती को कुचल दिया गया है।

सरकार एक नया तर्क दे रही है कि स्वायत्तता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि देश में दूरदर्शन ही एकमात्र नेटवर्क नहीं है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि श्री नीतिश सेनगुप्त जैसे व्यक्ति ने इस तर्क का उल्लेख किया है। यह बहुत भ्रामक तर्क है। चूंकि देश में और भी बहुत सारे टी.वी. चैनल कार्य कर रहे है अतः यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्त होना ही चाहिए।

इसका बहुत अच्छी तरह प्रबंध किया जाना चाहिए। दूरदर्शन चाहे सरकार का हो परन्तु दैनिक आधार पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए।

महोदय, दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यालय केवल शास्त्री भवन के अधीनस्थ नहीं होने चाहिए। उन्हें स्वतंत्र इकाई होना चाहिए। विश्व के हर भाग में अलग प्रसारण तंत्र है जो सरकारी हैं और सरकार द्वारा नियंत्रित होता है परन्तु वे सरकारें केवल मुख्य तौर पर इसे निर्देश देती हैं। केवल इसी तरह की स्वायत्तता के द्वारा दूरदर्शन तथा अन्य चैनल प्रभावशाली ढंग से स्पर्धा कर सकते हैं और लोगों तक पहुंच सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): सभापति महोदय, नियम 193 के अधीन प्रसार भारती के कार्यकरण के संबंध में सदन में चर्चा हो रही है। हमारे मंत्री महोदय सक्षम हैं और हमें आशा है कि वे दूरदर्शन और आकाशवाणी का ढांचा बदलने के लिए कारगर और मजबूत कदम उठायेंगे। अब तक भारत में प्राइवेट चैनल आ गये हैं लेकिन हमें प्रसार भारती के वर्तमान ढांचे को भी मजबूत बनाना होगा। प्रसार भारती में दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रचार कार्यों में कितना हिस्सा है, यह भी सोचने की बात है। हमारी सरकार भविष्य में दूरदर्शन और आकाशवाणी का स्वरूप कैसे बदलेगी, उसको कैसे बदलना होगा, मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा। प्रसार भारती के पुनर्गठन के लिए आपने तीन लोगों की एक कमेटी का गठन किया है। इसका कार्यकाल कितना होगा और यह कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक देगी, मुझे आशा है कि चर्चा के बाद माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में सदन को अवगत करेंगे।

सभापति महोदय, मुख्य सवाल दूरदर्शन और आकाशवाणी की स्वायत्तता का है। मेरा मानना है कि यदि प्रसार भारती को कारगर ढंग से लागू किया जायेगा तो निश्चित रूप से सूचना माध्यमों की गुणवत्ता को मजबूत किया जा सकेगा। प्रसार भारती की विश्वसनीयता कैसे होगी, भारत सरकार भविष्य में दूरदर्शन और आकाशवाणी का प्रसार क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या करेगी, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। प्रसार भारती के अंतर्गत दूरदर्शन और रेडियो पर ग्रामीण भारत का दर्शन होना बहुत जरूरी है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, हमारा देश विविधता वाला देश है, इस देश में अनेकों भाषाएं हैं, लेकिन जो स्थानीय भाषाएं हैं, उनके लिए भी दूरदर्शन और आकाशवाणी को ज्यादा से ज्यादा समय देने की जरूरत है। विशेष रूप से जो मराठी में प्रोग्राम चलते हैं, उनके लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी ज्यादा से ज्यादा समय बढ़ाने की कोशिश करे इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज से दस दिन के बाद हम सब लोग 2000वें वर्ष में पदार्पण करेंगे। लेकिन उस पदार्पण का क्या महत्व है, जब देश में 50 प्रतिशत लोग निरक्षर हों। कुपोषण के कारण जगह-जगह लोग मारे जा रहे हैं। कई-कई विभागों में 38 नये पैसे दो आदमियों की आमदनी है, ऐसी स्थिति हमारे देश की है। कितने ही किसान कर्जा वापिस न करने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। यह सच है कि हमारा देश 70 फीसदी किसानों का देश है। लेकिन उनके बारे में दूरदर्शन पर कोई बात नहीं आती है। खाली बड़े-बड़े लोगों के चेहरे-मोहरे आते हैं कि ये लोग यह करते हैं, वह करते हैं। क्या कहीं सच बात भी आती है? कई स्थानों पर सड़कें नहीं हैं, रेल तो दूर की बात है। कोई सुविधा नहीं है। आदिम जाति विभाग में 1980 में फारेस्ट कानून बना, उस कानून की वजह से विकास का काम ठप्प हो गया है। क्या दूरदर्शन वाले कभी वहां गये हैं, क्या दूरदर्शन के बाबू कभी उधर गये हैं, क्या कभी उन्होंने वहां जाकर देखा कि क्या हालत है। महोदय, मैं दूरदर्शन के बारे में इतना कहूंगा कि जो तालाब रखता है, वह ज्यादा पानी पीयेगा, लेकिन क्या यह तालाब औरों के लिए नहीं हैं। सरकार सभी के लिए होती है और उसे इस बारे में सोचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि बाबासाहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया चर्चा के अंतर्गत विषय पर ही बोलें। आप डा. अम्बेडकर के विषय में संविधान के बारे में बोलते समय कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : जब वी.पी. सिंह की सरकार थी, तब उन्होंने बाबासाहेब का तैल चित्र बनवाने की कोशिश की, उन्होंने तैल चित्र बनवाये। बाबासाहेब का जो पुतला है, वह चार दिन तक लोक सभा समाचारों में नहीं दिखाई दिया। दूरदर्शन के बाबू इतने कामचोर हैं। वी.पी. सिंह की सरकार थी, फिर भी उन्होंने चार दिन तक इसे नहीं दिखाया। मैंने लोक सभा में नियम 377 के तहत दिया कि बाबासाहेब का चित्र दूरदर्शन पर दिखायें। लेकिन बाबू लोग ऐसे हैं कि उन्होंने नहीं दिया। क्या दूरदर्शन आम लोगों के लिए नहीं है। दूरदर्शन सबका है, उसे सबका सहयोगी होना चाहिए। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन जो तालाब रखता है, वह पानी ज्यादा लेता है। लेकिन सभी के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक सदस्य को केवल दो मिनट का समय देने की बजाय आप चर्चा को कल जारी रखें।

सभापति महोदयः इस चर्चा के लिए आबंटित समय के अंतर्गत सदस्यों को ज्यादा समय नहीं दिया गया है। कार्य मंत्रणा समिति द्वारा इतना ही समय आवंटित किया गया है।

श्री पवन कुमार बंसलः सदस्य उचित सुझाव दे रहे हैं। उन्हें बोलने के लिए कुछ तो समय दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदयः कार्यमंत्रणा समिति द्वारा इतना ही समय आवंटित किया गया है।

श्री पवन कुमार बंसलः हम कार्यमंत्रणा समिति में समय का आवंटन इसी प्रकार से करते हैं परन्तु सदस्यों को हमेशा बोलने के लिए ज्यादा समय दिया जाता है।

सभापति महोदयः ठीक है, उन्हें और समय लेने दीजिए।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, भाजपा सदस्यों से जिस प्रकार व्यवहार किया जा रहा है मैं उस पर अप्रसन्नता व्यक्त करता हूं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 182 सदस्यों वाली पार्टी की तरफ से केवल एक सदस्य को बोलने की अनुमति दी गई।

सभापति महोदयः आपके मंत्री यहाँ बैठे हैं।

श्री खारबेल स्वाइंः क्या इसका मतलब यह है कि हमें सभा में आने की कोई जरूरत नहीं है? ...*(व्यवधान)* वे काफी उदार हो सकते हैं ...*(व्यवधान)* क्या यह केवल मंत्रियों पर ही लागू होता है? यदि ऐसा है, तो हमें इस सभा में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ केवल अपने हाथ खड़े करने के लिए नहीं आए हैं।

सभापति महोदयः आपकी पार्टी को आवंटित समय आपके सदस्य द्वारा पहले ही ले लिया गया है।

श्री खारबेल स्वाइंः महोदय, इस सभा में बोलना ही अपने आप में एक प्रोत्साहन है। हम लाइब्रेरी जाते हैं तथा घंटों बैठकर विषय वस्तु तैयार करते हैं, और उसके बाद जब हम यहाँ बोलने आते हैं तो आप कहते हैं कि सत्तारुढ़ पार्टी के सदस्यों को बोलने के लिए समय नहीं है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः संसदीय कार्य मंत्री महोदय श्री प्रमोद महाजन ने लिखित में दिया है कि यदि समय हो, तो आप अधिक सदस्यों को बोलने की अनुमति दें।

श्री खारबेल स्वाइंः महोदय, आप सभा को नियंत्रित कर रहे हैं। अध्यक्षपीठ इस सभा को चला रहे हैं। मैं यही बात कहना चाहता हूँ।

सभापति महोदयः सुबह 10 बजे, आपके विचार भिन्न थे।

श्री खारबेल स्वाइंः आप हमारे साथ ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम सत्ता पक्ष के इस विषय पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीन सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। आप हमें बताएँ। सभा में बोलने के लिए हमें मंत्री बनना पड़ेगा, केवल तभी आप हमें बोलने का अवसर देंगे। मैं इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करता हूँ।

सभापति महोदयः मैं आपको आपकी इच्छानुसार समय दे सकता हूँ क्योंकि अध्यक्षपीठ के रूप में कार्य करने के अलावा मेरे पास और कोई कार्य नहीं है। लेकिन कार्य मंत्रणा समिति में इसके बारे में निर्णय लिया जा चुका है।

श्री खारबेल स्वाइंः यदि एक सदस्यीय पार्टी के सदस्य के रूप में चुना जाता तो बेहतर होता ताकि मैं प्रत्येक विषय पर बोल

सकता। 182 सदस्यों वाली पार्टी को भी उतना ही समय मिलेगा जितना कि एक या दो सदस्यों वाली पार्टी को मिलता है। यह क्या है, महोदय?

सभापति महोदय: कृपया, श्री कानूनगो को बोलने दें।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): सभापति महोदय, मैंने सोचा था शायद मैं अंतिम वक्ता दूंगा। परन्तु मैं आखिरी वक्ता नहीं हूं और मेरे शब्द भी आखिरी शब्द नहीं है।

महोदय, मैं श्री जयपाल रेड्डी का बहुत आदर करता हूं, उस समय से ही जब मैं सभा का सदस्य भी नहीं था। उनके प्रति मेरे सम्मान की भावना में कमी भी नहीं हुई है। मैंने उनकी बात यहाँ पर और बाहर भी बहुत ध्यान से सुनी है मैंने और अनेक लोगों के विचार भी सुने हैं अपने आपको को अपनी स्वतंत्र आवाज में अभिव्यक्त करने के लिए ताकि अपनी अन्तार्आत्मा की आवाज प्रकट करूँ क्योंकि मैं अपने आपको उससे अलग दिखाई नहीं देना चाहता।

महोदय, आज का इलैक्ट्रानिक मीडिया और पांच से दस वर्ष पूर्व के इलैक्ट्रानिक मीडिया से एकदम भिन्न हैं। उनमें जमीन आसमान का फर्क आया है। 1974-75 के दौरान देश भर में टी.वी. का प्रचार-प्रसार नहीं था केवल रेडियो की जानकारी थी। 'आल इंडिया रेडियो' को ''आल इन्दिरा रेडियो' के नाम से जाना जाता था। मैं उस समय कांग्रेस की ओर से उड़ीसा विधान सभा का सदस्य था। उस समय ग्रामीण लोग भी यह बताते थे कि 'यह आल इन्दिरा रेडियो' है 1977 के चुनावों के पश्चात् क्या हुआ? सभी जानते हैं मेरी बात एकदम साफ है। उस समय इलैक्ट्रानिक मीडिया पर एकाधिकार था अत: हर एक यही कह रहा था कि इसे स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

महोदय, मैं माननीय सभा के समक्ष इसे पेश करता हूँ। मैं माननीय श्री रेड्डी की अन्तरात्मा से अपील करता हूँ कि क्या वह सचमुच इलैक्ट्रानिक मीडिया, प्रसार भारती तथा दूरदर्शन जो भी हो, की सम्पूर्ण जवाबदेहिता के प्रति गम्भीर हैं। यदि वह ऐसा ही चाहते हैं तो मेरा विनम्र निवेदन यह है जब स्वतंत्र चैनल और निजी चैनल उपलब्ध हैं तो हम इन्हें पूर्णत: सरकार के नियंत्रण में ही क्यों नहीं छोड़ देते? इस तरह विश्वसनीयता और जवाबदेही की जांच हो सकेगी क्योंकि वह हर पल न केवल इस सभा अपितु हजारों करोड़ों देशवासियों के जांच के दायरे में होंगे।

अत: मेरा कहना यह है कि इस तरह बदलते हुए हालातों में जब इतने अधिक स्वतंत्र चैनल हैं तो उनकी जवाबदेही-वार, गुणवत्ता-वार और चरित्र-वार तुलना होने दीजिए। इस तरह केवल देश के अन्दर ही नहीं अपितु बाहर भी सरकार के चरित्र, विश्वसनीयता और जवाबदेयता की जांच हर क्षण होती रहेगी।

अत: दृश्य श्रव्य प्रचार माध्यमों, आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान करने के स्थान पर मैं अपना यह मत जाहिर करना चाहता हूं कि इस बात को सरकार पर छोड़ दिया जाये ताकि सरकार का चरित्र, गुण, क्षमता, विश्वसनीयता और जवाबदेयता हर क्षण न केवल इस सभा के अन्दर बल्कि सम्पूर्ण देश द्वारा जांचाधीन रहे।

सभापति महोदय: अब श्री खारबेल स्वाइं बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं: क्या आप मुझे दो मिनट का समय देंगे? यदि ऐसा है तो फिर मैं नहीं बोलना चाहता।

सभापति महोदय: अब प्रो. रासा सिंह रावत बोलेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए यही कहना चाहूंगा कि रेड्डी साहब का दर्द हम समझ सकते हैं। जिन भावनाओं के साथ ये उस समय प्रसार भारती लेकर आये और गुजराल सरकार के जाते-जाते जिस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर लोगों को रखा, वे सारी चीजें सामने आ रही है तो उनका दर्द समझ में आ सकता है। लेकिन केसरीकरण का आरोप लगाना या भगवाकरण का आरोप लगाना सर्वथा निराधार है। एक उर्दू के शायर की पंक्तियां मुझे याद आती है:

'हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होती।'

इसलिए माननीय जेटली साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि वे

'लीक-लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत,
लीक छांडि तीनो चले, शायर सिंह सपूत।

इसलिए आप हमारी एन.डी.ए. की भावना के अनुसार, जिस स्वाभिमान के साथ, क्योंकि स्वायत्ता हम भी चाहते हैं लेकिन स्वायत्तता के नाम पर स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। आटोनॉमी के साथ-साथ एकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आप हमारे इन विचारों को अवश्य मद्देनजर रखेंगे।

[प्रो. रासा सिंह रावत]

आकाशवाणी एक दूरदर्शन में मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम को भी बदलने का मामला है। प्रोफैशनलिज्म को भी लाने का मामला है। अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का मामला भी है। इसके साथ क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम और विश्वसनीयता बनाने की भी बहुत आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जिन दो व्यक्तियों को हटाया गया और जिनके नाम पर तथाकथित वामपंथियों ने और छद्म धर्मनिरपेक्षतावादियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में हो-हल्ला मचाया, वह याचिका निरस्त करके एक प्रकार से उनके मुंह पर करारी चपत मारी है कि वास्तव में वे गलती पर थे और उन आदमियों को हटाना सही था। यदि वामपंथी रखे जाये तो सब ठीक है और कोई और विचारक रखे जाये तो भगवाकरण हो रहा है, केसरीकरण हो रहा है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति से हमको बचना चाहिए। मैं जेटली साहब और एन.डी.ए. की सरकार से प्रार्थना करूंगा कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझकर आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तशासी बनाते हुए उसकी एकाउंटेबिलिटी का भी ध्यान रखा जाये, क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाये। इसी के साथ अनेक चैनलों की तुलना के आधार पर हमें व्यावसायिक दृष्टि से आगे बढ़ना है, उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए आप अपने बनाये हुये कदमों पर निरंतर चलते रहें।

कदम-कदम बढ़ाये जा,
खुशी के गीत गाये जा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: चूंकि आज सभा में उपस्थिति पूरी नहीं है अतः माननीय मंत्री कल उत्तर दे सकते हैं।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी को आज ही यह काम पूरा करना है। यह निर्णय लिया जा चुका है।

श्री अरुण जेटली: मैं अध्यक्षपीठ के निर्णय का पालन करूंगा।

सायं 7.00 बजे

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): सभापति महोदय, नियम 193 के अधीन यह चर्चा प्रसार भारती के कार्यप्रणाली के बारे में है।

प्रसार भारती के कार्यप्रणाली के संबंध में तथा भविष्य में इसकी अवधारणा के संबंध में इस सभा तथा इसके माननीय सदस्यों को बहुत कुछ कहना है क्योंकि एक ऐसे माहौल में जहाँ निजी चैनलों की भरमार है प्रसार भारती तथा आकाशवाणी अभी भी अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्षरत है। कुछ सदस्यों के अलावा श्री सुरेश कुरूप का भी विचार था कि प्रसार भारती का विकास हो सकता था। मैं उन सबकी अभिवादन करता हूँ। लेकिन मुझे अत्यंत खेद है कि प्रसार भारती पर चर्चा केवल दो व्यक्तियों अथवा सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के मुखियाओं के दृष्टिकोणों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए।

मैं इस बात को मानता हूं कि श्री जयपाल रेड्डी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है जिन्होंने इस चर्चा को शुरुआत की। उन्होंने निष्पक्षता से यह कहा कि पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान जबसे मैं इस विभाग से जुड़ा हूँ इस बीच मेरे द्वारा उपस्थित किए गए किसी व्यवधान का उल्लेख करने को मौका उन्हें नहीं मिला। तथापि उन्होंने दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुों को उठाया है। पहला दो सदस्यों के सेवा-निवृत्ति से संबंधित था तथा दूसरा यह था कि उनके विचार से मैं इस मंत्रालय के प्रभारी के रूप में थोड़ा चपल हूँ।

मुझे आज इस बात का एहसास हुआ है कि क्यों उन्हें उत्कृष्ट संसद सदस्य का सम्मान दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ है उसके बारे में जिस ढंग से जो कहा जाना चाहिए इसका उन्हें पूर्वानुमान था। महोदय, मैं आपके माध्यम से उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि आपातकाल का विरोध करने में हम दोनों साथ-साथ थे। बोफोर्स मुद्दे पर भी हम दोनों ने समान रुख अख्तियार किया था। मैं वहीं रहा जहां था और वह कांग्रेस में चले गए, और आज बात केवल फिसलन की ही नहीं है बल्कि श्री के.पी. सिंह देव के कथन और डा. गिरिजा व्यास के कथन और उसी पार्टी के श्री जयपाल रेड्डी के कथन के बीच जो अन्तर है मैं उसे स्पष्ट तौर पर महसूस कर रहा हूँ। वे लोग प्रसार भारती की कार्यप्रणाली पर सुझाव दे रहे थे लेकिन श्री जयपाल रेड्डी अभी भी नवम्बर, 1997 में जो कुछ हुआ था, उसी का बचाव करना चाह रहे थे।

कब क्या हुआ मैं इसके बारे में किसी विशेष तारीख का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। यह जनता दल की सोच थी। बोर्ड में शामिल किए गए लोगों की राजनैतिक अवधारणाओं से तत्कालीन सदस्यों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। और यह तर्क दिया जा रहा है कि वह हमारे सरकार की अंतिम घड़ी थी। मैं तारीखों के झमेले में नहीं पड़ता। जैन कमीशन की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी। कैबिनेट के एक मंत्री के रूप में जैन कमीशन ने जो कुछ कहा गया, सरकार उससे वाकिफ थी। कांग्रेस पार्टी 'संयुक्त मोर्चा सरकार' को अस्थिर कर रही थी। इस बात पर होड़ चल रही थी कि सूचना और प्रसारण मंत्री बोर्ड की नियुक्ति पहले

करते हैं अथवा सीताराम केसरी सरकार से समर्थन पहले वापस लेते हैं ...*(व्यवधान)* मंत्रालय बोर्ड की नियुक्ति को सरल बनाता है।

मेरे मित्र श्री रेड्डी ने कुछ तिथियों का उल्लेख किया था। मैं पुन: उन तिथियों की बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन तत्कालीन सरकार से समर्थन वापस लेने के संबंध में श्री केशरी द्वारा दिया गया प्रत्येक बयान, उनकी प्रथम चेतावनी तथा उनकी दूसरी अंतिम चेतावनी सभी बोर्ड की नियुक्ति के समय से जुड़े थे तथा क्या उन लोगों ने बोर्ड की नियुक्ति की?

मैं निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मुझे व्यक्तिगत रूप से सदस्यों से कोई शिकायत नहीं है। उन सदस्यों से भी नहीं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। वे लोग अपने-अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन जब आप बहुलता की बात करते हैं तो तब क्या आप यह सोचते हैं कि देश में लोगों की राजनैतिक विचारधारा से अलग और भी कोई विचारधारा कार्य कर रही थी। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी निसन्देह बहुत सम्माननीय व्यक्ति थे। वामपंथ की तरफ उनका बहुत अधिक झुकाव था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाजपा के कटु आलोचक थे, वे कांग्रेस के और भी कटु आलोचक थे। वे तथाकथित तीसरे मोर्चे के बहुत करीब थे। जो दो लोग सेवा निवृत्त हो गए हैं वे भी अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन इस बात से कौन इन्कार कर सकता है कि उनका भी किसी राजनैतिक विचारधारा के प्रति झुकाव था। मैंने हमेशा अपने आप से यह सवाल किया है। अगर आप राजनैतिक बहुलता की बात करते हैं तो यह कार्यक्रमों, समसामयिक मामले के कार्यक्रमों में परिलक्षित होना चाहिए। क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि दूसरी विचारधाराओं के लोग भी बोर्ड में होने चाहिए। कृपया स्वायत्तता के मुद्दे पर दोहरा मानदंड न अपनाएं, भारतीय राजनीति में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि केवल वामपंथी विचारधारा के लोग ही स्वायत्तता के प्रतिनिधि होंगे तथा इसके अतिरिक्त बाकी सभी विचारधाराओं के लोग स्वायत्तता के विरोधी हैं। आप इस दोहरे मानदंड का सिद्धान्त अपना रहे हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: कृपया क्या आप एक मिनट के लिए चुप रहेंगे?

सबसे पहली बात यह है कि नियुक्तियां सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नहीं की जा सकती हैं और न ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई थी। चयन चयन समिति द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रेस कौंसिल के अध्यक्ष की नियुक्ति एक स्वतंत्र चयन समिति द्वारा की जाती है। मुझे आप इसका श्रेय क्यों दे रहे हैं मैं जिसके योग्य नहीं हूं।

श्री अरुण जेटली: मैं इस बात से खुश हूँ कि श्री जयपाल रेड्डी यह कह रहे हैं। इसलिए तत्कालीन मंत्रालय के लिए यह अनिवार्य था कि 20 नवम्बर की आधी रात को जब उन्होंने महसूस किया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदनामित ने दूरदर्शन के व्यावसायिक हितों की अनदेखी की है तो वे नियुक्ति के लिए उन्हें अयोग्य करार कर देते क्योंकि उन्हें पद पर बने रहने के लिए अयोग्य ठहरा या जा सकता था तथा चयन समिति को एक बार पुन: यह सूचना दे दी जाती कि उसने गलती से एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया है जो शुरु में ही नियुक्ति के लिए अयोग्य था। लेकिन उन्होंने इस नियुक्ति का पूर्व में ही अनुमान लगा लिया था इसलिए एक अध्यादेश के जरिए उन्होंने कानून में संशोधन कर दिया था तथा जो संशोधन उन्होंने प्रस्तुत किया है वह इसी के बारे में है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैंने कब कानून में संशोधन किया था।

श्री अरुण जेटली: जी, हाँ। जब आपने संशोधन किया था उस वक्त उस आदमी का नाम अवश्य आपके दिमाग में रहा होगा ...*(व्यवधान)* बाद में जब आप चाहेंगे तो मैं स्पष्टीकरण दे दूंगा। मैं समझता हूँ कि कुछ तथ्य बहुत ही अप्रिय होंगे क्योंकि उनके लिए कोई बहाना नहीं है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: चतुर वकीलों द्वारा कुछ तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है।

श्री अरुण जेटली: जी, हाँ। आपने अविश्वसनीयता का जिक्र किया है लेकिन आज यह अविश्वसनीयता की बात नहीं है बल्कि आज एक निपुणतापूर्वक भूमिका निभाई गई है जिसके द्वारा कांग्रेस दल में बैठकर भी वे उसका बचाव कर रहे हैं जिसकी कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से निंदा की थी। मैं उनको पढ़कर यह बताना चाहता हूं कि नवम्बर, 1997 में उन्होंने ज़ो कुछ किया था उसके बारे में कांग्रेस ने क्या कहा था। इस सभा में कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य, श्री मणि शंकर अय्यर ने नवम्बर 1997 में संयुक्त मोर्चा की सरकार ने जो कुछ किया और उन्होंने जो कुछ कहा था उसके बारे में कहा था। उन्होंने इसका उल्लेख करते हुए कहा था, मैं केवल एक वाक्य का उल्लेख करूँगा क्योंकि अन्य वाक्यों में शायद कुछ ज्यादा आक्रामक है। उन्होंने कहा था:

'यह चयन पक्षपात का सबसे बड़ा उदाहरण है।"

नवम्बर, 1997 में उन्होंने जो कुछ किया उसके बारे में उनके वर्तमान दल के एक सदस्य को यह कहना पड़ा था। उन्होंने बोर्ड

[श्री अरुण जेटली]

को स्वायत्तता देनी चाही थी। मैं निजी तौर पर स्वायत्ता की धारणा के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन उनके कृत्य का, जो बचाव करने योग्य नहीं है, का बचाव करने के लिए मुझे पुन: बाध्य न करें वह एक ऐसे व्यक्ति को स्वायत्तता देना चाहते थे जिसकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में राजनीति में गहरी दिलचस्पी थी। क्या यह वांछनीय है? उन्होंने कहा था कि मैं भाजपा का समर्थक हूँ। जी हाँ। मैंने एक भी नियुक्ति नहीं की है। आज भी नियुक्तियाँ उसी समिति द्वारा की जाती है। वे क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि यह समिति भाजपा समर्थक लोगों को ही नियुक्त करेगी? यदि उन्हीं के मानदंडों के लें तो अगर कम्यूनिस्ट पार्टी स्वायत्तता का समर्थन कर सकती है तो भाजपा से स्वायत्तता के लिए खतरा क्यों है?

कृपया दोहरा मानदंड मत अपनाइए। आपने 1997 में जो कुछ किया है उससे स्वायत्तता तथा प्रसार भारती की अवधारणा को बहुत नुकसान हुआ। पूरे 55,000 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति को एक ही व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया गया, उस व्यक्ति की नियुक्ति कैसे की गई थी? श्री रेड्डी को इस बात की बड़ी भारी शिकायत है कि श्रीमती सुषमा स्वराज, सूचना और प्रसारण मंत्री, श्री गिल को हटाने के लिए एक अध्यादेश लाई थी। लेकिन श्री रेड्डी गिल को नियुक्त करने के लिए अध्यादेश लाए। क्या यह अध्यादेश कभी अधिनियम बना?

अधिनियम के कुछ प्रावधानों को निरस्त करने के लिए अध्यादेश पारित किया गया था। प्रसार भारती अधिनियम संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ था तथा अध्यादेश तब पारित हुआ था जब कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस लेने ही वाली थी और सरकार डगमगा रही थी। सरकार को ही पता था कि यह अध्यादेश कभी भी अधिनियम नहीं बन पायेगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: अध्यादेश 29 नवम्बर को पारित हुआ था।

श्री अरुण जेटली: जी, हाँ। जैन आयोग की रिपोर्ट उस तिथि से पहले रखी गई थी।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: जी, नहीं, आप गलत कह रहे हैं। श्री जेटली, मैं एक विशेषाधिकार प्रस्ताव लाऊँगा। जैन आयोग की रिपोर्ट को लीक हुए बिना ही प्रस्तुत किया गया।

श्री अरुण जेटली: जी, हाँ। मुझे खेद है, आप 'लीक' की बात कर रह हैं लेकिन मैं सरकार के पास रिपोर्ट की उपलब्धता का उल्लेख कर रहा हूँ।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: जी, नहीं, यह उपलब्ध नहीं थी।

श्री अरुण जेटली: सरकार के एक सदस्य के रूप में आपको निश्चित रूप से इसके बारे में जानकारी होगी जो कि लीक से भी अधिक है। किस प्रकार के व्यक्ति को नियुक्त किया गया था? चयन समिति को यह नहीं बताया गया कि एक ऐसे व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है जिसका दूरदर्शन में अपना व्यावसायिक हित है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: उसका कोई व्यावसायिक हित नहीं था। मैं किसी व्यक्ति का बचाव करना नहीं चाहता था।

श्री अरुण जेटली: यह भूल जाइए कि वह भाजपा के आलोचक था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो एक विशेष राजनैतिक विचार का प्रबल प्रचारक था। पूरी 55,000 करोड़ रुपए की परिसम्पत्ति, एक स्वतंत्र इलेक्ट्रानिक मीडिया, जैसा कि आप इसे बताते हैं, को इस व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया गया था। क्या मैं उनके विचारों को उद्धृत कर सकता हूँ। वह आपकी वर्तमान पार्टी के बारे में लिखता है। वह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखता था जिनका निधन हो चुका है। उनके प्रति कुछ शिष्टाचार दिखाया जा सकता था। वह लिखता है "राजीव में उनके समान दक्षता और प्रभाव का अभाव था जबकि इंदिरा गांधी के समय में विरोधियों को एक सुविचारित गतिविधि के माध्यम से नियंत्रित रखा जाता था, राजीव ने इसे समाप्त कर दिया। *...(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी बात पूरा करने दीजिए। शायद मौजूदा समय में आपको यह कष्टदायक लग रहा है। "लेकिन इंदिरा जी कभी अशिष्ट नहीं थी, यहाँ तक कि अपने घोर विरोधियों के प्रति भी, उन्होंने व्यक्ति आक्षेपों से अपने आप को दूर ही रखा, राजीव में इस गुण का अभाव था। कोई भी व्यक्ति राजीव को खुश करने के लिए उनके यौवन के बारे में चातुर्यपूर्ण टिप्पणी कर सकता था लेकिन तथ्य यह है कि प्रधान मंत्री का एक शब्द भी काफी मायने रखता है तथा रखना भी चाहिए। इसलिए इस उच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति को तेज और चलायमान होने के बजाए सुस्त लेकिन विवेकशील होना चाहिए।" *...(व्यवधान)* कृपया मुझे पूरा करने दीजिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: चूँकि आपने उनके द्वारा की गई आलोचना का जिक्र किया है, अत: मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: एक राजनैतिक व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्यों बनाया गया। देश की इसके बारे में आपको स्पष्टीकरण देना है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: उन्होंने यह आलोचना एक किताब में उस किताब के लेखक के रूप में की थी। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी को बताया गया था और इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने

बारहवीं लोक सभा में श्री एस.एस. गिल का बचाव किया था। कृपया आप इसे नोट कीजिए।

श्री अरुण जेटली: जी हाँ। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा था कि यह राजनैतिक पक्षपात का सबसे बड़ा उदाहरण है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: बारहवीं लोक सभा में जब मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं था तब कांग्रेस पार्टी ने श्री एस.एस. गिल की नियुक्ति का समर्थन किया था और आपके अध्यादेश का विरोध किया था।

श्री अरुण जेटली: मैं इस बात से खुश हूँ कि आपने मुझे यह बताया। अच्छा तब आपने ''अस्थिर'' शब्द का प्रयोग उस सभा के लिए किया था मेरे लिए नहीं।

उन्होंने आगे कहा, ''राजीव के मन में स्थापित संसदीय परंपराओं के प्रति बहुत कम सम्मान था।'' आपने एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया है जो कट्टर राजनैतिक है। आप ने उसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है जो इस देश की इलेक्ट्रानिक मीडिया को अगले छः वर्षों तक चलाएगा। अतः मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि प्रसार भारती की समस्या एक व्यक्ति की नियुक्ति अथवा दो व्यक्ति को हटाए जाने की नहीं है बल्कि कहीं इससे बड़ी है। यही कानून का आदेश है। प्रसार भारती अधिनियम की धारा 6 (बी) बहुत ही स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक सदस्य का कार्यकरण 6 वर्ष का होगा लेकिन यह राज्य सभा की तरह चक्रीय सदस्यता के रूप में होगा जहाँ एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जायेंगे। सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वह दो सदस्यों को प्रत्येक दो वर्ष के बाद सेवानिवृत्त कर दे तथा दो सदस्य को चार वर्ष के बाद तथा बाकी सदस्य पूरी अवधि के लिए बने रहेंगे। यह सरकार का विवेक नहीं है। अतः अगले दौर से चक्रीय प्रणाली लागू होगी। इस मामले में सरकार के पास स्वनिर्णय का अधिकार नहीं होगा बल्कि उसे दो सदस्यों को सेवानिवृत्त करना है। सरकार कैसे इस विवेकाधिकार का प्रयोग करेगी। इस विषय पर गंभीर वैचारिक मतभेद हैं। एक विचार यह भी था कि आम लौटरी का सहारा ले सकते हैं। यह वही विचार है जिसका श्री जयपाल रेड्डी ने सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है। एक लघु कानूनी पृष्ठभूमि वाला होने के कारण मैं समझता हूँ कि यह कानून में मान्य नहीं है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को प्रसार भारती के संचालन का भार सौंपते हैं तथा जिनमें योगदान करने की क्षमता ज्यादा हो वह इसमें बने रह सकते हैं तो इसे जारी रखने के लिए कोई मानदंड होना चाहिए। इस पद पर बने रहने का आधार यह नहीं होना चाहिए कि जो भाग्यशाली है वह लम्बी अवधि तक बना रहेगा।

ऐसा नहीं है कि वह व्यक्ति पद पर बना रहेगा जबकि दूसरे लोग उससे ज्यादा योग्य हों। प्रशासनिक निर्णय लेने में न्यायालय ने हमेशा ही लौटरी प्रणाली पर असहमति जतायी है। अतः हम लोग महान्यायवादी के पास गए तथा कहा कि परिपत्र यह था। क्या इसका फैसला लौटरी से होना चाहिए। महान्यायवादी अपना विचार देने में उदारता दिखायी तथा कहा कि इस कार्यप्रणाली पर दुनिया भर के न्यायालयों द्वारा असहमति जतायी गई है। इसके लिए कुछ मानदंड होने चाहिए तथा उस मानदंड का पालन होना चाहिए। हम लोगों ने उस मानदंड का पालन किया है। तथा किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। पैनल है जो यह वही माननीय चयन पैनल है। जो लोगों को नियुक्त करेगा। किसी एक विचारधारा अथवा दूसरे विचारधारा के लोगों को नियुक्त करने की बात नहीं है। यह वही प्रणाली है जिसका पालन किया जाएगा। हमारी कार्रवाई की वैधता की जांच न्यायालयों में भी की गई है। परिणाम ज्ञात है अतः यह कहना की यह विधि-सम्मत नहीं है, असंवैधानिक है अथवा हमने अपने राजनैतिक कारणों से ऐसा कहा है, त[illegible]। किसी भी रूप में यह उन लोगों पर धब्बा नहीं होना चाहिए जो सेवा-निवृत्त हो चुके हैं। हम लोगों ने इस मानदंड को लागू [illegible]या तथा जिसके चलते दुर्भाग्यवश दो लोगों को जाना पड़ा [illegible] वे गए। अतः यदि यह मानदंड हम लोगों ने लागू किया हो तो श्री यादव के बदले श्री वर्गीस पहले सेवानिवृत्त हो गए होते। तब श्री जयपाल रेड्डी कहते कि प्रसार भारती के पीछे श्री वर्गीस का हाथ है। वे इस विचार से 1977 से जुड़े हुए हैं। उन्हें सबसे लम्बी अवधि मिली होती। सरकार ने सबसे पहले उन्हें ही क्यों सेवानिवृत्त किया। इन सेवानिवृत्तियों के बारे में कोई भी तर्क दिए जा सकते हैं।

लेकिन महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है। आज का चर्चा का विषय यह है कि प्रसार भारती की कार्यप्रणाली क्या होगी? यह अच्छी बात है कि श्री पाल ने कहा कि मैं दोनों तरह की बातें कर रहा हूँ। विभिन्न तरह के लोग भिन्न-भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। ऐसे आरोप लगाना बहुत ही आसान है। लेकिन यह तब कठिन हो जाता है जब ये आरोप पूर्व में लगाये गये। क्या मैं यह कहूं कि उनकी पार्टी के लोग भी वही बात कह रहे हैं? क्या पश्चिम बंगाल में कोई संस्थान नहीं है जहाँ एक खास राजनैतिक पार्टी के लोग भर्ती किए गए हैं? महोदय, वे लोग इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए स्वायत्तता की मांग सिर्फ दिल्ली में कर रहे हैं।

श्री रूपचंद पाल: इसका मतलब यह है कि मंत्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि वे दो तरह की बातें कर रहे हैं।

श्री अरुण जेटली: जी हाँ। ऐसा आपका मानना है, यह उम्मीद है, और मैं आपकी वह उम्मीद पूरी नहीं कर सकता।

श्री रूपचंद पाल: अपनी स्थिति की संपुष्टि के लिए आपके द्वारा दिया गया यह दूसरा उदाहरण है।

श्री अरुण जेटली: जी हाँ। महोदय, मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल सरकार एक राज्य द्वारा संचालित चैनल चलाना चाहती है। अत: पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा संचालित चैनल होना चाहिए और दिल्ली में एक स्वायत्तशासी इलेक्ट्रानिक मीडिया होनी चाहिए। महोदय, मुझे पता नहीं कि कौन लोग दो-तरह की बातें कर रहे हैं।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, समस्या यह है कि केन्द्र सरकार मामले को राज्य सरकार से जोड़कर उलझा रही है।

श्री अरुण जेटली: अगर स्वायत्तता देनी है तो यह इसके सिर्फ राज्य की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहेगी। यह इसे सभी जगह होना चाहिए।

श्री रूपचंद पाल: राज्य सरकार ने एक बंगाली चैनल की इच्छा व्यक्त की थी न कि राज्य चैनल की।

श्री अरुण जेटली: महोदय, श्री पाल ने ऐसा कहा, यह उनकी महानता है। मेरा मानना है, और कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसा सुझाव दिया था, प्रसार भारती इस समय कम से कम पांच क्षेत्रीय भाषाओं में चैनल शुरू करने की दिशा में प्रभावी ढंग से क्रियाशील है तथा जो अगले कुछ महीनों में पांच विभिन्न राज्यों में उपलब्ध होंगे। 24 घंटे चलने वाले उपग्रह चैनल होंगे। मैं समझता हूं कि जिन चैनलों पर वे विचार कर रहे हैं उनमें एक बंगाली चैनल भी होगा।

महोदय, जैसा कि आम लोगों में चर्चा है तथा निजी पार्टियों को ऐसी सूचना मिली है, प्रसार भारती के समक्ष असली मुद्दा प्रतिस्पर्धा का है। यह स्पष्ट है कि जब लोगों को पसंद की छूट होगी तो दर्शक एक चैनल को छोड़कर दूसरा देखेंगे। आज आंकड़े बताते हैं कि इस समय देश 69 मिलियन घरों में दूरदर्शन है। इस देश के 69 मिलियन टीवी. वाले घरों में से 29.4 मिलियन परिवारों के पास अपने पसंद के विकल्प हैं। क्योंकि उनके पास केबल है तथा उपग्रह चैनल हैं। जिन राज्यों में शक्तिशाली निजी क्षेत्रीय चैनल आ गए हैं तथा बहुत लोक प्रिय हैं उन राज्यों में प्रसार भारती के राजस्व तथा दर्शकों की संख्या में भी काफी कमी आई है अत: इस संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए फिर क्या किया जाए। इस संगठन की भविष्य में भूमिका क्या होगी? मैं सी.पी.आई. (एम) के सदस्य जिन्होंने अंत में कहा था तथा पूछा था एवं अन्य कई सदस्यों से भी जिन्होंने पूछा था कि क्या बी.बी.सी. के माडल को आप अपनायेंगे, से सहमत हूँ।

शुरु में ऐसा करना बहुत कठिन होगा लेकिन यह अधिनियम में ही कहा गया है कि यह एक ऐसा अधिनियम है जो प्रसार भारती दूरदर्शन तथा आल इंडिया रेडियो को एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक की स्थिति प्रदान करने पर विचार कर रहा है। माननीय सदस्य का यह कहना कि इसके पास क्षेत्रीय एकाधिकार होगा तथा इसका क्षेत्र विस्तृत होगा लोगों को मनोरंजन प्रदान करेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन मनोरंजन के अतिरिक्त इसके पास सूचना एवं शिक्षा भी होगी जिसका इसे प्रचार करना होगा। निजी चैनलों के पास केवल मनोरंजन होगा जिससे वास्तव में राजस्व की कमाई होती है तथा जो इसको टिकाऊ बनाता है। लेकिन आज भी जहां तक दूरदर्शन को सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में प्रस्तुत करने की बात है। इसकी स्थिति धीरे-धीरे बदल रही है।

यह कहना बहुत आसान है कि यह केवल सत्ताधारी सरकार के विचारों को प्रगट करता है। मैंने समाचार तथा समसामयिक संदर्भ वाले चैनल देखा है। एक वार्ता सीरीज प्रसारित की जा रही थी। ऐसी शायद ही कोई वार्ता प्रसारित हुई होगी जिसमें एक पार्टी का प्रतिनिधि रहा होगा। विचारों की बहुलता को बल मिलना चाहिए और ऐसा हमेशा हुआ है। आज यदि मैं शिक्षा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का सिर्फ एक महीने का आंकड़ा दूं तो प्रमुख चैनल डीडी 1 को सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में विकसित करने की काफी गुंजाइश है—इसके 22 प्रतिशत कार्यक्रम शिक्षा, संस्कृति से जुड़े थे, इसके 36 प्रतिशत कार्यक्रम सूचना पर थे। इस प्रकार डी.डी. 1 58 प्रतिशत कार्यक्रम आज भी सार्वजनिक सेवा के लिए है। डा. डिसूजा का यह कहना काफी सही था वह पहले से ही इस बात पर विचार कर रही है कि जो लोग लिख पढ़ नहीं सकते हैं उनके लिए ऐसे चैनल पर कोई समाचार उपलब्ध कराया जा सकता है। मनोरंजन वाले कार्यक्रम पहले से घटकर इस चैनल पर 42 प्रतिशत हो गए हैं। लेकिन इस चैनल पर भी कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम होने चाहिए क्योंकि मनोरंजन पर सिर्फ उन्हीं लोगों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए जिनके पास केबल तथा उपग्रह चैनल हैं। इसका कारण यह है कि अभी भी देश में दूरदर्शन वाले 60 प्रतिशत घरों में केबल कनेक्शन हैं। इसलिए, जहां तक उनका संबंध है तो कुछ मनोरंजन का प्रावधान किया जाना चाहिए। अत:, मेरा विनम्र निवेदन है कि आजकल प्रसार भारती के कार्य के संबंध में एक अधिनियम है। यह अधिनियम विधि है। अध्यादेशों के द्वारा इस अधिनियम के कुछ भागों को निरसित किये जाने का प्रयास किया गया है। लेकिन इस सभा ने उन अध्यादेशों को कभी भी अनुमोदित नहीं किया। लोगों ने इस अधिनियम में अनेक कमियों को बताया है। लेकिन यह इस सभा पर निर्भर करता है कि वह जब भी अवसर हों, इस अधिनियम में परिवर्तन करे, जहां तक इस अधिनियम का संबंध है।

आज, प्रसार भारती के संबंध में हमारी प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट हैं। हम इसे एक जन सेवा प्रसारणकर्ता के रूप में विकसित करना चाहते हैं। हम इसके कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार चाहते हैं। हम इसे एक ऐसे मंच के रूप में बनाना चाहते हैं जिसकी विश्वसनीयता हो क्योंकि इसमें अनेक मनोरंजक कार्यक्रम हैं और जिनसे कुछ राजस्व की प्राप्ति भी होगी। शेष राशि सरकार से बजटीय सहायता के रूप में प्राप्त हो रही है। इसके राजस्व प्राप्ति में सुधार की आवश्यकता है। व्यावसायिकता का अर्थ आर.एस.एस. और केसरिया लगा लेना बहुत आसान है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी राजनैतिक धारणा की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। लेकिन आज चुनाव प्रसारण के बारे में एक उल्लेख किया गया था। प्रत्येक दिन चुनाव कार्यक्रम में समाचार बुलेटिन में यदि पार्टी 'क' दिखाई जाती थी तो पार्टी 'ख' के नेता को भी दिखाया जाता था। सामायिक कार्यक्रम में, विचारों में विविधता थी। लेकिन कठिनाई यह थी कि चुनाव पश्चात प्रसारण में देश में प्रसार भारती के प्रसारण की दर्शक संख्या सर्वाधिक थी। यह निजी चैनलों के मुकाबले काफी अधिक थी। लेकिन निजी चैनलों के मुकाबले राजस्व प्राप्ति बहुत कम थी। इस प्रकार, यदि आप एक इलेक्ट्रानिक मीडिया चैनल चला रहे हैं, तो आपके पास सामयिक कार्यक्रम और मनोरंजन कार्यक्रम भी होंगे। देश में प्रसार भारती में अथवा रेडियो या टेलीविजन के संबंध में, जो कि कार्यक्रमों की बिक्री करके राजस्व पैदा कर सकते हैं कोई एक प्रणाली नहीं है। इसके परिणामस्वरूप प्रसार भारती को बजटीय सहायता देने के लिए करदाताओं के धन का उपयोग किया जाता है।

अतः, प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए क्या प्रसार भारती में विभिन्न व्यावसायिक विभागों का गठन किया जाना चाहिए जो यह देखें कि मनोरंजन कार्यक्रमों की गुणवत्ता कैसी है और सामयिक कार्यक्रमों की पैकेजिंग और मार्केटिंग किस प्रकार की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार विश्वास प्राप्त करने हेतु इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रसार भारती के कार्यक्रम, विशेष रूप से समाचार और सामयिक कार्यक्रम, निष्पक्ष आधार पर होने चाहिए। इसका उपयोग केवल मतविशेष के प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करना उदार लोकतंत्र की भावना अथवा राजनैतिक विविधता, जोकि हमारे शासन तंत्र का हिस्सा है, के प्रतिकूल होगा। इसलिए, प्रसार भारती के ढांचे को कैसे व्यावसायिक बनाया जाए, इस बात पर विचार करने के संबंध में मेरे मित्र का कहना ठीक है कि इसे केवल एक वाणिज्यिक संगठन के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।

जन सेवा प्रसारण में, वाणिज्य का स्थान कम महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मनोरंजन और कुछ अन्य कार्यक्रमों में धन की प्राप्ति होना आवश्यक है; अन्यथा करदाता पर इसका बोझ पड़ता है। जन सेवा प्रसारण का उद्देश्य केवल धन प्राप्ति के लिए ही नहीं होना बल्कि इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना तथा जानकारी देना भी है, जैसा कि उन्होंने ठीक ही कहा है। किसी संगठन के ढांचे को कैसे व्यावसायिक बनाया जाए? क्या सभी संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है या नहीं? इसलिए, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हमने तीन सर्वश्रेष्ठ पेशेवर लोगों को नियुक्त किया है।

एक प्रश्न उठाया गया था कि इसमें कितना समय लगेगा। हमने पहले ही उन्हें अपना अध्ययन पूरा करने के लिए लगभग तीन महीने का समय दिया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि वे उन्हें सौंपे गए विचारार्थ विषयों पर अपना कार्य शुरू कर चुके हैं। हमारा प्रयास यह निश्चित करना है कि प्रसार भारती का अस्तित्व निजी चैनलों के प्रतियोगी या उनकी प्रतिकृति (क्लोन) के रूप में न होकर अपनी विशिष्ट पहचान वाले एक जन सेवा प्रसारणकर्ता के रूप में हो।

श्री रूपचन्द पाल: मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं। मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि बोर्ड से दो सदस्यों को हटा दिया गया था।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: हम सदस्यों की सेवानिवृत्ति और रिक्तियों के न भरे जाने के बारे में मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए, हम सभा से बहिर्गमन करते हैं।

सायं 7.26 बजे

(इस समय, श्री एस. जयपाल रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री रूपचन्द पाल: मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि वैचारिक मतभेद के कारण उन्हें हटाया गया है। मंत्री महोदय ने उन्हें हटाये जाने के बारे में हमारे सही प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है।

सायं 7.26 3/4 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष गंगवार): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सायं 7.27 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है।

(एक) 'मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने 21 दिसम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में पेटेन्ट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 को सभा की एक संयुक्त समिति को भेजते हुए संलग्न प्रस्ताव को पारित कर दिया है और यह अनुरोध करने का भी निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के बारे में लोक सभा की सहमति और उपर्युक्त संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किए जाने वाले लोक सभा सदस्यों के नाम कृपया इस सभा को भेज दिए जाएं।'

प्रस्ताव

''कि पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 30 सदस्यों की संयुक्त समिति को भेज दिया जाए, जिसमें इस सभा से निम्नलिखित 10 सदस्य हैं, अर्थात्:-

1. श्री टी.एन. चतुर्वेदी
2. डा. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी
3. श्री सुरेश केशवानी
4. डा. एम.एन. दास
5. डा. विप्लव दासगुप्ता
6. श्री सी.पी. तिरनावकरसू
7. श्री जे. चित्तरंजन
8. श्री के. कलावेंकट राव
9. श्री सतीशचन्द्र सीताराम प्रधान
10. श्री जयन्त कुमार मलहोत्रा

और लोक सभा से 20 सदस्य:—

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए कोरम संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगा।

कि अन्य मामलों में, प्रवर समिति से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे अंतरों और परिवर्तनों के साथ लागू होंगे जो सभापति द्वारा किए जाएं;

कि समिति राज्य सभा के आगामी सत्र के पहले दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी; और

कि यह सभा लोक सभा से सिफारिश करती है कि लोक सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और संयुक्त समिति में लोक सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नामों की सूचना इस सभा को भेजे।''

राज्य सभा द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव मंगलवार, 21 दिसंबर, 1999 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था।

सभापति महोदय: सभा बुधवार, 22 दिसम्बर, 1999 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.28 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 22 दिसम्बर, 1999/1 पौष, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
मंगलवार, 21 दिसम्बर, 1999/30 अग्रहायण, 1921 (शक)

का

शुद्धि पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय-सूची(i)	13	स्थितिद्	स्थिति
498	17	"श्री पवन कुमार बंसल" का लोप करें ।	
514	नीचे से 16	श्री अखिलेश कुमार सिंह	कुंवर अखिलेश सिंह
517	18	श्री अखिलेश कुमार सिंह	कुंवर अखिलेश सिंह
554	18	सभापति महोदय :	अध्यक्ष महोदय :
576	6	सभापति महोदय	अध्यक्ष महोदय
610	नीचे से 7,8 और 12	डा० (श्रीमती) बिएट्रिक्स डीसूजा	डा० (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा
611	1	डा० (श्रीमती) बिएट्रिक्स डीसूजा	डा० (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा
617	6	श्री राशीद अल्वी	श्री राशिद अल्वी
627	नीचे से 6	"सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) " का लोप करें ।	
638	नीचे से 3	श्री संतोष गंगवार	श्री संतोष कुमार गंगवार

पी.एल.एस.–48/3/17/2000 (एन०)
280

© 1999 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।